राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 8] सप्तम् विधान सभा के आठवें सत्र का 38 वां दिवस [संख्या 23

बुधवार

दिनांक 11 अप्रेल, 1984

विधान सभा की बैठक म. पू. 11·00 बजे विधान सभा भवन जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री देवीसिंह भाटी

सहायक उपनिवेशन आयुक्त के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

602. **श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)** : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उपनिवेशन आयुक्त श्री सिकदार के विरुद्ध कितने शिकायत पत्र प्राप्त हुए हैं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या राज्य सरकार श्री सिकदार द्वारा पक्षपातपूर्ण निर्णीत फैसलों की शिकायतों की जांच कर सही भूमिधारकों को ही लाभ देने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उपनिवेशन मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) केवल एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है, जिस पर जांच की जा रही है।

(2) जी हां,. विधिवत् कार्यवाही की जायेगी।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, उपनिवेशन क्षेत्र में किसानों की विशेष समस्यायें होती हैं। वहां पर उक्त अधिकारी ने लाखों रुपये का गोलमाल किया है जिससे किसानों को बहुत बडा नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय कहते हैं अपने उत्तर में कि सिर्फ एक शिकायत प्राप्त हुई है। चूंकि इनके पास एक ही शिकायत की रिसीप्ट है, मेरे पास बहुत सी शिकायतों की कापियां हैं। मैं आपको साबित करके बता दूंगा। इसलिये मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि उक्त अधिकारी के खिलाफ जो भी शिकायतें हैं, उनके बारे में कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य साबित कर देंगे तो मैं कार्यवाही भी कर दूंगा। पर अभी तक

(2)

(श्री चन्दनमल बैंद)

मेरे पास जो शिकायत आई है, एक ही शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है और वह भी, अध्यक्ष महोदय, 28-2-83 को प्राप्त हुआ है। उसके अनुसार कार्यवाही हो रही है।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिये किसी विशेष अधिकारी को नियुक्त करके इनके खिलाफ में जितनी भी शिकायतें हैं उनकी जांच करायी जाये वरना वहां पर स्थिति बहुत खराब हो जायेगी। किसानों में वहां पर तनाव पैदा हो रहा है और झगड़े हो रहे हैं। इसलिये मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि आप किसी विशेष अधिकारी को नियुक्त करके उनकी जांच कराने की कृपा करें।

श्री चन्दन मल बैंद : अध्यक्ष महोदय, एडीशनल कमिश्नर, उपनिवेशन के द्वारा यह जांच की जा रही है और जहां तक मुझे जानकारी है, यह जांच तीव्र गति से हो रही है और बहुत ही जल्दी पूरी हो जायेगी। उसके बाद में जो भी स्थिति होगी उसके अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 603

श्री अब्दुल रहमान चोधरी, श्री रामेश्वर लाल।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री सुरजाराम।

नियोजन कार्यालय बीकानेर में पंजीकृत बेरोजगार

604. **श्री सुरजा राम टाक** (नोखा) : क्या नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले के नियोजन कार्यालय में कितने बेरोजगारों का नाम पंजीकृत है तथा पिछले तीन सालों के दौरान कितने कितने लोगों को रोजगार दिया गया ?

(2) उनमें से कितने कितने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं विकलांगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया ?

(3) क्या पिछड़े, गरीब तबके आर्थिक दृष्टि से कमजोर (वीकर सैक्शन) अभ्यार्थियों को भी रोजगार के साधन उपलब्ध कराये गये ? यदि हां, तो कितने को ?

(4) क्या 20 सूत्री आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम के तहत जिला नियोजन कार्यालय, बीकानेर द्वारा पिछड़े एवं गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों को आर्थिक सुविधायें उपलब्ध करवाई गई ? यदि हां, तो क्या क्या ?

(5) क्या वित्तीय साधन एवं ऋण सुविधायें पिछले दो सालों में काम करने की बाबत दी गई ?

नियोजन मंत्री (श्रीमती कमला) :

(1) बीकानेर जिले के नियोजन कार्यालय में 15004 बेरोजगारों के नाम पंजीकृत हैं। पिछले तीन सालों में कुल 1554 लोगों को रोजगार दिया गया। इनमें से वर्ष 1981 में 616, वर्ष 1982 में 538 एवं वर्ष 1983 में 400 लोगों को रोजगार दिलाया गया।

(2) इनमें से 174 अनुसूचित जाति, 33 अनुसूचित जनजाति एवं 125 विकलांग थे।

(3) जी हां। पिछड़े, गरीब तबके के, आर्थिक दृष्टि से कमजोर (वीकर सेक्शन) 197 आशार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

(4) 20 सूत्री कार्यक्रम के किसी भी सूत्र का क्रियान्वयन नियोजन कार्यालय के माध्यम से सीधा नहीं किया जा रहा है।

(5) जी हां।

श्री सुरजाराम टाक : अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है शिक्षित लोगों में और अशिक्षित लोगों में, स्नातक और स्नातक से ऊपर जो लोग हैं और जो डाक्टर्स और इन्जीनियर्स हैं, उनको क्या सरकार कोई विशेष योजना चला कर रोजगार देने का विचार रखती है? अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में और प्रदेश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उससे लोग बहुत दुखी हो रहे हैं, क्या सरकार उनके लिये कार्यक्रम बना रही है?

दूसरा 20 सूत्री कार्यक्रम का जो बिन्दु सात है, उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को रोजगार देने के लिये हमारे देश की महान् नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो प्रोग्राम बनाया है उस बारे में सरकार क्या कर रही है?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, यहां पर जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं वह सभी जानते हैं कि हमारे देश में शिक्षित और अशिक्षित लोगों के लिये बेरोजगारी बड़ी समस्या बनी हुई है। उससे मुकाबला करने के लिये हमारे यहां जो हमारी हुकूमत है उसने और हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कई प्रोग्राम बनाये हैं। रोजगार देने के लिये पंचायत समिति हैडक्वार्टर्स पर लक्ष्य निर्धारित किये हुये हैं और उसके लिये व्यवस्था भी है। जो बेरोजगार परिवार गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनको एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत रोजगार दिलाया जाता है। एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत हमारे यहां के जो बेरोजगार हैं उनको बैंकों के माध्यम से लोनिंग की व्यवस्था है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपना स्वयं का धन्धा लगाना चाहते हैं उनको लोन दिया जाता है। इसके लिये उनको फार्म भरने पड़ते हैं और बाद में उनको लोन दिया जाता है।

इसके अलावा इस साल एक विशेष योजना चालू की है जिसके अन्तर्गत जो बेरोजगार हैं उनको 25 हजार रुपये तक बैंकों के द्वारा दिया जायेगा। उसमें कुछ अनुदान भी उनको दिया जायेगा। तो इस प्रकार के यहां पर कार्यक्रम चलाये जा रहे

(श्रीमती कमला)

हैं और व्यवस्था की जा रही है । पर हमारे यहां शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक है । इसके साथ साथ हमारे यहां पर ट्रेनिंग भी दिलाई जाती है और उसमें लोगों को स्टाइपेन्ड भी दिया जाता है। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारे यहां के लोगों की प्रवृत्ति ऐसी है कि वह सरकारी नौकरी ही करना चाहते हैं । अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के पास रोजगार देने के लिये जगह कम है।

इसके अलावा एक बात और मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि उद्योग विभाग द्वारा उद्योग धन्धे के लिये लोनिंग कराने के लिये आर. एफ. सी. से लोनिंग कराया जाता है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री सुरजाराम टाक : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना मुझे दी गयी है उसके अनुसार नियोजन कार्यालय एवं समाज कल्याण विभाग बीकानेर द्वारा 1982-83 में जो रोजगार उपलब्ध कराया गया उसमें अनुसूचित जाति के 22, अनुसूचित जनजाति के 6 और अन्य श्रेणी के 250 लोग हैं। इस प्रकार कुल 278 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया । मेरा निवेदन यह है कि अगर एक साल में इतने ही लोगों को नौकरियां सरकार के द्वारा दी गयी हैं तो इस प्रकार तो बेकारी की समस्या बहुत बढ़ेगी । यह जो स्थिति है इससे शिक्षित, अशिक्षित बेरोजगारों में भारी असन्तोष है । तो आखिर इन लोगों को रोजगार नहीं दिलाने के लिये जिम्मेदार कौन है ? आज हमारे प्रदेश में डॉक्टर, इन्जीनियर्स और बी. ए., एम. ए. पास लोग बेकार हैं । मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि वह इन पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिये कोई रास्ता निकालें ताकि यह लोग अपनी रोटी-रोजी कमा सकें ।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो अपना उत्तर दिया उसमें उन्होंने कहा कि गरीबी की रेखा से नीचे वाले लोगों के लिये सरकार ने कार्यक्रम दिया । दूसरा शिक्षित बेरोजगारों के लिये भी ऐसे कार्यक्रम चलाये हैं पर इन सभी कार्यक्रमों के चलाने के बावजूद बेकारी की समस्या हमारे यहां पर है । तो इसके लिये आप क्या कर रहे हैं ? एक मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मन्त्री महोदय, आप यह बताने की कृपा करें कि क्या आपने यह आइडेंटिफाई किया है कि हमारे यहां पर गरीबी की रेखा से नीचे वाले कितने शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार हैं ? क्या आपने उनका पंजीकरण कराया है ? और आपने अशिक्षित बेरोजगारों के लिये कितने कार्यक्रम चलाये हैं ? यह बताने की कृपा करें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : माननीय मन्त्री महोदया ने बताया कि बीकानेर में 15,000 से....

श्री अध्यक्ष : यह विस्तृत चर्चा का विषय हो सकता है । इसको अन्य माध्यम से उठायें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मन्त्री महोदया से जो जानकारी प्राप्त हुई है उससे ऐसा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लगता है कि 1980 के बाद पन्द्रह हजार से अधिक बेरोजगारों ने अपना नाम पंजीकृत कराया था उसमें से 10 प्रतिशत लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हुआ। बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसके लिए आप क्या कदम उठा रही है ?

श्री अध्यक्ष : इस पर अलग चर्चा नहीं होगी। मन्त्री महोदया।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : कितने एस.सी. और एस.टी. वालों को रोजगार दिया गया है ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारे पास पंजीकरण के आंकड़े हैं उनसे कहीं अधिक लोग बेरोजगार हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना नाम पंजीकृत नहीं कराते। राज्य में बेरोजगारों की संख्या 63,341 है लेकिन इससे भी अधिक ऐसे लोग हैं जो शिक्षित और अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं। इतनी बड़ी व्यापक समस्या के निराकरण को दृष्टिगत रखते हुए ही मैंने कहा है। भारत सरकार और राज्य सरकार जानती है, आप और हम सब जानते हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि इस देश में जो पढ़े लिखे नहीं हैं आने वाले दस-पन्द्रह वर्ष के अन्दर सब लोग शिक्षित हो जायें। तो हम इतनी बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। इसलिये जो अशिक्षित हैं उनके लिए हमने समन्वित ग्रामीण विकास योजना बनाई है। इसके दो भाग हैं, एक भाग में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं। माननीय सदस्य, यदुनाथ सिंहजी इस कार्यक्रम से अनभिज्ञ हैं, हर साल ग्राम पंचायत समिति में ग्राम सभायें की जाती हैं, वह उनमें आते हैं या नहीं आते हैं, यह कहना मेरे बस की बात नहीं है। इन सभाओं में हम गरीब परिवारों का चयन करते हैं, बाकायदा पुस्तकें छपाई जाती हैं। उनके परिवार के लोगों को रोजगार देने का कार्य किया जाता है। प्रत्येक पंचायत समिति में हर साल 600-800 परिवारों को इस तरह से रोजगार दिया जाता है।

इसके अलावा ऐसे लोग भी हैं जो पढ़े-लिखे हैं जिनको स्टाइपेंड योजना के तहत काम दिया जाता है, ट्राइसम (TRYSEM) योजना के अन्तर्गत ट्रेनिंग दी जाती है। उनको स्टाइपेंड दिया जाता है, रामैटीरियल का खर्चा सरकार वहन करती है। ट्रेनिंग के बाद उनको बैंक से लोन दिया जाता है, किट दी जाती है और उनकी देखरेख की की जाती है। इसके अलावा जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए बैंकों से पूर्ण रूप से प्रावधान किया हुआ है, उनको हम कार्य शुरू करने के लिये लोन देते हैं, फार्म भरने के लिए लिये देते हैं। उनका मार्केटिंग लायेजन करवाते हैं। यह सब करवा कर हम अपना यह फर्ज पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए ऐसे प्रश्न या सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना चाहें तो मैं उनका उत्तर नहीं दे सकती; मैं क्या कोई भी नहीं दे सकता।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरा प्रश्न इससे पृथक था।

(6)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या मन्त्री महोदया यह बतायेंगी कि राज्य सरकार आंध्र वाली योजना यहां भी लागू करेगी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : ××××

श्री अध्यक्ष : व्यर्थ में समय ले रहे हैं। अंकित न हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : ×××

श्री यदुनाथ सिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें। इसका कोई उत्तर नहीं आयेगा। अंकित न हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री अध्यक्ष : समय न लें, आर्डर प्लीज।

प्रश्न संख्या 605

अगला प्रश्न। श्री छीतरलाल आर्य, श्री कैलाश मेघवाल।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री कुंजीलाल।

महाराजपुरा रूट का प्रकरण

606. **श्री कुंजीलाल** (वामनवास) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई-माधोपुर में महाराजपुरा रूट पर बस नम्बर आर' जे. यू. 1014 को परमिट दिया हुआ है ? यदि हां, तो यह कब से तथा किसके नाम पर है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त रूट की बस नंबर 1014 को पार्टी द्वारा दूसरे को बेचने सम्बन्धी मामला कोर्ट में चल रहा है ? यदि हां, तो किस कोर्ट में तथा अब तक कोर्ट द्वारा उस बस को किसे चलाने का अधिकार दिया है ?

(3) क्या यह भी सही कि उसी रूट पर 1014 नम्बर की बस के मालिक द्वारा नयी बसें उसी नम्बर पर लगाने की मांग की गई थीं ? यदि हां, तो जब उसी नम्बर की बस का झगड़ा कोर्ट में चल रहा है तो चेयरमैन द्वारा नयी बस को वही नम्बर देकर दूसरी बस को किन कारणों से पास किया ?

(4) क्या यह भी सही है कि जब किसी बस व रूट तथा नम्बर को लेकर कोर्ट में केस चलता है, तो तब तक दुबारा नंबर नहीं दिया जा सकता है जब तक कि कोर्ट फैसला नहीं दे दे ?

राज्य मन्त्री, यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी हां। यह परमिट दिनांक 12.4.71 से दिया गया है जो श्री केदार मल सोनी के नाम पर है।

(2) जी हां। बस के बेचे जाने का मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश सवाई

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

माधोपुर के कोर्ट में चल रहा है किन्तु वाहन चलाने का अधिकार किसको है इस सम्बन्ध में अभी कोर्ट द्वारा निर्णय नहीं किया गया है।

(3) नयी बस उसी नम्बर पर लगाने की मांग की गयी है, बल्कि अनुज्ञापत्रधारी ने विवादास्पद बस नम्बर आर. जे. यू. 1014 के स्थान पर ऊंचे माडल की बस आर. जे. यू. 3707 के प्रतिस्थापन हेतु आवेदन किया था। आवेदन दिनांक 21.1.84 को स्वीकृत कर दिया गया जो नियमानुसार है।

(4) जी नहीं। ऐसी विवादास्पद बसों के स्थान पर अन्य बस चलाने की स्वीकृति दिये जाने का मोटर वाहन नियमों में प्रावधान है।

श्री कुंजीलाल : जो कोर्ट में केस चल रहा है उसके निर्णय के बाद सरकार उसको परमिट देगी या नहीं ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : जो केस चल रहा है वह बस के स्वामित्व का चल रहा है; परमिट के स्वामित्व का नहीं चल रहा है। इसलिए परमिट लेने या वसूल करने का सवाल नहीं है। परमिट किसी को भी दिया हो, यह केस नहीं है, बस के स्वामित्व का केस है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बस-नम्बर पर केस चल रहा है या नहीं ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : बस रिप्लेसमेंट करने का प्रावधान है। उसने कोई बस बेच दी है तो बस के स्वामित्व का सवाल है। परमिट के सम्बन्ध में यह है, परमिट जिस व्यक्ति के नाम है उसको बदलने के लिए कानून-कायदे हैं। कोई भी व्यक्ति परमिट नहीं खरीद सकता जब तक कानून-कायदे पूरे न कर ले।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर) : जो केस चल रहा है उसमें विवाद यह है कि बस किसकी है। बस का मालिक परमिटधारी है या जिसको बेच दी है वह है ? न्यायालय द्वारा यह भी निर्णय दिया गया कि परमिट जिसको बेच दे उसी को बस बस चलाने का अधिकार है, जो चला रहा है। इसी आधार पर ऊंचे माडल की बस मांगी है वह आपने दे दी है और उसने स्वीकृति लेकर चला दी। यदि न्यायालय में उसी बस का, उसी नम्बर की बस का फैसला उसके हक में हो गया तो उसका क्या होगा ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कह दूं, मैंने जैसा कहा कि बस के स्वामित्व का मामला है, परमिट के स्वामित्व का मामला कोर्ट में नहीं है। इसलिए बस जो स्टेट कैरिज में चल रही है, वह प्राइवेट भी हो सकती है। बस के स्वामित्व का जहां तक मामला है, उसको चेलेंज नहीं किया है। जहां तक परमिट का सवाल है, परमिटधारी चाहे तो हायर माडल की बस लगाने का अधिकारी है। उसको मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार रिप्लेसमेंट करके दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री हंसराज शर्मा : बस के रूट का परमिट बिकता है....

श्री जयकृष्ण शर्मा : परमिट बिक नहीं सकता। जिस मालिक ने लिया है वह कानून के प्रतिकूल नहीं जा सकता।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री नाथूसिंह।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : मैं पूरक प्रश्न नहीं पूछ रहा, यह 605 नहीं लिया गया है।

श्री अध्यक्ष : 605।

राज्य में प्रदत्त विधिक सहायता

605. **श्री छीतरलाल आर्य** (अटरू) एवं **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में वित्तीय वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में विधिक सहायता हेतु विभिन्न विधिक सहायता समितियां को कुल कितनी राशि उपलब्ध कराई गई थी ?

(2) इस राशि में से प्रशासनिक खर्च, अन्य खर्च एवं वास्तविक विधिक सहायता के पात्र व्यक्तियों पर कितनी कितनी राशि व्यय की गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

विधि मंत्री (श्री अहमद बक्श सिंधी) : (1) वर्ष 1982-83 और 1983-84 में प्रत्येक वर्ष में 2 लाख रुपये विधिक सहायता हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये थे।

(अ) इसमें से वर्ष 1982-83 में राजस्व मण्डल समिति को 5,000), 25 जिला स्तरीय समितियों को प्रत्येक को 2000) और शेष 82 समितियों को प्रत्येक को 1000) आवंटित किये गये।

(ब) वर्ष 1983-84 में राजस्व मण्डल समिति को 5000), 25 जिला स्तरीय समितियों को प्रत्येक को 2,500) और शेष 81 समितियों को प्रत्येक को 1000) आवंटित किये गये थे।

(स) विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) (अ) वर्ष 1982-83 में प्रशासनिक खर्च के मद में 3,978-30 रुपये, अन्य खर्च के मद में 7,080 रुपये एवं विधिक सहायता के मद में 8,396.50 रुपये की राशि व्यय की गई।

(ब) वर्ष 1983-84 में प्रशासनिक खर्च के मद में 8,879.30 रुपये, अन्य खर्च के मद में 15,909.40 रुपये एवं विधिक सहायता के मद में 12,0?9.50 रुपये की राशि व्यय की गई।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

प्रश्न संख्या 607

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री नाथूसिंह।

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह श्री देवीसिंह भाटी।

आर. डी. 760 के भट्टे पर ईंट निर्माण

608. **श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह** (गुढ़ा) एवं **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान मुख्य नहर की आर. डी. 760 के भट्टे पर मैसर्स जयकिशन जीया सिंह ने ईंट निर्माण के लिए 80 कि. मी. दूर की आधी मिट्टी चक सालिया की मिलाने का एग्रीमेंट कर रखा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फर्म द्वारा भट्टे के पास के ताल से ही मिट्टी खोद कर ईंटों में लगाने से रोकने की कार्यवाही व जांच का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि मुख्य नहर की आर. डी. 750 पर उपरोक्त ठेकेदार के खिलाफ एक लाख रुपये का घोटाला साबित हो जाने पर भी ठेकेदार को झील में मिट्टी डालने व ईंट निर्माण भट्टे का ठेका दे रखा है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस प्रकार के अधिकारियों द्वारा ठेकेदार के साथ मिलीभगत कर लाखों रुपये का घोटाला करने वालों के खिलाफ जांच कर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) मैसर्स जयकिशन जीया सिंह को राजस्थान मुख्य नहर की बुर्जी 750 पर भट्टे का कार्य आवंटित है जिस पर 45 प्रतिशत मिट्टी गांव चकसालिया से लायी जानी है जो 100 कि. मी. दूरी पर स्थित है। शेष 55 प्रतिशत मिट्टी भट्टे के ताल से ही खोदकर प्रयोग में लायी जानी प्रस्तावित है। 55 प्रतिशत मिट्टी ही भट्टे के ताल से खोदकर टाइलें। ईंटें बनाई जा रही हैं। अतः मिट्टी खुदवाई पर रोक लगाने व जांच करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) यह सही नहीं है कि राजस्थान मुख्य नहर की बुर्जी 750 पर उपरोक्त ठेकेदार के विरुद्ध एक लाख रुपये का घोटाला साबित हुआ है। झील से मिट्टी डालने व टाइलें। ईंट निर्माण हेतु भट्टे का कार्य नियमों की पूरी पालना कर सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटित किया जाता है। अतः अधिकारी एवं ठेकेदार की मिलीभगत से लाखों रुपये के घोटालों का प्रश्न नहीं उठता।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बड़ा घुमा-फिरा कर उत्तर दिया है—

श्री चन्दनमल बैद : सीधा उत्तर दिया है।

श्री देवीसिंह भाटी : आपको विभाग ने दिया है।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मैं कह रहा हूं, मेरा विभाग नहीं कह रहा है।

श्री देवीसिंह भाटी : आर. डी. 750 पर रेगूलेटर हैड का कार्य दिया गया था । इसके ऊपर एक लाख रुपये की रिकवरी चालू है जिसमें निम्न स्तर की टाइलें इस्तेमाल करना, पूरा मसला, सीमेंट नहीं लगाना आदि है । इसके बारे में मन्त्री महोदय क्या स्पष्ट करेंगे कि 750 पर रेगूलेटर हैड के निर्माण का ठेका किसको दिया था ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, आर. डी. 750 पर मुख्य नहर का ठेका इस पार्टी को 33 लाख में दिया गया था । इसको 1979 में कार्य दिया गया, 1980 में यह कार्य पूरा कर लिया । 1981 में शिकायत आई कि इसका पेमेंट, जो कि डिपार्टमेंट को इस ठेकेदार को करना चाहिये, नहीं किया गया । इस पर दो सुपरिटेंडिंग इन्जीनियर्स की कमेटी बनाई गई । उस कमेटी ने जांच कर यह पाया कि जो पेमेंट करना था वह कर दिया गया है, केवल एक वायवरेटर का पेमेंट नहीं हुआ है, इसके पेटे 44 हजार रुपया इस पार्टी का विभाग में जमा है । अभी जो एस. ई. हैं अगर वे उचित समझेंगे कि 44 हजार में से कुछ भुगतान काटना है, तो काटेंगे । अगर वे समझेंगे कि नहीं काटना है, तो नहीं काटेंगे ।

श्री देवीसिंह भाटी : जैसा मन्त्री महोदय ने फरमाया, चकसालिया 100 किलोमीटर दूर है । भट्टे के ऊपर ईंटों का निर्माण करते हैं । चिकनी मिट्टी होती है जो इसमें काम में लाई जाती है । निर्धारित जगह की मिट्टी वहां से लानी होती है । अधिकारियों ने इसका ध्यान नहीं रखा । जो सही मिट्टी काम में लाई जानी चाहिये थी वह नहीं लाई गई । अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या इसका नाप-तोल या मौके पर निरीक्षण करते हैं ? इसका मापदण्ड क्या है ? आपने क्या निर्देश कर रखे हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, यह भी आवश्यक पार्ट है । हमारे ओवरसियर, ए ई.एन. देखभाल करते हैं । इसके लिये एडीशनल चीफ इन्जीनियर रैंक का मुख्य आफिसर है, उसके नीचे एस.ई., एक्स. ई.एन. हैं, जो जांच करते हैं । उस जांच के अनुसार कार्यवाही होती है ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री देवीसिंह भाटी : इसमें करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ है ।

श्री चन्दनमल बैद : इसमें घोटाला होता नहीं है ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मिट्टी में इतना घोटाला हुआ है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

अंकित न हो ।

श्री देवीसिंह भाटी ×××

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । अंकित नहीं हो रहा है । अगला प्रश्न । कृपया विराजें, माननीय सदस्य, आपको अवसर दे दिया । जो आपने प्रश्न पूछा उसका मन्त्री महोदय ने उत्तर दे दिया । किसी पूरक प्रश्न की गुंजाइश नहीं है । आपके मन में जो आया, कह दिया । वह बात समाप्त हुई । मैं आगे बोलने नहीं दूंगा ।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर । अन्य किसी तरीके से उठायें । समय न लें ।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । जिद न करें, बैठ जायें । घोटाले का नाम लेकर सदन की कार्यवाही न रोकें । समय न लें । जैसा प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर दे दिया गया । उसमें आपको शंका है तो तथ्य लेकर अन्य किसी माध्यम से इस प्रकार प्रश्न को उठायें ।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । आपने कह दिया, इन्होंने सुन लिया । इसका उत्तर कुछ नहीं आयेगा । आपने बात फरमायी, उन्होंने सुन ली । उसमें जो कुछ जरूरी होगा, वे करेंगे । आर्डर, आर्डर ।

प्रश्न संख्या 609

अगला प्रश्न । श्री कनकराज ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें ।)

प्रश्न संख्या 610

श्री तेजपाल यादव ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें ।)

श्री कैलाश मेघवाल ।

संभाग प्रबन्धक, अजमेर के कार्यकलापों की जांच

611. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वर्तमान संभाग प्रबन्धक, अजमेर के अनियमित कार्यकलापों की गंभीर शिकायतें प्राप्त होने पर जांच कराई गई ?

(2) यदि हां तो मुख्य शिकायतें किस प्रकार की थीं और क्या उनकी जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ?

राज्य मंत्री यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी हां । वर्तमान सम्भाग प्रबन्धक, अजमेर के विरुद्ध प्राप्त हुई शिकायतों के सम्बन्ध में नियमानुसार जांच करवाई गई है ।

(2) प्रमुख शिकायतों का विवरण एवं तत्सम्बन्धित जांच के परिणाम का मानचित्र सदन में टेबल पर रख दिया गया है ।

(विवरण एवं मानचित्र के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी विषय पर आपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी स्वीकार किया है। मैं चाहूंगा, मुझे दो चार मिनट के लिए उस समय बोलने दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री पीरूराम।

डिस्ट्रीब्यूटरी एवं माईनर्स द्वारा जिला गंगानगर में सिंचाई

612. **श्री पीरूराम** (टीबी) : क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या जिला गंगानगर के राजस्थान नहर क्षेत्र की डिस्ट्रीब्यूटरी व माइनर्स द्वारा किसानों को सिंचाई हेतु जल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ? यदि हां, तो इनके रख-रखाव और मरम्मत कराये जाने का क्या प्रावधान है ? यह मरम्मत कार्य वर्ष में कितनी बार कराया जाता है तथा इन पर प्रतिवर्ष कितना कितना व्यय किया जाता है ?

राजस्थान नहर परियोजना मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : जी हाँ, राजस्थान नहर क्षेत्र के जिला गंगानगर में राजस्थान फीडर मुख्य नहर, शाखाएं, वितरिकायें एवं माइनर्स के रख-रखाव एवं मरम्मत के लिये सन् 1983–84 में 155.50 लाख रुपये का प्रावधान है। नहरों की मरम्मत का कार्य मुख्य रूप से नहरों की बन्दी के दौरान ही कराया जाता है। शेष छोटे छोटे मरम्मत के कार्य आवश्यकता अनुसार समय समय पर कराये जाते हैं। पिछले तीन वर्षों में रख-रखाव व मरम्मत पर व्यय राशि निम्न प्रकार है :—

क्रमांक	वर्ष	राशि (लाख रुपयों में)
1.	1980–81	120.63
2.	1981–82	119.96
3.	1982–83	133.83

श्री पीरूराम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो बताया है, वह सही नहीं बताया है। मुझे भी चार साल हुये हैं और आम तौर से मैं मेरे क्षेत्र में 4–5 महीनों के बीच में हरेक गांव में जाता हूं। मुझे आम तौर से यह देखने में आया है कि डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर्स का जो सवाल है, उसमें काश्तकार खुद मिट्टी निकालते हैं और तब से यही पुरानी परम्परा चली आ रही है जब से नहरें बनी हैं। इसके लिये आपके यहां फर्जी मस्टर रोल बनते हैं। जैसे मंत्री महोदय ने जो आंकड़े दिये हैं, तीन साल में शिल्ट का खर्चा भी इसी में हुआ होगा तो मंत्री जी बतायें किन-किन माइनर्स की शिल्ट कौन निकलेगा और कितने टाइम में निकालते हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : मैंने, अध्यक्ष महोदय, तीन साल का रख-रखाव का खर्चा बताया है। चौथा साल अब शुरू हुआ है और इसके लिये 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है। यह चार साल का करीब

(श्री चन्दनमल बैद)

करीब मैंने बताया है। जो मरम्मत का जरूरी काम होता है, वह किया जाता है। एक हैड पर बहुत बड़ा काम अभी किया गया है और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटरी या माइनर बन्द होती है तो जो रख-रखाव का या मरम्मत का काम होता है वह किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जितना रख-रखाव का पैसा हमें मिलना चाहिये है वह नहीं मिल पाता है, वित्तीय कारणों से। अभी सारे हिन्दुस्तान के इरिगेशन मिनिस्टर्स ने बैठ कर यह तय किया था कि 75) रु. प्रति हैक्टेयर रख-रखाव पर खर्च होना चाहिये और उस हिसाब से 285 करोड़ रुपया बनता है उसके अगेन्स्ट में हमें केवल 155 लाख ही मिले हैं। तो जितना हमें मिलता है उतना खर्च कर रहे हैं।

श्री पीरूराम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको रावतसर ब्रान्च की दो डिस्ट्रीब्यूटरी और छोटी माइनर्स के बारे में बताना चाहता हूं—के. डब्ल्यू. डी., डी. डब्ल्यू. डी., रामपुरा माइनर, एम. डब्ल्यू. एम., पोहोड़का माइनर, किकरालिया माइनर, कनबानी माइनर, मैनावाली माइनर, एम. डी. माइनर, मैहरवाला माइनर, राइयावाली माइनर एल. के. माइनर, एस. एस. डब्ल्यू माइनर, के. एस. पी. माइनर, एस. पी. ओ. नहर से निकलने वाला माइनर, नीरवाल माइनर-इनमें आम तौर से काश्तकार खुद शिल्ट निकालते हैं। अधिकारियों से जब कहते हैं तो वे यही कह देते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। मैं मरम्मत के लिये नहीं शिल्ट के लिये पूछना चाहता हूं, आपने इसके लिये तीन साल में बजट दिया है या नहीं दिया है? अगर नहीं दिया है तो काश्तकार मिट्टी निकालेगा। मिट्टी निकालने की पुरानी परिभाषा है और वह अब भी चली आ रही है। मेरे क्षेत्र में उपनिवेशन जमीन के बारे में आन्दोलन चल रहा है। विभाग के अफसर काश्तकारों से अभी बेगार ले रहे हैं। तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि यह शिल्ट का खर्चा है या मरम्मत का खर्चा है वह कौन दे रहा है?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में रख-रखाव और मरम्मत का खर्चा बताया गया है लेकिन मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन जरूर करूंगा कि किसी भी माइनर व डिस्ट्रीब्यूटरी के बारे में निश्चित रूप से गौर करूंगा और जो भी कार्यवाही होगी, करूंगा।

(व्यवधान)

श्री पीरूराम : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं एक साल पहले ग्राम रावतसर की के. डब्ल्यू. डी. की माइनर की मरम्मत हुई है—इस साल हुई है. एक साल पहले भूख हड़ताल हुई थी। तब अधिशासी अभियन्ता को दफ्तर से बुलवा कर उनको ले जाकर विश्वास दिलाया कि मरम्मत कर दी जायगी और टेल पर पानी पहुंचा दिया जायगा, भूख हड़तालियों की हडताल तुड़वाई उसके बाद भी एक साल बाद मरम्मत हुई है वह मरम्मत भी सही ढंग से नहीं हुई है। मैं मंत्री महोदय को बता रहा हूं वे ग्राम का टूर करें और पता लगायें। मेरे क्षेत्र में मैं तो अभी जाकर

(१५)

(श्री पीरूराम)

आया हूं, जो चिनाई में मसाला आम तौर पर लग रहा है, मैं तो उससे बहुत परेशान हो गया हूं। आप टाइम दें तो मैं आपको मौके पर बताऊंगा कि क्या-क्या हालत है।

श्री चन्दनमल बैद: अध्यक्ष महोदय, जैसा यह कहा कि मरम्मत ठीक नहीं हुई है। इंजीनियर्स मरम्मत करते हैं। अब माननीय सदस्य कहते हैं मसाला घटिया लग रहा है और इंजीनियर्स कहते हैं मसाला ठीक लग रहा है। इसको तो इंजीनियर्स ही करेंगे। जहां तक देखने का सवाल है, बराबर मुझे जब भी फुरसत मिलती है तो मैं—

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : घटिया माल लगायेंगे तो इसको कौन देखेगा····

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आज आपका कोई प्रश्न नहीं है क्या ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : सवाल यह नहीं है। सवाल यह है, मंत्री महोदय ने कहा, इंजीनियर काम करते हैं····

(व्यवधान)

मसाला लगता है और वह घटिया किस्म का लगता है तो वे कहते हैं मैं क्या करूं।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने यह कहा है कि एक तरफ इंजीनियर्स कह रहे हैं ठीक लग रहा है और माननीय सदस्य कह रहे हैं गलत लग रहा है····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जांच करवायें।

श्री चन्दनमल बैद : मौके पर जब-जब जाऊंगा तो····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय इस स्थिति में यह कहें कि लिख कर दें तो जांच कराऊंगा, यह तो आपत्तिजनक है।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मैं यह कह रहा हूं कि मैं बराबर दौरे पर जाता हूं, माननीय सदस्य बतायें कि घटिया मसाला कहां लग रहा है तो····

(व्यवधान)

साल भर की मरम्मत की बात कही है। अब साल भर की बात हो गई है, किस समय सही मसाला लगा और किस समय सही मसाला नहीं लगा····

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप जांच करायें, जांच कराने के कई साधन हैं....

(व्यवधान)

मंत्री महोदय की एक आदत सी हो गई है यह कहने की....

श्री चन्दनमल बैद : यह माननीय सदस्य की भी आदत हो गई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपकी तो आदत बन गई है। ढंग से जवाब नहीं देते हैं और अपनी जिम्मेदारी भी नहीं निभाते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि यह इनकी आदत हो गई है, माननीय सदस्य सदन में आरोप लगाते हैं और उस पर भी मंत्री महोदय कहते हैं हमको लिख कर दो। तो अध्यक्ष महोदय, हाउस में कही हुई बात ज्यादा महत्वपूर्ण है या बाहर लिख कर दी हुई ? यह बता दें।

राज्य मंत्री, यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा) : नाम तो बतायेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं किसानों के बेगार की बात कह रहा हूं....

(व्यवधान)

डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर में इंजीनियर्स फर्जी मस्टर रोल बना लेते हैं। यह बिलकुल सही प्रश्न पूछा गया है और मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से चाहूंगा कि....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बैठ जायें। आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री देवीसिह भाटी : तब तक टेल पर पानी नहीं पहुंचेगा....

श्री अध्यक्ष : कई दफा सदन में माननीय मंत्री महोदय कह देते हैं कि अगर आप लिख कर दे देंगे तो इस बात की जांच करवा लेंगे। इसमें मेरी व्यवस्था यह है कि यदि निश्चित बात कही गई है और उस बात को पहचाना जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि माननीय सदस्य लिख कर दें। लेकिन यदि विवरण पूरा नहीं है, अस्पष्ट है, तो उस अवस्था में जब माननीय सदस्य कोई इंक्वायरी चाहते हैं तो माननीय सदस्य पूर्ण विवरण के साथ अपनी बात मंत्री जी को लिखित में देने का कष्ट किया करें।

अगला प्रश्न, श्री मेघराज तावड़।

केलवा के गढ़ में प्रदत्त खनन पट्टे

613. **श्री मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि केलवा के गढ़ (किला) में खनन के पट्टे दिये गये हैं और वहां खनन कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो कब और किस के नाम से खनन पट्टे दिये गये हैं ? कृपया पट्टे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पुरातत्व विभाग की ऐतिहासिक इमारत में खनन कार्य अनुज्ञेय नहीं है ? यदि हां, तो खनन करने की इजाजत व पट्टे देने वाले अधिकारी कौन हैं और दोषी अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी हां। संलग्न प्रपत्र (क) में दर्शाये गये 5 व्यक्तियों के नाम पर खनन पट्टे उनके नाम के सामने अंकित तिथि से स्वीकृत किये गये हैं। संविदा की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) केलवा गढ़ (किला) पुरातत्व विभाग की इमारत में शामिल नहीं है। अतः इस क्षेत्र में पट्टे देने में कोई गलती नहीं की गई है।

(संविदा की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि इससे पहले जब आपने पांच आदमियों को खनन पट्टे दिये तो कितनी एप्लीकेशन्स आपके पास प्राप्त हुई और उनमें से दूसरों को नहीं देकर इन पांच व्यक्तियों को ही खनन पट्टे क्यों दिये गये।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या ये एक ही परिवार के लोग हैं।

खनिज मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : अध्यक्ष महोदय, केलवा गढ़ में पांच व्यक्तियों को पट्टे दिये गये हैं और ये सभी व्यक्ति राजपूत हैं, यह बात सही है, लेकिन ये एक ही परिवार के हैं, यह बात सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जो यह प्रश्न पूछा गया है, इस प्रश्न में जो मूल भावना है वह यह है कि यह केलवा गढ़ पुरातत्व विभाग की इमारत होने पर भी ये पट्टे कैसे दे दिये गये। मैंने स्पष्ट रूप से निवेदन किया है कि यह इमारत पुरातत्व विभाग की सूची में अंकित नहीं है। यह व्यक्तिगत प्रापर्टी है। इस प्रोपर्टी के अन्दर एक खसरा नम्बर जो रेवेन्यू रिकार्ड है उसके अन्दर बेनामी दर्ज है और बेनामी होने की वजह ही खनन पट्टे दिये गये हैं।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, यह क्षेत्र माननीय मंत्री महोदय के विधान सभा क्षेत्र के नजदीक है और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि इस खनन कार्य की वजह से वहां के स्कूल और बस्ती को खतरा पैदा हो गया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, पिछले दो-तीन वर्षों से यह माइन चल रही है और अभी तक तो खतरा हुआ नहीं है।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

यह बात सही है कि माइन का जितना डिस्टेंस होना चाहिए, मंदिर हैं, स्कूल हैं, आबादी है, उनसे जितना डिस्टेंस रख कर माइन का खनन कार्य करना चाहिए, उसको ध्यान में रख कर ही, उतने डिस्टेंस को देख कर ही पट्टे दिए गए हैं।

श्री मेघराज तावड़ : क्या आपको इस प्रकार की शिकायत मिली है वहां की जनता की तरफ से कि इस खनन से स्कूल और बस्ती को खतरा पैदा हो गया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मेरी जानकारी में ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

प्रश्न संख्या 614

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री हरिसिंह, विभाजन सं. 193।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न । श्री नानूराम कुमावत ।

ट्रकों में क्षमता से अधिक भार वहन को रोकना

615. **श्री नानूराम कुमावत** (आसींद) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा और मकराना (जिला नागौर) से ट्रकों में भार वहन क्षमता से अधिक माल लोड होता है ?

(2) क्या सरकार अधिक भार वहन क्षमता को रोकने के लिए अविलम्ब उपरोक्त स्थानों के कांटों पर यातायात अधिकारियों को नियुक्त करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा व मकराना (जिला नागौर) में अन्य जिलों की भांति ट्रकों का चैकिंग परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जाता है और जिन ट्रकों में क्षमता से अधिक माल लोड किया जाता है उनका चालान किया जाता है।

(2) फिलहाल विभाग की ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या यह सही है कि कोटा में माल-भार वाहक ट्रकों को तोलने के लिए जो मशीन लगी हुई है वह तीन साल से बन्द पड़ी हुई है और उसके बारे में इस सदन में तीन सत्रों से लगातार पुकारा जा रहा है उसके बावजूद भी ट्रक तोलने की मशीन ठीक नहीं हुई ? फिर आप किस प्रकार से माल का वजन लेते हैं और उनको पकड़ते हैं ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, कोटा का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : कोटा का नाम इसमें जरूर है लेकिन धर्मकांटा खराब पड़ा हुआ है यह नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मंत्री महोदय कहते हैं कि हम माल अधिक होने की हमेशा

(18)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

जांच करते हैं, तो जांच किस प्रकार से करते हैं ? कोटा में कांटा बन्द पड़ा है, चित्तौड़ में कांटा किसी प्रकार से काम नहीं करता है, तो आप जांच कैसे करते हैं ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : जांच का दूसरा भी तरीका है। वह तरीका यह है कि ट्रक वाले के पास में बिल्टी होती है उसमें जो माल भेजता है उसकी तरफ से वजन लिखा हुआ होता है।

श्री दाऊदयाल जोशी : वह तो जाली होता है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : जाली कैसे होगा, माल लेने वाला कैसे लेगा ?

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : बिल्टी में कम वजन लिखाते हैं और माल अधिक ले जाते हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रत्येक प्रश्न पर आप पूरक प्रश्न पूछें, यह जरूरी नहीं है। आर्डर आर्डर।

श्री दाऊदयाल जोशी : नम्बर (2) में आपने क्या जवाब दिया है ? भाग (2) का जवाब स्पष्ट नहीं है, वह फिर से बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता संतुष्ट हैं। अगला प्रश्न।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, नम्बर (2) का क्या जवाब दिया है ?

प्रश्न संख्या 616

श्री अध्यक्ष : अगल प्रश्न । श्रीमती विद्या पाठक।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, श्री कैलाश मेघवाल।

श्री गंगानगर स्थित कलमी शोरा खनिज का पट्टा

617. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) व **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सादुल शहर, सूरतगढ़, नोहर, टीबी, आदि तहसील श्री गंगानगर में स्थित कलमी शोरा खनिज के दिनांक 27-2-1985 तक के लिए वैध खनिज पट्टे के द्वितीय नवीनीकरण हेतु करीब तीन वर्ष पूर्व ही दिनांक 30-4-1982 को पट्टाधारी कमल प्रकाश बियानी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस पट्टाधारी द्वारा यह खनिज पट्टा हनुमानगढ़ के सेठ नन्दराम दौलतराम बियाणी नाम की पार्टनरशिप फर्म को हस्तान्तरण कर दिया था जिसमें पट्टाधारी एक पार्टनर रहा और इसी फर्म ने इस पट्टे के अन्तगत खनिज का दोहन, परिशोधन एवं व्यवसाय किया है तथा पट्टाधारी ने कभी भी इस हस्तान्तरण की स्वीकृति राज्य सरकार से नहीं ली और न ही इसकी सूचना दी ?

(श्री कैलाश मेघवाल)

(3) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि पट्टाधारी ने दिनांक 1–4–1982 को फर्म की पार्टनरशिप से अपने आपको अलग कर लिया है और पार्टनरशिप से रिटायरमेन्ट की शर्तों के प्रतिकूल इस पट्टे के ही आधार पर मैसर्स लीलाधर बियाणी एण्ड सन्स फर्म में पार्टनरशिप कर यह खनिज पट्टा इस फर्म को हस्तान्तरित कर दिया है ? यदि हां, तो इसका नवीनीकरण कैसे सम्भव है ?

राज्य मन्त्री, खनिज (**श्री जयकृष्ण शर्मा**) : (1) जी हां। इस आवेदन पत्र पर यह निर्णय लिया गया है कि नवीनीकरण नियमानुसार व समय पर ही किया जावेगा।

(2) जी नहीं। खनिज दोहन का काम पट्टाधारी द्वारा ही किया गया है।

(3) जी हां। पट्टाधारी दिनांक 1–4–82 को सेठ नंदराम दोलतराम नाम की पार्टनरशिप फर्म से अलग हो गया है। परन्तु पट्टाधारी ने मैसर्स लीलाधर एण्ड संस नाम की फर्म के पक्ष में अपना खनन पट्टा हस्तांतरित नहीं किया है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मन्त्री महोदय को यह जानकारी है कि इस माइनिंग लीज को यह लीज के रूप में यूज नहीं कर रहा है ? क्या यह सही है कि खण्ड (1) में उल्लिखित फर्म के साथ में पट्टे के आधार पर इस व्यक्ति ने भागीदारी की थी ? और क्या आपको यह मालूम है कि जब नवीनीकरण की दरख्वास्त दी उस समय यह बताया था कि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है जब कि उसका ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, नन्दलाल दौलतराम नाम की फर्म से यह अलग हो गया है ? ऐसी स्थिति में क्या आपको यह मालूम है कि खनन पट्टा निरस्त करके नए सिरे से दूसरे लोगों को देना चाहिए जिससे लाखों रुपयों की रायल्टी सरकार को आ सकती है ? क्या यह भी सही है कि दूसरे लोगों ने इसके लिए लिख कर दिया है ?

खनिज मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : अध्यक्ष महोदय, जो पट्टा पट्टाधारी ने लिया था वह अपने नाम पर लिया था और पट्टा दिया गया था उसमें यह शर्त भी थी कि यहां पर इंडस्ट्री में इसको यूज करेंगे और इसके खनन से माल तैयार किया जाएगा। जो पट्टा दिया गया है वह भी इसी आधार पर दिया गया है। जहां तक पट्टाधारी द्वारा दोहन करने का प्रश्न है, जो लीज दी गई है जिस व्यक्ति को अगर वह अपनी भागीदारी बदलता है तो उसको माइनिंग विभाग से स्वीकृति लेनी चाहिए। माइनिंग विभाग की स्वीकृति के बिना दूसरे के नाम पर ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब लीज जिसको मिली है, माइनिंग डिपार्टमेंट से वही डील कर रहा है, वही सम्पर्क कर रहा है, वह रायलटी दे रहा है, तो फिर माइनिंग डिपार्टमेंट को यह कैसे पता चल सकता है कि इसने लीज को ट्रांसफर कर दिया है। जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि इसने पार्टनरशिप बदल ली है, तो लीज में तो पार्टनरशिप दर्ज नहीं है। लीज में पार्टनरशिप नहीं है लेकिन उस इंडस्ट्री में उसकी पार्टनरशिप है, यह मैं स्वीकार करता हूं। लीज के लिए उसने प्रिमेच्योर एप्लीकेशन

(20)

(श्री हीरालाल देवपुरा)

दी कि लीज को रिन्यू कर दिया जाय । इस पर हमने कहा कि तीन साल पहले रिन्यू करने का लीज रूल्स में प्रोविजन नहीं है और नियमानुसार टाइम पर ही रिन्यू की ज एगी टाइम पर ही इसको कंसीडर किया जा सकता है, उससे पहले नहीं किया जा सकता । लीज ग्राण्ट करने के बाद उसने कहा कि मैं दूसरी फैक्ट्री लगाना चाहता हूं इसलिए मुझे इस लीज का रिन्युअल कर दिया जाय ताकि में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स को बता सकूं कि मेरे पास इसने समय की लीज है और मैं इंडस्ट्री लगाना चाहता हूं । इस पर हमने उसको स्पष्ट कर दिया कि इससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है कि आप फैक्ट्री लगायें या क्या करें, यह दूसरा आस्पेक्ट है । लीज का रिन्युअल टाइम पर ही होगा, इससे पहले लीज रिन्यू नहीं हो सकती । लीज रिन्युअल के समय पर यह देखा जाता है कि इस लीज को रिन्यू करवा रहा है वह उसका स्वयं ही दोहन कर रहा है या किसी और को तो पट्टे पर नहीं दे रखा है । सही लोगों को हम लीज देना चाहते हैं । इस लीज का टाइम 1985 तक है उससे पहले हम इसको रिन्यू नहीं कर सकते । उससे पहले रिन्यू करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी हाइ कोर्ट के वकील रहे हैं, हाई कोर्ट की आपकी प्रेक्टिस है और हाई कोर्ट ने इसमें फैसला दिया है । उसने लिख कर दिया था कि वह नन्दराम दौलतराम का भागीदार है, जैसा उसने स्वयं लिखा था कि वह यहां पर इंडस्ट्री लगाएगा । आप स्वयं जानते हैं कि उसने वहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई । जो इंडस्ट्री है वह उसकी नहीं होकर उसकी भागीदार में है । यह तथ्य आपके पास आ गया था । उसके बाद जो पट्टा दिया गया है उसकी शर्तों का उसने उल्लंघन किया है, तो फिर आप उसको निरस्त करने का निर्णय क्यों नहीं लेते हैं ? दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि पट्टे का मामला हाई कोर्ट में जा चुका है । जब आपके विभाग ने भी यह लिखा है कि नया देने से लाखों रुपयों की रायल्टी सरकार को प्राप्त हो सकती है तो इस बात का निर्णय लेने को आप तैयार क्यों नहीं हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट कहा है कि हमारी लीज की जो शर्त थी वह थी कि इण्डस्ट्री यहां होगी और यहीं इसका प्रोसेसिंग होगा । वह उसी जगह हनुमानगढ़ में हो रहा है । यह जरूरी नहीं है कि वह स्वय की इण्डस्ट्री लगा कर उस खनिज को काम में ले । वह किसी दूसरी इण्डस्ट्री को भी उसमें काम में ले सकता है ।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, पट्टे में शर्त यह थी कि···

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, पट्टा देते वक्त यह शर्त जरूर लगायी जाती है कि अगर वह खुद इण्डस्ट्री लगाने की कैपेसिटी में न हो तो दूसरी इण्डस्ट्री में उस मैटल को काम में लिया जा सकता है । इसका मेन मकसद यह था कि यह सब काम राजस्थान में ही हो और यह हो रहा है । The main contention was this. यह इण्डस्ट्री राजस्थान में लगनी चाहिए ।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

इसी आधार पर यह फैक्ट्री राज-है, में इस फैक्ट्री में दोनों भाइयों की पार्टनर-शिप थी। अब दोनों भाइयों में कोई झगड़ा हो गया होगा तो उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है। उसने यह एप्लीकेशन दी थी कि नयी इण्डस्ट्री लगानी है इसलिए हमें जल्दी रिन्यू कर दीजिए, मेरे पास लीज इतनी है। तो हमने उसको यह साफ कहा है कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है और 1985, जब लीज समाप्त होती है, से पहले लीज को रिन्यू करने के लिए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जो फैक्ट्स आये हैं उससे हो सकता है कि राज्य सरकार को ज्यादा आमदनी हो। उस लीज को रोका जा सकता है, टुकड़े करके भी कई आदमियों को दी जा सकती है अगर इससे ज्यादा आमदनी होने की गुजाइश है, तो। यह चीज सामने नहीं है, अभी तो सवाल यह है कि झगड़ा इण्डस्ट्री की पार्टनरशिप का है, वह नयी इण्डस्ट्री लगाने को तैयार हो गये हैं जो दोनों पार्टनर्स हैं, और उनको आर्थिक हानि होती है। तो इस मामले में लीज के बारे में झगड़ा कहीं नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने बताया यह है कि दोनों मोदो को यह इनके लिए पट्टा दिया है। तो इसका स्पष्ट मतलब यह है कि दोनों लगातार दोहन नहीं कर रहे।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, यह तो सवाल में है, दोहन बराबर हो रहा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : फैक्ट्री के मालिकों के द्वारा दोहन हो रहा है जो मालिक पट्टेदार नहीं है और पहले था। दोहन उस समय हो रहा था जिस समय फैक्ट्री में काम चल रहा था। अब वह पार्टनर नहीं रहे और दोहन वही कर रहा था जो पार्टनर था। इसीलिए पार्टनर ने लीज को एप्लीकेशन दी है। कैलाश जी का और मेरा कहना यह है कि दुबारा लीज को रिन्यू किया जाता तो सरकार को लाखों रुपयों की आमदनी होती। एप्लीकेशन बताती है कि निश्चित रूप से दोहन नहीं कर रहा है। क्या मन्त्री महोदय अब आश्वासन देंगे इस बात की जांच कराने का कि कौन दोहन कर रहा है और पट्टेदार है या नहीं ? वह लीज दुबारा दी जाय और उससे सरकार लाखों रुपयों का फायदा ले।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में रूल्स बने हुए हैं जो बिल्कुल स्पष्ट हैं। अभी लीज को रिन्यू करने या दुबारा देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हो सकता, निरस्त करने का सवाल नहीं हो सकता। रिनुअल के टाइम पर यदि किसी शर्त को भंग किया है तो निश्चित रूप से उसकी जांच कराने का आश्वासन मैं देता हूं। लीज के एग्रीमेण्ट को अगर भंग किया गया है तो इसकी जांच करवा लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे, 1985 में अवधि समाप्त हो रही है तो मूल में यह लीज किस समय और कितने वर्ष के लिए दी गयी और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उस समय में किस कारण से वृद्धि की गई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : लीज 1965 में दी गयी थी, उस समय 20 साल के लिए दी गयी थी और इसकी अवधि 1985 में समाप्त हो रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि यह लीज 20 साल के लिए नहीं दी गयी थी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 20 साल के लिए ही दी गयी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप देख लीजिए, नहीं है।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं कह रहा हूं, है। मैं निवेदन कर चुका हूं, इसका कोई जवाब नहीं है। मैं कह रहा हूं, है।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आज विधान सभा में जो माननीय मन्त्री महोदय ने स्टेण्ड लिया है वह केवल एक पार्टी का पक्ष करने के लिया है। यह बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति है। मैं यह स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि इस लीज पट्टे में···

श्री अध्यक्ष : उन्होंने स्पष्ट बताया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : वह एक पार्टी की बात कर रहे हैं, यह दोनों पार्टियां भाई भाई हैं। दोनों भाई हैं। पक्ष की बात तो वह कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि लीज के रिनुअल के समय उसको देखेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : एक सवाल मैं, माननीय मन्त्रीजी, आपसे पूछना चाहता हूं लीज के पट्टे में यह शर्त होती है कि आप इण्डस्ट्री लगायेंगे। तो क्या आप इसको इस सीमा तक छूट देंगे कि किसी भी इण्डस्ट्री को पट्टा दे दें ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अगर उस क्षेत्र में इण्डस्ट्री है और पट्टाधारी इण्डस्ट्री लगाने की स्थिति में नहीं है तो···

श्री अध्यक्ष : पूर्व में कहा जा चुका है।

श्री कैलाश मेघवाल : उसने परमिशन ही नहीं ली, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें न तो उसने परमिशन ली है कि किसी दूसरी फर्म···

श्री हीरालाल देवपुरा : पार्टनरशिप कर ली तो परमिशन लेने का प्रश्न ही कहां था ?

श्री कैलाश मेघवाल : आप उस व्यक्ति को बचाने के लिए गलत स्टेण्ड ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थगित प्रश्न।

श्री कैलाश मेघवाल : जांच कराने को तैयार हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : कह दिया न मैंने।

श्री अध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कह दिया···

श्री अध्यक्ष : इस पर वाद-विवाद नहीं होगा। आपका जो प्रश्न है, इस सम्बन्ध में पहले कई बार सदन में चर्चा भी हो चुकी है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं हुई, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी परीक्षायें हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 27 मार्च, 1984)

राजस्थान नहर निर्माण हेतु खरीदी गई पोलीथिन फिल्म

353. **सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)** : क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) एक अप्रेल, 1980 से लेकर अब तक राजस्थान नहर निर्माण के लिए किस-किस फर्म से किस प्रक्रिया से किस-किस दर पर कितने-कितने मूल्य की किस-किस स्पेसिफिकेशन की पोलीथिन फिल्म खरीदी गई ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) इन फिल्म्स का कब-कब और किस किस काम में उपयोग किया गया ?

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

मन्त्री राजस्थान नहर परियोजना (श्री चन्दनमल बैद) : (1) आवश्यक सूचना की तालिका सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) यह सूचना तालिका के कालम संख्या 9 में अंकित है।

(तालिका के लिए कृपया परिशिष्ट 5, देखें)

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि जनवरी–फरवरी, 1981 से जो पोलीथिन फिल्म खरीदी गयी उसकी तुलना में जो पोलीथिन फिल्म 1982–83 में खरीदी गयी उसकी रेट कम आयी है ? यदि हां, तो उसकी वजह क्या है ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, 2–3 वजह हो सकती है। एक तो पोलीथिन फिल्म की मोटाई या चौड़ाई में फर्क हो सकता है···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हो सकता है ?

श्री चन्दनमल बैद : आपने वजह पूछी है तो मैं बता रहा हूं। देख कर बता दू ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसकी वजह बतायें।

श्री चन्दनमल बैद : कौन से सन् से बताऊं ?

सुश्री पुष्पा जैन : 1981 में जो पोलीथिन फिल्म खरीदी गयी उसकी रेट 1982-83 के बनिस्बत ज्यादा आयी है।

श्री चन्दनमल बैद : टेण्डर से माल

२५

(श्री चन्दनमल बैद)

खरीदा गया है। हो सकता है किसी मामले में ज्यादा रेट हो, किसी समय कम हो…

सुश्री पुष्पा जैन : मन्त्री महोदय बतायें कि शिवालिक कम्पनी से खरीदी गयी पोलीथिन फिल्म का उपयोग किस काम में हुआ, उसका निर्णय कब हुआ और कब उसको प्रयोग में लिया ?

श्री चन्दनमल बैद : जितनी भी पोलीथिन फिल्म खरीदी गयी है उसका उपयोग हो चुका है। पोलीथिन शीट्स तीन काम में उपयोग हो सकती हैं। एक तो वाटर सप्लाई चैनल के लिये, दूसरा जहां ईंटों को लगाना होता है एक ईट की लाइन में, तो नीचे लाइन करने के लिए, तीसरा वाटर इकट्ठा करके डिग्गियां बनाते हैं तो उसको मजबूत करने के लिये पोलीथिन फिल्म को उपयोग में लेते हैं। इन तीन में यह काम में ली गयी है। आज तक जो लास्ट कन्साइनमेंट आया है उसको छोड़ कर सारी पोलीथिन फिल्म काम में ले ली गयी हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत क्वेश्चन यह है, शिवालिक कम्पनी से जो ली है उस के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री चन्दनमल बैद : आप प्रश्न को देखें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने देखा है कि जिस काम के लिए खरीदी गयीं उस काम के लिए, अध्यक्ष महोदय…

श्री अध्यक्ष : आप पूछ लेते कि किस कम्पनी से खरीदी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत जो पहला लाट है, इस उत्तर के अन्दर जो पहला लाट है उस प्रश्न के सम्बन्ध में है कि जिस समय खरीद का निर्णय लिया गया था कि यह किस काम में आयेगी। उसके आधार पर यह निर्णय आयेगा कि उस काम में पोलीथिन शीट्स आयी हैं या नहीं आयी हैं, यह मतलब है। जो पोलीथिन शीट्स 1981 में खरीदी गयीं वह किस-किस काम में आयी हैं ?

श्री अध्यक्ष : वह तो आपने बता दिया कि जिस समय निर्णय लिया गया कि अमुक पोलीथिन शीट्स किन कामों में ली गयीं…

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या वह पोलीथिन शीट्स जिन कामों के लिए खरीदी गयी थीं उन कामों में आयी हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : यह स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं तो मैं बता दूंगा। क्योंकि 3–4 साल का प्रश्न है और इसमें 15 आइटम्स हैं, इनमें से किन-किन में निर्णय हुआ, यह सारा बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उत्तर की जो स्थिति है जिसमें पोलीथिन शीट्स खरीदने का निर्णय लिया, तो जिस काम के लिए निर्णय लिया है क्या उसी काम के अन्दर यह पोलीथिन शीट्स, जो आइटम नं. (1) में आ रही हैं, उपयोग में ली गयीं ?

(12.00 मध्याह्न)

श्री चन्दनमल बैद : मैं बता चुका हूं कि तीन कामों में ही शीट्स ली गई हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह प्रश्न नहीं जो कुर्सी दफ्तर में विछाने के लिये ली है, जाती है और आप उनको सडक पर विछा दे। मेरा प्रश्न सीधा है कि जिस पर्पज के लिये खरीदने का निर्णय लिया गया था, क्या उसी के लिये उपयोग हुआ है?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय; अगर दफ्तर में कुर्सियां स्पीकर के चैम्बर में विछाने के लिये खरीद करें और वे सैक्रेटरी साहब के कमरे में चली जायं तो मैं उसको दुरुपयोग नहीं मानता। सड़क पर रखने का सवाल नहीं है। तीन कामों में लेने के लिये पोलीथिन का उपयोग किया गया है। अगर माननीय सदस्य स्पेसिफिकली पूछतीं तो मैं बता देता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिस काम के लिये खरीद की गई उसमें उपयोग हुआ या नहीं?

श्री चन्दनमल बैद : 1981 में जिस काम के लिये खरीदी गई उस में ही उपयोग में ली गई हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह क्या काम था?

श्री चन्दनमल बैद : वाटर सप्लाई चैनल।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1981 में जो खरीदीं वह तो वाटर सप्लाई चैनल में उपयोग में ली गई, यह मान कर चलें तो क्या यह सही है कि 1981 में वाटर सप्लाई चैनल में कोई शीट नहीं लगी?

श्री चन्दनमल बैद : 1981 में जिस काम के लिये खरीदी गई उसी में लगाई गई हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है। आपने कहा कि वाटर सप्लाई चैनल में लगाई गई। मैं कहता हूं 1981 में वाटर सप्लाई चैनल में कोई पोलीथिन शीट नहीं लगाई गई।

श्री चन्दनमल बैद : जी हां, वाटर सप्लाई चैनल के लिये ही खरीदी गई और वाटर सप्लाई चैनल में ही लगाई गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा प्रश्न करना चाहूंगा कि जो पोलीथिन शीट्स आपने खरीदीं, कुछ तो टैण्डर से और कुछ कोटेशन से खरीदीं। तो कोटेशन से क्यों खरीदीं? जब टैण्डर इन्वाइट करने की व्यवस्था है तो ऐसी क्या इमर्जेन्सी आ गई कि कोटेशन से खरीदीं?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, कुल 83 लाख की पोलीथिन 1980 के बाद खरीदी गई। 83 लाख में से 80 लाख की पोलीथिन शीट्स जो बोर्ड की पर्चेजिंग कमेटी बनी हुई है, उसके आदेश से खरीदी गई बाकी तीन लाख की शीट जब जब साइड में कटाई का काम हुआ तो हमारे एक्स. ई. एन. ने कोटेशन द्वारा खरीदीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि शिवालिक कंपनी से जो लाट खरीदा उस आइटम में जो आता है उसमें पोलीथिन की शीट की चौड़ाई का माप ज्यादा

(26)

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

ज्यादा बताया ताकि दूसरी कंपनी इस तरह की सप्लाई नहीं कर सकें। क्योंकि मैन्यू-फेक्चरर कोई दूसरा है नही ? तो मैं पूछना चाहता हूं कि जिस चौड़ाई के आपने आर्डर्स दिये इस उस चौड़ाई के पीछे क्या रहस्य था ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, यह स्पेसिफिक प्रश्न पूछें तो मैं बता सकता हूं लेकिन उसमें कितनी चौड़ाई के आदेश दिये गये. कितनी चौड़ाई की बाद में खरीदी गई, यह मैं नहीं बता सकता।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, पहले एक कम्पनी की जो ज्यादा चौड़ाई की पोलीथिन शीट्स बनाती थी, उसको ध्यान में रख कर पोलीथिन शीट्स के आदेश दिये गये ताकि दूसरी कम्पनी आकर नही कर सके क्योंकि इस उस चौड़ाई की शीट्स कोई कम्पनी बनाती नहीं थी। अब उससे कम चौड़ाई की खरीदी जा रही हैं। उस समय ज्यादा बता दी, अब कम चौड़ाई की खरीदी जा रही हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि पहले लाट में चौड़ाई किस आधार पर निश्चित करके दी थी कि उस नाप की पोलीथिन शीट्स खरीदी जायेंगी ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, जितनी नहर की चौड़ाई होती है उसी को देखते हुए पोलीथिन शीट्स खरीदी जाती है। उसके बाद कम चौड़ाई की जरूरत थी तो उतने के आदेश निकाले गये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्या यह बात सही है, आप तो वाटर सप्लाई चैनल की बता रहे हैं उस चौड़ाई में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई ? जहा तक पोलीथिन शीट्स लगाई जा रही हैं वहां नहर की चौड़ाई में कोई अन्तर आया ?

श्री चन्दनमल बैद : जरूर। वाटर सप्लाई चैनल में भी बड़ी और छोटी दोनों हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप इमेजनरी मत चलिये। जहां 1980–81 में लगाई, उसके आगे 1982 में खरीदीं, वहां वाटर सप्लाई चैनल की कितनी चौड़ाई कम हो गई ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अलग नहीं, अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी कम्पनी को फेवर करने की बात हो तो चौड़ाई ज्यादा बता देंगे।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : इन्होंने जो आइटम नं. 1 में बताया है कि 22 लाख की खरीद की गई 1981 में……

(व्यवधान)

विपक्ष के नेता महोदय पूछ रहे थे……

(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : एक आपने प्रश्न पूछा था लीज का, मैंने 20 वर्ष का, 1975 से 1985 तक।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, वह प्रश्न दुबारा पूछा जाय तो यह 1975 से 1985 नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कारण है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं इसलिये पूछ रहा था कि जो लीज की अवधि है, वह ओरीजनली आपने लीज कितने वर्ष के लिये दी ? उन्होंने कहा कि ओटोमेटिकली सेंक्शन हुआ है....

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं निवेदन कर दूं उतावली न करें, मेजर मिनरल जहां है वहां 20 साल की लीज है और माइनर मिनरल जहां है वहां 10 वर्ष की लीज है। यह माइनर मिनरल है, मेरे मुंह से 20 वर्ष निकल गया इसलिये मैंने 1965 से 1985 निवेदन कर दिया। यह माइनर मिनरल में दी हुई लीज है, 10 वर्ष के लिये दी है–1975 से 1985 तक।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1975 के बाद में रिन्यूअल तो हुआ नहीं।

श्री हीरालाल देवपुरा : वह तो 10 वर्ष है, 1985 में होगा। मैंने 20 वर्ष कह दिया, 20 वर्ष कैलकुलेट करके कहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा कि 1965 से लेकर 1985 तक 20 वर्ष का दिया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं यही कह रहा हूं कि वह गलत निकल गया। मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं, नहीं तो कहने की जरूरत कहीं थी।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने जो आइटम नं. (1) में बताया सूची में, 1981 में जनवरी और फरवरी में लाख की पोलीथिन खरीदी दी। आपको आवश्यकता थी तभी खरीदी आपने। यह मार्च 1984 तक क्यों पड़ी रह गई, इसका उपयोग क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

(व्यवधान)

प्रश्नकाल समाप्त हुआ। कृपया बैठ जायं।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

मकराना उप तहसील की क्रमोन्नति

603. **श्री अब्दुल रहमान चौधरी** (मकराना)

श्री रामेश्वर लाल (नावां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मकराना औद्योगिक नगर होते हुए भी वहां 25 वर्षों से उप-तहसील ही चल रही है ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान में पिछले तीन वर्षों में कई तहसीलें खोली गई एव उप-तहसीलों को रजिस्ट्रेशन के अधिकार भी दिए गए ? यदि हां, तो सरकार मकराना उप-तहसील को तहसील कब बनाने जा रही है ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, यह सही है पिछले तीन वर्षों में 6 तहसीलें तथा 54 उप-तहसीलें स्थापित की गई हैं। तहसील मुख्यालय से पृथक स्थापित उप-तहसील के नायब तहसीलदार को रजिस्ट्रेशन के अधिकार

(राजस्व मन्त्री)

भी दिए गए हैं। मकराना में तहसील स्थापित करने का अभी कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सूत्र सं. 19 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही

607. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या खाद्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 20 सूत्री कार्यक्रम के 19 वें सूत्र के अन्तर्गत राज्य में अब तक अलग-अलग किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध किन-किन मामलों में कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) यदि नहीं की गई, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) बीस सूत्री कार्यक्रम के 19 वें सूत्र के अन्तर्गत राज्य में 31–12–83 तक जिन-जिन व्यक्तियों के विरुद्ध जो-जो कार्यवाही की गई है उसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

तहसील सांचौर की विभिन्न पंचायतों में आवासीय भू-खण्डों की माँग

609. **श्री कनक राज मेहता** (सांचौर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्व अभियान के दौरान तहसील सांचोर की विभिन्न पंचायतों में कितने लोगों द्वारा आवासीय भू-खण्डों की मांग की गई ? उनमें से कितनों को पट्टे दे दिए गये व कितने बाकी रहे ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत भडवल में सालों से गोचर भूमि में बैठे लोगों को राजस्व अभियान में पट्टे भी नहीं मिले ? यदि हां, तो ऐसी पत्रावलियां किस अदालत में कब से व क्यों पड़ी हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्व अभियान के दौरान तहसील सांचोर में विभिन्न पंचायतों में 429 आवासीय भूखण्डों की मांग की थी जिसके विरुद्ध 69 भूखण्ड आवास हेतु आवंटित किये गये। 360 लोगों को पट्टे देना बाकी रहा राजस्व अभियान के दौरान 575 अन्य भूखण्ड आवंटित किये गये।

(2) ग्राम भडवल के गोचर भूमि पर किये हुए कब्जों में से 50 मामले नियमित कर दिये है शेष मामलों में नियमन शुल्क जमा न होने पर एवं कानूनी औपचारिकताएं पूरी न होने की वजह से नियमन की कार्यवाही नहीं की जा सकी।

पंचायत समिति गोविन्दगढ़ में कृषकों के विद्युत् सम्बन्ध के मामले

610. **श्री तेजपाल यादव** (चौमू) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले की पंचायत समिति गोविन्दगढ़ क्षेत्र के कितने किसानों व अन्य व्यक्तियों के "एल फार्म" एवं रुपये जमा हैं जिनको कनेक्शन देना बाकी है ? कृपया पृथक्-पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त व्यक्तियों को अब तक कनेक्शन नहीं देने का क्या कारण है व अब कब तक कनेक्शन दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले की पंचायत समिति गोविन्दगढ़ क्षेत्र के विभिन्न श्रेणियों के आवेदकों, जिन्होंने विद्युत कनेक्शन लेने हेतु मांग पत्र की राशि एवं "एल" फार्म जमा करवाया है, का विवरण माह फरवरी, 84 तक का निम्न प्रकार है :—

श्रेणी	कुल आवेदक जिन्होंने मांग पत्र राशि जमा कराई	"एल" फार्म प्राप्त हुए
घरेलू कनेक्शन हेतु	13	4
घरेलू पावर	1	—
नान डोमेस्टिक (अघरेलू)	3	—
औद्योगिक	8	3
कृषि	30	29
	55	36

(2) इन्हें कनेक्शन नहीं दिये जाने का कारण मुख्यत: यह रहा कि चालू योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों के बाहर भी उपभोक्ताओं को डिमाण्ड नोटिस जारी करके धनराशि जमा कर ली गयी। इस प्रकार के मामलों की वर्ष 84-85 में पूर्ति किये जाने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है।

कुम्हेर क्षेत्र में सायंकाल विद्युत् प्रदाय

614. **श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण अंचलों में सायंकाल 6 बजे से 10 बजे तक घरेलू उपयोग हेतु बिजली नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण अंचलों में सायंकाल 6 बजे से 10 तक घरेलू उपयोग हेतु बिजली दी जा रही है सिवाय कुछ आकस्मिक व्यवधानों के।

राजस्थान नहर के सीमावर्ती क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों व बेरोजगार स्नातकों को भूमि आवंटन

616. **श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :** क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान नहर के सीमावर्ती क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों, बेरोजगार कृषि स्नातकों आदि को कुछ भूमि आवंटन करने

(30)

(श्रीमती विद्या पाठक)

का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या भूतपूर्व सैनिकों को इस योजना के तहत आवंटन कर दिया जायगा ? यदि हां, तो कब और कहां कहां ?

(3) क्या यह सही है कि कृषि स्नातकों व भूतपूर्व सैनिकों के लिये इस विषयक आवेदन फार्म अलग अलग तरह के हैं ? यदि हां, तो कृपया दोनों फार्म की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सैनिकों के लिये इस आवंटन में अनेकों प्रकार की गड़बड़ियां होने की शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुईं व हो रही हैं ? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या और किस प्रकार की हैं और सरकार ने इस विषय में क्या किया है ?

उत्तर

(1) भूतपूर्व सैनिकों के लिये ऐसा निर्णय दिनांक 15.9.83 को लिया गया है। बेरोजगार कृषि स्नातकों के लिए ऐसा निर्णय नहीं लिया है।

(2) जी हां। राजस्थान नहर योजना के द्वितीय चरण के क्षेत्र में आवंटन किया जावेगा। यह आवंटन जिलाधीशों से भूतपूर्व सैनिकों के आवेदन पत्र प्रमाणित होकर प्राप्त होने पर भूमि का आरक्षण करके किया जावेगा।

(3) राजस्थान नहर के सीमावर्ती क्षेत्र में बेरोजगार कृषि स्नातकों को भूमि आवंटन करने का राज्य सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। अतः आवेदन फार्मों की भिन्नता का प्रश्न नहीं उठता है।

(4) भूतपूर्व सैनिकों को राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र (द्वितीय चरण) में, इस योजना के अन्तर्गत, अभी भूमि का आवंटन प्रारम्भ नहीं हुआ है। अतः शिकायत होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

रावल जावल व मऊ के बीच बाणगंगा पर पुलिया निर्माण

768. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र के मांगरोल सब-डिवीजन में रावल जावल व मऊ के बीच बाणगंगा पर पुलिया बनाने की मांग वहां की जनता समय-समय पर करती रही है ?

(2) यदि हां, तो उक्त स्थान पर अभी तक पुलिया नहीं बनाने का क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार जन हित को मद्दे नजर रखते हुए उक्त स्थान पर शीघ्र पुलिया निर्माण करायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस पुलिया को बनाने के लिये सर्वे किया जाकर तखमीना बना लिया गया है।

(सिंचित क्षेत्रीय विकास मन्त्री)

(3) धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये यह कार्य कराने के प्रयत्न किये जावेंगे ।

विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन में मुख्य नहर से सिंचाई

769. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) केशवरायपाटन विधान सभा क्षेत्र में किस मुख्य नहर व माइनर (डिस्ट्रीब्यूट्री) से पूर्ण क्षेत्र में सिंचाई की जाती है ? कृपया डिस्ट्रीब्यूट्री नहर आदि के नाम व नम्बर सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) विधान सभा क्षेत्र केशवराय-पाटन में सिंचाई की जाने वाली नहर माइनर (डिस्ट्रीब्यूट्री) धोरे आदि की सफाई गत 3 वर्षों में कब-कब किस-किस की की गई ?

उत्तर

(1) केशवराय पाटन विधानसभा क्षेत्र में कापरेन व पाटन शाखायें एवं अन्य माइनरों से सिंचाई होती है उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) सम्बन्धित शाखायें, माइनर आदि की सफाई से सम्बन्धित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है । धोरों की सफाई के लिए सम्बन्धित किसान जिम्मेदार हैं ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

राजस्थान नहर योजना द्वितीय चरण के ग्रामों को कमांड क्षेत्र घोषित करना

770. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान नहर योजना द्वितीय चरण के ग्रामों में से कितने ग्राम कमाण्ड क्षेत्र में आने की सम्भावना है ?

(2) द्वितीय चरण में कमाण्ड क्षेत्र में आने वाले कितने गांवों को उपनिवेशन क्षेत्र में घोषित कि ा है ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर परियोजना के द्वितीय चरण में कुल 194 ग्राम हैं । ये सभी ग्राम सिंचाई विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार कमाण्ड क्षेत्र में आने सम्भावित हैं ।

(2) राजस्थान नहर के द्वितीय चरण में कमाण्ड क्षेत्र में आने वाले 194 ग्रामों में से 184 ग्रामों को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 2 (11) के अन्तर्गत उपनिवेशन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है । शेष 10 ग्रामों को भी हाल ही में राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 3(13) राज/उप/84 दिनांक 22.3.84 द्वारा उपनिवेशन क्षेत्र घोषित किया जा चुका है । अधिसूचना का प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र में कराया जा रहा है ।

राजस्थान नहर क्षेत्र में भू आवंटन पर राशि वसूल करना

771. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमिहीनों को भूमि आवंटन से सिंचित, असिंचित व बारानी प्रति मुरब्बा कितनी राशि वसूल की जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि समतल पक्की भूमि तथा दोमट भूमि की कीमत समान रूप से ली जाती है ?

(3) क्या यह सही है कि चक के आउट लेट (मोघे) के पास वाले मुरब्बे की तथा टेल (आखिरी छोर) के मुरब्बे की भी समान कीमत ली जाती है ?

(4) क्या राज्य सरकार उपरोक्त असमानता दूर करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस सम्बन्ध में विभाग की नीति से अवगत करावें ।

उत्तर

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमिहीनों को भूमि आवंटन करने पर सिंचित व असिंचित तथा बारानी भूमि की प्रति मुरब्बा आरक्षित कीमत भूमि के वर्गीकरण के अनुसार निम्न निर्धारित दरों से वसूल की जाती है:–

वर्ग	**प्रति मुरब्बा कीमत**
(1) सिंचित वर्ग	
(अ) नाली	50,000 रुपया
(ब) लाइट लूम	35,000 रुपया
(स) सैन्डी लूम	25,000 ,,
(2) असिंचित वर्ग :–	
(क) अनकमाण्ड/बारानी	7,000 ,,

(2) जी नहीं । भूमि की कीमत भूमि के वर्गीकरण के अनुसार ही ली जाती है ।

(3) भूमि की कीमत मोगे के पास अथवा दूरी पर आधारित नहीं है बल्कि भूमि के वर्गीकरण पर आधारित है ।

(4) वर्गीकरण के आधार पर दरें निर्धारित होना उपयुक्त है । भूमि की कीमत तय करने का आधार भूमि के वर्गीकरण के बजाय उसकी मोगे से दूरी को मानने पर चक के अनेक मुरब्बो की प्रत्येक की अलग-अलग कीमत निर्धारित करनी होगी जो अव्यावहारिक होगी ।

चूरू नहर ब्रांच से सिंचाई व पेयजल व्यवस्था

772. **श्री मालू खां** (चूरू) : क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या चूरू नहर ब्रांच से चूरू तहसील के ग्रामों में पीने या सिंचाई के लिए पानी दिया जायेगा ? यदि हां, तो यह कार्य कब शुरू किया जायेगा और कौन कौनसी तहसीलों के किन-किन ग्रामों में पानी पहुंचेगा ?

उत्तर

चूरू नहर ब्रांच के नाम से कोई सिंचाई

(राजस्थान नहर मन्त्री)

योजना विचाराधीन नहीं है। नोहर साहवा लिफ्ट सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है। जिसके सर्वेक्षण पूर्ण होने के पश्चात् ही यह मालूम हो सकेगा कि पानी कहां कहां दिया जा सकेगा

तहसील नागौर के ग्रामों में चूने, पत्थर के भण्डार

773. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नागौर तहसील के ग्राम चावण्डिया, माडपुरा भाउण्डा, ताडास, बेरास, खींवसर आदि गांवों में चूने का पत्थर (लाइम स्टोन) व अन्य हाई ग्रेड पत्थर के भण्डार मिले हैं ? यदि हां, तो इस तहसील के और किन-किन गांवों में इस तरह के भण्डार निकलने की सम्भावना है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्षेत्र में खनन का लीज दिया हुआ है ? यदि हां, तो सूची नामवार सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या उक्त क्षेत्र में खनन का लीज लेने के लिए और प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के ?

(4) क्या नागौर जिले की खनिज संपदा का कोई सर्वेक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त जिले में कौन-कौन से खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं और कौन-कौन सी जगह व कितनी-कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उपलब्ध खनिज पदार्थों का खनन कराया जा रहा है ? यदि हां, तो किस-किस खनिज पदार्थ का खनन कराया जा रहा है व किस मात्रा में कितने व्यक्तियों के द्वारा ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्रों के अतिरिक्त नागौर तहसील में गांव गूण्डवा, ईनाना, नराधना, आकला, बेराथल, भेर, गोघधान, गूजरों की ढाणी देव पांचोली, निम्बोला आदि गांवों के निकट भी खनिज चूना पत्थर के भण्डार उपलब्ध हैं और इन्हीं गांवों के आस-पास ऊपरी सतह के नीचे पत्थर के भण्डार मिलने की सम्भावना है।

(2) जी हां, इस क्षेत्र में तीन प्रार्थना पत्र खनन पट्टा प्राप्त करने हेतु एवं दो पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र हेतु लम्बित हैं।

(3) जी हां, इस क्षेत्र में एक खनन पट्टा श्री डालचन्द के पक्ष में ग्राम भावडा में व तीन खनन पट्टे ग्राम मूण्डवा में क्रमशः श्री केमिकल लाइम मूण्डवा, श्री दामोदर प्रसाद लड्ढा व श्री मोहन सिंह के पक्ष में स्वीकृत है।

(4) नागौर जिले के कुछ चयनित क्षेत्रों का खनिज संपदा हेतु सर्वेक्षण कराया गया है। खनिजों की उपलब्धता का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में दिया गया है।

(३५)

(खनिज मन्त्री)

(5) जी हां। विविध खनिजों का उत्पादन व उसमें कार्यरत औसत व्यक्तियों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ख" में है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

राजस्थान राज्य खनिज एवं धातु लिमिटेड द्वारा राक फास्फेट की बिक्री

774. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राजस्थान राज्य खनिज एवं धातु लिमिटेड, उदयपुर द्वारा राक फास्फेट की 1981 से प्रत्येक वर्ष कितने-कितने मूल्य की बिक्री की गयी एवं राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष कितनी राशि जमा करायी गयी ? कृपया वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. द्वारा प्रत्येक वर्ष में जितनी रकम राक फास्फेट क्रयकर्त्ताओं से प्राप्त की गई वह पूरी की पूरी राज्य कोष में जमा करा दी गई। विक्रय मूल और रकम वसूली के आंकड़ों में अन्तर का कारण पार्टियों के विरुद्ध उधार विक्रय की बकाया राशि में समय समय पर होने वाला अन्तर है।

(रु. लाखों में)

वर्ष	बेचे गये सामान का मूल्य	रकम प्राप्ति	रकम जो राज्य कोष में जमा कराई गई
1981-82	2192·20	2167·92	2180·63
1982-83	2158·86	2194·88	2300·00
1983-84	2760·00 (लगभग)	2728·00 (लगभग)	2730·00

जिला भीलवाड़ा में इमारती पत्थरों की खानों पर अतिक्रमण

775. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले के ऊपरमाल क्षेत्र मकरेडी कांसियां, नला का माता जी नया नगर स्थानों पर पट्टी, फर्सी, इमारती पत्थर के खनन का कार्य करने वालों ने अतिक्रमण कर रखा है ? यदि हां, तो वर्ष 80 से अब तक कितने भू-भाग पर अतिमक्रण है ?

(श्री बंशीलाल पटवा)

(2) क्या अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध विभाग ने कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) उक्त क्षेत्र में किन-किन अतिक्रमणियों ने अदालतों से स्थगन आदेश प्राप्त किये ?

(4) किन-किन अतिक्रमणियों के अतिक्रमणों को नियमित किया गया ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले के ऊपरमाल क्षेत्र में कोटा नाम का कोई क्षेत्र नहीं है व मकरेड़ी में इमारती पत्थर की कोई खानें नहीं दी गई हैं अतः अतिक्रमण का कोई प्रश्न नहीं है। वर्ष 80 से दिसम्बर, 83 तक पट्टी, फर्सी व इमारती पत्थर की कांस्या खानों में 24,984 वर्ग मीटर तथा नला का माताजी में 41,334.26 वर्ग मीटर क्षेत्र में अतिक्रमण हुआ है। नया नगर क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं है।

(2) जी हां। कुल अतिक्रमण क्षेत्र में से 43·364·26 वर्ग मीटर क्षेत्र में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10·4·81 के अनुसार अतिक्रमण किये क्षेत्र का रेन्ट लेकर उन्हें नियमित कर दिया गया है व 6,725 वर्ग मीटर अतिक्रमण क्षेत्र से 39,325.50 रुपया वसूल किया गया है। शेष 16,229 वर्ग मीटेर अतिक्रमण क्षेत्र के मामले में वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(3) अतिक्रमण के मामलों में किसी भी अतिक्रमणी द्वारा अदालत से कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं किया गया है।

(4) जिन अतिक्रमणियों के मामलों को नियमित किया गया है, उसकी सूची परिशिष्ट (एक) में दर्शाई गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

सीमेंट निर्माण के कारखानों द्वारा दी गई रायल्टी

776. **श्री मालाराम** (खेतड़ी) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राजस्थान में सीमेंट निर्माण में कारखानों द्वारा वित्तीय वर्ष 1982-83 में कितना-कितना चूना पत्थर का खनन कर उनकी कितनी-कितनी रायल्टी चुकाई गई ? कृपया प्रत्येक कारखाने के बारे में जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान में सीमेन्ट उद्योगों द्वारा वर्ष 1982-83 में संलग्न तालिका अनुसार चूना पत्थर का उत्पादन किया गया व रायल्टी चुकायी गई।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

भारतीय माईनिंग विभाग कर्मचारी संघ की मांगों पर विचार

777. **श्री गुलाबचंद कटारिया** (उदयपुर),

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

एवं **श्री अनंग कुमार जैन** (झालरापाटन) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 14-7-83 को उदयपुर में भारतीय माइनिंग विभाग कर्मचारी संघ की मांगों पर विचार करने हेतु मीटिंग हुई थी ? यदि हां, तो उसमें कौन उपस्थित थे ?

(2) उक्त मीटिंग में क्या निर्णय लिये गये ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त निर्णयों पर राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इस मीटिंग में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे।

1. उप सचिव, खनिज विभाग

2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) खान विभाग

3. अधीक्षक भूवैज्ञानिक (फास्फेट) खान विभाग

4. वरिष्ठ लेखाधिकारी, खान विभाग

5. अध्यक्ष, भारतीय माइनिंग विभाग कर्मचारी संघ

6. मंत्री, भारतीय माइनिंग विभाग कर्मचारी संघ

(2) उपर्युक्त मीटिंग में लिये गये निर्णयों का वृत्तान्त संलग्न है।

(3) उक्त मीटिंग में जैसा कि संलग्न वृत्तान्त से विदित होगा, 14 बिन्दुओं पर सहमति हुई थी। बिन्दु संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11 एवं 12 राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। बिन्दु संख्या 4, 7 पर कोई कार्यवाही नहीं की जानी थी। बिन्दु संख्या 9 एवं 13 के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना यूनियन द्वारा प्राप्त कर प्रस्तुत की जानी थी जो विभाग में अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(वृत्तान्त के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

जिला जैसलमेर की आंशिक चकबंदी से किसानों पर जुर्माना

778. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उपनिवेशन क्षेत्र के अलावा जैसलमेर जिले की आंशिक चकबन्दी होने से स्थानीय काश्तकारों को स्वयं की लगान शुदा भूमि के अतिक्रमण के मुकदमों का भारी जुर्माना अदा करना पड़ता है ? यदि हां, तो वर्ष 1983-84 में कितने काश्तकारों के विरुद्ध जुर्माने आदि की कार्यवाही की गई व कितनी वसूली की गई ? कृपया तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह शिकायत है कि तहसीलदार द्वारा काश्तकारों से उन्हें बिना समय दिये व बिना मौके का मुआयना किये जुर्माने की भारी वसूली की गई एवं काश्तकारों को उनकी स्वयं की भूमि से बेदखल कर दिया

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

गया ? वर्तमान में ऐसे कितने मामले अपील में चल रहे हैं ? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला जयपुर में राजस्व सम्बन्धी विचाराधीन मामले

779. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में कितने-कितने राजस्व सम्बन्धी मामले 31-1-83 को जयपुर कलेक्टर, एस. डी. एम. व तहसीलदारों के स्तर पर विचाराधीन हैं और कब-कब से ? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केसों के प्रत्येक प्रशासनिक स्तर पर कितने-कितने मामले जमीनों से सम्बन्धित हैं, कितने सरपंचों के भ्रष्टाचार व अनियमितताओं से सम्बन्धित व कितने विभागीय कर्मचारियों से सम्बन्धित हैं। तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या सांगानेर व चाकसू तहसीलों की पंचायतें, महापुरा, चंदलाई, ठीकरिया, बीलवा, लाखना, अजराजपुरा के वर्तमान और मोहनपुरा के भूतपूर्व सरपंच श्री रामनारायण शर्मा के विरुद्ध अनेक शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई थी ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त में से कुछ शिकायतें तो कलेक्टर जयपुर के यहां पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज कराने के लिए स्वीकृति के लिए लम्बे समय से अटकी हुई हैं ? यदि हां, तो उन्हें स्वीकृति नहीं देने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में स्थित राजस्व न्यायलयों में दिनांक 31.1.83 को 15,821 प्रकरण राजस्व सम्बन्धी विचाराधीन थे।

न्यायालयवार, तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त सभी राजस्व मुकदमात जमीनों से सम्बन्धित हैं।

(3) इसका सम्बन्ध विभाग से नहीं है।

(4) जी नहीं, ऐसी कोई भी शिकायत जिलाधीश कार्यालय में एफ. आई. आर. दर्ज करने की स्वीकृति हेतु अटकी हुई नहीं हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

प्रशासन गांवों की ओर अभियान के तहत कामों का निबटारा

780. **श्री गोकुलचन्द शर्मा** (सुमेरपुर) व **श्री भैरूसिंह गुर्जर** (खारची) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री गोकुल चन्द शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1983 में राज्य सरकार ने प्रशासन गांवों की ओर अभियान शुरू किया था और इस अभियान में 31 बिन्दु निबटारे का लक्ष्य निर्धारित था ? यदि हां, तो तहसील बाली एवं पाली में प्रत्येक बिन्दु पर किन-किन कामों का निबटारा किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अभियान के दौरान बिन्दु 20 के अन्तर्गत ऐसे खसरा नम्बरों की भूमि को जो किसी बांध के कमान्ड में आती है किन्तु वास्तविकता में उन पर पानी नहीं पहुंचता हो, उन्हें डी-कमान्ड घोषित करना था ? यदि हां, तो पाली जिले में किन किन बांधों के कमान्ड के किन-किन गांवों के खसरा नम्बरों की भूमि डी-कमान्ड कर दी गई है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जवाई बांध के कमान्ड में हजारों खसरा नम्बर डी-कमान्ड योग्य हैं ? यदि हां, तो इन्हें कब किस आदेश से डी-कमान्ड कर दिया गया ? कृपया आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि डी-कमान्ड नहीं किया गया तो कब तक यह डी-कमान्ड घोषित कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) प्रशासन गांवों की ओर अभियान में 31 बिन्दु न होकर 32 बिन्दु निपटाने का लक्ष्य निर्धारित था।

बाली एवं पाली तहसील में इस अभियान के दौरान निपटाये गये मामलों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया है ?

(2) जी हां, पाली जिले में कमाण्ड से डी-कमाण्ड करने के मामलों में अभी प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं।

(3) जवाई बांध के कमाण्ड क्षेत्र के कुछ ग्रामों को डी कमाण्ड करने की कार्यवाही अभी राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं। यथाशीघ्र निर्णय ले लिया जावेगा।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

चित्तौड़गढ़ के अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा भूमि का सवर्ण को बिक्री करना

718. श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम और तहसील चित्तौड़गढ़ के किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने उसको अलाट की गई भूमि किसी सवर्ण को बेच दी है ? क्या यह सही है कि उक्त भूमि को रेवेन्यू बोर्ड द्वारा धारा 175 के तहत सरकारी भूमि घोषित किया जा चुका है ? क्या यह भी सही है कि आज भी उस भूमि पर खरीददार सवर्ण व्यक्ति का कब्जा बना हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि उक्त सवर्ण व्यक्ति को अलाट नहीं की गई है और उसके पास इसके अलावा भी कृषि भूमि मौजूद है ? यदि हां, तो चलाये गये राजस्व अभियान के अन्तर्गत क्या उक्त भूमि का सवर्ण

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

व्यक्ति से अधिग्रहण कर लिया गया है और किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अलाट कर दी गई है ? यदि नहीं, तो इस अभियान के अन्तर्गत अधिकारियों द्वारा उक्त व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

उत्तर

(1) ग्राम खोर तहसील चित्तौड़गढ़ में अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भूमि नियमन की गई थी। उक्त भूमि किसी सवर्ण को विक्रय नहीं की गई है ना ही काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत राजस्व मण्डल से बिलानाम किये जाने के आदेश हुए भूमि पर सवर्ण जाति के व्यक्ति का अतिक्रमण है।

(2) अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत तहसील द्वारा कार्यवाही जेरकार है।

अजमेर तथा केकड़ी तहसीलों में भू-प्रबन्ध

782. **श्री कैलाश मेघराल** (अजमेर पूर्व) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर तथा केकड़ी तहसीलों में भू-प्रबन्ध विभाग की ओर से सन् 1980–81 एवं 81–82 में सर्वे कराया गया था, लेकिन उस काम में लगे अमीनों के तत्कालीन भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण कर देने से वह कार्य अधूरा ही रहा और उस पर किया गया व्यय व्यर्थ ही गया ? क्या यह भी सही है कि इन अमीनों को नई जगहों पर सर्वे कार्य में लगाया गया और वहां भी सर्वे काम अधूरा ही रहा ?

(2) यदि हां, तो सर्वे पर कितना धन व्यय किया गया और इन तहसीलों का सर्वे अभी तक अधूरा ही पड़ा है ? यदि हां, तो इसे कब तक पूरा करा लिया जायगा ?

(3) क्या सरकार को तत्कालीन भू-प्रबन्ध अधिकारी के विरुद्ध इस सम्बन्ध में शिकायत मिली है ? यदि हां, तो कब और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां, इस अवधि में तहसील अजमेर व केकड़ी के ग्रामों में भू-सर्वेक्षण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराया गया। फील्ड सीजन समाप्त हो जाने एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार जमीनों से कार्यालय में भू-संशोधन की जमाबन्दियों की जांच कर बदर सूचियां बनाने एवं सर्वेक्षणशुदा खसरों का अभिलेख तैयार करवाया गया। अत: सर्वेक्षण कार्य व्यर्थ जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। सर्वेक्षण कार्य अन्य ग्रामों में कराने से पूर्व सही भू-अभिलेख तैयार कर राजस्व अधिकारियों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह कार्य कराया जा रहा है।

(2) सर्वे कार्य के साथ अन्य मिला-जुला कार्य भी होने के फलस्वरूप केवल सर्वे पर हुए खर्चे का तखमीना लगाना संभव नहीं

(राजस्व मन्त्री)

है। रोजमर्रा के कार्य के लिये आदिनांक भू-अभिलेख तैयार होने के पश्चात् आवश्यकतानुसार कार्यक्रम निर्धारित कर सर्वे कार्य कराया जावेगा।

(3) जी हां। भू-प्रबन्ध आयुक्त द्वारा जांच करने पर शिकायत तथ्यहीन पाई गई।

मलारना डूंगर में कब्रिस्तान व शमशान की जमीनों का विवाद

783. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाईमाधोपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर में कब्रिस्तान तथा शमशान की जमीनों के बारे में विवाद चला हुआ है? यदि हां, तो विभाग द्वारा अब तक उन स्थानों की सीमा ज्ञात करा कर पत्थर गढ़ी क्यों नहीं कराई गई?

(2) क्या यह भी सही है कि कब्रिस्तान तथा शमशानों का पूरा रकबा तथा नम्बर भूमि का सरकारी कागजों में गजट नोटिफिकेशन होने के आधार पर इन्द्राज किया हुआ है? यदि हां, तो किस किस के लिये किस-किस नम्बरान में कितना कितना रकबा दिया गया है?

(3) क्या यह भी सही है कि मौजूदा समय में कब्रिस्तान तथा शमशानों की भूमियों पर लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ है? यदि हां, तो यह कब्जे किसके द्वारा कब से किये हुए हैं?

(4) क्या यह भी सही है कि कब्रिस्तान तथा शमशान के नाम पर गोचर भूमि, सिवाई चक भूमि पर भी लोगों द्वारा कब्जा किया हुआ है? यदि हां, तो किस किस नम्बर में कितनी कितनी भूमि पर किन लोगों द्वारा तथा कब से?

(5) क्या यह भी सही है कि मलारना डूंगर में राजस्व अधिकारियों द्वारा उपरोक्त मामले के झगड़ों का निपटारा किया गया था? यदि हां, तो कब तथा किस के द्वारा?

उत्तर

(1) ग्राम मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर में आ. नं. 961 रकबा 10 बिस्वा भूमि पर कब्रिस्तान बाबत विवाद होने पर दिनांक 3·3·84 को गठित सर्वे पार्टी द्वारा पक्षों मौके पर उभय के समक्ष सीमा ज्ञान समझा कर पत्थर गढ़ी करवाई गई है।

(2) गजट नोटिफिकेशन के आधार पर केवल खसरा नम्बर 907, 923, 1025, 1226, 1272 एवं 921 का कुल किता 6 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा कब्रिस्तान राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है।

(3) कब्रिस्तान की 5 बिस्वा भूमि पर एक व्यक्ति के द्वारा एवं शमशानों की 10 बिस्वा भूमि पर 5 व्यक्तियों द्वारा कब्जा किया गया जिन्हें राज भू-राजस्व अधि. 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही कर बेदखल किया गया।

(4) कब्रिस्तान तथा शमशान के नाम पर गोचर तथा सिवाई चक भूमि पर कब्जा नहीं किया गया है।

(राजस्व मन्त्री)

(5) ग्राम मलारना डूंगर के आराजी नं. 961 रकबा 10 बिस्वा के बारे में विवाद होने पर विवाद के निपटारे के लिए एक सर्वे पार्टी का गठन किया गया, जिसमें सहायक जिलाधीश एवं कार्यालय, दण्डनायक सवाई माधोपुर तह. स. माधोपुर व बालो, नायब तहसीलदार मलारना डूंगर सदर कानून गो स. माधोपुर एवं तीन पटवारी आदि इन सभी की उपस्थिति में सर्वे कराया जाकर उभय पक्षों के समक्ष सीमा ज्ञान दिनांक 3·3·84 को करवाया जा चुका है।

कालोनी एरिया तथा कमांड एरिया को अलग-अलग मानना

784. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां) व

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिलाधीश कोटा द्वारा कालोनी एरिया तथा कमाण्ड एरिया को अलग-अलग माना गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिलाधीश कोटा द्वारा कमांड एरिया उस भूमि को मानने के लिये जो चम्बल सिचाई विभाग की कमांड की सूची में शामिल हो तथा सीलिंग सीमा भी इसी आधार पर निर्धारित की जाने के लिये अक्टूबर 1983 में राज्य सरकार को आवश्यक मार्ग दर्शन हेतु पत्र लिखा गया था ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने अब तक उस पत्र पर क्या निर्णय लिया ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही विचाराधीन है।

ग्राम चोटिला की सरहद में गौतम जी के नाम भूमि

785. **श्री मांगीलाल आर्य** (जालौर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सिरोही तहसील शिवगंज के अन्तर्गत पहाड़ी क्षेत्र में ग्राम चोटिला की सरहद में 862 बीघा जमीन पर अनुसूचित जन जाति के मीणा जाति का प्रसिद्ध मेला गौतम जी के मेले के नाम से लगता है ?

(2) क्या यह सही है कि 862 बीघा भूमि में से 106 बीघा भूमि सीवा ग्राम के भूतपूर्व जागीरदार श्री लक्ष्मणसिंह देवड़ा द्वारा अपनी जागीरी अधिकार से श्री गौतम जी के नाम मीणा जाति के इस मेले के उपयोग हेतु दान की गई थी जिसका दान पत्र दिनांक 15-11-50 को मीणा जाति के मुख्यान को दिया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि 756 बीघा भूमि दरबार सिरोही द्वारा श्री गौतमजी के नाम मीणा जाति के इस मेला उपयोग के लिए मीणा जाति के मुखान को दी गई थी जिसका पर्चा नं. 8 भू. पू. सिरोही रियासत के चीफ मिनिस्टर द्वारा दिनांक 31-11-50 को दिया गया था ?

(५२)

(श्री मांगीलाल आर्य)

(4) क्या यह सही है कि भू. पू. दरबार सिरोही रियासत के हुकुम के अनुसार इस 862 बीघा भूमि की सर्वे, सर्वेयर ने करके मौके पर कब्जा कार्यवाही व हद बन्दी करके पत्थर के पिलर खड़े किये थे जो आज भी मौजूद हैं ? क्या यह हद बन्दी को कार्यवाही दिनांक 25-7-51 एवं 29-7-51 की रेवेन्यू रियासत सिरोही में दर्ज है ?

(5) क्या यह सही है कि भू.पू. सिरोही रियासत के रेवेन्यू कमिश्नर के आदेश बाबत परवाना पंच मीणा जाति को देने की तामीली रिपोर्ट दिनांक 15-1-51 की रेवेन्यू रेकार्ड रियासत सिरोही में दर्ज है।

(6) क्या यह सही है कि भू.पू. रियासत सिरोही के रेवेन्यू रेकार्ड में यह विवादग्रस्त 862 बीघा भूमि देवस्थान रेकार्ड में 1950 से मीणा जाति के पंचायत के नाम दर्ज है और तब से आज तक इस भूमि पर कब्जा मीणा जाति के पंचायत का गौतमजी के नाम से है ?

(7) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर श्री गौतमजी का मन्दिर बना हुआ है ? और मीणा जाति के पंचों की बैठक (हथाई) पक्का-चबूतरा, धर्मशालायें, कुआं, बावड़ी, रसोड़ा, बगीचा, मेला हाल, गोगुला जी की समाधि, शाल, स्नानघर, कुएं से पानी निकालने को इंजन मशीन, आटा पीसने की चक्की, पानी की टंकी आदि मौके पर आज भी मौजूद हैं जो मीणा जाति की पंचायत को मिल्कियत श्री गौतमजी के नाम से हैं ?

(8) क्या यह सही है कि मीणा जाति के इस धार्मिक स्थान की भूमि का राजस्व एवं जंगलात में इन्द्राज हो गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(9) क्या सरकार इस गलत इन्द्राज को दुरुस्त कर माफिक पट्टा यह भूमि मीणा जाति व गौतमजी के स्थान की होना दर्ज करने का आदेश तत्काल देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) मेला गौतम जी के काम आने वाली भूमि नदी पेटे की ख. नं. 333,334 रकबा 61 बीघा है। मेले पर क्षेत्रफल यात्रियों की संख्या के अनुसार घटता बढ़ता रहता है।

(2) भू. पू. जागीरदार द्वारा 106 बीघा भूमि दिनांक 15-11-30 को दान किये जाने का उल्लेख हैं।

(3) 756 बीघा भूमि मेले के नाम देने का हवाला चीफ मिनिस्टर के आदेश दिनांक 31-12-30 में उल्लेखित है।

(4) सर्वेयर एवं कब्जा कार्यवाही एवं हदबन्दी की दिनांक 25-7-31 के आदेश की पालना में दिनांक 29-7-31 को की गई, जिसमें रकबा का हवाला दिया हुआ नहीं है।

(5) सिरोही रियासत को रेवेन्यू कमिश्नर द्वारा दिनांक 15-.-31 को आदेश दिये जाने का हवाला है।

(6) वर्तमान रेवेन्यू रिकार्ड में इस

(राजस्व मन्त्री)

प्रकार का कोई इन्द्राज नहीं है। वर्तमान में मौके के अनुसार केवल मात्र मन्दिर व उसके आस-पास बनी धर्मशाला आदि पर मीणा पंचान का कब्जा है।

(7) गौतम ऋषि का मन्दिर आ. नं. 332 जिसका रकबा $\frac{1}{2}$ बीघा पर निर्मित है जो ग्राम पंचायत बीघा गांव के नाम दर्ज है। मीणा जाति के पंचों की बैठक, पक्का चबूतरा, धर्मशालाएं, कुआ बावड़ी, रसोड़ा, बगीचा, मेला हाल, गोगुला जी की समाधि, शाला स्नान की टंकी, कुएं से पानी निकालने का इंजन, आटा पीसने की चक्की आदि मौजूद हैं। मिल्कियत बाबत वाद राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है।

(8) जी हां। यह इन्द्राज सहायक वन बन्दोवस्त अधिकारी के निर्णय अनुसार 1975 में किया गया है।

(9) भूमि को मीणा समाज के नाम दर्ज करवाने बाबत इस समाज ने एक अपील राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के न्यायालय में दायर की है जो विचाराधीन चल रहीं है।

समाचार पत्रों से सम्बन्धित पालेकर अवार्ड की क्रियान्विति

786. श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि समाचार पत्रों से सम्बन्धित पालेकर अवार्ड की क्रियान्विति के लिए कोई त्रिपक्षीय समीक्षा समिति या इस प्रकार की कोई अन्य समिति गठित की गई है? यदि हां तो उक्त समिति ने क्या कार्यवाही की? नहीं, तो क्यों?

(2) क्या गत 12 महीनों में श्रमजीवी पत्रकार कानून 1955 के तहत समाचार पत्रों का निरीक्षण किया गया? यदि हां, तो कितने समाचार पत्रों का?

(3) क्या निरीक्षण के फलस्वरूप कतिपय समाचार-पत्र दोषी पाये गये? यदि हां, तो कितने?

(4) क्या यह सही है कि दोषी पाये गये समाचार-पत्रों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किये गये? यदि हां, तो कितनों के विरुद्ध और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या समाचार पत्र-संस्थानों ने श्रमजीवी पत्रकार कानून के तहत स्थायी आदेश प्रमाणीकृत करवा रखे हैं? यदि हां, तो कितनों ने? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) एक समाचार पत्र का निरीक्षण किया गया है।

(3) जी नहीं।

(4) समाचार पत्र दोषी नहीं पाया गया। इसलिये चालान प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता।

(5) 1. राष्ट्रदूत समाचार पत्र ने स्थाई आदेश प्रमाणित करवा रखे हैं।

(श्रम मन्त्री)

2. समाचार पत्र संस्थानों को जिन पर औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम, 1946 श्रमजीवी पत्रकार कानून के कारण लागू होते हैं, उन पर स्थायी आदेश अधिनियम की धारा 12-ए के तहत जब तक स्थायी आदेश प्रमाणित नहीं करा लेते हैं तब तक उनके द्वारा मोडल स्टेण्डिग आर्डर्स एडोप्ट किये हुए मान लिए जाते हैं।

उत्तर

(1) नियोजक के कम्पयूटराइज्ड कम्पोजिंग पद्धति शुरू करने के कारण 29 कम्पोजीटरों की छंटनी करने के लिए राज्य सरकार से स्वीकृति चाही है। सूची संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

राजस्थान पत्रिका समाचार-पत्र द्वारा श्रमिकों की छंटनी

787. **श्री त्रिलोक सिंह** (फतेहपुर) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र संस्थान द्वारा अपनी जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर शाखाओं में कार्यरत कम्पोजीटर्स को भारी पैमाने में छंटनी करने के नोटिस दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने कम्पोजीटर्स को और क्यों ? कृपया विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) क्या उक्त संस्थान द्वारा उक्त छंटनी के सम्बन्ध में राज्य सरकार से विधिवत स्वीकृति मांगी गई है ?

(3) यदि हां, तो राज्य सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

बारां उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन

788. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बारां उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन जीर्णावस्था में है ?

(2) क्या यह भी सही है कि वह भवन विद्यार्थियों के बैठने योग्य नहीं है ?

(3) क्या यह सही है कि विद्यालय की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं शिक्षा विभाग को इस सम्बन्ध में सूचित कर दिया गया है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(शिक्षा मन्त्री)

(2) जी नहीं।

(3) भवन की मरम्मत हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिखा गया है तथा भवन की मरम्मत हेतु 25,000/– रुपये स्वीकृत किये जा चुके हैं।

शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रयोगशाला सहायक

789. **श्री कनकराज मेहता** (सांचौर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग, राजस्थान में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों को 20 प्रतिशत के अनुपात में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदोन्नत किये जाने के नियम हैं ?

(2) यदि हां, तो वर्ष 1978 के बाद से क्या सरकार द्वारा इसकी पालना की गई है ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि प्रयोगशाला सहायक 18 वर्षों से वर्तमान पद की वेतन श्रृंखला में अधिकतम वेतन पर रुके हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी पदोन्नति के अवसर शीघ्र प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि प्रत्येक राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रयोगशाला सहायकों का पद होना आवश्यक है ? यदि हां, तो वर्तमान में कुल कितने पद सृजित हैं ?

(5) क्या यह सही है कि वर्तमान में 425 स्कूल ऐसे हैं जिनमें प्रयोगशाला सहायकों के पद स्वीकृत नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के अन्तर्गत प्रयोगशाला सहायकों को वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदोन्नति दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) सामान्यत: सभी वेतन श्रृंखलाओं में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारीगण अधिकतम पर रूक सकते हैं, इसी प्रकार कुछ प्रयोगशाला सहायक अपनी वेतन श्रृंखला के अधिकतम पर रुके हुये हैं।

(4) जी नहीं। प्रयोगशाला सहायकों का पद केवल उन्हीं विद्यालयों में स्वीकृत किया जाता है जहां विज्ञान विषय की कक्षायें चलायी जाती है तथा विभाग में 1162 पद सृजित हैं।

(5) जी नहीं।

संस्कृत कालेज मनोहरपुर में आचार्य कक्षा खोलना

790. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या संस्कृत कालेज, मनोहरपुर के लिये प्रतिवर्ष आचार्य कक्षा खोलने का आश्वासन दिया जाता है ?

(५६)

(श्री माधव सिंह दीवान)

(2) यदि नहीं, तो क्या जनता एवं छात्रों की सुविधा को देखते हुये सरकार वहां शिक्षा सत्र 1984-85 से आचार्य कक्षा खोलने का पक्का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां, वर्ष 1984-85 में उक्त संस्था को शास्त्री स्तर से आचार्य स्तर में क्रमोन्नत करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जा चुका है।

प्रदेश में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय

791. **श्री भरोसी (हिन्डौन),**

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) व

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय कहां पर हैं ?

(2) क्या सरकार जनहित को मद्दे नजर रखते हुए कोटा में संस्कृत महाविद्यालय खोलने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) राज्य में राजकीय संस्कृत महाविद्यालयों की सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। कोटा में श्री सरस्वती विद्यापीठ संस्कृत महाविद्यालय निजी क्षेत्र में चल रहा है जो उस क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए पर्याप्त है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

माध्यमिक शिक्षा पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन

792. **श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन के कारण राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा छपाई जी रही पुस्तकें नये लेखकों से लिखवाई गई हैं ? यदि हां, तो किस-किस से ? कृपया प्रत्येक पुस्तक के पुराने लेखक एवं नये लेखक के नामों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन पुस्तकों को नये शैक्षणिक सत्र दिनांक 1-7-1984 के पूर्व ही छपा कर विक्रय हेतु उपलब्ध कराना है ? यदि हां, तो इन पुस्तकों के मुद्रण आदेश किस किस प्रकाशक व प्रेस को कब कब दिये गये और इनकी पाण्डुलिपियां उन्हें कब दी गई ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। आठ पुस्तकों की पाण्डुलिपि अभी प्रेस को नहीं दी गई है, जिन्हे भी

(शिक्षा मन्त्री)

यथाशीघ्र दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें।)

राजस्थान संस्कृत अकादमी का उद्देश्य

793. **श्री शिवराम शर्मा** (बनीपार्क) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान संस्कृत अकादमी के गठन के क्या उद्देश्य थे ?

(2) उद्देश्यवार अकादमी की क्या उपलब्धियां रहीं ?

(3) क्या अकादमी अवैतनिक निदेशक से ही चलाई जा रही है ? यदि हां, तो वहां नियमित अधिकारी वर्ग की कब तक नियुक्ति की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) अकादमी-गठन के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :—

1. संस्कृत भाषा एवं उसके साहित्य का संरक्षण, विकास एवं प्रोत्साहन करने की दृष्टि से केन्द्रीय शोध संस्थान जयपुर में स्थापित करना।

2. संस्कृत वाङ्मय में अन्तर्विष्ट ज्ञान को पुस्तकों के संग्रह, सम्पादन, प्रकाशन निर्वचन, समीक्षा, अनुवाद आदि के माध्यम से प्रकाश में लाना।

3. संस्कृत के महत्वपूर्ण ग्रन्थों का हिन्दी एवं अन्य भाषाओं में अनुवाद एवं उनके प्रकाशन की व्यवस्था तथा हिन्दी व अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट ग्रन्थों का संस्कृत में अनुवाद व प्रकाशन।

4. देश की भावात्मक एकता की दृष्टि से उपयुक्त संस्कृत साहित्य का प्रचार व प्रसार।

4. वेदों के परम्परागत उच्चारण व वैदिक प्रक्रियाओं का संरक्षण, प्रशिक्षण, प्रकाशन एवं प्रचार।

6. संस्कृत भाषा एवं साहित्य को जनसुलभ बनाने की दृष्टि से मानक ग्रन्थों के तथा उनके अनुवादों के सस्ते और प्रामाणिक संस्करण उपलब्ध कराना।

7. संस्कृत के क्षेत्र में कोई कार्यरत प्रख्यात संस्थाओं से संस्कृत साहित्य का आदान-प्रदान एवं सम्पर्क करना।

8. शोध संस्थान के माध्यम से प्रदेश में सुदूर अंचलों में फैली हुई संस्कृत की हस्तलिखित कृतियों, पाण्डुलिपियों का सर्वेक्षण, क्रय, संग्रह एवं प्रकाशन।

9. संस्कृत भाषा सम्बन्धित प्राचीन अथवा नवीन किसी भी प्रकार के पुस्तक-संग्रहालय एवं पुस्तकालयों के समर्पण को स्वीकारना तथा उनकी व्यवस्था करना।

10. संस्कृत शोध संस्थान द्वारा शोध पत्रिका का प्रकाशन।

(शिक्षा मन्त्री)

11. संस्कृत पत्र-पत्रिकाओं को प्रकाशित करना तथा प्रकाशित हो रही प्रदेश की संस्कृत शोध सम्बन्धी पत्र-पत्रिकाओं को सहायता देना।

12. संस्कृत के सशक्त लेखकों, साहित्यकारों एवं कवियों से उत्कृष्ट कृतियां लिखवाना, प्रकाशित उत्कृष्ट कृतियों पर पुरस्कार देना तथा उनका सम्पादन करवाना।

13. संस्कृत भाषा एवं साहित्य के सक्रिय रचनाकारों, वृद्ध तथा विपन्न विद्वानों को आर्थिक सहायता देना।

14. संस्कृत भाषा के उच्च अध्ययन के निमित्त निर्दिष्ट अवधि के लिए सुविधायें एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना।

15. संस्कृत वाङ्मय के विभिन्न पक्षों पर अधिकारी विद्वानों के व्याख्यानों एवं भाषाओं का आयोजन तथा उसके विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित विचार गोष्ठी, प्रदर्शनी, संस्कृत कवि सम्मेलन, समारोह, संस्कृत कार्यक्रम तथा संस्कृत सम्मेलन आयोजित करना।

16. संस्कृत नाटकों के मंचन का प्रोत्साहन करना।

17. संस्कृत साहित्यकार-कल्याण कोष की स्थापना तथा उसका उपयोग करना।

18. प्रदेश में संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में कार्य करने वाली पंजीकृत लोक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना तथा उन्हें आवश्यकतानुसार सहायता देना।

19. ऐसे सभी प्रासंगिक कार्य करना जो ऊपर निर्दिष्ट उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में सहायक हों।

(2) संस्कृत भाषा एवं उसके साहित्य के प्रोत्साहन हेतु "शक्तिजयम्" नामक पुस्तक प्रकाशित की जा रही है। संस्कृत साहित्य के प्रचार एवं प्रसार हेतु समय-समय पर कवि सम्मेलन एवं गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। वेदों के परम्परागत उच्चारण एवं प्रशिक्षण हेतु अकादमी द्वारा 6 वेद विद्यालय चलाये जा रहे हैं जिनमें 36 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अकादमी द्वारा विभिन्न संस्थाओं एवं अन्य भाषायी अकादमियों से भी सम्पर्क रखा जाता है। अकादमी का सम्पर्क उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी से भी है। संस्कृत भाषा के प्राचीनतम पुस्तक संग्रहालय-वीरेश्वर पुस्तकालय को अकादमी ने अधिग्रहीत किया है और अब इस पुस्तकालय को शोध पुस्तकालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। अकादमी द्वारा शोधपूर्ण लेखों की पत्रिका 'स्वरमंगला' का प्रकाशन हो रहा है। संस्कृत भाषा की प्राचीन पत्रिका "भारती" को वित्तीय सहायता भी दी गई है। साथ ही साथ राजस्थान के लेखकों एवं साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने के लिए अकादमी प्रति वर्ष संस्कृत की सर्वोत्कृष्ट कृति पर 3 हजार रु. का "माघ पुरस्कार" प्रदान करती है। इसी वर्ष अकादमी द्वारा 5 हजार रु. की आर्थिक सहायता विपन्न एवं वृद्ध साहित्यकारों को दी गई। संस्कृत में सामान्य ज्ञान प्रतियो-

(शिक्षा मन्त्री)

गिता एवं निबन्ध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमें नवोदित प्रतिभाओं को पुरस्कार दिया जाता है। प्रति वर्ष 2 उपनिषद् विभिन्न महापुरुषों की जयन्तियां आदि आयोजित की जाती हैं। अकादमी द्वारा पाण्डुलिपि प्रशिक्षण शिविर व पौरोहित्य प्रशिक्षण शिविर भी लगाये गये जिसमें क्रमशः 35 और 57 व्यक्तियों ने भाग लिया। अकादमी द्वारा संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में कार्य करने वाली प्रमुख 6 पंजीकृत संस्थाओं को मान्यता प्रदान की गई है।

(3) वर्तमान में इसके अध्यक्ष व निदेशक अवैतनिक हैं। कार्यालय सचिव संस्कृत से प्रतिनियुक्ति पर हैं। फिलहाल वर्तमान व्यवस्था से अकादमी का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है, अतः नियमित अधिकारी वर्ग की नियुक्ति की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

सवाई माधोपुर ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

794. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कार्य चालू है ? यदि हां, तो किस-किस पंचायत समिति में कितने ग्रामों में विद्युतीकरण हो गया है और कितने कितने ग्राम शेष हैं तथा उनको कब तक तक विद्युतीकृत कर दिया जावेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रति वर्ष जिलावार विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है ? यदि हां, तो इस वर्ष जिला सवाई माधोपुर के कितने ग्रामों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समितिवार विद्युतीकृत गांवों एवं विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत ग्रामों, जिनका विद्युतीकरण किया जाना है, का विवरण संलग्न तालिका "अ" में दर्शाया गया है। ग्रामों का विद्युतीकरण वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार किया जाता है। अतः शेष स्वीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा इसके बारे में अभी निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है।

(2) जी हां, विद्युत मण्डल द्वारा प्रति वर्ष जिलेवार ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। वर्ष 1983–84 में जिला सवाई माधोपुर में 38 ग्रामों को विद्युतीकृत किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें।)

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा नई परियोजनाओं को स्वीकृति

795. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(1) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने इस साल राज्य के लिये कितनी नई परियोजनाओं के लिये स्वीकृति प्रदान की ?

(2) किस किस जिले में कितनी कितनी परियोजनायें कार्यान्वित होंगी तथा उन पर कितना खर्चा आयेगा ?

उत्तर

(1) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने वर्ष 1983–84 में राज्य में कुल 104 नई परियोजनाओं हेतु स्वीकृति प्रदान की है।

(2) वर्ष 1983–84 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले अनुमानित व्यय का जिलेवार विवरण संलग्न तालिका में दर्शाया गया है।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें।)

अलवर जिले के उद्योगों द्वारा की गई बिजली की चोरी

796. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले में वर्ष 1982–83 एवं 1983–84 में कौन कौन से उद्योग बिजली की चोरी करते पकड़े गये ? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) बिजली की चोरी करने वाले उद्योगों से कितनी कितनी राशि पैनल्टी के रूप में वसूल की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में वर्ष 1982–83 एवम् 1983–84 में 9 उद्योगों को बिजली की चोरी करते हुए पकड़ा गया जिनकी सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) बिजली चोरी करने वाले उद्योगों से 34, 662. 70 पैसे की राशि वसूल की गई है। जिसका विवरण उपरोक्त सूची 'अ" में दर्शा दिया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें।)

मांगरोल (कोटा) पन विद्युत गृह योजना

797. **श्री दाउदयाल जोशी** (दीगोद), **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) एवं

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले की मांगरोल पन विद्युत गृह योजना पर वर्ष 1983–84 में कुल कितनी रकम खर्च किये जाने का प्रावधान था तथा कुल कितनी रकम अब तक खर्च की गई ?

(2) अगले वर्षों में उक्त योजना को पूर्ण किये जाने हेतु क्या योजना है ?

उत्तर

(1) संशोधित बजट प्रावधानों के अनुसार कोटा जिले की मांगरोल एवं सूरतगढ़

(ऊर्जा मन्त्री)

आदि लघु पन विद्युत परि योजनाओं हेतु 10 लाख रुपये का प्रावधान वर्ष 1983–84 में रखा गया था, जिसमें से मांगरोल परि योजना पर 40 हजार अब तक खर्च किये जा चुके है।

(2) इस योजना को योजना आयोग की मंजूरी मिल जाने पर 3 वर्ष की अवधि में पूर्ण किया जा सकेगा। वर्ष 1984–85 में इस योजना के लिए अलग से कोई राशि नहीं रखी गई है अपितु मिनी हाइड्रो योजनाओं के लिए सम्मिलित रूप से कुल 100 लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायालय ब्यावर

798. श्री विष्णुप्रकाश बजारी (ब्यावर): क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ब्यावर में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय खोलने की घोषणा विधि मन्त्री द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो न्यायालय अब तक क्यों नहीं खोला गया ?

(2) क्या सरकार उक्त न्यायालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी हां। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय अजमेर को ब्यावर में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायाल से परामर्श किया जा रहा है, और उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

दरगाह इन्तेजामिया कमेटी सरवाड़ (अजमेर) का कार्यकाल

799. श्री सैयद मोहम्मद अय्याज महाराज (मसूदा) : क्या वक्फ मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दरगाह इन्तेजामिया कमेटी सरवाड़ जिला अजमेर का कितना कार्यकाल होता है ?

(2) क्या उक्त कमेटी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है ? यदि हां, तो इस समय इसके पदाधिकारी कौन कौन हैं तथा क्या सरकार इस कमेटी के पुनर्गठन का इरादा रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कमेटी के सैक्रेटरी तथा अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध दरगाह को मिलने वाले पैसे के दुरुपयोग के आरोपों की समय समय पर लिखित में शिकायत की गई है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि मौजूदा सैक्रेटरी काफी समय से इस पद पर हैं ? यदि हां, तो कब से ? तथा किस नियम के अन्तर्गत ?

(5) क्या इस कमेटी द्वारा समय समय पर होने वाली आमदनी का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब से ? कृपया दरगाह सरवाड़ में

(श्री सैयद मोहम्मद अय्याज महाराज)

पिछले दस साल से होने वाली आय व व्यय का विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) वक्फ बोर्ड ने वक्फ कमेटियों का कार्यकाल 3 वर्ष निश्चित कर रखा है। दरगाह इन्तेजामिया कमेटी सरवाड़ जिला अजमेर का कार्यकाल भी 3 वर्ष का है।

(2) जी हां। इस कमेटी के तीन वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया है। परन्तु यह कमेटी वक्फ बोर्ड के निर्णय दिनांक 18-10-82 के अनुसार बतौर केयर टेकर कमेटी, नयी व्यवस्था होने तक कार्य कर रही है। इस कमेटी के निम्न पदाधिकारी हैं–

1. श्री अब्दुल रऊफ रिटायर्ड ए.डी.एम. — सदर
2. श्री गुलाम मोहम्मद उर्फ गुलाम रसूल — नायब सदर
3. श्री अब्दुल रहमान नदाफ — सैक्रेटरी
4. श्री मोहम्मद इस्माइल मोमिन — खजांची

कमेटी के गठन का मामला वक्फ बोर्ड के क्षेत्राधिकार का है।

(3) यह सही नहीं हैं।

(4) जी हां। श्री अब्दुल रहमान नदाफ 1967 से इस दरगाह के सैक्रेटरी हैं। जब भी कमेटी का पुनर्गठन किया गया वक्फ बोर्ड द्वारा इन्हें ही सैक्रेटरी बनाया गया।

(5) जी हां। आय व्यय का विवरण संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्कालय में रखा गया)

चित्तौड़गढ़ में परिवहन निगम की चलने वाली बसें

801. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रतिदिन चित्तौड़गढ़ से राज्य के अन्य जिलों तथा मध्यप्रदेश के अनेक स्थानों के लिये परिवहन सेवा सुलभ करवायी जा रही है? यदि हां, तो परिवहन सेवा की समय सीरणी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि बस स्टेण्ड प्रतीक्षालय अपर्याप्त है? यदि हां, तो क्या छायादार प्रतीक्षालय बनवाने सम्बन्धी प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है?

उत्तर

(1) जी हां। चित्तौड़गढ़ से संचालित परिवहन सेवाओं की निर्धारित समय सारिणी परिशिष्ट "अ" पर संलग्न प्रेषित है।

(2) जी हां। वर्तमान में बस स्टेण्ड पर 100'×30' की नाप का खुला हुआ प्लेटफार्म है जिसे आच्छादित करने की दृष्टि से टीन शेड डालने की कार्यवाही निगम के विचाराधीन है।

(यातायात मन्त्री)

(समय सारिणी के लिये कृपया परिशिष्ट 19 देखें।)

चित्तौड़गढ़ कोटा रेलवे लाइन

802. **श्री घनश्याम जैन (बेगूं)**: क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या चित्तौड़गढ़-कोटा रेलवे लाइन का मार्ग निर्धारण करने हेतु रेलवे मन्त्री ने राज्य के मुख्य मन्त्री व सरकार की राय मांगी थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में क्या टिप्पणी प्रस्तुत की गई थी ? कृपया टिप्पणी की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(3) राज्य सरकार द्वारा कौन-कौन से मार्गों का सुझाव रखा गया था ? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग बेगूं होकर निकालने के संबंध में राज्य सरकार की राय मांगी गई थी ?

(4) उक्त मार्ग बेगूं होकर नहीं निकालने के क्या आधार हैं ?

(5) क्या राज्य सरकार उक्त रेलवे लाइन को बेगूं होकर निकालने हेतु रेल मंत्रालय को सिफारिश करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1982 में रेलवे मंत्री द्वारा राय मांगी गयी थी।

(2) राज्य सरकार द्वारा रेलवे विभाग को लिखे गये पत्र की प्रति सदन के पटल के पर रख दी गई है।

(3) राज्य सरकार के समक्ष निम्नलिखित दो मार्गों का सुझाव रखा गया था–

(1) बून्दी–मोहनपुरा–मांडलगढ़–पारसोली-चित्तौड़गढ़।

(2) बून्दी-मोहनपुर-लाडपुरा-बेगूं-पारसोली-चित्तौड़गढ़।

उक्त मार्ग बेगूं होकर निकालने के संबंध में राय मांगी गयी थी।

(4) उक्त मार्ग बेगूं होकर नहीं निकालने का कारण इस मार्ग का दूसरे मार्ग से 16 कि. मी. अधिक होना तथा निर्माण में 5 करोड़ रुपये की राशि का अधिक व्यय होना है।

(4) क्योंकि राज्य सरकार ने रेल मंत्रालय को बून्दी-मोहनपुरा-मांडलगढ़-पारसोली-चित्तौड़गढ़ मार्ग की अपनी स्वीकृति पूर्व में ही भेज दी है अत: अब उक्त रेलवे लाइन को बेगूं होकर निकालने हेतु रेल मन्त्रालय को सिफारिश करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 20 देखें।)

पाली जिले का आवंटित पाम आयल

803. **श्री असलम खां (पाली)**: क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 1982-83 व 1983-84 में पाली जिले को कितना पाम आयल आवंटित किया गया ?

(श्री असलम खां)

(2) पाली जिले को आवंटित उक्त पाम आयल जिले की प्रत्येक पंचायत समिति को कितना-कितना वितरित किया गया। कृपया पंचायत समितिवार सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले को वर्ष 1982-83 व 1983-84 में निम्न प्रकार से पाम आयल का आवंटन किया गया है:–

वर्ष	आवंटन टनों में
1982–83	245 टन
1983–84	415 टन

(2) पाली जिले को उक्त आवंटित पाम आयल जिले की प्रत्येक पंचायत समित को वर्ष 1982-83 व 1983-84 में जितना वितरित किया गया है, की पंचायत समिति-वार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 21 देखें।)

डग पंचायत (झालावाड़) में लेवी की चीनी का वितरण

804. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) एवं **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले की डग पंचायत के वार्ड नं. 9 व 12 की जुलाई 1983 की कोटे की लेवी चीनी प्रति यूनिट एक किलो के हिसाब से 24-11-83 30-11-83 की तारीखों में वितरण की गई बताई गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि वितरण रजिस्टर तह. तथा सप्लाई प्रवर्तक निरीक्षक द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह शिकायत है कि रजिस्टर में कई फर्जी निशानी अंगूठे दर्ज हैं व एक-एक व्यक्ति को दो-बार राशन कार्ड की शक्कर दी गई है? क्या इस मामले की जांच कर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी?

उत्तर

(1) जी, हां। एक किलो लेवी चीनी प्रति यूनिट दिनांक 27-11-83 से 30-11-83 तक वितरित हुई है।

(2) जी, नहीं। वितरण रजिस्टर तहसील द्वारा प्रमाणित है।

(3) जी, नहीं। ऐसी कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

भरतपुर का ऐतिहासिक किला

805. **श्री राजबहादुर** (भरतपुर): क्या पुरातत्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर के ऐतिहासिक किले और उसकी नहर सुजान गंगा की दीवारों और घाटों की मरम्मत तथा पुनर्निर्माण का काम अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है? यदि हां, तो इसमें विलम्ब क्यों हुआ?

(श्री राजबहादुर)

(2) क्या यह भी सही है कि जून 1983 को एक बैठक में राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को यह आश्वासन दिया था कि वहां नहर का पानी, कीचड़ को निकालने तथा घाटों व दीवारों के पुनर्निर्माण का कार्य तथा नहर की मरम्मत अपने साधनों से करवायेगी ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) भरतपुर किले की दीवार की मरम्मत का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रगति पर है और इस दीवार का लगभग 200 क्यूबिक मीटर आर. आर. मैसेनरी कार्य हो चुका है। दो हजार स्क्वायर मीटर में पाइन्टिग का कार्य भी कराया जा चुका है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सुजान गंगा नहर की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण का कार्य अभी प्रारंभ नहीं किया गया है क्योंकि भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तो प्रदान करदी गई परन्तु इस वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है एवं घाटों की मरम्मत की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

(2) दिनांक 4 व 5 अप्रेल, 1983 को नई दिल्ली में राजस्थान सरकार व भारत सरकार की उच्च स्तरीय बैठक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार द्वारा नहर का पानी व कीचड़ निकालने तथा घाटों की मरम्मत इत्यादि कार्य पर होने वाले व्यय को राजस्थान सरकार द्वारा वहन करने को कहा एवं यह भी निर्णय लिया कि किले की दीवार व नहर की दीवार की मरम्मत इत्यादि पर होने वाला व्यय भारत सरकार वहन करेगी जब कि किले की दीवार की मरम्मत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्वयं करायेगा तथा नहर की दीवार का कार्य राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जावेगा।

राजस्थान टूरिस्ट विकास निगम द्वारा अंग्रेजी समाचार सेवा

806. **श्री बाबूलाल बैरवा** (कठूमर) एवं **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राजस्थान टूरिस्ट डवलपमेंट कार्पोरेशन ने अंग्रेजी समाचार समिति यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया की अंग्रेजी समाचार सेवा को तीन टिक्कर सेवायें उदयपुर के आनन्द भवन होटल, जोधपुर के टूरिस्ट घूमर बंगले और जयपुर की खासा कोठी में रखी है ? यदि हां, तो इस अंग्रेजी समाचार सेवा को लेने के क्या प्रयोजन हैं और इन पर प्रतिवर्ष कितना खर्च हो रहा है ?

(2) क्या राजस्थान टूरिस्ट डवलपमेंट कार्पोरेशन लाभ की स्थिति में है ? अभी उसे कितनी आय हो रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। पर्यटन विश्राम गृह घूमर में यह सेवा शुरू होना शेष है। टेलीप्रिण्टर सेवायें प्राप्त करने का मुख्य प्रयोजन पर्यटकों को इन स्थानों पर आरक्षण की सुविधायें

(राज्य मन्त्री, पर्यटन)

तुरन्त उपलब्ध कराने का है। इस टेली-प्रिण्टर सेवा पर प्रति इकाई प्रतिवर्ष 30,000/– रुपये का खर्च होगा।

(2) जी नहीं। राजस्थान टूरिज्म डवलपमेन्ट कार्पोरेशन को वर्ष 1982–83 में 200.94 लाख रुपयों की आय हुई थी, जबकि वर्ष 1983–84 में बजट अनुमानों के अनुसार 274.62 लाख रुपयों की आय होने की संभावना है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 14 मार्च, 1984)

राज्य के राजकीय उपक्रम

218. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) एवं **श्री वीरेन्द्र सिंह** (श्रीमाधोपुर): क्या राजकीय उपक्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में कितने राजकीय उपक्रम हैं?

(2) किस-किस का पूंजी नियोजन क्या-क्या है?

(3) उपरोक्त में से कौन-कौन से उपक्रम लाभ एवं हानि में हैं? यह लाभ और हानि कितना-किनना प्रतिवर्ष है? तीन वर्षों का ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान में राजकीय उपक्रम विभाग के अधीनस्थ निम्नलिखित 7 इकाइयां कार्यरत हैं:–

(1) गंगानगर शूगर मिल्स लि. जयपुर।

(2) राजस्थान स्टेट टेनरीज लि. जयपुर।

(3) हाईटेक प्रेसीशन ग्लास लि. जयपुर।

(4) राजकीय ऊनी मिल्स, बीकानेर।

(5) राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना।

(6) राजकीय लवण श्रोत, डीडवाना।

(7) राजकीय लवण श्रोत, पचपदरा।

(2) उक्त राजकीय उपक्रमों में पूंजी नियोजन का विवरण संलग्न तालिका में दर्शाया गया है।

(3) उक्त राजकीय उपक्रमों में गत 3 वर्षों में हुए लाभ एवं हानि का विवरण संलग्न तालिका में दर्शाया गया है।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 22 देखें।)

(दिनांक 28 मार्च, 1984)

राजस्थान नहर के द्वितीय चरण में दिये गये ठेके

474. **श्री समर्थलाल** (राजगढ़), **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) एवं

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान नहर द्वितीय चरण के निर्माण में सन् 1982-83 में किन-किन ठेकेदारों को कितने-कितने मूल्य का काम दिया गया है ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) ये ठेकेदार किस-किस श्रेणी के हैं ?

(3) इनमें किन-किन ठेकेदारों का कब-कब पंजीयन हुआ है ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर द्वितीय चरण के निर्माण में सन् 1982-83 में जिन-जिन ठेकेदारों को कितने कितने मूल्य का कार्य दिया गया है, संलग्न तालिका के कालम में दर्शाया गया है।

(2) ठेकेदारों की श्रेणी संलग्न तालिका में दर्शायी गयी है।

(3) ठेकेदारों का पंजीयन कब-कब हुआ, की सूचना संलग्न तालिका में दर्शायी गई है।

(तालिकाओं के लिये कृपया परिशिष्ट 23 देखें।)

(दिनांक 28 मार्च, 1984)

निगम व बोर्डों में नियुक्त अध्यक्षों पर कुल व्यय

499. **श्री कमलेन्द्र सिंह (बल्लभनगर)** : क्या राजकीय उपक्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश के विभिन्न प्रतिष्ठान, निगम व बोर्डों में नियुक्त अध्यक्षों की संख्या कितनी है और उन्होंने नियुक्ति से आज तक कुल कितना व्यय किया ?

(2) क्या इन सभी नियुक्त अध्यक्षों ने आज से पूर्व किये गये खर्चों की स्वीकृति सरकार या बोर्ड से ले ली अथवा नहीं ?

(3) इन नियुक्त अध्यक्षों द्वारा उसमें उठाये गये भत्ते, वेतन, यात्रा व्यय और स्वयं की सुविधाओं पर कितना-कितना व्यय किया ?

(4) व्यय की गई राशि की पूर्ण सूची सदन के पटल पर रखी जावे।

उत्तर

(1) प्रदेश के विभिन्न प्रतिष्ठान, निगम व बोर्ड में वर्तमान में 17 अध्यक्ष नियुक्त हैं। उनके द्वारा उनकी नियुक्ति से अब तक किये गये व्यय का विवरण संलग्न तालिका में दर्शाया गया है।

(2) वर्तमान में नियुक्त अध्यक्षों द्वारा किये गये खर्चों की स्वीकृति सरकार या बोर्ड से ली है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में सूचना संलग्न तालिका में अंकित है।

(3) इन अध्यक्षों द्वारा उठाये गये भत्ते, वेतन, यात्रा व्यय और स्वयं की सुविधाओं पर किये गये व्यय का विवरण संलग्न तालिका में अंकित है।

(राजकीय उपक्रम मन्त्री)

(4) व्यय की गई राशि का पूर्ण विवरण तालिका में अंकित है।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 24 देखें।)

(दिनांक 29 मार्च, 1984)

राजस्थान में खनिज क्षेत्रों के विचाराधीन वाद

513. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में खनिज क्षेत्रों के विवादों के कारण विभिन्न न्यायालयों में कितने वाद कब-कब से विचाराधीन हैं और उनमें किस-किस तरह का स्थगन या इन्जक्शन किस-किस स्तर के न्यायालय से जारी किया हुआ है जिसके कारण कोई क्षेत्र पट्टे पर नहीं दिया जा सकता ?

(2) इन विवादग्रस्त मामलों में कौन-कौन-सा क्षेत्र पक्षकार पट्टाधारी ने अपने ही अधिकार में कर रखा है, कौन-कौन सा क्षेत्र खनिज के दोहन से वंचित रखा जा रहा है? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) इन स्थगन अथवा इन्जक्शन को निरस्त कराने हेतु विभाग द्वारा कब-कब क्या प्रभावी कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राजस्थान में खनिज क्षेत्रों के विवादों के कारण विभिन्न न्यायालयों में 167 वाद विचाराधीन हैं जिनका ब्यौरा संलग्न परिशिष्ट में दिया गया है।

(2) इन विवादग्रस्त मामलों में पक्षकार पट्टाधारी के पक्ष में रहा क्षेत्र व खनिज दोहन से वंचित रहा क्षेत्र का ब्यौरा भी परिशिष्ट में दिया गया है।

(3) स्थगन अथवा इन्जक्शन को निरस्त कराने हेतु विभाग द्वारा पर्याप्त कार्यवाही की गई व की जा रही है। प्रत्येक मामले में की गई कार्यवाही का विवरण भी परिशिष्ट में दिया गया है।

(ब्यौरे एवं विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 25 देखें।)

(दिनांक 29 मार्च, 1984)

राजस्थान राज्य को आवंटित अनुज्ञा-पत्र

537. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राष्ट्रीय अनुज्ञा-पत्र योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981 से अब तक राजस्थान राज्य को कितने राष्ट्रव्यापी अनुज्ञा-पत्र आवंटित किये गये ?

(2) इन अनुज्ञा-पत्रों हेतु राज्य से किन-किन के आवेनन पत्र प्राप्त हुए तथा उनमें किन-किन व्यक्तियों को राष्ट्रव्यापी अनुज्ञा-पत्र आवंटित किये गये ?

(3) जिन-जिन व्यक्तियों के आवेदन पत्र अस्वीकार किये गये उनका विवरण

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

कारण सहित सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(4) राष्ट्रव्यापी परमिट के आवंटन की क्या शर्तें हैं ? प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) वर्ष 1981 से अब तक इन परमिटों का 400 का कोटा आवंटित हुआ है।

(2) उक्त अनुज्ञा-पत्रों हेतु जिन्होंने आवेदन किया था उनकी सूची परिशिष्ट "क" पर तथा जिन आवेदकों को अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये गये हैं उनकी सूची संलग्न परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

(3 वांछित विवरण सदस्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के निर्णयों के संलग्न प्रतियों (परिशिष्ठ "अ, ब, स" तथा "द" क में उपलब्ध है।

(4) ये परमिट मोटर वाहन अधिनियम 1939 की धारा 63 (11) से 63 (15) के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देश जारी किये हुए हैं। जिनकी प्रतिलिपि परिशिष्ट "ग" पर उपलब्ध है।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री पृथ्वीराज पटेल, भूतपूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा के निधन पर शोकाभिव्यक्ति

श्री अध्यक्ष: शोकाभिव्यक्ति, भूतपूर्व सदस्य, श्री पृथ्वीराज पटेल के निधन पर।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि सदन के भूतपूर्व सदस्य, श्री पृथ्वीराज पटेल का निधन 1-4-84 को हो गया।

श्री पृथ्वीराज का जन्म एकादशी शनिवार माघ शीर्ष संवत्, 1960 में ग्राम बामनवास जिला सवाई माधोपुर में हुआ। आप द्वितीय एवं चतुर्थ विधान सभा में क्रमशः गंगापुर से निर्दलीय और बामनवास से स्वतंत्र पार्टी से निर्वाचित हुए।

श्री पृथ्वीराज जी धन्धे से खेती का काम करते थे और बहुत ही व्यावहारिक बुद्धि के व्यक्ति थे। श्री पृथ्वीराज 1947 से 1957 तक बामनवास के सरपंच रहे तथा 1965 से 1967 तक पंचायत समिति बामनवास के प्रधान रहे। आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सवाई माधोपुर के सदस्य रहे।

अध्यक्ष महोदय, मुझे भी जब वे इस विधान सभा के सदस्य थे, उनके साथ रहने का अवसर मिला है। श्री पृथ्वीराज पटेल बहुत ही सरल स्वभाव के और ठेठ ग्रास रूट के व्यक्ति थे। वे किसानों की समस्याओं से बहुत परिचित थे और यहां जब-जब भी बोलते थे तो क्षेत्र की जो मौलिक समस्याएं हैं उनके बारे में अपनी भाषा में अपने विचार प्रकट किया करते थे।

आज उनके निधन से हम सब को दुःख हुआ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्मा को स्वर्ग में शांति प्रदान

60

(श्री शिवचरण माथुर)

करे तथा उनके दुःखी परिवार को दुःख सहने की शक्ति प्रदान करे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं अपने आपको उसमें सम्मिलित करते हुए मृत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवार को उनके अभाव के कारण जो दुःख हुआ है उस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, श्री पृथ्वीराज पटेल, जो कि बामनवास से इस विधान सभा के सदस्य थे चतुर्थ विधान सभा में, के निधन से हमें बड़ा दुःख हुआ है।

भगवान् उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मैं जनता पार्टी की ओर से अपने को इस सदन की भावनाओं के साथ सम्मिलित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुःख को झेलने की शक्ति प्रदान करे।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, श्री पृथ्वीराज पटेल के निधन पर सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव रखा है उसमें मैं अपने आपको और अपने दल को सम्मिलित करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवार को इस कष्ट को बर्दाश्त करने की शक्ति दे।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव रखा और विभिन्न दलों के नेताओं ने जो शोक में सम्मिलित होते हुए विचार व्यक्त किये, मैं भी अपने आपको अपनी पार्टी की ओर से इसमें सम्मिलित करता हूं।

श्री पृथ्वीराज पटेल के निधन से किसानों को बहुत बड़ी हानि हुई है। जो गरीब तबके से आता है वह हमेशा गरीबों की पैरवी यहां करते हैं और गरीबों की समस्याओं को हल कराने में कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति का इस समय उठ जाना किसानों के लिये भारी नुकसान है।

मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव रखा है उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करता हूं। पृथ्वीराज जी पटेल का निधन हुआ है उससे किसानों को, किसान वर्ग को हानि हुई है।

जो शोक सन्तप्त हैं उनके प्रति मैं संवेदना जाहिर करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता महोदय, विपक्ष के नेता महोदय और अन्य दल के नेताओं ने जो शोकाभिव्यक्ति की है उसमें मैं अपने आप को सम्मिलित करता हूं।

श्री पृथ्वीराज जी पटेल मेरे साथ दो

(श्री अध्यक्ष)

बार इस विधान सभा के सदस्य रहे। श्री पृथ्वीराज जी ठेठ ग्रामीण और ग्रामीणों की पुरानी पीढ़ी, जिनको गांव में पंच लोग कहा करते हैं, के व्यक्ति थे। हमारे देश के ग्रामीणों के जो परम्परागत पंच होते थे, बड़े सुलझे हुए, सूझबूझ वाले होते थे। उनकी ग्रामों के विकास में रुचि रहती है। उस पीढ़ी के लोग जब कभी कोई अच्छा कार्य सरकार की तरफ से किया जाता है तो उसकी बड़ी सराहना किया करते थे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ग्रामीण समाज की जो पुरानी पीढ़ी है, उसका जबरदस्त समर्थन रहा है जनतंत्रवाद को और इसकी सफलता में भी इस पीढ़ी का बड़ा हाथ रहा है।

श्री पृथ्वीराजजी ने काफी उम्र पायी। हम सबके लिये यह दुःख की बात है कि वह आज हमारे बीच नहीं हैं।

मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस महान दुःख को झेलने की शक्ति दे।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने स्थान पर खड़े होकर मौन श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की।)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

तामील हेतु अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा को अपर मुन्सिफ और न्यायिक मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित अभियुक्त गिरफ्तारी वारण्ट

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से इस सदन का ध्यान ऐसे गंभीर मसले की ओर दिलाने के लिये यह विशेषाधिकार का प्रस्ताव मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। यह विशेषाधिकार का प्रश्न इस बात से उत्पन्न हो रहा है कि अपर मुन्सिफ और न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम नं –1, भीलवाड़ा ने एक वारण्ट गिरफ्तारी अभियुक्त जारी किया है। यह मुकदमा नं. 882 सरकार बनाम मूलचन्द नेमीचन्द वगैरह बनाम श्री बिहारी लाल पारीक, एजेन्ट आनर माण्डल, विधायक, जिला भीलवाड़ा है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मजिस्ट्रेट वारण्ट जारी करे, किसी को आपत्ति नहीं है लेकिन इस वारण्ट के ऊपर लिखा है "Most urgent" और नीचे मजिस्ट्रेट महोदय ने लिखा है, "तामील हेतु स्पीकर, विधान सभा को भेजा जाये। वारण्ट की तामील खास तौर से करा कर भिजवावें।" अध्यक्ष महोदय, आप भी वारण्ट की तामील कराने वाले अधिकारी बन गये। कल इस सदन में एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि पुलिस वालों के पास बहुत काम है।

(62)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ज्यादा कान्स्टेबलरी इस काम में आती है कि वारण्ट और सम्मन की तामील करवावें। मुझे ऐसा लगता है कि इस भावना से प्रेरित होकर कान्स्टेबलरी का भार हल्का करने के लिये आपके ऊपर भार डाला गया है।

अध्यक्ष महोदय, इसमें मुझे दो आपत्तियां हैं। पहली आपत्ति तो यह है कि मामूली शिष्टाचार भी नहीं है, अध्यक्ष महोदय को किस प्रकार से एड्रेस किया जाय। लिखा है "तामील हेतु स्पीकर, विधान सभा को" जैसे लिखते हैं तामील हेतु एस. एच. ओ. कोतवाली जयपुर उसी प्रकार "स्पीकर विधान सभा को" लिखा गया है। अगर स्पीकर लिखना है, हिन्दी में लिखना है, तो "अध्यक्ष महोदय" लिखना पड़ेगा, अंग्रेजी में लिखना है तो "The speker" लिखना होगा। लेकिन यह दोनों बातें नहीं लिखी गयी हैं। 'The speaker' या 'माननीय अध्यक्ष' या 'माननीय स्पीकर' कुछ भी लिखते लेकिन इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया। जो साधारण शिष्टाचार के नाते अध्यक्ष को एड्रेस करने का है, उस शिष्टाचार का निर्वहन भी नहीं किया गया है।

दूसरा प्रश्न आता है कि उन्होंने अध्यक्ष महोदय को तामील करने वाला व्यक्ति किस प्रकार से मान लिया। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया और अब तक की व्यवस्थाओं के अनुसार केवल दो ही बार, अगर कोई विधायक गिरफ्तार होता है, या विधायक की रिहाई होती है तो चाहे पुलिस गिरफ्तार करे तो पुलिस सूचना देती है और मजिस्ट्रेट के वारण्ट से गिरफ्तारी या उसकी रिहाई करते हैं तो मजिस्ट्रेट उसकी सूचना देता है और अगर विधान सभा की परिसीमा में यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ वारण्ट की तामील करानी है या गिरफ्तार किया जाना है तो अध्यक्ष महोदय की पूर्व अनुमति ली जाती है। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, किसी प्रकार की जिम्मेदारी इस बीच में नहीं आती है। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में रूल्स की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहला प्रश्न आता है कि सदन की परिसीमाएं क्या हैं। इस सम्बन्ध में रूल्स में व्यवस्था दी हुई है कि सदन की परिसीमा से तात्पर्य उसमें सम्मिलित होगा मुख्य विधान सभा भवन, उपभवन, विधान सभा का सूचना कार्यालय जो जलेबी चौक में स्थित है, तथा ऐसे स्थान जो समय समय पर अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्दिष्ट किये जायेंगे। इसका मतलब कि इस सीमा में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो आपको पूर्व सूचना देकर अनुमति प्राप्त करनी होगी। बाकी अध्यक्ष कहीं भी पिक्चर में नहीं आता है। अब दूसरी जगह अध्यक्ष महोदय पिक्चर में आते हैं वह है रूल 168, इसमें लिखा है :

Service of legal process : Legal Process, civil or criminal, shal not be served within the precincts of the House without obtaining permission of the Speaker."

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कोई किसी प्रकार व्यवस्था नहीं है। सदन का ध्यान आकर्षित

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करने के लिये इस सम्बन्ध में जैसा मैंने कहा, कई प्रकार की व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, मैं Practice and procedure of Parliament by M. L. Kaul and Shakdhar के पेज नं 203 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस पेज पर लिखा है :

"**Immunity from service of legal process and arrest within the precincts of the House**: No arrest can be made within the precincts of the House nor a legal process, civil or criminal, served without obtaining permission of the Speaker, and this permission is necessary whether the House is in session or not."

Precincts of the House have been defined in the rules.

आगे चल रहा हूं, अध्यक्ष महोदय,

The prohibition against making arrest, without obtaining the permission of the Speaker, from the precincts of the House is applicable only to the members of the Assembly. I do not think it is possible, nor is it desirable, to extend this privilege to persons other than the members since it would have the effect of putting unnecsesary restrictions and impediments in the due process of law."

लेकिन इस चीज की, खास तौर से जो प्रश्न मैंने उठाया है उस सम्बन्ध में पूरी व्यवस्था है पेज 204 पर, यदि आप देखेंगे तो लिखा है– "The Goverment of India have issued instructions to the authorities concerned to the effect that the courts of law should not seek to serve a legal process, civil or criminal, on Members of Parliament through the Speaker or the Secretariat."

क्लियर कट इन्स्ट्रक्शन है, क्लियर कट व्यवस्थाएं हैं कि अध्यक्ष महोदय के थ्रू या विधान सभा के सचिवालय के थ्रू यह इस प्रकार की प्रोसेसिंग नहीं होगी और न इस प्रकार का सम्मन तामील होगा।

"The appropriate procedure is for the summons to be served direct on the members concerned outside the precincts of Parliament, i. e. at their residence or some other place."

आगे भी, अध्यक्ष महोदय, यह है,

"Instructions have also been issued by the Government of India to the Police and other authorities concerned through the State Goverments and administrations to the effect that requests for seeking the permission of the Speaker to make

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

arrests within the precincts of the House should not be made by the authorities concerned as a matter of routine. Such request should be confined only to urgent cases where the matter cannot wait till the House adjourns for the day. The request in each case should be signed by an officer not below the rank of a Deputy Inspector General of Police and should state the reasons why arrest within the precincts of the House is necessary."

इसका मतलब साफ है कि अध्यक्ष के माध्यम से या विधान सभा के सचिवालय के माध्यम से कोई भी इस प्रकार के सम्मन या वारन्ट की तामील नहीं करायी जा सकती। जैसा कौल और शकधर की किताब में उल्लेख आया है, उस उल्लेख के हिसाब से राजस्थान सरकार की ओर से पुलिस और ऐसी अथोरिटी, जो सम्मन या वारन्ट इश्यू करता है, ने जो इस सम्बन्ध में पूरे इन्स्ट्रक्शन दिये हुए हैं। उन इन्स्ट्रक्शन की तामील नहीं की, उनकी अवहेलना की।

इसके अतिरिक्त एक बहुत गम्भीर प्रश्न उठाया जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट ने वारन्ट इश्यू कर दिया और आपसे कहा, अति शीघ्र इसकी तामील करायें। यदि आप तामील नहीं करायेंगे तो क्या होगा? क्या मजिस्ट्रेट का आप अपमान नहीं करेंगे? क्या कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दावा नहीं होगा? क्या कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दावा दर्ज करके आपको सम्मन नहीं किया जा सकता है? क्या आपको सम्मन करने का मतलब इस विधान सभा का अपमान नहीं होगा? तो यह मामला केवल यहीं तक नहीं है कि मजिस्ट्रेट ने एक वारन्ट इश्यू कर दिया और आपके नाम पर तामील करवाने का आदेश दे दिया। मैं यह समझता हूं कि इस मामले की गहराई में जायें तो आदेश की अवहेलना करने के ऊपर अध्यक्ष को कोर्ट में सम्मन करने के लिए सम्मन इश्यू किया जा सकता है। यदि आप सम्मन की तामील नहीं करायेंगे, तो आपके खिलाफ कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट का दावा किया जा सकता है। इसलिए यह मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, सदन का तो अपमान हुआ है, अध्यक्ष की गरिमा इस सदन की गरिमा है, अध्यक्ष के सम्बन्ध में कोई मजिस्ट्रेट किसी प्रकार का लैटर एक डिग्नीफाइड लैंग्वेज में एड्रेस नहीं करे तो यह सदन का अपमान है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने जो विशेषाधिकार हनन का प्रश्न प्रस्तुत किया है, उस मजिस्ट्रेट को सम्मन किया जाकर इस सदन की बार में बुलाया जाय और उससे पूछा जाय कि क्या मजिस्ट्रेट इस बात से अनभिज्ञ है कि अध्यक्ष के मार्फत सम्मन या वारन्ट की तामील नहीं होती क्या उनको राजस्थान सरकार के ऐसे निर्देश नहीं मिले हुए हैं क्या निर्देश मिलने के बावजूद भी उन्होंने उसकी अवहेलना की है। क्लियर कट लैंग्वेज में क्लियर कट मन्शा से सदन का अपमान किया, सदन के अध्यक्ष की गरिमा को घटाया। मैं चाहूंगा कि मेरा विशेषाधिकार हनन का प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, कोई डिबेटेबल इश्यू नहीं है, इसमें कोई डिबेट की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आवश्यकता नहीं है. यह क्लियर कट मैटर है। मजिस्ट्रेट को पता लग जाय कि सदन की गरिमा क्या होती है और मजिस्ट्रेट क्या है, इसलिये उन मजिस्ट्रेट साहब को सम्मन किया जाकर सदन की बार में खड़ा किया जाय और यहां उनसे जानकारी की जाय कि एक मजिस्ट्रेट की विधान सभा के अध्यक्ष का अपमान करने की यह औकात किस तरह से पैदा हो गयी।

यह प्रश्न आज कल, अध्यक्ष महोदय, सारी विधान सभाओं में चल रहा है. जुडिशियरी और लेजिस्लेचर बीच के में कुछ लोग डेलीब्रेटली कन्फ्रन्टेशन कराने की बात कर रहे हैं। हो सकता है, निश्चित ही डेलीब्रेट हो। इसलिए मैं चाहूंगा इसको टेक अप किया जाय। इस पर कोई डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी पक्ष भी, मैं समझता हूं, इन बातों को स्वीकार करेगा कि मजिस्ट्रेट को सदन की बार में सम्मन किया जाय।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने भीलवाड़ा के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस सदन के एक सदस्य के खिलाफ वारन्ट इश्यू करने की जो प्रक्रिया अपनाई है और जो पहले फैक्ट आपने अभी बताये है उसमें मेरी और किसी की भी पहली प्रतिक्रिया यह हो सकती है कि उन्होंने एक साधारण शिष्टाचार का निर्वहन नहीं किया। अभी तो मेरे पास कोई डिटेल नहीं हैं। मैं समझता हूं कि अध्यक्ष की गरिमा पूरे सदन की गरिमा है। प्रत्येक सदस्य की गरिमा इस सदन की गरिमा है। इसलिए इस पर चिन्तन किया जाय, विचार किया जाय और इसके फैक्ट्स को देख कर इस पर कोई निर्णय लिया जाय। मेरी पहली प्रतिक्रिया यह है कि साधारण शिष्टाचार का निर्वहन करना चाहिए, वह नहीं किया गया है। यह बहुत गम्भीर स्थिति है। यह जानकारी मैं भी कराऊंगा और आप भी इसको देख कर कोई निर्णय लें, यही मेरा निवेदन है।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा): यह बहुत गम्भीर मसला है। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा डिबेट नहीं करके···

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़: डिबेट नहीं कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। मैं भी अपना एक दृष्टिकोण रखता हूं इसलिए आप मुझे बोलने से रोकेंगे नहीं।

अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चूंकि यहां देखा गया है कि छोटा-सा···

श्री अध्यक्ष: लम्बी चर्चा नहीं होगी।

श्री मेघराज तावड़: इतनी बड़ी गलती मजिस्ट्रेट करता है, इस पर गम्भीरता से चिन्तन किया जाना चाहिए कि आम लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा सकता है। इस सदन को भी नहीं छोड़ा है इसलिए उनको बुलाया जाना चाहिए।

श्री सी.पी. जोशी: (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन यह था···

श्री अध्यक्ष: सदन के नेता महोदय ने अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं।

श्री सी. पी. जोशी : मेरा निवेदन यह था, यह बात सही है कि सदन के विपक्ष के नेताजी ने यह बात रखी लेकिन यह प्रश्न पर्टेन करता है सदन से। क्योंकि यह अध्यक्ष की, चेयर की फंक्शनरी पवार का प्रश्न है मैं चाहूंगा कि व्यवस्था देने से पूर्व सदन इस बात पर डिस्कश करें कि इसमें क्या होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इतनी जल्दी तीव्र गति से अपना निर्णय नहीं करें। मेरा आपसे निवेदन है कि इस संबंध में सदन में सदस्यों को चर्चा करने का अवसर दिया जाय। सदन जो महसूस करता है उस आधार को मान कर सम्बन्धित अधिकारियों के बारे में कुछ कहे। इस सम्बन्ध में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न इसलिए भी गम्भीर है, जैसा माननीय भैरोंसिंह शेखावत ने कोट किया शकधर और कोल को, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ने अथोरिटीज को डायरेक्ट भी कर रखा है। मैं समझता हूं, यह एक उदाहरण है। उन अथोरिटीज को मालूम नहीं कि किस तरह का प्रोसिजर अडाप्ट किया जाना चाहिए। हो सकता है कि इस तरह की जितनी अथोरिटीज को डायरेक्ट करना है, जो नये आदमी रिक्रूट हो रहे हैं उन पोस्टों पर, उनको शायद मालूम नहीं हो कि समय-समय पर गवर्नमेन्ट ने इन्सट्रक्शन दिये हैं। इसलिए इस अवसर का लाभ उठाते हुए यह भी आवश्यक है कि जिन-जिन अधिकारियों को जिस तरह के इन्सट्रक्शस आज दिन तक गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया के द्वारा इश्यू किए गए हैं, उन उन अधिकारियों की यदि जानकारी में नहीं हैं तो उनको भी इन्सट्रक्शस दिये जायं जिससे भविष्य में इस तरह की स्थिति नहीं हो।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, एक...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : Ignorance of law is not excusable.

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि भावना यह रही है और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 1950-55 में गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ने कोई इन्सट्रक्शंस इश्यू किये हैं। इन्सट्रक्शस इश्यू करने के बाद यदि उसका एक सिस्टम यहां पर नहीं हो तो जो नये आदमी हैं उनको मालूम नहीं हो सकता है। इसलिए मैं यह बात, माननीय अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : 1955 में बना है एक संविधान से उसकी हत्या नहीं की जाय...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जायं। माननीय सदस्य, बिराजें।

यह जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आया है, इसका सम्बन्ध किसी न्यायालय के न्यायाधिकारी से है। इसमें सभी दृष्टियों से विचार करना होगा, ठण्डे दिल से विचार करना होगा। इसलिए मैं अपने विनिश्चय को वर्तमान में सुरक्षित रखता हूं।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट······

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले का सम्बन्ध सीधा आसन से है और आसन सदस्यों की भावना नहीं······

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। माननीय सदस्य, मैं आपकी भावना को समझता हूं। आर्डर-प्लीज।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : आसन का अपमान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तुरन्त निर्णय लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जल्दबाजी में निर्णय स्थगित मत करिये। मेरा निवेदन यह है कि जो वारन्ट है वह तो आपको मिल ही गया है उसमें कुछ लिखा है। जैसा माननीय मुख्य मन्त्रीजी कह रहे थे, मैंने उसको देखा नहीं है, वह तो आपके सदन में है। माननीय विपक्ष के नेता ने पढ़ा है। उसमें तो कुछ भी जांच हो। वारन्ट तो आपको मिला ही है।

श्री अध्यक्ष : एक प्रक्रिया बनायी जाय, इस पर विचार किया जाय।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह सम्मन सर्व करने का जो आज तरीका है, सी आर.पी.सी. में लिखा हुआ है, अब उसका वह इग्नोरेंट है या नहीं, यह बात इसलिए आती है···

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मन्त्री, ग्रह) : Ignorance af law is not excusable.

श्री भंवरलाल शर्मा : Yes, I agree. मैंने तो यह निवेदन किया कि जो सम्मन इश्यू किया जाता है, सीआर.पी.सी. के प्रोविजन हैं कि वारन्ट किस को इश्यू करेंगे, सम्मन किस के इश्यू करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आसन के ध्यान में है। इसमें सबका अध्ययन करना पड़ेगा। जो भी निर्णय होगा वह आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दूंगा। इस पर अब चर्चा नहीं होगी। जल्दी से जल्दी करूंगा। मैंने निवेदन किया।

श्री माणकमल मेहता (पाली) : पुलिस के आफिसर के अलावा वारन्ट डायरेक्ट नहीं हो सकता।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं पूरा कर लूं।

श्री अध्यक्ष : जितने पक्ष हैं, उन सब पक्षों को सुनकर, देखकर उसके बाद ही निर्णय दिया जायेगा। माननीय सदस्य, नेताओं का विश्वास मैं लूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : मुझे पूरा करने दें।

श्री अध्यक्ष: हो गया। यदि प्रस्ताव की अनुमति दे दी जायेगी, तो कौनसी प्रक्रिया

68

(श्री अध्यक्ष)

इसमें आ जायेगी, इसमें आगे क्या कार्यवाही की जायेगी, यह मैं बाद में आपको बता दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : I will throw light on......

श्री प्रद्युम्न सिंह : मालूम है।

श्री भंवरलाल शर्मा : किसको मालूम है ?

श्री अध्यक्ष : आपको भी उपयुक्त अवसर पर समय देंगे, बोलने का अवसर दिया जायेगा।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं इसको एक बार पढ़ देता हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : Hon'ble Speaker is of the opinion that........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने इस प्रस्ताव पर अपना विनिश्चय सुरक्षित रखा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : इतना बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कानून की प्रक्रिया का ज्ञान है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप कानून को जानते हैं, हमारी यह मान्यता है। तो फिर डिले किस बात की है ? उन्हें अभी तो सम्मन करना है। उनका जवाब आयेगा फिर···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। जल्दी से जल्दी, मैंने निवेदन किया, सभी पक्षों को विश्वास में लेकर······

श्री भंवरलाल शर्मा : जल्दी से जल्दी आज ही दे दें।

अनेक माननीय सदस्य : आज ही।

श्री अध्यक्ष : आज ही। आज ही बात करेंगे। ऑर्डर प्लीज।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बीच में मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, ब्रीच आफ प्रिविलेज को डिस्पोज ऑफ करने का तरीका रूल्स में दिया गया है, उस तरीके का उल्लंघन न हो जाये। नहीं तो दूसरा वारंट इश्यू करना पड़ेगा। इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि एक ही वारन्ट से परेशान हैं, दूसरे की नोबत नहीं आनी चाहिए। इसमें साफ लिखा है, आपके अधिकारों में कोई चीज छोड़ी ही नहीं है। आपके अधिकार में यह है;

"Provided further that the Speaker may, if he is satisfied about the urgency of the matter, allow a question of privilege to be raised at any time during the course of sitting after the disposal of questions."

इसमें आपने अलाऊ कर दिया, उसके बाद का प्रोसिजर कम्पलीट करके आप विनिश्चय कर लें। इसमें यह है कि :

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

"If objection to leave being granted is taken, the Speaker shall request those members, who are in favour of leave being granted, to rise in their places, and if not less than 10 members rise accordingly, the Speaker shall declare that the leave is granted."

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । शान्त रहें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : If less than 10 members rise, the Speaker shall inform the members that he has not the leave of the House."

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव किया है, क्या इसमें हाउस की राय है ? अनुमति है या नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : अनुमति है । लेकिन आगे क्या प्रक्रिया अपनायी जायेगी···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह अलग बात है । अनुमति है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : अनुमति मैंने दी है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने दी । आपकी अनुमति में और हाउस की अनुमति में फर्क है ।

श्री अध्यक्ष : वह मैंने निवेदन कर दिया······

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की । मैंने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रख दिया । अब बात यह है कि इस सदन की अनुमति है या नहीं । इसमें दो बातें होती हैं, यदि कोई आब्जेक्शन रेज करे तो······

श्री अध्यक्ष : आब्जेक्शन नहीं किया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आब्जेक्शन नहीं किया । तो मैं यह निवेदन करूं कि हाउस की इसमें लीव है, स्वीकृति है विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की । माननीय मुख्य मन्त्रीजी स्पष्ट कर दें ।

श्री अध्यक्ष : इसमें स्पष्टीकरण क्या देना ? इसमें कुछ नहीं करना है । प्रस्तुत हो गया । अब प्रक्रिया कौन-सी अपनायी जाय···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Whether it has obtasined the leave of the House, whether the motion moved by me has obtained the leave of the House.

श्री अध्यक्ष : No objection has been raised against the moving of this motion. So automatically it is presumed that it has been moved.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : It hass been allowed, not moved. It has been moved.

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान नर्सिंग एसोसियशन द्वारा आगामी 12 अप्रेल से आन्दोलन किये जाने के विषय में,

(2) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले में बोदरी-माता नामक बीमारी के प्रकोप के विषय में,

(2) श्री मेघराज तावड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर जिले की केलवा तहसील में किले में मारबल के पत्थर की अवैध कटाई के विषय में,

(4) श्री चुन्नीलाल जेलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से खण्डार तहसील में ग्राम-बहरावन्डा कलां से बालेट तक बनाई गई सड़क में किसानों को जमीन का मुआवजा न देने के विषय में,

(5) श्री हंसराज शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति, सवाई माधोपुर की ग्राम पंचायत जोला में सहायक अभियन्ता द्वारा एक फर्जी भुगतान करने के विषय में,

(6) श्री बालचन्द्र आर्यवीर व श्री अनंगकुमार जैन, सदस्य विधान सभा, की ओर से झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बे में चोरियों की बढ़ती हुई घटनाओं के विषय में,

(7) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम पंचायत मोंग्यावास, जिला जयपुर के सरपंच द्वारा की जा रही अनियमित कार्यवाही के विषय में,

(8) श्री समर्थलाल, सदस्य, विधान सभा, की ओर से गत 21 मार्च को श्री रोशन लाल पुत्र श्री सम्पत राम यादव की ग्राम बीसली, थाना कठूमर, जिला अलवर, में हत्या करने के विषय में,

(9) श्री भंवरलाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 9 अप्रेल को कोरम न होते हुए भी जोधपुर नगर परिषद् द्वारा वर्ष 1984-85 का बजट पास करने के विषय में,

(10) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा, की ओर से जयपुर नगर परिषद् द्वारा पकड़े गये आवारा पशुओं को पशु मालिकों को न लौटाकर कसाइयों को बेच देने के विषय में ।

(श्री अध्यक्ष)

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री देवीसिंह भाटी : राजस्थान मुख्य नहर के दोनों तरफ जल रिसाव होने से जमीनों को क्षति।

सरकार ने सूचित किया है कि जल रिसाव से भूमि को विशेष क्षति नहीं हुई है क्योंकि सम्बन्धित क्षेत्रों में या तो फसल बोई नहीं जाती या बोने की सम्भावना नहीं है और कुछ स्थानों पर फसल काटी जा चुकी थी। फिर भी जहां क्षति हुई है वहां मुआवजा देने की कार्यवाही की जायेगी।

(2) श्री हंसराज शर्मा व चुन्नीलाल जेलिया : जयपुर उद्योग में कार्यरत एक विधवा हरिजन महिला को नौकरी से अलग करना।

सरकार ने सूचित किया है कि इस मामले की जांच करवाई जा रही है और जांच के बाद वास्तविकता एवं कानून के अनुसार निर्णय लिया जायेगा।

(3) श्री मेघराज तावड़ : श्री माणक चन्द मोदी, भूतपूर्व निदेशक, बीमा विभाग के विरुद्ध आरोपों का

सरकार ने सूचित किया है कि नवीन तथ्यों की जानकारी होने से पूर्व में अभियोजन स्वीकृत न करने के मामलों का पुन: परीक्षण किया जा रहा है और मामले राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(4) श्री हीरालाल आर्य : बूंदी जिले में पत्थर की खानों पर कार्य करने वाले श्रमिकों का शोषण।

सरकार ने सूचित किया है कि केन्द्रीय श्रम विभाग तथा सहायक श्रम आयुक्त द्वारा समय, समय पर निरीक्षण किया जाता है और नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही न्यायालय आदि में विचाराधीन है।

(5) श्रीमती उजला अरोड़ा : शास्त्री नगर स्थित शोपिंग सैन्टर में शराब का ठेका।

सरकार ने सूचित किया है कि पहले जहां दुकान चलती थी वहां अब कोई दुकान नहीं है और शराब की बिक्री पूर्णतया बन्द कर दी गई है।

(6) श्री जीतमल जैन : अलवर में भगतसिंह के चौराहे पर शराब की दुकान का होना।

सरकार ने सूचित किया है कि इस दुकान पर सीलबन्द शराब की बिक्री की जाती है और किसी प्रकार की अनियमित कार्यवाही

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री कैलाश मेघवाल : बालोतरा कस्बे में रंगाई-छपाई के कारखानों से जल प्रदूषण।

सरकार ने सूचित किया है कि सम्बन्धित अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मण्डल द्वारा कार्यवाही की गई है और कुछ में मुकदमे दायर किये गये हैं। भविष्य में अनापत्ति-पत्र जारी करने पर अंकुश लगा दिया गया है।

अत: मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री देवीसिंह भाटी !

व्यवस्था का प्रश्न
अनुपस्थित सदस्य के स्थगन प्रस्ताव पर विनिश्चय के बाद दूसरे दिन चर्चा का अधिकार

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पाइंट आफ ऑर्डर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जो स्थगन प्रस्ताव देते हैं उन पर जो व्यवस्था होती है, कुछ पर उसी समय निर्णय कर देते हैं, कुछ को जानकारी के लिये भेज देते हैं। जानकारी आने पर विनिश्चय करते हैं, इसमें तीन-चार दिन का समय लग जाता है। आप जिस समय उस पर अपना विनिश्चय प्रकट करते हैं तो माननीय सदस्य को जानकारी नहीं होती है कि आज आप विनिश्चय करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में सदस्य अनुपस्थित रहते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। तो मेरा एक निवेदन है कि जिस प्रकार से आप......

श्री अध्यक्ष : समझ गया आपकी बात। यदि किसी माननीय सदस्य की अनुपस्थिति में कोई इस तरह का निर्णय दे दिया जाय और यदि उनका प्रश्न अथवा प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण हो तो वह मुझसे अलग मिलने का कष्ट करें। दूसरे दिन मैं दो मिनट का समय दे दूंगा, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा सुझाव यह था, माननीय अध्यक्ष महोदय......

श्री अध्यक्ष : इसमें कोई व्यवस्था आप यह चाहते हैं कि फिर सूचना दें। उस सूचना में दो दिन लगते हैं और सम्भव नहीं है। लेकिन यदि महत्वपूर्ण कोई प्रश्न हो और माननीय सदस्य की यह इच्छा हो कि उन माननीय सदस्य का प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया है, वे उस दिन अन्य कार्य में व्यस्त थे अथवा समय पर उपस्थित नहीं थे इसलिये नहीं बोल सके तो वे उसी दिन या दूसरे दिन मुझसे मिलने की कृपा किया करें, मैं उस पर विचार करके अवसर दे दूंगा। अब तो थोड़े ही दिन रहे हैं, इसलिये......

श्री भंवरलाल शर्मा : कृपया आप व्यवस्था करें, हमेशा काम आयेगी......

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर। समय की बचत करें।

श्री देवीसिंह भाटी।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : पुलिस के खिलाफ अलवर में मोहरसिंह···

श्री अध्यक्ष : उस पर भी व्यवस्था दे दी है। वक्तव्य दिला रहे हैं।

श्री त्रिलोकसिंह : सदन खत्म होने के बाद······

श्री अध्यक्ष : वक्तव्य दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : इतनी सी आपत्ति है, अध्यक्ष महोदय, आज ही व्यवस्था दी जाती है निरस्तक रने की और सरकार सूचित करती है तो जो हम स्थगन प्रस्ताव देते हैं उसके जो फैक्ट वगैरह हैं, हम हर दिन लेकर नहीं आते। इसलिये यह हमको मालूम नहीं पड़ता कि हमारा स्थगन प्रस्ताव निरस्त कब होगा······

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यदि किसी प्रस्ताव के विषय में कोई कठिनाई हो तो, मैंने जैसा निवेदन किया, आप मुझसे सम्पर्क करें। मैं आपकी शिकायत को दूर करने की कोशिश करूंगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर की मुख्य नहर की बायीं और व दायीं ओर सीपेज होकर जगह जगह पानी की झीलें बन रही हैं। उन झीलों के आस-पास, अध्यक्ष महोदय, किसानों के खेत आये हुए हैं। तो निश्चित है और जैसा राज्य सरकार ने उत्तर भिजवाया है, अगर सीपेज होकर वाटर लोगिंग हुआ है तो उसके पास किसान खेती कर नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, इनके तो नये-नये क्षेत्र बनते जा रहे हैं झील बनने के। जिस किसी ने वहां काश्त की है सीपेज का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। उसके पास में अगर किसी की ज्वार की फसल थी, किसी की बाजरे की फसल थी तो उन झीलों की वजह से वे फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव में ऐसे करीबन 35 काश्तकारों की सूची दी है। उसमें भी स्पेसिफिक सब की सूचना दी है कि कितने बीघा में ज्वार बोई हुई थी, कितने में क्या फसल थी, कितनी खराब हुई। सीपेज की वजह से खराब हुई। उसके अन्दर मैंने आर. डी. भी दर्शायी हुई है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में भी राज्य सरकार का यह उत्तर आया है कि सीपेज की वजह से कोई काश्तकार वहां पर खेती कर नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय, वहां खेती की है। अगर मौके पर जायं तो उदाहरण भी मिल जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से चाहूंगा कि यह समस्या मिटनी तो नहीं है, इसलिये राजस्थान नहर के पास जिन किसानों की, गरीबों की भूमि है उसमें जहां जहां सीपेज होकर वाटर लोगिंग हो रहा है, उनको कृपया तुरन्त मुआवजा दें अथवा भूमि के बदले में भूमि दें, कुछ तो आप फैसला करें। अध्यक्ष महोदय, कोलायत तहसील की उपनिवेशन तहसीलों में एक भी मामले में फैसला करके न तो मुआवजा दिया है, न भूमि दी है और यही स्थिति आगे जैसलमेर में होने जा रही है।

(श्री देवीसिंह भाटी)

अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को कहना चाहता हूं कि आप ऐसी स्थिति उत्पन्न न करें जिससे किसानों में असंतोष फैले। किसान आपको नम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं जब आप दौरे पर जाते हैं, जब आपके अधिकारी जाते हैं आपके कार्यालय में निवेदन किया हैं उसके उपरांत भी फैसला नहीं होता।

(12.45 म. प.)

(**श्री सूर्य कुमार**, सभापति, पदासीन)

जब आप उन किसानों की समस्या की ओर ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर किसान उद्वेलित होकर आंदोलक करेंगे। वे आन्दोलन करेंगे, धरना देंगे, घेराव करेंगे। ऐसी स्थिति आप स्वयं पैदा करते हैं। सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि किसानों की जो भी समस्याएं हैं, समय रहते उनका निदान किया जाय। अगर उनकी समस्याओं का निदान नहीं किया गया, सीपेज से जिनकी जमीन का नुकसान हुआ है या जिनके खेत खराब हुए हैं उनको मुआवजा या भूमि नहीं दी गयी तो उसके लिये सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। इस बारे में नोटिस दिया जा चुका है। ऐसे कई दावे प्रस्तुत किये हुए हैं इसलिये मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि इसके ऊपर शीघ्र निर्णय लिया जाय।

श्री सभापति : श्री हंसराज शर्मा। जयपुर उद्योग में कार्यरत एक विधवा हरिजन महिला को नौकरी से अलग करना।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : सरकार से क्या उत्तर आया है ?

श्री सभापति : सरकार ने सूचित किया है कि इस मामले की जांच करवायी जा रही है। जांच के बाद वास्तविकता एवं कानून के अनुसार निर्णय लिया जायगा।

श्री कुन्नीलाल जेलिया।

सरकार ने जांच का आदेश दे ही दिया है। इस वास्ते क्या कहना है आपको ?

श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार) : मुआवजा का है न, तहसील खण्डार में काश्तकारों को।

श्री सभापति : जांच के बाद में कानून के अनुसार कार्यवाही करने के लिये सरकार ने कह दिया है। इस बात से फिर भी···

(व्यवधान)

आप प्रतीक्षा करें।

श्री चुन्नीलाल जेलिया : दो मिनट।

श्री सभापति : फरमाइये।

श्री चुन्नीलाल जेलिया : सभापति महोदय, तहसील खण्डार से ग्वालियर तक जो 1977–78 के अंत तक रोड बनायी थी उस समय कई काश्तकारों की जमीन उस रोड के अन्दर ली गयी। रोड में जो जमीन ली गयी···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका इस पर नहीं है। आपने और माननीय श्री हंसराज शर्मा ने जयपुर उद्योग में कार्यरत एक विधवा हरिजन महिला को नौकरी से अलग करने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव

(श्री सभापति)

दिया है। इसके सम्बन्ध में नहीं है, माननीय सदस्य। आप तो विराज चुके हैं।

श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय सभापति महोदय, अफसोस तो इस बात का है कि उसमें सरकार ने कुछ नहीं कहा। आज बड़े-बड़े आई. ए. एस. और आई. पी. एस. आफिसरों की एक लाबी बनी हुई है। वह कितना भी डाका डालें, डकैती करें, घोटाले करें लेकिन सरकार बराबर उन्हें बचाती रहती है। मैं तो सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं कि सरकार ऐसे लोगों को बचा कर सहन करती जा रही है और दूसरे लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। बड़े-बड़े आई. ए. एस. और आई. पी. एस. जिस तरह के घोटाले करते हैं, जैसे उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिये एण्टी-करप्शन को दिया जाता है। जब दोष साबित हो जाता है, तो एण्टी-करप्शन वाले सरकार से यह मांगते हैं कि उनको चालान करने की अनुमति दी जाय। अनुमति देने के बजाय सरकार उसको बराबर टालती जा रही है और टालती रहेगी। मैं तो कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, ज्यादा वक्त लेने से कोई फायदा नहीं है। मानकचन्द मोदी जब बीमा विभाग में निदेशक थे, उस समय के उनके घोटाले हैं। उस विभाग में उन्होंने जो काले करनामे किये वे कारनामे सामने आये हैं। सरकार से अनुमति मांगी गयी उनका चालान पेश करने की, लेकिन उनको बचाया जा रहा है। इसी तरह से उदयपुर में हुआ। सभापति महोदय, एक आई. ए. एस. अधिकारी, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के है, ने जिस तरह से शिवा केमिकल्स का लाक अप किया उसमें वे दोषी पाये गये। उसका चालान करने की अनुमति मांगी गयी लेकिन वह नहीं दी गयी। इस तरह के कई केसेज सामने आये हैं। सभापति महोदय, मैं यह चाहूंगा कि सरकार ऐसे डकैतों को बचाने की कार्यवाही नहीं करे। उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये, सजा दिलानी चाहिये, ताकि नीचे के लोगों, छोटे लोगों पर उनका असर नहीं पड़े। बड़े-बड़े डकैतों को बचाया जाता है। जो घोटलेबाज हैं, जिनके करतब सामने आये हैं, प्रूव हो चुका कि घोटाले किये हैं, डकैती डाली है, उनको बचाया जा रहा है। यह कौन सा प्रजातन्त्र है, सभापति महोदय ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी

सरकार क्या यही चाहती है ? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जब सरकार के बड़े-बड़े लोग और मन्त्री तन ऐसे लोगों को बचाना चाहते हैं तो मैं यह आरोप लगाना चाहता हूं कि × × ×. इसलिये जनता को जागना चाहिये। ऐसे लोगों को जनता को स्वयं आगे आ करके सड़क पर रगड़ना चाहिये। मैं तो यही कहना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं राजस्थान की जनता का कि ऐसे लोगों के खिलाफ, जब सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती है तो जनता उनसे सड़क पर निपटे। यही कहना चाहता हूं, सभापति महोदय।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(76)

श्री सभापति : श्री हीरालाल आर्य ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : सभापति महोदय, बूंदी जिले की खानों में काम करने वाले मजदूर, खास तौर से बरई क्षेत्र के मजदूर, जिनकी संख्या हजारों में है, गुलामी की जिन्दगी जीने को मजदूर हो रहे हैं । यहां पर जो मजदूर काम कर रहे हैं, उन में अधिकांश खानाबदोश जाति के मजदूर हैं । उन में भील, बजारे, मीणा, सलावट और दूसरी पिछड़ी जाति के मजदूर हैं । यह मजदूर वहां पर ठेकेदारों के पास काम करते हैं । ठेकेदार इनको थोड़ी अग्रिम राशि देकर खरीद लेते हैं और फिर जिन्दगी भर इनसे काम लेते रहते हैं । यह मजदूर थोड़ा सा पैसा ले लेते हैं तो फिर चुका नहीं पाते हैं । ठेकेदार इनकी अशिक्षा और अज्ञानता का फायदा उठाकर इनको कभी पैसा चुकाने देते नहीं हैं । अधिक से अधिक पैसा उनके माध्यम से बनाते हैं और जिन्दगी भर इनसे काम लेते रहते हैं ।

सभापति महोदय, यही नहीं एक ठेकेदार दूसरे ठेकेदार को इन मजदूरों को बेच देते हैं । वहां पर भी यह लोग गुलामों की तरह काम करते हैं । यदि मजदूर थोड़ी बहुत आनाकानी करते हैं या इधर-उधर निकलने की कोशिश करते हैं तो इन मजदूरों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, इनकी पिटाई तक की जाती है, पिटाई करने के साथ इनको और दूसरी प्रताड़नायें दी जाती है । इस से इनकी जिन्दगी की हालत बड़ी खराब है । सभापति महोदय, ठेकेदारों के साथ रहकर इनका यह हाल है ।

यही नहीं, ठेकेदार इनके नाम से खदानें स्वयं खरीद लेते हैं । मजदूर तो काम करते हैं और उसका फायदा ठेकेदार एक दिन में एक हजार से लेकर 12 हजार रुपये तक का फायदा इन मजदूरों के नाम से खदानें लेकर उठा रहे हैं । सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, जो मजदूर बस्तियां हैं उनकी हालत और भी खराब है । इन मजदूरों के रहने को न तो कोई मकान है, न पहनने को कपड़े हैं····

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बीमार हो जायं तो न चिकित्सा की सुविधा है । इनके बच्चों के पढ़ने आदि की व्यवस्था भी नहीं है । इनकी हालत एक तरफ तो रहने की खराब है, दूसरी तरफ ठेकेदार इनको परेशान करते हैं । जिन्दगी भर इन मजदूरों को अपने चंगुल में इस तरह फंसाये रखते हैं कि वे गुलामी का जीवन व्यतीत करने के लिए, बंधुआ मजदूरों की तरह काम करने के लिए बाध्य हो जाते हैं । सभापति महोदय, जैसे मैंने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस बात को उठाया है, इसी प्रकार की शिकायतें कि वहां मजदूरों का जीवन किस तरह का है, बूंदी के समाचार-पत्रों में आती रही हैं । मैंने भी उस क्षेत्र का दौरा किया है, वहां मजदूरों की हालत बहुत खराब है । स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मैंने यह बात सरकार के ध्यान में लानी चाही तो····

श्री सभापति : समय का ध्यान रखें, माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए ।

श्री हीरालाल आर्य : सरकार ने जवाब दिया कि केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के श्रम विभाग के अधिकारी वहां जाते हैं । वहां न तो कोई अधिकारी जाते हैं, और

(श्री हीरालाल आर्य)

जाते भी हैं तो ठेकेदारों से मिल-मिलकर आ जाते हैं, उनका मज्दूरों के हितों से कोई सम्बन्ध नहीं है। उन्होंने मजदूरों के हितों के लिए आज तक कोई कार्यवाही की नहीं, न कोई शिकायत की। उन मजदूरों की हालत बहुत खराब है। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उन मजदूरों, जिनकी हालत बहुत खराब है, को रहने की, चिकित्सा की, शिक्षा आदि की सुविधा की कोई व्यवस्था नहीं है; उसको करें। जो ठेकेदार इनके नाम से खानें लेकर इनका शोषण कर रहे हैं, जबरन काम करने के लिए बाध्य कर रहे हैं वे इनका शोषण नहीं करें, इस प्रकार की व्यवस्था करें। यही निवेदन है।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

(व्यवधान)

श्री जीतमल जैन।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : माननीय सभापति महोदय, शराब की दुकानों के लाइसेंस देने के लिए एक सर्वमान्य नीति है कि किसी भी मंदिर या विद्यालय के आसपास इस प्रकार के लाइसेंस नहीं दिये जाने चाहिए। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा दुख है कि अलवर के अन्दर भगतसिंह के चौराहे के पास उस दुकान से करीब 10 गज की दूरी पर एक मंदिर है हनुमान जी का और सामने क्रॉस करते ही सैकण्डरी विद्यालय है, इन दोनों के बीच उस दुकान को दिया गया है। उसके बावजूद सरकार की ओर से जवाब दिया गया है स्थगन प्रस्ताव का कि किसी प्रकार का नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। मुझे कहते हुए बड़ा दुख और खेद है, वह दुकान मैंने स्वयं देखी है, रात्रि को उस दुकान पर खुले आम शराब बिकती है जिसकी नियमों के अनुसार पाबंदी है। नियमों का खुला उल्लंघन होता है। उस नियम के उल्लंघन के कारण वहां असामाजिक तत्व एकत्रित होते जाते हैं। मंदिर में आने वाली महिलाओं, जो दर्शन करने आती हैं, के साथ छेड़खानी और अभद्र व्यवहार किया जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले को तुरन्त उठायें। जिन सरकारी अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट भेजी है, उनके खिलाफ कार्यवाही करें और उस दुकान को तुरन्त वहां से हटाया जाय। वहां के नागरिकों का मेरे पास स्मरण-पत्र है जिसमें इस बात की शिकायत की गई है कि मंदिर में आने वाली महिलाओं के साथ नित्य प्रति अभद्र व्यवहार किया जाता है। स्कूल, विद्यालय के पास इस प्रकार की दुकानें नहीं होनी चाहिए। सरकार इस दुकान को शीघ्रातिशीघ्र हटाने का प्रबन्ध करे, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री कैलाश मेघवाल।

(अनुपस्थित)

आधे घंटे की चर्चा

होमियोपैथीक बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार

श्री शिवदानसिंह राठौड़, सदस्य, विधान सभा, होमियोपैथिक वार्षिक परीक्षा, 1982

(श्री सभापति)

83 विषयक तारांकित प्रश्न संख्या 313 (31) के उत्तर, जो दिनांक 26 मार्च, 1984 को दिया गया था, से उत्पन्न मुद्दों पर आधा घण्टे की चर्चा उठायेंगे।

माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें। सारी चर्चा आधे घण्टे में समाप्त की जानी है। माननीय श्री माधव सिंह दीवान और माननीय श्री सूरजपाल सिंह भी अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : हमारी तरफ का टाइम भी इनको दिया जाय।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण) : सभापति महोदय, मैं ध्यान किसका आकर्षित करूं? सम्बन्धित मन्त्री महोदय यहां मौजूद नहीं हैं। मैं निवेदन करूंगा, मैं यहां जो मुद्दे रखूंगा, किसके सामने रखूंगा? कन्सर्निंग मन्त्री महोदय हैं नहीं। वह स्वयं यहां बिराज ही नहीं रहे हैं तो किसका ध्यान आकर्षित करूं?

श्री सभापति : आप अपनी बात कहिये, आपको तो सदन का ध्यान आकर्षित करना है।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : मेरा निवेदन है कि जो कुछ मैं सदन में बातें रखूंगा उसका जवाब कौन देगा।

श्री सभापति : आपको तो ध्यान आकर्षित नहीं करना है। आपको आधे घण्टे की चर्चा आरम्भ करनी है इसलिए आधे घण्टे की चर्चा आप आरम्भ कीजिए। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं है यह।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : मैं जो मुद्दे रखूंगा वह मुद्दे ऐसे हैं जो होम्योपैथिक बोर्ड को इफेक्ट करते हैं, सारी शिक्षा पद्धति को इफेक्ट करते हैं। इसके लिए सरकार में कौन ध्यान रखेगा? जो टैक्निकल बातें मैं रखूंगा, दूसरे मन्त्री महोदय से उनका कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए मेरा तो यही निवेदन है कि मन्त्री महोदय पधार जायं उस वक्त मैं पेश कर दूं।

श्री सभापति : नहीं, माननीय सदस्य, आप अपनी बात अर्ज करिये। यहां पर मन्त्री परिषद के दो माननीय सदस्य बिराज रहे हैं।

(व्यवधान)

आप बिराजें कृपया।

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, कृपया व्यवस्था की—

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : जिन माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करेंगे वह नहीं हैं तो कोई मतलब नहीं आधे घण्टे की चर्चा का।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजें, माननीय सदस्य। बिराजें, माननीय श्री हीरालाल

(श्री सभापति)

आर्य, आप बिराजें। व्यवस्था मुझे देनी है इसलिए आप विराज जाइये।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : इसकी व्यवस्था कैसे होगी ?

श्री सभापति : माननीय श्री बालचन्द आर्यवीर, आप बिराज जाइये। आप अनावश्यक रूप से समय मत लीजिये।

माननीय सदस्य, आपको आधे घंटे की चर्चा सदन में उठाने का आसन ने अवसर दिया है। मन्त्री परिषद के माननीय सदस्य-गण यहां विराज रहे हैं। जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे, आप उठायेंगे उनको मन्त्रिगण नोट करेंगे, उसका जवाब वह देंगे। आप अपनी चर्चा आरम्भ कीजिए।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : सभापति महोदय, बिलकुल गलत परम्परा होगी। यह तो परम्परा होती है। जिस मन्त्री का है उन मन्त्री महोदय को आप ताड़ना दीजिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें, आप अनावश्यक रूप से क्यों समय ले रहे हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इनको होश नहीं है। × × ×

श्री सभापति : विराजें, कृपया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री सभापति : माननीय श्री शिवदान सिंह।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मैं राजस्थान होमियोपैथिक बोर्ड में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, शैक्षणिक स्तर में जो गिरावट आ रही है, जो नियमों के विपरीत कार्य हो रहे हैं, जो धांधलियां हो रही हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने इस सम्बन्ध में प्रश्न दिया था उसमें भी राज्य सरकार ने सारी बातों का उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। जब से इस होमियोपैथिक बोर्ड में राजवंशी नाम के व्यक्ति को चेयरमैन बनाया गया है, उसके बाद लगातार इस होमियोपैथिक बोर्ड में हजारों रुपयों का भ्रष्टाचार हो रहा है। कोई कानून कायदे नहीं माने जा रहे हैं। किसी प्रकार का न्याय नहीं हो रहा है। उन्होंने पैसे खाने की, भ्रष्टाचार करने की एक दुकान खोल रखी है। राजवंशी महोदय, जो इस बोर्ड के चेयरमैन हैं, इस होमियोपैथिक पद्धति का अलिफ, बे पे भी नहीं जानते।

श्री सभापति : माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं।

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खराची) : सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह था कि आज तक यह परम्परा रही है कि यदि

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरू सिंह गुर्जर)

किसी अधिकारी पर आरोप लगाये जायं तो लिखित में उसकी परमिशन ली जाती है। क्या माननीय सदस्य ने श्री राजवंशी के खिलाफ आरोप लगाने से पहले इसकी लिखित में सूचना दी है ?

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर-पश्चिम) : हाउस में ऐसे झगड़े करते शर्म आनी चाहिए। हाउस को गंदा कर दिया। आपको शर्म आनी चाहिए। घर का झगड़ा यहां करते हो। ओथ लेते हो, शपथ खाते हो। शर्म आनी चाहिए। आप बचा रहे हैं एक दल के होकर। झगड़े घरों में करो, गलियों में करो। यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : मैंने पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है।

श्री सभापति : माननीय श्री शास्त्रीजी, आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं ?

श्री भगवानदास शास्त्री : तीसरी बार हुआ है यह। यह अखबारों में भी आता है।

श्री सभापति : माननीय श्री शास्त्री, आप बिराजिये।

श्री भगवानदास शास्त्री : आप उनको ताड़ना नहीं दे रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवस्था का प्रश्न आसन से उपस्थित किया है।

श्री हीरालाल आर्य : इसमें समय जाता है हाउस का।

श्री सभापति : आप क्यों ले रहे हैं समय ?

(व्यवधान)

माननीय श्री महाराम चौधरी, हर विषय पर आपका खड़े होकर बोलना आवश्यक नहीं है। कृपया विराजिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : यह हमारा अधिकार है। विधान सभा के अन्दर बोलते हैं तो किसी के एहसान से नहीं बोलते।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : किसी का एहसान नहीं लेते। विधान सभा में जो बात आती है, जो हमसे सम्बन्धित होती है, जो हमें अरुचिकर लगती है, उस सम्बन्ध में हमको बोलने का अधिकार है। किसी का एहसान नहीं ले रहे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने नियमों की पुस्तक पढ़ी है, बिना आसन की अनुमति के आप नहीं बोल सकते हैं। आप बिना अनुमति के नहीं बोल सकते।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : पुस्तक को पढ़ा नहीं हो तो ?

श्री सभापति : पढ़ना तो आवश्यक है, माननीय सदस्य।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : सभापति महोदय, मेरे पाइन्ट आफ आर्डर की व्यवस्था का क्या हुआ ?

श्री सभापति : आपने प्रश्न उत्पन्न किया है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बिना पूर्व सूचना के आरोप नहीं लगाया जा सकता। किन्तु माननीय सदस्य ने जो चर्चा यहां उपस्थित की है आधे घण्टे की उसमें वह विशेष मुद्दे उठा रहे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे है—

श्री भैरू सिंह गुर्जर : किन्तु उन्होंने नाम लिखकर पूर्व में सूचित नहीं किया है। उसमें उन्होंने नाम लिख कर सूचित किया हो तो बोल सकते थे।

1.00 म.प.

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

(व्यवधान)

श्री सुखलाल सेंणचा (रायपुर) : जो डिस्बेंटस करते हैं उनको बाहर निकालो।

श्री गोविन्दसिंह गूजर : इनका सीट नम्बर चेंज हो गया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आधे घण्टे की चर्चा।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, होमियोपैथिक बोर्ड के जो वर्तमान चैयरमैन हैं वह केवल एक ऐसा सर्टिफिकेट लाये हैं जो 15-20 दिन में कहीं ट्रेनिंग करके इनको मिला है। आज वह उस होमियोपैथिक बोर्ड के चैयरमैन हैं जिसमें डिप्लोमा के कोर्स में उन बच्चों को साढ़े चार वर्ष तक पढ़ाई करनी पड़ती है और डिग्री के लिये 6 वर्ष तक पढ़ाई करनी पड़ती है। जो लैक्चरर्स उनको पढ़ाते हैं 6 साल तक, ऐसे विशेष विद्वान लोगों पर एक ऐसे अनाड़ी और भ्रष्ट आदमी को बैठा दिया जिसने इस सारी पैथी का सत्यानाश कर दिया, जो इस पैथी को समझते तक नहीं हैं।-नियमों तक को जानते नहीं हैं, उन्हें आज होमियोपैथिक बोर्ड का चैयरमैन बना दिया।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन्हीं राजवंशीजी को पूर्व में होमियोपैथिक बोर्ड का मैम्बर बनाया गया था, रजिस्ट्रेशन कमेटी का संयोजक मुकर्रर किया गया था और होमियोपैथिक बोर्ड में एडवाइजर बनाया गया था। जब यह रजिस्ट्रेशन कमेटी के संयोजक थे, तब इन्होंने ऐसे आदमियों का × × × रजिस्ट्रेशन कर दिया जो राजस्थान में तो क्या भारतवर्ष में ही नहीं रहते थे। विदेशों में रहने वाले लोग थे जो कभी राजस्थान में आये नहीं, हिन्दुस्तान के निवासी रहे नहीं, उन लोगों का इन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। इतना भयंकर भ्रष्टाचार किया जिस वजह से सरकार ने राजवंशी को होमियोपैथिक बोर्ड के मैम्बर पद से हटाया। होमियोपैथिक बोर्ड के यह एडवाइजर थे, उस पद से इन्हें इसलिए हटाया कि यह अनक्वालिफाइड पर्सन थे। आगे इस प्रकार की कार्यवाही हुई है इनके

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री शिवदान सिंह राठौड़)

खिलाफ में। मुझे बड़ा तअज्जुब होता है, ऐसे व्यक्ति, जिस पर इस प्रकार के चार्जेज हैं, को पुनः होमियोपैथिक बोर्ड का अध्यक्ष बनाना इस पैथी के साथ सरासर अन्याय है और बड़ा गलत काम हुआ है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन्हें जब इस बोर्ड का चैयरमैन बनाया गया तब से किस प्रकार का भ्रष्टाचार शुरू किया है। मैं कुछ उदाहरण पेश करना चाहता हूं। इन्होंने कई प्रकार की कमेटियां होमियोपैथिक बोर्ड में बना दी हैं। एक कमेटी में 11 मैम्बर हैं। 11 में से 10 मैम्बर जयपुर के हैं। उनकी सारी मीटिंग भरतपुर, अलवर और अजमेर में होती हैं। जयपुर में मीटिंग नहीं होती है। वह इसलिए नहीं होती है कि टी. ए. डी. ए. का पैसा उठावें। सरकार का पैसा खाते हैं और सरकार का पैसा बर्बाद करते हैं। इस बोर्ड खुद का कोई फण्ड नहीं है। 100 पर्सेन्ट राजस्थान सरकार का ऐडेड बोर्ड है। उस पैसे को यह बाहर मीटिंग करके बर्बाद कर रहे हैं। जयपुर के जब 10 मैम्बर हैं 11 में से, तो जयपुर में मीटिंग क्यों नहीं की जा सकती? आप देखेंगे, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, कि अमूमन 90 पर्सेंट मीटिंग इनकी भरतपुर, अलवर और अजमेर में हुई है, जयपुर में मीटिंग नहीं हुई है। टी. ए. डी. ए. का हजारों रुपया इनके द्वारा उठाया गया है।

इस प्रकार के होमियोपैथिक बोर्ड के लिये जो केन्द्रीय होमियोपैथिक परिषद् बनी हुई है उसने कुछ नियम बना दिये हैं और उन नियमों को हिन्दुस्तान भर में लागू कर दिया गया है। गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया का गजट नोटिफिकेशन हो गया है और वह मेन्डेटरी लागू है। 1983-84 से सारे भारतवर्ष में वह नियम लागू कर दिये हैं लेकिन राजस्थान का होमियोपैथिक बोर्ड उन नियमों को आज भी लागू नहीं कर रहा है। केन्द्रीय होमियोपैथिक परिषद् के जो चैयरमैन हैं, वहां के जो सैक्रेटरी हैं उन्होंने राजस्थान सरकार को, होमियोपैथिक बोर्ड को, राजस्थान सरकार के हैल्थ सैक्रेटरी को, सबको लिखा कि यह मेन्डेटरी प्रोविजन्स हैं, भारत सरकार ने यह नियम बना दिये हैं, गजट नोटिफिकेशन हो गया है, यह मेन्डेटरी नियम हैं इनको शीघ्र लागू किया जाय। फिर भी, होमियोपैथिक बोर्ड के चेयरमैन आज तक उन नियमों को लागू नहीं कर रहे हैं। उन नियमों में खास तौर से यह प्रावधान किया गया है कि जो बच्चे डिप्लोमा के लिये एडमिट किये जायेंगे उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्टर साइन्स (बायोलोजी) होगी या इसके समकक्ष उनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिये। उन बच्चों को ही एडमिशन दिया जायगा 1983-84 में। हमारे यहां होमियोपैथिक बोर्ड ने आज तक उन नियमों को लागू नहीं किया है और जो मैट्रिकुलेट हैं, सैकण्डरी हैं उन बच्चों को 200 लड़कों को × × × के इन्होंने एडमिट कर लिया और आज वह कालेजों में पढ़ रहे हैं। भरतपुर में 45 के अगेन्स्ट में 120 बच्चों को एडमिशन दिया गया है, अलवर में 45 के अगेन्स्ट में 90 बच्चों को एडमिशन

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री शिवदान सिंह राठौड़)

दिया गया है और इसी प्रकार अजमेर में दे दिया गया है। बिलकुल स्पष्ट आर्डर्स हैं, मैं थोड़ा सा पढ़कर सुनाता हूं, जा सेन्ट्रल कौंसिल आफ होमियोपैथिक ने राजस्थान को लिखा है। उसमें उन्होंने साफ लिखा है :

"These regulations have been notified in the gazette of India, which have become mandatory."

इतना साफ लिखा है। राजस्थान सरकार को लिखा है, सेक्रेटरी, हैल्थ को लिखा है, होमियोपैथिक बोर्ड को लिखा है फिर भी वह लागू नहीं हुआ है। इस वक्त इन्टर साइन्स (बायोलोजी) के जितने बच्चों को डिप्लोमा में एडमिशन देने थे उसकी जगह 200 बच्चों को इन चेयरमैन साहब ने एडमिशन दे दिये। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर उन बच्चों का क्या होगा? जो सेन्ट्रल कौंसिल आफ होमियोपैथी है वह उनको मान्यता नहीं देगी। वह इस साल पढ रहे हैं, हजारों रुपया उनका खर्च हो रहा है, डिप्लोमा मिल नहीं सकेगा। सेन्ट्रल कौंसिल आफ होमियोपैथिक किसी भी हालत में उनको रिकगनाइज नहीं करेगी। आप उनको एडमिशन दे रहे हैं जबकि बिलकुल मना कर रखा है कि उनको एडमिशन नहीं दिया जाय। आपने एडमिशन दे दिया पैसा लेकर, अब उन बच्चों के भाग्य का क्या होगा? मुझे दुःख होता है इस बात से कि क्यों उन बच्चों की जिन्दगी के साथ आज होमियोपैथी बोर्ड यह खिलवाड़ कर रहा है। यह स्थिति इसलिए है कि यह जो चेयरमैन साहब हैं, इनको न तो होमियोपैथी की कोई नालेज है. न कोई सलाह लेते हैं। केवल पैसा कमाने के लिए यह होमियोपैथी बोर्ड के चेयरमैन बने हुये हैं। मजबूर होकर सेन्ट्रल कौंसिल आफ होमियोपैथिक ने राजस्थान सरकार के चीफ मिनिस्टर को 25 फरवरी, 1984 को यह लिखा कि हमने आपके सेक्रेटरी, हैल्थ को लिखा, होमियोपैथी बोर्ड को लिखा लेकिन अभी तक आपकी सरकार होमियोपैथी बोर्ड में इन नियमों को लागू नहीं कर रही है। इन बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं हो इसलिये इन नियमों को शीघ्र लागू करवाया जाय। आज भी हमारे यह चेयरमैन साहब अड़े हुये हैं और नियमों को लागू नहीं कर रहे हैं। यह जो रूल्स सेन्ट्रल कौंसिल आफ होमियोपैथी ने बनाये हैं उसके खिलाफ बच्चे हाइ कोर्ट में गये। हाई कोर्ट ने उन रूल्स वैलिड को माना है और उनकी जो रिट थी उसको रिजेक्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में गये, सुप्रीम कोर्ट ने भी उन रूल्स को लागू मान लिया और एडमिट किया और इनकी रिट रिजेक्ट कर दी। ऐसी स्थिति में इन नियमों के रहते इन्टर साइन्स (बायोलोजी) के अलावा दूसरे किसी को एडमिशन नहीं दिया जा सकता है। तो राजस्थान होमियोपैथी बोड ने सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी के 200 बच्चों को एडमिशन देकर ××× और उन बच्चों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया है।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री शिवदान सिंह राठौड़)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के भ्रष्ट व्यक्ति को राजस्थान के होमियोपैथी बोर्ड से तुरन्त हटाया जाय और इनके सारे कारनामों की जांच की जाय।

इसके साथ में और कुछ उदाहरण हैं जो निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, एक बच्चे को....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इनको हटाये बगैर काम चलेगा नहीं।

श्री दिनेश डांगी (राज्य मंत्री, आयुर्वेद): मैं आपके कहने से किसी जनसंघी को नहीं लगाऊंगा। आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या जनसंघी जनसंघी करते हो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर, बाधा न डालें, माननीय सदस्य।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : किसको बनाओगे ? सुरेश दत्ता जैसे × × × को बना दो।

(व्यवधान)

ऐसे ही लोगों को बिठा दो।

श्री दिनेश डांगी : लेकिन आपको नहीं बनाने वाला हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप क्या बनाओगे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बाधा न डालें।

श्री दिनेश डांगी : ज्यादा × × × बोलने से कुछ नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री दिनेश डांगी : अजीब बात है।

(व्यवधान)

मैं इसका जवाब दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बाधा न डालें। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। प्रश्नकर्ता।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे सस्ती यह पैथी है

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री शिवदान सिंह राठौड़)

और गरीब को सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है. ऐसी पैथी है। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को बिठा कर इस पैथी का सत्यानाश कर रहे हैं। उन गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। दो सौ लड़कों, जिनको एडमिशन दे दिया गया, की जिन्दगी बरबाद कर रहे हैं। इसलिए इस सबको पार्टीबाजी में नहीं लें, न इसको प्रिजूडिसली लें। मैं मंत्री महोदय से करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप अपने विशाल हृदय को बड़ा करेंगे ताकि राजस्थान के गरीब लोगों को सस्ती चिकित्सा मिल सके। उन दो सौ बच्चों × × × चेयरमैन ने × × × सेंट्रल कौंसिल आफ होमियोपैथी की मनाही होते हुए भी एडमिशन दिया है। सेंट्रल कौंसिल आफ होमियोपैथी ने रूल्स लागू किये हैं वह मेण्डेटरी हैं। वह आपके पास भेजे गये हैं, राजस्थान सरकार के सेक्रेटरी हैल्थ को भेजे गये हैं और होमियोपैथी बोर्ड के चेयरमैन को भेजे गये हैं। सेंट्रल कौंसिल आफ होमियोपैथी लिख लिखकर हैरान हो गई, राजस्थान के मुख्य मंत्री को बार बार लिख कर भेज रही है कि ये नियम लागू कर दिये गये हैं, भारत सरकार के गजट में नोटिफिकेशन हो गया है, यह मेण्डेटरी रूल्स हैं इनको लागू किया जाय। मिनिमम क्वालिफिकेशन है इण्टर साइन्स (बायोलाजी) मगर आपके चेयरमैन ने × × × सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी के 200 बच्चों को भर्ती कर दिया। क्या मजाक बना रखा है? बोर्ड को अपने घर की दुकान बना दिया है × × ×।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

मेरा निवेदन यह है, हमारा कलेजा जलता है। जो सस्ती चिकित्सा पद्धति है उसको बेकार कर रहे हैं, राज्य सरकार का लाखों रुपया खराब कर रहे हैं और इसको एक हल्का विषय बना कर टालना चाहते हैं।

मैं निवेदन करूंगा, मेरा क्वश्चन था, अध्यक्ष महोदय, "क्या राजस्थान होमियोपैथी बोर्ड ने इस शैक्षणिक वर्ष उन नियमों को लागू कर दिया है? यदि हां, तो कृपया आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

माननीय मंत्री महोदय ने उस "क्यों" का अभी तक जवाब नहीं दिया। मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा, सेंट्रल कौंसिल आफ होमियोपैथिक ने इन नियमों को लागू कर दिया, गजट नोटिफिकेशन हो गया, मेण्डेटरी रूल्स हैं, फिर इन रूल्स को लागू क्यों नहीं करते? राजस्थान में लागू क्यों नहीं किये हैं, यह कृपया आप अपने जवाब में समझाने का कष्ट करें। इनको क्यों नहीं लागू किया जा रहा है?

इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि महेश भारतीय अध्यक्ष है, होमियोपैथी कालेज का। उसका लड़का है दिनेश भारतीय। उसने गत वर्ष कहीं पर इम्तिहान नहीं दिया, कापियों में किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया और उसकी जगह अलग कमरे में किसी लेक्चरार को बिठाकर उसके प्रश्न पत्रों का जवाब दिलवाया गया। इसकी शिकायत हुई और पुलिस विभाग की प्रयोगशाला द्वारा जांच की गई। जांच में यह पाया गया कि

(श्री शिवदान सिंह राठौड़)

दिनेश भारतीय की हैण्डराइटिंग में एक शब्द भी नहीं लिखा गया है बल्कि वह लेक्चरार द्वारा लिखा गया है। लेक्चरार ने एडमिट किया है कि मैंने कमरे में बैठ कर प्रश्नों के उत्तर दिये। इसके उपरान्त भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इन राजवंशीजी ने, इन अध्यक्ष महोदय ने इस सारी जांच को रोक रखा है। उसको पास कर दिया गया और थर्ड ईयर में एडमिशन दे दिया गया बजाय उसको रेस्टीकेट करने के। उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये थी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और उस बच्चे को थर्ड ईयर में एडमिशन दे दिया गया।

श्री दिनेश डांगी : क्या नाम है ?

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : दिनेश भारतीय। महेशचन्द भारतीय, भरतपुर होमियोपैथी कालेज के अध्यक्ष का लड़का दिनेश भारतीय। उसने खुद प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। लेक्चरार को बैठाकर उसके द्वारा कापी में सारे प्रश्न करवाये गये। इसकी शिकायत हुई है और पुलिस विभाग की प्रयोगशाला ने यह लिखा है कि दिनेश भारतीय के हाथ का एक शब्द लिखा हुआ नहीं है। जिस लेक्चरार ने लिखा है उसने एडमिट किया है कि मैंने प्रश्नों का उत्तर दिया है। आज भी वह फाइल पैण्डिग है। कई लोगों ने राज्य सरकार को, सैक्रेटरी, हैल्थ को शिकायत की उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। उस बच्चे को पास कर दिया गया।

इसी प्रकार से मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि सुरेन्द्र मोहन अलवर का रहने वाला, अलवर कालेज का विद्यार्थी है। आपके नियमों में यह प्रावधान है कि 75 पर्सेन्ट जिसकी अटेन्डेन्स हो और एनरोलमेन्ट हो उस बच्चे को ही एडमिशन मिलेगा और उसे ही परीक्षा में बैठने की परमिशन दी जायगी। सुरेन्द्र मोहन, जिसकी साल भर में एक दिन की भी अटेन्डेन्स नहीं है, ने 31.5.83 को अध्यक्ष के इम्तिहान में बैठाने और एनरोलमेन्ट करने की एप्लीकेशन दी। उसी दिन तारीख 31.5.83 को सुरेन्द्र मोहन का ××× एनरोलमेन्ट कर दिया गया और उसी दिन इम्तिहान में बैठने की परमिशन दे दी गई। उसकी एक दिन की अटेन्डेन्स नहीं है। आपके नियमों में प्रावधान है कि 75 प्रतिशत अटेन्डेन्स कालेज में हो तो ही इम्तिहान में बैठने दिया जायगा। उसका न तो कालेज में एडमिशन हुआ, न कभी एनरोलमेन्ट हुआ। 31 तारीख को सुरेन्द्र मोहन का एनरोलमेन्ट होता है और 1.6.83 को एग्जामिनेशन में बैठने दिया जाता है।

इस प्रकार के मैं और उदाहरण देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, ऐसा का ऐसा ही किस्सा अजमेर कालेज का भी है। अजमेर कालेज का संतोष सिंह और एक अन्य लड़का इम्तिहान के एक दिन पूर्व 30 तारीख को आपके चेयरमैन को जाकर एप्रोच करते हैं। रात को 12 बजे कार्यालय खुलवाया जाता है। कार्यालय खुलवाकर, बाबुओं को

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री शिवदान सिंह राठौड़)

बुलाकर 30 मई की रात को ही एनरोलमेन्ट किया जाता है और उसी दिन इम्तिहान में बैठने की परमिशन दी जाती है। इसकी स्वयं स्टाफ ने शिकायत की है, रजिस्ट्रार होमियोपैथिक बोर्ड को लिखकर दिया है लेकिन पता नहीं मेरी समझ में नहीं आता कि इसका क्या हो रहा है, क्यों नहीं जांच हो रही है ऐसे कामों की। उन बच्चों को 30 मई को यह दिया गया और 31 मई को अजमेर में इम्तिहान में बैठा दिया। 30 मई को एनरोलमेन्ट हुआ और 31 मई को उनको परमिशन दे दी गई।

आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि इसके अतिरिक्त होमियोपैथिक बोर्ड ने बिना कोई पोस्ट होते हुए, न कोई फण्ड है न राज्य सरकार की स्वीकृति है, × × × अपाइन्टमेंट कर दिया। इसकी शिकायत हुई। राज्य सरकार द्वारा वह अपाइन्टमेंट निरस्त किये गये। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पोस्टें क्रिएट नहीं हुई, कोई फाइनेन्शियल सैंक्शन नहीं है, गवर्नमेंट की सैंक्शन नहीं है, जो अपाइन्टमेन्ट दिये थे वह गवर्नमेंट ने निरस्त कर दिये परन्तु अभी 15-20 दिन पहले उन अधिकारियों को वापस अपाइन्ट कर दिया गया इन अध्यक्ष महोदय के द्वारा। राज्य सरकार निरस्त करती है जांच करके और उसके बाद पुनः उन लोगों को अपाइन्टमेंट दे दिया जाता है। इनके कारनामों के बारे में रजिस्ट्रार, होमियोपैथिक के बोर्ड ने कोई 40 दफा राज्य सरकार को और सैक्रेटरी, हैल्थ को लिखकर भेजा है, और यह पूरा का पूरा पोथा मेरे पास है। मेरे पास पचास लैटर हैं उनके। यह मैंने आपको निवेदन किया, डिटेल में शिकायतें कीं राज्य सरकार को, अगर पढ़कर सुनाऊं तो चार घण्टे में यह शिकायतें पूरी नहीं होंगी।

श्री दिनेश डांगी : मैंने ही आपको भेजी है।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : आपके अलावा और भी हैं कई शिकायतें।

इसका जांच अधिकारी राज्य सरकार किसको मुकर्रर करती है ? जो इन राजवंशी के मित्र हैं, 24 घण्टे इस होमियोपैथिक बोर्ड में पंचायती करते हैं, भ्रष्टाचार में जिनका खुला हाथ है वह सी. डी. देवल, आर. ए. एस. अधिकारी जांच अधिकारी मुकर्रर किये जाते हैं। जो स्वयं भ्रष्ट है, जिसके खिलाफ अनेक जांच चल रही हैं, जिसके खिलाफ शिकायतें राज्य सरकार के पास पैण्डिंग हैं उस भ्रष्ट अधिकारी को मुकर्रर करते हैं। वह क्या होमियोपैथी में समझता है ? वह क्या जांच करेगा ? आप किसी आनेस्ट आदमी को लगायें, किसी टैक्निकल पर्सन को लगायें। राज्य सरकार ने सी. डी. देवल को जांच अधिकारी बनाया, डी. ओ. पी. ने मना कर दिया। रजिस्ट्रार को शिकायतें भेजीं जो आज चार छः महीने से राज्य सरकार के पास जांच करने के लिए पड़ी हुई हैं, निर्णय करने के लिए पड़ी हुई हैं। राज्य सरकार उसके ऊपर निर्णय

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री शिवदान सिंह राठौड़)

नहीं लेना चाहती. सी. डी. देवल को जांच अधिकारी मुकर्रर किया जा रहा है। कमाल हो गया कि × × × जांच आप × × × से कराते हैं। यह कहां का न्याय है? मैं तो, अध्यक्ष महोदय समझ नहीं पा रहा हूं।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, होमियोपैथिक बोर्ड के चेयरमैन ने सरकार की इजाजत के बिना पांच एल. डी. सीज, का अपाइन्टमेंट कर दिया। इन नियुक्तियों को राज्य सरकार ने गैरकानूनी मानते हुए उन आदेशों को निरस्त कर दिया था। अभी कुछ दिन हुए हैं, इन्हीं बोर्ड के चेयरमैन ने उन्हें पुनः नियुक्तियां दे दी हैं। उसमें एक सी. डी. देवल के रिश्तेदार हैं। शिवदान सन आफ भंवरदान को नियुक्ति दी गयी। एक तरफ तो राज्य सरकार उन आदेशों को गलत मानते हुए कैंसल कर रही है दूसरी तरफ बोर्ड के चेयरमैन ने पुनः शिवदान सन आफ भंवरदान को नियुक्ति दे दी है। यह स्थिति है, अध्यक्ष महोदय, कि राज्य सरकार तो आदेशों को निरस्त करती जाये और यह आदेश करते जायं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये। माननीय सदस्य, समय हो रहा है।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा और निवेदन करना चाहूंगा। राज्य सरकार ने होमियोपैथिक बोर्ड के रजिस्ट्रार पद के लिये कालूराम खींची का अपाइन्टमेंट किया जो कि सैक्रेटेरियेट सर्विस के डिप्टी सैक्रेटरी रेन्क के आदमी हैं पर उस बोर्ड के चेयरमैन ने रजिस्ट्रार का चार्ज उनको न दिलवा कर वहां के एक एल. डी. सी. सीताराम गुप्ता को दे दिया। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार तो कालूराम खींची के आदेश करती है रजिस्ट्रार के लिये, पर बोर्ड का चेयरमैन रजिस्ट्रार की सारी पावर्स उस सीताराम गुप्ता को दे देते हैं। यह जो एल.डी.सी. है इससे सीनियर व्यक्ति लक्ष्मी नारायण है जो यू. डी. सी. है पर चूंकि वह भ्रष्टाचार करने में चेयरमैन, होमियोपैथिक बोर्ड को सहयोग नहीं कर रहा है इसलिए उसने उस लक्ष्मीनारायण को सस्पेण्ड कर दिया है। और, अध्यक्ष महोदय, यह सस्पेण्ड भी किया गया है उस सीताराम गुप्ता के द्वारा जो कि सिर्फ एल. डी. सी. है। इस पर वह राज्य सरकार के पास गया तो राज्य सरकार ने लिखा कि सीताराम गुप्ता रजिस्ट्रार नहीं है और वह लक्ष्मी नारायण गुप्ता को संस्पेण्ड करने के लिये सक्षम नहीं है इसलिये श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता को वापस बहाल किया जाता है। तो राज्य सरकार ने सीताराम गुप्ता के किये हुए को गैरकानूनी माना। यह सीताराम गुप्ता चूंकि बोर्ड के चेयरमैन के बनाये हुए रजिस्ट्रार हैं और जूनियर हैं इसलिये वह अपने से सीनियर व्यक्ति लक्ष्मी नारायण गुप्ता का सस्पेंड नहीं कर सकता है, अल्टीमेटली यह आदेश गवर्नमेन्ट से चार महीने बाद में रो-धो कर लक्ष्मीनारायण ने कराये। सीताराम गुप्ता आथोराइज नहीं था, सक्षम अधिकारी नहीं था सस्पेण्ड करने के लिये, इसलिये उसको बहाल कर दिया गया।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शिवदान सिंह राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा, वैसे मेरा कोई पर्सनल द्वेष राजवन्शीजी से नहीं है, मैं तो उसकी शक्ल तक को नहीं जानता हूं पर यह जो कारनामें इनके हैं वह बताये हैं। इसके अलावा और भी बहुत से कारनामें हैं उनकी विगतवार शिकायतें राज्य सरकार के पास आई हुई हैं और उनके खिलाफ में जांच भी हो चुकी है, पर फिर भी सरकार दुबारा जांच करा रही है और इसमें टालमटोल करने की कार्यवाही कर रही है। सरकार इसको जान-बूझ कर लम्बा कर रही है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप विशेष अधिकारी जांच के लिये नियुक्त कर जांच करायें। इस सम्बन्ध में आप किसी ऐसे व्यक्ति, जो कि समझने वाला हो, से जांच करायें और यह जांच पूरी हो। मैं तो आपके माध्यम से यह अर्ज करूंगा कि जांच होने के बाद तो इनके खिलाफ में सख्त से सख्त एक्शन लिया ही जाना चाहिये, पर इसके पहले राज्य सरकार के हित में और गरीब लोगों को सस्ती और सुलभ चिकित्सा मिले, इसके लिये इस बोर्ड के अध्यक्ष को तुरन्त हटाया जाये।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी

श्री दिनेश डांगी (राज्य मन्त्री आयुर्वेद) : अध्यक्ष महोदय, जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य, श्री शिवदान सिंहजी ने आधे घण्टे की चर्चा सदन में उठायी है। उस पर आपकी अनुमति हो जाने के बाद राज्य सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि मैं इसका जवाब दूं। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं के द्वारा एक प्रश्न दिनांक 26-3-84 को इसी के संबंधित पूछा गया था जो कि 21 वें नम्बर पर था। उसमें शिवदान सिंहजी और एक माननीय सदस्य और थे जिन्होंने प्रश्न पूछा था। उसमें इन्होंने एल.डी.सी. के अपाइन्टमेंट के बारे में कहा था। उसके अलावा और जितनी भी बातें इन्होंने कही हैं, उनका उसमें उल्लेख नहीं था पर फिर भी मैं उन सभी बातों का जवाब देने को तैयार हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : बहुत बढ़िया।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य शिवदानसिंहजी ने एक तो यह मेरे पर चार्ज लगाया कि हमने गलत प्रवेश दिये हैं। इसके लिये तो मेरा यह निवेदन है कि जो प्रवेश दिये जाते हैं वह तो कालेज के द्वारा दिये जाते हैं, उसके लिये बोर्ड जिम्मेदार नहीं है। इसके अलावा एक बात यह कही कि एक-एक स्टूडेन्ट से ××× के एडमिशन के लिये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, उसकी अगर कोई शिकायत हो तो मैं जांच कराने को तैयार हूं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि होमियोपैथिक बोर्ड का जो चेयरमैन है उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, वह क्वालिफाइड नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

कृपया, माननीय सदस्य

अंकित नहीं हो।

अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। कृपया बैठ जायं। आर्डर, आर्डर। अंकित नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)

मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा कि वह सदन में कोई भी बात कहें तो आसन के माध्यम से कहें। ऐसा नहीं कि आसन तो पुकार रहा है कि माननीय सदस्य बैठ जायें और आप उधर मुंह करके सब कुछ कह जायं। यह नियमों के विरुद्ध है। माननीय सदस्यों को ऐसा नहीं करना चाहिये। माननीय सदस्यों का ध्यान मैं अपने यहां पर जो नियम और प्रक्रिया है उसकी ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मैं निवेदन करूंगा कि सदन में व्यवस्था बनाये रखें और नियमों की पालना करें। जब मन्त्री महोदय उत्तर दे रहे हों अथवा कोई भी माननीय सदस्य बोल रहा हो तो अन्य माननीय सदस्यों को बीच' में बाधा नहीं डालनी चाहिये।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह भी कहा कि बोर्ड का अध्यक्ष क्वालिफाइड नहीं है, अनक्वालिफाइड है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि—

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें। मन्त्रीजी, आप कृपया उनसे नहीं बोलें, आसन के माध्यम से बोलें।

श्री दिनेश डांगी : तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था, इन्होंने यह चार्ज लगाया कि आपने एक मामूली आदमी को, जो कि क्वालिफाइड नहीं है, को चेयरमैन बना दिया है। इसके लिये, अध्यक्ष महोदय, बोर्ड के एक्ट में प्रावधान है कि बोर्ड का अध्यक्ष अनक्वालिफाइड व्यक्ति भी बनाया जा सकता है लेकिन उसके साथ में कण्डीशन यह होगी कि उपाध्यक्ष उसका क्वालिफाइड आदमी होना चाहिये। तो यह तो क्वालिफाइड आदमी ही है। अगर आप इसकी क्वालिफिकेशन को चैलेन्ज करते हैं तो वह आप कोर्ट में करें, आप मुझे क्या कहते हैं कि आपने अनक्वालिफाइड व्यक्ति को लगा रखा है। इसके बारे में अगर कोई शिकायत है और शिवदान सिंहजी को उनसे शिकायत है तो—

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : मुझे उनसे कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं है।

श्री दिनेश डांगी : अब जब अनक्वालिफाइड को भी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जा सकता है तो यह तो क्वालिफाइड है, बोर्ड का अध्यक्ष बन सकता है।

इन्होंने यह भी कहा कि वह बोर्ड की मीटिंग जयपुर में नहीं रखते हैं और जयपुर से बहार रखते हैं। जहां भी कालेज खुला है वहां पर मीटिंग रख सकते हैं। वहां के प्रिन्सीपल, लैक्चरर्स और दूसरे पदाधिकारी हैं वह भी होते हैं अन्यथा उनको आने जाने

(श्री दिनेश डांगी)

का टी. ए. डी. ए. दिया जायेगा। वैसे टी.ए. डी.ए. देने का प्रावधान बोर्ड की आफिशियल ड्यूटीज में जाने के लिये एक्ट में है।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : यह बात बिल्कुल सत्य है, यह गलत कहा है।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, यह आक्षेप और लगाया कि प्रवेश के लिये कौन्सिल का मेंडेटरी प्रावधान है कि उसमें जो योग्यता है उसी के अनुसार ही एडमिशन दिया जाये। मैं भी मानता हूं कि मेंडेटरी प्रोविजन है कि योग्यता के अनुसार एडमिशन दिया जाय। उन्होंने योग्यता एडमिशन के लिये रखी है इन्टरमीडियेट (साइन्स)। हमने इसके लिये कौन्सिल को लिखा है कि राजस्थान में इन्टरमीडियेट की क्लास ही नहीं है; समाप्त हो गई है, अतः इन्टरमीडियेट नहीं रख करके सैकण्डरी या हायर सैकण्डरी (साइन्स) रखी जाय। उन्होंने हायर सैकण्डरी (साइन्स) विद बायलोजी रखी लेकिन जब तक यह सत्र पूरा नहीं होता तब तक यह रेगूलर करना सम्भव नहीं है। इसमें संशोधन करने के लिये लिखा गया था, एक चिट्ठी बोर्ड ने लिखी। उसमें यह गलती हो गयी कि उसका संशोधन कर ड्राफ्ट बना कर भेजना चाहिये था। अब इसमें संशोधन करने के लिये हमने ला डिपार्टमेन्ट को लिखा है। अगर मेण्डेटरी है, इसी संशा से लागू करना है तो उसके लिये विधान सभा के अगले सत्र में संशोधन करने के लिये बिल लाकर पास करा देंगे।

इसके अलावा इन्होंने यह भी चार्ज लगाया कि दो सौ लड़कों को हर स्टूडेन्ट से ××× एडमिशन दे दिया है। अध्यक्ष महोदय, इनको यह खबर कहां से मिली है? मेरे पास तो कोई शिकायत नहीं है कि किसी ने पैसे दिये हैं। अगर आपके पास कोई हो कि किसने पैसे दिये और किसने पैसे लिये तो आप मुझे लिखित में सूचना दे दें, उसकी जांच एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट से कराने को तैयार हूं। इनका होमियोपैथिक बोर्ड के चेयरमैन से क्या झगड़ा है, मुझे पता नहीं है।

एक इन्होंने यह कहा कि सुरेन्द्र मोहन को फर्स्ट ईयर में प्रवेश दे दिया। तो मेरा निवेदन है कि वह लड़का थर्ड ईयर का स्टूडेन्ट है। इन्होंने यह भी कहा कि इसमें तीन लड़के एक सुरेन्द्र मोहन, एक रघुनाथ सिंह राठौड़ और एक कैलाशनाथ शर्मा को एडमिशन दिया। अध्यक्ष महोदय, जो बोर्ड का अध्यक्ष है उसको पावर है कि वह विशेष परिस्थितियों में एडमिशन दे सकते हैं। उसको तो थर्ड ईयर में एडमिशन दिया है। उसके पिताजी की डेथ हो गयी थी इसलिये इस कंडीशन पर कि उसके फादर की डेथ हो गयी है, जहां एडमिशन देना चाहिये था वहां दिया, तो इसमें हजारों रुपये की बात कहां से आ गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको तो हजारों रुपये खाने की बात दिखायी देती है और अपोजीशन के सदस्य माननीय दाऊदयाल जोशी को लाखों रुपये रिश्वत लेने की बात ध्यान में आती है।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : लाखों रुपये खाने की आपकी हैसियत नहीं है।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, एक यह भी कहा कि महेश भारतीय, जो भरतपुर कालेज के व्यवस्थापक हैं, के लड़के ने परीक्षा दी। उसके बारे में कहा कि कमरे में बैठकर लेक्चरर ने जवाब करा दिया। यह सूचना मेरे पास नहीं है, जो शिकायत आई है उसके बारे में इन्होंने कहा कि उसको पास करके आगे एडमिशन दे दिया। अध्यक्ष महोदय, उसका रिजल्ट रोका हुआ है, आगे कोई एडमिशन नहीं दिया है। जिसका परिणाम रोक रखा हो उसको अगली क्लास में दाखिला देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री यदुनाथ सिंह : वही खुद मालिक हैं। वहां हर साल एक लड़की आत्महत्या करती है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री दिनेश डांगी : आपने जो सारी बात कही है मैंने सुनी हैं। उसके बाद नियुक्ति के बारे में कहा है। इस बारे में कहा है कि दुबारा नियुक्त किया है। वह सी. डी. देवल, जो अध्यक्ष रहा है, के पास बैठा रहता है और अपने किसी रिश्तेदार को नौकरी उसने दिला दी। वह सी. डी. देवल का दोस्त है।

श्री सुखलाल सेंणचा : वह 24 घण्टे आपके पास बैठा रहता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दिनेश डांगी : यह मेरी जानकारी में नहीं है। मैं केवल आदेश प्रसारित करता हूं। फिर भी मैं इसकी जांच करूंगा कि वास्तविकता क्या है।

इसी तरह सीताराम के बारे में बात कही है। यह बात सही है कि वह सक्षम अधिकारी नहीं था, उसने लक्ष्मी नारायण गुप्ता को सस्पैण्ड कर दिया, कुछ दिनों के लिए रजिस्ट्रार नहीं थे, उसने रजिस्ट्रार का चार्ज लेकर उसको हटा दिया। मेरे पास लक्ष्मी नारायण का पत्र आया है। उसने मुझे लिखा है। वह मेरे पास भी आया। मैंने उस पर आदेश देकर वह आदेश निरस्त कर दिया। अब इसमें क्या दिक्कत है? सही बात मैं आप से कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य बड़े जोर-शोर से बोल रहे थे, एक यू. डी. सी. भागीरथ सिंह है, उसको मैंने हटा दिया। वह तीन साल के लिए विकास विभाग से आया था। नियमों में यह कि तीन साल तक लगातार डेपूटेशन पर रहने के बाद फिर उसको रख नहीं सकते। लेकिन किसी कारण से माननीय सदस्य कह रहे थे और लिखित में कह रहे थे कि मैंने भागीरथ सिंह को हटाया। उसके बाद चेयरमैन की चिट्ठी आई कि क्या आप इसकी सर्विस को और आगे कंटीन्यू कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वह कोर्ट में जाकर स्टे ले आया। हमने उस स्टे को वैकेट करा लिया। उसके बाद मुझे हटाना जरूरी था। पैतृक विभाग ने मुझे लिखकर भेजा कि हम इसको नहीं रखना चाहते, आप इसको क्यों रखते हैं? उस व्यक्ति का क्या इंटरेस्ट है, मालूम नहीं। सवाल यह

(श्री दिनेश डांगी)

है कि एक गणेश को-आपरेटिव सोसायटी जो सोडाला में चल रही है, उसके माननीय सदस्य श्री शिवदान सिंह अध्यक्ष हैं, भागीरथ सिंह उसका सैक्रेटरी है....

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : आपने पट्टा लिया हुआ है—

श्री दिनेश डांगी : पहले जिन लोगों को सोसायटी ने दिया था, वही अब पुनः दे रहे हैं। यह कह रहे हैं कि मैंने हजारों रुपये खाये। इन्होंने पता नहीं कितने खाये, मैं नहीं कह सकता।

श्रीशिवदान सिंह राठौड़ : इन्होने इसी भागीरथ सिंह से प्लाट लिया है, मैं क्या-क्या निवेदन करूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री दिनेश डांगी : मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आप हमारी विधान सभा के अध्यक्ष हैं, जितने माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं सब आपके पास आते हैं, आप उनको देखते हैं। यहां जितने प्रश्न शिवदान सिंहजी के आये हैं या वीरेन्द्र प्रतापजी के आये हैं, वीरेन्द्र प्रतापजी ने कहा है, अभी वह यहां पर नहीं हैं, इनके प्रश्न भागीरथ सिंह लिखता है। वह वहीं का कर्मचारी था। वह जिस चीज को जानता है वह लिख-लिखकर भेज देता है। इसलिये विभाग को बदनाम करने के लिए मैं भागीरथ सिंह को एक दिन के लिए नहीं रख सकता और जो मौजूदा अध्यक्ष हैं उनको आपके किसी के भी कहने से नहीं हटा सकता। मैं इसलिए कहना चाहता हूं....

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : उस सोसायटी से डांगी साहब ने पट्टा लिया। भागीरथ सिंह ने दिया।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्रीशिवदान सिंह राठौड़ : आपने पहले हटाया, पट्टा दे दिया आपको तब फिर वापस रखा।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : इसकी जांच की जाये।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : उसको हटा दिया, पट्टा दिया तो वापस लगा दिया। मन्त्री महोदय दो पट्टे चाह रहे थे, उसने एक दिया।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए। आर्डर प्लीज, आसन पैरों पर है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : लाखों रुपये सोसायटी के हज़म कर गये हैं यह लोग।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : आपने इससे पहले रोक लगाई थी। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या भागीरथ सिंह आपके विभाग में लगा हुआ था या नहीं? क्या आपने आदेश दिये थे...

(९५)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। प्रतिवेदनों का उपस्थापन, श्री तकीउद्दीन।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पाइंट आफ प्रिविलेज।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आपके समक्ष माननीय सदस्य ने होमियोपैथिक बोर्ड के चेयरमैन पर आरोप लगाये और माननीय मन्त्री महोदय ने माननीय सदस्य पर आरोप लगाये। वह आरोप यह लगाये कि इन्होंने कोई हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी है, वहां प्लाट के मामले में × × ×

श्री दिनेश डांगी : मैंने पैसे खाने के लिए नहीं कहा। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बताया कि दुबारा पट्टा देने की बात है। आपको पट्टा दिया है, पुन: मुझे दे दिया, फिर किसी और को पट्टा दे दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो सोसायटी ने अच्छा काम किया है?

श्री दिनेश डांगी : यह मैं कैसे कह सकता हूं। यह हमारे जिले का मामला है, आप बीच में क्यों पड़ते हो?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा। यह आपका आपस का झगड़ा है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हाउस के सामने दो प्रकार की जानकारी है। एक तो होमियोपैथिक बोर्ड के चेयरमैन ने × × × मन्त्री महोदय, जो सरकार के प्रवक्ता हैं, जो अधिकृत बात कहते हैं, सुनी सुनाई बात नहीं कहते हैं, ने कहा कि हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी का पट्टा देने के अन्दर पता नहीं कितने पैसे खाये और कितने पट्टे दिये ..

श्री दिनेश डांगी : मैंने पैसे का चार्ज नहीं लगाया। पट्टे दूबारा इश्यू किये गये, यह बात कही है। पैसे की बात नहीं कही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो फिर क्या कहा? रिकार्ड में है। अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा गम्भीर चार्ज यह लगाया कि एक भागीरथ सिंह प्रश्न लिखता है, जो विभाग का कर्मचारी है। वह प्रश्न लिखता है और माननीय सदस्य उन प्रश्नों पर हस्ताक्षर करके विधान सभा में देते हैं।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : यह गलत है। इन्होंने गलत कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन्होंने गलत कहा है, सही बात है।

श्री अध्यक्ष : कोई माननीय सदस्य पढ़-लिख नहीं सकता तो इसके लिये दूसरा व्यक्ति लिख सकता है।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : मैं तो पढ़ा-लिखा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सी डी. देवल से लिखवाया है। अध्यक्ष महोदय, विधान सभा का प्रांगण है, इसकी गरिमा है, इसके माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार हैं, और सदन की गरिमा है। इस सदन में मन्त्री

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

महोदय आरोप लगायें तो यह माना जायेगा कि उन्होंने अधिकृत रूप से आरोप लगाया है कि इस प्रकार का माननीय सदस्य ने सोसायटी में काम किया और भागीरथ सिंह से प्रश्न लिखवाये। जो विभाग का कर्मचारी है उससे सोसायटी के खिलाफ प्रश्न पूछवाये —

श्री दिनेश डांगी : विभाग का कर्मचारी नहीं है, वह कहीं विकास विभाग में चला गया है। मुझे कुछ लेना-देना नहीं है। पहले बोर्ड में प्रति नियुक्ति पर था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने आपके विभाग का नाम नहीं लिया है। वह मैं नहीं कह रहा हूं। हटा दिया, अच्छा किया। लेकिन हटाने के बाद वह जहां पहले नियुक्त था उसी विभाग से सम्बन्धित प्रश्न इनसे लिखवाये। अध्यक्ष महोदय, नियमों की परिधि में और व्यवस्था में आप देखेंगे तो सदन के विशेषाधिकार क हनन है। माननीय सयस्य, जिन्होंने आरोप लगाये हैं, ने विशेषाधिकारों का हनन किया है। वह सिद्ध करें ××× या माननीय....

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैंने बार-बार निवेदन किया कि पैसे नहीं खाये। यह बात मैंने बिलकुल नहीं कही।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : मैं कह रहा हूं कि खाये हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप और ये क्या कह रहे हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब यह है, अध्यक्ष महोदय, हाउस की गरिमा इससे कम होती है या नहीं, मैं तो यही बात आपके सामने रखना चाहता हूं। माननीय सदस्यों के आरोप-प्रत्यारोप से सदन की गरिमा कम हुई है इसलिये मैं, अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि इस मामले को आप टेक अप करके देखें ताकि सदन के अन्दर एक मन्त्री के द्वारा इस प्रकार के आरोप नहीं लगाये जा सकें। आरोप लगाना हो तो, भैरूसिंहजी ने जैसा कहा, वह लाइट वे में कह गये लेकिन एक मन्त्री यदि इस प्रकार की बात कहता है तो यह निश्चत रूप से गम्भीर है। ऐसे गम्भीर विषय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की प्रोसीडिंगस देखकर मन्त्री महोदय ने क्या कहा, उस सम्बन्ध में आप आश्वस्त होकर सदन को सूचना दें। यदि आप उससे आश्वस्त नहीं होते हैं तो इस मसले को प्रिविलेज कमेटी के पास भेजें ताकि दोनों की पोजीशन विंडीकेट हो जाये और हाउस की गरिमा भी बनी रहे।

अब आप बोलिये।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने के लिये अपने नियमों में प्रावधान है।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

अध्यक्ष निष्पक्ष व्यक्ति होता है; सदन में जैसी चर्चा होती है उसको सुनता है। यदि कोई असंसदीय शब्द कह दिया जाये तो उसके बारे में व्यवस्था देता हूं। जहां तक सदन के विशेषाधिकारों के हनन का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में यदि किन्हीं माननीय सदस्यों को आपत्ति है तो इस तरह का प्रस्ताव लाया जा सकता है उस पर मैं गम्भीरता से विचार करूंगा।

समिति का प्रतिवेदन

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति 1983-84 का पांचवां प्रतिवेदन

प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्री तकीउद्दीन अहमद।

श्री तकीउद्दीन अहमद : (सभापति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, 1983-84 का पांचवां' प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

जन लेखा समिति, 1983-84 का 11वां 12वां, 13वां एवं 14वां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्री माधोसिंह।

श्री माधोसिंह दीवान (सभापति, जन लेखा समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं जन लेखा समिति, 1983-84 के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

(1) विनियोग लेखे 1976-77 और वर्ष 1976-77 के लिये भारत के नियंत्रक महा लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) से सम्बन्धित भेड़ व ऊन विभाग विषयक मामलों पर सिमित का ग्यारहवां प्रतिवेदन।

( ) वर्ष 1976-77 के लिये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) से सम्बन्धित आबकारी तथा वाणिज्यिक कर विभाग विषयक मामलों पर समिति का बारहवां प्रतिवेदन।

(3) विनियोग लेखे 1977-78 में बताये गये दत्तमत्त अनुदानों तथा प्रभृत विनियोगों में अतिरेक मामलों पर समिति का तेरहवां प्रतिवेदन।

(4) जन लेखा समिति के चौदहवें प्रतिवेदन (चतुर्थ विधान सभा) में समाविष्ट सिफारशों के परिपालन हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में समिति का चौदहवां प्रतिवेदन।

व्यवस्था का प्रश्न

आडिट रिपोर्ट की प्रति सदन पटल पर रखने में विलम्ब

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): On a point of order, sir

अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा, हर पिछले वर्ष की आडिट रिपोर्ट को सदन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में प्रस्तुत किया जाता है। सन 1981-82 की आडिट रिपोर्ट भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है। राज्य सरकार को उस रिपोर्ट को तुरन्त विधान सभा में प्रस्तुत करना चाहिये लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक प्रस्तुत नहीं की है। इस संबंध में राज्य सरकार उस रिपोर्ट को आज ही प्रस्तुत करें, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन मैं इसलिए करना चाहता हूं कि आडिट रिपोर्ट के आधार पर माननीय सदस्य विभिन्न विभागों से सम्बन्धित अपने कटौती प्रस्ताव मूव करते हैं, उसको एक आधार बनाया जा सकता है इसलिए मैम्बर्स को उनके जो विशेषाधिकार हैं उससे वंचित न किया जाये और रिपोर्ट हाउस की मेज पर रखवाई जाये।

श्री अध्यक्ष : सरकार की ओर से क्या कहना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार गायब है।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : सरकार का × × × है यह तो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) Where is Government ?

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा विपक्ष के माननीय नेता महोदय ने कहा, हम थोड़ी देर में इस बारे में राज्य सरकार की ओर से जवाब दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में पूर्व में क्या प्रक्रिया रही है इसकी जानकारी लेकर उसके पश्चात् विनिश्चय किया जायेगा।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : सरकार आ गई है।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : सरकार तो, अध्यक्ष महोदय, सो रही है।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। श्री गुलाब चन्द कटारिया। कुछ कहना चाहेंगे ?

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अजमेर के सम्भाग अधिकारी श्री रिधकरण जोधा के विरुद्ध पाये गये आरोपों पर जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, अजमेर के सम्भाग अधिकारी श्री रिधकरण जोधा के विरुद्ध पाये गये आरोपों पर जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत भी विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अध्यक्ष महोदय, अजमेर के सम्भाग अधिकारी के विरुद्ध पिछले लगभग तीन साल में लगभग 64 प्रकरणों में शिकायतें हुईं। श्रीमान् केवल शिकायतें ही नहीं हुईं, उनमें से अधिकांश प्रकरणों की किसी न किसी स्टेज पर जांच पूरी हो चुकी है। तीस प्रकरण तो ऐसे हैं जिनमें जांच हो गई और जांच के सम्बन्धित अधिकारी ने ऊपर के अधिकारी को जांच रिपोर्ट सबमिट कर दी। यह सब होने के बाद भी, श्रीमान, आज दिन तक उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई।

सबसे पहले मैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के जो भी अधिकारी और मन्त्री हैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले लगभग दो वर्ष से इतना तो प्रयत्न किया है कि राजस्थान रोडवेज की हालत को कैसे सुधारें और पिछली जो कुछ गड़बड़ियां हो गई हैं उनको किस तरह से ठीक किया जाये। इस कारण से जो छोटे-छोटे लोग हैं जिस किसी ने भी टिकट में या और किसी भी प्रकार की अनियमिततायें की हैं उनको तुरन्त उन्होंने सस्पेंड किया, नौकरी से अलग किया। यह तो तारीफ करने वाली चीज थी .....

(1.45 म. प.)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति, पदासीन)

मैं, श्रीमान्, आपके माध्यम से सदन के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं। यह बात तो आपने अच्छी की। इतना बड़ा अधिकारी, जो सम्भाग का अधिकारी है, के खिलाफ तीन साल से शिकायतों का पुलिन्दा आपको बराबर पेश करते आ रहे हैं। उनकी जांच करने पर आप स्वयं इस बात को स्वीकार करेंगे कि उनके अधिकांश दोषों में वे दोषी पाये गये हैं और एक से बढ़कर एक चार्ज हैं। 64 चार्ज उनके ऊपर लगाये जा चुके हैं। 64 का मैं वर्णन नहीं करूंगा, उनमें से कुछ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्रीमान्, बीकानेर के अन्दर जिस समय भारत बन्द का आह्वान किया गया था 19 जनवरी, 1982 के दिन, उस दिन आपके विभाग की तरफ से यह व्यवस्था की गई थी कि इस दिन की व्यवस्था को चालू रखने के लिये यदि आपको किसी प्रकार के कर्मचारी की, ड्राइवर या और किसी जरूरत पड़े तो आप उसकी नियुक्ति डेली वेजेज पर कर सकते हैं। यह सूचना सारे राजस्थान के लिये थी। इस सुविधा का उन्होंने क्या फायदा उठाया ? उन्होंने इस बात का सहारा लेकर के 35 आदमियों को नियमित वेतन श्रृंखला में नियुक्त कर दिया। सभापति महोदय, वे लोग अगर 19 तारीख के दिन ड्यूटी देते, 19 तारीख को काम पर लगे हुए होते, तो थोड़ी बात समझ में आती कि शायद उन्होंने बहुत बड़ी मदद की होगी, इस कारण नियुक्त किया होगा। लेकिन आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा, उस दिन उन्होंने किसी भी प्रकार की ड्यूटी नहीं दी और उसके तीन दिन बाद उस आर्डर की पालना के तहत उन लोगों को नियुक्तियां नियमित वेतन श्रृंखला पर दे दीं और यह लोग काम करते चले गये। लोगों ने शिकायतें कीं, आपका पैनल पहले का बना रहता है उस पैनल में से नियुक्ति

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

दो। लेकिन पैनल को एक तरफ धरे रखा और इन महाशय, जो बीकानेर में काम करते थे, ने लोगों से पैसा लेकर उनकी नियुक्तियां कर दीं। मार्च के महीने में इनका स्थानान्तरण अजमेर होगा। यह सारी शिकायतें विभाग के हैड आफिस में आईं। हैड आफिस ने कार्यवाही की और 35 लोगों को मार्च के अन्दर, 15 मार्च को, नौकरी से निकाला। मैं सोचता हूं जिस व्यक्ति ने यह अनियमितता की, जिस व्यक्ति के कारण से गरीबों को पैसे के आधार पर नौकरी मिली और वह नौकरी भी चली गई, उस अधिकारी के खिलाफ आज तक आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, कृपया बतायें। इतना बड़ा फ्राड करने वाला, विभाग को धोखा देने वाला, नियमों की पालना नहीं करके नियम अपनी जेब में रख कर चलने वाला अधिकारी है, उस के खिलाफ आपने कार्यवाही नहीं की।

श्रीमान्, यही नहीं, इसी तरह का और बहुत बड़ा काण्ड किया जो हमारे लिये, राजस्थान प्रदेश के लिये शर्म की बात है जिसकी जानकारी आपके विभाग को पहले से इस प्रश्न के माध्यम से है और उस जानकारी को छिपा रहे हैं। परिवहन विभाग ने राजस्थान ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान के राज्यों के परिवहन विभागों को खेलकूद प्रतियोगिता में अजमेर में 21 और 22 मार्च, 1982 को आमंत्रित किया। उस प्रतियोगिता में राजस्थान की तरफ से महेश कुमार, जो हमारा कर्मचारी है, की जगह एक फर्जी खिलाड़ी खिलाया गया। उस फर्जी खिलाड़ी के खिलाने के आधार पर एथेलेटिक्स में राजस्थान को चैम्पियनशिप मिली। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फोटा अखबार में प्रकाशित हुआ है। हमारे कोरानीजी भी खिलाड़ी हैं, वह पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित थे। जो खिलाड़ी खेला है वह खिलाड़ी महेश कुमार नहीं है। यह महेश कुमार नहीं होते हुए महेश कुमार, जो रोडवेज में वर्कशाप में कर्मचारी है, उसके नाम से खेला। अजमेर के बहुत ही बेस्ट खिलाड़ी को खिला कर के हमने यह ट्राफी प्राप्त की है। क्या आपको यह भी जानकारी है कि यह सारी शिकायतें डिपार्टमेंट को प्राप्त हुई जिस पर कोरानी ने यह आदेश प्रसारित किये कि इन सबको निलम्बित किया जाये। इतना बड़ा फ्राड किया, राजस्थान की तरफ से हमारी टीम गई उसमें। उसमें आपके रिश्‍करन जोधा को भी निलम्बित करने की राय है। उन लोगों, जो टीम में थे, को जानकारी थी। आपने उनका निलम्बन नहीं किया। यहां तक कि कार्यवाही आगे नहीं बढ़े, इसलिये आगे यह लिखा कि जो सैकण्ड रहा है महाराष्ट्र, उस को यह ट्राफी से सम्मान भेंट कर दी जाये कि हमारी गलती के कारण से, हमारे कारण से यह हुआ है, जो वास्तव में विजेता टीम रही है उसको ट्राफी दी जाये। आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा, वह ट्राफी उसके पास से गुम हो गई और आज दिन तक उसका पता नहीं चला। आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं कर सके कि वह फर्जी खिलाड़ी था कौन, कहां से लाकर किस आदमी ने खिलाया, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ।

श्रीमान्, यही नहीं, एक के बाद एक बढ़ कर कांड हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक नरेन्द्र कुमार का नाम सलेक्शन लिस्ट

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

में 90 नम्बर पर था। उस सलेक्शन सूची का फायदा किस प्रकार से किसी और ने लिया ? इस सम्भाग अधिकारी ने मांगी लाल नाम के एक व्यक्ति को नरेन्द्र कुमार जैन बता कर उस लिस्ट का लाभ दिया। उसको कहा, तुम दरख्वास्त दो मैं नौकरी देता हूं। उसने नरेन्द्र कुमार जैन के नाम से दरख्वास्त लिखी। 20 तारीख को उसने दरख्वास्त दी। उस दरख्वास्त के आधार पर, क्रमांक 90 पर है नरेन्द्र कुमार जैन, नौकरी करना चाहता है, आपके सम्भाग अधिकारी ने 24 तारीख को उसको नियुक्ति पत्र हाजिर कर दिया। श्रीमान्, यह लगभग दो महीने तक चलता रहा। यह जो टेम्प्रेरी लगा हुआ था 12 रुपये रोज पर बहुत ही काबिल आदमी था, एक बार फ्लाइंग स्क्वाड जा रहा था–7-2-83 के दिन उसकी चैकिंग हुई। जो चैकिंग पार्टी थी उसने रिमार्क लिख दिया। रिमार्क लिखने के बाद जब एक आर. ए. एस. आफिसर से बात हुई तो उसने स्वयं मांगी लाल को कहा कि तुम हमारे यहां जो थाना है उस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दो कि मेरा थैला गुम हो गया। 8-2-83 को आकर उसने रिपोर्ट दर्ज करवा दी कि मेरा थैला गुम हो गया है। अब इधर से अधिकारियों ने यह कह दिया कि तुम अपने कागजात लाओ। जब कागजात नहीं आये तो पुलिस सर्च करती करती नरेन्द्र कुमार जैन के एड्रेस पर पहुंची। नरेन्द्र कुमार जैन यहीं जयपुर की रोडवेज में नौकरी करता था। जब उसके घर पुलिस पहुंची, तो उसने कहा, मैं तो पहले से ही नौकरी करता हूं और मेरी तो जयपुर सम्भाग में नौकरी लग चुकी है। फिर छानबीन करने पर पता लगा मांगी लाल जैन नाम का व्यक्ति था जिसको इस सम्भाग अधिकारी ने इस पद पर लगाया। आप बता दीजिये, कहीं ऐसा होता है क्या कि किसी व्यक्ति को लगाते समय उसके किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट नहीं देखे जावें, इस बात का वेरीफिकेशन नहीं किया जाय कि यह वास्तव में नरेन्द्र कुमार जैन है या और कोई एक्स, वाई, जेड है। इस प्रकार की अनियमितता करके आपने उसको लगाया।

श्रीमान, यही नहीं, एक के बाद एक आश्चर्यजनक बातें हो रही हैं और लोग प्रयत्न करके थक गये हैं, लोगों की हिम्मत टूट गई है। आपके यह भी ध्यान में होगा कि ई. एस. आई का जो अकाउन्ट है, उसमें कर्मचारियों का कुछ पैसा जमा होता है, और यह पैसा नियमित रूप से जमा होता रहता है, हर महीने जमा होता है। राजस्थान के सारे डिपो पर तो यह व्यवस्था है कि चैक के द्वारा पैसा जमा होता है, लेकिन आपके यहां कि जो व्यवस्था है उसमें अधिकारी की विशेषता यह है कि वह नकद पैसे जमा कराता है। श्रीमान्, आपको सुन कर ताज्जुब होगा, जिस व्यक्ति के पास यह पैसा जमा कराने की जिम्मेदारी थी वह नकद पैसे बैंक के लेकर जमा करने का फार्म अपने हाथ से भरता था और फार्म पर लिख कर ठप्पा लगा लिया करता था और बाद में खाली जगह छोड़ दिया करता था। दो हजार जमा कराये और इस तरह हिसाब से एडजस्ट करता था कि 22 हजार कर दिये जायं और शब्दों में लिखने की उसके पास गुंजाइश रहे। श्रीमान्, कितनी ही बार ऐसा करके उसने एक लाख 55 हजार रुपया

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जमा कराया लेकिन हर बार यह इसी प्रकार भर भर कर रुपया जमा कराता रहा। मैं पूछना चाहता हूं, आपको दो साल तक इस बारे में पता कैसे नहीं लगा जबकि हर महीने बैंक से रिपोर्ट आती है कि इतना पैसा जमा कराया गया है और इतना निकाला गया है और यह आपका अकाउन्ट रहा। तो इसके कारण क्या हैं ? कारण यही है कि उस गरीब व्यक्ति को बीच में रखा कि तुम करे जाओ, मैं बैठा हूं, किसी बात की चिन्ता मत करो। वह इस प्रकार पैसे जमा कराता रहा और जब पता चला तो पिछले मार्च के महीने में आपने उस कर्मचारी को निकाल दिया, हटा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, कभी आपने इस बात की छानबीन की कि एक छोटा सा कर्मचारी इतना बड़ा गबन कर सकता है क्या। यह सारे अधिकारी मिलकर उससे गबन कराते रहे और अपनी चौथ वसूल करते रहे। इस प्रकार एक व्यक्ति को हैंग करके आपने बता दिया कि हमने गबन करने वाले व्यक्ति को सजा दी है। क्या कभी आपने सम्भाग अधिकारी को मुअत्तिल करने की बात कही ? उसको आपने एक क्षण के लिये भी दोषी नहीं माना।

श्रीमान्, यही नहीं, नागौर के अन्दर जो गबन हुआ था, उस गबन में राजेन्द्र सिंह सिसोदिया ने दूसरे कर्मचारियों के नाम से दस्तखत करके उनके पैसे उठा लिया। जब लोगों को पता लगा कि वह पैसे उठ गये, लगभग पांच, साढ़े पांच हजार रुपया था और जब शिकायत संभाग अधिकारी को की, तो उसने चतुराई की कि नागौर में गबन हुआ है और यहां हड़कम्प मच रहा है इसलिये अगर इसका स्थानान्तरण भीलवाड़ा कर दिया जाय तो सारी बात खतम हो जायगी। तो श्रीमान् उस छोटे कर्मचारी, जो निर्दोष था, का भीलवाड़ा ट्रान्सफर कर दिया। एफ. आई. आर. दर्ज होती, मुकदमा दर्ज होता, पुलिस केस बनता और वह अरेस्ट होता लेकिन यह कोई कार्यवाही नहीं की। उसके कारण विभाग को यहां से कार्यवाही करनी पड़ी, उसको ससपैण्ड करना पड़ा। आपने तो उसको भीलवाड़ा भेज दिया। कई दिनों से अखबारों में चर्चा आ रही है, जो आपके ध्यान में भी होगी, मामा-भानजी प्रकरण में। सम्भाग अधिकारी की भानजी एडवोकेट है। उस भानजी एडवोकेट ने मामा को जो चिट्ठी लिखी है, उसको मैं सदन में पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि उसके आधार पर यह बात सच हो जायेगी कि किस प्रकार का व्यक्ति है जो लगातार बेईमानी करता चला आ रहा है। जो लोग ससपैण्ड होते हैं उनको बहाल करने के लिये दुकानदारी चला रखी है। तीन तो भानजे और एक भानजी, इन चारों ने मिल कर अजमेर सम्भाग के सारे लोगों को दबा कर रखा है। भानजी जो एडवोकेट है, उसकी चिट्ठी पढ़ कर सुनाता हूं:—

"प्रिय मामाजी,

नमस्कार।

इस कण्डक्टर के केस का भी ध्यान रखना है। आजकल नागौर आगार के अलावा अन्य आगार के केस कम आ रहे हैं। आप मेरे द्वारा प्रस्तुत केसेज पर निर्णय भी करना प्रारम्भ कर दें तो हमें अच्छा

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

साधन मिल सकता है। मैंने कल आपसे मिलने के लिये कई प्रयास किये तथा आज सुबह से दो-तीन बार फोन कर चुकी हूं परन्तु आप नहीं मिले तथा मेरा सम्पर्क "गजराज" यह भी इनका भानजा है, "मेघ-राज" यह भी इनका भानजा है, "शमशु-दीन" यह भी इनका भानजा है, "से नहीं हो सका इसलिये इस पत्रवाहक के साथ मजबूरी में पत्र भेज रही हूं। यह ऊंचा आसामी है परन्तु आपसे केवल हां चाहता है, भेंट मिलने पर पत्र को जला देवें।

आपकी भानजी,
रेखा।"

आपसे इसके बारे में पूछा तो कहते हैं, नहीं, यह तो नकली साइन है। श्रीमान् सभापति महोदय, अगर आप चाहें तो मैं यह ओरिजिनल पत्र सदन की मेज पर रख सकता हूं। उसकी भानजी ने इस प्रकार की चिट्ठी लिखी है। आये दिन लोग सस्पेण्ड होते हैं, श्रीमान्। कोई बात नहीं सस्पेण्ड होते हैं, अगर कोई अनियमिता करता है और यह अधिकारी सस्पेण्ड करे हमें इस बात में कोई एतराज नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो है कि सकता 15 टिकट की गलती वाला व्यक्ति तो सस्पेन्शन से वापस नौकरी पर लग जाय और जिसके दो टिकट की गलती निकल जाय, दो टिकट पकड़े जायं उसको आप हैंग कर दें, उसको मार दें।

इसी संदर्भ में आपको ध्यान दिलाऊं, नानक राम अजमेर संभाग का परिचालक था, कण्डक्टर था। उसकी मृत्यु पिछले 13 अक्टूबर के दिन अजमेर के फाईसागर बांध में कूद जाने से हुई है। उसकी घटना क्या आपके मन को नहीं कचोटती ? नानक राम दोषी था, कोई बात नहीं, उसको सजा मिलनी चाहिये, मैं भी इसके लिये तैयार हूं। लेकिन उसका गुनाह तो यही था कि उसके दो टिकट कम थे। अब दो टिकट नहीं होने के कारण, श्रीमान् पहले तो उसको सस्पेण्ड किया और सस्पेण्ड करने के बाद यह मामा-भानजा सौदा तय करते हैं; सौदे के कारण कोई उससे बड़ी रकम मांगी। वह बड़ी रकम की व्यवस्था नहीं कर सका। व्यवस्था नहीं करने के कारण 10 अक्टूबर के दिन आपके विभाग ने उसको टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेशन के कागजात जब उसकी जेब में आये तो वह 13 तारीख को निराश होकर अपने घर से अपना पत्र दबा कर प्लास्टिक के कवर में रख कर फाईसागर में कूद गया। उसने हत्या कर ली अपने आपकी। उसकी मृत्यु हो गई। उसके पिता ने जो एफडेविट दिया उसको पढ़कर भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। यही नहीं, उस समय अजमेर में जो पत्र प्रकाशित हुए, उन पत्रों के माध्यम से भी आपको यह जानकारी मिल चुकी है कि पुलिस ने उसकी लाश को बरामद करने के बाद उसके पिता को सूचना भी इसी पत्र के आधार पर दी थी। सेवामुक्त कर दिया गया इसलिये दुखी होकर उसने फाईसागर की झील में कूद कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस को यह जानकारी मृतक के पास मिले उसके पत्र द्वारा प्राप्त हुई और उस पत्र के आधार पर उसने उसके पिता को जाकर सूचना दी। उसकी गलती यही थी कि उसके दो टिकट कम मिले। उसको सुने या समझे बिना टर्मिनेट कर दिया, निकाल दिया। जितनी रकम उससे

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मांगी थी उतनी रकम की व्यवस्था वह गरीब होने के नाते नहीं कर पाया था। उसके पिता ने एक एफडेविट दिया है जिसको मैं पढ़कर सदन के सामने रखना चाहता हूं। मन्त्री महोदय, आप कुछ विचार करिये, एक गरीब व्यक्ति का बालक केवल छोटी गलती के कारण मर गया। मैं इसके लिये तैयार हूं कि अगर उसने गलती की है तो निश्चित रूप से उसको सजा देनी चाहिये, लेकिन मन में आक्रोश इस कारण से आता है कि मेरे पास पच्चीसों नाम हैं जिनको 15 टिकट कम होने के कारण सस्पेण्ड किया है और वे फिर से नौकरी में लग गये हैं। चूंकि यह गरीब बाप का बेटा था और मांगी गई रकम की व्यवस्था नहीं कर सका था, इस वास्ते उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। श्रीमान्, उसके पिता के एफडेविट में लिखा है:

(2:00 म. प.)

"मैं कोडूमल, उम्र 55 साल, पुत्र श्री ठाकुर दास जी खिलवाणी, निवासी मुस्लिम मोची मोहल्ला, अजमेर।

यह कि मेरा पुत्र नानकराम पुत्र श्री कोडूमल राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, अजमेर आगार में परिचालक के पद पर कार्यरत था।

यह कि मेरा उक्त पुत्र निगम से सम्बन्धित किसी मामले में नौकरी से निलम्बित था।

यह कि मेरे पुत्र को ड्यूटी पर पुनः बहाल करने हेतु किसी अधिकारी ने भारी मात्रा में निर्णय हेतु रिश्वत मांगी थी तथा उक्त अधिकारी ने यह भी धमकी दी कि वह उक्त रिश्वत की राशि अदा नहीं करेगा तो उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जावेगा।

यह कि मेरा पुत्र दिनांक 13.10.83 को डाक से आये एक पत्र को लेकर घर से गया था तथा दिनांक 15.10.83 को क्रिश्चियनगंज अजमेर की पुलिस ने घर पर आकर मुझे यह सूचना दी कि नानक राम ने फाईसागर में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है।

" यह कि मृत्यु से दो दिन पूर्व मेरे पुत्र नानकराम ने मुझे बताया था कि मुझे नौकरी पर पुनः बहाल हेतु मेरे निर्णय देने वाले अधिकारी मुझसे भारी मात्रा में रिश्वत मांग रहे हैं। जिस कारण मेरा पुत्र मानसिक रूप से परेशान व उदास दिखाई देने लग गया था। इसी कारण यह इस प्रकार का प्रकरण जिस अधिकारी के कारण से हुआ, जिसके कारण से मेरे पुत्र ने आत्महत्या की है।"

ऐसा हो रहा है, श्रीमन।

यही नहीं, मेरे पास लम्बी चौड़ी लिस्ट 30 मामलों की है, जो एक से बढ़ कर एक संगीन है। यहां तक कि तीन केस तो बलात्कार के हुए जिनका अन्य माननीय सदस्य वर्णन करेंगे। मैं आपसे इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक छोटे से कण्डक्टर को तीन टिकट नहीं काटने से, 5 टिकट नहीं काटने से हम फांसी के तख्ते पर लटका सकते हैं? बहुत अच्छा है, लटकाइये। अगर

(श्रीगुलाबचन्द कटारिया)

सुधार के लिए करना हो तो आवश्यक है, करिये। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा अधिकारी है और एक के बाद एक लगभग 64 प्रकरण में जांच होने के बाद, सिद्ध हो जाने के बाद भी अगर उसके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाय, उसको किसी तरह नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाय। मैं, मन्त्री महोदय, मांग करना चाहता हूँ आपसे, यदि आप यह मानते हैं कि वास्तव में हम राजस्थान रोडवेज को सुधारना चाहते हैं तो इस इतने बड़े अधिकारी के द्वारा की गयी अनियमितताओं के कारण आप इसको निलम्बित करें और इसकी जांच करायें। आज आप अभी यहां से फोन करके उसकी जितनी फाइले हैं उनको अजमेर में सीज करा दो। यह 64 प्रकरण नहीं, 164 प्रकरण निकलेंगे। ऐसी फाइले निकलेंगी जो इस प्रकार दबा-दबाकर के लोगों से पैसा वसूल करते हैं। लोगों को बहाल करने की कार्यवाही के लिए दुकानदारी चल रही है। मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगर वास्तव में राजस्थान रोडवेज की हालत…

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : को सुधारने का प्रयत्न करना चाहते हैं तो इस अधिकारी के खिलाफ आज ही आप अपनी घोषणा करें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। श्री बंसीलाल पटवा। कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : मैं तो संक्षेप में बोलूंगा।

सभापति महोदय, यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया, श्री कटारिया जी ने कई आरोप लगाये हैं। यह आरोप नहीं हैं, जो यथार्थ है वह उन्होंने प्रकट किया। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि जो भी प्रकरण इन्होंने अभी प्रकट किये हैं, केवल 2,4,10 प्रकरण नहीं हैं, जैसा इन्होंने कहा 164 प्रकरण मिल सकते हैं। मैं आपको अर्ज करूं 164 क्या, इससे भी अधिक मिल सकते हैं। इस व्यक्ति आर. के. जोधा, जो वहां परिवहन अधिकारी बैठा हुआ है, ने आज दिन तक बहुत इर्रेगूलेरिटीज की हैं। यह जो मामा-भांजा प्रकरण चल रहा है, इसमें शंकर सिंह, गजराज सिंह, मेघराज सिंह और भान्जी रेखा जो एडवोकेट है, और जोधा ने मिलकर एक तरह से क्राइम ब्रांच खोल रखी है। क्रिमनल आफेन्स किस तरह से किये जा सकते हैं रोडवेज या राज्य परिवहन निगम में, क्राइम करने के लिए इन्होंने गिरोह बना रखा है। कई लड़कियां ऐसी हैं जिनको भर्ती किया जाता है और भर्ती करने के बाद इर्रेगूलेरिटीज में कहीं फंस जाती हैं तो उनको ग्रेट दी जाती है और ग्रेट देने के बाद जब वह मिलती हैं, रिश्वत नहीं दे पाती हैं तो उनको वासना तृप्ति का साधन भी आर. के. जोधा बनाता है। ऐसी स्थिति है वहां पर।

यह नागौर में 60 हजार का पे बिल गायब होना, एक लाख 35 हजार की ई. एस. आई. की अंश राशि जमा नहीं कराना, इस आर. के. जोधा के कई इस प्रकार के सिमिलर केस हैं, सिमिलर प्रकरण हैं। एक

(श्री बंसीलाल पटवा)

को तो पृथक किया नौकरी से और एक को पृथक नहीं किया क्योंकि उसमें रिश्वत मिली। कई इस तरह के मामले हैं। जो अपराध अधिक करता है उसका बहाल कर दिया जाता है और जो माइनर अपराध करता है उसको बहाल नहीं किया जाता। जैसे एक नानक राम का आत्महत्या वाला मामला है। दो टिकट के मामले को लेकर उसको कई दिनों तक तो ताड़ना, यातना दी गयी, ग्रेट दी गयी। हम यह नहीं कहते कोई इर्रेगुलेरिटी परिवहन निगम में करें तो उनको रक्खा जाय। हम यह कभी नहीं चाहते। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस तरह के माइनर अपराध करने वालों को नौकरी से पृथक किया जाय और इससे भी बड़े गबन करते हैं उनको संरक्षण दिया जाय? राज्य परिवहन में, मैं समझता हूं सबसे बड़ा क्राइम करने वाला आदमी, क्रिमनल जो बैठा हुआ है वह आर. के. जोधा है। यदि राज्य परिवहन निगम में आप सुधार करना चाहते हैं तो यह जितने प्रकरण हैं इनकी विस्तार से जांच करायी जानी चाहिए। मैं सोचता हूं, मन्त्री महोदय,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आर. के. जोधा के बारे में जो रिप्लाई आया है या जो भी उनके पास सबूत हैं या आधार हैं, उन प्रकरणों की उस आधार पर जांच कराने की बात तो अलग है लेकिन उसको जब तक नौकरी से नहीं हटाया जायेगा तब तक और भी कई लोगों के हौसले पस्त होते रहेंगे।

इस आर. के. जोधा के और भी मैं उदाहरण दूं, अभी तो दारूबन्दी इस राजस्थान में नहीं है, जब दारूबन्दी थी उस समय अपराध करने के लिए किस तरह से यह प्रश्रय और प्रोत्साहन देता था जब प्राहिबिशन था, दारूबन्दी थी उस समय कोई कण्डक्टर जाता तो कहता कि तुम दिल्ली जाओ व्हिस्की ले आना, तुम जाओ मौजे की जोड़ी ले आना, तुम सिल्वर स्टोर्क के बनियान ले आना। इस तरह से छोटी-छोटी रिश्वत से लेकर के बड़ी-बड़ी रिश्वत तक इस आदमी ने ली है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊ...

श्री सभापति : समाप्त कीजिए कृपया।

श्री बंशीलाल पटवा : मैं एक मिनट आपसे अर्ज करूं, नानक राम के बारे में मैं अर्ज करूंगा। केवल दो टिकट का फाल्ट निकला। माइनर अपराध निकला। दो आदमी बैठाये गये आर. के. जोधा के कहने से। आर. के. जोधा ने उनको भेजा और उसके बाद पकड़वाकर इस तरह से जलील किया। मजबूर हो कर नानक राम ने आत्महत्या की। इस तरह के कई प्रकरण हैं। आपको बताऊं, यदि हम पढ़कर सुनायें तो एक नहीं पचासों प्रकरण हैं। आप जांच करेंगे तो कई प्रकरण मिलेंगे। तो मेरा, सभापति महोदय, आप के माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन है, आप अच्छाई के हर समय हामी रहे हैं, राज्य परिवहन निगम के महाप्रबन्धक यदि कोई आदेश देते हैं तो उसकी वह अवहेलना करता है। भारत बन्द के दौरान यदि माइनर टेम्प्ररी कर्मचारियों की भर्ती करने की बात की जाती है तो स्थायी भर्ती करता है, राज्य परिवहन निगम को सबसे ज्यादा आघात देने

(106)

(श्री बंसीलाल पटवा)

वाला यदि कोई आदमी है तो वह आर. के. जोधा है। जब तक इसके खिलाफ सख्त का कार्यवाही नहीं की जायेगी तब तक यह निगम घाटे में जायेगा। मैं तो आपको बताऊं, यदि क्राइम करने वाला सबसे बड़ा शिरोमणि राज्य परिवहन निगम में कोई है तो आर. के. जोधा है। इसको पुलिस में दिया जाय। इसके खिलाफ कार्यवाही की जाय। आज दिन तक कइयों ने जांच करने के लिए शिकायतें कीं तो उनको नौकरी से पृथक किया गया। मैं सोचता हूं, यदि राज्य परिवहन निगम के बड़े अधिकारी और मन्त्री महोदय इस तरह के कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रोटेक्ट करते रहेंगे तो राज्य परिवहन निगम कभी लाभ में नहीं चल सकता, हानि में आयेगा। मेरा आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यही निवेदन है कि आर. के. जोधा सबसे बड़ा क्राइम करने वाला है। यदि राज्य सरकार को क्रिमनल्स चाहिए तो फिर तो उसको बख्शीश दो। हमारा यही निवेदन है क्रिमनल्स यदि चाहिए राज्य सेवा में राज्य सरकार को···

श्री सभापति : समाप्त कीजिए।

श्री बंसीलाल पटवा : तो फिर तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाय। अन्यथा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाकर तुरन्त उसको सस्पेण्ड करने के साथ साथ पुलिस में दिया जाय ताकि उसने इस तरह न कितने भी क्राइम किये हैं उनके लिये उसको सजा मिल सके।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : माननीय सभापति महोदय···

श्री सभापति : दो माननीय सदस्य ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। आपको नयी बात कहनी हो तो···

श्री अनंगकुमार जैन : मैं तो डायरेक्ट प्रश्न ही पूछ लेता हूं मन्त्री महोदय से।

श्री सभापति : प्रश्न पूछिये।

श्री अनंगकुमार जैन : माननीय मन्त्री महोदय, आर. के. जोधा के बारे में माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार के मामले रखे, मैं भी कुछ प्रश्न मन्त्री महोदय से उनके बारे में पूछना चाहूंगा। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। श्री आर. के. जोधा के भांजे गजराज सिंह और शंकरसिंह इस विभाग में कार्यरत हैं। वैसे तो आपके राजस्थान रोडवेज के अन्दर जो नौकरी दी जाती है उसके अन्दर भारी भ्रष्टाचार किया जाता है लेकिन एक सम्भाग प्रबन्धक के सारे ही रिश्तेदार एक ही विभाग के अन्दर नौकर हों, तो क्या आप इस बात की जांच करवायेंगे ? यह जो शंकरसिंह और गजराजसिंह हैं, क्या गजराजसिंह के बारे में आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह पिछले दो साल से कौन से पद पर काम कर रहे हैं, इन्होंने किस पद पर क्या कार्य किया और ड्यूटी दी ? यह पिछले दो वर्षों से वहां पर बैठे हुए हैं। कोई कार्य नहीं करते हैं। इनका एक मात्र कार्य यही है कि जो कण्डक्टर सस्पेंड होता है, जिन कण्डक्टरों की नई नियुक्ति होती है, उनसे सौदा तय करना और उनसे पैसा लेकर उस पैसे को आर. के. जोधा को पहुंचाना। यही कार्य और यही ड्यूटी राजस्थान राज्य रोडवेज ने इनको

(श्री अनंगकुमार जैन)

दी हुई है। क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नियमों में ऐसा प्रावधान कर दिया है कि एक आदमी बैठ कर यही काम करता रहे? इनको ट्रांसफर अजमेर से झालावाड़ किया गया। जो व्यक्ति आर. के. जोधा का भांजा है, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप होने के कारण उसका ट्रांसफर अजमेर से झालावाड़ किया गया लेकिन उसके कुछ ही समय पश्चात् चूंकि इनकी दुकानदारी बन्द होती नजर आई इसलिये इन्होंने किसी प्रकार से एडजस्टमेंट करके उनको झालावाड़ से वापस अजमेर लगाया। इसके ऊपर भी आप प्रकाश डालें कि उनको वापस झालावाड़ से अजमेर लगाने की क्या जरूरत थी?

दूसरा, इनका भांजा, माननीय सभापति महोदय, शंकरसिंह है। आपके यहां प्रथम श्रेणी वायरमैन का कोई पद नहीं है। प्रथम श्रेणी वायरमैन का कोई पद नहीं है आपके अजमेर सम्भाग में, लेकिन शंकरसिंह को प्रथम श्रेणी वायरमैन के पद पर लगा रखा है अजमेर में। इनको वहां से सेलेरी दी जा रही है। जब आपके राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में ऐसा कोई पद नहीं है, उसके बावजूद उसको सेलेरी दी जा रही है तो क्या आप इस मामले की भी जांच करवायेंगे और जांच करने के बाद उचित कार्यवाही करेंगे?

तीसरा, माननीय सभापति महोदय, यह जो जोधा साहब हैं, भ्रष्टाचार के नये-नये तरीके ढूंढ़ने में भी बड़े माहिर हैं। मिस्टर जोधा का जब एक तरीका समाप्त हो जाता है, एक रास्ता बन्द हो जाता है तो नया रास्ता फिर खोल लेते हैं। जो सस्पेंड हो जाते हैं, मान लीजिए, जो एम. डी. हैं, जनरल मैनेजर हैं वह आदेश पारित कर देते हैं, किसी कण्डक्टर को सस्पेंड कर देते हैं, उसके बाद उस आदेश की अवहेलना करने का तरीका यह ढूंढ़ते हैं। उस व्यक्ति का सस्पेंशन आर्डर सर्व नहीं होने देते हैं। उसको इतना मौका देते हैं कि अदालत में जाकर दावा पेश करके आठ पन्द्रह दिन में स्टे आर्डर ला दें। स्टे आर्डर लाने के बाद उसकी क्रियान्विति कराना इन्हीं के हाथ में होता है। ऐसे कई कण्डक्टर जिनको हैड आफिस से सस्पेंड किया गया है, उनको पर्याप्त समय दे करके अजमेर कोर्ट से स्टे प्राप्त कर लिए हैं। तो आप यह भी बताने का कष्ट करें कि राजस्थान के कई कोर्ट्स के अन्दर जो दीवानी मुकदमे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अगेंस्ट में लम्बित हैं, अजमेर सम्भाग के अन्दर उससे कई गुना अधिक मामले क्यों लम्बित हैं? सबसे ज्यादा स्टे आर्डर अगर कहीं प्राप्त हुए हैं तो वह अजमेर सम्भाग में प्राप्त हुए हैं। यह स्टे आर्डर प्राप्त कराने के लिए स्वयं आर. के. जोधा जिम्मेदार हैं, स्वयं इनकी की जिम्मेदारी है। यह जो सम्भाग प्रबन्धक हैं, उन मामलों को अच्छी तरीके से नहीं देखते हैं। तो क्या आपने इसकी जिम्मेदारी कभी इन पर कायम की? इनकी जिम्मेदारी है और इनकी नेग्लीजेंस के कारण आपके हायर आफिसर्स के आर्डर्स की क्रियान्विति नहीं होती है, न मुकदमों के अन्दर किसी तरीके से पैरवी होती है। जैसा माननीय सदस्य कटारियाजी ने कहा, उनकी भांजी अदालत में पैरवी करती है।

(श्री अनंगकुमार जैन)

इस लिहाज से इस प्रकार के मामले में रोडवेज के आदेशों को क्रियान्वित नहीं होने देते हैं। तो यह जिम्मेदारी भी उन पर आयतद होती है। आपने कभी इस बातको नहीं देखा कि अजमेर सम्भाग के अन्दर इतने अधिक मामले होते हैं, कोर्ट से स्टे आने के बाद उस सम्भाग प्रबन्धक के खिलाफ आपने कोई कार्यवाही की हो तो वह भी बताने का कष्ट करें।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, जैसा इन्होंने दो टिकट वाले कण्डक्टर का उदाहरण दिया, मैं सिर्फ दो उदाहरण आपको दूं। वैसे तो ऐसे सैकड़ों कण्डक्टर हैं जो दस टिकट पर, 15 टिकट पर, आठ टिकट पर पकड़े गए···

श्री सभापति : डिटेल में जाने की क्या आवश्यकता है ?

श्री अनंग कुमार जैन : दो कण्डक्टर का नाम बता रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, एक अजमेर सम्भाग का परिचालक पुरूषोत्तम और एक ब्यावर सम्भाग का परिचालक राजेन्द्रसिंह। इन दनों को 15-15 टिकट नहीं होने पर पकड़ा गया। इनको सस्पेंड किया गया और सस्पेंड करने के बाद··· ·

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य, दुबारा नाम बता दें इन कण्डक्टरों के।

श्री अनंग कुमार जैन : यह अजमेर सम्भाग के कण्डक्टर हैं, साहब, पुरूषोत्तम और ब्यावर सम्भाग के हैं राजेन्द्रसिंह। इन दोनों को सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड करने के बाद जांच में सही पाया जाता है······

श्री सभापति : एक एक केस का यहां पर उदाहरण देंगे क्या ?

श्री अनंग कुमार जैन : नहीं साहब, मैं तो उदाहरण इसलिए दे रहा हू कि दो टिकट वाले को आत्महत्या करनी पड़ती है पैसा नहीं देने के कारण और 15-15 टिकट वाले कण्डक्टर पकड़े जाते है उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है उसके बाद उनको आर. के. जोधा पैसा ले करके वापस रख लेते हैं। इससे यह स्पष्ट रूप से प्रभाणित होता है, माननीय सभापति महोदय, 15 टिकटों के आधार पर जिसको सेवामुक्त कर दिया गया उस व्यक्ति को फिर राजस्थान राज्य रोडवेज में नौकरी दी गई तो इसका मतलब यह है कि भ्रष्टाचार किया है, पैसा ले करके उनको नौकरी पर रखा है. मैंने तो दो उदाहरण इसलिए दिये हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ऐसे कई केसेज हैं लेकिन मैंने दो उदाहरण इसलिए दिये हैं कि 15 टिकटों में जो पकड़े गए, जिनको टर्मिनेट किया गया उनको जोधा ने नौकरी पर रख लिया।

श्री सभापति : समाप्त कीजिए।

श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : सम्माननीय सभापतिजी, दुख का विषय है कि बारबार इस प्रकार के समाचार···

श्री सभापति : कृपया सक्षेप में ही अपनी बात कहें।

श्री दाऊदयाल जोशी : समाचार पत्रों में लगातार इस प्रकार की खबरें आ जाने के बावजूद, आपके उप प्रबन्धक के. एस. पारीक ने जो जांच की थी उसमें 65 चार्जेज में से 30 प्रकरणों में अपराध सिद्ध हो जाने के बावजूद विभाग किस कारण से इस विषय में रिधकरण जोधा पर कार्यवाही नहीं कर रहा है, मुझे तो आश्चर्य यह है, सभापति महोदय, यह सही है जैसा गुलाबसिंहजी ने कहा कि भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं पकड़े जरूर पहले के मुकाबले में ठीक हुई हैं। आपने अपने अस्सी पर्सेन्ट जो कर्मचारी थे, परिचालक थे, उनको सस्पेंड कर दिया भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर। आज उन अस्सी पर्सेंट व्यक्तियों की जगह अस्थायी, डेली वेजेज के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अजमेर सम्भाग में करीब चार सौ कर्मचारी ऐसे हैं जो डेली वेजेज पर थे जिनको पकड़ा गया है बिना टिकट के मामलों में। किसी को पूरी बस के मामले में, किसी को 10 टिकट के मामले में, किसी को बीस टिकट के मामले में पकड़ा गया। पकड़ने के बाद सस्पेंड कर दिया, नौकरी से अलग कर दिया। उनको तो कोई चार्ज शीट देने की जरूरत नहीं है अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसी दिन उसकी सर्विस टर्मिनेट की जाती है लेकिन आज की तारीख में आप जांच करायेंगे तो रिधकरण जोधा के कारण तीन सौ कर्मचारी सस्पेंड हो जाने के बावजूद भी किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी तरीके से दूसरे नाम से या दूसरे प्रकार से वहां आज भी कार्यरत हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि अजमेर सम्भाग में जो ओमप्रकाश सोलंकी था, जिसको आपके सीनियर आफिसर जी. एम. सेठी ने कोटा-भोपाल रोड पर पकड़ा, क्या हुआ उसका ? उसको सेठी ने पकड़ा और टर्मिनेट कर दिया, बर्खास्त कर दिया। सेठी तो है जी. एम. और छोटा सा अधिकारी है यह हमारा रिधकरण जोधा, जो न मालूम किसकी कृपा के कारण अपने आपको सुपर बोस मान कर चलता है। इन्होंने जी. एम. के आदेश की पालना न करते हुए वापस इस आदमी को नौकरी पर ले लिया। आश्चर्य है जी. एम. बड़ा है या रिधकरण जोधा बड़ा है। यह बात, माननीय मन्त्री महोदय, स्वयं आपके लिए सोचने का विषय है।

सभापति महोदय, अगर कोई इससे अकड़े तो उसकी पिटाई कराने में भी इसको देर नहीं लगती। क्या यह सही नहीं है कि अजमेर में सहायक आगार प्रबन्धक चिरंजीलाल को पीटा गया और पीटने वाला कर्मचारी था शशिकुमार ? शशिकुमार के खिलाफ ऊपर चिरंजीलाल ने शिकायत की। वहां पर तो कोई कार्यवाही नहीं हुई लेकिन जब ऊपर के अधिकारियों को शिकायत की रिटन में तो उसको वहां से चार्ज शीट दी गई। माननीय मन्त्री महोदय, आप यह भी जानते हैं कि शशिकुमार के खिलाफ कार्यवाही क्या हुई। क्या उसको बर्खास्त कर दिया गया है ? चार्ज शीट का क्या परिणाम रहा ? चार्ज शीट को समाप्त करा कर, सारे केसेज को विदड्रा करा कर आज भी

(श्री दाऊदयाल जोशी)

शशिकुमार अजमेर आगार के अन्दर कार्यरत है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय गुलाबसिंहजी ने दो टिकट की बात कही। नागौर आगार में मणिराम को 15 यात्रियों के मामले को लेकर चार्ज शीट दी गई। एक तरफ नानकराम को दो टिकटों के मामलों को लेकर आत्महत्या करनी पड़ी और दूसरी तरफ मणिराम को 15 टिकटों के मामले में एक बार पकड़ा गया, 12 टिकटों के मामलों में दूसरी बार पकड़ा गया उस आदमी का केवल मात्र ट्रांसफर श्रीमान् जोधा साहब ने अजमेर आगार से नागौर आगार में कर दिया और कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि वह उसके निकटस्थ व्यक्ति हैं।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। ब्यावर आगार पर आपकी लिपिक थी कुमारी नर्मदा राठौड़। इस नर्मदा राठौड़ ने अवैध संतान पैदा की। अवैध संतान के मामले में अजमेर के थाने में केस रजिस्टर हुआ। केस रजिस्टर होने के बाद इस नर्मदा राठौड़ को तुरन्त टर्मिनेट किया जाना चाहिए था लेकिन दुर्भाग्य है कि इस कामुक व्यक्ति की हविश के कारण इस नर्मदा राठौड़ को वापस नौकरी पर लिया गया। सभापति महोदय, यह बड़े अनुभवी, बड़े तेज, बड़े होशियार अधिकारी आपके हैं। जो मासिक पास इश्यू होते हैं उन मासिक पास को बदलना भी आप ठीक प्रकार से जानते हैं। यह फोटोस्टेट कापी मेरे पास है जिस पास को आपने बदला। वह जिस जिस व्यक्ति का जिस प्रकार से चाहें पास बदल देते हैं। माननीय मन्त्री महोदय, आपसे पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि तीन साल हो गए, सब लोग चाहते हैं, सारे कर्मचारी, सारे व्यक्ति, विभाग इस व्यक्ति से परेशान है। आज सदन भी इस पर विचार कर रहा है, इससे पहले भी हमारे गुलाबजी ने, कैलाश जी ने प्रश्न रखे। आज भी कैलाशजी का प्रश्न है। कल की तारीख में गुलाबजी का प्रश्न इसी सत्र के अन्दर लगा हुआ है। इसके बावजूद भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय मन्त्री महोदय, आप निश्चित रूप से आश्वासन देंगे आज ही इस व्यक्ति के विरुद्ध सही कार्यवाही करने पर विचार करेंगे।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय सभापति महोदय···

श्री सभापति : आपका नाम तो नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : आज सवेरे प्रश्नकाल के समय प्रश्न पूछा गया था, मैंने कहा था कि···

श्री सभापति : बोल लीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से 2–3 बातें पूछना चाहूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में जितनी चर्चाएं हुई है, अखबारों में आया है, विधान सभा में आया है, चाहे वह बीकानेर आगार रहा हो, चाहे वह नागौर आगार रहा हो, चाहे अजमेर आगार रहा हो अनेकानेक शिकायते हैं। इस बारे में मेरा सबसे पहला निवेदन आपके द्वारा यह है कि जिन जिन लोगों के खिलाफ गबन के, फर्जी काम करने के इम्परसोनेशन करने के, चीटिंग करने के और दूसरी तरह के पुलिस के हस्तक्षेप के योग्य अपराध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत बनते हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? जैसा अभी आया कि गबन किया और गबन करने के बाद उसको नौकरी से छुट्टी दे दी गई। क्यों ? क्या देश का कानून नहीं है भारतीय दण्ड संहिता ? क्या उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत नहीं की जानी चाहिये थी ? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर पुलिस में शिकायत नहीं की गई तो कारण क्या है ? मैं आरोप नहीं लगाना चाहता। न चेयरमैन पर, न मैनेजिंग डायरेक्टर पर और न किसी पर आरोप लगाना चाहता हूं। सिर्फ आश्वासन चाहता हूं कि इस व्यक्ति ने किन किन मामलों में इम्परसोनेशन किया। जो आदमी महेशकुमार है नहीं, उसको महेश कुमार कह करके मैदान में खड़ा कर दिया। सारे देश में अजमेर सम्भाग और राजस्थान रोडवेज की किरकिरी हुई है। जो पास इश्यू किये जाते हैं उनमें फर्जी तरीके से फेरबदल किया जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करूं, सभापति महोदय, मन्त्री जी से इस बारे में स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा। आज जितनी शिकायते हुई हैं वे सारी आपके पास हैं. उन शिकायतों को छांट लीजिये। उनमें से जितनी शिकायतों की पुलिस में इत्तला दी जानी चाहिये थी क्योंकि पुलिस के हस्तक्षेप के योग्य अपराध थे, अगर इत्तला नहीं दी है इस अधिकारी ने, तो इसका मंतव्य क्या था। इसलिये एक तो शिकायत दिलवाइए पुलिस में और अगर नहीं दी है शिकायत पुलिस में तो इसके खिलाफ कार्यवाही कीजिये, नम्बर एक।

नम्बर दो, स्वयं श्री जोधा के खिलाफ कई ऐसे आरोप हैं जो सिद्ध भी हुए हैं और उनमें जांच भी चल रही है जो कि प्रकरण पुलिस में दिये जाने चाहिये थे। तो मेरा, सभापति महोदय, आपके द्वारा निवेदन है कि जो ऐसे आरोप आपके सामने हैं, आप उनको एग्जामिन कर लीजिये। मैं नहीं चाहता कि कोई पूर्वाग्रह और दुराग्रह से चलें, आप उनको एग्जामिन कर लीजिये और एग्जामिन करके प्राइमाफेसी अगर आप संतुष्ट हैं कि यह भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध हैं तो उसकी सूचना पुलिस को देने की घोषणा कीजिये।

तीसरा, सभापति महोदय, आपने कई जांच करने के आदेश दिये। लम्बे समय से जांच हो रही है। उन जांचों को लम्बित क्यों किया गया ? उनमें देरी क्यों की गई ? देरी करने के बाद रिपोर्ट कब सबमिट हुई एम. डी. के पास ? कब तक वह पड़ी रही ? चेयरमैन के उस पर क्या रिमार्क थे ? यह जो प्रक्रिया लम्बी की गई है, इसमें जो ढिलाई बरती गई है, जो इसको धीमी गति

(श्री कैलाश मेघवाल)

से किया गया है उसके दोषी कौन कौन व्यक्ति हैं, यह भी आप घोषणा कीजिये कि उनके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे। स्वयं श्री जोधा के नीचे काम करने वाले जो लोग हैं, उनके प्रति जो उनके अधिकार हैं उन अधिकारों का प्रयोग देखिये, दो सवारी वालों को बड़ा दण्ड और 15 सवारियों का टिकट नहीं काटा उसको छोटा दण्ड। माननीय मन्त्री महोदय को मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह सिम्पल कैसेज हैं, इसमें कोई लम्बा चौड़ा जाने की आवश्यकता नहीं है। एक कंडक्टर जो टिकट काटता है उसने पांच टिकट कम काटे उसकी सजा और दूसरा जिसने 15 कम काटे उसकी सजा में अगर कहीं कमी बेसी है और अपराध के अनुपात में सजा नहीं दी गई है तो ऐसी सजा नहीं देने के कारण भी बहुत साफ हैं। ऐसे सारे प्रकरणों, जिसमें आपके इस अधिकारी ने सजाएं दी हैं, की जांच करवाये। अगर अपराध के अनुपात के हिसाब से सजाएं नहीं दी गई हैं तो उसका मंतव्य स्पष्ट जाहिर होता है, उसके खिलाफ कार्यवाही करने की घोषणा कीजिये।

बस यही सवाल पूछने थे और इसीलिये इस सारी पृष्ठभूमि में जब मेरा सवाल आया तब मैंने इस समय के लिये अपना अधिकार सुरक्षित रखा था। यह 4-5 प्रश्न आपके सामने पूछने थे। माननीय सभापति महोदय, माननीय यातायात मन्त्री जी बड़ी सतर्कता से, बड़ी होशियारी से, बड़ी तेजी से इस सारे विभाग को सुधारने में लगे हुए हैं, तो यह सारी प्रक्रिया कितने दिन में आप पूरी कर देंगे यह भी स्पष्ट रूप से इस सदन में आज घोषणा कीजिये।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : 1-2 पाइन्ट हैं, सभापति महोदय।

श्री सभापति : अभी आपका उत्तर हो जाय। बाद में....

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मन्त्री, यातायात) : सभापति महोदय, आज सदन में कई माननीय सदस्यों ने इस ओर ध्यान दिलाया कि जोधाजी जो रोडवेज के अन्दर आर. एम. हैं, के खिलाफ कई तरह की शिकायतें हैं। मैं इस सम्बन्ध में अपनी कुछ बात कहूं, माननीय सदस्यों को यह बतलाना उचित समझूंगा कि राजस्थान पथ परिवहन निगम ने कुछ अर्से से सक्रिय कदम उठाये हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा कि केवल कंडक्टर्स और ड्राइवर्स और छोटे-छोटे मुलजिमों को सस्पेंड करने और नौकरी से निकालने का कार्य राजस्थान पथ परिवहन निगम ने किया है। यह बात नहीं है। हमने जो कुछ अर्से में जिन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की है उनमें बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी राजस्थान रोडवेज के सम्मिलित हैं। मैं यह भी बतलाना चाहूंगा कि 1982-83 में जैसा आपको मालूम होगा, हमने एल. एस. झाला, सम्भाग प्रबन्धक, यू. डी. खन्ना, यातायात सलाहकार, एवं श्री महेन्द्रसिंह, सहायक सम्भाग प्रबन्धक को 57 अ के अन्तर्गत सेवा से पृथक किया है और आप ही के कोटा के आर. एन. सक्सेना कार्य कर रहे थे उनको

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

हमने सेवा से अनिवार्य रूप से पृथक किया है उनका कारण खास तौर से यही था।

इसी प्रकार से बहुत सी शिकायतें थीं कि 15 टिकट नहीं काटे हैं या 10 टिकट नहीं काटे हैं उनको बहाल कर दिया, उनको सेवा में लगा दिया। इस प्रकार की बहुत सी शिकायतें थीं। उन लोगों के खिलाफ अपनी तरह से कार्यवाही करते थे। हमने विभाग के अन्दर इस बात को पैदा किया है कि जो भी गलतियां करेंगे, चाहे वह आर. एम हों चाहे डी. एम. हों, चाहे इंस्पेक्टर हों, चाहे छोटे-छोटे कर्मचारी हों, सबके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी इस ओर तेज गति से काम करना शुरू किया।

माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने जोधा के खिलाफ बहुत से प्रश्न यहां पर उठाये, बहुत सी बातें यहां पर कही। बहुत सी बातों में भ्रष्टाचार की बात भी कही गई, और भी कई तरह की अनियमितताओं की बात भी कही गई। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि जोधा के खिलाफ जो बिन्दु उठाये गये हैं, बहुत से बिन्दुओं के अन्दर बहुत हद तक सत्यता भी नजर आती है। परन्तु हमको किसी भी निर्णय को करने के लिये, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये जांच की कार्यवाही करनी पड़ती है, जब तक हम उस जांच की कार्यवाही को सम्पन्न नहीं कर लें तब तक उस संबंध मेंकोई एक तरफा निर्णय दे दें, यह ठीक प्रतीत नहीं होता।

मैं आपके सामने पहले यह बात बता देना चाहता हूं जिन बिन्दुओं पर आपने प्रकाश डाला है, जो बात मेरे पास है, उसके बाद में मैं क्या कार्यवाही करूंगा वह बात कहूंगा। पहला, जैसा आपने कहा कि भारत बन्द के दौरान उन्होंने कण्डक्टर्स का अपाइमेंटमेंट किया। तो मैं पहले आपको स्थिति स्पष्ट कर दूं किस स्थिति में उन्होंने कैसे अपाइंटमेंट किया, कब एक्शन लिया। बहुत सी बातें आपको भी ध्यान में हैं, आपने अपने भाषण में कह दिया कि उन्होंने भारत बन्द के दौरान कुछ कंडक्टर्स को लगाया, भारत बन्द के दिन तो उन्होंने ड्यूटी जोइन नहीं की उसके बाद ड्यूटी जोइन करवा दी गई। यह आपने भी कहा और मैं भी इस इस बात को मानता हूं, मार्च के महीने में जब यह बात सामने आई तो उनको सेवा से पृथक कर दिया। इसमें आपके और मेरे बीच में भेद-मतभेद यह नहीं है कि मैं इस बात से मना कर रहा हूं। इसके बाद आज यह बात विभाग के नोटिस में लाई गई कि भार बन्द के दौरान उनको अधिकार दिया गया था कि भारत बन्द के दौरान कार्यवाही ठप्प न हो जाय इसलिये कण्डक्टरों की भर्ती कर लें। वह काम उन्होंने किया, ठीक किया। वह हमारे आदेश से किया था, पथ परिवहन निगम के आदेश से किया था। परन्तु तीन दिन बाद, जब भारत बन्द का काम समाप्त हो गया, 19 तारीख थी, उसके बाद अगर कोई आदेश दे दिया गया और वह ड्यूटी जोइन करने आये थे तो उनको ड्यूटी जोइन वहां नहीं करवानी चाहिये थी। इन अनियमितताओं की जांच करने के बाद जोधा को दोषी पाया गया और उनको वार्निंग विभाग की तरफ से दी गयी। यह बात तो आज की जो स्थिति है वह मैं आपको बता रहा हूं, इस कार्य के लिये उनको वार्निंग पथ परिवहन निगम की तरफ से दी गयी है।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

दूसरा सवाल इस बात का है, यह जो आपने कहा और जिस तरह से इस बात को उठाया, इससे मेरा भी सिर झुकता है कि बाहर से लोग खेल खेलने की भावना से आये थे इसमें कोई भी आदमी गलत नाम से खेले, चाहे वह महाराष्ट्र का हो या दूसरी जगह का हो और उन्हें यह पता नहीं हो कि यह कौन खेल रहा है। जैसा मेरी जानकारी में है इसके लिये एक कमेटी बनी हुई है। यह आपने बताया कि 20-21 मार्च, 198 को अखिल भारतीय पथ परिवहन निगम ने एथलेटिक प्रतियोगिता आयोजित की थी उसमें 100, 500, 1500 मीटर की दौड़ के खेल खेले गये थे, उसके अन्दर हमारा जो व्यक्ति खेला है वह फर्स्ट आया और महराष्ट्र का सैकिण्ड आया। जो इस खेल की कमेटी बनी हुई है उसके अन्दर यू.डी. खन्ना, लक्ष्मण स्वरूप, राकेश कुमार, आर. के. जोधा और संतोष कुमार पारीक यह पांच आदमी थे, इन पांचों आदमियों ने उस समय इस बात का ध्यान नहीं दिलाया, चाहे सभी के मन में हो, राजस्थान के लोग थे और सबके मन में यह बात हो कि हम जीत जायेंगे, यह जो ट्राफी है, हमारे पास आ जायेगी परन्तु कुछ दिनों के बाद इस बात की जानकारी हुई। मैं माननीय सदस्यों के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि उस समय किसी को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, किसी ने बताया नहीं। तो मैं इस बात को इस तरह से मानता हूं कि हमारे जो खिलाड़ी राजस्थान के थे, बाहर वालों को पता नहीं हो सकता था कि कौन खेल रहा है। तो यह बात उस समय हुई। इस सम्बन्ध में अब एक्शन क्या लेना है, यह मैं आपको बाद में बताऊंगा।

नरेन्द्र जैन, परिचालक की फर्जी नियुक्ति की बात है। जैसा आपने बताया कि नरेन्द्र जैन के नाम से एक व्यक्ति ने 21·12·82 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया और 82 में चयन समिति द्वारा चयन किये गये नरेन्द्र कुमार जैन के नाम से प्रतिदिन के हिसाब से वेतन भोगी परिचालक के पद पर उसकी नियुक्ति दी गयी। आपने बताया कि जो व्यक्ति पकड़ा गया उसने पकड़े जाने के बाद थैला जमा नहीं कराया। वह रिपोर्ट मेरे पास आयी। यह बात जो आपने कही उसको मैं वैसी की वैसी मानता हूं। यह जो व्यक्ति पकड़ा गया, पकड़े जाने के बाद, इस व्यक्ति की तफतीश के पश्चात् यह ज्ञात हुआ कि यह कर्मचारी मांगीलाल था। उसको पकड़ लिया लेकिन उसने थैला जमा नहीं कराया, यह सब जानकारी की तो मालूम हुआ। उन्होंने एक रिपोर्ट पुलिस में करायी। अब पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद यह मामला ऐसा हो गया कि कार्यवाही पुलिस की तफतीश में चली गयी, यह मामला वहां चला गया।

इसी तरह से 1,35,000 रुपये का गबन हुआ जो आपने बताया। इसमें ऐसा है कि 1,35,000 रुपये का गबन जो हुआ है वह जोधा के टाइम में नहीं हुआ है, यह अलग अलग आर. एम. के टाइम में हुआ है। के. एन. गुप्ता, यू. डी. खन्ना, एल.एस. झाला, नारायणसिंह चौधरी पहले रहे हैं और 25·1·82 से जोधा साहब वहां पर हैं। इसी तरह से 1,55,964.25 रुपये का गबन हुआ। जैसा आपने बताया कि कर्मचारी रामधन इतना होशियार था कि वह 200 रुपये लिख कर जगह खाली रख लेता था और बाद में 10 हजार .00 उसमें भर

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

लेता था। 10 का खाना खाली रख लेता था, इस प्रकार का काम करता था। वह पकड़ में आ गया। पकड़ में आने के बाद हमने वहां पर एक जांच अधिकारी भेजा जो हमारे अकान्ट्स का आफिसर था, सहायक लेखाधिकारी था। जब यह बात हुई तो उसने एक रिपोर्ट दर्ज करायी। 23.5.84 को एफ.आई.आर. दर्ज हुई। इसके बाद से इस मामले की भी जांच चल पड़ी। अब वह भी जांच विचाराधीन है।

इसके बाद नागौर गबन काण्ड हुआ उसके अन्दर राजेन्द्र सिंह सिसोदिया, कनिष्ठ लिपिक के विरुद्ध कर्मचारियों ने लिखित में शिकायत की थी। उसमें भी आप देखें, उक्त घटना क्रम से यह इंगित होगा कि तदनुकूल सतर्कता एवं दायित्व के साथ कार्यवाही करने का काम अधिकारियों को सौंप दिया है। उसको आप कहते हो, भीलवाड़ा से हटाया। पथ परिवहन निगम की मन्शा यह है कि वह किसी तरह से उस इन्क्वायरी के अन्दर अपनी दखलन्दाजी नहीं करें इसलिये उसको वहां से हटा दिया। आप कहते हो, उसका दबाने के लिये हटा दिया गया। यह दोनों अलग अलग वर्णन हो सकते हैं। इसमें यह मामला है सिसोदिया के खिलाफ।

इसी तरह से बहुत से अखबार हैं, मैं जब आपको जवाब दे रहा हूं तभी मुझे मालम पड़ा है कि कोई राजमेल दैनिक अखबार अजमेर से निकलता है। हर अखबार हर आदमी के पास तो आता नहीं। जिस अखबार में यह प्रकाशित हुआ, उस प्रकाशन के आधार पर ही पथ परिवहन निगम ने उसकी जांच की कार्यवाही शुरू कर दी। अभी भी सतर्कता विभ ग, जो पथ परिवहन निगम का है उसकी जांच की कार्यवाही कर रहा है। उसके बारे में आपके पत्र की बात भी, जैसा आपने कहा, आपके पास पत्र है और उनके जो भानजे हैं वह भी ऐसा काम कर रहे हैं, यह भी सही है। जहां तक नानकराम की संदिग्ध मृत्यु की बात है, यह आपने कहा कि दो यात्रियों के मामले में इसे निलम्बित कर दिया। यह दो यात्रियों का तो सवाल नहीं है। यह कई बार कहा है कि दो-दो यात्रियों का यह एक बार का नहीं है। दो यात्री 240 किलोग्राम लगेज, दो यात्री बिना टिकट, इस तरह एक बार का नहीं है, कई बार का है। यह तो कोई बात नहीं है। इस बात का दुःख हो सकता है, उस परिचालक के मन के अन्दर उसको नौकरी से जो निकाला गया उसकी वजह से यह आया और उसने अपने आपको मृत्यु के समर्पित कर दिया हो। मैं इस बात पर अपनी ओर से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इसके पीछे कोई गड़बड़ है, मुझे तो ऐसा मालूम नहीं देता कि उसको निकालने में हमने कोई अनियमितता बरती हो। परसों जैसा आपने कहा 15-15, 10-10 सवारियों से पैसा लेने पर जिन लोगों को निकाला है, उन लोगों को फिर से नौकरी में ले लिया गया है। जो यह मसला है क्वेश्चन के माध्यम से कई माननीय सदस्यों ने उठाया, मुझसे कुछ मिले भी थे और आपने भी हाउस में जिस तरह से इस मसले को उठाया है इस पर मैं केवल एक बात आपसे कहूंगा कि यह जितने भी मसले हैं, इन का कार्यभार मैं अपने यहां के सबसे बड़े, उच्च अधिकारी को

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

सौंपूंगा। 10-10 सवारियों के जो कन्डक्टर पकड़े गये हैं उनमें से कितने बहाल किये हैं और जैसा आपने कहा 1,55,000 रुपये को गबन हुआ उसमें जिनके समय में गबन हुआ उनकी, कितना सुपरवाइजरी नेग्लीजेन्स है और उन पर क्या भार पड़ता है, किस प्रकार की गलतियां उ होने की हैं, इन सभी बातों को दृष्टि में रखते हुए राजस्थान पथ परिवहन निगम के उच्च अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे और दो माह के अन्दर इस बात की रिपोर्ट प्रस्तुत कर इनके खिलाफ जो भी कार्यवाही की जा सकती है वह कार्यवाही करेंगे। हम कहीं भी किसी भी भ्रष्टाचारी को, कहीं भी किसी गलत काम करवाने वाले व्यक्ति को, कोई गरीब व्यक्ति को सताने वाला हो उसको कहीं भी बख्शना नहीं चाहते। हमारे मन में यही है कि राजस्थान पथ परिवहन निगम में भ्रष्टाचार समाप्त हो और राजस्थान पथ परिवहन निगम का कार्य सुचारु रूप से चले, व्यवस्थित रूप से चले। यह तभी सम्भव है जब हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो। हमारी रीढ़ की हड्डी हमारे छोटे कर्मचारी हैं, कन्डक्टर हैं, ड्राइवर हैं, छोटे काम करने वाले हैं, कार्यशाला में काम करने वाले हैं। उन्हें न्याय नहीं मिला, न्याय मिलने की उचित व्यवस्था नहीं हुई तो कभी रोडवेज सही ढंग से नहीं चल सकता है, यह मेरे मन की बात है। इसलिए माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि दो माह के अन्दर जो भी उसके सम्बन्ध में उचित से उचित कार्यवाही हो सकेगी वह करेंगे और यदि दोषी पाऊंगा तो जो भी सख्त से सख्त कदम मेरी ओर से उठाया जा सकता है वह मैं उठाऊंगा। यही आश्वासन मैं इस समय दे सकता हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आपने यह सारी बातें स्वीकार की हैं और दो माह में जांच कराने का सदन में आश्वासन दिया है तो क्या बड़ी बात हो जायेगी दो माह के लिये उसको सस्पैंड करके या वहां से हटा कर जयपुर हैडक्वार्टर पर ले लें और सारे दफ्तर के रिकार्ड को आज ही सीज कर दें और फिर जांच करायें ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : उच्च अधिकारी जायेगा, आर. एम. से बहुत उच्च अधिकारी जायेगा। आप एकतरफा बात न करें, न्याय करें तो दो तरफा करें। उसको भी न्याय मिलना चाहिए, उसको भी अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिये। किसी प्रकार की बात मन में न रखें कि जांच होगी या नहीं होगी। आपको आश्वासन दिया है।

श्री सभापति : बहुत स्पष्ट आश्वासन है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने आपको बहुत स्पष्ट आश्वासन दिया कि दो माह के अन्दर उच्च अधिकारी जांच करेंगे और जो होगा उसका फैसला कर दिया जायेगा। अब शंका करना मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, सारे रिकार्ड को सीज कर लें जिसका सारी शिकायतों से सम्बन्ध है वरना वह रिकार्ड तो उसी व्यक्ति के अन्डर में

(श्री कैलाश मेघवाल)

उसी आफिस में रहेगा उससे निश्चित रूप से, चाहे आप किसी को जांच के लिए भेज दें, वह प्रभावित करेगा । इसलिये आप निलम्बित कर देंगे या दो माह के लिये हटा देंगे तो मैं समझता हूं कि आपने जो आश्वासन दिया है वह ज्यादा सार्थक होगा ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य कैलाश मेघवालजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारा रिकार्ड मंगाकर देखा है, न वह बदल सकता है, न उसको और कोई बदला सकता है, न उसमें कोई हेराफेरी कर सकता है । वह रिकार्ड मैंने देखा है । उस रिकार्ड के आधार पर ही यह जवाब दिया है । माननीय सदस्य को किसी प्रकार का संशय नहीं रहना चाहिए ।

श्री सभापति : श्री पटवा ।

श्री बसीलाल पटवा : मेरा एक पाइन्टेड सवाल यह है, मन्त्री महोदय ने जांच करने की दृष्टि से दो माह की अवधि बतायी हमें इस बारे में एतराज नहीं है, इस बात का तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन प्रश्न इस बात का है कि जब दो महीने में उच्च अधिकारी के द्वारा जांच की जायेगी तो जो प्रभावित अधिकारी है—

श्री सभापति : वह बात आ गयी है....

श्री बसीलाल पटवा : पाइन्टेड सवाल रख रहा हूं, माननीय सभापति महोदय । मेरा निवेदन यह है कि निश्चित रूप से यदि आर. के. जौधा पद पर बने रहते हैं, चाहे आपने रिकार्ड देख लिया हो, लेकिन यदि वह पद पर बने रहेंगे तो निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे । हमारा निवेदन है कि या तो उनको हटाया जाय या उनको सस्पेंड करें, यही निवेदन है ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : किस को प्रभावित करेंगे ? रिकार्ड की बात है, बयान तो लेना नहीं है । जो कुछ आपने कहा रिकार्ड की बात है । वह रिकार्ड को तो प्रभावित नहीं करेंगे । वह तो मैंने देख लिया है । बात तो रिकार्ड की ही है ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, उत्तर आने दें ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : किसी बयान की बात करते हैं कि कण्डक्टर का बयान लेंगे तब तो प्रभावित करने वाली बात आती है। रिकार्ड की बात है । जो भी लांछन लगाये हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं, जो भी और कमियां और खामियां बतायी हैं वह तो रिकार्ड की बात है । रिकार्ड के बारे में आपको बता दिया कि सब रिकार्ड मेरे सामने आ चुका है । इसलिये कह दिया कि हेराफेरी नहीं हो सकती है ।

श्री वाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन है कि आपकी विजीलेंस कमेटी गयी थी, उसको उसने रिकार्ड नहीं दिया । मेरा निवेदन करना यह है कि रिकार्ड निश्चित रूप से गायब हो जायेगा अगर आपने रिकार्ड

(श्री दाऊदयाल जोशी)

सीज नहीं किया या हटाया नहीं तो । मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो पारीक कमेटी बनी थी साल भर पहले उसका जांच प्रतिवेदन आपके दफ्तर में पड़ा हुआ है, वह धूल खा रहा है । मुझे फिर डर है, आश्वासन आपने दिया 2 माह का, निश्चित रूप से आप जांच करेंगे लेकिन होगा क्या ? इस अधिकारी के रहते साल भर से पुरानी जांच रिपोर्ट पर ही कार्यवाही नहीं हुई है ।

श्री सभापति : बिराजें ।

श्री दाऊदयाल जोशी : 7 दिन पहले जो आपकी विजीलेंस कमेटी गयी थी, लाख कोशिश करने के बावजूद उसको रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया । जो अधिकारी अपने से बड़े अधिकारी को बर्खास्त कर दे, जिनको बड़े अधिकारी ने बर्खास्त किया उनको फिर से बहाल कर दे वह उसमें कितना कुशल होगा । हमारी मांग है कि उसको सस्पेंड करें या वहां से रिकार्ड मंगाकर उसको सीज करें ।

श्री सभापति : बिराजें । श्री जोशी बिराजें ।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से 4-5 पाइन्टेड सवाल पूछना चाहता हूं । एक तो क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज में जितने अधिकारी हैं उन अधिकारियों में सबसे ज्यादा कार्य सेवा के प्रशंसा-पत्र श्री जोधा को मिले हैं....

श्री सभापति : कृपया सुनें ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : नम्बर दो है, मन्त्री महोदय क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि नरेन्द्र जैन परिचालक की फर्जी नियुक्ति के मामले में श्री जोधा ने ही दूसरे कर्मचारी जो नौकरी पर था, को पकड़ कर पुलिस के सुपुर्द किया ?

नम्बर तीन ई. एस. आई. का जो मामला है, 1,35,000 हजार का जो गबन है, क्या श्री जोधा ने ही इस मामले को प्रकाश में लाकर मैनेजर को पुलिस में कार्यवाही करने के लिये आदेश दिया ? नागौर गबन काण्ड में क्या मैनेजर को श्री जोधा ने ही पुलिस कार्यवाही करने के आदेश दिये ? मामा-भांजी काण्ड है उसके बारे में मेरा निवेदन है कि आप उस पत्र को मंगा कर देखें । क्या कोई भानजी अपने मामा को चिट्ठी लिखेगी तो टाइप करके चिट्ठी लिखेगी ? नहीं लिखेगी । उसके दस्तखत मिलाये जायं । वह फर्जी दस्तखत हैं । टाइप करके चिट्टी कोई भांजी मामा को नहीं लिखती है । क्या वह लिखेगी, सभापति महोदय ? आपकी भांजियों ने भी आपको चिट्ठी लिखी होगी, माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : आप तो कृपया प्रश्न पूछें ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जनता पार्टी का

(श्री भैरूसिंह गुर्जर)

जिस समय राज था उस समय श्री भागीरथ सिंह डी. आई. जी. बीकानेर थे। क्या यह सही है कि उन्होंने भी प्रशंसा-पत्र श्री जोधा को दिया ? क्या जी. बी. सिघानिया, डी. आई. जी. ने भी प्रशंसा-पत्र श्री जोधा को दिया ? क्या यह भी सही है कि श्री जोधा को एक दर्जन से ज्यादा प्रशंसा-पत्र मिले हैं ? माननीय विधायक जो आरोप लगा रहे हैं, कैलाश मेघवाल को छोड़कर एक भी उसको शक्ल से नहीं जानते हैं। एक परिचालक आचार्य नाम का था जो टिकट की बुक चुराकर ले गया था, उसको श्री जोधा ने पकड़ कर पुलिस के हवाले करने की कोशिश की थी। माननीय कटारियाजी, जो विपक्ष में आते हैं, से उस परिचालक ने अनुनय विनय की, और जितनी असत्य बातें उसने कही उसके आधार पर माननीय सदस्य एक कॉल अटेंशन मोशन इस सदन में ले आये। इस निगम के ईमानदार अधिकारी, योग्य अधिकारी के ऊपर जो आरोप लगाये हैं, वे निराधार व असत्य हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप, मन्त्री महोदय, उस अधिकारी को प्रशंसा-पत्र दें। यह जांच कराने की कोई आवश्यता नहीं है। आज तक उसके सर्विस रिकार्ड में उसके विरुद्ध एक भी जांच नहीं हुई। अगर हुई हो तो वह त्याग-पत्र देने को तैयार है। इसलिये, मन्त्री महोदय, आपको इसकी जांच कराने की कोई आवश्यता नहीं है। उनको प्रशंसा-पत्र दें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : मन्त्री महोदय, कुछ कहना चाहेंगे—

(व्यवधान)

बिराजें। उन्होंने अपनी बात कही है, उत्तेजित होने की चेष्टा न करें।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : आपने उसकी शक्ल देखी है ?

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आपने—

श्री सभापति : माननीय कटारियाजी, बिराजें।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : माननीय सदस्य, आप देखें, उसका काम कितना अच्छा है, अधिकारी कितना अच्छा है—

श्री सभापति : कृपया बिराजें। मन्त्री महोदय।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह बिकाऊ माल नहीं है, गुर्जर।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : शक्ल देखी है क्या, दाऊदयाल जी ?

श्री दाऊदयाल जोशी : देखी है, जानता हूं।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : कोटा वाले को जानते होंगे, अजमेर वाले को नहीं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जोशी जी, बिराजें। मन्त्री महोदय।

श्री जयकृष्ण शर्मा : उन्होंने बात कही योग्य, कुशल, प्रशंसा योग्य अधिकारी हैं।

(१२०)

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

तो वह क्या हैं, यह विवाद का प्रश्न नहीं है। इन्होंने एक मुद्दा उठाया है, जो प्रश्न उठाये हैं उसमें कुछ शंका नजर आती है, सन्देह नजर आते हैं। जो बातें इन्होंने उठायी हैं, हरेक व्यक्ति, जो अच्छा प्रशासन चलाये, के लिए उचित होगा कि जो भी सन्देह व्यक्त करें उसके बारे में हम जांच करवा लें, इन्क्वायरी करा लें। अगर अच्छा होगा, प्रशंसा के लायक होगा तो प्रशंसा भी करेंगे। अगर गलत होगा तो दण्ड भी दिया जायेगा। यह विवाद का विषय नहीं है। मुद्दे जो उठाये हैं उनका स्पष्टीकरण करना तभी सम्भव होगा जब कि सही तरीके से उसकी जांच करवा लें। इसमें कोई बात नहीं है। अगर जांच ईमानदार व्यक्ति के खिलाफ करा ली जाती है तो वह पाक-साफ हो जाता है इसलिए इसमें कोई बहस की बात नहीं है। माननीय सदस्य ने कुछ मुद्दे उठाये थे, अच्छा यह है कि उनका निराकरण हो जाये। क्योंकि जो बात विचाराधीन है उसका जवाब क्या दूं ? विचाराधीन है। विचाराधीन है तो यही मतलब है कि हम जांच करवा लें और आवश्यक कार्यवाही करवा दें। मैं माननीय सदस्यों को यही कहना चाहूंगा कि जितने भी मैंने आश्वासन दिये हैं, बहुत दिल खोल कर दिये हैं और इसीलिये दिये हैं कि हम यह नहीं चाहते की प्रशासन में भ्रष्टाचार हो या कार्य करने की शैली में शिथिलता रहे। अच्छे काम हो, अच्छाइयां बढ़ें, काम तेजी से हो और कार्पोरेशन सही तौर से काम कर सके, इसी को दृष्टिगत रखते हुए मैंने आश्वासन दिया है। माननीय सदस्य मेरे आश्वासन से संतुष्ट होंगे और मैंने जो आश्वासन दिये हैं उनको मानेंगे कि मैं उसकी इन्क्वायरी करा दूंगा।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

व्यवस्था का प्रश्न

आडिट रिपोर्ट की प्रति सदन पटल पर रखने में विलम्ब

श्री जयकृष्ण शर्मा : सभापति महोदय, अभी थोड़ी देर पहले विपक्ष के नेता महोदय ने एक प्रश्न उठाया था कि विधान सभा में राज्य सरकार ने जो सन् 1981-82 का भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक और सिविल) पेश नहीं किया है। यह हमने 8 सितम्बर, 1983 को पेश कर दिया है इसलिये सूचनार्थ निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : जोधपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 1984। प्रभारी मन्त्री प्रक्रिया के नियम 259 को निलम्बित करने और उपरोक्त विधेयक को पारित करने के प्रस्ताव को वापस लेने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर। श्रीमान्, आप 259 को पढ़िये। यह जो विधेयक था यह पेश हो चुका था और पारित के प्रस्ताव की स्टेज पर चल रहा था। पारण के प्रस्ताव की स्टेज पर होने पर इस मोशन को 259 के अन्तर्गत नहीं लिया जा सकता।

"A motion raising a question substantially identical with one, on

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

which the House has given a decision in the same session, shall in no case be repeated.

यह प्रस्ताव जो था, तीसरे वाचन पर चल रहा था और पारित करने का मोशन हाउस के सामने था। उस समय इसको किया इसलिये इसको वापस नहीं लिया जा सकता 259 के अन्तर्गत।

(व्यवधान)

इस सत्र में नहीं, अब अगले सत्र में लेना है। नाम ही तो बदलना है और करना क्या है?

श्री सभापति : इस नियम को निलंबित करने के लिये भी प्रस्ताव रख रहे हैं। आपका यह पाइन्ट आफ आर्डर है कि 259 के अन्तर्गत ऐसा नहीं कर सकते, तो उस नियम को निलम्बित करने के लिये, सस्पेंड करने के लिये ही प्रस्ताव आ रहा है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : नियम को ही कैसे निलम्बित करेंगे?

श्री सभापति : यह तो प्रस्ताव आ ही रहा है। प्रस्ताव ही यह आ रहा है। प्रस्ताव वह ला रहे हैं उस पर आप विचार करियेगा फिर उस पर आपका मत होगा। प्रस्ताव लाने दीजिये। प्रस्ताव लाने पर क्या पाइन्ट आफ आर्डर है। प्रभारी मंत्रीजी जो प्रस्ताव रखना चाह रहे हैं वह नहीं रख सकते हैं, क्या इस पर कोई पाइंट ऑफ ऑर्डर है?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इस रूल को ही निलम्बित करेंगे?

श्री सभापति : वह प्रस्ताव ला रहे हैं उसको सुनिये आप। पहले प्रस्ताव तो आने दीजिये।

नियम का निलम्बन

प्रक्रिया के नियम 306 के अन्तर्गत जोधपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 1984 को पारित करने के प्रस्ताव को वापस लेने हेतु नियम 259 का निलम्बन

श्री बुलाकी दास कल्ला : सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि जोधपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 1984 को पारित करने का प्रस्ताव के संदर्भ में प्रक्रिया के नियम 259 को निलम्बित किया जावे और इस पारित करने सम्बन्धी विचाराधीन प्रस्ताव को निरस्त किया जावे।

श्री सभापति : अब आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जब प्रस्ताव थर्ड स्टेज पर हो तो इसी सत्र में उसको लिया जा सकता है क्या? कानून का प्रश्न यह है। जब हम इस पर थर्ड स्टेज तक पहुंच गये थे, क्या इसी सत्र में और इसी सदन में हम इसको रिपीट कर सकते हैं?

श्री सभापति : नियम 306 बिल्कुल क्लियर है।

श्री दाऊदयाल जोशी : नहीं कर सकते।

श्री सभापति : कृपया बिराजें । माननीय, सदस्य प्रक्रिया का नियम जो 306 है वह मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं ।

"Any member may, with the consent of the speaker, move that any rule may be Suspended in its application to a particular motion before the House, and if the motion is carried, the rule in question shall be suspended for the time being."

यह तो बहुत स्पष्ट है ।

आपने प्रस्ताव रख दिया ।

प्रश्न यह है कि प्रभारी मन्त्री द्वारा प्रक्रिया के नियम 259 का निलंबन करते हुए जोधपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 1984 को पारित करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

पारित करने का प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी ।

प्रभारी मन्त्री प्रस्ताव वापस लेंगे ।

श्री बुलाकी दास कल्ला : सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जोधपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 1984 को पारित करने के प्रस्ताव को वापस लेता हूं ।

जोधपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 1984
विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री सभापति : खंडश: विचार ।

खंड 2 से 8 तक कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 8 स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खंड 2 से 8 स्वीकार किये गये ।

खंड 9 प्रभारी मन्त्री सशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

श्री बुलाकी दास कल्ला : सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव खण्ड 9 में प्रस्तुत करता हूं :

5. I For Sub-clause (a) of clause 9 of the Bill, the Following Subclause be Substituted, namely :—

"(a) in Sub-section (1),

(I) In between the words "by the Chancellor" and the words "upon the recommendation", the expression," on the advice of the State Government," shall be in serted;

(II) the punctuation mark colon appearing after the words "Chairman of the Committee" shall be substituted by the punctuation mark full stop and the existing proviso shall be omitted;"

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

II. In sub-section (7) of section 11 of the principal Act, proposed to be substituted by sub-clause (c) of clause 9 of the Bill, in between the words "who shall make" and the words" such arrangement" the expression," on the advice of the State Government," be inserted.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड 9 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

प्रभारी मन्त्रीजी, अब संशोधन प्रस्तुत करेंगे। खण्ड 10।

श्री बुलाकी दास कल्ला : सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खण्ड 10 में इस प्रकार संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं–

Clause-10

6. In sub-section (8) propsed to be added in section 12 of the principal Act, by sub-cluase (a) of clause 10 of the Bill, the expression "and to impose such penalty as may be prescribed by Statute" be deleted.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 10 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 10 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 11 व 12 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 11 व 12 स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 11 व 12 स्वीकार किये गये।

खंड 13, प्रभारी मन्त्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री बुलाकी दास कल्ला : सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खन्ड 13 के लिये निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव पेश करता हूं।

Clause-13

7. In sub-clause (d) (iii) of clause 13 of the Bill, for the expression "for sub-clause (bb) and sub-clause (c)", the expression "for

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

sub-clause (bb) and clause (c) and the explanation there under" be substituted.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 13 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 13 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खंड 14 प्रभारी मन्त्री संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

(3.00 म. प.)

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : सभापति महोदय, मेरे अन्दाज से उस दिन स्पीकर साहब ने रूलिंग दी थी कि बैठने के बाद अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। पहले उस पर आज रूलिंग दे दीजिए।

श्री बुलाकी दास कल्ला : पारण के समय में बोल लेना।

श्री सभापति : बोलने के अधिकार का ना कब किया है ? जिस समय बोलना चाहें उस समय बोल सकेंगे।

श्री सी. पी. जोशी : हाउस में डिस्कशन होने के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय ने कमेटी बना कर बिल को लाने की बात कही थी। मेरे अन्दाज से वह बात अभी चल रही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : इन दोनों बिलों के लिए न तो कोई विपक्ष के माननीय नेता महोदय ने और न अपने माननीय सदस्यों ने एतराज किया था। पारित करवा दीजिए। यह बात की थी कि तीसरे वाचन पर बोल लेना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : यह हमारा रिजर्वेशन था, उस रिजर्वेशन के बावजूद यह व्यवस्था हुई थी। इससे ज्यादा सरकार संशोधन नहीं कर सकती, इस हालत में। बाकी यह मत मानकर चलिये कि जो कुछ आपने अमेन्डमेंट किया है उसको हमने स्वीकार किया है। उसमें रिजर्वेशन था और है।

श्री सभापति : खण्ड 14 में प्रभारी मन्त्री महोदय संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से मैं खण्ड 14 के लिए निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित करता हूं :

Clause-14

8. For sub-clause (2) of clause 14 of the Bill, the following sub-clause be substituted, namely :—

"(2) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :—

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

"(2) The elected members and members nominated under clauses (iv) (vi) and (viii) shall hold office for a period of three years and members nominated under clauses (ii) and (iii) for a period of one year from the date of election or nomination, as the case may be."

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड 14 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खंड 14 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खंड 15 से 19 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 15 से 19 स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 15 से 19 स्वीकार किये गये।

खंड-1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि।

प्रश्न यह है कि खंड 1, अधिनियमन, सूत्र, प्रस्तावना नाम आदि स्वीकार किया जायं ?

(स्वीकृत)

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये गये।

प्रभारी मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि जोधपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 1984 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

अब कोई बोलना चाहें, बोलें।

श्री बुलाकी दास कल्ला : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव लाने से पूर्व सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर बोलते हुए जो विचार रखे थे उनका 5 मिनट में संक्षेप में उत्तर देना चाहूंगा।

स्वर्गीय श्री जयनारायण व्यास का जन्म 18 फरवरी, 1898 को जोधपुर में हुआ था। वे बचपन से ही प्रतिभावन, तेजस्वी और जन सेवी व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन पर्यन्त राष्ट्र की सेवा की। 1918 में मैट्रिक परीक्षा पंजाब विश्वविद्यालय से पास करके उन्होंने अध्यापक के रूप में कार्य प्रारम्भ किया। वे अध्यापक के साथ साथ पत्रकार, जन सेवक, नेता और स्वतन्त्रता सेनानी भी थे। 1940 में उन्हें जोधपुर सलाहकार बोर्ड में नॉमिनेट किया गया।

(व्यवधान)

सन् 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में उन्होंने महती भूमिका अदा की। 1942 से

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

1945 के बीच में वे कई बार जेल गये। 1949 में उन्हें जोधपुर रियासत का प्रधान मन्त्री बनाया गया उन्होंने जोधपुर रियासत और राजस्थान के इलाकों की अपनी तरफ से खूब सेवा की। 1951 में वे राजस्थान के मुख्य मन्त्री बनाये गये। उन्होंने अपने मुख्य-मंत्रित्व काल में हरिजनों और गरीबों का उद्धार करने के लिए काफी काम किया। उन्होंने डकू समस्या के उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण कार्य किये, साथ-साथ भूमि सुधार कार्यों के माध्यम से भी राजस्थान की जनता को लाभान्वित किया। सभापति महोदय, उनके निधन के बाद कई सामाजिक संस्थाओं और राजस्थान के कोने-कोने "

श्री अहमद बक्श सिंधी : वह शेरे राजस्थान थे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बोल रहा हूं। उनकी स्मृति को और उनके द्वारा किये गये कार्यों को सम्मान देने के लिए यह मांग की गई कि शेरे राजस्थान, श्री जयनारायण व्यास जी के कार्यों को चिर स्थायी बनाने के लिए जोधपुर विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम से रखा जाय। इसके कारण इस प्रस्ताव को और इस विधेयक को सदन में हम लाये हैं।

इस विधेयक को जब विचारार्थ लिया गया था उस समय हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने धारा 12 की उप धारा (7) और (8), सिण्डीकेट में मनोनीत सदस्यों के कार्यकाल के बारे में कुछ मुद्दे उठाये। सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा, उप कुलपति द्वारा मनोनीत सदस्यों के कार्यकाल को एक वर्ष का रखा गया है, बाकी सब माननीय सदस्य विधान सभा के और अन्य जो मनोनीत सदस्य हैं, उनका कार्यकाल 3 वर्ष का रखा गया है।

इसी प्रकार से नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जोधपुर विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के बारे में प्रश्न उठाया। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा, जोधपुर विश्वविद्यालय का पहले क्षेत्राधिकार जोधपुर नगर पालिका तक सीमित था। अब स्पष्ट रूप से उसके क्षेत्राधिकार को परिभाषित कर दिया गया है। कमला नेहरू महा-विद्यालय, सायंकालीन अध्ययन संस्थान, इनको संघटक महाविद्यालय के रूप में, कॉन्स्टीट्यूएन्ट कालेज के रूप में और इनके साथ लाछूमल मेमोरियल, महेश ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट और एक अन्य संस्थान को एफीलिएटेड, सम्बद्ध महाविद्यालय के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके साथ-साथ राज्य सरकार गजट में नोटिफिकेशन निकाल कर विश्वविद्यालय के मार्फत किसी भी विद्यालय को इससे सम्बद्ध करने का क्षेत्राधिकार रखती है। ऐसे प्रावधान करके इसके क्षेत्राधिकार को बढ़ाया गया है।

सभापति महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने तो यहां तक कह डाला कि जोधपुर विश्वविद्यालय में पुलिस का राज और मीसा लागू कर दिया गया है। यह जो इस तरह के आरोप लगाये गये हैं वह बेबुनियाद, आधारहीन और तथ्यों से परे हैं। विश्वविद्यालयों का काम, सभापति महोदय, पाठ्यक्रम तैयार करना, परीक्षायें

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

आयोजित करना, परीक्षा परिणाम निकालना और अनुसंधान सम्बन्धी है। सभापति महोदय, इस जोधपुर विश्वविद्यालय में हम लोगों ने पिछले 2 वर्षों में लगातार नियमित रूप से परीक्षायें आयोजित की हैं, समय पर परीक्षा परिणाम निकाले हैं और पाठ्यक्रम, परीक्षा-परिणाम तथा अनुसंधान सम्बन्धी किसी भी कार्य में कभी भी पुलिस या प्रशासन की कोई दखलंदाजी विश्वविद्यालय में नहीं हुई है। इसलिए, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो आरोप लगाये हैं वे बेबुनियाद और आधारहीन हैं। इस सम्बन्ध में यह भी कहना चाहूंगा कि समय-समय पर विश्वविद्यालय परीक्षाओं में अशैक्षणिक तत्वों ने कानून-व्यवस्था की स्थिति में व्यवधान पैदा करने की कोशिश की है, उस समय पुलिस की इमदाद ले ली गयी है और वह लेना आवश्यक भी थी।

जहां तक प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति के बारे में और रजिस्ट्रार की प्रतिनियुक्ति के बारे में जो मुद्दे उठाये हैं, उस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि जोधपुर विश्वविद्यालय में 1978 के बाद से आज तक नियमित रूप से किसी भी रजिस्ट्रार की नियुक्ति नहीं हुई है। डिप्टी रजिस्ट्रार और आसिस्टेण्ट रजिस्ट्रार ही रजिस्ट्रार का काम कर रहे थे। इस व्यवस्था को माकूल बनाने के लिए विश्वविद्यालय के अनुरोध पर राज्य सरकार ने वहां पर रजिस्ट्रार की नियुक्ति की है। वह एक शिक्षाविद् हैं। सभापति महोदय, जोधपुर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार महाविद्यालयीय शिक्षा के सीनियर मोस्ट प्रिन्सिपल हैं। उनको हमने वहां रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति दी है प्रतिनियुक्ति पर। जब से उनकी नियुक्ति हुई है तब से विश्वविद्यालय के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में सुधार आया है। आपको, सभापति महोदय, इस बात की सम्भवतः जानकारी होगी कि इस बार जोधपुर विश्वविद्यालय की परीक्षायें समय पर प्रारम्भ हो गयी हैं। जोधपुर विश्वविद्यालय द्वारा समय पर परीक्षा परिणाम निकाल दिये जायेंगे। हमारा यह प्रयास है कि 7 जुलाई से पहले विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों को प्रारम्भ कर दें।

सभापति महोदय, कुछ और गम्भीर आरोप प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने उप कुलपति के कार्यकलापों पर लगाये। जो गम्भीर आरोप उन्होंने उप कुलपति के ऊपर लगाये हैं उनका निराकरण करना उचित समझूंगा। उन्होंने यह कहा कि स्वीकृत पद नहीं हैं, जोधपुर विश्वविद्यालय में अस्वीकृत पदों के विरुद्ध कुछ नियुक्तियां जोधपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति ने कर दी हैं। यह बात सही नहीं है। उन्होंने स्वीकृत पदों के विरुद्ध एडहॉक (अस्थायी) नियुक्तियां अवश्य की है। दूसरा आरोप उनका यह था कि कच्चे माल की स्वीकृति के विरुद्ध उन्होंने कुछ कर्मचारियों को नियुक्ति दे दी। तथ्य यह है, सभापति महोदय, कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 10 लाख रुपये की स्वीकृति इलेक्ट्रोनिक और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेन्ट से प्राप्त हुई थी जिसमें 2 लाख रुपये स्टाफ की नियुक्ति के लिये मन्जूर किये गये थे और उसी के आधार पर 3

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

मार्च, 1984 तक जोधपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति ने 30 हजार रुपये तक की राशि खर्च हो, ऐसे लोगों को नियुक्ति पर्याप्त स्वीकृति के आधार पर की थी। इसका कोई रेकरिंग एक्सपेंडीचर न तो विश्वविद्यालय पर आने वाला है और न राज्य सरकार पर आने वाला है और अगर भविष्य में आवेगा तो उसकी भारत सरकार और राज्य सरकार से स्वीकृति उप कुलपति द्वारा ली जायेगी।

इसके अतिरिक्त, सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कोरम के अभाव में कुछ मीटिंग संचालन के बारे में आरोप लगाया, यह भी निराधार है।

सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने वर्तमान उप कुलपति, जोधपुर विश्वविद्यालय के बारे में यह कहा कि उन्होंने अपनी पोती और पुत्रवधु को नियुक्ति दे दी और उसमें उन्होंने उनका पक्ष लिया। मैं इस सन्दर्भ में कहना चाहूंगा कि जोधपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति के कोई ग्रान्ड डाटर है ही नहीं, कोई पोती है ही नहीं, पुत्रवधु एक है, उनकी न तो जोधपुर विश्वविद्यालय में और न और कहीं पर नियुक्ति हुई है। इसलिये यह जो आरोप लगाया गया है, बेबुनियाद और आधारहीन है।

इसी प्रकार से, सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने बी. ई. (माइनिंग) के अन्तिम वर्ष के छात्रों के परीक्षा में नहीं बैठने और जिन विद्यार्थियों के जीरो मार्क्स, शून्य मार्क्स आये उनको पास करने के बारे में जो मुद्दे उठाये उस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि बी. ई. (माइनिंग) अन्तिम वर्ष के परीक्षार्थियों ने 70 मिनट तक परीक्षा हाल में परीक्षा दी और परीक्षा देते वक्त उन्होंने इस बात के लिये निश्चित रूप से मुद्दे उठाये, प्रश्न उठाये कि जो प्रश्न पत्र आया है वह असंतुलित है, पाठ्यक्रम के बाहर है। उनको बहुत समझाया गया। बावजूद इसके 70 मिनट के बाद उन्होंने परीक्षा का बहिष्कार किया। तत्पश्चात् रिजल्ट कमेटी, सिंडीकेट, सब लोगों के विचार-विमर्श करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया कि किसी एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा इस परीक्षा का मूल्यांकन किया जाय। तो जो परीक्षार्थी 29 थे, जिन्होंने परीक्षा दी थी उनकी कापियां जंचवाई गई एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा, और जो मार्क्स आये, उन मार्क्स को देखते हुए एवरेज मार्क्स रिजल्ट कमेटी के निर्णय के आधार पर सिंडीकेट के द्वारा अनुमोदित करा कर इन सारे कामों को एक तरह से कराया गया। पहले भी पूर्व में भी राजस्थान विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों के प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम के बाहर आये। सन् 1972 में राजस्थान विश्वविद्यालय के एम. ए. इकोनामिक्स (फाइनल) में स्टेटस्टिक्स का दो बार पाठ्यक्रम के बाहर आया और उसमें जो 3 प्रश्न पत्र थे उनके औसत मार्क्स को ध्यान में रखते हुए चौथे प्रश्न पत्र में औसत मार्क्स दिये गये। इस प्रकार की व्यवस्थायें नियमों में रहते हुये रिजल्ट कमेटी के निर्णयानुसार की गइ इसलिये उनके द्वारा जो आरोप लगाये गये थे, एक तरीके से सही नहीं है।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

इसी प्रकार से, सभापति महोदय, एक इन्होंने जो बी. एड. का प्रश्न पत्र था इवूलेशन मेजरमेन्ट एण्ड गाइडेन्स, इस प्रश्न पत्र के बारे में यह कहा कि वाइसचांसलर ने परीक्षा हाल में जाकर प्रश्न पत्र ही नया बना दिया। इसके संदर्भ में मेरा यह कहना है कि यह बात सही नहीं है। उप कुलपति और महेश टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल वह दोनों परीक्षा के समय हाल में गये और उन्होंने जाकर देखा कि वास्तव में प्रश्न पत्र असंतुलित है, पाठ्यक्रम के बाहर है और इसमें लगभग 5 प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ही असंतुलित हैं, पाठ्यक्रम से बाहर हैं। तीन प्रश्न इस पेपर में से पूछे जाने थे, एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। निदेश में से दो प्रश्न पूछे जाने थे केवल एक प्रश्न पूछा गया। इस प्रकार से जो 4 प्रश्न पूछे जाने थे वह नहीं पूछे गये जिसके कारण से हमारे उप कुलपति, जो स्वयं एक बड़े अच्छे शिक्षाविद् हैं, एडनबिरा से जो स्वयं डाक्टरेट की उपाधि लिये हुये हैं, और प्रिंसिपल ने मिलकर एक नया प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों को वहां पर लिखा दिया। उसको लेकर हमारे प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा कि प्रश्न पत्र बदल दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने नियमों में रहते हुये, विश्वविद्यालय के उप कुलपति को जो अधिकार हैं, उन अधिकारों की सीमा में रहते हुए काम किया इसलिये प्रतिपक्ष के नेता महोदय और अन्य माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाये, वह आधारहीन हैं।

मैं अब आपको निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, कि स्वर्गीय जयनारायण व्यास, जिन्होंने आजादी के आन्दोलन में समर्पित भावना से काम किया, जीवन भर इन्होंने स्वतंत्रता के लिये, राजस्थान के विकास के लिये काम किया, के किये हुये कामों को सम्मान देने के लिये और उनकी स्मृति को स्थायीत्व देने के लिये मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि जोधपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 1984 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सभापति महोदय, मैं बोलूंगा।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : सभापति महोदय, मैं पहले....

श्री सभापति : मन्त्री जी ने पूरा अपना उत्तर दे दिया।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, मैं तो केवल धन्यवाद ही दूंगा।

श्री सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, पहले मैंने आपकी आई कैच की है, पहले मुझे अवसर दिया जाय। मैं भी धन्यवाद ही दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप धन्यवाद थोड़े ही देंगे। यह तो आपका आपसी मामला है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो

130

(श्री भंवरलाल शर्मा)

बात कही है कि स्वर्गीय जयनारायण जी व्यास, जो राजस्थान के शेर थे, महान् व्यक्ति थे, की याद बनी रहे केवल इसलिये हम यह बिल लाये हैं। सभापति महोदय, जहां तक स्वर्गीय जयनारायण जी व्यास का सवाल है, वह किसी पार्टी से बन्धे हुये नहीं हो सकते, वह महान् व्यक्ति थे। राजस्थान के ही नहीं, देश के एक महान् व्यक्ति थे। उनके नाम पर यह बिल लाये हैं इसके लिये तो मैं धन्यवाद दूंगा। लेकिन, सभापति महोदय, यह मन्शा इनकी नहीं थी। यह बिल इसलिये नहीं लाये हैं कि जयनारायण जी व्यास को आप याद करें। चुनाव के मौके पर आप उनके नाम पर संशोधित बिल लेकर आये हैं ताकि उस इलाके, जहां उन्होंने कुछ काम किया, जहां उनकी प्रतिष्ठा है, से वोट ले सकें। वह बिल इसलिये लाये हैं। अगर आपकी मंशा यह थी कि भई, जयनारायण जी व्यास को तरजीह देनी है तो 40 साल पहले दे देते और 4 साल पहले तो दे ही देते कम से कम। जब आप यहां पैदा हुये थे तब दे देते।

एक बात और कहना चाहता हूं। आपने बहुत वजनदार बात कही है, आप काफी पुराने और अनुभवी माननीय सदस्य हैं, बड़ी जिम्मेदारी से बात कहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केवल जयनारायण जी व्यास के नाम पर ही कुछ करना चाहते थे तो यह बिल क्या होता? यह बिल इतना सा होता, इसकी दो लाइन शुरू की होतीं और ज्यादा की जरूरत नहीं होती। क्योंकि आपने शुरू में लिखा है—

"Jodhpur University (Change of Name and Amendment) Bill.,

यानी इससे यह लगता है कि आप जोधपुर विश्वविद्यालय के नाम के केवल परिवर्तित करना चाहते हैं बाकी आपकी कोई मन्शा नहीं है। वह बदल जाता है इस बात से, जो आपका सैक्शन--2 है:

(2) "The name of the University of Jodhpur, constituted and incorporated by the Jodhpur University Act, 1962 (Rajasthan Act 17 of 1962) hereinafter referred to as the principal Act, shall, as from the commencement of this Act, be the Jai Narain Vyas University, Jodhpur."

इससे ज्यादा क्या करना था? इसमें केवल नाम परिवर्तन करना था तो यह धारा जो आपने इनकारपोरेट की वह पर्याप्त थी। लेकिन मन में ईमानदारी नहीं थी....

श्री बुलाकीदास कल्ला: बहुत ईमानदारी है।

श्री भंवरलाल शर्मा: जयनारायणजी व्यास का नाम लेकर आपके मन में विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप करने का जो षड्यन्त्र था, उसको पूरा करना चाहते थे। अगर आप वह सीधा करते तो बड़ी दुविधा होती। यह पूरा हाउस आपका विरोध करता। उधर बैठने वाले भी आपका विरोध करते। इसलिये आपने क्या किया? एक मुगालता किया कि भई, हम तो स्वर्गीय

(श्री भंवरलाल शर्मा)

जयनारायणजी व्यास, जो हमारे महान् नेता हैं, के नाम से विश्वविद्यालय का नाम रखना चाहते हैं। आखिर मोहनलालजी सुखाड़िया के नाम से जो बिल लाये थे आप उदयपुर विश्वविद्यालय के लिये, तो मेरी जानकारी यह है कि जयनारायणजी व्यास का स्वर्गवास मोहनलालजी सुखाड़िया से पहले हो गया था। तब आपका भाव नहीं जागा। उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम बदल रहे थे। जोधपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलना था, इसके साथ ही बदल देते।

(व्यवधान)

चलो, देर से आये दुरुस्त आये। अगर यही नीयत होती तो मैं कहता हूं कोई आपत्ति की बात नहीं थी। आप अगर इस बिल को आगे पढ़ेंगे तो इसमें कुछ धारायें ऐसी हैं जिनसे इनकी नियत साफ हो जायगी कि बिल काय के लिए लाये हैं। वे धारायें, माननीय सभापति महोदय, इस बिल के पेज नम्बर 4 पर हैं।

श्री सभापति : यह जोइन्ट डिस्कशन की बात फरमा रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : जोइन्ट डिस्कशन की बात उन्होंने फरमाई है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो कुछ डिस्कशन हो चुका है उसके बाद यह कहने की जरूरत नहीं थी। आपने जो इतना बड़ा वक्तव्य दिया कल्ला साहब, आप चार दिन पहले जो लिख कर लाये थे वह आप यहां पर बोल नहीं सके। वह आपकी किताब में रह गया तो कुछ बोलना जरूरी हो गया। आवश्यकता नहीं थी पर चार दिन पहले आपने जो भाषण तैयार किया होगा, लिखा पढ़ी की होगी, कुछ लिखवाया होगा उसको पढ़ने का मौका कब मिलता। वह सुन्दरकाण्ड का पाठ तो आपको करना ही था, वह आपने कर दिया। इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। तो, माननीय सभापति महोदय, मैं केवल इस बात के लिए ध्यान दिला रहा हूं कि जयनारायणजी व्यास का नाम रखना है, इसलिए बिल नहीं लाया गया है। इनकी मन्शा क्या है? इन्होंने अपनी मन्शा के बारे में कहा है कि हमारी मन्शा बड़ी पवित्र है, उस पवित्र आत्मा के लिये बिल लाये हैं। यह बिल्कुल गलत है। इसके प्रमाण में यह बात कहना चाहता हूं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं इसके प्रमाण में यह बात कहना चाहता हूं कि इनकी इन्टेन्शन क्या थी, वह इन्टेन्शन इससे प्रगट होगी :—

"Amendment of section 12 of Rajasthan Act 17 of 1962. In Sub-section 12 of the principal Act.

उसमें अमेण्डमेन्ट आप लाये।

"(1) Without prejudice to the powers of the Chancellor under sub-section (2) of section 10, the Vice Chancellor shall have, for good and sufficient cause, power to make an enquiry himself or to cause it to be made by such officer or officers of the University as he may direct against a teacher, and to impose such penalty as may be prescribed by Statute."

(श्री भंवरलाल शर्मा)

अभी तक वाइस चान्सलर को यह अधिकार नहीं था कि वह टीचर पर पेनल्टी इम्पोज कर दें। अब आपने यह अधिकार दे दिया। जो अधिकार सिण्डीकेट के पास है वह आप वाइस चान्सलर को देना चाहते हैं कि वह खुद ही जांच करवा ले, जांच अधिकारी खुद की पसन्द से तय कर दे, जिनको वह चाहे उनसे जांच कराये, किसी की भी जांच करा सकते हैं जांच करने के बाद पेनल्टी इम्पोज करने का अधिकार भी उन्हीं को दे दिया आपने। मतलब क्या हुआ इसका ? एक बड़ी बाडी, एक्जीक्यूटिव बाडी के पास जो अधिकार थे वह उनको दे दिये। आप किसी को दण्डित करना चाहते हैं तो एक्ट में यह अधिकार दिया हुआ है कि कोई अकेला व्यक्ति अपनी व्हिम के आधार पर कोई दण्ड नहीं दे सकता। इसके लिए आपने व्यवस्था की थी कि जो एक सेन्सेबल और बिगर बाडी है जिसमें प्रतिनिधि लोग बैठते हैं वह सजा देगी। वह अधिकार छीन कर वाइस चान्सलर को इसलिए देना चाहते हैं कि वाइस चान्सलर आपके × × × है। जितने भी टीचर हैं उन सब पर एक आतंक बना रहे, उसका डर बना रहे, सारे विश्वविद्यालय पर आपका कब्जा रहे और मनमानी आपका वाइस चान्सलर करता रहे जिसको आज रोका जा सकता है, यह व्यवस्था आपने इसलिए की है और इसलिए आप यह बिल लाये हैं।

दूसरा इसके लिए प्रमाण और है। आप अगर कोई आर्डिनेन्स लाना चाहते हैं तो जब तक वह सीनेट में नहीं जाता तब तक पास नहीं किया जा सकता। उसके लिए आप अमेण्डमेन्ट लाये हैं :—

"In sub-section (1) of section 14 of the principal Act, the words "after considering the views of the Senate" shall be omitted."

चान्सलर सीनेट के व्यूज पर विचार करके किसी भी आर्डिनेन्स को स्वीकृति देगा। अब आपने क्या कर दिया ? जो भी आर्डिनेन्स लाया जायगा अब वह सीनेट में नहीं जायगा। जो इसमें लाइन थी कि "after considering the views of the Senate' वह आपने इसमें से डिलीट कर दी। अब मनमाने तरीके से कानून बनाते रहिये। माननीय सभापति महोदय, यह मेरा सौभाग्य है कि इस कुर्सी पर इस वक्त आप विराजमान हैं। आप कानून को जानते हैं। कानून का अर्थ भी आप समझ सकते हैं आसानी से। एक उदाहरण देना चाहता हूं राजस्थान विश्वविद्यालय का। यह कानून बनाने का अधिकार आप दे रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय ने अभी एक कानून बनाया है। मैं उसकी सारे माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं। यह जो कानून बनाया है इसको आप जरा देखें तो यह मन्शा पता लग जायेगी कि आखिर विश्वविद्यालय में आप चाहते क्या हैं। यह कानून बनाया आपने :—

"The Syndicate, at its meeting held on 8th November, 1983" यह नवम्बर की बात है, "has resolved that

---

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

the following two new paragraphs be added under Ordinance No. 357-C in the University Hand Book Part II :—

"8. No suit or writ proceedings shall be instituted against the University in respect of any selection, appointment, promotion, demotion, suspension, termination, fixation, retrenchment, dismissal or any other action taken by a competent authority in accordance with the University Rules, until the expiry of two months after a notice in writing in that regard is served upon the University in the name of the Registrar."

अब आप तो वकील हैं, कानून के जानने वाले हैं. रिट के लिए नोटिस देना पड़ता है क्या सरकार को भी ? अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकार के फैसले से दुखी हो तो कोर्ट में जाने के लिए वह अगर रिट करना चाहता है तो क्या उसके द्वारा सरकार को भी दो महीने का नोटिस देने का प्रावधान है ? दफा 80 सी. पी. सी. में, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर रिट करना चाहता है तो उसके अधिकारों का हनन हुआ है या नहीं। कोर्ट में अगर वह जायगा तो जरूरी है कि सरकार को वह दो महीने का नोटिस दे तब फिर वह रिट कर सकता है ? यह कानून तो आपने बना दिया लेकिन कानून में इसकी कोई वेल्यू नहीं है। जब यह किसी कोर्ट में जायगा तब इसकी धज्जियां उड़ जायेंगी। यह टिकेगा नहीं वहां पर। लेकिन आपने बना दिया। इसलिए बना दिया कि आपकी जो इच्छा हो, उस तरह फैसला कर दो। और उससे पीड़ित होकर अगर कोई कोर्ट में जाना चाहे तो पहले आपको नोटिस दे, 60 दिन तक इन्तजार करे तब तक आपकी जो मंशा है वह पूरी कर लीजिये, जो कुछ करना है जिसको अपाइन्ट करना है उसको अपाइन्ट कर लीजिये, जो कुछ करना है वह कर लीजिये। यह मनमानी करने की वृत्ति बढ़ी है इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह उदाहरण इसलिए मैंने दिया है कि सीनेट के सामने आपका कोई भी आदमी नहीं जावे। सीनेट में जब वह जायगा, वहां इलेक्टेड लोग हैं वहां सारे विद्वान लोग हैं उनको हमारे माननीय अध्यक्ष नोमिनेट करते हैं, चान्सलर साहब भी नोमिनेट करते हैं, एक्सपर्ट आते हैं तो वह इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। इस डर से आपने इसमें से यह डिलीट कर दिया कि....

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

सीनेट में जायगा ही नहीं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो आपने कहा कि हमारी मन्शा यह थी कि हम तो श्रद्धा-सुमन चढ़ाना चाहते हैं, यह बिल्कुल नहीं है, आप विश्वविद्यालयों पर कब्जा करना चाहते हैं, सरकार की मनमानी वहां करवाना चाहते हैं, सरकार के थम्ब के नीचे यूनिवर्सिटी को आप लाना चाहते हैं इसीलिए आप यह अमेण्डमेन्ट लाये हैं और नाम लेते हैं कोई दूसरा कि जयनारायणजी व्यास के नाम से हम विश्वविद्यालय का

(श्री भंवरलाल शर्मा)

नाम बदल रहे हैं । यह बिल्कुल आपकी मन्शा नहीं है । आपकी मन्शा तो जो मैंने उदाहरण दिया उससे स्पष्ट है कि आप धीरे-धीरे विश्वविद्यालय के अन्दर आतंक फैलाना चाहते हैं । शिक्षा जगत में, विश्वविद्यालय जगत में आप अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं । इसीलिए आपने सेक्रेटरी एजूकेशन को, डाइरेक्टर, कालेज एजूकेशन को उसमें प्रवेश दिया है । इससे आपकी मन्शा बिल्कुल साफ है कि आप स्वर्गीय जयनारायणजी व्यास के प्रति बिल्कुल श्रद्धावान नहीं थे, आप केवल उनके नाम का दुरुपयोग करना चाहते थे जैसा माननीय सदस्य रामसिंहजी ने कहा, मैं शेयर करता हूं उनके व्यूज को, इन्होंने बोल्डली इस बात को कहा है कि आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं थी, आपकी इच्छा यह थी कि....

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, लास्ट सेन्टेन्स यही है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप स्पष्ट करिये आप अपना मंतव्य बता दीजिये । वास्तव में आप इसलिये लाना चाहते थे, इसलिए आपने यहां स्वर्गीय माननीय जयनारायणजी व्यास के नाम का दुरुपयोग किया है, इसको तो मैं अच्छा नहीं मानता हूं । बाकी जो आपने अमेण्डमेन्ट कर दिया, वाइस चांसलर को जो पावर देना चाहते थे उनको आपने डिलीट कर दिया, किसी कारण से सही, आपने उसको स्वीकार कर लिया, किसी मजबूरी में किया होगा फिर भी आप उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं ।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री बुलाकी दास कल्ला : सभापति महोदय, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारा इरादा नेक नहीं है और हमने ईमानदारी नहीं रखी । यह बात बिल्कुल गलत है । हमने सदन के सामने इस विधेयक को प्रस्तुत करने से सम्बन्धित सारे मुद्दे रख दिये थे । जब ऐसा कोई विधेयक सदन में रखा जाता है तो विश्वविद्यालय से सम्बन्धित और भी छोटी मोटी जो बातें होती हैं उनको भी सम्मिलित किया जाना जरूरी होता है । इसलिये एक तो क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित मामला, एक अभी माननीय सदस्यों ने मुद्दा उठाया कि उपकुलपतिजी को जाच करने का जो अधिकार दिया गया है वह पूर्व में भी था । उसके सम्बन्ध में संशोधन ले आये हैं उससे सम्बन्धित संशोधन प्रस्ताव सदन में हमने प्रस्तुत कर दिया है । उपकुलपति को केवल जांच कमेटी नियुक्त करने का अधिकार है । जांच कमेटी की जो भी रिपोर्ट आयेगी वह सिण्डीकेट में प्रस्तुत की जायेगी । सिन्डीकेट को ही यह अधिकार है कि वह उचित निर्णय ले । सभापति महोदय, सिन्डीकेट को ही अधिकार है किसी को नियुक्त करने का और किसी के खिलाफ में अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का ।

जहां तक धारा 24 का सवाल है, यह मुद्दा उठाया गया है सीनेट की राय के

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

बिना ही अध्यादेश जारी करने के सम्बन्ध में जो प्रावधान विधेयक में किया गया है । इस संदर्भ में मेरा यह कहना है कि सीनेट वर्ष में एक बार मिलती है । सभापति महोदय, विश्वविद्यालयों में दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिये, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और शैक्षणिक कार्यों के लिए कई बार अध्यादेश का लाना बहुत जरूरी हो जाता है इसलिए यह व्यवस्था की गई है । सिण्डीकेट में भी प्रबुद्ध लोग हैं । उसमें भी माननीय अध्यक्षजी के द्वारा सदस्य मनोनीत किये जाते हैं एवं विद्वानों का मनोनयन अलग अलग व्यवस्था के आधार पर होता है । मैं समझता हूं कि अध्यादेश सीनेट का नहीं जाकर सिण्डीकेट के माध्यम से जारी किया जाये तो इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

विधेयक का पारण

सभापति महोदय, मैं प्रार्थना करता हूं कि जोधपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक 1984 को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।

(व्यवधान)

श्री सभापति: मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये सदन में, वह हिन्दी में प्रस्तुत किये है। मूल विधेयक चूंकि अंग्रेजी में है, इसलिये वह संशोधन अंग्रेजी में ही मूव किये हुये माने जायेंगे ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मूव किये हुए कैसे मान लिये जायेंगे ?

श्री सभापति : मूल विधेयक चूंकि अंग्रेजी में है और आपको अंग्रेजी में ही बांटे गये हैं । आप चाहें तो दुबारा अंग्रेजी में पढ़ देंगे वह ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपकी आज्ञा हो तो, सभापति महोदय, मैं अंग्रेजी में पढ़ दूं दुबारा ।

श्री भंवरलाल शर्मा : Don't waste time.

श्री सभापति : सदन की अनुमति से यह अंग्रेजी में मूव किये हुए माने जायेंगे ।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़): सभापति महोदय, यह तो संशोधन हिन्दी में आने चाहिये । अंग्रेजी में तो तब आने चाहिये जब माननीय मन्त्रीजी को हिन्दी नहीं आती हो ।

श्री सभापति : इसी भावना में उन्होंने रखे हैं यह ।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : नहीं, सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी को यदि हिन्दी नहीं आती हो तो वह अंग्रेजी में ला सकते हैं । जब वह हिन्दी जानते हैं तो हिन्दी में ही लाने चाहिये ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजें । आपका हिन्दी के प्रति जो प्रेम है उसकी मैं बहुत ही प्रशंसा करता हूं । लेकिन मूल विधेयक अंग्रेजी में है इसलिये नियमानुसार अंग्रेजी

(श्री सभापति)

में जो भी अमेंडमेण्ट हैं वह अंग्रेजी में ही प्रस्तुत किये जाते हैं। इस कारण से जो उसमें संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं वह आपकी अनुमति से अंग्रेजी में ही मूव किये हुए माने जायेंगे।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : आप ने प्रशंसा की उसके लिये तो धन्यवाद लेकिन मेरे भावों की क्रियान्विति चाहता हूं मैं।

श्री सभापति : आपके भावों की क्रियान्विति की है तभी तो यह आवश्यकता पड़ी है। तभी तो यह आवश्यकता हुई है।

प्रश्न यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 1984 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(स्वीकृति)

विधेयक संशोधित रूप से पारित किया गया।

परिनियत संकल्प

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1983

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1983 के सम्बन्ध में परिनियत संकल्प।

श्रीमती उजला अरोड़ा।

(अनुपस्थित)

श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर, 1983 को प्रख्यापित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1983 अध्यादेश संख्या 81 को सन् 1983 अस्वीकार करता है।

माननीय सभापति महोदय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक में संशोधन के लिये यहां पर प्रस्ताव लाया गया है, एक विधेयक लाया गया है, उसके लिये राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी किया था। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में उच्च शिक्षा का क्या स्वरूप होगा, राजस्थान की सरकार इस विषय पर चिंता भ्रमित है, दिग्भ्रमित है, अनिश्चय की स्थिति में है। ऐसा उदाहरण आपको कहीं नहीं मिल सकता। यह इसलिये निवेदन करना चाहता हूं. सभापति महोदय, गत सत्र में जो हुआ था उस सत्र में यही सरकार एक विधेयक लायी थी और वह विधेयक था, मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय का। अब मैं यह मानता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय विधेयक भी उस समय जिन कारण पे लाया गया। सोच विचार कर संशोधन भी किया जाता है और भी संशोधन अध्यादेश के माध्यम से किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक परिस्थितियां जब निर्मित हो जायं तब अध्यादेश निकाला जाता है और अध्यादेश के लाने के बाद, मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति

(श्री कैलाश मेघवाल)

महोदय, यह बिल आज एक्ट बनने जा रहा है, यह राजस्थान की शिक्षा के क्षेत्र में एक माइलस्टोन सिद्ध होने वाला है। मैं तो आपके द्वारा यह पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, माननीय राज्य शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, तर्क इनके पास क्या है ? इनके पास अगर तर्क हो तो बता दें कि केबिनेट ने जिस समय यह पास किया था कि मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय इसका नाम रखा जाय और इसको कृषि विश्वविद्यालय के रूप में ही राजस्थान में, देश में और दुनिया में जाना जाय तो वह कौनसे कारण थे जिन कारणों की वजह से आपने उस समय वह बात स्वीकार की और उसके बाद अध्यादेश लाया गया और विधान सभा में बिल पेश किया गया ? उसको विथड्रा किया गया और नया अध्यादेश जारी किया गया कि मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय को पुन: मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय करना चाह रहे हैं। अब यह एक झूठी बात है, माननीय सभापति महोदय, इससे आप अन्दाज लगाइये, राजस्थान की आज की सरकार उच्च शिक्षा के मामले में कितनी गैर जिम्मेदार है, कितनी अनुत्तरदायी है और इसका चिंतन कितना सतही और छिछला है कि एक बार क्या अध्यादेश निकालते हैं और दूसरी बार क्या अध्यादेश निकालते हैं। सभापति महोदय, मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत लम्बे समय से राजस्थान के शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों आगे बढ़ें। मैं आपको आज पूछना चाहता हूं आपके द्वारा, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री, आप तो आंकड़े लेकर आये होंगे, आंकड़ों के द्वारा सिद्ध कीजिये कि राजस्थान में जब एक विश्वविद्यालय था उस समय कितने कालेज थे, कितने छात्र थे, कितने हायर सैकण्डरी स्कूल थे और कितने प्राइमरी स्कूल थे ? यह इसलिये आवश्यक हो जाता है, सभापति महोदय, शिक्षा का जो पिरामिड बनता है उसकी आधार भूमि प्राइमरी शिक्षा है, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा है, उसके बाद में सैकेण्डरी है और उसके बाद में कालेज की शिक्षा है। यह एक पिरामिड बनता है, लेकिन इस पिरामिड की शक्ल आज आप किस रूप में ले रहे हैं। एक श्रीमाली कमेटी बनी थी। उस श्रीमाली कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि राजस्थान में तीन विश्वविद्यालय और स्थापित होने चाहिये, विश्वविद्यालयों की कमी है। उस सिफारिश को आज तक लागू नहीं किया गया। उस सिफारिश में यह था कि एक विश्वविद्यालय बीकानेर में खोला जाये, एक विश्वविद्यालय कोटा में खोला जाय और एक विश्वविद्यालय अजमेर में खोला जाये। उन सिफारिशों को आप दबा कर बैठ गये। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में श्रीमाली जी को आपकी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने देश के शिक्षा मन्त्री के रूप में भी कार्य करने का मौका दिया, जिनको आप शिक्षा शास्त्री मानते हैं उन्होंने यह सिफारिश की थी। अगर राजस्थान की सरकार चाहती और उसका उच्च शिक्षा के प्रति लगाव होता, उसको सुधारने की इच्छा होती, सभापति महोदय, तो उन तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना का इनको निर्णय लेना चाहिये था।

मैंने पिछली बार विधान सभा में एक सवाल किया था कि क्या आप अजमेर में

(श्री कैलाश मेघवाल)

एक नया विश्वविद्यालय खोलने के लिये तत्पर है ? उसका जवाब दिया उस समय राज्य मन्त्री भी थे और शिक्षा मन्त्री श्री चन्दनमल बैद थे उन्होंने भी हस्तक्षेप भी किया था कि यू. जी. सी. हमको इजाजत नहीं दे रही है और हमारे पास पैसा नहीं है। कारण दिया था कि यू.जी. सी. हमको इजाजत नहीं दे रही, उस समय का रिकार्ड उठाकर देख लिया जाय। उसके बाद, माननीय सभापति महोदय, यू. जी. सी. ने इजाजत दी है। वनस्थली महिला विद्यापीठ को आपने वूमन यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया है। उसके बाद नया सिस्टम हुआ है। माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान विश्वविद्यालय से कितने कालेज सम्बद्ध हैं ? राजस्थान विश्वविद्यालय का एक करेक्टर रेजीडेन्शियल यूनिवर्सिटी के रूप में है। राजस्थान विश्वविद्यालय का एफिलियेटेड यूनिवर्सिटी के रूप में एक करेक्टर है।

इस करेक्टर के बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तत्कालीन शिक्षा मन्त्री सुरेन्द्र व्यास को जिन्होंने इसकी गम्भीरता को समझा है। उच्च शिक्षा के प्रति जो मखौल हो रहा है, उच्च शिक्षा के प्रति जो धोखा बाजी हो रही है, उच्च शिक्षा की जो उपेक्षा हो रही है इसको समझा है और उन्होंने सब विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों को बुलाकर, शिक्षा शास्त्रियों को बुला कर इसके बारे में निर्णय लिया था। राजस्थान विश्वविद्यालय बहुत बड़ा है, इसका कट्रोल नहीं हो सकता, नियन्त्रण से परे है इसकी वजह से, राजस्थान में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। उसके लिये उन्होंने एक निर्णय लिया था कि इस विश्वविद्यालय को तुरन्त को दो भागों में बांटा जाये और एक एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी अजमेर को केन्द्र मानकर अजमेर विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित की जाय। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सुरेन्द्रजी व्यास के उस चिन्तन और उनके जो नोट्स बने हैं उनको इस सदन की मेज पर रखिये। आप अजमेर में विश्वविद्यालय क्यों नहीं स्थापित करना चाहते हैं ?

इसके बाद उदयपुर का यह मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है। इस बिल को जरा देखा जाये, सभापति महोदय, और इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि यह अपने आप में दो विश्वविद्यालय हैं। आपने कहीं नहीं सुना होगा। एक विश्वविद्यालय हो उस विश्वविद्यालय में अपने आप में दो विश्वविद्यालय हों। दो उसकी एकेडेमिक कौंसिल हैं एक एग्रीकल्चर की एकेडेमिक कौंसिल और एक नान एग्रीकल्चर एजूकेशन की एकेडेमिक कौंसिल है। इसके बाद नियंत्रण कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा ऐसा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जो आज देश का ढांचा है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो विश्वविद्यालय काम करते हैं जिनको कृषि विश्वविद्यालय कहा जाता है, दुर्भाग्य है, राजस्थान में उस स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, उसको केन्द्र का कृषि मन्त्रालय देखता है। वहां से भी आपको काम पड़ता है, इण्डियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च; आई सी ए आर पर भी उनका नियंत्रण रहता है, राजस्थान के कृषि मन्त्रालय उस पर नियंत्रण नहीं रहता है और राजस्थान के कृषि सचिव या कृषि

(श्री कैलाश मेघवाल)

के क्षेत्र में काम करने वाले हैं उनका नियंत्रण रहता है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है कि इस पर भी पुनर्विचार करें। इसलिए हो गया है कि अपने राजस्थान में जो विभागीय अनुसंधान कृषि के क्षेत्र में हो रहा था, जो रिसर्च चल रही थी, जो एक्सटेंशन चल रहा था उसको भी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को दे दिया है लेकिन अफसोस है कि आज तक उसका ठीक ढंग से समन्वय नहीं है। विश्वविद्यालय का अनुसंधान कृषि के क्षेत्र का अलग से है। और सरकार से दिये हुए जो अनुसंधान के प्रोजेक्ट्स थे वह आज भी अलग से हो रहे हैं। यह क्या तमाशा बना रखा है? यह शिक्षा के प्रति इनका क्या लगाव है? आप एजूकेशनल विंग की तरफ आइये, एजूकेशनल विंग में आपका जो दखल होता है, जो परिवीक्षण का काम होता है वह दिल्ली के शिक्षा विभाग है, उसके बाद यू. जी. सी., उसके बाद राजस्थान के शिक्षा मन्त्री, शिक्षा सचिव, शिक्षा डायरेक्टर के नियंत्रण में है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आज यह विधेयक पास हुआ तो राजस्थान को कृषि के क्षेत्र में जो हानि होने वाली है अगले कई सालों तक उसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए नहीं हो सकेगी, उदाहरण देकर कहना चाहता हूं, यही मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है इसके उपकुलपति मिस्टर भण्डारी हैं, अच्छे प्रशासक हो सकते हैं, मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं, राज्य मन्त्रीजी, ईमानदारी से जवाब दीजिए 87 प्रतिशत इस विश्वविद्यालय का खर्चा कृषि विभाग पर होता है, 13 प्रतिशत गैर कृषि विभाग पर होता है? वहां दो समितियां बनी हुई हैं। एग्रीकल्चर में है एग्रीकल्चरल एक्सपेरीमेंट एडवाइजरी कमेटी। एक्सटेंशन एडवाइजरी कमेटी एण्ड रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, यह दो कमेटियां बनी हुई हैं। निर्देश यह है, नियम यह है कि साल में दो बार इनकी मीटिंग होनी चाहिए। सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा, उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय के उप कुलपति नान एग्रीकल्चरल जो विषय हैं, जो उसकी समस्या है उसमें इतने व्यस्त रहते हैं कि इन दो कमेटियों की मीटिंग आज तक नहीं हो सकी। क्यों राजस्थान की कृषि के साथ आप धोखा कर रहे हैं? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, सारे देश में 22 कृषि विश्वविद्यालय हैं। आप जरा सोचते, आखिर यह बिल लाये हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं क्या आपने 22 विश्वविद्यालयों का चरित्र देखा है, क्या आपने उनकी कार्य प्रणाली देखी है और क्या उसके आधार पर राजस्थान में एक नहीं, दो-दो कृषि विश्वविद्यालय, तीन-तीन कृषि विश्वविद्यालय की आवश्यकता है? इसलिए आवश्यकता है कि खेतों की पैदावार बढ़ाने के जो आधार हैं वह कृषि के क्षेत्र में बनेंगे उसके लिए आवश्यक है कि पश्चिमी राजस्थान का कृषि विश्वविद्यालय अलग हो। वहां एरिड जोन की जो जलवायु है, एरिड जोन की जो स्थिति है वह विशेष प्रकार की है, वहां अनुसंधान दूसरी प्रकार के होने चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि पूर्वी राजस्थान की

(श्री कैलाश मेघवाल)

जो उपजाऊ जमीन है, गंगानगर और जहां सिंचाई के साधन बन रहे हैं वहां का कृषि विश्वविद्यालय अलग हो और दक्षिणी राजस्थान का जो पहाड़ी क्षेत्र है जहां आदिवासी बसते हैं, आदिवासियों की सारी इकानामी को बदलने की स्थिति पैदा करने वाला कृषि विश्वविद्यालय अलग हो। इसके लिए कई प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं।

एक उदाहरण देकर कहना चाहता हूं, माननीय राज्य मन्त्रीजी, आपके पास जानकारी हो, मैं आपको चुनौती देता हूं, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय है, आज पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में 274 रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कृषि के क्षेत्र में। उनको आई.सी. ए. आर. देता है, जो इंस्टीट्यूशन बने हैं वह यह प्रोजेक्ट्स देते हैं, और उसके आधार पर कृषि के क्षेत्र में छोटे-छोटे कार्यों पर अनुसंधान हो रहा है, खेती को बढ़ाने का काम हो रहा है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय राजस्थान का एक विश्वविद्यालय है जो कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है वहां केवल सात प्रोजेक्ट्स हैं। केवल सात। यह आपकी स्थिति है। वह प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं। यह मुझे मालूम है कि कुछ नोट करके लाये होंगे माननीय राज्य मन्त्रीजी उन नोट्स को यहां पढ़ेंगे। सिर्फ इनकी एक आदत है हम अपना जब भी सवाल पूछते हैं तो पूरक प्रश्नों के जवाब देते हैं जो जवाब उसमें आ गया है उसको पढ़ना है बार-बार, क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है इसकी इन्हें कतई चिन्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की कृषि की उपेक्षा मत कीजिये। राजस्थान में कृषि के क्षेत्र में आवश्यक है जो पूर्व निर्णय था उस पूर्व निर्णय को लागू करें। अब इसमें इन्होंने लिख दिया है, क्योंकि उदयपुर में आन्दोलन हुआ है। देखिये, इनके बदलने के तरीके क्या हैं, यह अपना निर्णय क्यों बदल रहे हैं। पहला अध्यादेश इसलिए लाया गया कि जन-प्रतिनिधियों ने हमें रिप्रेजेंटेशन दिये। मैं आज यह मांग करता हूं, उदयपुर में दो विश्वविद्यालय स्थापित होने चाहिए। क्या बुराई है? इसी देश में इलाहाबाद में कई विश्वविद्यालय हैं, बनारस में कई विश्वविद्यालय हैं, और दूसरी जगह कई विश्वविद्यालय हैं। उदयपुर नगर में दो विश्वविद्यालय स्थापित करने में क्यों घबरा रहे हैं? पैसा नहीं तो फिर यह जो सारा पिरामिड बन रहा है, जो उच्च शिक्षा के नाम पर आप करोड़ों रुपये का बजट रख रहे हो उसको बर्बाद करने का, राजस्थान की जनता के पसीने का जो टैक्स होकर खजाने में इकट्ठा होता है उसके साथ खिलवाड़ करने का आपको कोई अधिकार नहीं है।

श्री सभापति : समाप्त कीजिए।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, मैं सारे सदन से आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जो मेरा परिनियत संकल्प है इसमें मैंने ठोस आधार रखे हैं विरोध करने के, उन ठोस आधारों पर इस अध्यादेश को आज यह सदन अस्वीकार करके राजस्थान की कृषि के लिए एक शुभ भविष्य का रास्ता

(श्री कैलाश मेघवाल)

खोले अन्यथा राजस्थान में कृषि का भविष्य कमजोर होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने परिनियत संकल्प को विधान सभा में प्रस्तुत करता हूं।

श्री सभापति : श्री नाथूसिंह।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया। आप बोलना चाहेंगे। कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : संक्षेप में ही कहूंगा, लेकिन समस्या सुनकर आप स्वयं जान जायेंगे कि पता नहीं हम अभी भी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं कि हमको क्या करना है।

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर, 1983 को प्रख्यापित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1983 (अध्यादेश संख्या 8, सन् 1983) को अस्वीकार करता है।"

सभापति महोदय, 82 में नाम परिवर्तन का विधेयक लाये उस समय भी इस के बारे में विचार कर सकते थे कि हम क्या करें। उसको हमने पास किया उसके बाद फिर विचार आया कि इसको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाया जाए। फिर आपने एक अध्यादेश निकाल कर उसको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना दी। हाउस में उसका विधेयक पेश करके उसे विदड्रा कर लिया। उसके बाद 25 अक्टूबर के दिन आपने वापस केवल इसका "कृषि शब्द हटाकर बाकी सारा वैसा का वैसा बिना एक शब्द बदले इसको फिर इस फार्म में लाकर के पेश कर दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि जब हम यह मानते हैं कि राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय की आवश्यकता है तो फिर हम राजस्थान में नया कृषि विश्वविद्यालय क्यों नहीं स्थापित कर सकते, कौन-सी ऐसी बाधा आ रही है, कौन-सी ऐसी परेशानी आ रही है जिसके कारण से हम नहीं कर सकते? हमें समझ में नहीं आया। उदयपुर वालों का विरोध इस बात का था कि मोहनलाल सुखाड़ियाजी की मन की इच्छा यह थी कि मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी रहे। उसके कारण से इसको मिलाया। अगर आज हम यह समझते हैं कि नहीं, राजस्थान के विकास के लिए कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए तो इस बात को कौन मना कर रहा है कि राजस्थान के विकास के लिए कृषि विश्वविद्यालय नहीं होना चाहिए? लेकिन जिस ढंग से ला रहे हैं पता नहीं यह कौन-सा विश्वविद्यालय है। न कृषि है, न एकेडमिक है। यह दोनों के बीच में स्थिति बनने वाली है इसका किसी को कोई पता नहीं कि वास्तव में इसके कारण से क्या हम एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की कमी हमारे यहां जो है उसकी पूर्ति कर लेंगे। मन्त्री महोदय, आप जब जवाब दें तो बतायें कि हिन्दुस्तान के बाकी विश्वविद्यालयों को आई. सी. ए. आर. की जो ग्रांट मिल रही है वह कितनी मिल रही है, और हमारे यहां कृषि विश्वविद्यालय नहीं होने के कारण से उसमें कितनी कमी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया

या बेसी है। क्या स्थिति है ? इस बिल को लाने के बाद हम अपनी ग्रांट कितनी बढ़ाने वाले हैं, क्या नयी प्रोग्रेस करने वाले हैं, कौनसे नये चार चांद लगाने वाले हैं जिसके कारण आप यह ला रहे हैं। मेरी-आपकी मंशा है, मैं उदयपुर का प्रतिनिधि हूं, इसको राजनीति से बाहर निकालिये। राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए, यह हाउस के प्रत्येक सदस्य की इच्छा है। अब राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय का हैड-क्वार्टर उदयपुर में रहता है या और किसी जगह पर रहता है इसमें घबराने की क्या आवश्यकता है ? अगर राजस्थान में यू. जी. सी. हमको ग्रांट देती है और एक विश्वविद्यालय जो उस सारे सम्भाग को मिला करके उस सम्भाग की एक यूनिवर्सिटी बनकर के यू. जी. सी. के पैसे से राजस्थान को लाभ हो सकता है तो उस लाभ को छोड़ने में क्या बात है, किस कारण से छोड़ रहे हैं ? राजस्थान का कृषि विश्वविद्यालय आप स्थापित कर सकते हैं, जो कैम्पस वहां डवलप है जहां हमने हजारों, लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया है उसको आप उपयोग करिये। राजस्थान का कृषि विद्यालय किसी एक कोने में होगा क्या ? राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालय की जोधपुर में एक्टीविटी भी होगी तो सूरतगढ़ में भी होगी, गंगानगर में भी होगी, कोटा में भी होगी, हमारे उदयपुर में भी होंगी, जैसी जहां की स्थिति है वैसी वहां उसकी एक्टीविटीज होंगी। तो मन में क्या इस प्रकार का विचार आया ? केवल एक ढुल-मुल नीति के कारण से मन में कुछ तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमको क्या करना है। मन में तो यह इच्छा है कि कृषि विश्वविद्यालय के कारण से आई. सी. ए. आर. से जो ग्रांट हमको मिलनी चाहिये थी, राजस्थान का जो विकास होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। उस डर से हम इस बीच की स्थिति में चल रहे हैं। मेरी आप से प्रार्थना है आप इसके बारे में विचार करिये। यह बात जरूर है कि आप अपने बहुमत के आधार पर चाहे जैसा जो कुछ भी लायेंगे उसको पास करवा ले जायेंगे लेकिन इससे क्या भविष्य बनने वाला है, क्या स्थिति बनने वाली है ? आप 6 महीने बाद फिर घूम कर आयेंगे, राजस्थान के प्रतिनिधियों की फिर मांग आयेगी और फिर आई. सी. ए. आर. आपको ग्रांट कम देगी क्योंकि इसका करेक्टर कृषि विश्वविद्यालय का करेक्टर नहीं है। उस समय आप फिर विचार करेंगे, फिर यह कागज बिगाड़ेंगे, यह पोथियां बिगाड़ेंगे, फिर इस कानून का मजाक बनायेंगे फिर आर्डिनेंस लाकर कहेंगे हम कृषि विश्वविद्यालय बना रहे हैं। तो आपको पहले से ही इस बारे में सोचना चाहिये कि हम इसको कृषि विश्वविद्यालय बनायें या बनायेंगे।

श्रीमन्, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय ओवर बर्डन है, राजस्थान विश्वविद्यालय में जितने छात्र हैं, जितनी परीक्षा करानी पड़ती है, इन सारी एक्टीविटीज के कारण से राजस्थान विश्वविद्यालय वैसे ही तबाह हो चुका है उसके बावजूद दूसरी तरफ उदयपुर के बचे खुचे कालेज को भी आपने राजस्थान विश्वविद्यालय के साथ एफीलियेट कर दिया। यह कौनसी अकलमंदी का काम है ? मुझे लगता है, किसी के दिमाग में कहीं कोई कीड़ा लग गया था इस कारण से मन की

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

इच्छा एडमिनिस्ट्रेशन की बताने की है। इसको पूरा करने मात्र के लिये वहां के 8 कालेजों को वहां से

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

निकाल कर यहां मिला देने का क्या तुक है ? इन्होंने यह समझा है कि यूनिवर्सिटी उदयपुर में है. एजूकेशन विंग अलग है, एग्रीकल्चर विंग अलग है। फिर उस एजूकेशन विंग में केवल दो कालेज, ला कालेज और एम.बी. कालेज रखकर बाकी सारे एफीलियेटेड कालेज, बी. एड. कालेज, और जितने कालेज हैं उनको राजस्थान विश्वविद्यालय के साथ जोड़कर आपने क्या किया ? आप यह चाहते हैं कि उदयपुर विश्वविद्यालय का यह जो एजूकेशन विंग है, अपने आप किसी तरह से दफन जाय, मर जाये। इसकी आपने प्रक्रिया प्रारम्भ की है। जब राजस्थान विश्वविद्यालय के कालेज वहां पर होंगे और उनमें वही पोस्ट ग्रेजूएशन की क्लासेज चलेंगी जिसमें तीनों फैकल्टीज होंगी, और उसमें वह कोर्स चलेंगे तो उदयपुर विश्वविद्यालय के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें दो-दो, तीन-तीन विद्यार्थी पढ़ेंगे। तीन विद्यार्थी और आठ टीचर्स का भार पड़ेगा तो आपका एक न एक दिन यह सोचना पड़ेगा कि इसको चलाना है या बन्द करना है। अगर आपको मारना है तो स्लो पाइजन मत दो, गोली मार दो जिसके कारण से यह तो पता लगे कि आप के दिमाग में क्या खुरापात है, कुछ हमारी समझ में तो आये। राजस्थान विश्वविद्यालय के बर्डन को कम करने के लिये हम वहां के कालेजेज को उसके साथ जोड़कर क्यों नहीं चला सकते ? क्या बाधा है ? केवल बाधा इतनी सी है, पिछली परीक्षा के दिनों में प्राइवेट कालेज के टीचर्स ने हड़ताल कर दी और वह हमारे वाइस चांसलर के काबू में नहीं आये। वाइस चांसलर साहब के मन में केवल एक यही नाराजगी होने के कारण उसको निकालकर इधर फेंक दिया। अगर यही तरीका है, इसी तरह से हम एक दूसरे की बात को समझेंगे, हमें तो अभी तक यह समझ में नहीं आ रहा है....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

(व्यवधान)

काफी अवसर मिलेगा आपको।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अवसर मिलेगा लेकिन यह तो प्रारम्भिक स्थिति है। मैं यही चाहता हूं कि प्रारम्भ से ही इस पर विचार करें। इस परिनियत संकल्प के माध्यम से मैं इस बात को सदन में लाना चाहता हूं कि आखिर हम विचार करें तो सोच समझ कर करें। इसलिये नहीं करें कि एक आर्डिनेंस लायें और विधेयक लाकर के बहुमत के आधार पर पास कर दें और फिर 6 महीने के बाद कृषि विश्वविद्यालय का नया अध्यादेश लायें। फिर हम इस सदन में आयेंगे और राजस्थान के लोगों को इस तरह से लगातार ×××

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(१५५)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

बनाते चले जायेंगे। कम से कम हम लोग जो कानून बनाने वाले हैं, इस बारे में समझ कर कानून बनायें। अगर राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय बनाना है तो बनायें, कौन मना करता है? उदयपुर के लोगों ने विरोध किया, इसके कारण आपने "कृषि" शब्द निकाल दिया बाकी वैसा का वैसा रख दिया। क्या उदयपुर के लोगों को × × × समझते हैं आप? एक शब्द जो आपने गोल मुट्ठी में बन्द कर दिया, "कृषि" निकाल करके बाकी वैसे का वैसा रख दिया। दोनों एकेडेमिक कौंसिल आपने बना दी। एजूकेशन विंग अलग है, एग्रीकल्चर विंग अलग है। वैसा का वैसा है, एक अक्षर नहीं बदला, केवल एक शब्द बदल कर समय बरबाद करने की कोशिश न करें। इसलिये मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिये। इसी बात को सोचकर इस बारे में फिर विचार करना चाहिये और यह जो लंगड़े जिस ढंग का हम विश्वविद्यालय बना रहे हैं, जिस ढंग की स्थिति पैदा कर रहे हैं वह ठीक नहीं है इसलिये इस परिनियत संकल्प को आप स्वीकार करें।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

मन्त्री महोदय।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री बुलाकीदास कल्ला (राज्य मन्त्री, शिक्षा) : सभापति महोदय, अजमेर और उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के बारे में एक परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया है। इस संदर्भ में मेरा यह निवेदन है कि सन् 1962 में उदयपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई जो प्रमुख रूप से कृषि विश्वविद्यालय के रूप में कार्य कर रहा था। उदयपुर में विश्वविद्यालय के क्षेत्र में उच्च शिक्षा का ध्यान रखते हुए यह मांग की गई कि उच्च शिक्षा की विभिन्न फैकल्टीज विश्वविद्यालय में शुरू की जायें। इसलिये सन् 1963 में हमने इसे मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित कर दिया तब से लेकर अब तक बराबर यह मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी के रूप में कार्य कर रहा था। इन्डियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चर रिसर्च अर्थात् भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने समय समय पर राजस्थान सरकार और सम्बन्धित विभाग को यह आग्रह किया कि इस विश्वविद्यालय को कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाये। तदनुसार 9-8-82 के एक अध्यादेश के जरिये इस विश्वविद्यालय का नाम मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय रख दिया गया। लेकिन जैसे ही इस नाम परिवर्तन के बारे में अध्यादेश जारी किया, उदयपुर की कुछ संस्थाओं ने, उदयपुर के जन प्रतिनिधियों ने इस बात का आग्रह किया कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से सम्बन्धित जो कांस्टीट्यूएंट कालेज हैं, जैसे ला कालेज और बेसिक स्कूल आफ साइंस एण्ड ह्यूमनटीज, इन दोनों कालेजेज की क्या स्थिति होगी और इसका जो मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी का स्वरूप

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

था, जिससे उदयपुर के लोगों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिल रहे थे, वह एक तरह से समाप्त हो जायेगा। इस कारण से एक मन्त्री मण्डलीय उप समिति का गठन किया गया और उसकी सिफारिशों के आधार पर केबिनेट ने 15-10-83 को एक नया अध्यादेश जारी करके इसका नाम मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय रखे दिया।

सभापति महोदय, अभी जो कुछ मुद्दे उठाये गये उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आई. सी. ए. आर. से हम बराबर सम्पर्क में हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से भी हमने बातचीत की, दोनों से बात करने के बाद ही हमने इस अध्य देश को जारी किया। कृषि अनुसंधान परिषद को हमने इस बारे में स्पष्ट आश्वासन दिया कि जो माडल एक्ट आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में बनाया हुआ है उस माडल एक्ट के अनुसार स्ट्रक्चरल चेन्जेज जो जो करने हैं वह हम उसमें करके ही इसको एक मल्टी फेकल्टी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। तदनुसार हमने जो बोर्ड आफ कन्ट्रोल था उदयपुर विश्वविद्यालय का, उसकी जगह बोर्ड आफ मैनेजमेंट की स्थापना की जो मोडल एक्ट के अनुसार है। उस माडल एक्ट में हमने सदन की भावनाओं का आदर करते हुए माननीय सदस्यों, कुछ शिक्षाविदों, एमीनेट एजूकेशनिस्ट्स कृषि से सम्बन्धित जो विशेषज्ञ हैं उनको और कृषि से सम्बन्धित कृषि वैज्ञानिकों को उसमें मनोनीत करने का भी प्रावधान किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की राय से हमने एजूकेशन विंग और एग्रीकल्चर विंग, दोनों एकेडेमिक कौंसिल की स्थापना की जिसके कारण से अभी माननीय सदस्यों ने सम्भावनायें प्रकट कीं और आशंकाएं प्रकट कि कि कृषि और सामान्य शिक्षा से सम्बन्धित जो शिक्षा शास्त्री हैं वे अपने अपने विषयों के बारे में स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकेंगे। एजूकेशन विंग और एग्रीकल्चर विंग, दोनों एकेडेमिक कौंसिल बनने के बाद, सभापति महोदय, दोनों ही विषयों के विशेषज्ञ अपनी अपनी एकेडेमिक कौंसिल में अपने स्वयं के निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकेंगे।

जहां तक अनुसंधान कार्यों के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और यू. जी. सी. की ग्रांट के बारे में कुछ मुद्दे उठाये गये, इस संदर्भ में मैं निम्न जानकारी सदन को देना चाहूंगा। सन् 1982-83 में मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय को आई. सी. ए. आर. की रिसर्च स्कीम के अन्तर्गत 1, 68, 67, 444 रुपये की राशि आई. सी. ए आर. से प्राप्त हुई थी "I. C. A. R. Grant Establishment and Development of Agricultural Universities" इस मद के अन्तगत 28,90,000 रूपये की राशि प्राप्त हुई। सभापति महोदय, इसी प्रकार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से हमको अब तक 65,70, 000 हजार रुपये की राशि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त हुई है। इस प्रकार से इन आंकड़ों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि वर्तमान में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बारे में हमने जो व्यवस्था की है और जिस अध्यादेश —

(व्यवधान)

(146)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें—

एक माननीय सदस्य : कुछ बंटाधार कर रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, इस प्रकार जो राशि हमको यू. जी. सी. और आई सी. ए. आर. से मिलनी चाहिये थी, वह बराबर मिली है। पिछले डेढ़ वर्ष में 5 करोड़ रुपये की राशि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को मिली है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : आप जो लिख कर लाये हैं वह जवाब दे रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : औरों को कितनी मिली है। यह बतायें।

श्री बुलाकी दास कल्ला : मैं दूसरे विश्वविद्यालयों के बारे में भी बता रहा हूं माननीय सदस्य को।

श्री सभापति : कृपया बिराजें आप।

(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : लगभग 5 करोड़ की राशि अन्य कृषि विश्वविद्यालयों को मिली है, हमको भी पिछले डेढ़ वर्ष में 5 करोड़ की राशि आई. सी. ए. आर. ने प्रदान की है। इसलिये सभापति महोदय, अजमेर से और उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया है उसे अस्वीकार किया जाये।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : सभापति महोदय, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं, राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय की आवश्यकता है या नहीं?

दूसरा सवाल यह है कि "कृषि" शब्द हटाने के कारण हमें ग्रांट मिलने में कितने लाख या करोड़ रुपये की हानि हुई है?

तीसरा मेरा प्रश्न है, कृषि का नाम हटा देने से जोबनेर कालेज को जो 30 लाख रुपये ग्रांट के मिलने चाहिये वह कटेंगे या नहीं?

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन के बारे में आई. सी. ए. आर. और यू. जी. सी. से हम बराबर सम्पर्क में हैं। उनसे विचार-विमर्श करके यह सारा काम किया है। इसलिये इस अनुदान में न तो आई. सी. ए. आर से कोई कटोती होगी और न यू. जी.सी. से मिलने वाले अनुदान में कोई कटौती होगी। जैसा मैंने आंकड़ों के आधार पर बताया, हम पिछले डेढ़ वर्ष में 5 करोड़ रुपये की राशि आई. सी. ए. आर. ने प्रदान की है और लगभग 65 लाख से अधिक की राशि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने दी है। इसलिये इसके नाम परिवर्तन से किसी भी प्रकार के अनुदान में किसी भी प्रकार की कोई कटौती आई. सी. ए. आर. और यू. जी. सी. के माध्यम से नहीं होगी।

(4.00 म. प.)

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : मंत्री महोदय, यह आई. सी. ए. आर. के कई कागज पहले सरकार के पास लिखे हुए पड़े हैं कि आपके द्वारा कृषि का नाम नहीं लिखने के कारण हम इतना अनुदान नहीं दे सकते हैं। राजस्थान बहुत को कम अनुदान मिल रहा है दूसरे राज्यों के मुकाबले में। आप आंकड़े बताइये ना।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, जो स्ट्रक्चरल चेन्ज हमने माडल एक्ट के अनुसार किये हैं, इस बात से आई. सी. ए. आर सहमत हो गया है। हमने जो दो एकेडेमिक कौन्सिल बनाई है, बोर्ड आफ मैनेजमेंट में जो परिवर्तन किये हैं वह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में आई. सी. ए. आर. ने जो मॉडल एक्ट दिया है उसी के अनुसार स्ट्रक्चरल चेन्ज करके यह अध्यादेश और विधेयक प्रस्तुत किया है।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। कृपया विराजें। माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है, कृपया बिराजें।

श्री मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल : सभापति महोदय, जैसा मैंने पहले ही निवेदन किया, माननीय राज्य मंत्री जी ने जो कुछ लिखा हुआ है उसके अनुसार तुलनात्मक आंकड़े दे दिये। भीम से आने वाली माननीय सदस्या ने समस्या में बहुत ही वेलिड मुद्दे उठाये हैं कि पैटर्न आफ इकानामिक असिस्टेन्स के बारे में आई. सी. ए. आर ने आपको कब आश्वस्त किया कि आप अगर ये मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी रखेंगे तो हम आपको पूरा असिस्टेन्स देंगे उस पैटर्न में जो दूसरे कृषि विश्वविद्यालय के साथ पैटर्न आफ असिस्टेन्स है वही लागू करेंगे ? यह पत्र आप बता दीजिये, आंकड़ों और उसका जो रेफरेन्स दे रहे हैं बजाय इसके।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : सभापति महोदय, मैं तो एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं। आपने कहा कि इण्डियन कौन्सिल आफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने, यू. जी. सी. ने सहमति व्यक्त की। तो सहमति पत्र पढ़कर सुनायेंगे आप या जुबानी सहमति है ? सरकार और इस इन्स्टीट्यूशन के बीच में सहमति हुई क्या है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, हमने उनके साथ विचार-विमर्श किया। विचार-विमर्श करने के बाद स्ट्रक्चरल चेन्ज किये। जब दूसरा और तीसरा वाचन होगा उस समय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का—

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये तो सही।

श्री बुलाकीदास कल्ला : विचार-विमर्श हुआ। चीफ सैक्रेटरी लेवल पर, आई. सी. ए. आर. के अधिकारियों के साथ विचार-

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

विमर्श हुआ उसके बाद में ही स्ट्रक्चरल चैन्जेज करने की बात आई। उसी के अनुसार, जैसा मैंने आपको बताया, दो एकेडेमिक कौन्सिल बनाई गई, बोर्ड आफ मैनेजमेंट बनाया गया। इसके साथ-साथ मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वर्तमान में यू. जी. सी.·····

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, विचार-विमर्श की तारीख क्या है? कौन से अधिकारी विचार-विमर्श करने गये ?

श्री सभापति : मंत्री जी को पूरा जवाब देने दें। कृपया आप बिराजें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के द्वारा किसी भी प्रकार की किसी भी ग्रान्ट में कोई कटौती नहीं की जा रही है। जहां तक नाम का सवाल है, आई सी. ए. आर. और यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन, दोनों ही नाम को लेकर किसी भी प्रकार की अनुदान में कोई कटौती करेगी, इस प्रकार की व्यवस्था है नहीं।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : विचार-विमर्श के नोट्स हैं क्या आपके पास ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : विचार-विमर्श के नोट्स हमारी फाइल्स में हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पेश करिये आप हाउस में।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नियमानुसार इस तरह की बात लायें, पेश कर दिये जायेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या राजस्थान को डुबो कर पेश करेंगे आप ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : दिनांक 5-4-83 को दिल्ली में आई. सी. ए. आर के डायरेक्टर जनरल के साथ मुख्य सचिव की बैठक हुई। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि चाहे आप इसका नाम कृषि विश्वविद्यालय नहीं रखें लेकिन माडल एक्ट के अनुसार आप इसमें कुछ स्ट्रक्चरल चैन्ज ले आयें तो हम अपनी ग्रान्ट नियमित रूप से देते रहेंगे। उसी के अनुसार, सभापति महोदय, हमने यह स्ट्रक्चरल चैन्जेज किये हैं और उसीके अनुरूप अध्यादेश जारी कर आज बिल के रूप में मैंने पेश किया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि हमारे चीफ सैक्रेटरी महोदय वहां पर गये और जाकर उन्होंने बातचीत की, बैठक की, उसके बाद जो सहमति हुई उस सहमति के बाद हम विधेयक ला रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इस हाउस को यह देखने का अधिकार है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को जो ग्रान्ट्स मिलती है, यू. जी. सी. की जो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

ग्रान्ट्स मिलती है हमें बहुत बड़ी शंका है कि इस बिल के पास होने के बाद, वह सारी की सारी एड बन्द हो जायेगी। इसलिये मैं चाहूंगा कि जिस बैठक का आपने यहां जिक्र किया है उसके नोट्स सदन के पटल पर रखे जांय ताकि इस दल के सदस्य इस बात से सहमत हो जायं। यह नियम है कि जिस चीज का वर्णन कर देते है वह हाउस की सम्पत्ति हो जाती है। इसलिये आपने अभी जो कोट किया है वह नोट्स सदन के पटल पर रखवाये जायं ताकि माननीय सदस्य इस बात से सन्तुष्ट हो सकें या वह पढ़कर सुनायें ताकि माननीय सदस्य इस बात से संतुष्ट हो सकें कि हम ठीक प्रकार डिबेट में भाग ले रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैंने दिनांक 5-4-83 को जो भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के डायरेक्टर-जनरल के साथ मुख्य सचिव का विचार विमर्श हुआ इसके बारे में जानकारी दी है। यदि मैंने कोई गलती की है तो नियमों के अनुसार विशेषाधिकार का प्रश्न या जो मुद्दा उठाना चाहें, उठा सकते हैं। अभी, सभापति महोदय, विधेयक पर बिचार चल रहा है। बहुत ही अधिकारपूर्वक जो बात मैंने कही है वह तथ्यों के आधार पर ही कही है।

श्री सभापति : कृपया विराजें। आपके व्यवस्था के प्रश्न का मैं विनिश्चय दे चुका हूं। जो डाकूमेंट इस सदन में पढ़ा जाता है या किसी डाकूमेंट में से कोई कोट किया जाता है वही डाकूमेंट सदन में रखना आवश्यक होता है। इन्होंने न कोई डाकूमेंट पढ़ा है, न कोई डाकूमेंट में से कोई पोर्शन कोट किया है।

(व्यवधान)

इन्होंने जो उसका रेफरेन्स दिया है—

श्री घनश्याम तिवाड़ी : रेफरेन्स दिया है।

श्री सभापति : रेफरेन्स दिया है कि फलां तारीख को मीटिंग हुई। इसलिये यह आवश्यक नहीं है कि यह डाकूमेंट रखा जाय। चर्चा समाप्त होती है।

(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, एक सैकण्ड के लिये आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

सभापति महोदय, यह सारा जो चैन्ज किया है वह इसी कारण से किया कि राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालय को मैक्जिमम पैसा मिले। पहले जो पैसा मिल रहा था है वह कम मिल रहा था। हमारा उतना डवलपमेंट नहीं हो पा रहा था क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय नहीं था। अब मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि हमारी यू जी. सी. ने कटौती नहीं की, हम तो लाये ही यह इसलिये हैं कि बढ़ोतरी हो। प्रश्न कटौती का नहीं है। हमने यह सारा चैन्ज इसीलिये किया कि हमको जो पहले पैसा कम मिला था वह मैक्जिमम मिले, बाकी दूसरी यूनिवर्सिटीज के कम्पेरीजन में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मिले। सवाल यह है, क्या इसको लाने के बाद आपको यह विश्वास है या आपके पास ऐसा लिखित में है कि इस पैटर्न के बाद आई. सी. ए. आर. से मैक्जिमम ग्रान्ट हमको मिलेगी। प्रश्न यह है ?

श्री सभापति : कुछ कहना चाहेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, जैसा मैंने पूर्व में सदन को बताया कि ग्रान्ट में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन और भारतीय कृषि अनुसधान परिषद् दोनों से हमको जो अनुदान और सहायता मिल रही थी वह बराबर मिलती रहेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जो ग्रान्ट अन्य एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को मिलती है उतनी मिलेगी क्या, मुद्दा यह है।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अन्य प्रान्तों की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को जो मिलती है उतनी मिलेगी, मुख्य मुद्दा यह है।

श्री सभापति : कृपया विराजें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने, माननीय सदस्य, अभी आपको बताया कि हमको पिछले डेढ वर्ष में 5 करोड़ रुपये की राशि मिली है और दूसरे विश्वविद्यालयों को भी इतनी ही राशि मिली है।

श्री सभापति : कृपया विराजें।

प्रश्न यह है जो कि परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(ध्वनि मतदान)

श्री यदुनाथ सिंह : हमारी आवाज तेज आयी थी।

श्री सभापति मैं फिर पूछ लेता हूं। दुबारा पूछ लेता हूं।

प्रश्न यह है कि जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(ध्वनि मतदान)

ना पक्ष जीता।

अनेक माननीय सदस्य : हां पक्ष जीता।

श्री यदुनाथ सिंह : अलग से एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बहुत जरूरत है।

श्री सभापति : मैं एक बार फिर इसको आपसे पूछ लेता हूं।

प्रश्न यह है कि जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(ध्वनि मतदान)

ना पक्ष जीता।

अनेक माननीय सदस्य : हां पक्ष जीता।

श्री यदुनाथ सिंह :अल्टीमेटली हां पक्ष ही जीतेगा।

श्री सभापति : आप डिवीजन चाहते हैं ?

एक माननीय सदस्य : हां, डिवीजन हो जाय।

श्री सभापति : वहीं खड़े करके कर लेते हैं।

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं। खड़े हो कर कैसे कर लेंगे। हां पक्ष जीता।

(मत-विभाजक घंटी)

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें।

प्रश्न यह है कि जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(ध्वनि मतदान)

ना पक्ष जीता।

श्री यदुनाथ सिंह : हां पक्ष जीता।

श्री परसराम मदेरणा : Noes have it.

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हां पक्ष जीता।

श्री सभापति : मैं दुबारा फिर पूछ लेता हूं। कृपया इसको तय कर दें इसी प्रकार से।

प्रश्न यह है कि जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(ध्वनि मत दान)

ना पक्ष जीता।

श्री यदुनाथ सिंह : हां पक्ष जीता।

श्री सभापति : यहीं खड़े करके कर लेते हैं। जो परिनियत संकल्प पारित करने के पक्ष में हों वह माननीय सदस्यगण हां पक्ष लाबी में चले जायें और जो इसके विपक्ष में हों वह ना पक्ष लाबी में चले जायें।

(मत विभाजन के पश्चात्)

विभाजन पर हुई मतगणना के परिणाम इस प्रकार हैं :—परिनियत संकल्प पारित किये जाने के पक्ष में 24, इसको अस्वीकार किए जाने के पक्ष में 64। इसलिए परिनियत संकल्प को अस्वीकार किया गया।

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, इसका मतलब है कि परिनियत संकल्प स्वीकार हो गया है।

श्री सभापति : अस्वीकार किया गया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने कहा कि स्वीकार होने के पक्ष में 64।

श्री सभापति : अस्वीकार के।

श्री भैरोंसिह शेखावत : स्वीकार होने के पक्ष में 64 यह आपने कहा है, प्रोसीडिंग्स देख लीजिए।

श्री सभापति : परिनियत संकल्प पारित किये जाने के पक्ष में 24। इसको अस्वीकार किये जाने के पक्ष में 64। इसलिए परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

मत विभाजन

हां पक्ष

क. सं.		सदस्य का नाम
1.	श्री	अनंग कुमार जैन
2.	श्रीमती	उजला अरोड़ा
3.	श्री	उम्मेद सिंह
4.	,,	कमलेन्द्र सिंह
5.	,,	कैलाश मेघवाल
6.	,,	गुलाबचन्द कटारिया
7.	,,	घनश्याम तिवाड़ी
8.	,,	चन्द्रवीर सिंह भाटी
9.	,,	चाव खां
10.	,,	चुन्नीलाल
11.	,,	छीतरलाल आर्य
12.	,,	जीतमल जैन
13.	,,	दाउदयाल जोशी
14.	सुश्री	पुष्पा जैन
15.	श्री	बंसीलाल पटवा
16.	,,	बालचन्द आर्य वीर
17.	,,	भंवरलाल शर्मा
18.	,,	भैरोंसिंह शेखावत
19.	,,	महाराम चौधरी
20.	,,	मेघराज तावड़
21.	,,	यदुनाथ सिंह
22.	,,	समरथलाल
23.	श्री	हंसराज शर्मा
24.	,,	हीरालाल आर्य

ना पक्ष

क.सं.		सदस्य का नाम
1.	श्री	अमरचन्द
2.	श्री	अमीन खां
3.	श्री	असलम खां
4.	श्री	अहमद बक्श सिंधी
5.	श्री	कनकराज मेहता
6.	श्री	खेत सिंह राठौड़
7.	श्री	गोविन्द आमेटिया
8.	श्री	गोविन्द सिंह गुर्जर
9.	श्री	घनश्याम जैन
10.	श्री	सी. पी. जोशी
11.	श्री	चेतराम
12.	श्री	छोगाराम बकोलिया
13.	श्री	सी. एल. कंवरिया
14.	श्री	जगदीश प्रसाद तिवाड़ी
15.	श्री	जयकृष्ण शर्मा
16.	श्री	जयदेव प्रसाद इन्दोरिया
17.	श्री	जीवराजसिंह राठौड़
18.	श्री	थान सिंह मीणा
19.	श्री	दिनेश डांगी
20.	श्री	देवीलाल
21.	श्री	देवेन्द्र कुमार मीणा
22.	श्री	देवेन्द्र सिंह
23.	श्री	नरपत राम बरवड़
24.	श्री	नानालाल
25.	श्री	नानूराम कुमावत
26.	श्री	नारायण सिंह
27.	श्री	परसराम मदेरणा

क्र.सं.	सदस्य का नाम
28. श्री	पीरूराम
29. श्री	प्रद्युम्नसिंह
30. श्री	प्रभुलाल
31. श्री	बनवारी लाल
32. श्री	बुलाकीदास कल्ला
33. श्री	भंवरलाल मेघवाल
34. श्री	भगवानदास डोसी
55. श्री	भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)
36. श्री	भैरूलाल (मनोहर थाना)
37. श्री	भैरूलाल भारद्वाज
38 श्री	भैरूसिंह गुर्जर
39. श्री	महादेव सिंह
40. श्री	माणकमल मेहता
41. श्री	मानसिंह देवड़ा
42. श्री	मालूराम लेघा
43. श्री	मुराद खां
44. श्री	रामकरण कतालो
45. श्री	रामनाराय डूडी
46. श्री	रामपाल उपाध्याय
47. श्री	रामसहाय सोनड़
48. श्री	रामसिंह विश्नोई
49. श्री	रामेश्वरलाल
50. श्री	रूपलाल परमार
51. श्रीमती	लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत
52. श्री	जगन्नाथ पहाड़िया
53. श्री	शिवचरण माथुर
54. श्री	शिवराम शर्मा
55. श्री	श्रीराम रावत
56. श्री	सुजानसिंह यादव
57. श्री	सुनीलकुमार विश्नोई
58. श्री	सुन्दरलाल

क्र. सं.	सदस्य का नाम
59. श्री	सुरेन्द्र व्यास
60. श्री	हनुमान प्रसाद प्रभाकर
61. श्री	हरसहाय मीणा
62. श्री	हरिसिंह (फुलेरा)
63. श्री	हरिसिंह (महुआ)
64. श्री	हेमाराम चौधरी।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1984

विधेयक पर विचार

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय।

(4–25 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने एवं जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव रखा है—

श्री अध्यक्ष : अब इस पर लम्बी चर्चा नहीं होगी।

श्री सी. पी. जोशी : मैंने प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के लिए प्रस्ताव रखा है, मुझे बोलने का मौका दिया जावे।

(154)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बोल सकते हैं।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1984 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करे (सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत करदी जायगी)।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय इसके पीछे जो मंशा है वह बड़ी स्पष्ट है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि 1962 में सबसे पहले राजस्थान कृषि बिश्वविद्यालय था उसके बाद उदयपुर विश्वविद्यालय बना और उसके बाद उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय किया गया फिर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का नाम मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय किया गया और आज यह बिल वापस मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय के रूप में हमारे सामने रखा जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी विश्वविद्यालय के बनाने के पीछे जो कंसेप्ट है उसको यदि हम आधार मान लें, तो 1962 में जब सबसे पहले राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय था तब इसके पीछे मंशा यह थी कि राजस्थान के अन्दर एक कृषि विश्वविद्यालय होगा। इसीलिए इसका नाम राजस्थान कृषि बिश्वविद्यालय, उदयपुर था। जब इस कृषि विश्वविद्यालय को मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया गया, उदयपुर विश्वविद्यालय बनाया गया तो इसके पीछे मंशा यह थी कि अमेरिका के लेंड ग्रेन पेंटर्न पर जो ओहियो यूनिवर्सिटी है उसके आधार पर हम उदयपुर विश्वविद्यालय को डवलप करना चाहिये हैं। उसी आधार पर उदयपुर विश्वविद्यालय के सारे एक्ट बनाये गये। आधार यह बना था कि अमेरिका के उस विश्वविद्यालय के आधार पर यह उदयपुर में एक विश्वविद्यालय बनेगा जो मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी होगी। मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी बनाने की जो मंशा 1964 में थी, जिसको आधार बना कर हमने सारे एक्ट में परिवर्तन किया, अध्यक्ष महोदय, तो मैं एक सीधा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यह मल्टी फैकल्टी बनाने की हमारी जो नीड थी उसको कैटर नहीं कर पाये और आज भी हम यह कहना चाहते हैं कि यह मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी है तो 1964 से लगा कर 1984 तक जो हमारी बीस साल की यात्रा है उस बीस साल के अनुभव के आधार पर हम किस कृषि विश्वविद्यालय की कल्पना करना चाहते हैं उसके बारे में हमारी संरचना बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। 1964 के अन्दर कुछ एफीलियेट कालेज उदयपुर विश्वविद्यालय के अन्दर थे और 1984 में मोहनलाल सुखाड़िया ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें नहीं करें, माननीय सदस्यगण। आर्डर, बातें नहीं करें।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1964 के उदयपुर विश्वविद्यालय के और 1984 के मोहनलाल सुखाड़िया

(श्री सी. पी. जोशी)

विश्वविद्यालय में मोटे तौर पर केवल मात्र एक परिवर्तन है कि कुछ एफीलियेट कालेज पहले उस विश्वविद्यालय में थे, आज नाम परिवर्तन करने के बाद कुछ महा विद्यालय वहां से हटा दिये गये हैं। यदि मल्टीफॅकल्टी यूनिवर्सिटी बनाने के पीछे उद्देश्य यही था तो मैं समझता हूं कि उस दृष्टि से जितना हमें आगे बढ़ना चाहिए था उतना हम आगे नहीं बढ़ पाये।

उसके बाद समय-समय पर चाहे रणधावा कमेटी हो, चाहे आई. सी. ए. आर. के जितने भी डायरेक्टर हों, उन्होंने राजस्थान सरकार को यह डायरेक्शंस दिये हैं कि राजस्थान में एक कृषि विश्वविद्यालय बने। मैं समझता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय बनाने के इन डायरेक्शंस को आधार माना जाय और मंत्री महोदय कह रहे हैं कि हमने मल्टी फॅकल्टी यूनिवर्सिटी बनाई है तो दोनों के बीच में विरोधाभास है। यदि हम इसको मल्टी फॅकल्टी यूनिवर्सिटी रखना चाहते थे तो 1964 और 1984 के बीच में परिवर्तन क्यों किये? इसलिए, माननीय सभापति महोदय, इस बारे में गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है कि 1964 से 1984 के बीच में केवल मात्र कुछ कालेजों को हटाने से विश्वविद्यालय के स्वरूप की संरचना में परिवर्तन नहीं हो सकता, आई. सी. ए. आर. की नीड पूरी नहीं हो सकती। उस दृष्टि से देखा जाय, इस विश्वविद्यालय के बिल को यदि हम पास करना चाहते हैं तो यह विश्वविद्यालय बनाने की जो हमारी इच्छा है, राजस्थान की जो नीड्स पूरी करने की इच्छा है उसको कैटर नहीं कर पाते हैं। माननीय सभापति महोदय ...

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि इस विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन की कहानी के पीछे यह बताया गया कि वहां पर जन प्रतिनिधि और छात्रों का आन्दोलन हुआ; इसी आधार पर हमने कृषि वर्ड को अवोइड किया और ड्राप कर दिया। एक तरफ हम कहना चाहते हैं कि हमने आई. सी. ए. आर के डायरेक्टिव्ज के आधार पर स्ट्रक्चरल चैंज करके माडल एक्ट के अनुसार परिवर्तन किया है और दूसरी तरफ हम यह कहना चाहते हैं कि वहां पर छात्रों ने आन्दोलन किया इसलिए हमने यह वर्ड ड्राप कर दिया, दोनों के बीच में सम्बन्ध नहीं है। यदि हम केवल मात्र छात्रों के आन्दोलन के आधार पर विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें स्पष्ट कहना पड़ेगा कि हम आई. सी. ए. आर. के जो डायरेक्टिव्ज हैं उनको पूरा नहीं करना चाहते हैं। एक ही सेंटेंस में दो बात कह जाते हैं। आई. सी. ए. आर. के डायरेक्टिव्ज को भी पूरा कर लेंगे और छात्रों के आन्दोलन के आधार पर विश्वविद्यालय का नाम बदला है। मैं समझता हूं कि इस दृष्टि से भी हमने यह जो नाम परिवर्तन का निर्णय लिया है वह हैस्टी निर्णय है।

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं अपनी बात संक्षेप में खतम करूंगा। इस सारे एक्ट में परिवर्तन किये हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आज की कार्यसूची काफी लम्बी है इसलिए माननीय सदस्य दो मिनट में अपनी बात कह दें।

156

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यसूची में पेयजल तो हर बजट में आयेगा पर विश्वविद्यालय का नाम एक बार बदल गया तो यह फिर बार-बार नहीं आएगा। आप इतने हैस्ट में निर्णय ले लेंगे—

श्री अध्यक्ष : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री सी. पी. जोशी : इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, यह राजस्थान के भविष्य का प्रश्न है कि यहां पर एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय बनाना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। जो विश्वविद्यालय बना हुआ है उसका नाम परिवर्तन करके आई. सी. ए. आर. की नीड्स पूरी करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए इस आधार पर इस पर आप पांच मिनट की जगह पचास मिनट दें तो ठीक रहेगा।

मैं आगे बात कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि इस नाम परिवर्तन की कहानी तक ही यदि बात समाप्त हो जाती तो और बात थी। नाम परिवर्तन के साथ साथ यूनिवर्सिटी आफ उदयपुर, 1962 के एक्ट के अन्दर आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। इसका पहले रीजन यह दिया कि माडल एक्ट की डिमाण्ड है। मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, यह माडल एक्ट है क्या? माडल एक्ट के आधार पर बोर्ड आफ कंट्रोल और सिण्डीकेट को भंग करके बोर्ड आफ मैनेजमेंट बना दिया और दूसरी तरफ कहते हैं कि छात्रों के आन्दोलन के कारण विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया। तो आप माडल एक्ट का काम पूरा करना चाहते हैं या छात्रों की मांग पूरी करना चाहते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एकेडेमिक कौंसिल हमनें दो बना दीं, और एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बना दिया, इसलिये इससे आई. सी. ए. आर. के डायरेक्टिव्ज पूरे हो जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, आप भी राजस्थान के शिक्षा मन्त्री रहे हैं, आज एकेडेमिक कौंसिल का फंक्शन क्या है? क्या एकेडेमिक कौंसिल हर साल अपने केरीकुलम में चेन्ज करती है। एकेडेमिक कौंसिल एक म्युचुअल बाडी है, अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से हम सदन में बैठते हैं, राजस्थान के बजट के बारे निर्णय करते हैं। जो मन्त्रिमण्डल है वह सारे बजट को इंप्लीमेंट करने का पार्ट है। इस एकेडेमिक कौंसिल के आधार पर, अध्यक्ष महोदय, इस विश्वविद्यालय के अन्दर कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। कुल मिला कर मेरा निवेदन यह है कि एक बात हमें स्पष्ट करनी पड़ेगी, राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय बनाना है तो निश्चित तौर पर कृषि विश्वविद्यालय के बारे में मानस बना कर घोषणा करनी पड़ेगी कि हम राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं। हमारे पास पोलिटिकल विल नहीं इस बात की कि जहां विश्वविद्यालय बन चुका है उसके नाम को खण्डित और मण्डित करके हम राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालय की नीड्स को पूरा कर पायें। तो वह भी बात स्पष्ट हो जानी चाहिये। मैं समझता हूं, कुल मिला कर यदि इन पांच-छः एफोलियेटेड कालेज को निकालने के बाद राजस्थान सरकार की मन्शा यह है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय आने वाले 3-4 साल में

(श्री सी. पी. जोशी)

कृषि विश्वविद्यालय बन जायेगा तब तो निश्चित रूप से यह परिवर्तन ठीक है लेकिन मुझे लगता है, जैसा हमारे मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं कि हमने परिवर्तन इसलिये किया कि मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी रहेगी। तो इसका मतलब....

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने वोट किस आधार पर दिया था ?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय भंवरलाल जी शर्मा साहब, वोट मुझे वहां देना चाहिये जहां आप जानते हैं। मैं पार्टी का डिसिप्लिन आदमी हूं, पार्टी जो निर्णय करेगी वह बात मानूंगा।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपनी बात यह कहना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय की संरचना में बार बार परिवर्तन करने से हम राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय की नीड्स को पूरा नहीं कर पायेंगे, आई. सी. ए. आर. के डायरेक्टिव्ज को पूरा नहीं कर पायेंगे और कुल मिलाकर इस परिवर्तन के आधार पर जो भी परिवर्तन करना चाहते हैं, वह एक तरह से कंट्राडिक्टरी हैं। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि हम ठण्डे दिमाग से सोच कर पहले प्रवर समिति से निर्णय ले लें कि उदयपुर विश्वविद्यालय का स्वरूप क्या रखना चाहते हैं और आई. सी. ए. आर. के डायरेक्टिव्ज को कैसे पूरा करना चाहते हैं तभी जाकर हमें इसके परिवर्तन के दूरगामी परिणाम मिल पायेंगे अन्यथा पोलिटिकली हाफ हार्टेड हमारी जो बिल है उससे हम लेक करेंगे, उससे हमारी दोनों नीड्स पूरी नहीं होंगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में हमें गम्भीरता से सोच कर निर्णय लेना चाहिये तब तो जाकर काम कर पायेंगे और हैस्ट में अगर निर्णय लेंगे, अध्यक्ष महोदय, फिर दुबारा हम को परिवर्तन करना पड़ेगा। आवश्यकता इस बात की है कि इस बिल को डैफर किया जाय, जनमत जानने के लिये प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय और उसके आधार पर परिवतन किया जाय जिससे आई. सी. ए. आर की नीड्स पूरी हों और राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय बन सके। उदयपुर की जो पोलिटिकल नीड्स हैं उसको यदि आधार बनाया आपने तो फिर राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय की संरचना के बारे में जो आपकी कल्पना है उसको पूरा नहीं कर पायेंगे। मैं समझता हूं कि इनको आधार मान कर विश्वविद्यालय की जो कल्पना है उसको पूरा किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : कई माननीय सदस्यों के संशोधन प्रस्ताव हैं लेकिन समय के अभाव में अब मैं एक माननीय सदस्य को और अवसर दे सकता हूं इस सम्बन्ध में। कृपया वह समय का ध्यान रखें 5 से 7 मिनट।

गुलाबचन्द कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य सी. पी.

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जोशी की बात को मानते हुए आगे चलता हूं जो कुछ इन्होने कहा वही भावना....

श्री अध्यक्ष : कम से कम एक बात में तो सहमति है आपकी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : विश्वविद्यालय के बारे में तो हंड्रेड पर्सेन्ट सहमत हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसमें जो कुछ भी आप बोर्ड आफ मेंनेजमेंट बनाने जा रहे हैं राजस्थान के विश्वविद्यालय को जहां एक और यह कहते हैं कि स्वायत्तता है, हम एक ऐसी बाडी बनाना चाहते हैं तो यह समझना चाहिये कि एक छोटा प्राइमरी स्कूल या प्राइवेट स्कूल स्थापित करते हैं तो उसके लिये भी कोई संविधान होता है और उसमें भी 20-30 लोगों की एक कमेटी होती है जो मिलकर उस स्कूल को चलाती है। यह जो बोर्ड आफ मेंनेजमेंट बना रहे हैं, इस बोर्ड आफ मेनेजमेंट को आपने ठीक ढंग से देखा नहीं है। आप माडल एक्ट की बार बार ताइद कर रहे हैं। इस माडल एक्ट में आप हमको एक तरह से उलझा रहे हैं। जो आप बोर्ड आफ मैनेजमेंट बना रहे हैं वह सिकोड़ करके छोटा बना दिया। जिस प्रकार विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्रियों के ज्ञान का लाभ लेकर, उनके स्वतन्त्र और अच्छे विचारों का लाभ लेकर हम विश्व-विद्यालय को बढ़ाना चाहते थे, उसकी तरक्की करना चाहते थे, श्रीमन्, मैं इसके विवरण में नहीं जाऊंगा। पहले जितने भी विश्व-विद्यालय के वाइस चांसलर होते थे राजस्थान के, वे उसके मैंबर होते थे। उदयपुर विश्वविद्यालय में जितने वाइस चांसलर रहे वे उसके मैंबर थे। हमारा शिक्षा मन्त्री उसका मैंबर होता था, कृषि मन्त्री उसका मैंबर होता था। दुर्भाग्य से इन सब को इसमें से हटा लिया। केवल कुछ सैक्रेटरी और वाइस चांसलर के नामिनेटेड लोग उसमें हैं और आप जो अभी अमेन्डमेंट लाये हैं यह जरूर अच्छा किया कि दो टीचर रिप्रेजेंटेटिव दे दिये। अन्यथा आपने जो कुछ भी प्रतिनिधित्व पहले था उसको बहुत ही छोटा कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, उदयपुर विश्वविद्यालय में कुछ सबजेक्ट डोनेट कर रखे हैं। जैन समाज ने जैनोलोजी शुरू करने के लिये विश्वविद्यालय को अनुदान देकर एक जैनोलोजी की चेयर वहां स्थापित की। वल्लभा समाज के नाथद्वारा ट्रस्ट ने भी हमारे विश्वविद्यालय को उसके साहित्य के सृजन और विकास के लिये डोनेशन दिया। हमारे विश्वविद्यालय में लाइफ मैंबर भी थे जो एक लाख या उससे अधिक पैसा देकर उदयपुर विश्वविद्यालय के विकास में सहयोगी होते थे। उन सब लोगों को मिल कर बाडी बनती थी और वह सारी मिल कर इस विश्वविद्यालय को किस ढंग से चलाया जाय, कैसे किया जाय इसकी सारी रीति-नीतियों को तय किया करते थे। लेकिन इस माडल एक्ट के सहारे हमने इसको इतना छोटा करके सिकोड़ कर रख दिया कि यह केवल सरकारी दुकान बन कर रह जायेगा।

केवल कुछ लोग हैं वह जरूर इसमें कुछ करते रहेंगे लेकिन उन नामिनेटेड लोगों की संख्या और जिन लोगों को हमने बनाया है उनकी तुलना में मेरा अनुमान है कि 10

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

प्रतिशत भी नहीं है। इसके कारण स्वतंत्र विचार के आधार पर इसका कोई विकास कर पायेंगे यह मुझे नहीं लगता। यह नहीं पता कि हमारा जो पुराना एक्ट उदयपुर विश्वविद्यालय का है, उसका जो बोर्ड आफ कंट्रोल था उसमें स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन था। एक ओर तो कहते हैं कि हम जनतंत्र के हामी हैं, जनतंत्र का विकास करना चाहते हैं और दूसरी ओर यह कह रहे हैं कि अगर विश्वविद्यालय के बोर्ड आफ मैनेजमेंट में इलेक्टेड स्टूडेंट्स आ जायेंगे तो शायद वे आकर डिस्टर्बेन्स करेंगे। वहां के रजिस्टर्ड ग्रजूएट्स, जिनकी भी दो सीट होती थीं जो इलेक्शन के माध्यम से आते थे, को भी इस कारण से रोक दिया कि शायद वे आकर डिस्टर्बेन्स करेंगे। अगर वास्तव में जनतंत्र में इलेक्टेड मैम्बर डिस्टर्बेन्स करता है तो फिर हम को ए बी सी डी से विचार करना पड़ेगा कि हमारी इस विधान सभा को भी चुन कर आने का अधिकार है या नहीं। अगर मानस यह बन गया कि विश्वविद्यालय में इलेक्टेड स्टूडेंट्स आयेगा तो वह गड़बड़ करेगा, इलेक्टेड टीचर आयेगा तो गड़बड़ करेगा, रजिस्टर्ड ग्रेजूएट इलेक्टेड होकर इस बाडी में बैठेगा और अपने विचार देगा तो उसके कारण से यूनिवर्सिटी का ढांचा बिखर जायेगा इसके कारण से ढांचे में परिवर्तन कर रहे हैं तो हम को फिर से विचार करना चाहिये। इस प्रकार से ढांचे में परिवर्तन न करें।

इसी तरह से आपने इसमें लिखा है कि च्वाइस पर है, वाइस चांसलर जिसको चाहे उसको नामीनेट कर दे। हमने यह कहा है कम से कम आप सीनियोरिटी तो रखिये। जो भी सीनियोरिटी में टॉप मोस्ट हो उस आदमी को आप नामीनेट करें। लेकिन आपको च्वाइस पर छोड़ रखा है। अगर 8 प्रोफेसर हैं, 8 में से आपको दो की जरूरत है तो जो आपको सवेरे से सलाम ठोकेंगे, जो राय के साथ राय मिला कर बात करेगा वह विश्वविद्यालय की बाडी में बैठेगा। इस प्रकार की बाडी बना कर क्या हम राजस्थान की शिक्षा का विकास कर पायेंगे? आज हम शार्ट कट ढूंढ़ रहे हैं। आज की परिस्थिति और सारी इस स्थिति के कारण और विश्वविद्यालय के बिखरते हुए ढांचे और अनुशासनहीनता के के कारण हमारा मानस इस बात के लिए जरूर कह रहा है कि हम को इससे मुक्ति मिलनी चाहिये। लेकिन जो शार्ट कट हम ढूंढ़ रहे हैं क्या वह वास्तव में राजस्थान के भविष्य के लिये ठीक रहेगा? इन विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता की हम जो इतनी हामी भरते हैं और बार बार कहते हैं कि यह स्वतंत्र रहे और इसमें सार्वभौम तत्व....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमान सी. पी. जोशी की बात के साथ हम अपने दिमाग में स्पष्ट हो जायें कि उदयपुर विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय है या उदयपुर विश्वविद्यालय एकेडेमिक रूप में है या मल्टी फैकल्टी है। और है तो यह कब तक रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

साल छः महीने बाद नये विश्वविद्यालय का एक अध्यादेश लेकर आना पड़ेगा। यह जो रास्ता है, ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं, विनम्रता से आपसे प्रार्थना है, सदन के सभी माननीय सदस्यों, मुख्य मन्त्री से विनम्रता, पूर्वक प्रार्थना करता हूं कि राजस्थान के विश्वविद्यालय के बारे में, कृषि विश्वविद्यालय के बारे में क्या कल्पना लेकर इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं। आप इसको फिर से विचारिये। जनमत जानने के लिये इस बिल को परिचालित करिये। लोगों की राय इस पर आने दीजिये। एक महीने में, दो महीने में आसमान टपक कर नहीं आ जायेगा। कोई बहुत बड़ी हम को हानि नहीं हो जायेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ में मैं प्रस्ताव करता हूं कि "मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1984 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।"

श्री अध्यक्ष : शिक्षा राज्य मन्त्रीजी। संक्षेप में, मन्त्री महोदय।

श्री बुलाकी दास कल्ला : बहुत संक्षेप में। अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बारे में अभी कुछ मुद्दे उठाये। मैं इस संदर्भ में यह कहना चाहूंगा, दिनांक 5-4-83 को दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के डायरेक्टर जनरल के साथ मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की वार्ता हुई, विचार विमर्श हुआ। इस विचार-विमर्श के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के डायरेक्टर जनरल और संबंधित अधिकारियों ने यह मंशा प्रकट की कि आप नाम के चक्कर में नहीं जाकर कुछ स्ट्रक्चरल चेंज इस विश्वविद्यालय की संरचना में कर दें। उसके अनुसार हमने एग्रीकल्चर विंग और एजूकेशन विंग, दो एकेडेमिक कौंसिल बनायीं। बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल की जगह बोर्ड ऑफ मैनेजमेन्ट की संरचना की। उस के अनुसार जो स्ट्रकचरल चेन्जेज हमको करने थे वह करके इस विश्वविद्यालय के स्वरूप में कुछ परिवर्तन किये।

अभी माननीय सदस्य उदयपुर से आने वाले ने बताया कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में संख्या बहुत कम है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, इसमें प्रगतीशील किसानों, अध्यापकों को भी लिया गया है। राज्य विधान सभा के दो सदस्य इसमें हैं। विख्यात कृषि वैज्ञानिक को इसमें मनोनित करने का प्रावधान है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के एक सदस्य को इसमें लेने की बात कही है। इसलिए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अभाव नहीं है।

जहां तक उप कुलपति के द्वारा विभागाध्यक्षों के मनोनयन के बारे में कम्पलसन की बात कही, इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा एक तरफ तो हम मनोनीत करने का अधिकार उप कुलपति को दें और दूसरी तरफ यह कह द कि अमुक विभाग के अमुक विभागाध्यक्ष को ही मनोनीत कर दिया जाय यह कैसी विडम्बना की बात उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बतायी। उन्हीं फैकलटीज के संबंधित विभागों के

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

प्राध्यापक, रीडर्स, प्रोफेसर, जो वरिष्ठतम हैं, को मनोनीत करेंगे ।

जहां तक विद्या परिषदों के बारे में नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने मुद्दे उठाये थे, मैं इस सन्दर्भ में इतना ही कहना चाहूंगा कि कृषि और सामान्य शिक्षा, इन दोनों से संबंधित शिक्षा शास्त्री और कृषि विशेषज्ञ अपने अपने विषय को विद्या परिषदों में विचार करके स्वतन्त्र रूप से अपने अपने विषयों के बारे में निर्णय लेंगे। इसीलिए इन दो एकेडेमिक कौंसिल्स की स्थापना की गयी है । इसलिए, अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्यों ने जनमत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव सदन में रखा है उसको अस्वीकार किया जाय ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1984 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1984 को एक प्रवर समिति को सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय संशोधन (विधेयक), 1984 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया गया ।

खण्डश : विचार ।

विधेयक पर खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 7

खण्ड 2 से 7 में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 7 स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 7 स्वीकार किये गये ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

सदन की अनुमति से बैठक का समय आज की सूची समाप्त हो, तब तक के लिए बढ़ाया जाता है ।

विधेयक पर खण्डश: विचार

खण्ड 8

खण्ड 8 । संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से क्लाज-8 के लिए निम्नांकित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

I. For sub-clause (a) of clause 8 of the Bill, the following sub-clause be substituted namely:-

"(a) in sub-section (1),-

(i) in between the words "by the Chancellor" and the words "upon the recommendation", the expression "on the advice of the State Government" shall be inserted;

(ii) the punctuation mark " : " appearing after the words "Chairman of the Committee" shall be substituted by the punctuation mark " . " and the existing proviso shall be omitted;"

II. In sub-section (5) of section 11 of the principal Act proposed to be substituted by sub-clause (c) of clause 8 of the Bill, in between the words "who shall make" and the words "such arrangement", the expression "on the advice of the State Government" be inserted.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 8 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

खण्ड 9 मन्त्री महोदय प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

खण्ड 9

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नांकित संशोधन प्रस्ताव क्लाज 9 के लिए प्रस्तुत करता हूं :—

I. In item II of sub-section (1) of section 19 of the principal Act, proposed to be substituted by clause 9 of the Bill,—

(a) for sub-item (ii) the following be substituted, namely :—

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

"(ii) Secretary to the Government of Rajasthan, Animal Husbandry Department ;"

(b) the sub-items (v), (vi), (vii) and (viii) be omitted; and

(c) the sub-item (ix) be renumbered as sub-item (v) thereof.

II. After item III of sub-section (1) of section 19 of the principal Act proposed to be substituted by clause 9 of the Bill, the following new item be added; namely :-

"IV. Elected Members :--Two teachers who have put in not less than seven years" teaching experience in the institutions of higher education in Rajasthan on 1st January immediately preceding the year in which elections are held, other than University Professors/Deans/Associate Deans/Directors of Colleges of the University to be elected by the teachers separately from amongst themselves as below:-

(a) one teacher to be elected from amongst themselves by the teachers of the Agriculture Wing Colleges;

(b) one teacher to be elected from amongst themselves by the teachers of the Education Wing Colleges."

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय----

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज । ग्रापका कोई संशोधन भी नहीं है इसमें ।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, जो सरकारी संशोधन ग्राये हैं, उसको ग्रपोज करने का तो ग्रधिकार है ही क्योंकि संशोधन ग्राया है ।

श्री अध्यक्ष : ग्रधिकार नहीं है । स्वीकृति से किया गया था बैठक के बाद में, माननीय सदस्य ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने----

श्री अध्यक्ष : ग्रब ग्राप नियमों का हवाला दे रहे हैं ।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, नियमों का नहीं । इतना ही मेरा निवेदन है कि बोर्ड ग्राफ मैनेजमेन्ट----

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्रॉर्डर ग्रॉर्डर ।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रापने स्वयं फरमाया था कि बोर्ड ग्रॉफ मैनेजमेन्ट के बारे में----

श्री अध्यक्ष : पारित करने का जब प्रस्ताव आयेगा तब पांच मिनट का समय दे दूंगा, माननीय सदस्य।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-9 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 9 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 10

खण्ड 10 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 10 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 10 स्वीकार किया गया।

खण्ड 11

खण्ड 11 प्रभारी मंत्री जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खण्ड 11 के लिए निम्नांकित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :-

In clause (ix) of sub-section (3) and in clause (vii) of sub-section (5) of section 21 of the principal Act, proposed to be substituted by clause 11 of the Bill, for the words "two Assistant professors" the words, "four Assistant professors" be substituted.

प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 11 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 11 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-12, 13, 14

श्री अध्यक्ष : खण्ड 12, 13, 14 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 12, 13 और 14 स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 12, 13, और 14 स्वीकार किये गये।

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड 15

खण्ड 15 कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 15 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 15 स्वीकार किया गया।

खण्ड 16 से 25

खण्ड 16 से 25 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 16 से 25 स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 16 से 25 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये गये।

पारित करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।

विधेयक का पारण

श्री बुलाकीदास कल्ला (राज्य मन्त्री, शिक्षा) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोहनलाल सुखाडिया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1984 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : कृपया समय का ध्यान रखें। श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, समय का ध्यान तो आपके निर्देशों से मैं बहुत रखता ही हूं। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि आज का दिन उदयपुर के शिक्षा जगत के लिये काले अक्षरों में लिखा जायेगा। और इसलिये लिखा जायेगा—

श्री अध्यक्ष : वैसे छपाई काली स्याही में ही होती है।

श्री कैलाश मेघवाल : हां, छपाई काली स्याही में होती है यह भी सही है, माननीय अध्यक्ष महोदय। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मन्त्रीजी, राजस्थान की उच्च शिक्षा के बारे में एक बार बैठकर, चाहे शिक्षा शास्त्रियों के साथ बैठिये, चाहे विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित व्यक्तियों के साथ बैठिये, एक बार निर्णय लीजिये कि आपकी कल्पना क्या है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा पूछना चाहता हूं माननीय राज्य मन्त्री जी से, यह मॉडल एक्ट जो है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिये है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिये होने की वजह से

(श्री कैलाश मेघवाल)

सरकार के सैक्रेटरीज हैं जिनकी मिनिमम क्वालीफिकेशन ग्रेजुएट होती है. इससे ज्यादा हो यह भी आवश्यक नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस माडल एक्ट के तहत उदयपुर की जो नान एग्रीकल्चर एजूकेशन है उसको कुंडित करने का आपको क्या अधिकार है। मैं सारे देश में एक उदाहरण से पूछना चाहता हूं। यह दुर्भाग्य है, आपको यह भी मालूम नहीं है कि माडल एक्ट कहां पर किस रूप में लागू है। आपको यह भी मालूम नहीं है। आपने दो शब्द रट लिये हैं माडल एक्ट और स्ट्रक्चरल चेन्जेज, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि देश की 22 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में यह माडल एक्ट कहां-कहां लागू है, किस-किस रूप में लागू है? अगर आपको माडल एक्ट से इतना ही स्नेह हो गया तो यह 16-17 साल पहले आया था। 16-17 साल पहले जो माडल एक्ट राजस्थान के सचिवालय में आया था अचानक चुक आपको उसकी याद आ गयी, उसको निकालकर आज आप यह कहना चाहते हैं कि हम माडल एक्ट के आधार पर चलना चाहते हैं। माडल एक्टज्ये बनाया जाता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि की शिक्षा एक वैज्ञानिक शिक्षा है उसकी अनुसंधान के आधार पर, भौतिक अनुसंधान के आधार पर विकास की सम्भावनायें हैं इसलिये कृषि के क्षेत्र में जो शिक्षा दी जाय, कृषि के क्षेत्र में जो शिक्षा का विकास किया जाय उसका एक जो पैटर्न एडाप्ट किया है उसे अलग किया है। सारे देश में जो विश्वविद्यालय हैं, यह शिक्षा के मंच हैं, उच्च चिन्तन के मंच है। यहां पर इन मंचों पर, इन केन्द्रों पर चिन्तन होना चाहिए, स्वतंत्र चिन्तन होना चाहिए। दार्शनिक और स्वतंत्र चिन्तन करने का पूरा अवसर मिले इसीलिये विश्वविद्यालय को स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में मान्यता दी गयी। न केवल इतना है, माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय में कार्यरत अध्यापकों को राजनीति में भी भाग लेने का पूरा अधिकार इसलिये दिया गया है कि वह राजनीति में भी अपना स्वतंत्र चिन्तन दें। एक अच्छे मानस के रूप में बुद्धिजीवियों का चिन्तन राजनीति में आये इसलिये यह मान्यता दी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि आपने बोर्ड आफ मैनेजमेंट सब्स्टीट्यूट कर दिया। देश के नान एग्रीकल्चर एजूकेशन के किस विश्वविद्यालय में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस तरह का बोर्ड आफ मैनेजमेंट है जिसके तहत नान एग्रीकल्चर एजूकेशन दी जाती है। यह इसलिये पूछना चाहता हूं और इसीलिये मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहा है कि सुरेन्द्र जी व्यास जब शिक्षा मंत्री थे उन्होंने इस बात की आवश्यकता महसूस की थी कि राजस्थान विश्वविद्यालय अनियंत्रण में है और उसके साथ बहुत अधिक कालेज एफलियेटेड हैं, रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी के रूप में जितना इसका विकास हुआ है वह भी बहुत अधिक है इसलिये इसको इसके साथ नहीं किया जा सकता। हम ठीक ढंग से उच्च शिक्षा के साथ न्याय नहीं कर पा रहे इसलिये राजस्थान में अजमेर को केन्द्र मानकर एक एफीलियेटेड विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय, इस बात का निर्णय लिया गया था।

(श्री कैलाश मेघवाल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सरकार का और माननीय माथुर साहब के शिक्षा मंत्री का निर्णय था आज उस निर्णय को आपने छोड़ दिया है इसलिये मैं मांग करता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा का पिरामिड ठीक ढंग से एक काम्पेक्ट रूप से बनाकर आप प्राइमरी से उच्च शिक्षा ठीक ढंग से राजस्थान में देना चाहते हैं तो आपके पुनर्विचार करना चाहिए। राजस्थान में जहां-जहां भी श्रीमाली कमेटी के अनुसार बीकानेर, कोटा, अजमेर में यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस रखा उसके अनुसार आप जितने अधिक राजस्थान में विश्वविद्यालय खोल सकें, खोलने चाहिए। मैं मांग करता हूं कि इस विषय पर माननीय राज्य मंत्री जी मुझे बतायें कि बोर्ड आफ मैनेजमेंट के तहत राजस्थान में नान एग्रीकल्चर एजूकेशन कहां पर है? अगर इसका आप जवाब नहीं दे सकते तो जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा था कि उदयपुर में नान एग्रीकल्चर एजूकेशन को कुंठित कर दिया गया है, यह कुंठा शिक्षा जगत के साथ एक धोखा है, मैं इसे बिल्कुल ठीक नहीं मानता।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लास्ट में यह अमेंडमेंट किया कि अब जो वाइस चांसलर का अपाइंटमेंट होगा वह स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइस पर होगा। इस बात के लिये मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस तरह की स्थिति बंगाल में बनी उससे हमने एन्टीसिपेट हो करके राजस्थान में अमेंडमेंट किया है। निश्चित तौर पर फारफेचिड डिसीजन है। इसके लिये तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

एक बार मैं उनसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं इस बात का कि वह इस बात को समझें कि यह केवल मात्र बोर्ड आफ कंट्रोल और सिण्डीकेट को भंग करके बोर्ड आफ मैनेजमेंट बनाने से, दो एकेडेमिक कौंसिल बनाने से आई. सी. ए. आर. की सारी पूरी हो जायेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग दो साल से सारे कारसपोंडेंस के आधार पर यदि कोई चेन्ज होता तो समझ में आता। जहां तक मुझे जानकारी है, मंत्री महोदय स्वयं तो बतायेंगे इस बात को, कभी रधावा कमेटी के बारे में तत्कालीन कृषि मंत्री माननीय कमलाजी मिली, कभी चीफ सेक्रेटरी आई. सी. ए. आर. के आफिस में जाकर मिले, कभी एजूकेशन मिनिस्टर आई. सी. ए. आर. के आफिस में जाकर मिले लेकिन दो साल में इसके परिवर्तन के साथ राजस्थान सरकार के पास क्या एक भी लैटर इस बात का आया है कि आई. सी. ए. आर. की नीड्स क्या हैं? केवल मात्र वरबल बात के आधार पर बारबार हम इस विश्वविद्यालय के स्वरूप को बदलना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि यह एक आथेंटिक डाकूमेंट् नहीं है। मैं चाहूंगा कि सदन को इस बात में कान्फिडेंस में लिया जाय कि क्या एक भी लैटर इस बात का मिला है कि आई. सी. ए. आर. की नीड्स और आवश्यकता किस बात की है या कौनसी कंडीशन हैं जिसके आधार पर आई. सी. ए. आर. हम को पैसा देगा और कौनसी कंडीशन हैं जिस की वजह से हम को पैसा नहीं देगा। इन दोनों के बारे में जब तक हमारे पास आथेंटिक कागज नहीं हो तब

(श्री सी. पी. जोशी)

तक हम किसी एक वार्ता के आधार पर विश्वविद्यालय की संरचना को बदलना चाहें तो उचित नहीं है । आज, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने बोर्ड आफ मैनेजमेंट के कम्पोजिशन में चेन्ज कर दिया, अभी प्रस्ताव पास किया, अमेंडमेंट पेश किया, पास कर दिया, यह आपके मॉडल एक्ट के कन्ट्रडिक्टरी हो गया । आई. सी. ए आर. अपनी नीड को पूरा करेगा वह कह देगा आपने माडल एक्ट को माना नहीं इसलिये हम आपको ग्रांट इन ऐड नहीं देंगे । मैं चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले इस बात को हम तय कर लें कि आई सी. ए. आर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं ? क्या मॉडल एक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं ? अगर हैं तो मॉडल एक्ट को रिक्वायरमेंट्स को इन टोटो हमने अचीव किया या नहीं किया ? एकेडेमिक कौंसिल अलग बना दी हमने, ठीक है, समझ में आता है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप खुद चाहते हैं, आपकी भाव-भंगिमा से मुझे नजर आता है कि मैं अपनी बात समाप्त कर दूं लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं एक बात का, कहीं आप मेरी बात समाप्त नहीं करा दें, क्या हम राजस्थान की जनता के साथ जस्टीफिकेशन करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं, इस बात को हमें सोचना और यह देखना चाहिए कि इस परिवर्तन करने के क्या क्या भारी नतीजे होंगे ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपको यह जानकर दुःख होगा, हमने एक तरफ आई. सी. ए. आर. के कहने से बोर्ड आफ मैनेजमेंट का कम्पोजिशन किया, एकेडेमिक कौंसिल बनायी और दूसरी तरफ हम कहना चाहते हैं कि इन यूनिवर्सिटी का जो कम्पोजिशन है वह मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी का रहेगा । अब मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी आई. सी. ए. आर. की नीड्स को कैसे कैटर करेगी, इन दोनों के बीच में कन्ट्राडिक्शन है । मैं चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हमारी मन्शा इस बात की है कि उदयपुर विश्व विद्यालय के कुछ एफीलियेटेड कालेज को कम किया जाय और कम करने के बाद आई. सी. ए. आर. के नियमानुसार आने वाले...

(5.00 म. प.)

वर्षों में इस मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को कृषि विश्वविद्यालय बनायेंगे । तब तो आपके इन सारे परिवर्तनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं लेकिन यदि आपकी मन्शा यह नहीं है तो यह केवल आप मात्र काम्प्रिहेसिव नीड को पूरा करने के लिये परिवर्तन कर रहे हैं, आपको आने वाले वर्षों में और परिवर्तन करने पड़ेंगे, इसको भी एक आधार बनाया जाय ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय की जो संरचना है, लगभग 175 कालेज उससे एफीलियेटेड हैं । जोधपुर विश्वविद्यालय में आपने परिवर्तन कर दिया है उसका जूरिस्डिक्शन बढ़ा दिया है । श्री माली कमेटी की रिपोर्ट आपके पास है । मैं चाहूंगा कि इस विश्वविद्यालय के निर्णय के साथ-साथ राजस्थान के तीनों विश्वविद्यालयों के बारे में गम्भीरता से सोच करके उनमें स्ट्रक्चरल चेन्ज करें तब तो हम हायर एजूकेशन को एक इम्पैक्ट दे पायेंगे ।

(श्री सी. पी. जोशी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मुझे और करना है। आपने जो परिवर्तन किये हैं, जोधपुर विश्वविद्यालय के एम. एल. ए. का तो तीन साल टर्म कर दिया और उदयपुर विश्वविद्यालय में जो एम. एल. ए. है और नामिनेटेड स्टूडेंट है उसका टर्म एक साल कर दिया। मैं समझता हूं कि काम्प्रीहेसिव नीड क्या हो सकती है, काम्प्रीहेसिव बिल क्या हो सकता है? आज हमने जो काम किया है, अभी मुझे एक बिल में बताया है कि जो आदमी बोर्ड आफ मैनेजमेंट का चुनाव लड़ेंगे केवल मात्र सात साल का टीचिंग एक्सपारियेंस का टीचर चुनाव लड़ सकता है लेकिन एकेडेमिक कौंसिल में मैम्बर वही बन सकता जिसका 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियेंस होगा। मैं समझता हूं कि कुल मिलाकर हमने हैस्ट में यह परिवर्तन किये हैं। अमेंडमेंट के अन्दर भी हमने यह देखा नहीं कि बोर्ड आफ मैनेजमेंट में सात साल का टीचर मैम्बर बन जायेगा। और एकेडेमिक कौंसिल में दस साल का टीचिंग एक्सपीरियेंस वाला मैम्बर बनेगा। मैं चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम राजस्थान में आई. सी. ए. आर. के डायरेक्टिव्स माने, राजस्थान आई. सी. ए. आर. के पैसे का उपयोग कर सके, राजस्थान में कृषि की जो एजूकेशन है उसमें बढ़ोतरी हो लेकिन यह बढ़ोतरी केवल मात्र अपने हित के आधार पर नहीं होनी चाहिये। इसके साथ साथ जो हमारी संरचना है विश्वविद्यालय की, उसमें भी हमको आने वाले वर्षों में फार साइट करके विश्वविद्यालय की संरचना इस तरह से करनी चाहिये। इन सबको मान करके अगर परिवर्तन करेंगे तो इसका कोई इम्पैक्ट होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं तो 1962 का राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, फिर उदयपुर सुखाड़िया विश्वविद्यालय, फिर मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय. फिर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, अब पता नहीं आप अगले सत्र में कौन-कौन से विश्वविद्यालय का किस किस नाम से बिल लाना चाहेंगे। कुल मिलाकर यह परिवर्तन इस बात के द्योतक हैं कि हम अभी तक फारसाइट, दूर दृष्टि से देख नहीं पाये। आई. सी. ए. आर. का पैसा आपने लिया है, नाब का 5 करोड़ रुपया लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी स्टेट्स ने सैकिण्ड इन्स्टालमेंट में नाब का पैसा उठा लिया।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी : हम पहली किश्त भी नहीं ले सके। आज आप इसको मापदण्ड मानना चाहेंगे तो मैं समझता हूं कि यह बात माननी चाहिये कि नाब पहला पैसा हमको सन् 80 में उठा लेना चाहिये था, वह पैसा हमने 82 में उठाया है। इससे हमको यह बात नहीं माननी चाहिये कि जितना पैसा नार्म्स के आधार पर मिल रहा है एक्सचेकर का पैसा मिल रहा है उतना पैसा हम टाइम पर नहीं उठा पा रहे हैं। इसके पीछे जो कॉस्ट्रेंट हैं उसको समझना चाहिये। इस विश्वविद्यालय की संरचना के साथ हम किस तरह मखौल करना चाहते हैं, इसको आधार नहीं मान करके, वहां की जो पौलिटिकल कम्पलसन है इसको आधार नहीं मान कर हम राजस्थान का

(श्री सी. पी. जोशी)

विकास कैसे करना चाहते हैं. इसको आधार मानकर विश्वविद्यायल की संरचना में परिवर्तन करें तब तो यह परिवर्तन फारसाइटेडनेस का होगा।

मैं इसी आशा और विश्वास के साथ कि हम आने वाले वर्षों में विश्वविद्यालय का नाम बदलने की प्रक्रिया को बार बार लाकर मखौल नहीं उड़ायेंगे, विश्वविद्यालय में परमानेंट रूप से कुछ कर पायेंगे। समाप्त करता हूं।

आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय। संक्षेप में कृपया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बहुत संक्षेप में। अध्यक्ष महोदय अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि 22 कृषि विश्वविद्यालय पूरे देश में हैं उनमें कहां-कहां मॉडल एक्ट लागू है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि पंजाब, हरियाणा एवं अन्य कई प्रदेशों में विश्वविद्यालय में मॉडल एक्ट के अनुसार बोर्ड आफ मैनेजमेंट की व्यवस्था की गयी है। मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं के बारे मे ज्यादा विचार रखे, न कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बारे में। राजस्थान में विश्वविद्यालयों की क्या आवश्यकता है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम करने चाहिये, इस बारे में विचार दिये, न कि इस बारे में अपने सुझाव दिये।

जहां तक अकृषि विद्यालयों के बारे में आपने जो अपने विचार रखे और मुद्दे उठाये हैं उस संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में जो संघटक महाविद्यालय हैं, कांस्टीट्यूएंट कालेज है, इन कालेजों को भी बराबर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से अनुदान मिलता रहेगा। मैंने प्रथम वाचन में बताया था कि लगभग 65 लाख रुपये का अनुदान हमको विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मिला है और लगभग 5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से पिछले डेढ वर्ष में हमको विश्वविद्यालय के लिये प्राप्त हुई है और विभिन्न 65 से अधिक परियोजनाओं के अन्तर्गत भी हमको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से राशि मिली है। इसलिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दोनों के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गयी है।

जहां तक एन. ए. आर. सी ने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को जो 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किये थे वह मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को भी प्राप्त हुए हैं। इसलिये जो माननीय सदस्यों ने अपने विचार दिये हैं उनको न मानते हुए मैं निवेदन करूंगा कि संशोधित रूप में इस विधेयक को स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1984 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) संशोधन) विधेयक, 1984।

नियम का शिथिलीकरण

नियम 295 के प्रावधान का शिथिलीकरण

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : पाइंट आफ आर्डर।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 307 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 307 में यह है।

"ऐसे सब विषय जिनका इन नियमों में विशिष्ट रूप से उपबंध न किया गया हो और इन नियमों की वितृस्त क्रियान्विति से सम्बन्धित सब प्रश्न ऐसी रीति से विनियमित किये जायेंगे जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निर्देश दे।"

अध्यक्ष महोदय, यह इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि आपको इस संबन्ध में अपनी कुछ व्यवस्था देने का अधिकार है। वह व्यवस्था मैं चाहता हूं 306 के लिये। 306 में है:

"Any member may, with the consent of the Speaker, move that any rule may be suspended in its application to a particular motion before the House and if the motion is carried the rule in question shall be suspended for the time being."

मैं आप से यह निवेदन करना चाहूंगा, एक रूल के बारे में निवेदन कर रहा हूं कि इसको एक आवश्यक कारण से सस्पेंड किया जाय। रूल है, अध्यक्ष महोदय, 295। 295 में है:

"A member who wishes to bring to the notice of the House any matter which is not a point of order shall give notice to the Secretary in writing stating briefly point which he wishes to raise in the House together with reasons for wishing to raise it, and he shall be permitted to raise it only after the Speaker has given his consent and at such time and date as the Speaker may fix."

अध्यक्ष महोदय, रूल 295 में एक व्यवस्था है कि अगर कोई महत्वपूर्ण मामला हो तो अध्यक्ष की अनुमति से उठाया जा सकता है लेकिन उसका इन राइटिंग नोटिस देना पड़ेगा। क्योंकि मामला महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से नोटिस राइटिंग में दिये जाने का समय नहीं है। इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस रूल को रिलेक्स करके मुझे एक महत्वपूर्ण मसला उठाने की अनुमति दी जाय। अध्यक्ष महोदय, वह मसला...

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : पहले निर्णय तो हो जाने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, इस विधेयक के सम्बन्ध में सरकार कोई प्रस्ताव ला रही है। यदि वह थोड़े समय में समाप्त हो जाता है तो नियमों में छूट दे करके आपको मैं अनुमति दे दूंगा, यदि आप कोई प्रस्ताव लाना चाहते हैं अथवा किसी मुद्दे को उठाना चाहते हैं।

राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन विधेयक, 1984

विधेयक को विचारार्थ लेने का यथापारित प्रस्ताव और विधेयक पर खण्डशः विचार के क्रम में खण्ड 2 से 10 तक यथापारित प्रस्ताव का निरस्तीकरण

श्री बुलाकी दास कल्ला (राज्य मन्त्री, शिक्षा) : आपकी आज्ञा से, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लेने का यथापारित प्रस्ताव और उक्त विधेयक पर खंडशः विचार के क्रम में खण्ड 2 से 10 तक यथापारित प्रस्ताव निरस्त किये जायं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 11 में रखे गये संशोधन प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

श्री खेतसिंह राठौड़ (चिकित्सा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1984 को एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक प्रस्तुत करे।

श्री बुलाकी दास कल्ला : वापस लेने की अनुमति के लिये...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव शिक्षा राज्य मन्त्री ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

श्रीमती उज्वला अरोड़ा : बहुत अच्छा हुआ। इनको मालूम तो पड़े किस तरह की व्यवस्था है सचेतक महोदय की।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है प्रभारी मन्त्री ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लेने का यथापारित प्रस्ताव और विधेयक पर खण्डशः विचार के क्रम में खण्ड 2 से 10 तक यथापारित प्रस्ताव निरस्त किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लेने का यथापारित प्रस्ताव व खण्ड 2 से 10 तक यथापारित प्रस्ताव निरस्त किया गया।

विधेयक के खण्ड 11 में रखे गये संशोधन प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति

प्रश्न यह है कि प्रभारी मन्त्री द्वारा खण्ड 11 में रखे गये संशोधन प्रस्ताव को वापस अनुमति प्रदान की जाय।

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय मैं खण्ड 11 में रखे गये संशोधन प्रस्ताव को वापस लेता हूं ।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का प्रस्ताव

राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1984

श्री खेतसिंह राठौड़ (चिकित्सा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1984 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक प्रस्तुत करे ।

समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे :—

श्री शिवचरण माथुर

श्री बी. डी. कल्ला,

श्री परसराम मदेरणा,

श्री बृज सुन्दर शर्मा,

श्री हीरालाल देवपुरा,

श्री सी. पी. जोशी

श्री हेमाराम चौधरी,

श्री भैरोंसिंह शेखावत,

श्री भंवरलाल शर्मा

श्री यदुनाथ सिंह,

श्री कमलेन्द्र सिंह ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया ।

विपक्ष के नेता महोदय ।

नियम 295 के प्रावधान का शिथिलीकरण

भाखड़ा मेन कैनाल से आनन्दपुर साहिब एवं रोपड़ पावर प्रोजेक्ट को पानी देने के विषय पर विचार करने हेतु नियम 195 के प्रावधान का शिथिलीकरण

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : आपने पिछले कई दिनों से समाचार पत्रों में यह पढ़ा होगा···

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, डिमाण्ड आज दो है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डिमाण्ड से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहें, कृपया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : संक्षेप में बोलूंगा, अध्यक्ष महोदय, शर्त केवल इतनी है कि चीफ व्हिप महोदय कितनी देर में समझते हैं, यह इस पर निर्भर करेगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : संक्षेप में बोलें तो जल्दी समझ जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यदि संक्षेप में समझ जायं तो मैं संक्षेप में बोलूंगा। अगर विस्तार से बोलने से समझते हैं तो विस्तार में बोलूंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमको तो आज की कार्य सूची है उसको पूरा कराना है इसलिए अब बहुत जल्दी समझ जाऊंगा, आप फरमाइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, पिछले कई दिनों से आपने समाचार पत्रों में एक समाचार पढ़ा होगा. भारत सरकार राज्य सरकार पर निरन्तर इस बात का दबाव डाल रही है कि आनन्दपुर साहिब और रोपड़ के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए राजस्थान के हिस्से का भाखड़ा मेन कैनाल से पानी दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सदन में दो तीन बार पहले भी डिस्कस हो चुका है। मुझे याद है अच्छी तरह से कि सरकारी पक्ष की ओर से यह कहा गया कि भाखड़ा मेन कैनाल से हम किसी भी रूप में उस समय तक पानी नहीं देंगे जब तक इन दोनों प्रोजेक्ट्स में राजस्थान का बिजली का कितना हिस्सा है, यह तय नहीं हो जाय। इस सदन की कार्यवाही उठा कर देखें तो सदन की कार्यवाही में इस प्रकार का वक्तव्य सरकारी पक्ष का आपको देखने को मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, पिछले कई दिनों से बैठक चल रही है, कहीं केन्द्रीय सरकार के मन्त्री के स्तर पर, कहीं केबिनेट सचिव के स्तर पर इस प्रकार की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है और उन बैठकों में निरन्तर इस बात का दबाव पड़ रहा है कि राजस्थान सरकार इस बात के लिए कन्सीड कर जाय कि बिजली का हिस्सा बाद में तय होता रहेगा लेकिन इन प्रोजेक्ट्स को चालू करने के लिए हमारा पानी पंजाब को दे दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह भी जानकारी है कि कल राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी को इस बात के लिए दिल्ली बुलाया गया। सम्भवतः कल वह दिल्ली गये भी हैं इस और सम्बन्ध में कोई चर्चा भी हुई है। आज भी सुबह, जैसी मेरी जानकारी है, इसी सम्बन्ध में फिर उनको भारत सरकार ने बुलाया है। मामला अभी अनिर्णीत पड़ा है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब में जिस प्रकार की राजनीतिक स्थिति बन रही है, पंजाब का जो दबाव भारत सरकार पर है, भारत सरकार पंजाब के हितों को कन्सीड करने के लिए राजस्थान सरकार के ऊपर निरन्तर दबाव डाल रही है। यदि राजस्थान सरकार ने इन दोनों बिजली की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

परियोजनाओं में अपना हिस्सा निर्धारित कराये बिना पानी देने की बात को स्वीकार कर लिया तो न केवल रोपड़ अपने हाथ से जायेगा या आनन्दपुर साहिब अपने हाथ से जायेगा बल्कि साथ ही प्रोजेक्ट्स की जो पूरी चेन है, उस सारी चेन में से हमको निकाल दिया जायेगा। अभी तो सवाल केवल इम्पाउण्डेड वाटर का है उस इम्पाउण्डेड वाटर पर जितने भी पावर जनरेशन के प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, हम केवल उन में अपना हिस्सा मांगने की बात कर रहे हैं। अभी थीन डेम के अन्दर पानी इम्पाउण्ड होने वाला है वहां पर जो बिजली पैदा होगी उसमें राजस्थान का कितना हिस्सा है हम केवल वह मांग कर रहे हैं। उसी आधार पर नाथपा झाकड़ी में जहां पर इम्पाउण्डेड पानी को एक कैनाल से लेकर या टनल से लेकर जहां यह बिजली जनरेट करना चाहते हैं, हम उसके लिए झगड़ा कर रहे हैं लेकिन यहां पर तो मुख्य मुद्दा यह है कि हमारी ही कैनाल, है उस कैनाल पर हमारा कब्जा है, उस कैनाल में हमारा पानी है उस पानी को ले जाकर रोपड़ में या आनन्दपुर साहिब में अपनी परियोजनाओं को पूरा करने में या बिजली उत्पादन करने के लिए काम में लें। पंजाब सरकार का यह कहना है कि यह पानी नान कन्जम्पटिव है लेकिन मैं यह नहीं समझता। वह चाहे सारे एपरेटस को पूल करने के लिए पानी लें, चाहे पावर जनरेट करने के लिए पानी लें, पानी हम उसी हालत में दे सकते है जब उस पानी से पैदा होने वाली बिजली में राजस्थान की जनता का हिस्सा तय हो जाय।

अध्यक्ष महोदय, आज से तीन महीने पहले भी केबिनेट सचिव ने हमारे अधिकारियों की मीटिंग बुलाई। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने सदन में स्वीकार किया है, कहा है अन्तर्राज्यीय योजनाओं के सन्दर्भ में मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि हमारे अधिकारियों ने केबिनेट सचिव की बैठक में पुरजोर शब्दों में राजस्थान का पक्ष रखा। लेकिन मुझे डर लग रहा है, अध्यक्ष महोदय, यह पुरजोर शब्द केवल शब्द ही रह जायेंगे और भारत सरकार जो इस समय निरन्तर प्रेशर में काम कर रही है, राजस्थान की सरकार को भी प्रेशराइज करेगी। इसलिए मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, इस मसले के ऊपर राज्य सरकार की ओर से फर्म कमिटमेंट होना चाहिए इस बात का कि राजस्थान की सरकार जब तक भारत सरकार राजस्थान का बिजली का हिस्सा तय नहीं करेगी, भाखड़ा मेन कैनाल से एक बूंद भी पानी पंजाब या किसी राज्य को देने की आवश्यकता हो तो नहीं देगी। अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान की लाइफ लाइन है। यह लाइफ लाईन यदि डिस्टर्ब हो गयी तो इन नदियों से पैदा होने वाली बिजली में हमें एक किलोवाट भी बिजली नहीं मिलेगी, राजस्थान में अंधेरा रहेगा, राजस्थान के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के ऊपर आज चर्चा की जाय और आज अगर चर्चा नहीं करना चाहें तो जल्दी कोई समय निश्चित किया जाय जिसके आधार पर सरकार और सारे माननीय सदस्य इस सदन में बैठकर इस गम्भीर मसले पर बात करें। मैं चाहता हूं कि दो दिन में जब तक हाउस इस मामले का कोग्निजेंस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं ले, डिस्कस नहीं करे, उस समय तक राज्य सरकार इस विधान सभा के सामने यह कमिटमेण्ट करे कि किसी भी हालत में राजस्थान की सरकार अपना पानी नहीं देगी जब तक राजस्थान के हिस्से का पूरी तरह से निर्धारण नहीं किया जायेगा। यदि ऐसी हालत में हमारा पानी भी चला जाय, हमें बिजली भी नहीं मिले तो आज तो भाखड़ा मेन कैनाल से पानी ले जा रहे हैं रोपड़ के लिए, आगे जाकर फिर कोई कारखाना खड़ा कर देंगे और हमारा पानी ले जायेंगे। पानी भी ले जाएं और बिजली भी हमको नहीं दें, इस प्रकार की कमजोरी राज्य सरकार को नहीं दिखानी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न के ऊपर चर्चा करने के लिए रूल्स को रिलेक्स किया जाय और इस सदन को इस बात की अनुमति दी जाय कि इस प्रश्न के ऊपर विचार करे।

श्री अध्यक्ष : आज तो पूर्व निश्चित कार्यक्रम है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आज हमें यह बताइये, पी. डब्ल्यू. डी. की 10–15 करोड़ की मांग मंजूर हो जायेगी उससे सड़क बन जायेंगी या पी. एच. ई. डी. में कुछ हैण्ड पम्प खुद जायेंगे उससे हो जायेगा लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि ऐसा कुआं राजस्थान सरकार भारत सरकार के दबाव में खोदने वाली है जिससे राजस्थान का पूरा भविष्य अधर-झूल में चला जायेगा। इसलिये यह मामला ज्यादा इम्पार्टेन्ट है और इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हमारा व्यू पाइन्ट तो सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : पहले आप विपक्ष को सुन लीजिये उसके बाद में आपको…

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, पहले सरकार का उत्तर आ जाय।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रोपड़ और आनन्दपुर साहिब इस असेम्बली में हर सैशन में आते हैं। पहले पहल राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर डिबेट हुई उस पर श्रीमान् ने बहुत कुछ कहा, उसके बाद में सामान्य बजट की डिबेट हुई उसमें फिर विपक्ष के नेता महोदय को मौका मिला, सिंचाई की डिमान्ड थी उस रोज आप फिर इस पर बोल गये। बार-बार यही रोपड़ और आनन्दपुर साहिब। अगर इन्हीं से सब कुछ होता हो तो वह अलग बात है बाकी मेरी मान्यता है कि सारी कार्य सूची अपन ने मंजूर कर रखी है, कोई सा ऐसा दिन होता जिस रोज इस पर डिबेट रखे सकते थे। यही बात आती है, कोई दिन खाली नहीं है। कल और डिमान्ड है, उसके बाद में लगातार तीन दिन तक और डिमान्ड्स हैं, फिर एप्रोप्रियेशन बिल है…

श्री अध्यक्ष : इसलिये संभव नहीं होगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : संभव नहीं होगा, तो कैसे उस पर विचार कर सकते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, संभव क्यों नहीं है ? अगर आप डिबेट करना चाहें तो विरोधी दल की तरफ से मैं यह कह सकता हूं कि हम छुट्टियों पर जाने में ज्यादा विश्वास नहीं करते। हम राजस्थान के हित के सम्बन्ध में चाहे इतवार को बैठें, चाहे शनिवार को बैठें, बैठने को तैयार हैं। यह सरकारी पक्ष का सवाल है। इनको छुट्टियों में ज्यादा डोलने का शौक हो तो मैं नहीं कह सकता। आप यदि कहेंगे कि शनिवार को बैठो, इतवार को बैठो तो हम बैठने को तैयार हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : छुट्टियों पर जाने का प्रश्न नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों के प्रोग्राम बने हुये हैं और जनता में 10–10 हजार आदमियों की गेदरिंग• को हमें एड्रेस करना है...

(व्यवधान)

हम कैसे यह कह सकते हैं। आप तो छुट्टियों में यहां बैठे रहेंगे...

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, किसी भी मांग को छोड़ दिया जाय सरकार की तरफ से, विपक्ष उसके लिये तैयार है। लेकिन 25 सौ मेगावाट बिजली हमारे इस पानी पर, इस सिस्टम पर है...

श्री अध्यक्ष : नहीं, पर इसमें नया खतरा क्या पैदा हो गया है, यह ही समझ में नहीं आ रहा है।

श्री यदुनाथ सिंह : मुख्य मन्त्री को बुलाया क्या ? पंजाब में जिस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई है, पूर्व में मुख्य मन्त्री महोदय को दबाया गया था। पंजाब में बहुत गम्भीर समस्या है। बम्बार्डमेंट हो रहा है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : सरकार सतर्क है। इस पर सरकार की तरफ से कई दफा वक्तव्य दिये जा चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वक्तव्य दिये जाते हैं, यह सही है। मुख्य मन्त्रीजी यह बतायें कि क्या दिल्ली में कल इस सम्बन्ध में माननीय इरिगेशन मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाया ? क्या इस संबंध में लगातार दबाव नहीं पड़ रहा है ? क्या इस बात की मांग नहीं की जा रही है कि राजस्थान का पानी लेकर दिल्ली के कारखानों को दिया जाय ? मैं ऐसा समझता हूं कि विधान सभा में इसकी चर्चा अन्य मांगें पारित कराने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है इसलिये इस पर आज यदि चर्चा के लिये माननीय मन्त्री महोदय तैयार नहीं हों तो कल रखें, परसों रखें परले दिन रखें, छुट्टी के दिन रखे हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन मुख्य मन्त्री भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, जानते हैं। राजस्थान के हितों का बलिदान करके तो ऐसा करेंगे नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी जिम्मेदारी समझते हैं। क्या सदन यह जिम्मेदारी नहीं समझता ?

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मुख्य मन्त्री जी जिम्मेदारी समझते हैं तो सदन को कान्फिडेन्स में लें। आज तक क्या कार्यवाही हुई है, पिछले 15–20 दिन में सिंचाई मन्त्री और मुख्य मन्त्री के साथ दिल्ली में कहां बैठकर बात हुई ? क्या इन्होंने कमिटमेंट किया है, किस प्रकार की स्थिति है, इस सदन को तो कान्फिडेन्स में लेना चाहिये। मैं इसलिये कहना चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी बतायें, मुख्य मन्त्री जी और सिंचाई मन्त्री जी दोनों बतायें कि भारत सरकार के सामने क्या कमिटमेंट किया है, क्या स्टेंड लिया है ? क्या राजस्थान का···

श्री अध्यक्ष : जब वार्ता चल रही है तो उसके बीच में बताना मैं समझता हूं कि कहां तक उचित होगा····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वार्ता हो रही है यही खतरा है। इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि वार्ता कोई कान्फिडेंशियल नहीं हो रही है। राजस्थान के हितों के संदर्भ में वार्ता हो रही है तो राजस्थान सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिये कि वार्ता किस लेवल पर हो रही है, किस सीमा तक हो चुकी है, वार्ता का परिणाम क्या निकलने वाला है ? यह जब तक निर्णय नहीं होगा···

श्री अध्यक्ष : वार्ता हो रही है···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वार्ता में अगर यह पानी देकर आ गये तो हाउस क्या करेगा ? यदि फैसला करके आये कि उसमें पानी देंगे तो···

श्री अध्यक्ष : वह पानी कैसे देकर आयेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह : यह कहलवा दीजिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह दो शब्द ही कहलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : कई दफा इस सम्बन्ध में वक्तव्य दे चुके हैं, मंत्री महोदय, मुख्य मन्त्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मामला बड़ा महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण मामले पर मुख्य मन्त्री जी किसी प्रकार का कमिटमेन्ट करके, दरखास्त करें, दबाव में इनसे दस्तखत करवा लें यह स्थिति आने के पहले पहले इस सदन के अन्दर चर्चा होनी चाहिये।

श्री मेघराज तवड़ (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मामला बड़ा गम्भीर और महत्वपूर्ण है, राजस्थान के विकास से जुड़ा हुआ है इसलिये इस पर चर्चा होनी चाहिये····

(व्यवधान)

ये तो तफरी करने जाते हैं, और कुछ नहीं है। इतने हलकेपन से मुख्य सचेतक महोदय ने इस को लेकर कहा कि हमको 10-10 हजार आदमियों के बीच में भाषण

(श्री मेघराज तावड़)

देने जाना पड़ता है । यह नहीं हो सकता, अध्यक्ष महोदय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य ।

श्री मेघराज तावड़ : हम लोग छुट्टियों में बैठने के लिये तैयार हैं । जो तीन दिन की छुट्टियां हैं, हम छुट्टियों में नहीं जायेंगे, छुट्टी के दिन इस पर चर्चा करा दी जाय ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको पता नहीं है । बैठ जायं ।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है यह कहते हुये कि जब विपक्ष के नेता महोदय ने यह प्रस्ताव रखा कि पंजाब की समस्या से उत्पन्न जो स्थिति है उसी सदर्भ में राज्य सरकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये मुख्य मंत्री और सिचाई मंत्री को दिल्ली बुलाया गया । अध्यक्ष महोदय, इस पर विपक्ष तैयार है कि किसी मांग को ड्राप करिए. पूरे बजट पर गुलोटिन करिये, बजट इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि राजस्थान की बिजली का सवाल है । 25 सौ मेगावाट बिजली से राजस्थान महरूम हो जायेगा अगर मुख्य मंत्री महोदय ने वहां पर अपना पक्ष ढंग से प्रस्तुत नहीं किया ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि माननीय मुख्य सचेतक कह रहे हैं कि हमें 15 हजार आदमियों की मीटिंग में जाना है, माला पहननी है, वहां पर दावत उड़ानी है । वह आपके लिये ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि राजस्थान को बिजली का हिस्सा किसी —

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । मंत्रियों आदि के पूर्व निश्चित कार्यक्रम होते हैं उन पर उनको जाना होता है —

श्री यदुनाथ सिंह : यह पूर्व निश्चित नहीं था····

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति ने दिन निश्चित किया है कि इस दिन कार्यवाही चलेगी, कौनसी मांग किस दिन ली जायेगी, कौन सा कार्य किस दिन किया जायेगा । यह तो पूर्व में निश्चित कर दिया जाता है ।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति इस सदन की एक समिति है । सदन सर्वोपरि है । सदन चाहेगा, राजस्थान की जनता के हित सर्वोपरि हैं, अध्यक्ष महोदय, तो कार्यसूची में परिवर्तन किया जा सकता है । राजस्थान के हितों का इस प्रकार कुठाराघात हो जाये, यह ज्यादा महत्वपूर्ण बात है —

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, गृह) : कहां हुआ है ?

श्री यदुनाथ सिंह : आप एक शब्द कह दीजिये····

(व्यवधान)

(180)

आप बैठ जाओ। आपको कुछ पता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक एक कर बोलें।

श्री दाऊदयाल जोशी : मुख्य मंत्री जी बतायें कि दिल्ली में क्या बातचीत हो रही है ?

श्री अध्यक्ष : कैलाश मेघवाल।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्य मंत्री कह रहे हैं कि कहां हुआ है ? दो शब्द की बात है। मुख्य मंत्री जी यह कहें कि राजस्थान ने अपना पक्ष यह प्रस्तुत किया है कि हम पानी का उपयोग नहीं करने देंगे जब तक कि हमारी बिजली में हिस्सा निर्धारित नहीं होगा। इन दो शब्दों को कहने से जो सदन की भावना है वह पूरी हो जाती है। इतना ही कह दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कमिटमेंट क्या करें क्या नहीं करें लेकिन इस सदन में, मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में विचार करने के बाद में निर्णय लिया जाना चाहिये। मुख्य मंत्री जी, आज कह दें और कल बदल जाय, उसको रोकने के लिये मैं चाहूंगा कि सदन गंभीरता से इस प्रश्न पर विचार कर के मुख्य मंत्री जी को निर्देश दे।

श्री अध्यक्ष : ऐसी स्थिति है क्या ?

श्री यदुनाथ सिंह : ऐसी स्थिति है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रोज मुख्य मंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी भाग रहे हैं, ऐसी स्थिति है। जब फैसला हो जायेगा उसके बाद में कुछ नहीं होगा। यह मैं आपसे निवेदन कर देऊं कि एक बार यह दोनों मामलों पर कन्सीड कर गये तो राजस्थान के हितों पर इतना कुठाराघात होगा जिसकी कोई इन्तहा नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सिंचाई मंत्री जी मुख्य मंत्री जी दोनों ही बहुत अनुभवी मंत्री हैं। बहुत लम्बे समय से इस पर वार्ता चल रही है, कोई नया सवाल आज तो आया नहीं....

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की साढे पांच करोड़---

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर। शान्त रहें।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, वार्ता लम्बे समय से चल रही है, यह माना। लेकिन आज जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, पंजाब में जो हालात हो गये हैं, चुनी हुई सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू करने के हालात पैदा हो गये, पंजाब की जो मांगें हैं उनके सामने सरकार झुकती हुई जगह-जगह नजर आ रही है,

(श्री यदुनाथ सिंह)

अध्यक्ष महोदय, इसलिये हमें डर है कि केन्द्रीय सरकार……

श्री अध्यक्ष : मेरे खयाल से पहले अपने पूर्व निश्चित जो कार्यक्रम है वह ले लें उसके बाद में……

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की गलती पूर्व में की जा चुकी है

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, पहले इसके बारे में निर्णय करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक बात की मुझे सख्त आपत्ति है। यहां पर यह कहा गया कि मुझे पता नहीं है। मेरे पास इन्डिपेन्डेन्ट चार्ज था इरिगेशन डिपार्टमेन्ट का इसलिये मैंने जवाब दिया था……

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आज क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : सन् 82 में जब मुख्य मंत्री राजस्थान के हितों पर कुठाराघात कर सकते हैं केन्द्रीय सरकार के दबाव में आकर और पंजाब को अपने हक दे सकते हैं……

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सरकारी मुख्य सचेतक महोदय ने एक लम्बी चौड़ी शृंखला गिना करके कहा कि ये अवसर आये तब-तब बोला गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तात्कालिक आवश्यकता इस विषय पर चर्चा की इसलिए पैदा हुई है कि पंजाब की समस्या संभाले नहीं संभल रही है। पंजाब में जिस तरह की हिंसक घटनायें हो रही हैं, पंजाब के अकालियों के आन्दोलन का जो दबाव पड़ रहा है सारे देश में उस आन्दोलन के दबाव के कारण तुष्टिकरण के लिए दिल्ली में राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी पर दबाव पड़ सकता है। जैसी आज परिस्थितियां हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें श्रीमती इन्दिरा गांधी या हाईकमांड के कोई भी वरिष्ठ सदस्य कांग्रेस के पंजाब की समस्या को सुलझाने के लिए माननीय मुख्य मन्त्रीजी पर अगर दबाव डालेंगे तो हमको आज यह आशंका है कि वहां माननीय मुख्य मन्त्री जी राजस्थान के हितों की बलि चढ़ा देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ जनता का प्रतिनिधि यह सदन है, इस सदन में इस पर चर्चा हो जाय। चर्चा होने के बाद……

(व्यवधन)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बैठ जायें। माननीय सदस्य, आपकी बात सुन ली।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय मुख्य मन्त्री जी के हाथ भी मजबूत होंगे। इसलिए मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि सरकार को पहल करनी चाहिये। यह जो चर्चा हो

(श्री कैलाश मेघवाल)

उसमें राजस्थान का यह स्टेण्ड हो कि किसी भी तरह से केन्द्र के सामने राजस्थान के हितों की बलिदान नहीं करें। यह सरकार की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिये। सरकार मौन क्यों बैठी है ?

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय नेताजी के इस सदन में तीन बार दिये गये भाषणों के आधार पर यह प्रमाणित हो चुका है कि यह सरकार थीन डैम के मामले में, मुकेरियां के मामले में, हरिके के मामले में हमेशा झुकी है। राजस्थान का हित इस सरकार के माध्यम से साध्य नहीं हुआ। आज जब हम हर क्षेत्र में पिटते चले जा रहे हैं, हमारे पास एक भी जल स्रोत अपना स्वयं का नहीं है, हम दूसरे राज्यों के जल स्रोत पर निर्भर हैं ऐसी स्थिति में हमें डर है कि केन्द्रीय सरकार के दबाव के कारण, राजस्थान में अकालियों का दबाव बनता चला जा रहा है, जिस प्रकार की गतिविधियां राजस्थान में बढ़ती चली जा रही है, बार-बार दिल्ली से बुलावा आना, दिल्ली में नेताओं के साथ बैठकर बातचीत करने से इस बात की आशंका है कि राजस्थान की सरकार रावी-व्यास समझौते के समय सन् 82 में जिस प्रकार झुकी थी × × × राजस्थान के हितों को बेच आए थे वही स्थिति आज फिर राजस्थान की बनी है।

श्री अध्यक्ष : कृपया भाषा में समय बरतें, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : इसलिए विरोधी दल के माननीय नेताजी ने जो विशेष प्रस्ताव ला करके अपने विचार रखे हैं उस प्रस्ताव को पहले स्वीकार करें, आज भी अन्य कार्यवाही को रोककर इस पर गम्भीरता से विचार करें जिससे राजस्थान के हितों को रक्षा हो सके।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, जल और ऊर्जा हमारे प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है। हम इन दोनों के लिये पराश्रित हैं। हम यह महसूस कर रहे हैं कि उनके दबाव के कारण हमारे यहां कमी आई है। उन्होंने चोर नहर बना ली। हमने उदारता से उनको अनुमति यह दे दी कि हमें अभी पानी की आवश्यकता नहीं है; थोड़े दिन आप काम ले लो, तो उन्होंने उस पर अपना अधिकार मान लिया कि पानी का हम उपयोग करेंगे। यह जो पंजाब में किस्सा चल रहा है उसमें मुख्य मांग यह भी है कि हमारा जो पानी और बिजली है उसमें कटौती की जाय। माननीय मुख्य मन्त्रीजी बतायें कि वे राजस्थान के हितों की रक्षा कहां तक करने वाले हैं ? उनको अगर कोई कमजोरी महसूस हो तो इस सदन में चर्चा करें। उनकी बात मजबूत करने के लिए हम तो उनकी ताईद करना चाहते हैं। राजस्थान के हित पहले हैं और बाकी चीज बाद में है। 23 तारीख को भी तो कार्यसूची थी उस दिन कार्यसूची पूरी की जानी चाहिये थी परन्तु दुर्भाग्यवश हमारे बीच में से एक माननीय सदस्य के उठ जाने से, उस आकस्मिक घटना से हमने

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सारी कार्यवाही को पोस्टपोन कर दिया। आज हमारे राजस्थान के हितों के लिए हम इस कार्यसूची को अलग रख कर इस पर चर्चा नहीं करें तो फिर क्या करेंगे। हमारे लिये आवश्यक है आज इस विषय पर चर्चा करना। इसलिये मैं कहूंगी, मान्यवर, मुख्य मन्त्री महोदय बतावें कि मुख्य मन्त्रीजी वहां क्या करने वाले हैं। उनका क्या कहना है इस बारे में।

श्री अध्यक्ष : सिंचाई मन्त्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेरे को बोलना है।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो समस्या सामने आई है, राजस्थान के हितों का सवाल है। दोनों पक्ष भी इस बात से सहमत हैं। विरोधी दल के माननीय नेता महोदय का कहना यह है कि यह समस्या बड़ी गम्भीर है, इस पर चर्चा दिल्ली में चल रही है। मुख्य मन्त्रीजी यह कहेंगे कि भई, मैं राजस्थान के हितों को बलिदान नहीं होने दूंगा। तो आज मान लीजिये, सारा हाउस इस बात के लिए···

श्री अध्यक्ष : आज आपकी तैयारी हो तो घण्टे भर का अवसर दे दूं मैं।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : दे दीजिये। बात यही कहें कि सारा राजस्थान आपके साथ है। यही तो प्रस्ताव पास हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, तैयार हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह...

श्री अध्यक्ष : सरकारी पक्ष क्या कहता है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : डिमाण्ड भी है।

श्री अध्यक्ष : डिमाण्ड वाला भी मामला है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, ज्यादा अच्छा हो कि 14 तारीख को शनिवार है···

श्री अध्यक्ष : शनिवार को छुट्टी है और मुख्य सचेतकजी वगैरह जितने भी मन्त्री हैं इधर दौरे में···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पांच आदमी इकट्ठे नहीं होते, अध्यक्ष महोदय। ये तो किराया देकर बुलायें तो नहीं आयें, इकट्ठे नहीं हों। आप क्या परेशानी में पड़ गये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इस बात को छोड़िये। हरके मिनिस्टर और एम. एल. एज को यह हिदायत है कि छुट्टियों में ज्यादा जन सम्पर्क करें इसलिए ये जाना चाहेंगे। अगर आप चाहें तो आज विचार-विमर्श किया जा सकता है। डिमाण्ड अगर अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति हो तो 16

(श्री खेतसिंह राठौड़)

तारीख को ले सकते हैं जिस रोज अन्य कर की डिमाण्ड है।

श्री अध्यक्ष : यह जो विषय है, इस विषय के महत्व को देखते हुए क्या आज माननीय सदस्यों को इसके लिए तैयारी हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तैयारी तो नहीं है, अध्यक्ष महोदय, यह सच है। आज मुझे दिल्ली से सूचना मिली है कि 16 तारीख के पहले पहले इस बात का फैसला हो जायगा। सिंचाई मन्त्रीजी और मुख्य मन्त्रीजी पर दबाव पड़ रहा है इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि दबाव का…

श्री अध्यक्ष : विरोध पक्ष के नेता महोदय को क्या मालूम ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विरोध पक्ष के नेता को, अध्यक्ष महोदय, अगर जानकारी नहीं मिले तो मैं समझता हूं मेरा दुर्भाग्य है। किसी प्रकार से मुझे कोई सूचना मिल जाती है तो उसके लिये एप्रीशियेट करना चाहिये और सूचना देने वाले को एन्करेज करना चाहिये कि किसी भी विषय की मुझे जानकारी दे तो वह बिल्कुल सेफ है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, 15 तारीख के पहले पहले चर्चा हो। इस बात के लिए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन दोनों विषयों के पत्र या पत्रावलियां मेरे पास अभी तो नहीं हैं, जो मेरी जानकारी है उस जानकारी के आधार पर बोल रहा हूं। लेकिन एग्रीमेंट क्या हुआ, एग्रीमेन्ट का वायोलेशन कहां हो रहा है, किस जगह से वह नहर का पानी लेना चाहते हैं, कितना पानी लेना चाहते हैं वह डिटेल मेरे पास है। इसलिए अगर आप अनुमति दें तो किसी भी दिन रख लें, चाहे सण्डे को रख लें सेटरडे को रखलें इस विषय के ऊपर चर्चा होनी चाहिये। मैं मुख्य सचेतकजी से निवेदन करूंगा कि ऐसे गम्भीर मसले को वह मजाक में उड़ाने की चेष्टा न करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मजाक में नहीं उड़ा रहा, अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल के नेता के व्यू से सहमत हूं। कल रेवेन्यू और फोरेस्ट की डिमाण्ड है। रेवेन्यू में कोई खास ऐसी…

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खास कैसे नहीं है। रेवेन्यू में दुनिया भर के घपले हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दुनिया भर के घोटाले हैं तो एक घण्टा इस पर रख लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक घण्टे में नहीं होगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दो घण्टा रख लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शनिवार को अन्तराज्यीय मामलों पर डिबेट होनी चाहिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : शनिवार को माननीय सदस्य अगर बैठना चाहें तो…

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य बैठेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है अगर माननीय सदस्य शनिवार को अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी या दूसरी जगह जाना चाहते हैं। राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ जनता की जो जीवन रेखा है उस जीवन रेखा की कांग्रेस को चिंता नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उस जीवन रेखा के ऊपर विचार कल कर लीजिये। कल आपकी पत्रावली भी लेकर आवें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप डिमाण्ड के ऊपर अधिक समय लेकर इस मसले को···

श्री अध्यक्ष : आज सब माननीय सदस्यों की तैयारी नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एग्री करता हूं, अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात को मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि जितनी तैयारी इन दोनों विषयों पर होनी चाहिये उतनी आज नहीं है। लेकिन अगर समय मिलेगा तो हम कर लेंगे। डिमाण्ड को लेकर यह नहीं किया जाय कि डिमाण्ड खत्म कर दें और इस विषय को ले लें।

श्री अध्यक्ष : सिंचाई मन्त्री जी।

पहले मैं यह पूछना चाहता हूं कि वहां पर कोई वार्तालाप चल रहा है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मन्त्री) : वार्तालाप नहीं, मैं तो आपको सूचना दे रहा हूं, तथ्यों की जानकारी दे रहा हूं।

यह बात सही है कि रावी-व्यास नदियों के पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में अकालियों के दल की आनन्दपुर साहिब के प्रस्ताव में यह मांग है और वे चाहते थे कि इस पूरे मसले को सुप्रीम कोर्ट के जज या किसी ट्रिब्यूनल को सुपुर्द कर दिया जाये। उस सम्बन्ध में भी मुख्य मन्त्री जी और मुझे एक बार नहीं बल्कि कई बार दिल्ली बुलाया गया और ट्रि-पार्टाइट कांफ्रेंस भी हुई। सेन्ट्रल केबिनेट की सब कमेटी के सम्मुख अलग से और ट्रि-पार्टाइट कांफ्रेंस में केवल राजस्थान को अकालियों के आमने सामने विचार विमर्श के लिये और अपना पक्ष का प्रस्तुत करने के लिये बुलाया गया। इसमें प्रतिपक्ष के नेता भी हमारे साथ थे।

यहां मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उस वक्त राजस्थान ने अपने पक्ष को बहुत ही दृढ़ता के साथ में रखा था। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि राष्ट्र की जितनी भी पार्लियामेंट में अपोजीशन पार्टीज हैं, अकालियों को छोड़कर, सभी का सर्वसम्मत यह मत था कि राजस्थान का जो हिस्सा है रावी और व्यास के में, यह आज नहीं, 1955 से, ए फ्लक्स आफ टाइम से बराबार लगातार चला आ रहा है और इसने कानून का रूप ले लिया है। प्रतिपक्ष के नेता, मैं समझता है कि उस दिन भी सभी विरोधी पार्टीज के नेता इस एक मुद्दे पर एक राय थे।

जहां से भी मांग उठती है, भारत सरकार के सामने जब कोई गुत्थी सामने आती है तो उसको शार्टआउट करने के लिए कोई प्राब्लम आती है तो निश्चित तौर पर मीटिंग बुलायी जाती है। उस मीटिंग में

186

(श्री परसराम मदेरणा)

केवल राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी को या ईरिगेशन मन्त्री को ही नहीं बुलाया जाता है बल्कि हरियाणा और पंजाब की सरकार के प्रतिनिधियों को भी वहां पर बुलाया जाता है ।

यह बात सही है। अध्यक्ष महोदय, कि पंजाब ने थर्मल पावर प्लान्ट स्टेज वन को बनाया है। कूलिंग परपजेज के लिये उनको नांगल हाइडल चैनल से पानी की आवश्यकता है। वे यह चाहते हैं कि हमको पानी दिये जाय, और हमारे हमारे शेयर का पानी लेना चाहते हैं। हमने यह बात रखी है कि प्रश्न केवल नांगल हाइडल चैनल से तुम्हारे हिस्से का पानी लेने का नहीं है। अन्ततोगत्वा आगे जाकर आप आनन्दपुर साहिब चैनल से पानी लेना चाहते हो। आनन्दपुर साहिब के अन्दर व्यास का पानी आता है और व्यास के पानी में राजस्थान का हिस्सा है। राजस्थान में उसके ऊपर जो लिन्क बनी है व्यास और सतलज की उसके अन्दर हम हिस्सेदार हैं। भाखरा, गोविन्द सागर बान्ध में भी हम हिस्सेदार हैं, हमने उसमें धनराशि दी है। इसके बाद में नांगल प्लान्ट के अन्दर हम हिस्सेदार हैं और हाइडल चैनल में हम हिस्सेदार हैं। इसके साथ जो बिजली का उत्पादन हो रहा है कोटला और गंगवाल के अंदर, उसमें भी हम हिस्सेदार हैं। क्योंकि ऊपर ये स्ट्रक्चर नहीं बनते तो आनन्दपुर साहिब को जो अकेले पंजाब बनाने जा रही है ये उस पानी को जो ले रहे हैं कंजेक्टिव यूज के नाम से, यह कंजेक्टिव यूज के नाम से आपकी दलील खोखली है, राजस्थान का इसमें हिस्सा रहना चाहिए, राजस्थान का यह स्टेण्ड आज भी रहा है, पूर्व में भी था। यह बात सही है कि कई दफा बुलाया है।

श्री अध्यक्ष : इस के मायने यह हुई कि वर्तमान में परिस्थितियां बदली हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय सन् 1982 से यह मसला भारत सरकार के सामने चल रहा है। स्टेट के रिप्रेजेंटेशन को···

श्री अध्यक्ष : लेकिन इस तरह से कभी वार्ताएं···

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचिव के स्तर पर और मिनिस्टर के स्तर पर और मुख्य मन्त्री स्तर पर भी मीटिंग आदि हुई हैं। एक मीटींग नहीं हुई है, मैं समझता हूं कि कुल मिला कर मुख्य सचिव लेवल पर, चीफ सेक्रेटरी लेवल पर, मिनिस्टर लेवल पर और चीफ-मिनिस्टर लेवल पर शायद 8–9 या 10 मीटिंगें हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : लेकिन इससे पूर्व में जब कभी इस तरह की वार्तायें होती थीं तो विपक्ष को, पक्ष को और राजस्थान के सब लोगों को विश्वास में लिया जाता था। यह कार्यवाही कुछ छाने छाने चल रही है, ऐसा है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, चुपके चुपके या कारपेट के नीचे कोई बात नहीं हो रही। जैसा कि पांच तारीख को यहां पर ईरिगेशन की डिमान्ड नम्बर 46 सदन में चल रही थी उस बात प्रतिपक्ष के नेता महोदय भी मौजूद थे, मैंने उस दिन यह बात कही थी कि रोपड़ थर्मल के पानी के मामले को और आनन्दपुर साहिब चैनल

(श्री परसराम मदेरणा)

से पानी को लेने के सम्बन्ध में राजस्थान का एक निश्चित मत है, हमारा स्टेण्ड राज्य के हितों की सुरक्षा रखते हुए है। जो हमने स्टेण्ड ले रखा है उससे कभी भी हम विचलित नहीं हुए हैं।

जहां तक प्रश्न है, अभी अजमेर पूर्व से आने वाले माननीय यह कह रहे थे कि इन्दिरा गांधी पंजाब में अकालियों के दवाव में आ जायेंगी। मैं समझता हूं कि भारत की प्रधान मन्त्री के लिए और सब बातें आप कह सकते हैं लेकिन वह किसी के दवाव के सामने न तो कभी झुकी हैं, न कभी झुकने वाली हैं।

अब यह प्रश्न यह है···

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप तो दवाये जा सकते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आपका तो टिकट पक्का हो गया।

श्री परसराम मदेरणा : टिकट तो आप देंगे। आप और मैं बहुत लम्बी अवधि से इस सदन में हैं। कुछ अच्छी परम्परायें आपने और मैंने दोनों ने डाली हैं। अब अपने तो रूखसत लें लें तो ज्यादा अच्छा, रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा इस संबंध में कि अभी तक प्रश्न विचारणीय है भारत सरकार के सामने। राजस्थान ने अपने पक्ष में कोई डाल्यूशन नहीं किया है। राजस्थान ने अपने पक्ष को पुरजोर शब्दों में एटमोस्ट क्लेरिटी के साथ रखा है। बराबर लगातार एक ही स्टेण्ड रहा है, चाहे वह सचिव के स्तर पर कोई बैठक हुई हो, चाहे वह मुख्य सचिव की बैठक जो केबिनेट सैक्रेट्री ने बुलायी हो, चाहे वह मन्त्री के लेवल की मीटिंग हो, चाहे मुख्य मन्त्रियों को आमन्त्रि किया हो, राजस्थान का स्टेण्ड बहुत ही साफ रहा है। आप इस पर विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं तो, अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : कुल मिलाकर जो इतनी छोटी सी चर्चा हुई उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वर्तमान में कुछ अरसे से नये सिरे से पानी के बंटवारे के बारे में बात शुरू हुई है। आप स्वयं जानते हैं कि आपने जितने भी हैडवर्क्स हैं, जिन नदियों से पानी लिया जाता है, जितने बन्धों से लिया जाता है उनसे सिंचाई का जल भी प्राप्त होता है और बिजली भी पैदा की जाती है। यह प्रश्न काफी जटिल प्रश्न है। यदि वार्तायें वर्तमान में हो रही हैं तो उसमें इस सदन का क्या मत है, यह भी मैं समझता हूं कि सामने आना जरूरी है। तो मैं राज्य सरकार से चाहूंगा कि पहले तो कोई इस तरह का लिट्रेचर, इस तरह की जानकारी माननीय सदस्यों को प्राप्त करवायी जाय। आखिर हैडवर्क्स वाली बात जो विशेषज्ञ हैं, जो इस बात को जानते हैं वह तो जानते हैं लेकिन किसी तरह से ब्रफीग करके असल परिस्थितियों क्या हैं, क्या किस स्टेज पर यह वार्तालाप चल रहे हैं और यदि अपने खिलाफ कोई फैसला होता है तो उसका बिजली पर, सिंचाई के जल पर क्या असर पड़ने वाला है, मैं समझता हूं कि

188

(श्री अध्यक्ष)

इस पक्ष को भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह मैटर ही बहुत काम्पलीकेटेड है ।

श्री अध्यक्ष : हां, तो इस को समझना चाहिये ।

श्री परसराम मदेरणा : न तो यह मामला हैडवर्क्स का है । प्रश्न यह है कि आनन्दपुर साहिब का पानी वे अलटीमैटली रोपड़ थर्मल प्रोजेक्ट 2 के लिये लेना चाहते हैं एक के लिए नहीं । वह कह रहे हैं कि हम हाइडल चैनल को रेगूलेटर से लिन्क करना चाहते हैं । उन्होंने एक रेगूलेटर बना लिया है, अखबारों में तो चार सौ करोड़ की बात कह रहे हैं लेकिन वे अपने वक्तव्य में यह कह रहे हैं, स्टेटमेंट जो आप सुनते हैं, उसकी मीटिंग में कहते हैं कि 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके हमने एक पावर प्लांट थर्मल का खड़ा किया । कूलिंग परपजेज के लिये हमको चाहिए । कूलिंग परपजेज के लिये दो प्रकार के मैथड हैं । अक ओपन साइकल मैथड है और एक कूलिंग टावर मैथड है । इन दोनों···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या मन्त्री महोदय को मालूम है कि ओरीजिनेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिस समय रोपड़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बनी थी उस समय कितने पानी की डिमाण्ड कूलिंग के लिये थी और आज कितने पानी की डिमाण्ड कर रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह फिर बहस का मुद्दा हो गया है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इस को भी समझने की बात है । प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सी. ई. ए. ने जो क्लियरेन्स दिया, सी. ई. ए. के क्लियरेन्स के बाद में प्लानिंग कमीशन ने क्लियरेन्स दिया । उन्होंने क्लियरेन्स जो दिया था वह ओपन साइकल मैथड के लिये दिया था और उसमें एक शर्त लगायी थी कि अगर ओपन साइकल मैथड आप लेना चाहते हैं तो आपको बी. बी. एम. बी. से कन्करेंस लेना चाहिये और बी. बी. एम. बी. के जो पार्टनर स्टेट्स हैं उनसे भी कन्करेंस लेनी चाहिये । उन्होंने यह बात कही है । राजस्थान इस बात पर बराबर झगड़ा कर रहा है और अपना स्टेण्ड रख रहा है कि जब क्लियरेन्स आपको एक मैथड के लिए मिला था जिस को आपने अडाप्ट किया है और अडाप्ट करते हुए उस पानी से इम्पाउन्डमेंट जिस पानी का है, जिसमें हम पार्टनर हैं, तो बिना हमारी कन्करेंस के, बिना हमारी कन्सेन्ट के और बिना हमारी अनुमति के आप पानी ले नहीं सकते थे । तो आपने यह क्लियरेन्स के अगेन्स्ट में यह जो खिलाफ वर्जी की है इसमें आपके इरादे साफ नहीं हैं इसलिए हमारा यह एतराज है कि आपने यह जो पानी लेने की बात की, आपके शेयर से पानी लेने की आप सोच रहे हैं. शेयर के मामले में भी राजस्थान के शेयर के ऊपर विपरीत असर नहीं पड़े, इस चीज के लिये जब तक हम एश्योर नहीं हो जाते हैं तब तक हम कोई कंसेंट देने वाले नहीं हैं, हम इसमें पार्टी बनने वाले नहीं हैं । इसी मसले को लेकर बी. बी. एम. बी. में झगड़ा हो रहा है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 300 करोड़ का क्या हुआ ?

श्री परसराम मदेरणा : अगर वह हो गया तो हुआ है, मैं कह रहा हूं। मैं कौन सा कह रहा हूं कि नहीं हुआ। वह हुआ है एक टेक्नीकल सब कमेटी है और एक स्टेंडिंग कमेटी है जिसमें हमारे लोग बैठते हैं। बराबर इस मामले में राजस्थान का व्यू पाइंट जो मैं बता रहा हूं सभी लेवल पर एक ही रहा है। उन्होंने दूसरा सिस्टम कर लिया है। उसके करने के बाद वह कह रहे हैं कि यह जो पानी जायेगा यह पानी हमारे शेयर का जायेगा। हम आनन्दपुर साहिब वाले के पानी को अभी नहीं ले रहे हैं, अभी तो जो नांगल हाइडल चैनल में जो हमारा शेयर है उसमें से हम चाहे इरिगेशन करें, चाहे कूलिंग परपज के लिए लें। कूलिंग परपज में भी पानी आगे निकल जायेगा। आज भी लोअर एस्केप से पानी निकल रहा है इसलिये वह भी पानी वेस्ट जा रहा है, आप हमें पानी लेने के लिए क्यों एतराज कर रहे हैं हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है। हम कह रहे हैं कि प्रश्न आपके इन्वेस्टमेंट का नहीं है। इन्वेस्टमेंट आप कई जगह कर देंगे लेकिन पार्टनर स्टेट के सर्टेन राइट्स हैं। जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है 1959 का भाखड़ा नांगल एग्रीमेंट उस एग्रीमेंट में जितने कामन प्रोजेक्ट्स हैं उसमें किसी भी प्रकार की पंक्चर करने की बात, इम्प्रूवमेंट करने की बात आप पार्टनर स्टेट की राय के बिना नहीं कर सकते। अब आप आये हैं जब आपने क्षेत्रबन्दी बनाने की बात की है इसलिये हम इसमें पार्टी नहीं हो सकते। राजस्थान का यह स्टेंड है। इस सम्बन्ध में जब कभी भी बात आती है, मीटिंग होती है तो उसमें तो जाना पड़ता है। मीटिंग में जाने के बाद में यह कहना कि राजस्थान के हितों की कोई बलि वाले चढ़ा दी है या बलि चढ़ाने जा रहे हैं कल, यह कोई आपके दशहरे पर पाड़ा बकरे की बलि बलि नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नहीं कहा…

श्री परसराम मदेरणा : आज राजस्थान का इंटरेस्ट पूरे सदन के सामने सुप्रीम है, राजस्थान के इंटरेस्ट के विरुद्ध कोई भी अगर निर्णय होता है तो राजस्थान सरकार उसमें पार्टी नहीं बनेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, पार्टी बनने और नहीं बनाने का क्या मामला है। मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि इस मसले में राजस्थान सरकार, भारत सरकार और पंजाब की सरकार के बीच में विवाद है। पंजाब पानी लेना चाहता है, हम देना नहीं चाहते। पानी देने का काम….

श्री परसराम मदेरणा : हरियाणा भी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सॉरी, हरियाणा भी इसमें शामिल है। एक बार यदि हम कंसीड कर गये कि हमारी कैनाल से पानी वह ले सकते हैं तो ऐसा रास्ता खुल जायेगा जिसका कभी कोई अन्त नहीं होगा। एक दूसरा प्रश्न है जो माननीय मन्त्री महोदय को मालूम होगा कि राजस्थान और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पंजाब के बीच में यदि इस पानी के प्रश्न को लेकर झगड़ा उठता है तो भारत सरकार पंजाब की तरफ से यह भी करवा सकती है कि इंटर स्टेट डिस्प्यूट है, यह किसी ट्रिब्यूनल को रेफर कर दें और बीच में इस बात का फैसला कर दें कि जब तक ट्रिब्यूनल का फैसला नहीं हो तब तक राजस्थान की सरकार या बी. बी. एम. बी. यह कंसीड कर जाए कि राजस्थान अपने हिस्से का पानी देता रहेगा। मुझे इस बात का ज्यादा डर है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब सरकार की नीयत साफ है, सरकार पंजाब को अपना हिस्सा लिए बिना पानी नहीं देना चाहती तो मन्त्री महोदय ने एक बात नहीं कही, मुझे चिन्ता है उस बात कि जो उन्होंने क्यों नहीं कही कि रोपड़ में केवल पानी देने का प्रश्न नहीं है, हमारे पानी के आधार पर जितने प्रोजेक्ट्स बनेंगे उन प्रोजेक्ट्स में पैदा होने वाली बिजली में हमारा हिस्सा है। हमारा यह क्लेम है। यह क्लेम कंसिसटेंट हैं। इस क्लेम के बारे में यदि हम चर्चा नहीं करें और केवल यही बात करते रहें कि बी. बी. एम. बी. राजस्थान के हिस्से का पानी या पंजाब के हिस्से का का पानी या हरियाणा का सबका जिस परजोइंट कंट्रोल है उसका पानी उस समय तक नहीं देगी जब तक पार्टनर स्टेट इस मामले में एग्री नहीं करें। तो इसका मतलब तो दूसरा हुआ। दूसरा मन्त्री महोदय की बात से मुझे एक डर लग रहा है, उन्होंने यह कहा कि 300 करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट हो गया। यह सबसे बड़ी प्राब्लम है। इसीलिए मैंने पूछा कि ओरीजिनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कितना पानी लेने की बात थी, आज कितना पानी लेने की बात है। अध्यक्ष महोदय, सी. ई. ए. को धोखा दिया। उसके बाद प्लानिंग कमीशन को धोखा दिया। दोनों को यह कहा कि हम जिस योजना से पानी लेना चाहते हैं उस योजना में दूसरी स्टेट से अनुमति लेनी आवश्यक नहीं, हम उसकी व्यवस्था कर लेंगे। आज उन्होंने काम खड़ा कर दिया 300 करोड़ का तो भारत सरकार भी आज यह समझ रही है कि 300 करोड़ रुपये का प्लांट लग गया उसमें राजस्थान या हरियाणा सरकार की जिद के कारण से बिजली उत्पादन नहीं होगा इस कारण से वह भी दबाव डाल रहे हैं। उस पर आंदोलन का भी दबाव है। इन सारी बातों से, अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है, मेरी जानकारी के अनुसार 16 तारीख के पहले-पहले भारत सरकार यह फैसला करने वाली है कि राजस्थान सरकार पानी देने के लिए तैयार हो जाय। अगर पानी देने के लिए तैयार नहीं हो तो इस मैटर को ट्रिब्यूनल को रेफर कर दिया जाए और उस समय तक भारत सरकार राजस्थान सरकार पर दबाव डालकर पानी देने के लिए एग्री करवा ले। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मसला छोटा नहीं है इस मसले के ऊपर सदन में चर्चा होनी चाहिए और चर्चा होकर सदन का व्यू राजस्थान सरकार के लिए गाइडेंस होना चाहिए। मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा कि इस मसले पर तुरन्त चर्चा की जाय, पूरा दिन इस के लिये निश्चित किया जाए। इस बात को, मेरा विश्वास है, सरकार स्वीकार करेगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यह निवेदन है, आप खुद ही कह रहे हैं कि 16 से पहले-पहले फैसला होगा। 16 से पहले कल का ही एक वर्किंग डे है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : परसों का भी है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : परसों छुट्टी है, 13 तारीख को महावीर जयन्ती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको छुट्टी में बैठने में क्या दिक्कत हो रही है? आपको परेशानी क्या हो रही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : महवीर जयन्ती के रोज धार्मिक पर्व है उसमें बैठेगा नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्यों नहीं बैठेगा? यदि राजस्थान के हित में आप एक छुट्टी कंसीव नहीं कर सकते, आठ घण्टे के लिए बैठ नहीं सकते तो आपके दिमाग में राजस्थान के कौनसे हित हैं। आपके दिमाग में अपने प्रोग्राम हैं, रात को कहीं बैठना है, रात को किसी से मिलना है। यही है, और क्या है प्रोग्राम आपके दिमाग में?

(व्यवधान)

हां, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि सदन के माननीय सदस्यों की हैसियत नहीं गिराई जाय। लोगों के सामने क्या पिक्चर होगी इस सदन के माननीय सदस्यों एक दिन की छुट्टी नहीं छोड़ सकते। उस कारण से परेशान हो रहे हैं। एक दिन, दो दिन अगर बैठा पड़े तो बैठना जाये, छुट्टी कोई महत्वपूर्ण नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप शान्ति से सुनिये...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शान्ति में हैं। आप तो शनिवार को दावत में जाना चाहते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दावत में कोई नहीं जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और कहां जा रहे हैं?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जन समस्याओं को सुलझाने के लिए जा रहे हैं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि कल क्यों नहीं इसके लिए आप डिबेट रख देते हैं और उसके बाद डिमांड हो जायेगी।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह नहीं हो सकता। आज डिमांड के लिये तैयारी करके आए हैं, कल माननीय सदस्य दूसरी डिमांड के लिए तैयारी कर रहे हैं। परसों क्यों नहीं रखते? आपको क्या बीमारी है परसों के लिये? क्या बीमारी है? क्यों नहीं रखते परसों?

श्री खेतसिंह राठौड़ : परसों महावीर जयन्ती है।

श्री अध्यक्ष : शनिवार को वर्किंग डे रख लिया जाय। 14 तारीख को।

श्री खेतसिंह राठौड़ : 14 को रखने से इनके सब प्रोग्राम गड़बड़ हो जायेंगे।

(192)

श्री अध्यक्ष : महावीर जयन्ती के दिन पर्व है ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 14 को ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, मुख्य मन्त्रीजी ।

श्री शिवचरण माथुर : वैसे तो माननीय सिंचाई मन्त्रीजी ने जो यहां पर वक्तव्य दिया उससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि हमने अलग-अलग मुद्दों पर राजस्थान का पक्ष किस प्रकार से प्रस्तुत किया है और आगे भी कोई सवाल जब भी आयेगा तब उस दृढ़ता में कमी आने वाली नहीं है । मैं भी कई बार यहां पर निवेदन कर चुका हूं, जब जब भी यह चर्चा आयी, 12 मार्च को राज्यपाल के अभि भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के वक्त मैंने कहा था, उसके बाद सिंचाई की मांग के समय सिंचाई मन्त्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कहा था कि किसी भी मीटिंग में राजस्थान ने पक्ष की विलेग्टी का कहीं भी अभाव नहीं रखा है, पूरी स्पष्टता से अपने पक्ष को प्रस्तुत किया है । उसका आप इतिहास और संदर्भ देखें तो निश्चित रूप से आपको मालूम पड़ेगा कि कंसिस्टेंट स्टेण्ड राजस्थान का आज तक रहा है उस स्टेण्ड में कहीं पर भी कमी नहीं आई है । इसलिए यह कहना कि राजस्थान सरकार अपने हितों को सुरक्षित नहीं रखेगी, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है । इन पिछले दिनों में पंजाब में इस सारी समस्या में थोड़ा-सा संदर्भ बदल रहा है इससे हमें भी उसमें थोड़ी शंका महसूस होती है । पहले तो वह इंटर लेक मानते थे आनंदपुर साहिब को रोपड़ के पानी से । उसके कजम्पटिव यूज के तौर पर वह कहते थे कि हमारा जो पानी बेकार जा रहा है लोअर एस्केप से उस पानी को हम यूज करना चाहते हैं, उसमें हमने यह कहा कि लोअर एस्केप से आपका जो पानी जा रहा है 1100 या 1200 क्यूसेक्स, जितना भी है, वह दरअसल में वेस्ट नहीं जा रहा है उसको आप दूसरे रास्ते से कहीं से सतलज नदी में डाल करके दूसरे एरिया में यूज कर रहे हैं इसलिये उसका कंजम्पटिव यूज आप कर रहे हैं ऐसा नहीं माना जाना चाहिए । जो कुछ भी आप पानी लेंगे इन रोपड़ थर्मल पावर यूनिट फर्स्ट लिए, चाहे वह किसी भी मैथड से किसी भी टावर से हो लेकिन उसके लिए जो भी पानी लेंगे वह आपके हिस्से का नहीं होगा । दूसरे का हिस्सा का एक प्रकार से काट करके होगा । उसमें हम यह समझते हैं कि वह पानी नीचे राजस्थान और हरियाणा का पानी है । क्योंकि नांगल हाइडल चैनल से जो नीचे पानी आता है, भाखड़ा मैन लाइन में जो पानी आता है उसमें, उसके बाद में सतलज यमुना लिंक बनने वाली है और हरियाणा सबसे ज्यादा उस पानी का रेसीपियेंट है उसमें हरियाणा और राजस्थान की पानी की बहुत देख-रेख हुई है ।

दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है, वह यह है कि पंजाब ने बिना पार्टनर स्टेट्स को कन्सल्ट किये आज नई थर्मल पावर स्टेशन बना दिये हैं, जिसमें मुकेरिया हैं, आनंदपुर साहिब है, शाहपुर कांडी है,

(श्री शिवचरण माथुर)

यू. पी. डी. सी. है, और थीन डेम के बारे में भी कुछ बात चल रही है। यह चारों पांचों जो एक प्रकार के प्लांट हैं उनको बनाने के लिए पार्टनर स्टेट्स से पूछा जाना चाहिये क्योंकि जिस पानी के आधार पर यह प्लांट बनाये जा रहे हैं उसके कास्ट और बेनिफिट में राजस्थान का हिस्सा है। हरियाणा तो दरअसल में बाद में आता है सन् 66 के बाद में आता है, पहले तो अन-डिवाइडेड पंजाब और राजस्थान ही एक प्रकार से पार्टनर की तरह से शुरू से रहे हैं। 66 में जब हरियाणा और पंजाब बन गया तो उसमें दोनों स्टेट्स का अलग अलग हिस्सा मुकर्रर हुआ। लेकिन शुरू में चाहे भले ही 1955 का समझौता हो, चाहे भले ही 1959 का भाखड़ा नांगल का समझौता हो उसके बाद में जितने समझौते हुए, चाहे 1981 का समझौता हो उसमें राजस्थान के हिस्से को हमेशा स्वीकार किया गया है। जैसा माननीय मन्त्रीजी ने अभी बतलाया, त्रिपक्षीय वार्ता में भी भारत की जितनी भी विरोधी पार्टियों के नेता थे उन्होंने भी एक बात स्वीकार की है, आप उसमें उपस्थित थे, आप ही नहीं बल्कि सभी विरोधी दलों के जो माननीय नेता हैं उन सब को हमने वहां पर आमन्त्रित किया था, आपने देखा होगा, वहां भारत की विरोधी पार्टियों के जितने नेता थे उन्होंने एक बात कही कि एक ऐतिहासिक आधार पर राजस्थान का जो पानी का हिस्सा है वह सर्वमान्य है, स्वीकार किया गया है, उसको छेड़ने का सवाल नहीं आता है। प्रश्न केवल इतना रहता है कि सन् 1966 के बाद में हरियाणा और पंजाब का जो विभाजन हुआ और दो अलग स्टेट्स में आवाज उठी उन स्टेट्स का क्या हिस्सा निर्धारित किया जाय। इस पर अगर कोई विवाद हो तो इस प्रश्न के बारे में कोई बात चल सकती है। यह बात हर फोरम पर हुई है। यहां तक भारत सरकार के मन्त्रियों, जो मीटिंग को प्रिसाइड कर रहे थे, ने भी और केबिनेट सब-कमेटी ने भी इस बात को स्वीकार किया है हमेशा। इसलिये यह समझना कि भारत सरकार, हमारी प्रधान मन्त्रीजी राजस्थान के पक्ष को नहीं समझती हैं और राजस्थान को दबा कर के, पंजाब के दबाव में आ करके राजस्थान के हितों को बलिदान कर देने वाली बात करेंगी ठीक नहीं है। यह ठीक है कि आप गैलरीज को प्ले करने वाली बात तो कर सकते हैं लेकिन यह बिल्कुल निर्विवाद सत्य है कि हमारी प्रधान मन्त्रीजी ने जब भी सवाल आया राजस्थान का, हमेशा यह बात कही है कि राजस्थान का पक्ष बिल्कुल अलग है, यह तो सवाल पंजाब और हरियाणा का है इसलिये इसको उस दृष्टि से बात करने वाली बात आती है। इसलिये यह कहना कि हम भारत सरकार के दबाव में आकर के भारत सरकार के सामने घुटने टेक देंगें, पंजाब में दूसरी स्थिति चल रही है उससे घबरा करके राजस्थान के हितों को बलिदान कर देगी, यह मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही नहीं है। भारत सरकार ने, प्रधान मन्त्रीजी ने, केबिनेट सब-कमेटी ने सब-कमेटी पोलिटिकल अफेयर्स ने और इसके अलावा सारे भारत के विरोध पक्ष के लोगों ने ट्रिपार्टाइट मीटिंग में भी इस बात को बहुत साफ स्वीकार किया है। तो यह जो शंका

(श्री शिवचरण माथुर)

आपको है उसका कोई आधार नहीं है, बिल्कुल निराधार है ।

मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने कई बार कहा है कि जितनी चिन्ता आप महसूस करते हैं उससे कहीं ज्यादा चिन्ता हम लोग महसूस करते हैं क्योंकि जनता ने हमको बहुत बड़ा बहुमत देकर यहां भेजा है और हम उसकी हकतलफी कभी नहीं होने देंगे । हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है । राजस्थान के हितों का न तो आज तक कभी समझौता किया गया है और न कोई समझौता करने का प्रश्न ही उठता है क्योंकि उसके आधार पर राजस्थान के विकास की प्रक्रिया शुरू हुई है और उस प्रक्रिया में हम बहुत आगे बढ़ गये हैं । आज राजस्थान कैनाल के हिस्से में जो कुछ भी विकास हुआ है उसके आधार पर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर बना है वह सब हमारे सामने है । वैसे बहुत स्पष्ट तौर पर मन्त्री महोदय ने आपसे यहां कहा है, मेरा ऐसा ख्याल है कि उसके बाद विवाद का प्रश्न तो बनता नहीं है और न यह सवाल आता है कि हमने कोई स्पष्ट यहां पर बात रखी नहीं है । लेकिन फिर भी यदि आप महसूस करते हैं कि यह इतना महत्वपूर्ण मसला है राजस्थान के सारे हितों से सम्बन्ध रखता है, मुझे अध्यक्ष महोदय, कोई एतराज नहीं है इस पर कोई एक दिन आप वाद-विवाद रख लें । अब सवाल यह आता है कि छुट्टियां है उन छुट्टियों में, मैं समझता हूं, कल की अगर आप डिमाण्ड भी नहीं हटाना चाहते, 13 तारीख को महावीर जयन्ती है उस दिन हमारे जैन समुदाय का एक पर्व है इसलिये

श्री भैरोंसिह शेखावत : 14 तारीख को ।

श्री शिवचरण माथुर : .... उस दिन भी रखना उचित नहीं है तो यदि आप चाहते हैं और सदन की इच्छा है, अध्यक्ष महोदय, तो मैं—

श्री भैरोंसिह शेखावत : 14 तारीख को ।

श्री शिवचरण माथुर : 14 तारीख को अम्बेडकर जयन्ती है ।

श्री अध्यक्ष : अपने यहां शनिवार होने के कारण है ।

श्री शिवचरण माथुर : उसमें ऐच्छिक छुट्टी है ।

श्री जयदेव प्रसाद इन्डोरिया (रतनगढ़) माननीय मुख्य मन्त्रीजी मैं एक सुझाव दूं आपको । अभी तो आपकी एक साल की उम्र है । 20 के बजाय 21 को रखलो, क्या है इसमें । इतनी महत्वपूर्ण है तो इससे आज ही सलट लो ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : 15 को रख लीजिये ।

श्री शिवचरण माथुर : कल रख लीजिये ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कल तो नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं इतवार को लेने में क्या आपत्ति है ?

श्री शिवचरण माथुर : कल ले लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल लेने में आपको तो कोई आपत्ति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कल तो सारी डिमाण्ड्स हैं उन डिमाण्ड्स को हम कंसीड नहीं कर सकते। आप छुट्टी कंसीड करने को तैयार नहीं हैं, मेरी समझ में नहीं आता। महावीर जयन्ती को मत लीजिये, अम्बेडकर जयन्ती को मत लीजिये लेकिन जो इतवार आ रहा है इतवार को ले लीजिये, क्या आपत्ति है? क्या सण्डे को बैठ नहीं सकते?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं यह निवेदन कर रहा हूं, आप स्वयं इस बात को मानते हैं कि 16 से पहले पहले फैसला होने वाला है। दूसरी बात यह है कि 13 को महावीर जयन्ती है और 14 को अम्बेडकर जयन्ती है। आप इतनी इसको अहमियत देते हैं, आपने इतनी नाराजगी जाहिर की कि मैं इसको लाइटली लेता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि रेवेन्यू पर तो कई दफा विचार हो चुका है क्या खास रेवेन्यू पर विचार करेंगे, कल ही इसको ले लीजिये और कल ही इस पर विचार कर लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको पता है वह जो काश्तकारों के डण्डे मार मार कर तावान वसूल किया जाता है वह सब चर्चायें यहां आयेंगी किसानों की जो समस्या है। अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आया कि एक तरफ समाधान करना करना चाहते हैं और दूसरी तरफ किसानों की समस्याओं की उपेक्षा करना चाहते हैं। रेवेन्यू का सम्बन्ध सीधा किसानों से है। आप किसानों की बात नहीं सुनना चाहते हैं, इससे घबराहट है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह पानी और बिजली, आप तो स्वयं कह रहे थे, किसानों के लिये ज्यादा जरूरी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो ज्यादा जरूरी है लेकिन जो किसानों को रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी डण्डे मार रहे हैं उनको उजागर करना भी जरूरी है। जो तावान वसूल किया जा रहा है, जो रेगूलेराइजेशन में दिक्कतें आ रही हैं, किसानों की कई समस्यायें हैं उनकी उपेक्षा मत करो। आखिर किसानों के भरोसे बैठे हैं हम यहां।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां तो आप क्या कहते हैं? वह तो मुख्य मन्त्रीजी ने कहा वही बात है। you are playing to the gallery.

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप शनिवार को रख लें मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अम्बेडकर जयन्ती है और यदि इसका सम्बन्ध इस तरह से लिया जाय कि हम उस दिन नहीं बैठें, कोई बात नहीं। इतवार को हम बैठ जायं और इस पर विचार करलें इसमें आपको आपत्ति क्या है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : 15 को कोई आपत्ति नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं है, तो 15 को ही रखो। आपने स्वयं ही 15 कहा है तो नतीजा निकलेगा।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं ही कहा था कि पूरा लिट्रेचर इस सम्बन्ध में आना चाहिये, सदस्यों के पास। कल की तारीख में भी अगर लिट्रेचर दिया गया तो माननीय सदस्य तैयार होकर नहीं आ सकेंगे। इसलिये विरोधी दल के माननीय नेता ने जो कहा है, 15 तारीख को ही इस पर विचार किया जाय। एक दिन की छुट्टी का होगा, कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। 15 तारीख के दिन डिबेट रख दी जाय, सब लोग तैयार होकर आयें। यह देश के हित का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : विपक्ष के माननीय नेता महोदय ने नियम 307 और 295 का हवाला देकर यह कहा कि सारी कार्यवाही को रोक कर इस पर विचार किया जाय। काफी सदस्यों ने भी इस पर अपने विचार रखे। सत्ता पक्ष की ओर से कल विचार-विमर्श करने के लिये कहा जा रहा है तो कल ही विचार कर लिया। अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है तो इस पर कल क्यों नहीं समय रख कर विचार कर लिया जाय।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : कल ही क्यों नहीं विचार कर लिया जाय। कल की जो डिमाण्ड्स हैं वे 21 तारीख को रख ली जायं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, इसको कब रखा जाय, यह काफी विवाद का विषय हो गया है इसलिये मैं सदन की कार्यवाही आधा घण्टे के लिये स्थगित करता हूं। जितने भी अलग अलग पक्षों के नेता हैं, वे मेरे वेश्म में पधार जायं उसके बाद में किस तरह से इस कार्य को हाथ में लिया जायेगा, वहां निश्चित कर दिया जायेगा।

सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिये स्थिगित की गई।

(तदनन्तर सदन की बैठक सायं 6·10 बजे आधा घंटे के लिये स्थगित हुई।)

(विधान सभा की बैठक पुन: प्रारम्भ हुई)

(6·40 सायं)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय ने नियम 295 में समय की चर्चा उठाई थी उसमें गतिरोध इतना बढ़ गया कि सदन की कार्यवाही को आधे घंटे के लिये स्थगित करना पड़ा।

मैंने सदन के नेता महोदय, विपक्ष के नेता महोदय, अलग अलग दलों के नेताओं से बात की। अब निर्णय लिया गया है कि आज की जो मांगें हैं मांग संख्या 27, 19 और 21, इन मांगों पर सदन में विचार दिनांक 16 अप्रेल को होगा। 16 अप्रेल को दो मांगें थीं—कर और आबकारी।

(श्री अध्यक्ष)

उसमें से कर की मांग पर कोई विचार नहीं होगा लेकिन आबकारी की मांग को उसी दिन लिया जायेगा । जो जल-विवाद के संबंध में विपक्ष के नेता ने नियम 295 में चर्चा उठाई थी, इस विषय के महत्व को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि कल इस पर दो घण्टे की इस सदन मे चर्चा होगी और कल की कार्य सूची जैसी पूर्व में प्रसारित की गई है उसी के अनुसार होगी और दो घण्टे का समय उसके साथ रहेगा । सदन की कार्यवाही....

श्री भैरोंसिह शेखावत : हमारे विशेषाधिकार के प्रस्ताव का क्या हुआ, अध्यक्ष महोदय, वह भी आज ही निर्णय लेना था ? मजिस्ट्रेट साहब का ।

श्री अध्यक्ष : आज कई महत्वपूर्ण विषय आ गये ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह तो सदन से सम्बन्धित है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय जानते हैं कि इस पर मैं विचार कर सकूं, इतना मुझे आज समय मिल नहीं सका इसलिये इस पर कल व्यवस्था दी जायेगी ।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई ।

(तदनन्तर सदन की बैठक सांय 6·42 बजे वृहस्पतिवार दिनांक 12 अप्रेल, 1984 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

———

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 605 का विवरण

जिला स्तरीय समितियों को विधिक सहायता हेतु आवंटित राशि का विवरण

क्र.सं.	नाम जिला समिति	1982–83	1983–84
1	2	3	4
1.	अजमेर	2000/-	2500-/
2.	अलवर	2000/-	2500/-
3.	बांसवाड़ा	2000/-	2500/-
4.	बालोतरा	2000/-	2500/-
5.	भरतपुर	2000/-	2500/-
6.	भीलवाड़ा	2000/-	2500/-
7.	बीकानेर	2000/-	2500/-
8.	बूंदी	2000/-	2500/-
9.	चूरू	2000/-	2500/-
10.	गंगानगर	2000/-	2500/-
11.	डूंगरपुर	2000/-	2500/-
12.	जयपुर नगर	2000/-	2500/-
13.	जयपुर जिला	2000/-	2500/-
14.	जोधपुर	2000/-	2500/-
15.	जालौर	2000/-	2500/-
16.	झालावाड़	2000/-	2500/-
17.	झुंझुनू	2000/-	2500/-

1	2	3	4
18.	कोटा	2000/-	2500/-
19.	मेड़ता	2000/-	2500/-
20.	पाली	2000/-	2500/-
21.	सवाईमाधोपुर	2000/-	2500/-
22.	सीकर	2000/-	2500/-
23.	प्रतापगढ़	2000/-	2500/-
24.	टौंक	2000/-	2500/-
25.	उदयपुर	2000/-	2500/-
26.	धौलपुर	—	2500/-

अन्य समितियों को विधिक सहायता हेतु आवंटित राशि का विवरण :—

वर्ष 1982-83 और 1983-84 में प्रत्येक वर्ष में भीनमाल, सांचोर, थानागाजी, बहरोड़, किशनगढ़-वास, लक्ष्मनगढ़, राजगढ़, परवतसर, तिजारा, गंगापुर, करोली, हिन्डौन, शाहपुरा (भीलवाड़ा), चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी, कपासन, बेगू, बाड़मेर, कुशलगढ़, डीग, बयाना, बैर, धौलपुर, बाड़ी, सागवाड़ा, दौसा, शाहपुरा (जयपुर), सांभर, बांदीकुई, कोटपूतली, खेतड़ी, चिड़ावा, नवलगढ़, नागौर, नावा, ब्यावर, नसीराबाद, केकड़ी, किशनगढ़, गंगापुर, गुलाबपुरा, माण्डलगढ़, जहाजपुर, नैनवा, भवानीमण्डी, अकलेरा, बारां, अटरू, छबड़ा, रामगंजमण्डी, फतेहपुर, श्रीमाधोपुर, नीम का थाना, मालपुरा, सिरोही, बाली, सोजत, जैतारण, आबूरोड़, देसुरी, राजसमन्द भीम, नाथद्वारा, गावली, सलुम्बर, कोटड़ा, कानोड़, नोहर, भादरा, सूरतगढ़, रायसिंहनगर, हनुमानगढ़, श्रीकरनपुर, जैसलमेर, पोकरण, बिलाड़ा, फलोदी, सरदारशहर, डीडवाना, राजगढ़ और रतनगढ़ में प्रत्येक स्थान पर गठित विधिक सहायता समिति प्रत्येक को 1000/- रु. की राशि आवंटित की गई।

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 611 का विवरण एवं मानचित्र

श्री आर. के. एस. जोधा, सम्भाग प्रबन्धक की पदोन्नति दिनांक 25 4.87 के पश्चात प्राप्त हुई शिकायतें एवं तत्सम्बन्धित जांच परिणाम दर्शाते हुए मानचित्र

क सं	प्रसंग	शिकायत का विवरण	जांच परिणाम
1	2	3	4
1.	—	दि. 31.5.79 को हनुमानगढ़ के समीप वाहन दुर्घटना में 35 की मृत्यु हुई । श्री जोधा द्वारा दुर्घटना के तुरन्त बाद कारगर कदम नहीं उठाये गये तथा प्रधान कार्यालय को सूचित नहीं किया गया । पद की गरिमा को दृष्टिगत रखते हुये उत्तरदायित्व निभाने में असमर्थ रहे ।	इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगे जाने पर श्री जोधा द्वारा उपलब्ध कराया गया उत्तर सन्तोषजनक पाये जाने पर उनके विरुद्ध आरोप आदेश संख्या 315 दिनांक 21.7 82 द्वारा निरस्त किये गये ।

1	2	3	4
2.	सचिव इन्टक यूनियन बीकानेर की राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ. 20 (10) गृह-7/82 दिनांक 1 2.82 से प्राप्त ।	स्थानान्तरण होने के कारण परिचालकों के रिमार्क्स पर निर्णय एवं नियुक्तियां पिछली दिनांकों में भ्रष्टाचार तरके से की जा रही हैं।	सम्बन्धित आक्षेपों के विषय में छानबीन करने पर आक्षेप तथ्यात्मक रूप से प्रमाणित नहीं पाये गये।
3.	—	दि. 9 1.82 को विपक्षी दलों द्वारा भारत बन्द के दौरान परिचालकों की फर्जी नियुक्ति एवं अनियमितता ।	प्रकरण में सहायक लेखाधिकारी (सुरक्षा एवं सतर्कता) के स्तर पर प्रारम्भिक जांच की जाने पर श्री जोधा को क्रमांक 620 दिनांक 9.9.83 द्वारा आरोप पत्र दिया गया । प्राप्त प्रत्युत्तर पर आदेश क्रमांक 767 दि. 24.11.83 द्वारा भविष्य में कार्य के प्रति सतर्क रहने हेतु चेतावनी दी गई ।
4.	श्री रमेश टेलर	श्री रमेश टेलर द्वारा श्री जोधा के विरुद्ध निम्न शिकायतें की गईं :— 1. फर्जी टिकिट बुकें छपवाकर संगठित परिचालकों के गिरोह के द्वारा बिकवाते रहे तथा काण्ड खुलने पर पर्दे के पीछे हो गये । इनके भानजे मेघराज	जांच के दौरान श्री रमेश टेलर ने बताया कि शिकायत पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं अतः जांच पूर्ण कर बन्द की गई ।

202

1	2	3	4
		भूतपूर्व परिचालक एवं गोपाल माथुर को आगे कर दिया। मेघराज के भाई गजराज सिंह एवं शंकर सिंह को निगम में नियुक्त करवा दिया जो इनके संरक्षण में दलाली कर रहे हैं।	
		2. श्री गोपाल माथुर की जांच दबा कर बैठे हैं।	
		3. झालावाड़, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर में अपने एजेण्ट श्री महीपाल सिंह श्री लालूराम परिचालक को साथ रखाते हैं।	
		4. दिनांक 19.1.82 को भारत बन्द के दौरान नियुक्ति करने में 60,000 का मामला।	
		5. परिचालक को स्थाई आदेशों के विपरीत निलम्बित कर एजेण्ट द्वारा राशि वसूल कर बहाल करने बाबत।	
		6. अजमेर की अखिल भारतीय प्रतियोगिता में संयोजक की हैसियत से नकली खिलाड़ी को खिलाने का श्रेय।	

1	2	3	4
		7. अजमेर सम्भाग की पचास बस चैकिंग रिपोर्ट इनके कार्यालय में रखी हैं तथा 30 पत्रावलियों पर निर्णय देने में आनाकानी।	
5.	राजमेल समाचार पत्र अजमेर में प्रकाशित	परिवहन संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन द्वारा आरोप लगाया गया कि श्री जोधा एक महिला ओथ कमिश्नर एवं अपने भानजों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं तथा इस समाचार के साथ श्री जोधा की भाँजी सुश्री रेखा कुमावत द्वारा जोधा को लिखे गये पत्र की प्रति भी प्रकाशित की गई। इस समाचार में श्री मेघराज, श्री बलराज व श्री शंकर सिंह श्री जोधा के भांजे बतलाये गये हैं और श्री मेघराज निगम से सेवा पृथक होना, उसे यात्री पथ प्रदर्शक के पद पर लगाना और ~~श्री शंकर सिंह को वायर मैन के पद पर लगाना~~ बताते हुए अजमेर आगार में दोनों पद ही स्वीकृत नहीं होने का उल्लेख किया गया।	जांच विचाराधीन है।

1	2	3	4
6.	—	परिचालक श्री नानकराम की संदिग्ध मृत्यु ।	श्री नानकराम पुत्र श्री कोडूमल परिचालक अजमेर आगार के विरुद्ध 8 यात्री, साइकिल एवं 240 कि. ग्रा. बिना टिकिट ले जाने के आरोप में दण्डित किया गया था । अनुपस्थित रहने पर इन्हें पुनः नोटिस जारी किया गया तथा पुनः दो यात्री बिना टिकिट ले जाने, के प्रकरण में इन्हें दोषारोपण पत्र दिया गया टिकिटों में काट छांट एवं जालसाजी करने पर इन्हें निलम्बित किया गया एवं तत्सम्बन्धित दुराचरण में भी इन्हें आरोप पत्र दिया गया और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर इन्हें दि. 10.10.83 को सेवा पृथक किया गया । उक्त आरोप की गहनता को दृष्टिगत रखते हुए ही इन्हें सेवा पृथक किया गया था । तथापि यदि इनकी मृत्यु प्राकृतिक कारण/आत्महत्या से हुई है तो इसके लिये श्री आर.के.एस. जोधा उत्तरदायी नहीं हैं ।

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 353 की सूची

राजस्थान नहर परियोजना एल. डी. पी. फिल्म की खरीद का विवरण अप्रैल, 80 से मार्च, 84 तक

क्र.सं.	फर्म का नाम	वस्तु/विशेष विवरण	मात्रा	दर	मूल्य	कैसे खरीदी गई	किस अवधि में खरीदी गई	कहां प्रयोग में लाई गई
1	2	3	4	5	6	7.	8	9
1.	मैसर्स शिवालिक एग्रो पोलेथ प्रोडक्शन लि., नई दिल्ली	एल. डी. फिल्म नहर की लाईनिंग हेतु 10 से 13 मी. चौड़ी 175 माइक्रोन निर्धारित आई.एस.आई. मार्का विशेष विवरण नए 2508/1970	5 लाख	4·54 पै प्रति व. मी.	22·70 लाख	खुली निविदाओं द्वारा	जनवरी/ फरवरी 81	1.20 क्यूसेक वाटर सप्लाई चैनल=301590 व. मी. बुर्जी 1120 से 1200 राजस्थान मुख्य नहर 2. हर्वी पालिंग रिचेज को लाईनिंग हेतु=94568 व.मी. अ. वाटर सप्लाई बुर्जी 380 से 468

205

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								ब. वॉटर सप्लाई बुर्जी 468 से 500=48830 व. मी. 3. वाटर सप्लाई चैनल की लाइनिंग हेतु अ. बुर्जी 348.60 से 350 =14339 व. मी. ब. बुर्जी 351·30 से 353.30 =19461 व. मी. स. बुर्जी 354.00 से 358.60 =47359 व. मी. द. बुर्जी 366.200 से 367.600=14339
2.	—	—	9380व.मी.	—	0.44 लाख	—	—	सिंगल ट्राइल लाइनिंग दतोर माइनर और ऐसा वाटर डिस्ट्रीब्यूट समय 3/84 तक
3.	मैं. बिस्सोप्लास्ट एण्ड पोलोमोर नई दिल्ली	4 से 7.5 मी. चौड़ी	2.98 लाख व. मी.	3.09 पै.	9.80 लाख	—	मार्च 82	सिंगल टाइल लाईनिंग बिरसलपुर ब्रांच और दतोर ब्रांच में माह 3/83 तक काम में ली गई।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	—	— 100 माइक्रोन मी. चौड़ी	10 41 प्र.मी.	19000 प्र. मी.	7.913 लाख	—	अक्टूबर 83 से दिसम्बर83	वाटर सेप्लाई चैनल की लाइनिंग में 10/83 से 12/83 तक काम में ली गई।
5. मैं. त्रिमूर्ति ट्रेडर्स बीकानेर		175 माइक्रोन मी. चौड़ी	6.5 2000 व.मी. प्र.व.मी.	4.30 पै.	0.086 लाख	कोटेशन द्वारा	सितम्बर 82	सिंगल टाइल लाईनिंग दतोर माईनर समय 9/82
6. मैं. पेरेमाणी ट्रेडर्स बीकानेर		175 माइक्रोन मी. चौड़ी	6.3 2000 व.मी	—	—	—	अक्टूबर 82	— 10/82
7. मै राघू ट्रेडर्स बीकानेर		—	—	—	—	—	सितम्बर 82	— 9/82
8. मैः सुपर सेल्स कारपोरेशन नई दिल्ली		250 माइक्रोन मी. चौड़ा	6.7 9000 व.मी.	9.5 प्र.व.मि.	0.855 लाख	खुली निविदाओं द्वारा	मार्च 83	डिग्गी और अवाई डिस्ट्रब्यूटरी 3/83
9.	—	250 माईक्रोन की मो. व चौड़ाई 13 मी.	6971 25 व.मी.	—	0.66 लाख	—	जनवरी 83	माह जनवरी 83 में फिल्म को राजस्थान मु. नहर की बुर्जी 1315 की डिग्गी पर लाईनिंग के काम में उपयोग किया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	मै दिल्ली रबड गुड्स दिल्ली	175 माइक्रोन 8 मी. चौड़ी	3000 व.मी.	3.95 प्र. व.मी.	0.12 लाख	खुली निविदाओं द्वारा	मार्च 83	अहमदावाली डिस्ट्री. की लाइनिंग हेतु माह 3/83
11.	मै हिमालया एग्रो. प्ला. नई दिल्ली	100 माइक्रोन 7 मी. चौड़ी	7000 व.मी.	3.25 प्र. व.मी.	0.22 लाख	—	नवम्बर 82	रंजीतपुरा डिस्ट्री. की लाइनिंग हेतु माह 1/82
12.	—	175 माइक्रोन 7 मी. चौड़ी	15000व.मी.	3.25 प्र. व.मी.	0.49 लाख	—	मई 83	— माह 5-6/1983
13.	मै. आई.पी.सी. एल. ब्रादर्स	100 माइक्रोन 12 मी. 175 माइक्रोन 12. चौड़ी	65 मी. टन	22.35 प्र. कि.ग्रा.	22.35 लाख	आई.पी. सी.एल.	जनवरी 84	वाटर सप्लाई चैनल बुर्जी 1200 से 1460 हेतु माह 1/84
14.	—	100 माइक्रोन 12 मी. चौड़ी	50 मी. टन	22.35 प्र. कि.ग्रा.	11.175 लाख	—	फरवरी 84	— माह 2/84
15.	—	और 175 माइक्रोन	30 मी.टन.	21.9 प्र. कि.ग्रा.	6.705 लाख	—	मार्च 84	— प्राप्ति खण्डों से प्राप्त की माह 3/84

परिशिष्ट 4.

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

टोंक जिले के स्कूलों में अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों के रिक्त पद

618. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक):-क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) टोंक जिले में किन किन स्कूलों में कितने कितने अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों के पद कब कब से रिक्त हैं ?,

(2) इन रिक्त पदों पर अध्यापक या प्रधानाध्यापक नहीं लगाने का क्या कारण रहा और अब कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) टोंक जिले के स्कूलों में प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों के रिक्त पदों की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) चयनित अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण प्रधानाध्यापक एवं व्याख्याता (चित्रकला) के पद पर नियुक्तियाँ नहीं की जा सकीं। व्याख्याता (हिन्दी) के पद की सूचना फरवरी, 84 में ही दी गई थी। रिक्त पदों को शीघ्र ही भरने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

टोंक जिले में प्रधानाध्यापक व अध्यापकों के रिक्त पदों की सूचना

स्थान जहां प्रधानाध्यापक के पद रिक्त हैं।

क्र. सं.	नाम विद्यालय	पद कब से रिक्त है
1.	रामावि कठयाना	फरवरी 1984
2.	रामावि नगर फोर्ट	जनवरी 1984
3.	रामावि पनवाड़	जनवरी 1984

210

(शिक्षा मन्त्री)

स्थान जहाँ व्याख्याता के पद रिक्त हैं

क्र. स.	नाम विद्यालय	पद कब से रिक्त हैं
1.	उमावि दूनी (हिन्दी)	जुलाई 1983
2.	उमावि टौंक (चित्रकला)	जुलाई 1983
3.	उमावि मालपुरा (टौंक) (चित्रकला)	अक्टूबर 1983

वर्ष 1981 में एटक यूनियन द्वारा की गई हड़ताल

619 **श्री गुलाबचंद कटारिया** (उदयपुर),

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) एवं

श्री बालचंद आर्य (डग) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1981 में एटक यूनियन ने 22 दिन की हड़ताल रखी थी, उस समय फेडरेशन से सम्बन्धित कर्मचारियों ने हड़ताल पर न रहकर कार्य किया था ? यदि हां, तो अजमेर संभाग में कितने कर्मचारियों ने काम किया ?

(2) क्या अजमेर आगार के फेडरेशन से सम्बन्धित कर्मचारियों को उक्त अवधि का ड्यूरेस्ट का भुगतान करना बाकी है ? यदि हां, तो इतने लम्बे समय तक उक्त भुगतान न करने का कारण क्या रहा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 1981 में एटक यूनियन द्वारा अजमेर संभाग में कोई हड़ताल नहीं की गई।

(2) चूंकि प्रश्नान्तर्गत अवधि में हड़ताल ही नहीं हुई, अतः उसके सम्बन्ध में भुगतान देय होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

नाचना के आगे पानी के लिए पाइप लाइन बिछाने पर हुआ खर्चा

620. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) एवं

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर):—क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नाचना के आगे पानी के लिए पाइप लाइन बिछी हुई है ? यदि हां, तो इस लाइन के बिछाने पर किस किस प्रकार से कुल कितना खर्चा हुआ ?

(2) इस पाइप लाइन से कितना पानी ले जाया जा रहा है ?

उत्तर

(1) नाचना बुर्जी 1252 पर है। बुर्जी 1256 से बुर्जी 1315 तक डबल तथा बुर्जी 1315 से बुर्जी 1432 तक सिंगल पाइप लाइन डाली गई है। यह पाइप लाइन 18", 16" व 14" व्यास की है। इन पाइप लाइनों को स्टोर अथवा अन्य स्थानों से कार्य स्थल तक ले जाने का किराया तथा पाइप लाइन बिछाकर कटिंग करके वेल्डिंग द्वारा जोड़ना तथा जमीन में ट्रेन्च बनाकर उसमें दबाने का कुल व्यय 15,85,454 रु. है।

(2) इस पाइप लाइन से 8 क्यूसेक पानी आर.डी. 1315 तक तथा उसके आगे 3.5 क्यूसेक पानी ले जाया जाता है।

नागौर तहसील में काश्तकारों के अतिक्रमण के विचाराधीन मामले

621, **श्री महाराम चौधरी** (नागौर):– क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तथा टिनेन्सी एक्ट की धारा 177 के अन्तर्गत काश्तकारों को अपने रहने के मकान तथा बाड़े बनाने के लिए किसी प्रकार की छूट दी गई है ? यदि हां, तो नियमन करने के लिए कब कब राज्य सरकार द्वारा क्या आदेश या अधिसूचना जारी की गई ? कृपया ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) नागौर तहसील में उपरोक्त अतिक्रमण सम्बन्धी किस-किस गांव की कितनी-कितनी मिसलें विगत 5 साल से विचाराधीन हैं ? कृपया अतिक्रमी का नाम, रकबा, वर्ष जब से अतिक्रमण किया हुआ है, का पूर्ण ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ऐसे काश्तकार जिन्होंने राजकीय अनधिकृत भूमि या गोचर भूमि पर (चरागाह) या गैर मुमकिन भूमि या वन भूमि पर अपने रहने के मकान या बाड़े 1.7.75 से पूर्व बना लिये गये हैं, ऐसे मकान या बाडों के नियमन हेतु राज्य सरकार द्वारा आदेश सं.प. 6(17) राज./ख/71 दिनांक 3 जुलाई, 1971 एवं आदेश सं. प. 6(10) राज/4/77 दिनांक 23.4.77 जारी किये गये हैं।

(2) नागौर तहसील में उपरोक्त अतिक्रमण सम्बन्धी गत पांच वर्षों से विचाराधीन 137 पत्रावलियां हैं जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

212

आदेश

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-4) विभाग

सं. एफ 6 (10) राज/ग्रुप-4/77 जयपुर, दिनांक 23 अप्रेल, 77

—परिपत्र—

समस्त जिलाधीश,

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिवाय-चक, चरागाह, वन भूमि गैर मु. तथा आबादी भूमि पर 1.7.75 तक आवास गृह या बाड़े बनाकर किये गये सभी अतिक्रमणों का नियमन उन्हीं निबन्धनों, शर्तों और निबन्धनों पर किया जाय जो 18.2.55 से 31.12.70 तक किये गये अतिक्रमणों के नियमन पर लागू होते हैं और जो इस विभाग के परिपत्र संख्या प6(17)राज/ख/71 दिनांक 3.7.71 में उल्लिखित हैं।

हस्ताक्षर :
एस. एल जोशी
विशिष्ट शासन सचिव।

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-ख) विभाग

प्रेषित :—

गणपतराय,
उप राजस्व सचिव।

प्रेषिति :—

समस्त जिलाधीश,
(अधीनस्थ उप जिलाधीशों एवं तहसीलदारों के लिए अतिरिक्त प्रतियां सहित)

सं.प.6(17)राज/ख/71 जयपुर, दिनांक 3 जुलाई, 1971

विषय :—सरकारी भूमियों पर अनधिकृत रूप से बनाये गये मकान व बाड़ों के नियमन के सम्बन्ध में।

कई जगह विभिन्न कारणों से बहुत से आसामियों, कृषि श्रमिकों, गाँव के कारीगरों तथा अन्य व्यक्तियों ने अपने रहने के मकान तथा बाड़े या तो सरकारी अनधिकृत भूमि पर या गोचर भूमि पर (चरागाह) या गैर मुमकिन भूमि या वन भूमि पर बना लिये हैं। ऐसे समस्त व्यक्तियों ने वर्तमान विधि के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और वे यथार्थ में बेदखल किये जाने तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15, सन 1956) की धारा 92 (कुछ मामलों में टिनेन्सी एक्ट की धारा 177 के साथ पठित) या उक्त एक्ट की धारा 90 के अन्तर्गत शास्ती के भागी हैं। तथापि सरकार महसूस करती है कि यदि विधि को कठोरता से लागू किया जाये और ऐसे व्यक्तियों को बेदखल किया जाये तो उन लोगों के साथ सख्ती होगी और बहुत से व्यक्ति बेघरबार हो जावेंगे। सरकार ऐसी सामाजिक समस्या उत्पन्न करना नहीं चाहती।

2. अतः इन सब बातों पर विचार करते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे सभी व्यक्तियों, जिन्होंने राजकीय सिवायचक भूमि पर, चरागाह (गोचर) या वन भूमि एवं गैर मुमकिन भूमि या आबादी भूमि पर 18 फरवरी, 1955 तक रहने का मकान या बाड़ा बना लिया है, के मामले निःशुल्क नियमन किये जाकर उनको मालिकाना हक दे दिये जायें बशर्ते कि सरकारी अनधिकृत कृषि भूमि गोचर भूमि, गैर मु. भूमि चरागाह एवं वन भूमि जिसका स्वयं के उपयोग के लिये रहने हेतु मकान निर्माण द्वारा या बाड़ा बनाकर अवैध रूप से रूपान्तरण (Conversion) या अतिक्रमण किया गया हो वह निम्नलिखित सीमाओं के भीतर स्थित न हो—

(1) ऐसे नगरों की जिनकी आबादी 5 लाख या इससे अधिक है, उनकी नगर पालिका सीमा से 3 मील की परिधि के अन्दर,

(2) ऐसे नगरों की, जिनकी आबादी 2 लाख या इससे अधिक है परन्तु 5 लाख से कम है, उनकी नगर पालिका की सीमा से 2 मील की परिधि के अन्दर,

(3) ऐसे नगरों की जिनकी आबादी 1 लाख या इससे अधिक परन्तु 2 लाख से कम है, उनकी नगर पालिका की सीमा से 1 मील की परिधि के अन्दर,

(4) अन्य नगरों की नगर पालिका की सीमा के भीतर.

(5) रेल्वे सीमा (फेंसिंग) के एक सौ गज के भीतर,

(6) राष्ट्रीय मार्ग या

मेटल्ड या ग्रेवल्ड रोड के मध्य से पचास गज के भीतर।

3. यदि किसी आसामी, कृषि श्रमिक या गांव के कारीगर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों, जिन्होंने 18 फरवरी, 1955 के उपरान्त परन्तु 31 दिसम्बर, 1970 से पूर्व सरकारी कृषि भूमि, गोचर भूमि गैर मु. भूमि तथा वन भूमि पर स्वयं के उपयोग के लिए रहने हेतु मकान का निर्माण या बाड़ा बनाकर भूमि का रूपांतरण या अतिक्रमण किया हो तो उनके मामले भी निःशुल्क नियमन किये जा कर उनको मालिकाना हक दे दिया जाये बशर्ते कि इस तरह बनाये गये मकान एवं बाड़ा का क्षेत्रफल 500 गज से अधिक न हो एवं वह पैरा 2 में वर्णित सीमाओं के अन्दर स्थित न हो। 500 वर्ग गज से अधिक क्षेत्र में मकान या बाड़ा बनाया गया हो तो 1000 वर्ग गज तक के क्षेत्रफल के लिए ऐसे व्यक्तियों से 25 पैसे प्रति वर्ग गज शुल्क लिया जाकर मामले नियमन किये जाकर मालिकाना हक दे दिये जायें।

4. ऊपर वर्णित पैरा 2 के अतिरिक्त व्यक्तियों के मामले भी यदि उन्होंने भी इसी प्रकार अनधिकृत कृषि भूमि, गोचर भूमि, गैर मु. भूमि या वन भूमि पर 18 फरवरी, 1955 के उपरान्त परन्तु 31.12.70 से पूर्व मकान या बाड़ा बनाकर रूपान्तरण या अतिक्रमण कर लिया हो तो उनसे भी 25 पैसे प्रति वर्ग गज प्रीमियम लिया जाकर 1000 वर्ग गज के क्षेत्र तक मामलों का नियमन किया जाकर मालिकाना हक दे दिया जाये बशर्ते कि भूमि पैरा 2 में वर्णित सीमाओं के अन्दर स्थित न हो।

5. उक्त वर्णित सभी मामलों में तहसीलदारों द्वारा 5 रु. के लिये जाकर सनद जारी की जायेगी।

6. इस परिपत्र की समस्त बातों से आप तुरन्त अपने अधीनस्थ परगना अधिकारियों, तहसीलदारों, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों को और उनके जरिये इन हिदायतों द्वारा प्रभावित सभी व्यक्तियों को अवगत करा दें। उक्त समस्त व्यक्तियों को निर्देश दे दिये जायें कि वे दिनांक 31.12.71 तक इस परिपत्र के संलग्न प्रपत्र में अपना आवेदन पत्र नियमन हेतु सम्बन्धित तहसीलदार को प्रस्तुत कर दें। परन्तु यह भी सभी राजस्व अधिकारीगण, मुख्यतः तहसीलदारों को स्पष्टतया अवगत करा दिया जाये कि इस परिपत्र के अनुसार कार्यवाही आवेदन पत्रों के इन्तजार में न रुकी रहे। सभी तहसीलदार अपने अपने क्षेत्र में स्वयं कार्यवाही आरम्भ कर दें व पटवारियों को हिदायत करें

कि वे अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर ऐसे सारे मामलों की तीन माह की अवधि के अन्दर तहसीलदार को रिपोर्ट कर दें। तदुपरान्त तहसीलदार ऐसे मामलों को शीघ्र से शीघ्र निपटा दें।

7. निर्धारित शुल्क या प्रीमियम की वसूली हो जाने पर नियमन हेतु आदेश को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात् इस परिपत्र के संलग्न प्रपत्र में सनद तहसील द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को जारी कर दी जाये।

8. ऐसे अतिक्रमणों के सम्बन्ध में जो कि ऊपर वर्णित निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हों या इस परिपत्र के अन्तर्गत नहीं आते हों तो विद्यमान विधि के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी चाहिये और अधिक क्षेत्र से बेदखल किये जाने हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी चाहिये।

9. ऐसे समस्त मामले जिन पर यह परिपत्र लागू होता है, दिनांक 30.6.72 तक अन्तिम रूप से निपटा दिये जाने चाहिये तथा इस बीच में माहवारी प्रगति रिपोर्ट राजस्व मण्डल को प्रस्तुत की जानी चाहिये। प्रथम प्रगति रिपोर्ट 10.8 71 तक तथा इसके पश्चात् हरत् माह की 10 तारीख तक राजस्व मण्डल को भेजी जानी चाहिये। राजस्व मण्डल हर महीने की 20 तारीख तक एकत्रित रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

हस्ताक्षर
(गणपत राय)
उप शासन सचिव, राजस्व

सूची

मकान व बाड़े सम्बन्धी सूचना पांच साल से बकाया (विचाराधीन) मिसलों की सूची

तहसील नागौर धारा 91 आर. एल. आर. एक्ट

क्र. सं.	नाम अतिक्रमी मय वल्दियत	नाम ग्राम	ख. नं.	रकबा	वर्ष जिस साल से अतिक्रमण किया
1.	श्री पंचीराम/राजाराम बिणजारा	ताऊसर	307	1·05	1980
2.	,, राणाराम/सुरताराम	,,	,,	307	1·05	,,

1	2	3	4	5	6
3.	श्री पाबूराम/रामाराम बिणजारा	ताऊसर	307	1·05	1980
4.	,, धनाराम/राणाराम ,,	,,	307	1·05	,,
5.	,, हरचंद/भंगा माली	,,	450	0·05	,,
6.	,, जमरीलाल/कालूराम ,,	,,	201	0·05	1979
7.	,, कानाराम/पूसाराम ,,	,,	133	0·05	,,
8.	,, गोमानराम/जोजाराम हरीजन	,,	651	0·05	1978
9.	,, बालूराम/श्रीनाथ	,,	133	0·05	1979
10.	,, सम्पतलाल/रामचन्द्र माली	,,	1630	0·05	,,
11.	,, कानाराम/मूलाराम गुरजर	,,	133	0·05	,,
12.	,, राजाराम/हंसराज	,,	332	0·09	,,
13.	,, हरीराम/रावताराम भाबी	,,	1441	0·05	1977
14.	,, रावताराम/बद्रीराम ,,	,	1416	0·05	,,
15.	,, मानाराम, तिलोकराम, तुलसाराम/घासी जाट	सिरासणी	254	1·10	1980
16.	,, पेमा/उरजा	,,	268	1·14	,,
17.	,, अमरा/लाल	साटिया	254	0·10	,,
18.	,, भेरूराम/शिवबक्ष	हरिया	697	1·10	1979
19.	,, आइदान/गनेशदान	जोरडा	85	1·10	,,
20.	,, बद्रीदान/तेजदान	,,	85	1·01	,,
21.	,, राडनाथ/रामनाथ	सिरासणी	380	1·00	1977
22.	,, मूधा/रूपा भाबी	बोसड़ा	60	1·10	,,
23.	,, जेरूप/जीवन जाट	साडोवण	667	1·10	1970
24.	,, विश्णाराम/भाबूराम नायक	जाजोलाई	66	1·05	,,
24.	,, ज्ञानचन्द/जगराम माली	मुढवा	1616	1·10	1980
26.	,, जगराम/चूनाराम	,,	1616	1·10	,,
27.	,, गबुलाल/विहारीलाल	,,	950	1·05	,,
28.	,, नगराम/भभूतराम	सिगाणी	155	1·05	,,

1	2	3	4		5
29.	श्री ईदूखां/सुल्तानखां	जूझएडा	68	1·09	1980
30.	,, मंगलाराम/रावतराम जाट	नागौर	31	1·10	1978
31.	,, सरपुदीन/अलादीन	,,	536	0·15	,,
32.	,, निवास/जूमर नाई	,,	553	2211 वर्गफुट	1980
33.	,, बद्री सिन्धी रेल्वे स्टेशन	,,	349	1·00	,,
34.	,, लाल/अब्दुल कसाई	,,	553	5612 वर्गफुट	1978
35.	,, रामनिवास/झूमर नाई	,,	553	1500 वर्गगज	1978
36.	,, रमजानखां/अनूखां	,,	527	1·10	1977
37.	,, आसील/मोहमद बक्ष	,,	536	1850 वर्गगज	1978
38.	,, सतार/अब्दुल रहमान	,,		1496 वर्गफुट	,,
39.	,, हैदरखां/समनखां	,,	536	3850 वर्गफुट	,,
40.	,, सन्तोषचन्द नाहटा	,,	553	2070 वर्गफुट	,,
41.	,, अमरचन्द/लालचन्द	,,	361	120 वर्गफुट	,,
42.	,, आसु/रामचन्द सुथार	,,	538	1·00	,,
43.	,, उमेदखां/लादूखां	,,	536	950 वर्गफुट	,,
44.	,, अस्तअलीखां/नूरखां	,,	536	950 वर्गफुट	,,
45.	,, रामप्रसाद/गिरधारी जाट	,,	549	0·10	1979

(218)

1	2	3	4	5	6
46.	श्री रामकिशोर/भगवानाराम	नागौर	549	0·10	1979
47.	,, सुवा/छोगा ढाढी	,,	545	0·01	1978
48.	,, लिखमा/श्रीराम कुम्हार	,,	,,	0·10	,,
49.	,, जोगाराम/हजारी बेलदार	,,	,,	0·05	1979
50.	,, धन्ना/गायड ढाढी	,,	,,	0·05	1978
51.	,, तिलोक/लिखमा	,,	,,	0·15	,,
52.	,, नरपतसिंह/रामकिशन	,,	,,	0·15	,,
53.	,, छगना/कुंभा माली	,,	,,	0 02	,,
54.	,, चेना/कालू नायक	,,	,,	0·07	,,
55,	,, श्रीराम/बिजा ढाढी	,,	,,	0 01	,,
56.	,, काजीग्रतक मोहम्मद	दिल्ली दरवाजा	584	286 फीट	,,
57.	,, जंवरीलाल/कन्हैयालाल	,,	,,	1944 फीट	,,
58.	,, रामगोशाला	,,	,,	6771 फीट	,,
59.	,, इमामुदीन व्यवस्था दरगाह कमेटी	,,	,,	0·10	1976
60.	,, रामनारायण/किशना	,,	550	0·05	,,
61.	,, एमजी चेनारवाला	,,	559	0·01	1976
62.	,, अमरा/धन्ना	तोसीणा	542	0·02	1978
63.	,, पिराग/श्रीकिशन	नागौर	559/1	0 05	1976
64.	,, शंकरलाल/माली बाटा कम्पनी		,,	,,	,,
65.	,, देवकरण दिल्ली दरवाजा	,,	,,	220 वर्गफुट	1980
66.	,, हीरा/सादा जाट	,,	,,	1220 वर्गफुट	,,

1	2	3	4		5
67.	श्री मदनसिंह मिस्त्री दिल्ली दरवाजा	नागौर	569/1	220 वर्गफुट	1980
68.	,, रतन/पूना भाबी	,,	505	0·02	1978
69.	,, रूपा खाती	नागौर	,,	0·10	1979
70.	,, रामबक्स/प्रासा	चेनार	546	0·05	1978
71.	,, पुसा/मूगा सुनार	,,	,,	,,	,,
72.	,, सुगना/अन्ना	,,	,,	,,	,,
73.	,, अमरा/सुन्ना	,,	,,	0·07	,,
74.	,, रामचन्द्र/छोगा	,,	542	0·03	,,
75.	,, धुला/चन्द्रा रेगर	,,	,,	0·02	,,
76.	,, तिलोक/मूला रेगर	,,	,,	00·1	,,
77.	,, गोविन्दराम/गंगाराम सुनार	,,	,,	0·10	,,
78.	,, केशा/गीदा रेगर	,,	,,	0·05	,,
79.	,, रामदेव/मोडारामकुमार	,,	,,	,,	,,
80.	,, लूणादामा घीसा कुम्हार	,,	,,	,,	,,
81.	,, रामजीवण/घीसा	,,	,,	0·16	,,
82.	,, रेवत/दुर्गा रेगर	,,	,,	0·01	,,
83.	,, रामचन्द्र/कासी कुम्हार	,,	,,	0·05	,,
84.	,, रामपालकुमार सा. रूपहाल	,,	,,	0·02	,,
85.	,, रमजान/ईदू छीपा	नागौर	574	130 फीट	,,
86.	,, हमीद/चांद तेली दिल्ली दरवाजा	,,	,,	6847 फीट	,,
87.	,, सायरी पुत्री प्रताप सांसी	,,	,,	4420	,,
88.	,, तुलसीराम/दीपा माली	,,	,,	65 फीट	,,
89.	,, इसमाइल लवार दिल्ली दरवाजा	,,	,,	0·01	1976

(220)

1	2	3	4		5
90.	श्री घोकलदान/रिडमलचरण	नागौर	34	0·10	1978
91.	,, तारूखां कायमखानी	मेमदपुरा	445	0·05	,,
92.	,, छोगा/दोला जाट	नागौर	337	0·10	,,
93.	,, जोमदीखां/जबरूखां	,,	536	850	,,
94.	,, छोटूमल/शेकरला ब्राह्मण	,,	34	0·02	,,
95.	,, नेना/नेता गूजर	,,	233	0·10	1977
96.	,, भूमरराम/मानाराम जाट	सोनेली	572	9800	1978
97.	,, कालूखां/इस्माइलखां	नागौर	389/1	0.05	,,
98.	,, गोरधन/शिवलाल ब्राहमण	,,	590	,,	,,
99.	,, ग्रासु/काना माली नया दरवाजा	,,	34	,,	,,
100.	,, ग्रोमप्रकाश दिल्ली दरवाजा	,,	559/1	0·01	1976
101.	,, ग्रादबग्रली/तमीनग्रली	,,		0·05	1978
102.	,, बल्लभ/भीयाराम माली	चेनार	553	300 फुट	,,
103.	,, देवविशन/गोगाला	नागौर	533	817 फुट	,,
104.	,, सत्यनारायण भटड़ साद माही दरवाजा		233	0·05	,,
105.	,, रूपा/ऊंकार गूजर	स्टेशन नागौर	233	0·13	,,
106.	,, नेना/तेजा गूजर	,,	233	0·10	,,
107.	,, रांजमल/पन्नालाल जैन	,,	233	0·10	,,
108.	,, रामलाल/घासीलाल वि. हरीलापोलास		279	1·00	,,
109.	,, मंगला/गनेश जाट	,,	337	0·10	,,
110.	,, छोगाराम/दोलाराम जाट	नागौर	327	0·10	,,
111.	,, रामस्वरूप/प्रभु	,,	247	0·10	1979
112.	,, वलीया/गायड़ ढाढी	,,	545	0·01	1978
113.	,, देदाराम/उमाराम जाट	,,	547	0·10	,,

1	2	3		4	5	6	7
114.	श्री	घारूराम/दीपाराम	नागौर	547	0·10		1976
115.	,,	भंवरलाल/श्रीकिशन माली	,,	445	0·10		1978
116.	,,	निम्बाराम/शिवदान रेगर	चेनार	559/1	0·05		1977
117.	,,	नबूखां/समसूदीन कसाई	नागौर	536	1100		1978
118.	,,	देवराज महाजन दिल्ली दरवाजा	,,	554/1	0·01		1976
119.	,,	रामकरण/गनेश	,,	337	0·10		1980
120.	,,	घन्नाराम/इन्द्रचन्द	,,	247	0·10		,,
121.	,,	अर्जुनराम/रावतराम	,,	31	0·10		,,
122.	,,	फकीरा/रमजान तेली	,,		15406		1978
123.	,,	हनुमान टूल्स	,,	274	8800		,,
124.	,,	रामदयाल/धूलचन्द ब्राह्मण	,,	547	0·15		1979
125.	,,	रामलाल/दीपा माली	बसी	590	0·05		1978
126.	,,	रामेश्वर/सदासुख	नागौर	337	0·10		1978
127.	,,	याकूबखां/ममदुखां	,,	279/1	0·05		,,
128.	,,	तिलोक/गिरधारी	टाकेला	803	1·00		1979
129.	,,	डूंगरराम/स्वरूपराम	,,	803	0·05		,,
130.	,,	परसाराम/गिरधारी	,,	801	1·04		,,
131.	,,	धूला/भेरा भाबी	खारला	314	0·08		1977
132.	,,	छोटु/हनूता भाबी	,,	314	0·05		,,
133.	,,	गंगाविशन/पद्यमा	सिणोद	707/1132	0·07		1966
134.	,,	मंगला/गिरधारी	सिलगांव	867	0·05		1977
135.	,,	सरवत/उम्मदान	,,	728	0·05		,,
136.	,,	दयालराम, चिनाराम/ पि मगनाराम	,,	728	0·05		,,
137.	,,	मलाराम/गोपाराम	गोवाबड़ी	61	0·15		1977

सीकर जिले में विद्युत् सम्बन्ध के विचाराधीन मामले

622. **श्री उम्मेद सिंह** (डीडवाना : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सीकर सब डिवीजन के गांवों में जल स्तर 250 फीट गहरा है ?

(2) क्या सरकार इन गांवों में बिजली की कमी को देखते हुए अविलम्ब ग्राम खूड में 132 के. वी. का सब-स्टेशन कायम करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

(3) सीकर जिले में किस-किस सब डिवीजन में बिजली के कनेक्शन हेतु आवेदन-पत्र विचाराधीन पड़े हैं तथा इनको कनेक्शन कब तक दिये जावेंगे ?

(4) क्या कुओं के बिजलो के कनेक्शनों में फौजियों व भूतपूर्व फौजियों को विशेष आवंटन का प्रावधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अविलंब वर्तमान व भूतपूर्व फौजियों को बिजली के कनेक्शन देने के निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) गांवों के कुओं के जल स्तर की सूचना विद्युत मण्डल द्वारा नहीं रखी जाती।

(2) जी नहीं। वर्तमान विद्युत भार को देखते हुए विद्यमान सब-स्टेशन पर्याप्त है।

(3) सीकर जिले में विभिन्न उपखण्डों में कृषि कनेक्शन लेने हेतु विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों का उपखण्डवार माह फरवरी, 1984 तक का ब्योरा देते हुये परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर दिया गया है। विद्युत मण्डल-कृषि उपयोग हेतु कनेक्शन देने के जिलेवार लक्ष्य निर्धारित करता है जिसके अनुसार कनेक्शन दिये जाते हैं। अतः सभी आवेदकों को कब तक कनेक्शन दे दिये जायेंगे इसके बारे में निश्चित रूप से अभी कुछ कहना संभव नहीं है।

(4) जी हां। फौजियों व भूतपूर्व फौजियों को विद्युत कनेक्शन देने में प्राथमिकता दी जाती है, किन्तु वित्तीय साधनों की उपलब्धतानुसार कृषि कनेक्शन देने हेतु लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं एवं उन्हीं के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन दिये जाते हैं।

परिशिष्ट "अ"

सीकर जिले में कृषि कनेक्शन लेने हेतु दिनांक 29.2.84 तक विचाराधीन प्रार्थना पत्रों का उपखंडवार विवरण

उपखण्ड का नाम	विचाराधीन प्रार्थना पत्रों की संख्या
1. सीकर (परि. एवं संधा.)	6
2. सीकर (ग्रामीण)	529
3. पिपराली (ग्राविनि.)	777
4. लक्ष्मणगढ़ (परि. एवं संधा.)	232
5. फतेहपुर (परि. एवं संधा)	52
6. रींगस (परि. एवं संधा.)	877
7. श्री माधोपुर (परि. एवं संधा.)	388
8. रींगस (ग्रावि.)	847
9. दांता (ग्रावि.)	1322
10. नीमकाथाना (परि. एवं संधा.)	240
11. नीम का थाना (ग्रा.)	312
12. टोड़ा (ग्रावि)	390
13. धोद (डीडीएस)	483
14. लक्ष्मणगढ़ (डीडीएस)	465
15. फतेहपुर (डीडीएस)	279

मेहन्दीपुर बालाजी के मन्दिर की आय-व्यय

623. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय), **श्री रंगजी मीणा** (सपोटरा) एवं **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या देवस्थान राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मेहन्दीपुर बालाजी के मन्दिर की आय-व्यय 1 अप्रैल, 1980 से अब तक क्या-क्या रही है? कृपया माहवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ट्रस्ट द्वारा दिए गए आय-व्यय के आंकड़ों की विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जांच की गई है? यदि हां, तो कब-कब तथा किस-किस अधिकारी द्वारा? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति क्या-क्या कहां-कहां तथा कितने-कितने मूल्यों की हैं? कृपया सूचना सदन की मेज पर रखें।

(4) इस मन्दिर में प्रतिदिन कितनी सवामणियां चढ़ती हैं? क्या यह सही है कि त्यौहारों के वक्त मात्र एक सवामणी चढ़ाई जाती है जबकि बाहर से आने वाले भक्तों से 1100/- रु. से 1500/- रु. प्रति यात्री प्रतिदिन औसत 100 सवामणियों की फीस ले ली जाती है? यदि हां, तो इस पैसे का उपयोग किस प्रकार किया जाता है?

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रन्यास के आय व्यय के आंकड़ों की जांच चार्टेड अकाउन्टेन्ट करते हैं। देवस्थान विभाग के अधिकारियों ने प्रन्यास श्री मेहन्दीपुर बालाजी का समय-समय पर निरीक्षण किया है। विवरण संलग्न है।

(3) ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति घाटा मेहन्दीपुर बालाजी में स्थिति है जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) प्रतिदिन सवामणी चढ़ाने की संख्या निश्चित नहीं है। यह भक्तों पर निर्भर है। प्रन्यास में सवामणी की फीस प्राप्त नहीं होती है।

सूचना

माह अप्रेल से मासिक गोस्वारा वर्ष 1980–81
माह अप्रेल 1980 से माह मार्च 1981 तक

माह अप्रेल 1980	
2043)02 श्री रोकड़ बाकी गत वर्ष की	1946)58 खर्चा
2086)89 आमदनी	2183)31 बाकी
4129)89	4129)89
माह मई 1980	
2183)31 श्री रोकड़ बाकी	762)68 खर्चा
1938)87 आमदनी	3359)50 बाकी
4122)18	4122)18
माह जून 1980	
3359)50 श्री रोकड़ बाकी	2093)20 खर्चा
1536)43 आमदनी	2802)73 बाकी
4895)93	4895)93
माह जुलाई 1980	
2803)73 श्री रोकड़ बाकी	983)65 खर्चा
1504)59 आमदनी	3323) 67 बाकी
4307)32	4307)33
माह अगस्त 1980	
3323)67 श्री रोकड़ बाकी	3342)20 खर्चा
2219)81 आमदनी	2201)28 बाकी
5543)48	5543)48

२२६

माह सितम्बर 1980

2201)28 श्री रोकड़ बाकी	976)65 खर्चा
1569)84 आमदनी	2735)46 बाकी
3772)12	3772)12

माह 3 अक्टूबर 1980

2795)47 श्री रोकड़ बाकी	2940)82 खर्चा
3271)67 आमदनी	3126)32 बाकी
6067)14	6067)14

माह नवम्बर 1980

3126)32 श्री रोकड़ बाकी	3079)80 खर्चा
2734)63 आमदनी	2781)15 बाकी
5860)95	5860)95

माह दिसम्बर 1980

2781)15 श्री रोकड़ बाकी	1914)56 खर्चा
1911)06 आमदनी	3777)65 बाकी
4692)21	4692)21

माह जनवरी 1981

3777)65 श्री रोकड़ बाकी	2675)73 खर्चा
1340)29 आमदनी	2542)21 बाकी
5217)94	5217)94

माह फरवरी 1981

2542)21 श्री रोकड़ बाकी	1725)21 खर्चा
1578)79 आमदनी	2395)79 बाकी
4121)00	4121)00

माह मार्च 1981	
2395 79 श्री रोकड़ बाकी	4417)93 खर्चा
5157)29 आमदनी	3135)15 बाकी
7553)08	7553)08

माह अप्रेल से मासिक गोस्वारा वर्ष 1981–82
माह अप्रेल 1981 से मार्च 1982 तक

माह अप्रेल 1981	
3135)12 श्री रोकड़ बाकी गत वर्ष	4395)33 खर्चा
3509)42 आमदनी	2149)21 बाकी
6544)54	6544)54
माह मई 1981	
2149)21 श्री रोकड़ बाकी	1396)44 खर्चा
3415)70 आमदनी	4168)47 बाकी
5564)91	5564)91
माह जून 1981	
4168)47 श्री रोकड़ बाकी	4457)80 खर्चा
2758)26 आमदनी	2468)93 बाकी
6926)73	6926)73
माह जौलाई 1981	
2468)93 श्री रोकड़ बाकी	951)30 खर्चा
2772)37 आमदनी	4329)00 बाकी
5270)30	5270)30

२२८

माह अगस्त 1981	
4329)00 श्री रोकड़ बाकी	1418)78 खर्चा
2231)83 आमदनी	5142)05 बाकी
6560)83	6560)83
माह सितम्बर 1981	
5142)05 श्री रोकड़ बाकी	3253)48 खर्चा
2566)40 आमदनी	4454)97 बाकी
7708)45	7708)45
माह अक्टूबर 1981	
4454)97 श्री रोकड़ बाकी	3649)98 खर्चा
5866)65 आमदनी	6671)79 बाकी
10321)62	10321)62
माह नवम्बर 1981	
6671)79 श्री रोकड़ बाकी	3632)24 खर्चा
3960)70 आमदनी	7000)25 बाकी
10632)49	10632)49
माह दिसम्बर 1981	
7000)25 श्री रोकड़ बाकी	1406)90 खर्चा
460)97 आमदनी	7054)07 बाकी
8460)97	8460)97
माह जनवरी 1982	
7054)07 श्री रोकड़ बाकी	439)46 खर्चा
1555)63 आमदनी	8170)24 बाकी
8609)70	8609)70

माह फरवरी 1982	
8170)24 श्री रोकड़ बाकी	2813)97 खर्चा
1130)95 आमदनी	6487)22 बाकी
9201)19	9201)19

माह मार्च 1982	
6487)22 श्री रोकड़ बाकी	17277)75 खर्चा
12617)30 आमदनी	1827)77 बाकी
19104)52	19104)52

माह अप्रैल से मासिक गोस्वारा वर्ष 1982–83
माह अप्रैल 1982 से माह मार्च 1983 तक

माह अप्रैल 1982	
1827)77 श्री रोकड़ बाकी	6728)73 खर्चा
7232)45 आमदनी	2331)49 बाकी
9060)22	9060)22

माह मई 1982	
2331)49 श्री रोकड़ बाकी	6603)71 खर्चा
6052)75 आमदनी	1780)53 बाकी
8384)24	8384)24

माह जून 1982	
1780)53 श्री रोकड़ बाकी	1809)80 खर्चा
2788)70 आमदनी	3759)43 बाकी
4569)23	4569)23

230

माह जौलाई 1982

3759)43 श्री रोकड़ बाकी	3946)94 खर्चा
2586)05 आमदनी	2398)54 बाकी
6345)48	6345)48

माह अगस्त 1982

2398)54 श्री रोकड़ बाकी	3139)65 खर्चा
3506)55 आमदनी	2765)44 बाकी
5905)09	5905)09

माह सितम्बर 1982

2765)44 श्री रोकड़ बाकी	3290)66 खर्चा
1932)58 आमदनी	1407)36 बाकी
4698)02	4698)02

माह अक्टूबर 1982

1407)36 श्री रोकड़ बाकी	3027)18 खर्चा
3260)06 आमदनी	1640)24 बाकी
4667)42	4667)42

माह नवम्बर 1982

1640)24 श्री रोकड़ बाकी	2581)41 खर्चा
1451)10 आमदनी	874)01 बाकी
3455)42	3455)42

माह दिसम्बर 1982

874)01 श्री रोकड़ बाकी	538)20 खर्चा
1451)10 आमदनी	1786)91 बाकी
2325)11	2325)11

माह जनवरी 1983

1786)91 श्री रोकड़ बाकी	4326)99 खर्चा
2894)55 आमदनी	353)47 बाकी
4681)46	4681)46

माह फरवरी 1983

353)57 श्री रोकड़ बाकी	429)77 खर्चा
1452)20 आमदनी	1375)90 बाकी
1805)67	1805)67

माह मार्च 1983

1375)90 श्री रोकड़ बाकी	7287)86 खर्चा
8063)51 आमदनी	2150)55 बाकी
9438)41	9438)41

माह अप्रैल से मासिक गोस्वारा वर्ष 1983-84
माह अप्रैल 1983 से माह मार्च 1984

माह अप्रैल 1983

2150)55 श्री रोकड़ बाकी	5888)90 खर्चा
4615)24 आमदनी	876)89 बाकी
6765)79	6765)79

माह मई 1983

876)89 श्री रोकड़ बाकी	1930)91 खर्चा
2350)85 आमदनी	1296)83 बाकी
3227)74	3227)74

माह जून 1983

1296)83 श्री रोकड़ बाकी	3061)40 खर्चा
2242)22 आमदनी	477)65 बाकी
3539)05	3539)05

माह जौलाई 1983

477)65 श्री रोकड़ बाकी	2013)92 खर्चा
1822)24 आमदनी	285)97 बाकी
2299)89	2299)89

माह अगस्त 1983

285)97 श्री रोकड़ बाकी	2185)22 खर्चा
3630)43 आमदनी	1731)18 बाकी
3916)40	3916)40

माह सितम्बर 1983

1731)18 श्री रोकड़ बाकी	1327)17 खर्चा
2095)60 आमदनी	2499)61 बाकी
3826)78	3826)78

माह अक्टूबर 1983

2499)61 श्री रोकड़ बाकी	1934)69 खर्चा
4178)87 आमदनी	2744)79 बाकी
6678)48	6678)48

माह नवम्बर 1983

4742)79 श्री रोकड़ बाकी	3235)73 खर्चा
2461)85 आमदनी	3970)91 बाकी
7206)64	7206)64

माह दिसम्बर 1983

3970)91 श्री रोकड़ बाकी	3286)55 खर्चा
2939)93 आमदनी	3624)29 बाकी
6910)84	6910)84

माह जनवरी 1984

3624)29 श्री रोकड़ बाकी	3142)55 खर्चा
1709)06 आमदनी	1190)80 बाकी
4333)35	4333)35

माह फरवरी 1984

1190)80 श्री रोकड़ बाकी	422)10 खर्चा
1496)20 आमदनी	2264)90 बाकी
2687)00	2687)00

माह मार्च 1984

2264)90 श्री रोकड़ बाकी	525)00 खर्चा
4578)15 आमदनी	6318)05 बाकी
6843)05	6843)05

विवरण

देवस्थान विभाग के अधिकारियों द्वारा राजस्थान सार्वजन प्रन्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रन्यास मन्दिर श्री मेहन्दीपुर बालाजी का निरीक्षण किया गया :–

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	निरीक्षण का दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री हरनारायण सिंह राजपुरोहित	सहायक आयुक्त देवस्थान, जयपुर	2-4-1975

1	2	3	4
2.	श्री गणेश शंकर द्विवेदी	आयुक्त, देवस्थान राजस्थान, उदयपुर	9-5-1975
3.	श्री जसवन्तसिंह	निरीक्षक देवस्थान जयपुर	10-8-1974
4.	श्री विष्णुदत्त शर्मा	"	19-9-1977
5.	श्री रामेश्वरप्रसाद शर्मा	सहायक आयुक्त देवस्थान, जयपुर	1 व 2-10-1979
6.	श्री आत्माराम कुदाल	"	15-10-1983

सूची

प्रन्यास मन्दिर श्री मेहन्दीपुर बालाजी की चल एवं अचल सम्पदा की सूची

क्र.सं.	सम्पत्ति का नाम	सम्पत्ति जहां स्थित है	अनुमानित मूल्य
		अचल सम्पदा	
1.	मन्दिर बिल्डिग	घाटा मेहन्दीपुर बालाजी	80,000·00
2.	मन्दिर के साथ वाला मकान	"	30,000·00
3.	धर्मशाला समाधि	"	20,000·00
4.	बिल्डिंग पावर हाउस	"	30,000·00
		योग	1,60,000·00
		चल सम्पदा	
1.	नकद (बैंक में)	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर खण्ड जयपुर	6,638·50
2.	फर्नीचर व अन्य सामान (दैनिक उपयोग का सामान)	शाखा मेहन्दीपुर बालाजी, मेहन्दीपुर बालाजी	20,658·25
3.	मशीनरी		34,980·00
4.	बहु मूल्य आभूषण		96,390·50
		योग	1,58,867·25

(235)

राजीव गांधी की राजस्थान नहर की यात्रा के रंगीन फोटो के एलबम व वीडियो कैसेट पर खर्च

624. श्री समर्थलाल (राजगढ़) एवं

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) श्री राजीव गांधी की राजस्थान नहर की यात्रा के समय रंगीन फोटो के कितने एलबम तैयार किए गए और प्रति एलबम कितना-कितना खर्चा आया ? यह एलबम किस-किस को भेंट किये गये ?

(2) क्या यह सही है कि श्री राजीव गांधी की यात्रा के समारोह के अवसर पर वीडियो कैसेट्स तैयार करवाये गए ? यदि हां, तो उन पर कितना खर्चा हुआ और ये वीडियो कैसेट किस-किस को भेंट किये गए ?

उत्तर

(1) कुल पांच (5) एलबम तैयार किये गये। प्रति एलबम 1670/– रु. खर्चा हुआ। ये एलबम विभाग के पास है।

(2) हां, यह सही है। एक वीडियो कैसेट बनवाया गया जिस पर कुल खर्चा 4200/– रु. आया। वीडियो कैसेट विभाग के पास हैं। इस वीडियो कैसेट की 6 प्रतियां भी बनवाई गई जिस पर 2500-/ रु. के बिल का चुकाया और करना है।

बीकानेर तहसील के ग्राम जयमलसर में एक ही व्यक्ति को हजारों बीघा भूमि का आवंटन

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा) एवं

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि "प्रशासन गांवों की ओर" अभियान के अन्तर्गत बीकानेर तहसील के ग्राम जयमलसर में एक ही व्यक्ति द्वारा बेनामी हजारों बीघा भूमि आवंटन करा लिये जाने के संबंध में दिनांक 17-12-1982 को ग्रामवासियों व सरपंच से शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उस शिकायत पर आज तक क्या कार्यवाही हुई ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त बेनामी आवंटन को खारिज करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) प्रशासन गांवों की ओर अभियान में ग्राम जयमलसर तहसील बीकानेर के सरपंच व ग्रामवासियों द्वारा दिनांक 1-2-83 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसके अनुसार बेनामी आवंटन प्राप्त करने वाले 31 व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। इस प्रकरण में जांच प्रारम्भ कर दी गई।

(2) जांच पूरी होने पर यदि कोई अनियमितता पायी जावेगी तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

236

शिक्षा विभाग में हैण्डीक्राफ्ट के पद

626. **श्री कमलेन्द्र सिंह** (वल्लभनगर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) हैण्डीक्राफ्ट में डिप्लोमा करने वाले छात्रों की शिक्षा विभाग में कब से भर्ती बन्द है ?

(2) क्या हैण्डीक्राफ्ट के पद हर साल शिक्षा विभाग में स्वीकृत होते हैं ? यदि हां, तो कितने ?

उत्तर

(1) भर्ती बन्द नहीं है।

(2) आवश्यकतानुसार पद सृजित किये जाते हैं।

उदयपुर से जावर माइन्स रूट पर बस सेवा

627. **श्री भैरू लाल मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) :- क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर से जावर माइन्स तक राज्य परिवहन की एक ही बस चलाई जा रही है जब कि पांच वर्ष पहले दो बसें चलाई जाती थीं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि इस क्षत्र के श्रमिक एवं आदिवासियों को उदयपुर शहर में आने जाने का कोई अन्य साधन नहीं है ?

उत्तर

(1) जी हां। जावर माइन्स के श्रमिकों में बिना टिकट यात्रा की प्रवृत्ति तथा चालक, परिचालकों, से झगड़े के कारण दोनों बसे बन्द कर दी गयी थी. लेकिन बाद में जावर माइन्स के प्रबन्धकों के साथ हुए समझौतानुसार श्रमिकों की सुविधार्थ एक बस सेवा चलाई जा रही है।

(2) जी नहीं।

अन्ता में सिंचाई विभाग द्वारा नहर क्षेत्र के हरे पेड़ों की नीलामी

628. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी) एवं **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(2) क्या यह सही है कि कोटा जिले के अन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा दिनांक 11, 12, 13 जनवरी, 1984 को नहर के पेड़ों की नीलामी की गई थी ? यदि हां, तो यह नीलामी किस अधिकारी ने की ? किस-किस व्यक्ति के हित में और कितने में नीलामी छूटी ?

(2) क्या यह नीलामी टाल वालों के नाम छूटी थी ? क्या अधिकतर हरे वृक्षों को नीलाम कर दिया गया था ? यदि हां, तो हरे वृक्षों की नीलामी करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। नीलामी के लिये अधिशासी अभियन्ता, दाईं नहर खण्ड-द्वितीय, सी.ए.डी. अन्ता द्वारा समिति गठित की गई थी जिसमें निम्नलिखित सदस्य थे :-

(1) श्री एम.सी. गुप्ता, सहायक अभियन्ता, दाईं नहर उप खण्ड-अन्ता (2) श्री वी.एन. राजवंशी, सहायक अभियन्ता, डिस्ट्रीव्यूटरी उप-खण्ड अन्ता (3) श्री जी.एस. लाहोटी, डिप्टी कलेक्टर, दाईं मुख्य नहर खण्ड द्वितीय, अन्ता (4) श्री रामनारायण तिवारी, जिलेदार, सिंचाई विभाग अन्ता।

नीलामी निम्न व्यक्तियों के नाम उनके आगे दर्शायी गई राशि पर छूटी :-

दिनांक नीलामी का	नाम मय पिता का नाम	राशि
11-1-84	श्री अब्दुलवहीद वल्द अब्दुलरहमान, अन्ता	2450·00
12-1-84	श्री अब्दुलवहीद वल्द, अब्दुलरहमान, अन्ता	1710·00
12-1-84	श्री सलाम वल्द नूरखां, बारां	2550·00
13-1-84	श्री धन्नालाल पुत्र श्री गोपीलाल, बलदेवपुरा	530·00
13-1-84	श्री हीरालाल पुत्र श्री लटुरलाल, बंबुलियां	1575·00
13-1-84	श्री हीरालाल पुत्र श्री लटुरलाल, बंबुलियां	1160·00

(2) इसकी जानकारी विभाग को नहीं है। जी नहीं।

खातेदार द्वारा भरे गये रिटर्न की जांच हेतु समिति का गठन

629. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राजस्थान इम्पोजीशन ऑफ सीलिंग आन एग्रीकल्चरल होल्डिंग रूल्स, 1977 के रूल 2 (ए.ए.) में जिस कमेटी को परिभाषित किया गया है व रूल 4 (ए) में जिस कमेटी को दर्शाया गया है तथा नियम 5 में खातेदार द्वारा भरे गये रिटर्न की जांच का दायित्व जिस कमेटी को सुपुर्द किया गया है क्या वह कमेटी कोटा जिले में काम कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं।

मनोहर थाना क्षेत्र की ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना

630. **श्री भैरूलाल** (मनोहरथाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

238

(श्री भैरूंलाल)

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ पंचायत समिति मनोहरथाना क्षेत्र का अब तक विद्युतीकरण 13% से भी कम है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस क्षेत्र की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्वीकृत है किन्तु प्रशासनिक स्वीकृति न मिलने से कार्य-रूप में परिणत नहीं की गई है ? यह स्वीकृति कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पंचायत समिति मनोहरथाना क्षेत्र में कुल 304 ग्राम हैं, जिनमें से माह फरवरी 1984 तक 49 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है, जो कुल ग्रामों का 16·11 प्रतिशत है।

(2) पंचायत समिति मनोहरथाना क्षेत्र की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना की अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद विद्युत मण्डल द्वारा स्वीकृति दिनांक 31 मार्च, 1984 को जारी कर दी गई है।

धौलपुर आगार की बस सेवा

631. **श्री शिवसिंह रावत** (बाड़ी) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम आगार धौलपुर से जिले में केवल राजाखेड़ा ही बस सेवा उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या भविष्य में दूसरी तहसील व सब तहसील जैसे बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, सेपाऊ मार्ग पर धौलपुर से सीधी बस सेवा चालू करने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। शेष मार्ग राष्ट्रीयकृत नहीं है।

(2) जी हां। इन मार्गों पर प्राइवेट बस मालिकों की बस पहले से ही चल रही है। निजी वाहनों के नवीनीकरण के विरुद्ध निगम द्वारा अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। अनुज्ञा पत्र प्राप्त होने पर ही सीधी बस सेवा का संचालन संभव होगा।

परिशिष्ट 5

तारांकित प्रश्न संख्या 607 का विवरण

परिशिष्ट

क्र. सं.	नाम जिसके खिलाफ कार्यवाही की गई	किन मामलों में कार्यवाही की	कार्यवाही कब-कब की गई	क्या-क्या कार्यवाही की गई
1	2	3	4	5
1.	दिनेश चन्द्र सेठी, उ. मू. दु. नं 7. अलवर।	चीनी, पाम-आयल	4–5–82	इस्तगासा दर्ज कराया गया
2.	मै. प्रेम बुकडिपो, मंत्री का बड़, अलवर।	साहित्य पाठ्य पुस्तकें एवं कापियां	19–1–83	,, ,,
3.	मै. रामप्रसाद महेशकुमार, पुराना कटला, अलवर।	सल्फर चीनी	19–1–83	,, ,,
4.	मै. धर्मचन्द्र दिनेश चन्द्र, केड़लगंज, अलवर।	गुड़ एवं खंडसारी	19–1–83	,, ,,
5.	मै. अग्रवाल आयल कम्पनी, रामगढ़, अलवर।	हाईस्पीड डीजल	19–1–83	,, ,,
6.	दिनेश चन्द्र सेठी	चीनी एवं पाम आयल	31–12–83	,, ,,
7.	मै. खण्डेलवाल ब्रादर्स, धानमण्डी।	हाईस्पीड डीजल, केरोसीन	31–12–83	,, ,,
8.	मै. अग्रवाल आयल कम्पनी, रामगढ़।	केरोसीन	2–1–84	,, ,,
9.	हिम्मत मल R/o कटौली	दूध	2–1–84	,, ,,
10.	रोशन मल R/o कटौली	दूध	2–1–84	,, ,,
11.	सुल्तान मल R/o कटौली	दूध	2–1–84	,, ,,

(240)

1	2	3	4	5
12. मै. जगदम्बा डीजल सर्विस, नगड का तिराया, अलवर।	हाईस्पीड डीजल	2-1-84	इस्तगासा दर्ज कराया गया	
13. भवानी राम सोसायटी, बाजार अलवर।	खोवा मिठाई	2-1-84	"	"
14. नारायण लाल बर्सेज, राजगढ़।	खोवा मिठाई	2-1-84	"	"
15. कान्याराम, रामगढ़।	खोवा मिठाई	2-1-84	"	"
16. रूपनारायण लक्ष्मणगढ़।	खोवा मिठाई	2-1-84	"	"
17. नारायण लाल हलवाई, मालाखेड़ा बाजार, अलवर।	खोवा मिठाई	2-1-84	"	"
18. रामजीलाल बर्सेज मालाखेड़ा बाजरा, अलवर।	खोवा मिटाई	2-1-84	"	"
19. रामजीलाल शर्मा, हलवाई मो. ब्रह्मचारी, अलवर।	खोवा मिठाई	2-1-84	"	"
20. विशम्भरदयाल खण्डेलवाल, सिविल लाईन, अलवर।	कैरोसीन	19-10-83	एफ. आई. आर. दर्ज	
21. मै. गोयल सन्स, केरोसीन डीलर केड़लगंज, अलवर।	कैरोसीन	28-1-84	एफ. आई. आर. दर्ज.	
22. गुहलराम चीनी डीलर्स, प्रागपुरा (राजगढ़)	चीनी	28-1-84	"	"
23. मै. अलवर सह. उपभोक्ता भंडार नं. 11, अलवर।	कैरोसीन	20-2-84	"	"
24. मै. विजय फूड प्रोडेक्ट्स, भिवाड़ी,	मोठ	22-2-84	"	"
25. मै. मेघराज ग्राम रतेड़, बाड़मेर।	खाद्यान्न (बाजरा)	18-7-82	इस्तगासा पेश किया	
26. मै. रिखबदास मांगीलाल, ग्राम फोगेरा, बाड़मेर।	" "	12-8-82	"	"

1	2	3	4	5
27.	मै. घनश्यामदास महेश्वरी, नि. गडरा रोड, बाड़मेर ।	खाद्यान्न (बाजरा)	2–9–82	इस्तगासा पेश किया
28.	हसन भाइ ट्रक ड्राईवर, नि. गडरा रोड, बाड़मेर ।	,, ,,	2–9–82	,, ,,
29.	मै. पिताम्बरदास कम्पनी	बाजरा	2–9–82	,, ,,
30.	नवाब खां	बाजरा	2–9–82	,, ,,
31.	श्री रामनाथ नि. टांगली नागौर, जिला बाड़मेर ।	बाजरा	4–6–83	,, ,,
32.	मै. संजय ट्रेडिंग क. जयपुर, भरतपुर	गेहूं	9–2–83	न्यायालय में विचाराधीन
33.	मै. मदन लाल महावीर कुमार, शाहपुरा ।	गेहूं	24–5–82	,, ,,
34.	मै. रेमलदास राजूमल, पिपलवास	मक्का	8–3–83	इस्तगासा दर्ज किया
35.	राजस्थान जनरल स्टोर, मेंगलवाड़ चौराहा ।	केरोसीन	8–3–83	,, ,,
36.	अन्जुमन बोहरा, प्रतापगढ़	सीमेन्ट	8–3–83	,, ,,
37.	मांगीलाल कुमावत, प्रतापगढ़ ।	सीमेन्ट	8–3–83	,, ,,
38.	रतनलाल एण्ड कम्पनी, सांवा	मक्का	8–3–83	,, ,,
39.	राजमल दीग निकुम	चना	8–3–83	,, ,,
40.	मदनलाल किराना मर्चेन्ट चन्देरिया	गेहूं	12–1–83	,, ,,
41.	बसन्तीलाल मूलचन्द्र, कवारिया	मूंगफली	2–3–83	एफ.आई. आर. दर्ज
42.	एफ. पी. एस. कपासन	चीनी	25–3–83	माल रिलीज किया
43.	रमेशचन्द्र शंकरलाल मराडिया	गेहूं	27–4–83	जप्त कर राशि जमा कराई
44.	शर्मा रोड कैरियर व गोविन्द एजेन्सी, जयपुर ।	सीमेंट	2–7–83	सीमेन्ट जप्त की खाद्य विभाग से स्थगन आदेश ।

1	2	3	4	5
45.	ज्ञान मोहम्मद बड़ी सादड़ी	सीमेन्ट	3-7-83	एफ.आई.आर.दर्ज
46.	शंकर गोल्डन ट्रान्सपोर्ट, चन्देरिया	सीमेन्ट	2-7-83	स्थगन आदेश है
47.	मिट्ठल लाल चन्डालिया, कपासन ।	सीमेन्ट	9-8-83	कार्यवाही जारी है
48.	मन्नालाल नन्दलाल, अरनोद	चना	10-8-83	कार्यवाही जारी है
49.	सावित्री स्टेशनर्स, चित्तौड़गढ़ ।	कापियां	27-8-83	इस्तगासा पेश किया
50.	अमृतलाल मूलचन्द्र, निकुम ।	गेहूं	30-8-82	माल जप्त कार्यवाही जारी
51.	भंवरलाल हरनारायण, मंत्री, कन्नौज ।	जौ, चना	9-9-83	" "
52.	भंवर लाल हरनारायण.	मक्का, गेहूं	8-9-83	माल जप्त कार्यवाही जारी ।
53.	शम्भूलाल छगनलाल, पाल	चीनी	23-9-83	" "
54.	जगदीशचन्द्र कोठारी, प्रतापगढ़ ।	लेवी चीनी	28-2-83	एफ.आई.आर.दर्ज
55.	जगदीशचन्द्र कोठारी, प्रतापगढ़ ।	लेवी चीनी	28-2-83	इस्तगासा पेश
56.	मै. हरीशचन्द्र, भरतपुर ।	गेहूं	9-2-83	एफ.आई.आर.दर्ज
57.	मै. हरकी एवं रघुवीर, भरतपुर ।	गेहूं	23-5-83	" "
58.	मै. मोहम्मद हुसैन, उ. मू. दु. चूरू ।	लेवी चीनी	23-4-82	माल जप्त किया
59.	मै. पेमाराम सरपंच, दुलचासर	गेहूं	12-6-82	" "
60.	श्री आसकरण बाहेती, श्रीडूंगरगढ़ ।	कैरोसीन	26-3-82	" "
61.	सत्यनारायण पारीक, बूचावास ।	चना	16-7-82	" "
62.	मै. कन्जाराम किस्तूरचन्द्र, सरदार शहर ।	मोठ, चना	30-7-82	" "
63.	श्री विनोद कुमार, रंधीसर ।	डीजल	12-9-82	" "
64.	श्री भंवरलाल पारीक, रिड्डी ।	बाजरा	3-11-82	" "
65.	श्री राजकुमार रामअवतार, चूरू ।	तारामीरा, सरसों, चावल	4-11-82	" "

1	2	3	4	5
66.	मै. जगदीशप्रसाद	मोठ	15-1-83	माल जप्त किया
67.	मै. किशनदास सावरमल, सरदार शहर।	गेहूं	30-11-82	" "
68.	मै. शंकरमल मेघराज, धीरवास	बाजरा	24-3-83	" "
69.	श्री ब्रिजेन्द्र पाल सिह	बाजरा	12-5-83	" "
70.	श्री रामेश्वरलाल बालचन्द्र	गेहूं, चना	18-5-83	" "
71.	श्री राजेन्द्र सिह	गेहूं	24-5-83	" "
72.	श्री प्रेमनारायण	गेहूं	24-5-83	" "
73.	श्री हरवंशलाल लसेडी	गेहूं	16-6-83	" "
74.	श्री जीवण खां	गेहूं	8-7-83	" "
75.	श्री रामलाल मंगतोराम, जालोर	चीनी	4-5-82	" "
76.	मोतीलाल हेमराज, महेश्वरी, भीनमाल।	वनस्पति घी	29-4-82	" "
77.	लोटनसिह सरताजी, जालोर।	रायड़ा	15-5-82	सेशन कोर्ट में स्टे आर्डर प्राप्त
78.	धन्नाराम भारता जी, जालोर।	आयातित सीमेन्ट	24-2-82	कोर्ट में पेन्डिग है
79.	दीनाराम हीरा जी, जालोर।	आयातित सीमेन्ट	28-3-82	" "
80.	सुमेरमल केवलचन्द्र, सांचोर	बाजरासीड्स	25-7-82	माल पार्टी को लौटाया
81.	धीरवीर हुसेन हाजी इब्राहिम सांचोर।	बाजरा सीड्स	26-7-82	" "
82.	कमलकिशोर बंसल, जालोर	बाजरा	10-8-82	" "
83.	सोहनसिह, निर्भयसिह, जालोर	कोरमा	7-11-82	एफ.आई.आर. दर्ज
84.	मोजूसिह, जेठूसिह, जालोर	कोरमा	7-11-82	" "
85.	केवलसिह, ईश्वरसिह, जालोर	कोरमा	7-11-82	" "
86.	बाबूलाल मिश्रीलाल, जालोर	बाजरा, मोठ गेहूं, मूंग	2-11-82	जमानत पर छोड़ा गया।

1	2	3	4	5
87.	बाबूलाल मानमल, जालौर	मोठ	1–4–83	विशेष न्यायालय में विचाराधीन।
88.	बाबूलाल मांगीलाल, जालौर	मोठ	2–4–83	” ”
89.	डूंगरमल लादूराम, जालौर	सीमेन्ट	18–4–82	” ”
90.	भोलाराम खोतांजी मांली, जालौर	सीमेन्ट, रायड़ा तारामीरा	4–5–83	विशेष न्यायालय में विचाराधीन।
91.	दौलतजी मदनजी मोदी, जालौर	गेहूं	21–2–83	” ”
92.	मदनसिंह बेजरहा, जालौर	कोरमा	25–4–83	” ”
93.	जीवाराम पूसाजी, पावटा, जालौर	लेवी चीनी	24–10–83	जिलाधीश जालौर में विचाराधीन।
94.	सुमेरचन्द्र चम्पालाल, जालौर	डीजल	13–7–83	एफ.आई.आर. दर्ज
95.	उगचन्द्र अशोक कुमार, जालौर	रायड़ा	17–9–83	” ”
96.	त्रिलोकचन्द्र कालूराम अग्रवाल, जालौर।	यूरिया खाद सीमेन्ट	24–10–83	जिलाधीश कार्यालय में विचाराधीन।
97.	हीराचन्द्र खुशालचन्द्र, जालौर	बाजरा	11–1–84	” ”
98.	बाबूलाल टीलचन्द्र, जालौर	मोठ, मूंग, बाजरा, ग्वार	25–12–83	” ”
99.	सुमेरमल, चंपालाल		5–9–83	” ”
100.	रतनसिंह वगैरा, झुन्झुनू।	मोठ	1–2–83	जिलाधीश न्यायालय में जेरकार है।
101.	पुरुषोत्तम वगैरह, झुन्झुनू।	मोठ	1–2–83	” ”
102.	मै. आनन्द किराना स्टोर, विज्ञान-नगर, कोटा।	गेहूं	26–6–83	एफ.आई.आर. दर्ज हुई विशेष न्यायाधीश, जयपुर में विचाराधीन है।

1	2	3	4	5
103.	ओम ट्रेडर्स, कवाई, तहसील अटरू कोटा	मक्का, चना गेहूं, सोयाबीन	15-10-83	6ए के तहत कानूनी कार्यवाही की गई ।
104.	मै. किसान फिलिंग स्टेशन, जायल नागौर ।	केरोसीन	23-9-82	विशेष न्यायाधीश मेड़ता अदालत में मामला जेरकार है
105.	मै. हाजीसुलेमाल अलाप, नागौर	बाजरा	22-8-83	विशेष न्यायाधीश मेड़ता की अदालत में मामला पैंडिंग है ।
106.	मै. धनराज राजस्थान ट्रेडर्स, नागौर ।	चना	16-9-83	मामला पैंडिंग है
107.	मै. पीतमचन्द्र दिनेशचन्द्र मेड़ता नागौर ।	चना	16-9-83	,, ,,
108.	मै. नेमीचन्द्र एण्ड क., नागौर ।	चीनी	20-1-83	जिलाधीश की अदालत में पैंडिंग ।
109.	मै. नेमीचन्द्र एण्ड ब्रादर्स, नागौर ।	चीनी	20-1-84	,, ,,
110.	मै. सुरेशचन्द्र हरेतीलाल, तिमावा, सवाई माधोपुर ।	गेहूं, चना, सरसों, अरहर, तारामीरा, खाण्डसारी ।	4-6-82	न्यायालय में इस्तगासा पेश किया
111.	मै. बाबूलाल सतीशचन्द्र अग्रवाल सवाई माधोपुर ।	गेहूं	26-6-82	न्यायालय में इस्तगासा पेश किया
112.	मै. कल्याण सहाय भगवान सहाय हिण्डौन, सवाई माधोपुर ।	गेहूं	20-8-82	न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन है ।
113.	मै. नन्दकिशोर नरेश कुमार मण्डावर सवाई माधोपुर ।	गेहूं	23-10-82	न्यायिक कार्यवाही हेतु अनुसंधान जारी

246.

1	2	3	4	5
114.	मै. बृन्दावनलाल विश्वास कुमार खण्डार, सवाई माधोपुर ।	ज्वार	29-6-82	न्यायालय में इस्तगासा पेश किया
115.	मै. हरिप्रसाद रघुनाथ राधेश्याम ग्राम कोसरा, तह. खण्डार सवाई माधोपुर ।	गेहूं	5-6-83	एफ. आई. आर. दर्ज कार्यवाही जारी है ।
116.	मै. मुरारीलाल इन्यायती तह. सपोटरा, सवाई माधोपुर ।	गेहूं	5-6-83	एफ.आई.आर. दर्ज कराई जा चुकी है ।
117.	मै. रामसहाय प्रेम कुमार, सवाई माधोपुर ।	अलसी तेल	15-9-83	न्यायिक कार्यवाही हेतु कार्यवाही जारी
118.	भारत आटोमोबाइल दांता, सीकर	केरोसीन	16-4-82	6ए के तहत कार्यवाही जारी है ।
119.	शंकरलाल महाजन लि. चैक गोपानामपुरा, सीकर ।	चीनी, केरोसीन वनस्पति, सल्फर खाण्ड	24-4-82	,, ,,
120.	रामगोपाल केसरदेव, सीकर	कलाकन्द	14-6-82	,, ,,
121.	सरनासुरजा कुम्हार, सीकर	पेड़ा, बर्फी मावा ।	14-6-82	,, ,,
122.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, दयाल का नांगल, सीकर ।	पामआयल	12-4-82	,, ,,
123.	रामकृपाल काशीप्रसाद, सीकर	केरोसीन	15-10-82	,, ,,
124.	भागीरथ रामलाल, छालावानी ढाणी, सीकर ,	सीमेंट	28-8-82	,, ,,
125.	ग्रामसेवा सहकारी समिति, लक्ष्मण पुरा, सीकर ।	चीनी	30-4-83	,, ,,
126.	रामोतार अशोक कुमार, सीकर	गेहूं	7-6-83	,, ,,
127.	राजकुमार एण्ड ब्रादर्स, सीकर ।	गेहूं	15-3-83	,, ,,

1	2	3	4	5
128.	गोयल टिम्बर ट्रेडिंग कं. सीकर ।	सीमेन्ट	30–7–83	6 ए के तहत कार्यवाही जारी है
129.	एच. ए. आर्य एण्ड कंपनी श्रीमाधोपुर, सीकर ।	चना	16–9–83	
130.	रामेश्वर लाल अ. वि. मठोठ, सीकर ।	पामआयल	7–10–83	" "
131.	नाथूलाल रामस्वरूप लोहे के व्यापारी, सीकर ।	गार्डर सरिया लोहे के	7–12–83	6ए के तहत कार्यवाही जारी है
132.	गिर्राजमल द्वारकादास, टौंक ।	गेहूं	12–5–82	विभागीय कार्यवाही की गई ।
133.	राधेश्याम ब्राह्मण, नि. मण्डावर, टौंक ।	गेहूं	15–5–82	" "
134.	लावारिस 4 बोरी चीनी टौंक	चीनी	13–5–82	जिलाधीश के यहां कार्यवाही विचाराधीन है ।
135.	राजेन्द्र बच्छराज टौंक	गेहूं,चना	6–5–83	6ए के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन तथा न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया ।
136.	त्रिलोक चन्द्र नृसिंह लाल उनियारा टौंक ।	गेहूं	14–7–83	एफ. आई. आर. दर्ज करा दी गई तथा 6ए के तहत कार्यवाही विचाराधीन है ।
137.	मै. जयमाता फ्लोर मिल, जयपुर ।	गेहूं, आटा	17–4–82	7–3–83 को जिलाधीश द्वारा मामला ड्राप ।

1	2	3	4	5
138.	मै. नवलकिशोर पुत्र केशवलाल यादव, जयपुर।	गेहूं	19–5–82	9–8–83 को खाद्य विभाग द्वारा ड्राप
139.	मै. किशोर एण्ड कं., जयपुर।	गेहूं	23–5–82	6ए के तहत विचाराधीन
140.	गणपतलाल भैरूंमल, जयपुर।	गेहूं	4–5–82	,, ,,
141.	मै. रामेश्वर रामरतन, जयपुर।	गेहूं	22–5–82	,, ,,
142.	मै. शिवसहाय कुमावत, जयपुर।	गेहूं	22–5–82	,, ,,
143.	मै. राधामोहन एण्ड कं., जयपुर।	गेहूं	31–3–83	,, ,,
144.	मै. प्रहलादनारायण माधोबिहारी जयपुर।	गेहूं	31–3–83	,, ,,
145.	मै. अर्जुनलाल पुत्र हरकचन्द्र जाट, जयपुर।	गेहूं	8–6–84	,, ,,
146.	मै. बंसीधर ओमप्रकाश, जयपुर।	गेहूं	13–12–83	दिनांक 14-2-84 को जिलाधीश द्वारा छोड़ा गया।

———

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 769 की सूची

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र केशवराव पाटन के अन्तर्गत आने वाले नहरों के नाम

क्र. सं.	नाम नहर
1.	सुवासा डिस्ट्री0
2.	लाडपुरा मा0
3.	भवानीपुरा मा0
4.	चितावा डिस्ट्री0
5.	ह्यलीहेडा मा0
6.	छरकवाडा मा0
7.	निमोदा मा0
8.	कोडीजा मा0
9.	बनियानी मा0
10.	चिनावा मा0
11.	गुडलो मा0
12.	एगपुरिया मा0
13.	ईश्वर नगर डिस्ट्री0
14.	पादडा मा0
15.	बडी डिस्ट्री0
16.	अरनेठा डिस्ट्री0 सिस्टम
17.	अरनेठा मा0
18.	जैथल मा0
19.	बालदडा मा0
20.	सारठला मा0
21.	रंगराजपुरा मा0
22.	भोया मा0
23.	समदपुरिया मा0
24.	पाटन मा0

250

क्र. सं.	नाम नहर
25.	इन्द्रपुरिया मा0
26.	हस्तनापुर मा0
27.	लेसरदा मा0
28.	कापरेन ब्रांच 820 चैन से 1685 चैन तक
29.	पाटन ब्रांच 652 चैन से 1605 चैन तक
30.	बून्दी रोड मा0
31.	माधोराजपुरा मा0
32.	पाटन डिस्ट्री0 सिस्टम
33.	लाखेरी मा0
34.	जगन्नाथा मा0
35.	बालीथा मा0
36.	निमोठा मा0
37.	सू-नगर मा0
38.	खेडली मा0
39.	मायजा मा0
40.	रंगपुरिया मा0 II
41.	बलकासा डिस्ट्री0
42.	करवाला मा0
43.	श्रोडी मा0
44.	नया गांव मा0
45.	मैनोली मा0
46.	बरानी मा0
47.	हाडाजी मा0
48.	बराना मा0 I
49.	बराना मा0 II
50.	खेडा मा0 I
51.	खेडा मा0 II
52.	बोरदा मा0
53.	ढींगली मा0
54.	अडीला मा0
55.	हिगोंनिया मा0

क्र. सं.	नाम नहर
56.	गरजनी मा0
57.	चाढ गांव मा0
58.	बाजडली मा0 I
59.	बाजडली मा0 II
60.	अरडाना मा0
61.	घरडाना मा0
62.	रघुनाथपुरा मा0
63.	अजन्दा मा0
64.	मालिकपुरा डिस्ट्री0
65.	मालिकपुरा मा0
66.	खेडीया दुर्जन मा0
67.	रघुनाथ मा0 II
68.	खेडियामान मा0
69.	पचीपला मा0
70.	अगरिया डिस्ट्री0
71.	नोताडा मा0
72.	इमाग्रदा मा0
73.	देईखेडा मा0
74.	देईखेडा डिस्ट्री0
75.	प्रतापगढ़ मा0 I
76.	प्रतापगढ़ मा0
77.	डाटा मा0
78.	रामगंज मा0
79.	अनन्तपुरा डिस्ट्री0
80.	हाडियाखेड़ा मा0
81.	अडीला मा0 II
82.	कापरेन मा0 I

क्र. सं.	नाम नहर
83.	कापरेन मा0 II
84.	कापरेन लूप
85.	हाडिया खेडा मा0 II
86.	ठाकरवाडा मा0
87.	बालोद मा0
88.	डोलर मा0
89.	रोटेडा मा0
90.	हीरापुरा मा0 I
91.	हीरापुरा मा0 II
92.	बालापुरा मा0
93.	बोयाखेडा मा0 I
94.	बोयाखेडा मा0 II
95.	ग्रोडक्या मा0
96.	कोटरी मा0
97.	घाट का बराना मा0
98.	चईचा मा0 I
99.	चईचा मा0 II
100.	कोटा खुर्द मा0
101.	मारबीदा डिस्ट्री0
102.	लबान डिस्ट्री0
103.	बडाखेडा मा0 I
104.	बडाखेडा मा0 II
105.	लबान मा0 I
106.	लबान मा0 II
107	जाडला मा0
108.	गुवाटा मा0
109.	मारबीदा डिस्ट्री0

केशवरायपाटन विधान सभा क्षेत्र में निम्न नहरों की सफाई पिछले तीन वर्षों में की गई है ।

क्र. सं.	नहर का नाम	सफाई का वर्ष
1	2	3
1.	चितावा डिस्ट्री0 चैन के0 से 370	81-82, 82-83
2.	होली खेड़ा माइनर0 से टेल	82-83
3.	निमोदा मा0 (मशीन द्वारा) 90 से 110	83-84
4.	वनियानी मा0 (0 से 100) मशीन द्वारा	81-82, 82-83
5.	ईश्वरसागर डिस्ट्री0 (0 से टेल)	80-81
6.	चरी डिस्टी0 (0 से 220)	80-81
7.	पादरा माइनर मशीन द्वारा (0 से टेल)	82-83
8.	जैथल माइनर (100 से 150)	83-84
9.	वालदरा माइनर (0 से टेल तक)	82-83
10.	इन्द्रपुरिया मा0 1, मशीन द्वारा-2, लेवर द्वारा	81-82, 83 84
11.	पाटन डिस्ट्री0 500 से 650 तक-0 से 50 तक	83-84
12.	माधोराजपुरा मा0 (0 से 150)	82-83
13.	अरनेठा डिस्ट्री0 (0 से 200 तक)	80-81
14.	सूनगर मा0 (0 से टेल तक)	81-82
15.	हस्तनापुरा मा0 (0 से टेल तक)	80-81
16.	पाटन मा (0 से टेल तक)	80-81
17.	भिया मा0 (0 से टेल तक)	80-81
18.	खेड़ली मा0 (0 से 100 तक)	82-83
19.	बलकासा डिस्ट्री0	81-82
20.	करवाला माइनर	—

1	2	3
21.	ओरी माइनर	—
22.	नया गांव माइनर	82-83
23.	मनोली माइनर	1982–83
24.	बरानी माइनर	—
25.	हवाजी माइनर	—
26.	बराना माइनर 1	81-82
27.	बराना माइनर 11	—
28.	खेरा माइनर 1	83-84
29.	खेरा माइनर 11	—
30.	बोरदा माइनर	82-83
31.	ढींगली माइनर	82-83
32.	अडीला माइनर	81-82
33.	हिंगोनिया माइनर	81-82
34.	गरजनी माइनर	—
35.	चाढगांव माइनर	—
36.	बाजड़ली माइनर 1	81-82
37.	बाजड़ली माइनर 11	81-82
38.	अरडाना माइनर	
39.	चरडाना माइनर	82-83
40.	रघुनाथपुरा माइनर	82-83
41.	अजन्दा माइनर	83-84
42.	मालिकपुरा डिस्ट्री0	82-83
43.	मालिकपुरा माइनर	82-83
44.	खेडियादुजन मा0	81-82
45.	पचीपला मा0	81-82
46.	डगरिया डिस्ट्री0	—

1	2	3
47.	नोताड़ा माइनर	82-83
48.	झपायदा माइनर	82-83
49.	देईखेड़ा डिस्ट्री0	83-84
50.	प्रतापगढ़ मा0 1	82-83
51.	प्रतापगढ़ मा0 11	82-83
52.	डाटा मा0	82-83
53.	रामगंज माइनर	—
54.	अन्नतपुरा डिस्ट्री0	81-82 एवं 83-84
55.	हांडियाखेड़ा मा0 1	82-83
56.	अड़ीला मा0 11	82-83
57.	कापरेन माइनर 1	—
58.	कापरेन माइनर 11	82-83
59.	कापरेन लूप मा0	82-83
60.	हाँडियाखेड़ा माइनर 11	—
61.	खेड़ली मा0 11	—
62.	ठाकरपाडा मा0	—
63.	बालोद माइनर	—
64.	डोलर मा0	81-82
65.	रोटेदा माइनर	81-82
66.	हीरापुरा माइनर 1	81-82
67.	हीरापुरा माइनर 11	82-83
68.	बालापुरा माइनर	—
69.	बोथाखेड़ा माइनर 1	—
70.	बोथाखेड़ा माइनर 11	81-82 (रीच 100 टू 180)
71.	कोडकिया मा0	82-83

(256)

1	2	3
72.	कोटरी मा0	82-83
73.	घाटका बराना मा0	82-83
74.	चईचा मा0 1	81-82
75.	चईचा मा0 11	82-83
76.	कोटा खुर्द मा0	81-82
77.	मउखीदा माइनर	81-82 ('200 टू330
78.	लबान डिस्ट्री0	—
79.	बड़ाखेड़ा माइनर 1	82-83
80.	बड़ाखेड़ा माइनर 11	82-83
81.	लबान माइनर 1	82-83
82.	लबान माइ0 11	82-83
83.	जाडला माइ0	8'-82
84.	गुवाटा माइ0	81-82
85.	मतदीदा माइनर	81-82
86.	काप्रेन ब्रांच ग्रॉन 820 टू 955+685	मेंटीनेन्स इन पक्का रीच
87.	पाटन ब्रांच 652 टू 1605	टू—
88	खेडियामिन माइनर	82-83
89.	दईखेड़ा माइनर	82-83

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 773 का विवरण

परिशिष्ट–क

नागौर जिले में उपलब्ध खनिज पाये जाने वाले स्थान व खनिज भण्डारों का विवरण

क्र. सं.	नाम खनिज	पाये जाने का स्थान	मात्रा
1		2	3
1.	जिप्सम	नागौर, त्रदवासी, खेरात, मालगांव मंगलोट, चिलानबाडी, ऊंटवालिया, आदि गांवों के निकट	9300 लाख टन
2.	चूना पत्थर	गोटन, भानापा, बांसी, आथियां गोगराना, पोण्डल, मूण्डवा, रोलक्वाजिया, खींवसर, डेहरू, चावण्डिया आदि	330 लाख टन गोटन के पास व 42 लाख टन मूण्डवा के निकट
3.	संगमरमर	मकराना, बोरावड	300 लाख टन
4.	लिग्नाइट	मेडता रोड के निकट	230 लाख टन
5.	वूलमफ्रेगमाइट	डेगाना	3440 टन
6.	चाइडनाक्ले	खाजूवाना, रेल्वे स्टेशन के निकट, मूण्डवा, सराधना, इण्डवार, नोखरी, चाण्डक्ताना, रोल, चाण्डवतान और हुल्डान	इस खनिज हेतु विस्तृत सर्वेक्षण नहीं कराने से भण्डारों की गणना उपलब्ध नहीं है।
7.	रेड ओकर	खाटूबाडी के निकट	,,

1		2	3	
8.	इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)	नागौर व खाटू के पास	इस खनिज हेतु विस्तृत सर्वेक्षण नहीं कराने से भण्डारों की गणना उपलब्ध नहीं है।	
9.	लाइम कंकर	तहसील नागौर, डेगाना, डीडवाना व जायल में जगह जगह पर उपलब्ध है।	,,	,,
10.	ग्रेनाइट	कंवरिया तहसील पर्वतसर	,,	,,
11.	डोलोमाइट	बरून, तहसील पर्वतसर	,,	,,
12.	सोप स्टोन	पालड़ी. धारवा तहसील–नावां	,,	,,
13.	हिमल स्टोन	तहसील नावां	,,	,,
14.	चुनाई पत्थर	नागौर जिले में अनेक स्थानों पर उपलब्ध है।	,,	,,
15.	बजरी	नागौर जिले में विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध है।	,,	,,

परिशिष्ट (ख)

जिला–नागौर

क्र. सं. नाम खनिज	वर्ष 1981 उत्पादन टनों में	वर्ष 1981 औसत श्रमिक प्रतिदिन	वर्ष 1982 उत्पादन टनों में	वर्ष 1982 प्रतिदिन औसत श्रमिक
1	2	3	4	5
प्रधान खनिज				
1. जिप्सम	157568	379	139036	286

1	2	3	4	5
2. टंगस्टन	30	411	47	340
3. सोप स्टोन	13	3	निल.	निल
4. रेड एण्ड यलो ओकर	180	10	190	4
5. बाल कले	189	8	130 उपलब्ध नहीं है	
अप्रधान खनिज				
1. सैण्ड स्टोन	15300	180	7273	81
2. मेसेनरी स्टोन	244783	980	303753	1014
3. लाइम स्टोन (बर्निंग)	320633	700	332458	715
4. बजरी	47687	184		
5. मुर्डन कंकर	8117	33	11843	35
6. मारबल	141465	5002	ब्लॉक–134998 खण्डा– 34744	5015
7. मिल स्टोन	54	2	60	3
8. ग्रेनाइट	43	9	158	11

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 775 की सूची

परिशिष्ट एक

अतिक्रमणों के मामलों को नियमित किया गया उसकी सूची

क्र. सं.	नाम पट्टाधारी	क्षेत्र				
1.	श्री मुनीर मोहम्मद	नला का माताजी	ब्लाक नं.	1	400	वर्ग मी.
2.	,, कजोड़ धाकड़	,,	,,	2	2340	,,
3.	,, बाबूलाल खेमका	,,	,,	3	2910	,,
4.	,, मोहन बलाई	,,	,,	4	2372	,,
5.	,, अब्दुल सत्तार	,,	,,	5	2140	,,
6.	,, प्रभुलाल धाकड़	,,	,,	6	2526	,,
7.	,, भैरूलाल खारोल	,,	,,	7	2275	,,
8.	,, डालू बन्जारा	,,	,,	8	1746	,,
9.	,, लालू भील	,,	,,	9	2700	,,
10.	,, जगदीश चन्द्र	,,	,,	10	1500	,,
11.	,, हीरालाल	,,	,,	11	1210	,,
12.	,, नंदा भील	,,	,,	12	1800	,,
13.	,, नंदा भील	,,	,,	12	2624	,,
14.	,, सुरजा राम	,,	,,	13	810·26	,,
15.	,, सुरजा राम	,,	,,	13	533	,,
				योग	27,688·26	
16.	,, चुन्नीलाल	कांसा डेर	प्लाट नं.	30	15125	व. फीट
17.	,, चुन्नीलाल	,,	प्लाट	27 बी	800	,,
18.	,, चुन्नीलाल	,,	प्लाट	27 बीप	7392	,,
19.	,, चुन्नीलाल	,,	प्लाट	25 सीद	5100	,,
20.	,, नौला भील	,,	प्लाट	27 उ	10525	,,
21.	,, जमक	,,	प्लाट	6 द	1560	,,

क्र.सं.	नाम पट्टाधारी		क्षेत्र		
22.	श्री नौला भील	कांसाडेर	प्लाट 27 प	17250	व. फीट
23.	,, धूली	,,	प्लाट 31 प	300	,,
24.	,, धूली	,,	प्लाट 24 प	1050	,,
25.	,, चुन्नीलाल	,,	प्लाट 3 द	3510	,,
26.	,, गोपीलाल अहीर	,,	प्लाट 25 अ	8750	,,
27.	,, कंचन बाई	,,	प्लाट 28 सी	15625	,,
28.	,, सेवालाल अहीर	,,	प्लाट 26 ब	8750	,,
29.	,, उदयलाल अहीर	,,	प्लाट 1 पद	37175	,,
30.	,, कमलेशकुमार	,,	प्लाट 27 अप	500	,,
31.	,, कैलाश चन्द	,,	प्लाट 15 प	2650	,,
32.	,, कन्हैयालाल लखारा	,,	प्लाट 16 प	1900	,,
33.	,, किशोर मेघवाल	,,	प्लाट 4 द	4675	,,
34.	,, राजू अहीर	,,	प्लाट 28 उ	8750	,,
35.	,, भीमा अहीर	,,	प्लाट 5 ब	2600	,,
36.	,, राजू अहीर	,,	प्लाट 26 एउ	9025	,,
37.	,, राजू अहीर	,,	प्लाट 28 बीउ	8763	,,

योग 1,69,975 वर्ग फीट
अर्थात 15,676 वर्गमीटर

————

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 776 की तालिका

नाम सीमेन्ट प्लान्ट	वर्ष 1982–83 में उत्पादन (टन)	निर्गमन (टन)	प्राप्त रायल्टी (रु.)
1. मैसर्स उदयपुर सीमेंट वंर्क्स, बजाजनगर	3,41,940	3,40,839	15,33,775 50
2. मैसर्स जे. के. सीमेन्ट वर्क्स, निम्बाहेड़ा	8,78,441·76	8,78,441.76	39,52 987·92
3. मैसर्स श्री सीमेन्ट प्रा. लि. ब्यावर	3,757	3,720	16,740
4. मैसर्स बिड़ला सीमेंट वर्क्स, चित्तौड़गढ़	3,87,928	3,87,928	18,09,673
5. मैसर्स मंगलम सीमेंट वर्क्स, मोड़क	3,12,046·13	2,80.471·06	12,62,119.70
6. मैसर्स जयपुर उद्योग लि., सवाईमाधोपुर	6,88,359	6,85,173	30,83,278·50
7. मैसर्स एसोशियेटेड सीमेंट कं., लाखेरी	2,78,298 60	2,78,164·60	14,19, 94295
8. मैसर्स स्ट्रा प्रोडक्ट्स बनास जिला सिरोही	2,16,742	2,16,742	9,71,192

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 777 का वृतान्त

A meeting was held on 14/7/83 at 11 A.M. with the Dy. Secretary Mines, Officers of the Department and the office bearers of the Bhartiya Mining Vibhag Karmachari Sangh.

The following were present :—

1.	Shri Gokul Chand	Dy. Secretary Mines.
2.	Shri Trilochan Singh	Addl. Director (Admn.)
3.	Shri N. N. Singh	Supdt. Geol. (Phos).
4.	Shri R. R. Sharma	Sr. A. O.
5.	Shri Ram Chandra Menaria	President BMVKS
6.	Shri B. L. Kumawat	Secretary, BMVKS

The Dy. Secretary Mines discussed in detail with the representatives of BMVKS and the officers of the Department on the demands presented by BMVKS and the action taken so far on these demands at the Directorate level and at the Government level. The Depttl. officers apprised Deputy Secretary Mines, that the action already taken by the Department for the demands pertaining to Directorate level and also action taken at the Govt. level.

The following pending demands were discussed in this meeting and the action now requires to be taken is given below :—

1. The representative of the BMVKS pointed out regarding their original demand No. 6 that in other departments there are two category of pump operators, generators operators and compresser operators. Those who are operating machinary below 10 H. P. engine are categorised as Gr. II and those operating heavy engines i.e. above 10 H. P. are categoried as Gr. I. On going through the Govt. orders and the revised grades in other department in the Beri Ayog like ground Water Board, Irrigation, P.W D.

264

etc. it has been observed that there are two categories of operators as below :—

1. Pump Operators Gr. I Pay Scale 500-860.
2. Pump Operators Gr. II Pay Scale 420-740.

The grades of operators in our departments is only equivalent to operator Gr. II and hence proportionate to heavy pumps and generators and compressors we should also move the Govt. to convert proportionate posts as Gr. I i. e. in scale of 500-860, At present certain posts of this category are available under plan and certain posts under non-plan. Similarly as present schedule of promotion these operators and rigman are promoted to the post of drilling assistant. When the post of Gr. I will be created the schedule of promotion will also have to be changed with a particular experience on the lower posts for promotion to the post of Asstt. Driller from Gr. I.

2. It was pointed out that the Helpers engaged in regular cadre are promoted to the higher posts of the same grade in P.W D. and other department. The schedule of promotion was also examined by the members during this meeting and as per P. W. D. schedule the promotion from helper to the higher posts of the trade is made when they acquire III or Diploma Certificate. On the same lines proposals may be sent to the Govt. to promote helpers of regular cadre to the higher posts.

3. As per original demand No. 8 the Deptt also agreed that the posts of Rock Drill Operators may be upgraded to the posts of Rigman. Proposals were also sent to the Govt. previously but it was decided that further action will be taken when the report of the Beri Ayog will be received. These posts have not been converted as agreed to the posts of Rigman. It has been agreed that as these RDOS are working on the drill machines and their nature of work

is same as that of rigman, proposals may be sent to the Govt. again for upgarding all these posts to the posts of rigman alongwith the financial implications,

4. Regarding revision of pay scales for the posts of fitter, welder, blacksmith, carpenter, electrician etc in the scale of 370-590 as per revised orders on the basis of Beri Ayog, the grades of this category of staff have already been upgarded in the scale of 420-740 and this pay scale is applicable to all deptts. of similar posts. Hence no action is required now.

5. It was pointed out that the person having diploma in mining or mechanical engineering and working in the pay scale applicable to the Jr. Engineers of P. W. D. and Irrigation Deptt. etc. A. D. A. informed that such proposals have already been sent to the Govt. Govt. may be reminded that our origional proposals may be accepted and early sanction be sent.

6. In our department there are two pay scales for the posts of Sr. Mechanic. Those Sr. Mechanics who are Deploma Holder are given higher grade and those with I. T. I. are given lower pay scale i.e. 640-1180 and 500-860. As the designation and nature of duties of both these categories are same we may move Govt. to keep only one grade of Sr. Machanic i e. 640-1180.

7. The Union representative as per old demand No. 16 informed that the grade of helper in our Deptt and that of other P. W. D. and other deptts. is different and same grade should be kept for helper as per other deptts. on going through the Beri Ayog it has been seen that the grade of helpers has been revised to 350-430 for all Deptts. Hence no action is required in this connection.

266

8. In our Deptt. as per revised pay scale the grade of all category of drivers is 490-840, where as in case of Tractor Drivers of Rajasthan Ground Water Board, the grade of tractor driver has been kept as 625-1120. The nature of duties of the tractor drivers in our deptts. as well as in Ground Water Deptt. etc. are very similar and it was agreed that the tractor drivers of our deptt, should also be given the pay scale of 625-1120. We may, therefore, send proposals to the Govt. for conversion of posts of drivers to tractor driver equal to the tractors in our Deptt. in the pay scale of 625-1120.

9. The Union representative informed that in P. W. D. and other deptts. those workcharge persons who complete 10 years of service are made regular and their service conditions are governed by RSR. The Sr. A. O. pointed out that unless the posts are created and workcharge persons are appointed against these posts under RSR, they can not be made permanent under RSR Dy. Secretary Mines suggested that Union representative may obtain copies of the orders under which the workcharge persons after 10 years service are declared permanent under RSR and on obtaining details from P. W. D, proposals may be sent to the Govt.

10. In the Ground Water Board Deptt. the pay scale of Welder and Electrician has been revised to 500-860 in the Beri Ayog whereas in our deptt. pay scales of Welder and Electrician has been kept as 420-740. We may also send proposals to revise pay scales for Welder and Electrician to 500-860.

11. The Union representative informed that as per their demand the Head Quarters of all the drilling staff may be kept at Udaipur to avoid hardship like non completion of service books etc. on the lines of G. S. I. D. S. Mines informed that as per previous decision the record and service files of the drilling staff my be kept at Udaipur, but Union representative further stressed that due to

difficulty of family members of the drilling staff the education of children etc. and on the lines of GSI the HQs. may be kept at Udaipur. D.S M. suggested that a case may be made out with financial implications and proposals may be sent for HQs. on GSI lines. The circulars of GSI may also be sent with the proposals. This Hqs. issue is also connected with the grant of field establishment allowance being given to the subordinate technical staff working in the field. We have requested Govt. that field establishment allowance may be increased from Rs. 25/- to Rs. 75/- per month and the union representative also agreed that either the demands of Hqs. or the demand of field establishment allowance may be agreed. Proposals may be sent to the Govt. stating the financial implications in both the cases and it may also be examined whether this will add to the efficiency of the field staff and improve our progress.

12. The question of providing pant. Bushshirts in place of overalls was particularly agreed and it was decided that proposals to the Govt. may be sent with full justification for the following :—

(a) To allow pant and bushshirts in place of overall being given at present to the drill staff.

(b) Woolen jersey are also to be provided to the drilling staff who are being given the cotton uniform at present.

(c) Gum boots and rain coats alongwith safety shoes may also be given to the workcharge staff like regular staff as their nature of work is similar,

13. The Union representative pointed out that boots should be provided to the drivers of this Deptt. like other departments, as their services are governed under Motor Vehicle Act. D. S. Mines informed that circulars under Motor Vehicle Act may be obtained by the Union representative in proof of the demands that the Motor Vehicle Act is applicable to the Drivers on the Deptt. also and that the boots are required to be given.

14. In the last union representative also requested that the vacant posts of drilling staff be filled up regularly so that the surplus persons from other deptt. may not be sent against these vacant posts A. D. A. informed that racently some restriction in filling up the posts have been received from the Govt. D. S. suggested that if their service are essential the deptt. may move the Govt. for removal of this ban so that the posts can be filled up.

The meeting ended with the vove of thanks to the Chair.

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Dy. Secretary Mines	Addl. Director (Admn.)Sr.	Accounts Officer
Sd/-	Sd/-	Sd/-
Supdg. Geol. (Phos)	President BMVKS	Secretary BMVKS, Udaipur.

Copy to the following :—

1. Dy. Secretary Mines, Jaipur for information and N/action.
2. Asst. Labour Commissioner (Center), Shri Bhawan, Station Road, Kota Rajasthan for information.
3. President, BMVKS, Udaipur.

Sd/-
Supdg. Geol. (Phos)

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 779 की सूची

परिशिष्ट "क"

जयपुर जिले के राजस्व संबंधी मामलों की 31.1.83 को न्यायालयवार मय विगत कब-कब से

नाम न्यायालय	दि. 31.1.83 को विचाराधीन राजस्व मामलों की संख्या	कब-कब से विचाराधीन है: छः माह पुराने	छः माह से अधिक 1 वर्ष से कम	1 वर्ष से अधिक 2 वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक	वि. वि.
1	2	3	4	5	6	7
कलेक्टर, जयपुर	495	148	132	71	144	
अति. कलेक्टर (प्रथम) जयपुर	•157	150	3	2	2	
,, (द्वितीय) जयपुर	1691	672	161	206	652	
उप जिलाधीश, जयपुर	1207	528	152	255	272	
उप जिलाधीश, आमेर	984	692	143	88	61	
उप जिलाधीश, सांभरलेक	565	125	67	263	110	
उप जिलाधीश, कोटपूतली	314	198	57	33	26	
उप जिलाधीश, दौसा	1099	400	141	253	305	
सहा. जिलाधीश (प्र.) जयपुर	434	85	140	112	97	
,, ,, (द्वि) जयपुर	296	283	....	....	13	
,, ,, (मु.) जयपुर	230	230	....	....	—	
,, ,, चौमू	532	532	....	....	....	
,, ,, शाहपुरा	545	104	143	4	294	
,, ,, सांभरलेक	702	388	55	87	172	
,, ,, बांदीकुई	679	362	147	107	63	
तहसीलदार, जयपुर—4	318	298	20	—	—	
,, ,, सांगानेर	81	81	—	....	—	
,, ,, चाकसू	120	120	....	....	....	
,, ,, बस्सी	363	363	—	—	—	

(270)

1	2	3	4	5	6	7
तहसीलदार	आमेर	318	265	34	19	....
,, ,,	चौमू	203	203	—	....	.
,, ,,	ज. रामगढ़	77	77	—	—	—
,, ,,	कोटपूतली	583	446	109	25	3
,, ,,	विराटनगर	836	611	225	....	....
,, ,,	दौसा	783	741	23	15	4
,, ,,	लालसोट	180	180	....	—.	....
,, ,,	बसवा	726	648	60	18	—
,, ,,	सिकराय	600	148	452	—	....
,, ,,	सांभरलेक	250	250	—		....
,, ,,	दूदू	384	85	234	65	—
,, ,,	फागी	69	69	....	....	....
	योग	15821	9482	2498	1623	2218

कलेक्टर,
जयपुर जिला जयपुर

परिशिष्ट "ख"

जयपुर जिले के राजस्व सम्बन्धी मामलों की 31.1.83 की तहसीलवार सूची

न्यायालय का नाम	जयपुर	सांगानेर	चाकसू	बस्सी	आमेर	चौमू	ज. रामगढ़	कोटपूतली	विराटनगर	दौसा	लालसोट	बसवा	सिकराय	सांभर लेक	दूदू	फागी	योग	वि.वि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
कलेक्टर, जयपुर	301	160	7	4	3	1	—	2	2	9	—	—	—	4	1	1	495	
अति. कलेक्टर (प्रथम)	—	98	18	37	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	1	—	157	
अति. कलेक्टर (द्वि.)	62	51	46	38	167	33	169	46	106	195	144	110	143	116	108	157	1691	
उपजिलाधीश, जयपुर	520	499	122	63	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1207	
,, ,, आमेर	—	—	—	—	288	107	589	—	—	—	—	—	—	—	—	—	984	
,, ,, दौसा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	262	447	198	192	—	—	—	1099	
,, ,, कोटपूतली	—	—	—	—	—	—	—	296	18	—	—	—	—	—	—	—	314	
,, ,, सांभर लेक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	455	54	56	565	
सहा. जिलाधीश (प्रथम)	—	—	—	434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	434	
,, ,, (द्वितीय)	—	—	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
सहा. जिलाधीश (मुख्यालय)	150	72	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230
,, ,, बांदीकुई	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103	—	321	255	—	—	—	679
,, ,, शाहपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	545	—	—	—	—	—	—	—	545
सहा. जिलाधीश, सांभर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	263	223	216	702
,, चौमू	—	—	—	—	211	321	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	532
योग	1033	879	495	578	670	462	762	345	671	570	591	629	590	838	387	438	9930
योग समस्त तहसीलों का	318	81	120	363	318	203	77	583	836	783	180	726	600	250	384	69	5891
कुल योग	1351	960	615	941	988	665	839	928	1507	1353	771	1355	1190	1088	771	499	51821

कलेक्टर
जयपुर जिला जयपुर

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 780 का विवरण

राजस्थान सरकार
राजस्व (भूमि सुधार) विभाग
राजस्व अभियान की प्रगति वर्ष 1982-83 (1-1-82 से 15-2-83 तक)

क्र.सं.	नाम तहसील	व्यक्ति जिन्हें खातेदारी अधिकार दिये गये (संख्या)				नामान्तरकरण स्वीकार किये गये (संख्या)			
		अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य	योग	1.1 82 को प्रारम्भिक बाकी	दर्ज किये गये	निपटाये गये	अन्तिम बाकी
1.	पाली	350	114	665	1129	89	3650	3739	—
2.	बाली	117	84	93	294	140	6841	6981	—

उपनिवेशन भूमि का आवंटन — क्षेत्र एकड़ों में

	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य व्यक्ति		योग	
	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल
पाली	—	—	—	—	—	—	—	—
बाली	204	437	98	206	128	255	430	898

सिवायचक भूमि का आवंटन — सिलिंग का आवंटन

	सिवायचक: अनु. जाति		सिवायचक: अनु. जनजाति		सिवायचक: अन्य		सिवायचक: योग		सिलिंग: अनु. जाति		सिलिंग: अनु. जनजाति		सिलिंग: अन्य		सिलिंग: योग	
	सं.	क्षेत्र.	सं.	क्षेत्र.	सं.	क्षेत्र.	सं.	क्षेत्र.	सं.	क्षेत्र.	सं.	क्षेत्र.	सं.	क्षेत्र.	सं.	क्षेत्र.
पाली	54	206	18	64	74	276	146	546	3	13	—	—	5	25	8	38
बाली	492	957	436	968	295	562	1223	2487	19	53	29	60	72	149	120	262

आवंटियों को कब्जा दिलाना (उपनिवेशन भूमि में)

	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य		योग	
	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल
पाली		————		शून्य		————		
बाली	2	8	2	11	8	14	12	33

	अन्य सिवायचक भूमि में आवंटियों को कब्जा दिलाना								सीलिंग भूमि में आवंटियों को कब्जा दिलाना					
	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य		योग		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य	
	सख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	सं.	क्षेत्र.	स.	क्षेत्र.	सं.	क्षेत्र.	सं.	क्षेत्र.	सं.	क्षेत्र.
पाली	12	25	1	7	—	—	13	32	—	—	—	—	—	—
बाली	48	81	121	258	11	20	180	359	—	—	—	—	—	—

अतिक्रमण के मामलों का निपटारा

	नियमन द्वारा (संख्या)	बेदखली द्वारा (संख्या)	योग
पाली	44	587	631
बाली	20	2860	2880

	आवंटीगण की संख्या जिन्हें आवंटित भूमि का कब्जा पुन: दिलाया गया				रहन बिल कब्ज के मामलों जिनमें कब्जा दिलाया गया (संख्या)			
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	योग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	योग
पाली	13	2	—	15	5	1	2	8
बाली	50	123	19	192	30	15	13	58

	लगान की कमी						कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण (संख्या)			आबादी हेतु भूमि उपलब्ध करने के मामले निपटाये (संख्या)		
	कुल		निष्पादित		शेष		कुल	निपटाये	शेष	कुल	निपटाये	शेष
	सं.	राशि	स.	राशि	सं.	राशि						
पाली	68	60	68	60	—	—	13	8	5	98	55	43
बाली	79	460	79	460	—	—	12	12	—	77	72	5

	व्यक्ति जिन्हें ऋण हेतु भू-अभिलेख की प्रतियां दी गई (संख्या)			व्यक्ति जिन्हें ऋण मुक्ति हेतु प्रमाण पत्र जारी किये गये (संख्या)			राज. साहूकारी अधिनियम के तहत साहूकारों की संख्या जो उपजिलाधीशों को उपलब्ध कराई गई (संख्या)		
	कुल	निपटाये	शेष	कुल	निपटाये	शेष	कुल	निपटाये	शेष
पाली	545	545	—	222	222	—	—	—	—
बाली	88	88	—	1	1	—	21	21	—

	व्यक्तियों की संख्या जिन्हें वृद्धावस्था आदि की पेंशन तस्दीक एवं स्वीकृत किये गये (संख्या)				जनता से प्राप्त अभाव अभियोगों का तत्परता से निस्तारण करना (संख्या)		
	वृद्धावस्था	विकलांग	विधवा	योग	प्राप्त	निपटाये	शेष
पाली	67	4	—	71	181	181	—
बाली	244	116	116	476	1569	1569	—

	नये आवंटियों द्वारा सहकारिता की सदस्यता के फार्म भरना (सं.)	देवस्थान के मंदिरों की भूमि के अवैध हस्तान्तरण व गलत नामान्तरण के के बाद जाँच कर पाये जाने वाले की संख्या	अवाप्त सीलिंग कृषि अप्रयोग्य कृषि के वैकल्पिक उपयोग हेतु प्रस्ताव तैयार करना		शेष भूमि
			कुल अकृषि भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ों में)	प्रस्ताव जिसके लिये तैयार किये क्षेत्रफल (एकड़ों में)	
पाली	130	—	83	83	—
बाली	86	62	—	--	—

	मार्गों के अधिकार एवं अन्य सुखाचार के मामलों का निपटारा			खेतों की सीमा संबंधी विवाद निपटाये गये		वि.वि
	कुल संख्या	निपटाये गये मामलों की संख्या	शेष	कुल प्राप्त आवेदन पत्र (संख्या)	निपटाये गये मामलों की संख्या	मामले शेष
पाली	31	31	—	53	53	—
बाली	44	44	—	60	60	कटिंग आफ ग्रीन ट्रीज के 6 मामले

280

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 787 की सूची

CATEGORY AND DESIGNATION OF WORKMAN TO BE RETRENCHED.

Sl. No.	Name of Workman Father's Name	Designation	Date of Appmt.	Date of Retrenchmt.
1	2	3	4	5
1.	Shri Suresh Chandra Sharma s/o Bhurelal Sharma	Compositor	1.7.79	21.5.84
2.	,, Radhey Shyam Sharma s/o Hari Narain Sharma.	,,	1.7.79	,,
3.	,, Shesh Narain Sharma s/o Sant Hari Narain Sharma.	,,	20.7.79	,,
4.	,, Gaj Singh s/o Arjun Singh	,,	1.11.79	,,
5.	,, Babu Lal Kachwaha s/o Balu Singh Kuchwaha	,,	2 .11.79	,,
6.	,, Mohmed Rafiq s/o Mohd. Yusuf	,,	,,	,,
7.	,, Hiralal Panwar s/o Chaman Singh Panwar	,,	22.11 79	,,
8.	,, Suresh Kumar Sharma s/o Champalal	,,	23.11.79	,,
9.	,, Girdharilal Prajapati s/o Kanaram	,,	,,	,,
10.	,, Ghanshyam Sharma Laxman Singh	,,	28.11 79	,,

1	2	3	4	5
11.	Shri Kahendra Kumar s/o Harish Chandra	Compositor	5.2 80	21.5.84
12.	,, Shaitan Singh s/o Kalu Singh	,,	1.5.80	,,
13.	,, Dau Lal s/o Jethmal	,,	4.5.80	,,
14.	,, Bhura Ram Choudhary s/o Virmaram	,,	14 6.80	,,
15.	,, Jhethu Singh s/o Champalal	,,	1,9.80	,,
16.	,, Rugga Ram Virdharam	,,	1.12.81	,,
17.	,, Iqbal Hussain Wali Mohammad	,,	,,	,,
18.	,, Satvanarain Bansal s/o Kedarmal Bansal	,,	,,	,,
19.	,, Habib Khan s/o Mashid Khan	,,	,,	,,
20.	,, Jagdish Chandra Sharma s/o Dal Chand Sharma	,,	,,	,,
21.	,, P. R. Narayanan s/o P. M. Raman	,,	,,	,,
22.	,, Kailash Narayan s/o Knhaiyalal	,,	,,	,,
23.	,, Jagdish Prashad Sharma s/o Gullaram Sharma	,,	10.12.81	,,

1		2	3	4	5
24.	Shri	Shankar Lal Khati s/o Sunderlal Khati	Compositor	10.12.81	21.5.84
25.	,,	Ghanshyam Singh s/o Mool Singh	,,	,,	,,
26.	,,	Khuralal Patel s/o Hakramji Patel	,,	17.1.82	,,
27.	,,	Mohd. Aswaq s/o Abdul Khadar	,,	1.3.82	,,
28.	,,	Kameshwar Singh s/o Deepanarain	,,	19.2.83	,,
29.	,,	Surendra Chandra Sharma s/o Krishanvallabh Sharma	,,	1.9.83	,,

———

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 791 की सूची

राज्य में राजकीय संस्कृत महाविद्यालयों की जिले व स्थानवार सूची :

क्र. सं.	जिला	संस्था का नाम व स्थान
1.	जयपुर	राजकीय महाराजा संस्कृत कालेज, जयपुर
2.	,,	राजकीय शास्त्री संस्कृत कालेज, महापुरा
3.	,,	राजकीय शास्त्री संस्कृत कालेज, दौसा
4.	,,	राजकीय शास्त्री संस्कृत कालेज, मनोहरपुर
5.	,,	राजकीय शास्त्री संस्कृत कालेज, कालाडेरा
6.	झुंझुनू	राजकीय शास्त्री संस्कृत कालेज, निराणा
7.	अजमेर	राजकीय शास्त्री संस्कृत कालेज, अजमेर
8.	सीकर	राजकीय शास्त्री संस्कृत कालेज, सीकर
9.	बीकानेर	राजकीय आचार्य संस्कृत कालेज, बीकानेर
10.	अलवर	राजकीय शास्त्री संस्कृत कालेज, कोटकासिम
11.	माधोपुर	राजकीय शास्त्री संस्कृत कालेज, माधोपुर
12.	उदयपुर	राजकीय महाराणा जोधा संस्कृत कालेज, उदयपुर

————

284

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 792 की सूचियां

क्र.सं.	नई पुस्तकों के नाम	विषय	स्तर	लेखकों के नाम	पुराने लेखकों के नाम	प्रेस का नाम क्र.सं. 1 से 10 तक के लिए व प्रकाशक का क्रमांक 11 से 44 तक के लिये	मुद्रण आदेश व पाण्डुलिपि देने का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
				क्रमांक 1 से 10 तक की पुस्तकों का बोर्ड स्वयं मुद्रण व वितरण करायेगा			
1.	गद्य पद्य संग्रह	हिन्दी (अनि.)	हा सैक.	1. श्री मूलचन्द सेठिया 2. श्री डा. किरण नाहटा 3. श्री संतोषकुमार अत्रे	1. श्री नन्द चतुर्वेदी 2. श्री कृष्णगोपाल बीजावत	मैं जगदीश प्रिन्टर्स, नई दिल्ली	4-4-84
2.	कहानियां	,,	,,	,,	1. श्री नन्द चतुर्वेदी 2. श्री मेघराज मुकुल	1. श्रीमती कान्ता मारवाह	मै. जगदीश प्रिन्टर्स, नई दिल्ली	4-4-84
3.	गद्य पद्य संग्रह	,,	,,	सैकण्डरी	1. श्री भंवरलाल शर्मा 2. श्री राधामोहन पुरोहित 3. श्री प्रकाश आतुर	1. श्री वी. वी. वाजपई 2. श्री रमेशचन्द्र शर्मा	मै. स्नेह प्रिन्टर्स, अजमेर	30-3-84

1	2	3		4 5	6 7 8	9	
4.	जीवनियां	हिन्दी (अनि.)	सैकण्डरी	1. श्री ललितकिशोर 2. श्री ताराप्रकाश जोशी	1. श्री प्रेमचन्द विजय 2. श्री मदनलाल याज्ञिक	मै. जगदीश प्रिन्टर्स, नई दिल्ली	4-4-84
5.	एकांकी	,,	,,	1. श्री डा. नरेन्द्र भानावत 2. श्री शकरलाल माहेश्वरी	1. श्रीमती सीता अग्रवाल	,,	4-4-84
6.	कोर्स रीडर	अंग्रेजी (अनि.)	नवीं कक्षा	1. श्री जी. एन. अरोड़ा 2. श्री रोशनलाल गुप्ता	1. श्री एम. के. मारवाह 2. श्री अशोक माथुर	मै. अजन्ता आसेट व पैंकिग्स, नई दिल्ली	2-4-84
7.	रेपिड रीडर	,,	,,	1. श्री मालीराम शर्मा 2. श्री आई. एन. भूथा	1. श्री जे. एन. बहुखण्डी 2. श्री एम. डी. शर्मा	11-4-84 को समिति की बैठक तय करेगी	नहीं दी
8.	कोर्स रीडर	अंग्रेजी (अनि.)	हा. सैक.	1. श्री बी. एल. व्यास 2. श्री अशोक माथुर 3. श्री लक्ष्मण भाटिया	1. श्री लक्ष्मण भाटिया 2. श्री एस. एस. व्यास	मै. टाइम्स प्रिंटिंग प्रेस, अजमेर	नहीं दी
9.	रेपिड रीडर	,,	,,	1. श्री एन. के जैन 2. श्री भवानीशंकर व्यास	1. श्री जे. एन. बहुखण्डी 2. श्री अशोक माथुर	मै. जगदीश प्रिंटर्स, नई दिल्ली	4-4-84
10.	संस्कृत (तृ. भाषा)	संस्कृत	सैकण्डरी	1. श्री डा. प्रभाकर शास्त्री 2. श्री श्रीराम द्विवेदी 3. श्री वासुदेव शास्त्री	1. डा. आर. सी. द्विवेदी 2. डा. चन्द्रशेखर पुरोहित 3. डा. के. पी. डी. शर्मा	मै. अजन्ता आफसेट व पैंकिग्स, नई दिल्ली	2-4-84

285

1	2	3	4	5	6	7	8
				क्रमांक 11 से 44 तक की पुस्तकों का प्रकाशन व विक्रय अधिकार प्रकाशकों दिया गया :—			
11.	पद्य	हिन्दी (बं.)	हा. सैक.	1. श्री रामगोपाल गोयल 2. श्री खेमचन्द चतुर्वेदी	1. श्री जयसिंह नीरज 2. श्रीमती सुशीला गुप्ता	मै. इंडिया बुक हाउस, जयपुर	3-4-84
12.	गद्य	,,	,,	1. श्री गणपतिचन्द भंडारी 2. श्री राधाचरण सारस्वत	1. श्री नरेन्द्र भानावत	मै. अनुराग प्रकाशन, अजमेर	31-3-84
13.	छंद अलंकार	,,	,,	1. श्री डा. बी. एल जोशी 2. श्रीमती कमला अग्रवाल 3. श्री रतनलाल जैन	1. श्री बद्रीप्रसाद पंचोली	मै. कृष्ण ब्रदर्स, अजमेर	नहीं दी गई
14.	गद्य		सैक.	1. श्री नरपतचन्द सिंघवी 2. श्रीमती ओमप्यारी-गहलोत	1. श्री गणपतिचन्द्र भंडारी	मै. रवि प्रकाशन, अजमेर	31-3-84
15.	पद्य	,,	,,	1. डा. राजकुमारी कौल 2. डा. विजय कोठारी	1. डा. प्रकाश आतुर	,, ,,	31-3-84
16.	कहानियां	,,	,,	1. श्री रामचन्द्र देवपुरा 2. डा. एम. एल. गोयल	1. डा. रामगोपाल गोयल	मै. त्रिवेणी प्रकाशन, अजमेर	3-4-84

1	2	3	4		6	7	8
17.	संस्मरण-रेखा-चित्र रिपोर्ताज	हिन्दी (वै) ,,	सैकण्डरी ,,	1. डा. उदयवीर शर्मा 2. श्री राधेश्याम त्रिपाठी	1. डा. रामदत्त शर्मा	मै. विजय ब्रदर्स, अजमेर	नहीं दी गई
18.	कोर्स रीडर	अंग्रेजी (अनि.)	,,	1. श्रीमती सरलारानी 2. श्री एस. पी. जैन वडहेरा 3. श्री एस. एन. दाधीच	1. श्री एम. के. मारवाह 2. श्री अशोक माथुर	मै. हिन्दी प्रकाशन मंदिर. सीकर	31-3-84
19.	रेपिड रीडर	,,	,,	1. श्री पी. एस. श्रीमाली 2. श्री ललितमोहन तिवारी	1. श्री दिनेश मिश्र 2. श्री धैर्यकुमार	मै. रतन प्रकाशन मन्दिर, आगरा	27-3-84
20.	प्रोज सलेक्शन	अंग्रेजी (वैक.)	हा. सैक.	1. श्री भीमसेन 2. श्री बी. डी. वैष्णव	1. श्री आर. एल. गुप्ता 2. श्री एस. एन. दाधीच	मैं. यंगमैन एंड कं., अजमेर	3-4-84
21.	सामाजिक ज्ञान	(अनिवार्य)	सैक.	1. श्री जे. एन. पुरोहित 2. श्री जी. एल. देवपुरा 3. श्री एस. एम. मेहता 4. श्री पी. एन. दलाल	1. श्री रतनलाल नाहर 2. श्री कृष्णस्वरूप राजोरा 3. श्री वी. एल. पारीक 4. श्री दिनेशचन्द्र जोशी 5. श्री जवाहरलाल झवर	मै. अनुराग प्रकाशन. अजमेर	2-4-84
22.	भौतिकवि ज्ञान	प्रायोगिक	हा. सैक.	1. डा. जे. एम. गांधी 2. श्री नेत्रपाल गुप्ता	1. डा. एम. जी भाटवडेकर 2. श्री तारूलाल दशोरा	मै. प्रकाशनालय, अजमेर	27-3-84

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	सामान्य विज्ञान अनिवार्य		सैक.	1. श्री जी. एस. माथुर 2. श्री कमल पोखरना 3. श्री सुन्दरलाल माथुर	1. श्री ज्ञानेन्द्र शर्मा 2. श्री आई. एस. भंडारी 3. श्री एस. वी. अग्रवाल एवं अन्य लेखक	इस पुस्तक के दो प्रकाशक हैं :— 1. मै. कृष्णा ब्रदर्स, अजमेर 2. मै. रतन प्रकाशन मंदिर, आगरा	 5-4-84 3-4-84
24.	अर्थशास्त्र-प्रथम	वैकल्पिक (कला वर्ग)	सैक.	1. श्री जी. एम. के.-मदनानी 2. श्री जी. एस. भटनागर 3. श्री एस. के. अग्रवाल	1. श्री जयप्रकाश गुप्ता 2. श्री आर. पी. गुप्ता 3. श्री एन. के. शर्मा 4. श्री हीराचन्द मन्त्री 5. श्री बी. एल. जोशी	मै. प्रकाशनालय, अजमेर	नहीं दी गई
25.	अर्थशास्त्र द्वितीय	,,	,,	1. श्री सी. आर. कोठारी 2. श्री सी. एल. बरला	1. श्री गणपत सिंह 2. श्री विजयप्रकाश एवं अन्य	मै. विजय ब्रदर्स, अजमेर	नहीं दी गई
26.	बहीखाता (वैक.)	वाणिज्य	सैक.	1. डा. के. एन. गुप्ता 2. श्री गजमल सिंघवी	1. श्री जैन, खण्डेलवाल एवं पारीक	मै. विजय ब्रदर्स, अजमेर	27-3-84

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	बहीखाता (वैक.)	वाणिज्य	हा. संक.	1 श्री एन. एम. कोठारी 2. श्री डी. सी. मेहता 3. श्री गजराज जैन	1. श्री एन. के. शर्मा 2. इन्द्रमल राठी 3. श्री ए. सी जैन	मै. राजस्थान प्रकाशन, जयपुर	29-3-84
28.	व्यापार पद्धतिज्ञान (वैक.)	वाणिज्य	संक.	1. श्री लालचन्द डोसी 2. श्री राधेश्याम सिंघल 3. श्री नरेन्द्रसिंह कोठारी	1. श्री के. आर. कुम्भट 2 श्री के. सी. जैन 3. श्री ओ. पी. माथुर एवं अन्य	मै. मिश्रा ब्रदर्स, अजमेर	27-3-84
29,	व्यापार पद्धतिज्ञान (वैक.)	वाणिज्य	हा. संक.	1. श्री इन्द्रमल खींचा 2. श्री मदनलाल बाफना 3. श्री वी के. डंगायच	1. श्री जी. एल. जोशी 2. श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल	मै. मिश्रा ब्रदर्स, अजमेर	27-3-84
30.	इतिहास-प्रथम (वैक)	कलावर्ग	संक.	1. श्री यू. एन. दीक्षित 2. श्रीमती संतोषकुमारी	1. श्री कृष्णमुरारीलाल-श्रीवास्तव 2. श्री कालूलाल शर्मा 3. श्री राजेश्वर व्यास	मै. राजस्थान प्रकाशन, जयपुर	28-3-84
31.	इतिहास-द्वितीय (वैक)	कलावग	संक.	1. श्री एम. एल. गर्ग 2. श्री पी. एल. पारीक	1. कालूलाल शर्मा 2. श्री राजेन्द्र व्यास 3. डा. बी. एल. माथुर 4. श्री हेतसिंह व 5. श्री दुर्गाप्रसाद	मै. मिश्रा ब्रदर्स, अजमेर	नहीं दी गई

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	इतिहास-प्रथम (बैंक.)	कला वर्ग	हा. सैक.	1. डा. पारसराज शाह 2. श्री प्रेमशरण सिन्हा	1. श्री सत्यनारायण दुबे 2. श्री पी एन. माथुर 3. श्री गिरजाशंकर मिश्र, लूणिया, कालूराम व पगारे	मै राजस्थान प्रकाशन, जयपुर	3-4-84
33.	इतिहास-द्वितीय (बैंक)	कला वर्ग	हा. सैक.	1. डा. रामगोपाल शर्मा 2. श्री वी एस. भार्गव	1. श्री राजेश्वर व्यास 2. श्री रमेशचन्द्र विजय	मै. अनुराग प्रकाशन अजमेर	28-3-84
34.	भूगोल-प्रथम (बैंक)	कला वर्ग	सैक.	1. श्री जी. एन. भटनागर 2. डा. शिवकुमार शर्मा	1. श्री जानकीलाल न्याती 2. श्री भंवरलाल गर्ग	मै यंगमैन एण्ड क., अजमेर	3-4-84
35.	भूगोल-द्वितीय (बैंक.)	कला वर्ग	सैक.	1. डा. के. के. शर्मा 2. श्री दाउदयाल शर्मा	1. श्री जानकीलाल न्याती 2. श्री भंवरलाल गर्ग	,, ,,	नहीं दी गई
36.	भौतिकविज्ञान (सैद्धा.)	विज्ञान वर्ग	हा. सैक.	1. डा. एम. जी. भाटवडेकर 2 श्री तारूलाल दशोरा 3. श्री बी. एल. पालीवाल 4. श्री के. सी. भंडारी	1. श्री डी. सी. कोठारी 2. श्री एम. एल. सिसोदिया 3. श्री आई. एस. भंडारी	मै. मिश्रा ब्रदर्स, अजमेर	27-3-84
37.	संस्कृत काव्य (बैंक)	कला वर्ग	सैक	1. श्री गंगाधर द्विवेदी 2. श्री पदमादत्त शास्त्री	1. डा. पुष्करदत्त शर्मा 2. सुश्री शांति भंडारी	मै. अजमेर पब्लिशिंग हाऊस, अजमेर	27-3-84

1	2	3	4	5	6	7	8
38.	संस्कृत नाट्य (वैंक)	कला वर्ग	सैक	1. डा. चन्द्रशेखर पुरोहित 2. श्री राधाकृष्ण शर्मा	1. डा. पुष्करदत्त शर्मा 2. सुश्री शांती मंडारी	मै. मार्डन पब्लिशर्स, अजमेर	27-3-84
39.	संस्कृत अर्वाचीन ग्रंथ (वैंक)	कला वर्ग	सैक	1. डा. पी. डी. शर्मा	पहलीबार लागू	,, ,,	27-3-84
40.	संस्कृत गद्यकारों का प्रतिनिधत्व (वैंक.)	कला वर्ग	सैक.	1. डा. सुधीर कुमार गुप्त 2. श्रीमती कृष्णकान्ता-गुप्ता	1. श्री ललितकिशोर एवं 2. श्री रामचन्द्र शास्त्री	,, ,,	27-3-84
41.	संस्कृत पद्य (वैंक.)	कला वर्ग	हा. सैक.	1. डा. चन्द्रकिशोर गोस्वामी	1. डा. ब्रह्मानन्द शर्मा	मै. गाडोदिया पुस्तक मंडार, बीकानेर	28-3-84
42.	संस्कृत नाट्य (वैंक.)	कला वर्ग	हा. सैक.	1. श्री वासुदेव आर्य	पहली वार लागू	,, ,,	28-3-84
43.	संस्कृत अर्वाचीन गद्य संकलन (वैंक)	कला वर्ग	हा. सैक.	1. डा. लक्ष्मीनारायण शर्मा 2. श्री चन्द्रशेखर तुलसीया	1. श्री रमेशचन्द शास्त्री	मै. मार्डन पब्लिशर्स, अजमेर	27-3-84
44.	संस्कृत अर्वाचीन गद्य (वैंक.)	कला वर्ग	हा. सैक.	1. डा. विष्णुराम नागर 2. श्री नर्मदाशंकर उपाध्याय	पहलीबार लागू	मै. गाडोदिया पुस्तक मंडार, बीकानेर	28-3-84

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 794 की तालिका

जिला सवाईमाधोपुर में पंचायत समितिवार ग्रामों के विद्युतीकरण की स्थिति

क्र. सं.	पं. स. का नाम	कुल ग्राम	माह मार्च 1984 तक विद्युतीकृत ग्राम	शेष स्वीकृत ग्राम	टोटल स्वीकृत कवरेज ग्राम (4 + 5)	प्रतिशत	शेष अस्वीकृत ग्राम
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	महुआ	152	45	107	152	100%	—
2.	टोड़ाभीम	141	58	83	141	100%	—
3.	हिण्डौन	126	112	13	125	99.21%	1
4.	नादौती	84	74	10	184	100%	—
5.	वामनवास	145	85	59	144	99.31%	1

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	गंगापुर	115	76	39	115	100%	—
7.	करौली	185	51	126	177	95.68%	8
8.	सपोटरा	205	70	64	134	65.37%	71
9.	बौंली	175	147	28	175	100%	—
10.	खण्डार	166	43	52	95	54.29%	81
11.	सवाईमाधोपुर	146	84	1	85	58.22	61
	योग	16'0	845	582	1427	86.48%	223

(२९५)

परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न संख्या 795 की तालिका

वर्ष 1983–84 में स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की नई परियोजनाओं का जिलेवार वितवरण

क. सं	जिले का नाम	योजनाओं की संख्या नार्मल	एसपीए	हरिजन बस्ती	योग	कुल ऋण राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर	4	5	—	9	269·320
2.	अलवर	1	1	....	2	53·051
3.	बासंवाड़ा	2	....	2	4	117·14
4.	बाड़मेर	—	1	—	1	13·340
5.	भरतपुर	—	1	....	1	24·811
6.	भीलवाड़ा	2	—	....	2	73 113
7.	बीकानेर	....	—	2	2	5·846
8	बून्दी	—	—	1	1	1 219
9.	चित्तौड़गढ़	6	—	....	6	355·687
10.	चूरू	3	....	1	4	191·918
11.	धौलपुर	....	—	—	....	....
12.	डूंगरपुर	....	....	1	1	0·298
13.	जयपुर	6	1	1	8	286 772
14.	जालौर	1	3	1	5	134 979
15·	झुंझुनू	—	2	....	2	41·739
16.	झालावाड़	3	—	—	3	150 015
17.	जोधपुर	1	3	....	4	149·153
18.	जैसलमेर	1	....	1	2	63·765
19.	कोटा	3	2	1	6	148 913
20.	नागौर	—	—	....	—	—

1	2	3	4	5	6	7
21.	पाली	2	1	1	4	118.740
22.	सवाईमाधोपुर	2	2	2	6	367·635
			(कोपरेटिव)			
23.	सीकर	....	2	....	2	33·340
24.	सिरोही	....	4	2	6	90·780
25.	श्रीगंगानगर	3	....	1	4	152·960
26.	टोंक	1	3	1	5	87·705
27	उदयपुर	9	3	2	14	107·291
	कुल :—	50	34	18+2 =20	104	3339·530

296

परिशिष्ट 18

अतारांकित प्रश्न संख्या 796 की सूची

वर्ष 1982–83 एवम् 1983–84 में अलवर जिले में बिजली की चोरी करते हुए पकड़े गये उद्योगों एवं उनसे वसूल की गयी राशि का विवरण

क्र०सं०	उद्योग का नाम	उद्योग का स्थान	राशि जो वसूल की गई
1	2	3	4
1.	मैसर्स शिव फ्लोर मिल	गोबिन्दगढ़	3,096 00
2.	मैसर्स पूरणमल छोटेलाल	थाना (राजगढ़)	15,966.42
3.	मैसर्स श्री बाबूलाल पुत्र किशोरीलाल	ऊंटवल (रामगढ़)	2,990.72
4.	श्री रामजीलाल पुत्र श्री सीताराम	समूंची (लक्ष्मणगढ़)	4,701.26
5.	श्री राधेश्याम पुत्र वासुदेव	चिरखाना (किशनगढ़)	506.00
6.	श्री हरिप्रसाद पुत्र श्री बुद्धिलाल	बड़ोदा मेव (लक्ष्मणगढ़)	4,125.70

1	2	3	4
7.	श्री केहरारामपुत्र मोहराराम	रामपुर	1,500.00
8.	श्री रामस्वरूप पुत्र मुरलीधर	बानसूर	1,776.60
		योग	34,662 70
9.	श्री हनुमान मिनरल्स	राजगढ़	वसूल की जाने वाली राशि का निर्धारण अभी नहीं किया गया है। यह उपभोक्ता एच. टी. श्रेणी का है। इसके मामले में कुछ जानकारी निदेशक (वाणिज्यिक), रा. रा. वि. म., जयपुर द्वारा और चाही गई है, जिसके प्राप्त होने के बाद इस उपभोक्ता से वसूल की जाने वाली राशि का निर्धारण कर दिया जावेगा।

२९८

परिशिष्ट 19

अतारांकित प्रश्न संख्या 801 की समय सारिणी

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, चित्तौड़गढ़

निम्नलिखित समय सारिणी के अनुसार चित्तौड़गढ़ से वाहन संचालित की जा रही हैं :

क्र. सं.		कहां से	कहां को	प्रस्थान	पहुँचने का
1.		चितौड़	जयपुर	05-15	13-15
2.		जयपुर	चित्तौड़	14-15	22-15
3.		चित्तौड़	जयपुर	08-15	16-15
4.		जयपुर	चित्तौड़	07-45	17-15
5.		चित्तौड़	दिल्ली	21-00	11-15
6.		दिल्ली	चित्तौड़	16-15	06-00
7.		चित्तौड़	अहमदाबाद	08-00	18-30
8.		अहमदाबाद	चित्तौड़	09-00	19-30
9.	1	चित्तौड़	बांसवाड़ा	09-00	14-45
	2	बांसवाड़ा	चित्तौड़	15-45	21-45
10.	1	चित्तौड़	नीमच	06-30	08-30
	2	नीमच	चित्तौड़	09-15	11-15
	3	चित्तौड़	प्रतापगढ़	14-45	18-30
11.	1	प्रतापगढ़	चित्तौड़	06-30	10-00
	2	चित्तौड़	नीमच	14-00	16-00
	3	नीमच	चित्तौड़	16-45	18-45
12.		चित्तौड़	रतलाम	07-30	14-00

क. सं.	कहां से	कहां को	प्रस्थान	पहुंचने का
13. 1	रतलाम	चित्तौड़	08–30	15–30
2	चित्तौड़	भीलवाड़ा	15–45	18–15
3	भीलवाड़ा	चित्तौड़	18–30	20–45
14.	चित्तौड़	बून्दी	06–00	12–00
2	बून्दी	चित्तौड़	14–30	21–00
15.	चित्तौड़	कोटा	08–00	15–30
16.	कोटा	चित्तौड़	12–30	20–00
17.	चित्तौड़	बेगूं	09–30	12–00
2	बेगूं	चित्तौड़	13–30	16–00
3	चित्तौड़	बेगूं	16–30	20–15.
18.	माण्डलगढ़	चित्तौड़	07–30	11–45
2	चित्तौड़	बेगूं	12–15	14–45
3	बेगूं	चित्तौड़	15–45	17–45
19.	बून्दी	चित्तौड़	06–30	12–45
2	चित्तौड़	बेगूं	13–30	16–00
3	बेगूं	चित्तौड़	16–30	19–00
20.	बेगूं	चित्तौड़	07–45	10–15
2	चित्तौड़	कोटा	15–15	22–15
21.	कोटा	चित्तौड़	07–00	14–30
2	चित्तौड़	बेगूं	17–30	20–00
22.	चित्तौड़	नाथद्वारा	06–00	10–00
2	नाथद्वारा	चित्तौड़	11–00	15–00
3	चित्तौड़	नाथद्वारा	15–15	19–45
23.	नाथद्वारा	चित्तौड़	06–00	10–00

क्र. सं.	कहां से	कहां को	प्रस्थान	पहुंचने का
2	चित्तौड़	नाथद्वारा	10–45	14–45
3	नाथद्वारा	चित्तौड़	15–00	19–00
24.	चित्तौड़	नाथद्वारा	07–30	11–30
2	नाथद्वारा	चित्तौड़	14–00	17–00
3	चित्तौड़	नाथद्वारा	18–00	22–00
25.	नाथद्वारा	चित्तौड़	09–00	13–00
2	चित्तौड़	नाथद्वारा	14–45	18–45
26.	नाथद्वारा	चित्तौड़	07–30	11–00
2	चित्तौड़	नाथद्वारा	12–45	16–45
3	नाथद्वारा	चित्तौड़	18–00	22–00
27.	चित्तौड़	उदयपुर	06–30	10–00
2	उदयपुर	चित्तौड़	11–45	16–00
3	चित्तौड़	आकोला	16–30	18–45
28.	आकोला	चित्तौड़	07–00	09–45
2	चित्तौड़	उदयपुर	11–15	14–45
3	उदयपुर	चित्तौड़	16–30	20–00
29.	चित्तौड़	उदयपुर	07–30	11–00
2	उदयपुर	भीलवाड़ा	15–00	21–45
30.	भीलवाड़ा	उदयपुर	07–00	11–45
2	उदयपुर	चित्तौड़	14–00	18–00
31.	चित्तौड़	उदयपुर	09–30	13–30
2	उदयपुर	कपासन	15–30	20–00
32.	राशमी	उदयपुर	06–00	10–45
2	उदयपुर	चित्तौड़	13–30	17–00

क. सं.	कहां से	कहां को	प्रस्थान	पहुंचने का
33.	चित्तौड़	भीलवाड़ा	09–30	12–00
2	भीलवाड़ा	उदयपुर	12–30	18–30
34.	उदयपुर	भीलवाड़ा	6–45	12–45
2	भीलवाड़ा	चित्तौड़	13–30	16–00
35.	चित्तौड़	भीलवाड़ा	11–45	14–45
2	भीलवाड़ा	उदयपुर	14–30	21–30
36.	उदयपुर	भीलवाड़ा	07–45	14–30
2	भीलवाड़ा	चित्तौड़	15–15	17–45
37.	चित्तौड़	उदयपुर	11–45	16–00
2	उदयपुर	कपासन	17–00	20–00
38.	कपासन	राशमी	09–00	09–45
2	राशमी	कपासन	11–00	11–45
3	कपासन	राशमी	12–30	13–45
4	राशमी	कपासन	13–45	14–30
5	कपासन	राशमी	15–00	15–45
6	राशमी	कपासन	17–15	19–30
39.	चित्तौड़	उदयपुर	12–30	16–00
2	उदयपुर	चित्तौड़	18–00	21–30
40.	उदयपुर	चित्तौड़	08–00	11–30
2	चित्तौड़	उदयपुर	14–15	17–45
41.	उदयपुर	चित्तौड़	09–15	12–15
2	चित्तौड़	उदयपुर	16–30	20–00
42.	उदयपुर	चित्तौड	11–15	14–45
2	चित्तौड़	उदयपुर	18–00	21–30

302

क्र. सं.	कहां से	कहां को	प्रस्थान	पहुंचने को
43.	कपासन	चित्तौड़	06–30	07–45
2	चित्तौड़	उदयपुर	13–45	18–00
44.	उदयपुर	चित्तौड़	09–45	14–00
2	चित्तौड़	कपासन	19–15	20–30
45.	सावराजी	चित्तौड़	09–45	11–00
2	चित्तौड़	भीलवाड़ा	13–15	15–45
3	भीलवाड़ा	चित्तौड़	16–30	18–45
4	चित्तौड़	सावराजी	19–15	20–30
46.	भीलवाड़ा	चित्तौड़	08–00	10–30
2	चित्तौड़	अजमेर	15–00	20–15
47.	अजमेर	चित्तौड़	09–15	14–30
2	चित्तौड़	भीलवाड़ा	16–45	19–15

परिशिष्ट 20

अतारांकित प्रश्न संख्या 802 की प्रति

No. F. 6(38) Home–7/81
Government of Rajasthan
Home (Gr. VII) Department

To,

The General Manager.
Western Railway.
Church Gate, Bombay.

Jaipur, dated the 7.1.83

Sub. : Kota-Chhitorgarh B. G.) Construction with perallel extension upto Neemuch.

Sir,

I am directed to refer to your letter No. ENG/W/400/2/13/1/(S) Vol. II dated 27.11.1982 and the convey the approval of the State Govt. for the alignment of the above railway line via Bundi-Mohanpura-Mandal-garh-Parsoli-Chhitorgarh.

You are therefore requested to kindly ensure the execution of the project accordingly.

Yours faithfully,
Sd/-
(A. K. Gupta)
Dy. Secretary to the Govt.)

304

परिशिष्ट 21

अतारांकित प्रश्न संख्या 803 का विवरण

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	(मात्रा टीनों में) वर्ष 1982-83	वर्ष 1983-84
1.	पाली	6518	893
2.	रोहट	—	—
3.	बाली	125	105
4.	सुमेरपुर	525	1165
5.	सोजत	—	...
6.	जैतारण	—	....
7.	रायपुर	....	....
8.	देसूरी	.....	....
9.	मारवाड़ जंक्शन	...	....
10.	रानी	....	....

नोट :—जिला प्रशासन द्वारा पंचायत समितियों में पाम आयल का वितरण कराने के लिए पाली जिले की सभी तहसीलों को पाम आयल का आवंटन किया जाता है। केवल पाली एवं बाली तहसीलों की पंचायत समितियों में ही पाम आयल की मांग होने के कारण पंचायत समिति पाली, बाली एवं सुमेरपुर में पाम आयल का वितरण हुआ है। अन्य पंचायत समितियों में पाम आयल की मांग न होने से पाम आयल का वितरण नहीं हुआ है।

परिशिष्ट 22

अतारांकित प्रश्न संख्या 218 की तालिका

राजकीय उपक्रम विभाग के अधीनस्थ कार्यरत राजकीय उपक्रमों के सम्बन्ध में सूचना

क्र. सं.	राजकीय उपक्रम का नाम	पूंजी नियोजन (लाख रु. में)	लाभ-हानि (लाख रु. में) 1980–81	1981–82	1982–83	1983–84 (संभावित)	विशेष विवरण
1.	गंगानगर शुगर मिल्स लि.	440·30	(—) 9·30	(+) 5·22	(+) 29·61	—×	×गंगानगर शुगर मिल्स का वित्तीय वर्ष जुलाई-जून है।
2.	राजस्थान स्टेट टेनेरीज लि.	157·66	(—) 37·22	(—) 11·09	(—) 25·57	(—) 30·00	
3.	हाईटैक प्रेसीशन ग्लास लि.	21·78	(+) 0·06	(+) 0·04	(+) 0·05	×	×लेखे तैयार किये जा रहे हैं।
4.	राजकीय ऊनी मिल्स	131·38	(+) 2·70	×	×	×	×जून, 1976 से मिल पट्टे पर है। अवाणिज्य संस्थान घोषित की गई।

क्र. सं	राजकीय उपक्रम का नाम	पूंजी नियोजन (लाख रु. में)	लाभ-हानि (लाख रु. में) 1980–81	1981–82	1982–83	1983–84 (संभावित)	विशेष विवरण
5.	राजस्थान स्टेट कैमिकल वर्क्स						
	(क) सोडियम सल्फेट संयन्त्र	102·65	(—) 8·70	(+) 0·37 (अनुमानित)	— ×	×	× लेखे तैयार किये जा रहे हैं। संयंत्र मई, 81 से पट्टे पर है।
	(ख) सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री	12·98	(+) 4·32	(+) 2·80 (अनुमानित)	(+) 1·00 (अनुमानित)	(+) 2·00 (अनुमनित)	
	(ग) सोडियम सल्फेट वर्क्स	0·78	(+) 17·01	(+) 27·32 (अनुमानित)	(+) 15·00 (अनुमानित)	(+) 17·00 (अनुमानित)	
6.	राजकीय लवण स्रोत, डीडवाना	13·94	(+) 19.98 (अनुमानित)	(+) 5·50 (अनुमानित)	(+) 5·72 (अनुमानित)	(+) 15·60	
7.	राजकीय लवण स्रोत, पचपदरा	1·93	(—) 0·27	(+) 3·61 (अनुमानित)	(+) 0·06 (अनुमानित)	(+) 0·15	

परिशिष्ट 23

अतारांकित प्रश्न सख्या 474 की तालिकाएं

राजस्थान नहर परियोजना

क्र.सं.	वर्ष	अनुबंध संख्या	फर्म का नाम	पंजीकृत/अपंजीकृत व श्रेणी	कार्य का नाम	राशि	पंजीकरण संख्या व दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1982–83	1	मै. बाबूलाल एण्ड कं. गजनेर रोड, बीकानेर	अपंजीकृत	कैनाल कालोनी बुर्जी 860 पर 16 आवास गृहों में बिजली सामग्री सप्लाई व फिटिंग का कार्य	20,809	—
2.	,,	2	मै. रामनारायण नया शहर, बीकानेर	पंजीकृत श्रेणी बी	भट्टा बुर्जी 65 बिरसलपुर शाखा पर 30 लाख पक्का टाइल व 1 लाख पक्का ईंट	6,66,146	मु.अ., रानप 1164-1224 दि. 21-10-81

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	1982–83	3	मैं. रामनाथ शंकरलाल	....	भुट्टोवाली वितरिका की लाइनिंग का कार्य बुर्जी 10-15	1,15,218	मु.अ., रानप 6686 दि. 7-9-82
4.	,,	5	मै. देवाराम ठेकेदार	पंजीकृत	बिरसलपुर शाखा की बुर्जी 57 पर बजरी प्रदाय कार्य	42,593	मु.अ., रानप 2724 दिनांक 11-8-82
5.	,,	6	मै. रामेश्वरलाल ठेकेदार	अपंजीकृत	सहायक अभियन्ता के कार्यालय का निर्माण कार्य बुर्जी 860 रा.मु.न.	43,788	....
6.	,,	7	कटारिया एण्ड सन्स ठेकेदार	तदर्थ	अधीनस्थ विश्राम गृह में बिजली फिटिंग का कार्य	8,500	....
7.	,,	9	मै. बसूराम मोहनलाल	अपंजीकृत	चिलन वितरिका की लाइनिंग बुर्जी 10 से 15	1,07,300	....
8.	,,	9	श्री पूरनाराम	....	कोलायत रेल्वे वैगन से सीमेन्ट उतराने व उसकी विभागीय स्टोर तक ढुलाई	67,500	....

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	1982–83	10	मै. विद्याराम मोहन-राम	अपंजीकृत	एक नम्बर पोस्ट ग्राफिस एवं ग्रावास गृह का बुर्जी 860 पर निर्माण कार्य	36,334	—
10.	,,	11	श्री कन्हैयालाल पंजारिया	,,	एक नम्बर टेलीग्राम ग्राफिस व सिगनसर का ग्रावास का बुर्जी 860 पर निर्माण कार्य।	36,361	—
11.	,,	12	,, कन्हैयालाल पंजारिया	,,	वायरलैस स्टेशन का बुर्जी 860 पर निर्माण कार्य।	19,184	—
12.	,,	13	मै. बिरधाराम मोहन-राम	,,	एक जिलेदार कार्यालय बुर्जी 860 पर निर्माण कार्य।	16,192	—
13.	,,	14	कटारिया एण्ड सन्स	,,	अधीनस्थ विश्राम गृह में सैनेटरी फिटिंग व जल आपूर्ति का कार्य बुर्जी 860 रामुन।	10,277	—

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	1982–83	15	मै. बालूराम मोहनलाल	अपंजीकृत	बिरसलपुर शाखा की बुर्जी 92.500 से 95 का लाइनिंग का कार्य	97,605	—
15.	,,	16	मै. देवाराम ठेकेदार	पंजीकृत	मडखान से बुर्जी 85 बिरसलपुर शाखा पर बजरी सप्लाई कार्य ।	1,41,366	मु.अ. रानप 7724 दि. 11-8-82
16.	,,	17	मैं. हजारीराम वन्शी-लाल	,,	गोकुल माइनर की बुर्जी 11.500 से 15.200 पर मिट्टी की खुदाई का कार्य ।	3,59,584	मु.अ., रानप 24123 183 दि. 2-12-81
17.	,,	18	मैं. अमराराम ठेकेदार	,,	गोकुल माइनर की बुर्जी 0 से 5 पर मिट्टी की खुदाई का कार्य ।	3,93,206	मु.अ., रानप, 6707 दि. 7-9-82
18.	,,	19	मैं. श्रीराम	,,	गोकुल की बुर्जी 5 से 11.500 पर मिट्टी की खुदाई का कार्य ।	4,84,567	मु.अ., रानप 27265–324

311

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	1982–83	20	मै. हजारीराम बंशीराम	पंजीकृत	बिरलापुर शाखा की बुर्जी 72.500 से 75.000 का लाइनिंग का कार्य	87,622	मु.प्र. रानप 24123–183 दि. 2-12-81
20.	,,	21	मै. आत्म प्रकाश कल्याणदास	,,	मुट्ठोवाली माइनर की बुर्जी 15 से 20 पर सिंगल टाइल लाइनिंग का एल डी पी ई फिल्म के साथ कार्य	95,743	मु.प्र., रानप 9163–9229 दि. 11-5-81
21.	,,	22	वालूराम मोहनलाल	अपंजीकृत	बिरसलपुर की शाखा की बुर्जी 77.500 से 80.000 तक लाईनिंग का कार्य	68,400	—
22.	,,	23	मैं. हजारीराम बंशीलाल	पंजीकृत	मुट्ठोवाली माइनर की बुर्जी 30 से 35.200 पर मिट्टी की खुदाई का कार्य	1,00,000	मु.प्र., रानप 24123–183 दि. 2-12-81
23.	,,	24	मै. रामेश्वरलाल पारीक द्वारा सत्यनारायण पारीक	अपंजीकृत	चिलन वितरिका पर हैड रेगुलेटर एवं क्रास रेगुलेटर का निर्माण कार्य बुर्जी 95.285 बिरसलपुर शाखा पर	80,000	—

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	1982-83	25	मै रामेश्वरलाल पारीक द्वारा सत्य-नारायण पारीक	अपंजीकृत	चिलन वितरिका बुर्जी 15-20 पर सिंगल टाइल लाइनिंग का एल डी पी ई फिल्म के साथ कार्य	80,000	—
25.	,,	26	मै. भंवरलाल ठेकेदार	अपंजीकृत	बिरसलपुर शाखा की बुर्जी 75 से 877.500 पर लाइनिंग का कार्य ।	1,00,000	—
26.	,,	27	मै. भंवरलाल ठेकेदार	,,	रूपसिंह माइनर की बुर्जी 0 से 5 पर सिंगल टाइल लाइनिंग का एल डी पी ई फिल्म के साथ कार्य	80,000	—
27.	,,	28	मै. जोराराम बनवारी-लाल ठेकेदार	,,	बिरसलपुर शाखा की बुर्जी 57.400 पर हैड रेगुलेटर का निर्माण कार्य		—
28.	,,	29	मै. मनीराम श्योलाल	पंजीकृत	गोकुल माइनर की बुर्जी 15.200 से 26.750 पर मिट्टी की खुदाई का कार्य	3,40,170.88	मुअ.,रानप 6832-97 दि. 10-4-81
29.	,,	30	मै. कटारिया एण्ड सन्स	अपंजीकृत	रूपसिंह माइनर की बुर्जी 5 से 10 तक लाइनिंग का कार्य	91,515	—
30.	,,	31	मै. बोराराम एण्ड कं. बनवारीलाल ठेकेदार	,,	बिरसलपुर शाखा की बुर्जी 66.500 पर हैड रेगुलेटर का निर्माण कार्य	?4,134	—

क. सं.	ठेकेदार का नाम	खण्ड कार्यालय का नाम	दिये गये कार्य का मूल्य (लाखों में)	पंजीकरण की श्रेणी	पंजीकृत किये जाने का माह	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै. उदयमोहन एण्ड कं.	रानप 28 वां खण्ड	12.92	बी	9-9-81	
		—do—		ए	2-9-81	
2.	मै भारत कन्ट्र. कं.	रानप पूगल शाखा–1	13.40+9.80	ए	2-9-81	
3.	मै. शंकर कन्ट्र. कं.	रानप 28 वां खण्ड	14.00	,,	1980	
4.	मै. उमाराम उदाराम	,,	0.58	,,	7-12-81	
		रानप पूगल शाखा–1	7.60	,,	,,	
5.	मै. खचीड एण्ड कं.	28 वां खण्ड	1.59	,,	26-5-81	
6.	भूरामल एण्ड कं.	,,	2.15	,,	—	
7.	मै. कृष्ण एण्ड कं.	,,	1.53	,,	31-7-81	
8.	मै. रामसापीर श्रमिक ठेका.	,,	0.65	सहकारी वि. से पीजकृत	—	
9.	मै. मित्तल एण्ड कं.	,,	5.37	बी	16-3-81	
		20 वां खण्ड	1.64	,,	,,	

1	2	3	4	5	6	7
10.	मै. अजमेर एण्ड कं.	28 वां खण्ड	3.89	बी	4-6-83	
		24 वां खंड	1.82	,,	,,	
11.	मै. रामप्रताप ठेकेदार	28 वां खंड	2.82	,,	15-1-82	
		पूगल शाखा–1	4.93	,,	14-1-82	
12.	मै. गांधी राम साहू	28 वां खंड	3 05	—	—	
13.	मै. कालूराम ठेकेदार	28 वां खण्ड	3.25	—	—	
14.	मै. खेताराम ठेकेदार	,,	0.39	—	—	
15.	मै. पूनाराम ठेकेदार	,,	0.71	—	—	
16.	मै. हाजीराम ईरभा खां	,,	3.31	बी	18-10-82	
		पूगल शाखा–1	7.08	,,	,,	
17.	मै. लक्ष्मीनारायण	28 वां खण्ड	0.80	....	....	
18.	मै. कसाना कन्शन्ट्र.कं.	28 वां खण्ड	7.99	ए	6-2-81	
		पूगल शाखा–1	24.83	,,	5-11-81	

1	2	3	4	5	6	7
19.	मै. नेनूराम ठेकेदार	28 वां खण्ड	4.19	बी	1983	
20.	मै. बीकानेर कन्ट्र. कं.	28 वां खण्ड	2·06	,,	26-8-82	
21.	मै. गोपालराम पेमाराम	24 वां खण्ड	10·10	बी	25-8-82	
22.	मै. विश्नोई एण्ड कं.	24 वां खंड	6.41	,,	—	
23.	मै. भंवरलाल इन्द्रकुमार	,,	8.74	,,	25-8-82	
24.	मै. रामेश्वरलाल भानाराम	,,	1.80	,,	5-2-83	
25.	मै. जयनारायण उदाराम	,,	2.75	....	....	
26.	मै. जयदेवसिंह	,,	11·54	सी	23-12-82	
27.	मै. राज. कन्ट्र. कं.	,,	1·81	,,	18-8-82	
28.	मै. रमजान जयदेव भीलवाड़ा	,,	3.42	....	....	
29.	मै. चौधरी कन्ट्र. क.	,,	1·99	....	....	
30.	मै. दिलीपसिंह एण्ड कं.	,,	2.02	बी	25-8-82	
31.	मै. धन्नाराम विश्नोई	पूगल शाखा–1	18.97	अ श्रेणी	30-10-82	
32.	मै. सन्तराम एण्ड कं.	—	13.45	,,	25-8-82	
33.	मनीराम सोकलाल	—	2.83	बी	10-4-81	
34.	मै. गोपालराम गुमानीराम	—	5.89	,,	19-7-82	

315

1	2	3	4	5	6	7
35.	मै. आर. आर. एण्ड कं.	पूगल शाखा–1	6.40	बी	25-7-81	
36.	मै. श्रीराम ठेकेदार	,,	11.68	अ	24-8-82	
37.	मै. अमीचन्द एण्ड कं.	रानप 20 वां खण्ड	1·82	बी	20-9-81	
38.	मै. बीरबलराम खीचाराम	,,	2.38	,,	25-11-81	
39.	मै. बगताराम	,,	1·77	,,	7-1-81	
40.	मै. बनारसीदास अजमेरसिंह	,,	2·01	सी	17-9-81	
41.	मै. जसनाथ एण्ड कं.	,,	1.76	बी	22-1-82	
42.	श्री कुन्दनलाल चाण्डक	,,	0.71	सी	23-8-82	
43.	मै नाथूसिंह	,,	1.90	....	....	
44.	मै. एस. आर. एस. कन्ट्र.	,,	1·82	बी	18-8-82	
45.	मै. तुलच्छाराम	,,	1.87	बी	—	

List of Contractor work Allotted During The Year 1982-83

S.No.	Name of Contractor	Amount	Class	Registered No & Date.
1.	M/c. Rai Sahibe c/o Ram Kumar JEN, Vaid Magha Ram Colony, Bikaner.	549495.84	B	28928/890 Dt. 25.1.82
2.	M/s Kher Chand & Co. Cheu-khuti, Bikanar.	109003.00	...	Un Reg.
3.	M/s Tirbal Ram Khiya Ram, Kamla Colony, Bikanar.	92116.26	B	16684/744 Dt 25.11.80
4.	Shiv Shakti Contractors. 12, Binani building, Alk Sagar Road, Bikaner.	1189591.00	B	9277/337 Dt. 12.5.81
5.	M/s Kishan & Co. Subhash-pura Bikanar.	905848.00	B	15339/99 Dt. 31.7.81
6.	Sh. Jetmal Singh, Near Jasana House, Kuchilpura, Bikaner.	304654.84	...	Un Reg.
7.	M/s Himalaya Agro Plastic (Parag) 44 Gautam Nagar, Race course, Baroda.	96728 00	...	-do-
8.	M/s Puran Ram Contractor, Village Golesar Teh, Ratangarh Distt., Churu.	182145.61	...	-do-
9.	M/s Moda Ram, Malioka Mohalla, Kani Bazar, Bikaner.	40591.00	...	-do-

(एग्रीमेंट लिस्ट सुपाठ्य नहीं होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

परिशिष्ट 24

अतारांकित प्रश्न संख्या 499 की तालिका

अध्यक्षों के सम्बन्ध में चाही गई क्रमवार सूचना (राशि रु० में)

क्र सं.	नाम निगम/मंडल	अध्यक्ष की नियुक्ति दिनांक	वेतन/मानदेय	भत्ता	यात्रा व्यय	सुविधा	अन्य	योग	खर्च की स्वीकृति राज्य सरकार/संचालक मंडल/अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	राजस्थान हाथ करघा परियोजना मंडल	13/7/81	....	—	7,018.50	46,788.41	....	53,806 91	जी हां
2.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम	1/10/81	—	—	1,45,863.13	1,25,213.70	—	2,71,076 83	जी हां
3.	राजस्थान राज्य होटल निगम	वर्तमान में कोई अध्यक्ष नहीं है।			....	—	—	—	....
4.	राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम	29/8/81	...	....	12,754,50	1,16,111.09	....	1,28,865.59	जी हां

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	राजस्थान लघु उद्योग निगम	10/6/81	....	—	2,61,344.78	81,704.00	2,04,456.39	5,47,504.17	जी हां
6.	राजस्थान राज्य बीज निगम	3/1/83	—	....	1,332.00	5,549.70	120.00	7,001.70	जी हां
7.	राजस्थान वित्त निगम	27/10/78	—	5100/–	63,342.00	13,778.00	....	82,220.00	जी हां
8.	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम	6/7/81	—	—	1,820.75	1,70,159.71	1,743.80	1,73,724.26	जी हां
9.	राजस्थान खनिज विकास निगम	17/8/81	....	—	38,249.18	—	4,493.42	42,742.60	जी हां
10.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम	22/10/83	12967.74	10083.59	9,784.72	16,875.24	3,725.04	53,436.33	जी हां
11.	राजस्थान स्टेट टेनेरीज लि०	19/7/81	सचिव, राजकीय उपक्रम विभाग पदेन अध्यक्ष हैं।						
12.	राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	22/8/77	....	....	84,453.25	2,73,980.62	—	3,58,433.87	जी हां

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	राजस्थान आवासन मंडल	—	सचिव, स्वायत्त शासन विभाग ही पदेन अध्यक्ष हैं।						
14.	राजस्थान राज्य पुल निर्माण निगम	3/8/83	19339.10	4141.85	10,597.25	4,420.90	....	38,489.10	जी हां
15.	राजस्थान राज्य विद्युत मंडल	11/8/82	32345.13	32054.18	52,234.96	73,444.90	...	1,90,0[illegible]9.17	जी हां
16.	राजस्थान राज्य परिवहन निगम	26/7/82	57580 65	35617.74	13,390.70	1,20,840.25	60,6[illegible]0.18	2,88,089.52	जी हां
17.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लि०	7/5/84	मुख्य सचिव, पदेन अध्यक्ष है।						
18.	भूमि विकास निगम	13/12/83	—	....	—	4,982.76	2,314.80	7,297.56	जी हां
19.	राजस्थान राज्य कृषि विपणन मंडल	27/7/83	वर्तमान में प्रशासक नियुक्त है।		—	—	....	—	—

परिशिष्ट 25

अतारांकित प्रश्न संख्या 513 सूची का ब्योरा एवं विवरण

क्र. सं.	नाम फरीकेन	नाम न्यायालय	वाद संख्या	स्थगन का प्रकार	क्षेत्र किस के पास है	क्षेत्र खनिज दोहन से वंचित है या नहीं	स्थगन का प्रकार एवं अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री अमरीक सिंह बनाम राज्य सरकार	मुसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर	304/81	स्थाई	सरकार के पास	दोहन कार्य से वंचित है	स्थगन आदेश के कारण वादग्रस्त क्षेत्र पट्टे पर नहीं दिया जा सका। स्थगन आदेश को निरस्त कराने हेतु न्यायालय डिस्ट्रिक्ट जज, उदयपुर में अपील संख्या 216/81 प्रस्तुत की गई। निर्णय दि. 13-10-83 द्वारा अपील खारिज कर दी गई। मूल वाद विचाराधीन है।

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	श्रीमती कुसुम कुमारी नलवाया	उच्च न्यायालय, जोधपुर	75/81	स्थाई	एजन	एजन	रिट्स से संबंधित क्षेत्र पर अन्य व्यक्तियों को क्षेत्र स्वीकृति हेतु स्थगन आदेश है। स्थागन आदेश दि. 8-1-81 को हटाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं हुई है।
3.	श्री दरपतसिंह बारहट	मुंसिफ मजिस्ट्रेट उदयपुर	29/80	,,	एजन	एजन	इस क्षेत्र का कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में लिया जा चुका है। मामले में जवाबदावा तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।
4.	श्री शिवानन्द गोस्वामी	एजन	94/82	,,	पट्टाधारी के पास	नहीं	वर्तमान में क्षेत्र पट्टाधारी के आधिपत्य में ही है। मामले में जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया गया एवं कार्यवाही जारी है।
5.	श्रीमती दलजीत कौर	एजन	145/83	,,	सरकार के पास	हां	मामले में जवाबदावा राज्य अभिभाषक द्वारा अनुमोदन के पश्चात न्यायालय में प्रस्तुत किया जावेगा।

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	श्री राजेन्द्र सिंह मेहता	उच्च न्यायालय, जोधपुर	1908/81	स्थाई	सरकार के पक्ष	हाँ	मामले की पैरवी खनिज अभियन्ता (रिट) जोधपुर द्वारा की जा रही है।
7.	श्री गोरधन सिंह	उच्च न्यायालय, जोधपुर	604/84	"	"	नहीं	क्षेत्र आर. एस. एम. डी. सी. को खनन कार्य हेतु दिये जाने की अनुमति के विरोध में यह वाद प्रस्तुत किया गया है। मामले पर कोई स्थगन आदेश नहीं है। अग्रिम कार्यवाही खनि अभियन्ता (रिट) जोधपुर द्वारा की जा रही है।
8.	श्री लक्ष्मण सिंह	उच्च न्यायालय जोधपुर	2608/82	–	अन्य पक्षकार	नहीं	विवादग्रस्त श्री भूपेन्द्र सिंह के पक्ष में स्वीकृत किया गया। क्षेत्र में खनन कार्य चालू है। स्वीकृति के विरुद्ध अपील की गई जिसमें किसी प्रकार का स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। अग्रिम कार्यवाही खनि अभियन्ता (रिट) जोधपुर द्वारा की जा रही है।

323

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	श्री द्वारकाधीश मन्दिर	मुंसिफ मजिस्ट्रेट, उदयपुर	500/81	स्थाई	पक्षकार के पास	हां	निजी जमीन में राज्य सरकार द्वारा डेलिनेशन प्लान बनाकर खनन पट्टे आबंटित करने के विरुद्ध यह स्थगन आदेश प्राप्त हुए हैं।
10.	श्री गोपाललाल मून्दड़ा	उच्च न्यायालय, जोधपुर	150/82	–	,,	–	यह एक सीमा विवाद का मामला है। जिसमें श्री गोपाल लाल मून्दड़ा द्वारा श्री महेश कुमार अग्रवाल को स्वीकृत क्षेत्र का संविदा निष्पादित किया परन्तु खनन कार्य बन्द रखने के आदेश दिये हैं।
11.	श्रीमती भगवती देवी अग्रवाल	उच्च न्यायालय, जयपुर	1704/81	–	सरकार के पास	–	खनि अभियन्ता (रिट) जयपुर द्वारा समय-समय पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है एवं क्षेत्र अन्य को नहीं देने का स्थगन आदेश है।

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	श्री मोहम्मद शेरखां पठान	उच्च न्यायालय, जोधपुर	816/81	–	पट्टाधारी के पास	हां	खनन कार्य नहीं करने का यह स्थगन आदेश प्रभाकर माईनिंग इण्डस्ट्रीज मन्दसौर के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत रोटरेशन के विरुद्ध प्राप्त किया गया।
13.	श्री हीरालाल टॉक	एजन	348/81	–	सरकार के पास	–	अन्य किसी को अनुदान नहीं करने का स्थगन आदेश है।
14.	श्री पुरूषोतमलाल	एजन	1999/82	अन्तरिम इन्जेक्शन	पक्षकार के पास	–	निजी जमीन होने से अन्य को आवंटन नहीं करने के स्थगन के आदेश हैं।
15.	श्री दिलीप कुमार	एजन	787/81	स्थाई	सरकार के पास	हां	अधिशुल्क एवं बकाया राशि नहीं जमा करवाने पर क्षेत्र खण्डित किया गया। इसके विरुद्ध पट्टाधारी ने रिट प्रस्तुत की है। स्थगन आदेश को हटाने का प्रयास खनि अभियन्ता (रिट) जोधपुर कर रहे हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	श्री रणजीतलाल नलवाया	उच्च न्यायालय, जोधपुर	277/81	यथास्थिति बनाये रखने के आदेश	पक्षकार के पास	नहीं	यह क्षेत्र सीमांकन के सबंध में रिट है। इसमें उच्च न्यायालय ने यथास्थिति रखने हेतु आदेश दिये हैं। श्री रणजीतलाल नलवाया के पक्ष में है।
17.	श्री पदमसिंह कछारा	मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,	91/18	अन्तरिम स्थगन	सरकार के पास	हां	क्षेत्र मुक्त घोषित किया जा चुका है। एवं अन्य आवेदनकर्ताओं को क्षेत्र स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किये गये हैं जो अभी विचाराधीन हैं।
18.	एजन	एजन	301/18	एजन	एजन	—	क्र. सं. 17 पर दर्शित वाद में अन्तरिम स्थगन आदेश को स्थाई स्थगन आदेश में परिवर्तित करने हेतु यह वाद दायर किया गया। अभी तक स्थागन प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य अभिभाषक, उदयपुर द्वारा समय-समय पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	श्री मूलचन्द	मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर (उत्तर)	312/79	स्थाई	सरकार के पास	हां	खनन पट्टा राज्य सरकार के आदेश दि. 20–1–76 से खण्डित किया जाकर क्षेत्र का आधिपत्य राज्य सरकार के कब्जे में है मामला न्यायालय में विचाराधीन है। बहस हेतु अगली तिथि 4-5-84 है।
20.	श्री जाकीर हुसैन	उच्च न्यायालय, जोधपुर	1629/83	अस्थाई	पट्टाधारी के पास	नहीं	पार्टी को पूर्व में खनन पट्टा दि. 11–3–83 तक स्वीकृत था। पार्टी ने नवीनीकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो अपूर्ण होने से अस्वीकृत किया गया गया। इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट दायर की एवं पांच सप्ताह का स्थगन आदेश प्राप्त किया था। वर्तमान में क्षेत्र का कब्जा पार्टी के पास है। मामले में खनि अभि. (रिट) जोधपुर द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	श्री नरेन्द्र कुमार नलवाया	एजन	1724/83	—	सरकार के पास	हां	आवेदन पत्र वन आरक्षित क्षेत्र में पड़ने से अस्वीकृत किया गया है। इसके विरुद्ध याचिका दायर की गई है। मामले में ख. अ. (रिट) जोधपुर द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही हैं।
22.	श्रीजगन्नाथ जोशी जोधपुर	उच्च न्यायालय, जोधपुर	72/66	अस्थाई	पट्टाधारी के पास	नहीं	पार्टी क्षेत्र में खनन कार्य कर रही है। पार्टी के क्षेत्र का अधिशुल्क निर्धारण 3.6 64 से 29.6.65 तक जिससे असंतुष्ट होने के कारण रिट दायर की गई है। ख.अ. (रिट) जोधपुर द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
23.	मं. भूपाल माईनिंग वर्क्स	उच्चतम न्यायालय, दिल्ली	5.5.72	स्थाई	—	हां	स्थगन आदेश हटाने हेतु राज्य के अभिभाषकों को लिखा गया लेकिन अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
21.	श्री रामलाल एण्ड सस	अपर जिला न्यायालय, भीलवाड़ा	77	एजन	—	हां	इसकी पेशी 21.4.84को है।

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	श्री दाऊलाल मेहता	उच्च न्यायालय, जोधपुर	2.5.83	स्थाई	....	हां	प्रभारी अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
26.	,, रामप्रसाद राजगडिया (मृतक) श्री पुरुषोतम लाल राजगडिया	एजन	81–82	स्थाई	....	हां	प्रभारी अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
27.	मै. मोइनिया मिनरल्स	सिविल न्यायालय, माण्डलगढ	23.1.84	अस्थाई	....	हां	24.4.84 को अगली पेशी है।
28.	श्री गणपतलाल सूर्या	एजन	23.1.84	एजन	—	हां	एजन
29.	श्रीमती सन्तोष बाई	उच्च न्यायालय, जोधपुर	1981	स्थाई	—	नहीं	यह क्षेत्र सुगनचन्द जैन को स्वीकृत है। क्षेत्र को यथावत रखने के आदेश हैं।
30.	श्री बसन्त कुमार	उच्च न्यायालय, जयपुर	1982	....	—	हां	राज. हाई कोर्ट में अगस्त 1982 से चल रहा है।
31.	श्री पूसाराम मानसिंहा	उच्च न्यायालय, जोधपुर	76–77	—	—	हां	राज. हाईकोर्ट जोधपुर में 76–77 से डबल बैंच में चल रहा है।

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	श्री अब्दुल हमीद	अपर सिविल न्यायाधीश क्र.सं.–5, जयपुर	23.12.83	अस्थाई	—	हां	अगली पेशी 19.4.84 को है।
33.	श्री छप्पर लाल	मुंसिफ मजिस्ट्रेट, जोधपुर	9.12.83	स्थाई	सरकार के पास	हां	यथास्थिति रखी जावे। मामला बहस के लिए विचाराधीन है।
34.	श्री भंवरलाल	एजन	21.11.83	....	....	—	एजन
35.	श्री देवीसिंह	एजन	7.1.84	—	पट्टाधारी के पास	नहीं	एजन
36.	श्री भंवरलाल	एजन	7.1.84	....	....	—	एजन
37.	श्री दुर्गा प्रसाद	उच्च न्यायालय, जोधपुर	2/81	....	....	—	पार्टी को क्षेत्र से नहीं हटाया जावे स्थिर भाटक बराबर जमा कराती रहे।
38.	मै. नीलकंठ केमिकल, जोधपुर	,,	10.10.80	....	—	....	वादग्रस्त क्षेत्र से वादी को बेदखल नहीं किया जा सकता।
39.	मै. मंगलम सीमेंट कं.	,,	484/83	—	सरकार के पास	हां	क्षेत्र अन्य को आवंटित नहीं करने के आदेश हैं।

1	3	4	5	6	7	8
40. श्रीमती जन्नत बाई	मुंसिफ मजिस्ट्रेट, कोटा	480/80	स्थाई	सरकार के पास	हां	क्षेत्र श्री कंवरजीत सिंह को स्वीकृत किया उसके विरुद्ध वादी ने क्षेत्र को यथास्थिति रखने का आदेश प्राप्त किया।
41. श्री नसीरुद्दीन	मुंसिफ मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी	—	....	पट्टाधारी के पास	नहीं	वाद को सैट असाइड करने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया है।
42. श्री जहूर अहमद	,,	—	—	....	—	ख.प. को यथास्थिति रखने के आदेश।
43. मै. पूर्विसकेत	एजन	....	....	...	....	ख.प. निरस्त नहीं किये जाने बाबत स्थगन आदेश।
44. श्री जगदीश सिंह	एजन	—	—	—	—	एजन
45. श्री हबीब मोहम्मद	एजन	....	....	—	—	एजन
46. श्री चुन्नीलाल	एजन	....	....	....	....	एजन
47. श्री शकील अहमद	एजन	....	....	....	....	एजन
48. श्री राजेन्द्रकुमार	एजन	....	....	....	....	एजन

331

1	2	3	4	5	6	7	8
49.	श्री रोशनलाल	उच्च न्यायालय, जयपुर	1831/80	....	....	....	यथास्थिति रखे जाने हेतु स्थगन आदेश।
50.	श्री रामनारायण व्यास	एजन	444/80	....	....	....	एजन
51.	श्री भंवरसिंह	एजन	349/82	....	....	....	एजन
52.	श्री हजारी लाल	एजन	679/81	....	सरकार के पास	हां	एजन
53.	श्री बाबूलाल	एजन	339/79	—	....	....	एजन
54.	श्री मोहनलाल	एजन	733/82	....	....	....	एजन
55.	श्री मीठालाल	मुंसिफ मजिस्ट्रेट, करौली	—	....	....	....	एजन
56.	श्री विमल चन्द जैन	अपर मुंसिफ जयपुर	/83	स्थाई	सरकार के पास	हां	यथा स्थिति रखी जाये।
57.	श्री विष्णु कुमार अग्रवाल	एजन	/81	एजन	एजन	हां	एजन
58.	श्री ग्यारसीलाल अग्रवाल	अति. सिविल जज, जयपुर	/79	एजन	....	....	एजन

1	2	3	4	5	6	7	8
59.	श्री ओमशरण शर्मा	अपर मुंसिफ, जयपुर	/82	स्थाई	सरकार के पास	हां	यथा स्थिति रखी जावे ।
60.	श्री भरत मल मोदी	उच्च न्यायालय, जयपुर	1365/82	एजन	एजन	हां	एजन
61.	श्री बसन्त कुमार अग्रवाल	एजन	570/79	एजन	एजन	हां	एजन
62.	श्री ग्यारसीलाल	सिविल जज, जयपुर	509079	एजन	पक्षकार के पास	नहीं	एजन
63.	श्री शंकरलाल टाक	उच्च न्यायालय, जयपुर	1128/80	एजन	पट्टाधारी के पास	—	पट्टाधारी को क्षेत्र से बेदखल नहीं किया जावें ।
64.	श्री गुलमोहम्मद प्रो. तंवर माइनिंग सिण्डीकेट	एजन	1545/80	एजन	सरकार के पास	हां	यथा स्थिति रखे जाने के आदेश
65.	श्री अब्दुल हमीद लालह	एजन	178/80	एजन	एजन	एजन	एजन
66.	श्री बी. एस. जाखड़	एजन	1751/75	एजन	एजन	एजन	एजन
67.	श्री शिवजीलाल मीणा	एजन	469/82	एजन	एजन	एजन	एजन

1	2	3	4	5	6	7	8
68.	श्री कपूरचन्द माली	एजन	787/82	एजन	एजन	एजन	एजन
69.	श्री सागरमल	सी जे.एम. झुंझुनू	/83	एजन	पट्टाधारी के पास	नहीं	एजन
70.	एजन	एम.जे.एम. ,,	/83	एजन	एजन	एजन	एजन
71.	श्री बिहारीलाल	उच्च न्यायालय, जयपुर	1808/82	एजन	एजन	एजन	एजन
72.	श्री रणजीत	मुंसिफ मजिस्ट्रेट, अजमेर	—	....	एजन	एजन	जानकारी नहीं
73.	श्री भगवतीलाल	एजन	....	....	एजन	एजन	एजन
74.	श्री छीतर	एजन	....	....	एजन	एजन	एजन
75.	श्री मांगी लाल	एजन	—	....	एजन	एजन	एजन
76.	श्री रतनलाल रैगर	एजन	....	....	एजन	एजन	एजन
77.	श्रीमती इन्द्रा देवी भार्गव	उच्च न्यायालय, जयपुर	—	....	एजन	एजन	—
78.	श्री मानसिंह बागले	मु. मुंसिफ मजिस्ट्रेट, केकड़ी	....	....	एजन	नहीं	यथा स्थिति रखे जाने के स्थगन आदेश

विवरण

जिला–भीलवाड़ा

क्र.सं.	उनवान	कब से चल रहा है	न्यायालय का नाम	स्थगन आदेश या इन्जेक्शन	क्षेत्र पट्टाधारी के आधिपत्य में है या नहीं	क्षेत्र में दोहन हो रहा या नहीं	स्थगन/इन्जेक्शन को निरस्त कराने की कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री भोपाल सिंह बनाम राज्य सरकार	1982	एम.एम. कोर्ट बिजौलिया	टी.आई.इ.	राज्य सरकार के पास	नहीं	जवाब प्रस्तुत कर दिया है। बहस हेतु 19-4-84 नियत है।
2.	श्री मदन लाल बनाम राज्य सरकार	,,	,,	निरस्त हुआ है	पट्टाधारी के पास	हां	स्थगन आदेश निरस्त हो चुका है। मूल वाद लम्बित है। पेशी 21-5-84 है।
3.	श्री शांती लाल बनाम राज्य सरकार	,,	,, ,,	टी.आई. है	यह विवाद रास्ते संबंधी है		जवाब पेश किया जा चुका। अग्रिम पेशी 28-3-84 की है।
4.	विकास पंचायत–तिलस्मा–बनाम राज्य सरकार	1981	,, ,,	नहीं	राज्य सरकार के पास	नहीं	स्थगन आदेश निरस्त हो चुका है। मूल वाद लम्बित है। पेशी 17-5-84 की है।
5.	,, ,, ,,	,,	,, ,,	नहीं	,,	,,	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	लक्ष्मीदेवी बनाम राज्य सरकार	1981	एम.एम कोर्ट बिजौलिया	टी.आई.	पट्टाधारी के पास	हां	यह राजस्व भूमि संबंधी काश्तकार व पट्टेधारी के बीच का विवाद है, विभाग की फार्मल पार्टी है। पशी 19-4-84 की है।
7.	आशा कुमारी बनाम राज्य सरकार	1982	,, ,,	टी.आई.	राज्य सरकार के पास	नहीं	जवाब पेश कर दिया है। बहस 19-4-84 को नियत है।
8.	भामिनी कुमारी बनाम राज्य सरकार	,,	,, ,,	,	आंशिक	,,	,, ,,
9	लक्ष्मी देवी बनाम जिला आदि	1980	,, ,,	नहीं	पट्टेधारी के पास	हां	यह खाते की भूमि संबंधी अन्य पार्टी से विवाद है तथा विभाग फार्मल पार्टी है। जवाबदावा पेश किया जा चुका है। पेशी 19-4-84 नियत है।
10	नन्दकिशोर बनाम राज्य सरकार	1981	,, ,,	—	—	—	स्थगन आदेश खारिज हो चुका है। मूल वाद लम्बित है।
11.	श्री शांतीलाल ओसवाल बनाम राज्य सरकार	1982	,, ,,	—	राज्य सरकार के पास	नहीं	स्थगन आदेश निरस्त हो चुका है। मूल वाद लम्बित है।
12.	धुलीलाल बनाम राज्य सरकार	1983	— —		पट्टाधारी के पास	हां	जवाब प्रस्तुत कर दिया गया है। अग्रिम पेशी 31-3-84 की नियत।

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	छीतरलाल बनाम राज्य सरकार	1983	एम.एम. कोर्ट बिजौलिया	नहीं	पट्टाधारी के पास	हां	यह मामला अनाविकृत की 10 गुणी रायल्टी से सम्बन्धित है। स्थगन खारिज हो चुका है। अग्रिम पेशी 28-3-84 की है।
14.	शांती देवी बनाम राज्य सरकार	1983	एम. एम. कोर्ट बिजौलिया	नहीं	पट्टेधारी के पास	हां	स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। मूल वाद लंवित है।
15.	मकरेडी समिति बनाम राज्य सरकार	,,	,, ,,	हां	राज्य सरकार के पास	नहीं	एम. एम. कोर्ट बिजौलिया द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की उसके खिलाफ जिला न्यायालय में विभाग ने अपील की। अपील की सुनवाई हेतु दिनांक 24-5-84 नियत है।
16.	मेनाल समिति बनाम राज्य सरकार	,,	,, ,,	,,	,,	,,	"
17.	विकास पंचायत मकरेडी बनाम राज्य सरकार	1980	,, ,,	नहीं	राज्य सरकार के पास	नहीं	स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है। मूल वाद लम्बित है।
18.	मांगीलाल बनाम राज्य सरकार	1981	,, ,,	,,	पट्टाधारी के पास	हां	स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज है। मूल वाद पेंडिंग है। पेशी 4-4-84 की है।

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	श्रवण मोंडू बनाम राज्य सरकार	1981	एम.एम. कोर्ट, बिजौलिया	हां	राज्य सरकार के पास	नहीं	जवाब पेश हो चुका है। बहस तिथि 31-3-84 है।
20.	कजोड़ ,, ,,	,,	,, ,,	,,	पट्टाधारी के पास	हां	मूल पार्टी एस. डी. ओ. मांडलगढ़ है तथा राजस्व सम्बन्धी प्रकरण है। विभाग फार्मल पार्टी है।
21.	श्री जगदीश ,, ,,	,,	,, ,,	,,	,, ,,	,,	,, ,,
22.	श्री मोहन ,, ,,	,,	,, ,,	,,	,, ,,	,,	,, ,,
23.	श्री लालू भील ,, ,,	,,	,, ,,	,,	,, ,,	,,	,, ,,
24.	श्री अब्दुल सत्तार ,, ,,	,,	,, ,,	,,	,, ,,	,,	,, ,,
25.	श्री डालू बंजारा ,, ,,	,,	,, ,,	,,	,, ,,	,,	,, ,,
26.	भेरा भील ,, ,,	1983	,, ,,	,,	,, ,,	,,	राज्य सरकार द्वारा पट्टा निरस्त कर दिया गया। पार्टी ने दावा पेश कर स्थगन प्रार्थना पत्र प्राप्त किया तथा 22-2-84 को कंफर्म किया। इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
27.	श्री मदनसिंह कांग ,, ,,	,, ,,	,,	,,	,, ,,	,,	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	श्री मामराज कुमावत बनाम राज्य सरकार	1983	एम.एम. कोर्ट बिजोलिया	हां	पट्टाधारी के पास	हां	राज्य सरकार द्वारा पट्टा निरस्त कर दिया गया : पार्टी नें दावा पेश कर स्थगन प्रार्थना पत्र प्रश्न प्राप्त किया तथा 22-2-84 को कंफर्म किया । इसके विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील करने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।
29.	श्री सुगनलाल ,, ,,	1983	,, ,,	,,	,,	,,	,, ,,
30.	चमना भील बनाम राज्य सरकार	1983	,, ,,	,,	,,	,,	,, ,,
31.	घीसा लुहार ,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,, ,,
32.	मोती भील ,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,, ,,
33.	बाली बलाई ,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,, ,,
34.	भंवरा मीणा ,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,, ,,
35.	रामकरण ,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,, ,,
36.	शम्भूलाल ,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,, ,,

339

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	हरजा बनाम राज्य सरकार	1983	एम. एम. कोर्ट बिजोलिया	हां	पट्टाधारी के पास	हां	राज्य सरकार द्वारा पट्टा निरस्त कर दिया गया। पार्टी ने दावा पेश कर स्थगन प्रार्थना पत्र प्राप्त किया तथा 22-2-84 को कंफर्म किया। इसके विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
38.	नाना भील ,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
39.	मैरू भील ,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
40.	रतना भील ,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
41	रामचन्द्र ,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
42	अरविन्द कुमार ,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
43.	नन्दा भील ,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
44.	हपीरा पठान ,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
45.	श्रीमती जैसी भील ,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
46. श्री भवानीलाल	बनाम राज्य सरकार	1983	एम.एम. कोर्ट बिजौलिया	हां	पट्टाधारी के पास	हां	राज्य सरकार द्वारा पट्टा निरस्त कर दिया गया। पार्टी ने दावा पेश कर स्थगन प्रार्थना पत्र प्राप्त किया तथा 22-2-84 को कंफर्म किया। इसके विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
47. मांगू धाकड़	,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
48. धूली लाल	,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
49. अमर चन्द	,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
50. श्रीलाल तेली	,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
51. बजरंगलाल अग्रवाल	,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
52. श्रीमती गाविंदीबाई	,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
53. श्री देवीलाल भील	,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
54. श्री ओम प्रकाश	,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,

(३५२)

1	2	3	4	5	6	7	8
55. श्री पन्ना रेगर भील	बनाम राज्य सरकार	1983	एम.एम. कोर्ट, बिलौलिया	हां	पट्टेधारी के पास	हां	राज्य सरकार द्वारा पट्टाकश निरस्त किया गया। पार्टी ने दावा पेश कर स्थगन प्रार्थना पत्र प्राप्त किया तथा 22-2-84 को कंफर्म किया। इसके विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
56. श्रीमती भाणी भील	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
57. मंगलाराम ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
58. श्री मदनलाल ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
59. श्री उदयलाल ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
60. श्री लालू बंजारा ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
61. श्री अब्दुल सतार ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
62. श्री फूलचन्द ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
63. सुरजाराम ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,

1	2	3		4	5	6	7	8
64. श्री घीसालाल	वनाम	राज्य सरकार	1983	एम. एम. कोर्ट बिजौलिया	हां	पट्टेधारी के पास	हां	राज्य सरकार द्वारा पट्टा निरस्त कर दिया गया। पार्टी ने दावा पेश कर स्थगन प्रार्थना पत्र प्राप्त किया तथा 22-2-84 को कंफर्म किया। इसके विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
65. श्री भंवरलाल भील	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
66. अब्दुल रहूफ	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
67. लालसिह	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
68. जुल्फकार	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
69. अशोक कुमार	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
70. कमलेश-कुमार	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
71. तेज कुमार	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
72. मोड़सिह	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
73. राजेन्द्र कुमार	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,

(344)

1	2	3	4	5	6	7	8
74.	श्री चन्द्रप्रकाश बनाम राज्य सरकार	1983	एस. एम. कोर्ट बेगूं	टी. आई. है	पट्टाधारी के पास	हां	राज्य सरकार द्वारा पट्टा निरस्त कर दिया गया है। पार्टी ने मुंसिफ कोर्ट बेगूं में बाद पेश कर स्थगन आदेश प्राप्त किया तथा कंफर्स करने पर विभाग ने जिला न्यायालय प्रतापगढ़ में अपील पेश की तथा सुनवाई हेतु 29-3-84 प्रथम पेशी नियत हुई है।
75.	श्री गोकुल रेगर ,,	,,	,, ,,	,,	,,	,,	,, ,,
76.	श्री प्रभुदयाल ,,	,,	,, ,,	,,	,,	,,	,, ,,
77.	श्री घुलोलाल ,,	,,	,, ,,	,,	,,	,,	,, ,,
78.	श्री शशि प्रकाश ,,	,,	,, ,,	,,	,,	,,	,, ,,
79.	श्रीमती लक्ष्मी देवी ,,	,,	,, ,,	,,	,,	,,	,, ,,
80.	श्री रणजीतसिंह ,,	,,	,, ,,	,,	,,	,,	,, ,,
81.	श्री रणजीतसिंह ,, ,,	1982	सी. जे. एम. कोर्ट मांडलगढ़	,,	,,	,,	स्थगन आदेश टी. आई. जारी किया हुआ है। जिसे हटाने बावत कार्यवाही जारी है।

1	2	3	4	5	6	7	8
83.	श्री केशीराम बनाम राज्य सरकार	1981	जिला न्यायालय भीलवाड़ा	हां	राज्य सरकार के पास	नहीं	लोअर कोर्ट द्वारा फैसला विभाग के पक्ष में हुआ जिस पर पार्टी ने आपत्ति पेश की। अपील की सुनवाई हेतु दिनांक 1-5-84 नियत हुई है।
83.	श्री हरमेन्दरसिंह „	1982	„	„	पट्टाधारी के पास	हां	यह पार्टियों के बीच का आपसी विवाद है तथा विभाग फार्मल पार्टी है। जवाब पेश किया जा चुका है। पेशी 24-5-84 की है।
84.	श्री शंकरलाल माली „	1982	„	„	„	„	„ „
85.	अरकेरड़ी समिति „	1983	„	„	राज्य सरकार के पास	नहीं	लोअर कोर्ट द्वारा फैसला विभाग के विरुद्ध हुआ। विभाग ने अपील की तथा पेशी 24-5-84 की है।
86.	मेनाल समिति „	„	„	„	„	„	„ „

1	2	3	4	5	6	7	8
87.	श्री भोपालसिंह बनाम राज्य सरकार	1982	जिला न्यायालय भीलवाड़ा	हां	पट्टेधारी के पास	हां	मामला अन्य पार्टियों से संबंधित है। विभाग फार्मल पार्टी है। पेशी 1–5–84 की है।
88.	भोपाल सिंह बनाम हरमेन्द्रसिंह	1982	राज्य उच्च न्यायालय जोधपुर	नहीं	,,	हां	ख अ. (रिट) जोधपुर प्रभारी अधिकारी हैं, प्रगति उनसे प्राप्त नहीं हुई है। विभाग फोर्मल पार्टी है।
89.	श्री भोपालसिंह बनाम शंकरलाल	1982	राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर	नहीं	पट्टाधारी के पास	हां	ख. अ. (रिट) जोधपुर प्रभारी अधिकारी हैं। प्रगति उनसे प्राप्त नहीं हुई है। विभाग फार्मल पार्टी है।
90.	श्री हरमेन्द्रसिंह बनाम राज्य सरकार	,,	,,	,,	,,	हां	,, ,,
91.	श्री शंकरलाल ,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,, ,,
92.	श्री घूलीलाल ,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,, ,,
93.	श्री भोपालसिंह ,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7	8
94.	श्री खोरासीराम बनाम राज्य सरकार	1983	राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर	हां	राज्य सरकार के पास	नहीं	यह बकाया वसूली का मामला है। ख. प्र. (रिट) जोधपुर से प्रगति प्राप्त नहीं हुई है।
95	श्री गोपालकृष्ण ,, ,,	1983	राज. उच्च न्यायालय जयपुर	नहीं	पट्टाधारी के पास	हां	रिट का एडमिशन होना है। ख. प्र. (रिट) जयपुर से प्रगति प्राप्त नहीं हुई है।
96.	श्री नाथूलाल ,, ,,	1982	एम.एम. कोर्ट जयपुर	हां	पट्टाधारी के पास	हां	विभाग की तरफ से जवाब पेश किया जा चुका है परन्तु एक अन्य पार्टी की तरफ से जवाब पेश नहीं हुआ है। अग्रिम तिथि 9-4-83 नियत है।

परिशिष्ट 26

अतारांकित प्रश्न संख्या 537 के निर्णय एवं निर्देश

परिशिष्ट 'अ'

प्रस्ताव संख्या 4 नेशनल 83 जोधपुर क्षेत्र
सुनवाई दिनांक 27-4-83
निर्णय दिनांक 26-9-83

विषय : जोधपुर क्षेत्र के राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

1. भारत सरकार के यातायात व नौकायान मन्त्रालय की अधिसूचना डी. डब्ल्यू डी. आई. टी. (11) 82 दिनांक 25-10-82 द्वारा राजस्थान राज्य के लिये राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों का कोटा 800 से बढ़ा कर 1200 कर दिया। जिसके फलस्वरूप सभी रीजन से कोटा तय करके आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये।

2. जोधपुर रीजन से प्राप्त आवेदन पत्रों पर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार जोधपुर द्वारा जोधपुर में दिनांक 27-4-83 को बैठक में विचार किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिट सं. 1201/83 बाबू सजाद खां बनाम आर. टी. ए. व अन्य के मामले में यह स्थगन आदेश दिया कि आर. टी. ए. आवेदन पत्रों पर सुनवाई करलें परन्तु अन्य आदेश होने तक आर. टी. ए. निर्णय की घोषणा नहीं करें। 23-9-83 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व के स्थगन आदेश को संशोधित करते हुये आदेश दिया कि एक स्थान रिक्त रखते हुये निर्णय घोषित किया जा सकता है। रिक्त स्थान छोड़ कर बाकी 66 के लिये प्रस्ताव पारित किया जाता है।

3. (अ) भारत सकार ने मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 63 (15) के अन्तर्गत राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के लिये नियम बनाये। मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 63 (12) ए में यह प्रावधान है कि एक व्यक्ति या कम्पनी को अधिक से अधिक कितने अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जा सकते हैं। 63 (12) बी में यह भी प्रावधान है कि अगर सभी शर्तों समान हों तो एक भूतपूर्व सैनिक को जिसके पास भारी वाहन चलाने का लाइसेन्स हो। अन्य आवेदकों से प्राथमिकता दी जावे।

(ब) भारत सरकार द्वारा पूर्व में जारी गाइडलाइन, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार को अनुज्ञापत्र स्वीकृत करते समय ध्यान में रखनी है। इस गाइडलाइन में यह बताया गया है कि नेशनल परमिट की योजना

का मुख्य उद्देश्य यह था कि जनहित में विभिन्न राज्यों व केन्द्र प्रसारित क्षेत्र के बीच माल का आवागमन शीघ्रता से हो सके। जो आवेदक इस उद्देश्य को पूरा करने में अपना योगदान दें उन्हें ये अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जाने चाहिये। इस गाइडलाइन के अनुसार सामान्यतया कुल रिक्त स्थानों के 50 प्रतिशत अनुज्ञापत्र उन व्यक्तियों को स्वीकृत किये जाने चाहिये जिनके पास अन्तर्राज्यीय अनुज्ञापत्र पहले से हों तथा 25 प्रतिशत आल राजस्थान व क्षेत्रीय अनुज्ञापत्रधारियों को तथा शेष 25 प्रतिशत यातायात के धन्धे में नये आने वाले तथा भूतपूर्व सैनिक तथा बेरोजगार ड्राइवर को स्वीकृत किये जावें। इसी गाइडलाइन में अन्य बातों के अलावा यह भी प्रावधान है कि अनुज्ञापत्र स्वीकृत करते समय भी ध्यान में रखा जावे कि एक ही व्यक्ति के पास ज्यादा अनुज्ञापत्र न हों जावें।

4. तीसरी श्रेणी में नये व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक तथा बेरोजगार ड्राइवर आते हैं। मोटरगाड़ी अधिनियम की धारा 63 (11) के अनुसार नेशनल परमिट उन व्यक्तियों को स्वीकृत किये जा सकते है जो स्वयं वाहन स्वामी हैं अर्थात उनके नाम वाहन पंजीकृत हो। इसके अनुसार नये व्यक्ति इस अनुज्ञापत्र को प्राप्त करने के पात्र तभी होते हैं जबकि वाहन उनके नाम पंजीकृत है। परिवहन विकास परिषद् की सिफारिश के अनुसार मल्टी एक्सिल वाहनों को अन्य वाहनों की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिये क्योंकि उनके भार ले जाने की क्षमता अधिक है तथा ईंधन भी कम खर्च होता है। साथ ही ऐसे वाहन हाइवे को कम नुकसान पहुंचाते हैं।

5. राजस्थान मोटरगाड़ी नियम के नियम 82 (सी) तथा मोटरगाड़ी अधिनियम की धारा 63 (11) ए के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लिये खाली स्थानों का क्रमशः 16 व 12 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जाने क प्रावधान है। इस प्रकार जोधपुर रीजन से नेशनल परमिट स्वीकृत किये जाने का श्रेणीवार विभाजन निम्न प्रकार है—

	नया	पुराना	कुल
अनुसूचित जाति	10	5	15
अनुसूचित जनजाति	8	8	16
सामान्य	33	3	36
	51	16	67

अगर उपयुक्त व्यक्ति न होने के कारण अनुज्ञापत्र जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को स्वीकृत नहीं किये जा सके तथा वे अनुज्ञापत्र सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को स्वीकृत किये जा सकते हैं तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का बचा हुआ कोटा एक साल के लिये सुरक्षित रखा जावे।

350

6. बैठक में उपस्थित आवेदक तथा आवेदकों के अभिभाषकों ने प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार को निवेदन किया कि जैसा कि मोटरगाड़ी अधिनियम की धारा 45 में प्रावधान है कि अनुज्ञापत्र सम्बन्धित रीजन के रहने वाले व्यक्तियों को ही स्वीकृत किये जाने चाहिए, उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में ऐसे व्यक्तियों को भी अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जो इस राज्य के निवासी भी नहीं थे। उन्होंने ये भी शिकायत की कि एक ही व्यक्ति जब भी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व अन्तर्राज्यीय अनुज्ञापत्रों के लिये जगह निकलती है विभिन्न रीजन में अनुज्ञापत्र प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि काफी मात्रा में जाली राशन कार्ड प्रचलित हुये हैं। जहां राशन कार्ड पुराना न हो या उससे कोई राशन लिया नहीं गया हो, उस राशन कार्ड पर भरोसा नहीं किया जावे।

7. आवेदक तथा उनके अभिभापक इस बात से सन्तुष्ट थे कि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार ने आवेदकों को वोटर लिस्ट, राशन कार्ड तथा क्षेत्र के रहने या मुख्य व्यापार स्थल के सम्बन्ध में अन्य कोई सबूत पेश करने के लिये कहा। कई आवेदकों द्वारा इस ओर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार का ध्यान आकर्षित किया कि आवेदक द्वारा बताई गई वाहन बैठक के दिनांक तक उनके नाम नहीं होती है इसलिये वाहन के स्वामित्व के लिये मूल पंजीयन प्रमाण पत्र देखा जावे। बैठक में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार ने यह आश्वासन दिया कि अनुज्ञापत्र स्वीकृत करते समय उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखा जावेगा जिससे क्षेत्र के बाहर के निवासी या बेनामी वाहन स्वामी अनुज्ञापत्र प्राप्त करने में सफल न हो सके।

8. उपरोक्त सभी मुद्दों को अनुज्ञापत्र स्वीकृत करते समय ध्यान में रखा गया। जब आवेदकों की संख्या रिक्त स्थानों से अधिक हो, तब यह आवश्यक है कि जिन लोगों ने अपने क्लेम के लिये अधिक ठोस सबूत पेश किये हों उन्हें (उन व्यक्तियों की अपेक्षा जिन्होंने जानबूझ कर या किसी अन्य कारण से कुछ तथ्य छिपाया हो) प्राथमिकता दी जावेगी।

9. निम्न आदेश में जो क्रमांक दिये गये हैं वे आवेदकों का वही क्रमांक है जो आपत्ति मांगने की अधिसूचना, जिसका प्रकाशन दिनांक 21–3–83 के राजस्थान राजपत्र में हुआ है।

10. स्वीकृत :

(अ) अनुसूचित जाति

1. अनुसूचित जाति के लिये पिछले कोटे में 5 तथा नये कोटे में 10 स्थान सुरक्षित रखे गये। इस क्षेत्र मे अनुसूचित जाति के कुल आवेदक 10 हैं।

2. क्रम सं. 175, 273 व 315 बैठक के समय उपस्थित नहीं थे इस प्रकार इन आवेदकों ने अपने पक्ष में उचित सबूत पेश नहीं किये। खुली बैठक में उपस्थित आवेदकों की तुलना में अपनी उपयोगिता अधिक बताने से असमर्थ रहे इसलिये इनके आवेदन पत्र खारिज किये जाते हैं।

3. आवेदन क्रमांक 65 के पास कोई वाहन नहीं है इसलिये इसका आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

4. क्रमांक 250 ने अपना अनुसूचित जाति का होने का सन्तोषजनक प्रमाण पेश नहीं किया इसलिये इनको इस कोटे से अनुज्ञापत्र स्वीकृत करना उपयुक्त नहीं समझा गया।

5. आवेदक क्रमांक 35, 90, 174, 281 और 298 के पास तैयार वाहन हैं। वे इस क्षेत्र के निवासी हैं अनुसूचित जाति के हैं अतः इनको अनुसूचित जाति के लिये सुरक्षित कोटे में एक एक अनुज्ञापत्र उनके द्वारा प्रस्तुत वाहन पर स्वीकृत किये जाते हैं।

(ब) अनुसूचित जनजाति

अनुसूचित जनजाति के कोटे के अन्तर्गत पिछले कोटे से 8 स्थान तथा नये कोटे से 8 स्थान सुरक्षित है। अनुसूचित जनजाति का केवल एक आवेदक है।

आवेदक क्रम सं. 23 के पास कोई वाहन नहीं है इसलिये इनका आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

इस प्रकार सामान्य कोटे से 61 अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जाते हैं।

(स) सामान्य

1. आवेदक क्रम सं. 94, 105, 178, 186, 211, 218, 219, 285 के पास अन्तर्राज्यीय अनुज्ञापत्र है इस प्रकार इनको अन्तर्राज्यीय व्यापार का अनुभव है। ये सभी जोधपुर रीजन के रहने वाले हैं तथा सभी के पास निर्धारित माडल के वाहनें हैं इसलिये उपरोक्त सभी को एक-एक नेशनल अनुज्ञापत्र उनके नाम के आगे संलग्न सूची में दिखाई गई वाहनों पर स्वीकृत किया जाता है। क्रम सं. 211 ने सुनवाई के दौरान निवेदन किया है कि यदि उन्हें परमिट स्वीकृत किया जावे तो उनके द्वारा एस. टी. ए. टी. में जो अपील कर रखी है उसे वापस कर लेवेंगे। इसलिये क्रम सं. 211 को इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि वे इस सम्बन्ध में प्रस्तुत अपील वापस ले लेंगे।

(352)

2. आवेदक क्रमांक 1, 4, 7, 15, 16 28, 29, 30, 32, 56, 60, 61, 73, 77, 87, 96, 99, 114. 133, 146, 148, 155, 170, 183, 187, 194, 203, 216, 240, 246, 250, 258, 264, 268, 283, 290, 297, 302, 305, 310, 313, 335, 339, 341 के नाम 1983 माडल के वाहन है तथा ये सभी इसी रीजन के निवासी हैं। अत: इन सभी को एक-एक नेशनल अनुज्ञापत्र इनके नाम के आगे संलग्न सूची में दिखाई गई वाहन पर स्वीकृत किया जाता है।

3. आवेदन क्रमांक 81, 139, 150, 184, 197, 312, 331, 342, के नाम 1982 माडल की वाहन है तथा ये सभी इसी रीजन के निवासी हैं। अत: इन सभी को एक-एक नेशनल अनुशल अनुज्ञापत्र उनके नाम के आगे संलग्न सूची में दिखाई गई वाहनों पर स्वीकृत किया जाता है।

11. अस्वीकृत

1. निम्न क्रमांक के आवेदक बैठक के समय उपस्थित नहीं थे इस प्रकार इन आवेदकों ने कोई उचित सबूत पेश नहीं किये। खुली बैठक में उपस्थित आवेदकों की तुलना में अपनी उपयोगिता अधिक बताने में असमर्थ रहे इसलिये इनके आवेदन पत्र खारिज किये जाते हैं क्रम सं. 11, 19, 20, 31, 34, 43, 50, 51, 52, 54, 78, 79, 80, 85, 86, 91, 104, 110, 112, 115, 116, 123, 128, 130, 132, 135, 141, 149, 153, 154, 158, 161, 164, 165, 175, 177, 180, 181, 185, 199, 201, 202, 243, 244, 245, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 269, 270, 273, 284, 286, 288, 292, 293, 294, 295, 300, 304, 308, 309, 311, 315, 319, 320, 323, 326, 327, 330, 336, 337, 348, 349, 350, 353, 356।

2. निम्न आवेदकों पास पास कोई तैयार वाहन नहीं है इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने वाहन का नम्बर तो बताया परन्तु सुनवाई के दिनांक तक वाहन का पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रमाणीकरण के लिये प्रस्तुत नहीं किया अत: इनके आवेदन पत्र अस्वीकृत किये जाते हैं। क्रम सं. 6, 12, 17, 22, 23, 24, 33, 36, 38, 40 41, 49, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 89, 97, 100, 106, 120, 126, 127, 136, 137, 142, 144, 151, 156, 160, 166, 173, 176, 205, 206, 214. 224, 228, 296, 301, 303, 306, 325, 329, 332, 346, 347।

3. निम्न आवेदकों ने जोधपुर रीजन में रहने या जोधपुर रीजन में मुख्य व्यापार स्थल होने का कोई सबूत स्पष्टतया पूछने के उपरान्त भी पेश नहीं किया अत: इनके आवेदन-पत्र खारिज किये जाते हैं क्रम सं 13, 18, 53, 57, 58, 97, 98 100, 166, 172, 189, 214, 235, 277, 306, 329।

4. निम्न आवेदक जो अन्तर्राज्यीय अनुभव रखते हैं परन्तु निम्न कारणों से उनके आवेदन-पत्र अस्वीकृत किये गये हैं :–

क्रम सं. 9 इनके द्वारा प्रस्तुत वोटर लिस्ट में तथा आवेदन पत्र में पिता के नाम भिन्न थे।

45 इनके द्वारा प्रस्तुत वाहन पर पूर्व में ही पश्चिमी क्षेत्र का अनुज्ञापत्र स्वीकृत है।

47 इनके द्वारा प्रस्तुत वाहन पर पूर्व में ही राजस्थान–गुजरात का अनुज्ञापत्र स्वीकृत है।

103 इनके द्वारा दो वाहनों के लिये आवेदन किया। एक वाहन आर. एस. एन. 4595 पर पूर्व में ही उत्तरी क्षेत्र का अनुज्ञापत्र स्वीकृत था तथा दूसरी वाहन का पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया।

117 इनका ड्राइविंग लाइसेन्स कोटा से जारी हुआ। वोटर लिस्ट में आवेदक का नाम हरनाम सिंह है तथा एक नेशनल परमिट जयपुर से है। इस तथ्य को इन्होंने छुपाया।

118 इनके द्वारा प्रस्तुत वाहन पर राजस्थान मध्य प्रदेश का अनुज्ञापत्र पूर्व में ही स्वीकृत है।

140 इनके पास एक नेशनल परमिट जोधपुर से स्वीकृत है यह तथ्य इन्होंने छुपाया।

152 इनके द्वारा प्रस्तुत वाहन पर पूर्व में ही उत्तरी क्षेत्र का अनुज्ञापत्र स्वीकृत है।

196 इसी प्रस्ताव में इनके भाई को एक अनुज्ञापत्र क्रमांक 186 पर स्वीकृत किया गया है।

198 वाहन का पंजीयन, ड्राइविंग लाइसेन्स तथा अस्थायी अनुज्ञापत्र (टेम्परेरी परमिशन) सभी अजमेर से बनी है। इसलिये इनके द्वारा रीजन का निवासी होना संदेह से परे नहीं है।

200 इसी प्रस्ताव में इनके भाई को एक अनुज्ञापत्र गजट क्रमांक 218 पर स्वीकृत किया है।

354

316 इसी प्रस्ताव में इनके भाई को एक अनुज्ञापत्र क्रमांक 246 पर स्वीकृत किया गया है।

(5) निम्न आवेदकों के पास 83 माडल की वाहनें हैं परन्तु प्रत्येक के आगे अंकित कारणों से इनके आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये—

क्रम सं. 93 आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदक पत्र व मतदाता सूची में आवेदक के नाम में अन्तर है।

131 इसी प्रस्ताव में इनके भाई को राजपत्र के क्रमांक 211 पर एक अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया गया।

134 आवेदन में आवेदक का नाम जीतराम है परन्तु मतदाता सूची में जीतमल है तथा आज राजस्थान का अनुज्ञापत्र जयपुर से है।

143 इनके द्वारा वोटर लिस्ट प्रस्तुत नहीं की और प्रस्तुत राशन कार्ड स्पष्ट नहीं है जिसके इनका इस रीजन का होना सन्देहप्रद है।

157 आवेदन व मतदाता सूची में पिता के नाम में अन्तर है

217 इसी प्रस्ताव में इनके भाई को राजपत्र क्रमांक 218 पर अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया गया है।

235 इस क्षेत्र का निवासी होने का कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया।

248 इनके द्वारा वोटर लिस्ट प्रस्तुत की और प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेन्स व आल राजस्थान का अनुज्ञापत्र जयपुर से है अतः इस रीजन का निवासी होना सन्देहास्पद है।

274 इनके द्वारा वोटर लिस्ट प्रस्तुत नहीं की। प्रस्तुत अस्थायी अनुज्ञापत्र जयपुर व जोधपुर से जारी किये गये इस प्रकार उनका इस रीजन का निवासी होना सन्देहप्रद है।

275 इनके द्वारा वोटर लिस्ट प्रस्तुत नहीं की गई व प्रस्तुत अस्थायी अनुज्ञापत्र जयपुर जोधपुर व उदयपुर, से जारी किये गये हैं इस प्रकार इनका इस रीजन का निवासी होना सन्देहास्पद है।

278 इनके द्वारा प्रस्तुत अस्थायी अनुज्ञापत्र जोधपुर व जयपुर से जारी किये हुए हैं इस प्रकार इनको इस रीजन का निवासी होना सन्देह से परे नहीं है।

352 इनके द्वारा वोटर लिस्ट प्रस्तुत नहीं की तथा अन्य प्रस्तुत डाकूमेन्ट से इनका इस रीजन का निवासी होना सन्देह से परे नहीं है।

12. (1) निम्न आवेदकों के पास 1982 व उसके नीचे माडल की वाहन है परन्तु जगह न होने के कारण इनको अनुज्ञापत्र स्वीकृत नहीं किया गया इनके आवेदन-पत्रों पर जो एक स्थान रिक्त रखा गया उसकी पूर्ति करते समय विचार किया जावेगा :

1982 माडल की वाहनें।

2, 5, 8, 10, 14, 21, 26, 27, 42, 44, 46, 48, 62, 71, 74, 75, 76, 101, 102, 108, 109, 111, 113, 119, 124 125, 129, 138, 165, 167, 168, 169, 171, 183, 188, 191, 192, 195, 204, 209, 210, 215, 225, 226, 231, 232, 239, 242, 251, 254, 256, 279, 282, 299, 317, 318, 321, 322, 333, 334, 338, 345, 355।

1981 माडल की वाहनें

3, 55, 63, 72, 83, 84, 88, 92, 95, 107, 121, 145, 147, 159, 179, 193, 208, 233, 252, 253, 267, 272, 276, 280; 289, 291, 307, 314, 324, 328, 340, 343, 351, 354।

1980 माडल की वाहनें

25, 39, 122, 162, 190, 247, 249, 287

1979 माडल की वाहनें

227, 255, 271

आवेदक क्रम सं. 37 के पास 1976 माडल की वाहनें है जो चार वर्ष पुरानी है जिस पर अनुज्ञापत्र स्वीकृत नहीं किया जा सकता अत: इनका आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

परिशिष्ट "क" में वर्णित प्रत्येक आवेदक को उनके नाम के आगे वर्णित वाहनों पर एक-एक राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र 5 वर्ष के लिए स्वीकृत किया जाता है। अपर सचिव जब तक आवेदक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त न करलें कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाहन किसी अन्य नेशनल, जोनल व अन्तर्राज्यीय अनुज्ञापत्र से कवर्ड नहीं है तथा वर्तमान में उसके पास कितने नेशनल, जोनल अन्तर्राज्यीय अनुज्ञापत्र है, जब तक अनुज्ञापत्र या नया आथोराइजेशन जारी नहीं करेंगे। अपर सचिव इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि आवेदक के पास ऐसे अनुज्ञापत्रों की संख्या अगर निर्धारित सीलिंग से अधिक हो तो जब तक उस सीमा में आने तक अन्य अनुज्ञापत्र सरेन्डर नहीं किया जावे तब अनुज्ञापत्र जारी नहीं करेंगे। अगर ये अनुज्ञापत्र आदेश के दिनांक से 60 दिन के अन्दर प्राप्त नहीं किये गये तो यह स्वीकृति स्वत: निरस्त समझी जावेगी।

ह०
सदस्य
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार
जोधपुर।

परिशिष्ट "ब"

प्रस्ताव संख्या 2 नेशनल परमिट/83/उदयपुर रीजन
सुनवाई का दिनांक 7–4–1983
निर्णय का दिनांक 2–5–1983

विषय—उदयपुर क्षेत्र के राष्ट्रीय अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में

1. भारत सरकार के यातायात व नौकायन मन्त्रालय ने अधिसूचना संख्या टी. डब्ल्यू/टी. आई. टी./11/82 दिनांक 25-10-1982 द्वारा राजस्थान राज्य के लिए राष्ट्रीय अनुज्ञा पत्रों का कोटा 800 से बढ़ाकर 1200 कर दिया। जिसके फलस्वरूप सभी रीजन से कोटा तय करके आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये गये।

2. उदयपुर रीजन से प्राप्त आवेदन पत्रों पर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार उदयपुर द्वारा उदयपुर में दिनांक 7. 4. 1983 की बैठक में विचार किया गया।

3. (अ) भारत सरकार ने मोटरगाड़ी अधिनियम की धारा 63 (15) के अन्तर्गत राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के लिए नियम बनाये। मोटरगाड़ी अधिनियम की धारा 63 (12) ए में यह प्रावधान है कि एक व्यक्ति या कम्पनी को अधिक से अधिक कितने अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जा सकते हैं। 63 (12) (बी) में यह भी प्रावधान है कि अगर सभी शर्तें समान हों तो एक भूतपूर्व सैनिक को, जिसके पास भारी वाहन चलाने का लाइसन्स हो, अन्य आवेदकों से प्राथमिकता दी जावे।

(ब) भारत सरकार द्वारा पूर्ण में जारी गाइडलाइन, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार को अनुज्ञापत्र स्वीकृत करते समय ध्यान में रखनी है। इस गाइडलाइन में यह बताया गया है कि नेशनल परमिट की योजना का मुख्य उद्देश्य यह था कि जनहित में विभिन्न राज्यों व केन्द्र प्रशासित क्षेत्र के बीच माल का आवागमन शीघ्रता से हो सके। जो आवेदक इस उद्देश्य को पूरा करने में अपना योगदान दें उन्हें ये अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाने चाहिये। इस गाइडलाइन के अनुसार सामान्यतया कुल रिक्त स्थानों के 50 प्रतिशत अनुज्ञापत्र उन व्यक्तियों को स्वीकृत किये जाने चाहिये जिनके पास अन्तर्राज्यीय अनुज्ञापत्र पहले से हो तथा 25 प्रतिशत आल राजस्थान व क्षेत्रीय अनुज्ञापत्रधारियों को तथा शेष 25 प्रतिशत यातायात के धन्धे में नये आने वालें तथा भूतपूर्व सैनिक तथा बेरोजगार ड्राइवर को स्वीकृत किये जावें। इसी गाइडलाइन में अन्य बातों के अलावा यह भी प्रावधान है कि अनुज्ञापत्र स्वीकृत करते समय भी ध्यान में रखा जावे कि एक ही व्यक्ति के पास ज्यादा अनुज्ञापत्र न हो जावें।

4. तीसरी श्रेणी में नये व्यक्ति, भूतपूर्व सैनिक तथा बेरोजगार ड्राइवर आते हैं। मोटरगाड़ी अधिनियम की धारा 63 (11) के अनुसार नेशनल परमिट उन व्यक्तियों को स्वीकृत किये जा सकते हैं जो स्वयं वाहन स्वामी हैं अर्थात् उनके नाम वाहन पंजीकृत हो। इसके अनुसार नये व्यक्ति इस अनुज्ञापत्र को प्राप्त करने में पात्र तभी होते हैं जबकि वाहन उनके नाम पंजीकृत हैं। परिवहन विकास परिषद की सिफारिश के अनुसार मल्टी-एक्सल वाहनों को अन्य वाहनों की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिये क्योंकि उनसे भार ले जाने की क्षमता अधिक है तथा ईंधन भी कम खर्च होता है साथ ही ऐसे वाहन हाईवे को कम नुकसान पहुंचाते है।

5. राजस्थान मोटर गाड़ी नियम के नियम 82 (सी) तथा मोटरगाड़ी अधिनियम की धारा 63 (11) ए के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के व अनुसूचित जन जाति के लिये खाली स्थानों का क्रमशः 16 व 12 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जाने का

प्रावधान है। इस प्रकार उदयपुर रीजन में नेशनल परमिट स्वीकृत किये जाने का क्षेत्र-वार विभाजन निम्न प्रकार है :—

	नया	पुराना	कुल
अनुसूचित जाति	8	8	16
अनुसूचित जनजाति	6	6	12
सामान्य	24	2	26
		कुल	54

अगर उपयुक्त व्यक्ति न होने के कारण अनुज्ञापत्र जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति को स्वीकृत नहीं किये जा सके तो वे अनुज्ञापत्र सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को स्वीकृत किये जा सकते हैं तथा अनुचित जाति व अनुसूचित जन जाति को बचा हुआ कोटा एक साल के लिये सुरक्षित रखा जावे।

बैठक में उपस्थित आवेदक तथा आवेदकों के अभिभाषकों ने प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार को निवेदन किया कि जैसा कि मोटरगाड़ी अधिनियम की धारा 45 में प्रावधान है कि अनुज्ञापत्र सम्बन्धित रीजन के रहने वाले व्यक्तियों को ही स्वीकृत किये जाने चाहिये, उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में ऐसे व्यक्तियों को अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जो इस राज्य के निवासी भी नहीं थे। उन्होंने यह भी शिकायत की कि एक व्यक्ति जब भी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व अन्तर्राज्यीय अनुज्ञापत्रों के लिये जगह निकलती है वे विभिन्न रीजन में अनुज्ञापत्र प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि काफी मात्रा में जाली राशन-कार्ड प्रचलित हुए हैं। जहां राशन-कार्ड पुराना न हो या उससे कोई राशन लिया नहीं गया हो, उस राशन कार्ड पर भरोसा नहीं किया जावे।

7. आवेदक तथा उनके अभिभाषक इस बात से संतुष्ट थे कि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार ने आवेदकों को वोटर लिस्ट, राशन कार्ड तथा क्षेत्र के रहने या मुख्य व्यापार स्थल के सम्बन्ध में अन्य कोई सबूत पेश करने के लिये कहा। कई आवेदकों द्वारा इस ओर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार का ध्यान आकर्षित किया कि आवेदक द्वारा बताई गई वाहन बैठक के दिनांक तक उनके नाम नहीं होती है इसलिए वाहन के स्वामित्व के लिए मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र देखा जावे। बैठक में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार ने यह आश्वासन दिया कि अनुज्ञापत्र स्वीकृत करते समय उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखा जायेगा जिससे क्षेत्र के बाहर के निवासी या बेनामी वाहन स्वामी अनुज्ञापत्र प्राप्त करने में सफल न हो सकें।

8. उपरोक्त सभी मुद्दों को अनुज्ञापत्र स्वीकृत करते समय ध्यान में रखा गया। जब आवेदकों की संख्या रिक्त स्थानों से अधिक हो, तब यह आवश्यक है कि जिन लोगों ने अपने क्लेम के लिये अधिक ठोस सबूत पेश किये हों उन्हें उन व्यक्तियों की अपेक्षा जिन्होंने जान-बूझकर या किसी अन्य कारण से कुछ तथ्य छुपाया हो, प्राथमिकता दी जावेगी।

9. निम्न आदेश में जो क्रमांक दिये गये हैं वे आवेदकों के वहीं क्रमांक हैं जो आपत्ति मांगने की अधिसूचना जिसका प्रकाशन दिनांक 4.3.1983 के राजस्थान राजपत्र में हुआ है :—

10. स्वीकृत :—

(अ) अनुसूचित जाति—

(i) अनुसूचित जाति के लिये पिछले कोटे में 8 तथा नये कोटे में 9 स्थान सुरक्षित रखे गये। इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति के कुल 16 आवेदक हैं।

(ii) क्रम संख्या 175 व 375 बैठक के समय उपस्थित नहीं थे। इस प्रकार इन आवेदकों ने कोई उचित सबूत पेश नहीं किया। खाली बैठक में उपस्थित आवेदकों की तुलना में अपनी उपयोगिता अधिक बताने में असमर्थ रहे। इसलिए इनके आवेदन पत्र खारिज किये जाते हैं।

(iii) आवेदक क्रम संख्या 35, 141, 194, 204, 372 के पास कोई वाहन नहीं है इसलिये इनके आवेदन पत्र खारिज किये जाते हैं। आवेदक क्रम संख्या 55 के पास कोई स्पेयर वाहन नहीं है, अत: इनका आवेदन पत्र भी खारिज किया जाता है।

(4) आवेदक क्रमांक 44, 54, 57, 118, 247, 323 व 349 के पास तैयार वाहन है। वे इस क्षेत्र के निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति के हैं। अत: इनको अनुसूचित जाति के लिये सुरक्षित कोटे में से एक एक अनुज्ञापत्र उनके द्वारा प्रस्तुत वाहन पर स्वीकृत किया जाता है।

(ब) अनुसूचित जन जाति :—

अनुसूचित जन जाति के कोटे के अन्तर्गत पिछले कोटे से 6 स्थान तथा नये कोटे से 6 स्थान सुरक्षित हैं। अनुसूचित जन जाति का कोई आवेदक नहीं है।

राजस्थान राज्य प्राधिकरण के आदेशानुसार एक स्थान रिक्त रखने के आदेश हैं। इस प्रकार सामान्य कोटे से 46 अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जाते हैं।

(360)

(सी) अन्य :—

(1) आवेदक क्रम संख्या 14, 22, 33, 56, 60, 63, 80, 122, 126, 151, 192, 207, 209, 231, 258, 259, 272, 284, 374 के पास अन्तर्राज्यीय अनुज्ञापत्र हैं। इस प्रकार इनको अन्तर्राज्यीय व्यापार का अनुभव है। ये सभी उदयपुर रीजन के रहने वाले हैं तथा सभी के पास निर्धारित मॉडल की वाहन हैं। इसलिये सभी को एक एक राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया जाता है।

(2) क्रम संख्या 207 ने एस. टी. ए. टी. में अपील कर रखी है। एस टी. ए. टी. के ये आदेश हैं कि इनके लिये एक रिक्त स्थान अपील का फैसला होने पर रखा जावे। इन्होंने बैठक में कहा कि अगर मुझे राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र मिल जाता है तो मैं अपनी अपील वापस ले लूंगा। इन्हें यह अनुज्ञापत्र इस शर्त के साथ दिया जाता है कि यह अपनी अपील वापस ले लेंगे।

(3) उदयपुर क्षेत्र में खनिज पदार्थ निकाले जाने सम्बन्धी कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिये एक्सप्लोजिव (विस्फोटक पदार्थ) की आवश्यकता होती है। ऐसे वाहन जो अन्य राज्यों से राजस्थान के लिये विस्फोटक पदार्थ लाते हैं जिनका उपयोग इस क्षेत्र में खनिज पदार्थ निकालने के लिये किया जाता है, उनकी विशेष उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उनको प्राथमिकता देना उपयुक्त होगा। क्रम संख्या 155 व 210 को उनके पास एक्सप्लोजिव वाहन होने के कारण अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया जाता है।

(4) आवेदक क्रम संख्या 26, 60, 207, 213 के पास ट्रेलर्स हैं। इनका आर. एल. डब्ल्यू. क्रमशः 41623, 27432, 25000 किलोग्राम है। तथा 213 का पंजीयन अस्थाई है। आवेदक क्रम संख्या 60 और 207 को ऊपर अनुच्छेद (सी–1) पर स्वीकृत कर दिया गया है। आवेदक क्रम संख्या 26, 213 को इनके द्वारा प्रस्तुत वाहन पर अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया जाता है।

(5) आवेदक क्रमांक 29, 51, 64, 73, 96, 103, 157, 163, 165, 167, 190, 217, 219, 225, 236, 244, 264, 304, 312, 318, 341, 344, 359, के नाम 1983 माडल वाहन है तथा ये सभी इसी रीजन के निवासी हैं। अतः इन सभी को एक एक नेशनल अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जाते हैं।

(1) अस्वीकृति :—

निम्न क्रमांक के आवेदक बैठक के समय उपस्थित नहीं थे। इस प्रकार इन आवेदकों ने कोई उचित सबूत पेश नहीं किया। खाली बैठक में उपस्थित आवेदकों की

तुलना में अपनी उपयोगिता अधिक बताने में असमर्थ रहे। इसलिये इनके आवेदन पत्र खारिज किये जाते हैं :—

9, 11, 17, 23, 25, 32, 34, 37, 40, 45, 50, 59, 67, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 89, 90, 102, 109, 110, 111, 113, 115, 116, 127, 130, 131, 132, 146, 150, 152, 153, 160, 162, 169, 173, 175, 176, 177, 178, 182, 187, 188, 203, 211, 214, 215, 216, 222, 223, 226, 240, 245, 251, 253, 255, 257, 260, 262, 65, 267, 270, 273, 289, 290, 292, 302, 309, 317, 321, 324, 325, 327, 329, 330, 331, 334, 335, 351, 353, 358, 360, 362, 364, 375, 379, 384, 392.

(2) निम्न आवेदकों के पास कोई तैयार वाहन नहीं है। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने वाहन का नम्बर तो बताया किन्तु सुनवाई के दिनांक तक वाहन का पंजीयन प्रमाण-पत्र वेरीफिकेशन के लिये प्रस्तुत नहीं किया। अतः इनके आवेदन पत्र अस्वीकृत किये जाते हैं :—

5, 7, 35, 39, 41, 43, 53, 58, 61, 84, 92, 98, 100, 101, 105, 119, 141, 120, 125, 136, 141, 143, 145, 156, 171, 174, 184, 189, 199, 200, 201, 202, 204, 208, 212, 220, 227, 229, 233, 234, 237, 242, 243, 250, 269, 277, 282, 283, 286, 297, 310, 322, 342, 357, 369, 372, 385, 387.

(3) निम्न आवेदकों ने उदयपुर रीजन में रहने या उदयपुर रीजन में मुख्य व्यापार स्थल होने का कोई सबूत स्पष्टतया पूछने के उपरान्त भी पेश नहीं किया। अतः इनके आवेदन पत्र खारिज किये जाते हैं :—

5, 42, 65, 119, 120, 136, 145, 171, 181, 184, 185, 208, 218, 229, 238, 254, 279, 281, 291, 347, 357, 369, 385, 387, 390.

(4) निम्न आवेदक जो अन्तर्राज्यीय अनुभव रखते हैं परन्तु उनको अनुज्ञापत्र निम्न कारणों से नहीं दिया गया है :—

27. इनके द्वारा प्रस्तुत वाहन पश्चिमी क्षेत्रीय लोक भार वाहन अनुज्ञापत्र से कवर्ड है। इनके पास अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिये अन्य कोई वाहन नहीं है।

288. इनके पास उत्तरी क्षेत्रीय अनुज्ञापत्र के अलावा एक राजस्थान-मध्यप्रदेश का अनुज्ञापत्र है। इस तथ्य को इन्होंने छिपाया है।

296. इसने बैठक में बताया कि इसके पास एक राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र है परन्तु इसके पास इसके अलावा एक राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र जयपुर रीजन से है जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों से चला रहे हैं। इस तथ्य को भी इन्होंने छुपाया है। इसके अलावा इनके पास दो उत्तरी क्षेत्रीय अनुज्ञापत्र हैं तथा जिस कम्पनी के यह साझेदार हैं उसके पास तीन अनुज्ञापत्र भी हैं।

314. इनके पिता के पास दो राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र हैं तथा इनके स्वयं के पास दो उत्तरी क्षेत्रीय अनुज्ञापत्र हैं। इसके अलावा जिस कम्पनी के ये साझेदार हैं उसके पास तीन अनुज्ञापत्र हैं।

319. इसी आदेश में इसके भाई को क्रम संख्या 318 पर राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया गया है।

320. इनके पास पश्चिमी क्षेत्रीय अनुज्ञापत्र के अलावा एक उत्तरी क्षेत्रीय अनुज्ञापत्र है इस तथ्य को इन्होंने छुपाया है।

376. इस व्यक्ति के पास एक राष्ट्रीय व पश्चिमी क्षेत्रीय अनुज्ञापत्र है तथा एक पश्चिमी क्षेत्रीय अनुज्ञापत्र अपनी पत्नी के नाम हस्तांतरित कराया है। इस प्रकार इसने यह कोशिश की है कि अनुज्ञापत्रों की संख्या तीन के नीचे ही रहे ओर हस्तांतरित अनुज्ञापत्र भी परिवार में ही रहे। इस प्रकार इनके पास तीन अनुज्ञापत्र हैं।

391. इस कम्पनी के पास पहले से तीन अनुज्ञापत्र हैं तथा इसके साझेपास दो दो अनुज्ञापत्र अलग से हैं।

5. निम्न आवेदकों के पास 1983 माडल की वाहनें हैं परन्तु प्रत्येक के आगे अंकित कारणों से उनके आवेदनपत्र अस्वीकृत किये गये हैं :—

1. इनके द्वारा प्रस्तुत वोटर लिस्ट में नाम अर्जुनलाल है जबकि आवेदन पत्र में अर्जुनकुमार है।

6. इनके द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड में यह पता नहीं चलता है कि राशन कार्ड किस रीजन से जारी से किया गया है। अतः इनका इस रीजन का निवासी माना जाना सन्देहास्पद है।

10. इसी आदेश में इसके भाई को क्रम संख्या 207 पर अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया गया है।

13. इनके ड्राइविंग लाइसेन्स में इनको गुजरात का निवासी होना बताया गया है। इसलिये इनको इस रीजन का निवासी माना जाना सन्देहास्पद है।

15. इनका ड्राइविंग लसेन्स जयपुर से जारी हुआ है। इनके ड्राइविंग लाईसेन्स में इनको जयपुर का निवासी होना बताया गया है। राशन कार्ड भी दिनांक 29-1-83 को ही अर्थात् अभी हाल ही बना हुआ है अतः इनको इस रीजन का निवासी माना जाना सन्देहास्पद है।

24. आवेदन पत्र में आवेदक के पिता का नाम कालू खां है। ड्राईविंग लाइसेन्स और मतदाता सूची में नाम कालू खां है।

31. इनके पास समस्त राजस्थान गुजरात का अनुज्ञापत्र एक उदयपुर रीजन से है तथा दूसरा जोधपुर रीजन से है इस तथ्य को इन्होंने छुपाया है।

33. इनके पास एक पश्चिमी क्षेत्रीय अनुज्ञापत्र है इस तथ्य को इन्होंने छुपाया है।

128. इनके ड्राईविंग लाइसेन्स में इनको बूंदी का निवासी बताया गया है इसलिये इनको इस रीजन का निवासी माना जाना सन्देहास्पद है।

147. इनके पास एक राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के अलावा राजस्थान गुजरात का अनुज्ञापत्र है इस तथ्य को इन्होंने छुपाया है।

148. इनके पास राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के अलावा एक राजस्थान मध्यप्रदेश अनुज्ञापत्र कोटा से है इस तथ्य को इन्होंने छुपाया है। इससे इनका इस रीजन का निवासी होना सन्देहास्पद है।

149. इनके ड्राईविंग लाइसेन्स में इनको सवाई माधोपुर का निवासी बताया गया है। इससे इनका रीजन का निवासी माना जाना सन्देहास्पद है।

172. इन्होंने जो राशन कार्ड पेश किया है उसके जारी होने की दिनांक नहीं है। इससे यह मालूम नहीं होता है कि ये इस रीजन में कब से रहते हैं। राशन कार्ड सन्देहास्पद है।

193. इनके द्वारा प्रस्तुत सभी कागजात व आवेदन पत्र में प्रार्थी के पिता के नाम में अन्तर है।

197. पंजीयन प्रमाण-पत्र का दूसरा पृष्ठ नहीं दिया है एवं इनके पास एक राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के अलावा एक राजस्थान गुजरात का अनुज्ञापत्र है इसको इन्होंने छुपाया है।

228. आवेदनपत्र व मतदाता सूची में प्रार्थी के नाम में अन्तर है।

248. इस आवेदक ने इसी वाहन पर पश्चिमी क्षेत्रीय अनुज्ञापत्र के लिये अपील कर रखी है। राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण द्वारा इनके लिये उक्त कोटे से एक स्थान रिक्त रखने के आदेश पूर्व में दिये गये हैं।

276. आवेदन पत्र और मतदाता सूची में प्रार्थी के नामें में अन्तर है।

287. प्रार्थी के लाइसेन्स में इनको अजमेर का निवासी होना बताया गया है जिससे इनका रीजन का निवासी होना सन्देहास्पद है।

303. इनका राशन कार्ड दिनांक 1–2–83 का बना हुआ है जो अभी हाल ही का बना हुआ है। इस कारण इनका इस रीजन का निवासी होना सन्देहास्पद है।

306. इनका राशन कार्ड दिनांक 17–1–1983 का बना है जो अभी हाल ही का बना हुआ है। इस कारण इनका इस रीजन का निवासी होना सन्देहास्पद है।

326. आवेदक के पास राजस्थान गुजरात का अनुज्ञापत्र है इस तथ्य को आवेदक ने छुपाया है।

6. निम्न आवेदकों के पास 1983 माडल की वाहनें हैं। रिक्त स्थान न होने के कारण इनके आवेदन पत्र खारिज किये जाते हैं:—

3, 8, 20, 38, 48, 68, 86, 87, 88, 91, 107, 137, 138, 140, 142, 144, 195, 205, 271, 278, 301, 308, 333, 345, 355, 356, 366, 373, 377, 382, 388,

7. निम्न आवेदकों के पास 1982 व उसके नीचे माडल की वाहनें हैं जिसके कारण उपरोक्त अनुच्छेद 10 में जिन व्यक्तियों को अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये गये

हैं उनसे प्राथमिकता देना उपयुक्त नहीं समझा गया इसलिये इनके आवेदन पत्र खारिज किये जाते हैं ।

1982 माडल :—

2, 4, 12, 16, 18, 21, 36, 46, 52, 62, 69, 82, 93, 94, 95, 95, 104, 106, 108, 112, 114, 117, 121, 124, 133, 135, 158, 159, 164, 166, 179, 183, 191, 196, 198, 206, 224, 230, 232, 235, 239, 241, 246, 256, 261, 263, 274, 275, 280, 285, 293, 294, 295, 298, 299, 300, 313, 315, 328, 337, 338, 339, 340, 346, 348, 354, 355, 365, 370, 371, 378, 380, 386, 389, 393.

1981 माडल :—

19, 28, 30, 49, 66, 99, 134, 139, 154, 168, 170, 180 186, 221, 252, 266, 268, 305, 307, 311, 332, 336, 343, 352, 361, 363, 383,

1980 माडल :—

74, 81, 123, 129, 161, 316, 367, 368,

1979 माडल :

249, 381.

परिशिष्ट "क" में वर्णित प्रत्येक आवेदक को उनके नाम के आगे वर्णित वाहनों पर एक एक राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र 5 वर्ष के लिये स्वीकृत किया जाता है । अपर सचिव जब तक आवेदक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त न करलें कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाहन किसी अन्य नेशनल, जोनल, व अन्तर्राज्यीय अनुज्ञापत्र से कवर्ड नहीं हैं तथा वर्तमान में उनके पास कितने नेशनल, जोनल अन्तर्राज्यीय अनुज्ञापत्र हैं तब तक अनुज्ञापत्र या नया ऑथोराइजेशन जारी नहीं करेंगे । अपर सचिव इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि आवेदक के पास ऐसे अनुज्ञापत्रों की संख्या अगर निर्धारित सीलिंग से अधिक हो तो जब तक उस सीमा में आने तक अन्य अनुज्ञापत्र सरेण्डर नहीं किया जावें तब तक अनुज्ञापत्र जारी नहीं करेंगे । अगर ये अनुज्ञापत्र आदेश के दिनांक से 60 दिन के अन्दर प्राप्त नहीं किये गये तो यह स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जावेगी ।

ह.
सदस्य, प्राधिकार
प्रा. प. प्रा., उदयपुर

परिशिष्ट (स)

प्रस्ताव संख्या 3 राष्ट्रीय अनुज्ञा-पत्र, 83/बीकानेर क्षेत्र

सुनवाई का दिनांक 19–4–83

निर्णय का दिनांक 3–5–83

विषय:—बीकानेर क्षेत्र राष्ट्रीय अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

1. भारत सरकार के यातायात व नौकायन मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या टी डब्ल्यू/टी आई टी, 11/82 दिनांक 25-10-1982 द्वारा राजस्थान राज्य के लिये राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों का कोटा 800 से बढ़ा कर 1200 कर दिया। जिसके फलस्वरूप सभी रीजन से कोटा तय करके आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये।

2. बीकानेर रीजन से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, बीकानेर द्वारा बीकानेर में दिनांक 19–4–1983 को बैठक में विचार किया गया।

3 (अ) भारत सरकार ने मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 63 (15) के अन्तर्गत राष्ट्रीय अनुज्ञा-पत्र के लिये नियम बनाये। मोटरगाड़ी अधिनियम की धारा 63 (12) ए में यह प्रावधान है कि एक व्यक्ति या कम्पनी को अधिक से अधिक कितने अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये जा सकते है। 63 (12) (बी) में यह भी प्रावधान है कि अगर सभी शर्तें समान हो तो एक भूतपूर्व सैनिक को, जिसके पास भारी वाहन चलाने का लाइसेन्स हो, अन्य आवेदकों से प्राथमिकता दी जाये।

3 (ब) भारत सरकार द्वारा पूर्व में जारी गाइडलाइन जिसे राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार को अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करते समय ध्यान में रखनी है। इस गाइडलाइन में यह बताया गया है कि नेशनल परमिट की योजना का मुख्य उद्देश्य यह था कि जनहित में विभिन्न राज्यों व केन्द्र प्रशासित क्षेत्र के बीच माल का आवागमन शीघ्रता से हो सके। जो आवेदक इस उद्देश्य को पूरा करने में अपना योगदान दें उन्हें ये अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये जाने चाहिये। इस गाइडलाइन के अनुसार सामान्यतया कुल रिक्त स्थानों के 50 प्रतिशत अनुज्ञा-पत्र उन व्यक्तियों को स्वीकृत किये जाने चाहिए जिनके पास अन्तर्राज्यीय अनुज्ञा-पत्र पहले से हो तथा 25

प्रतिशत आल राजस्थान व क्षेत्रीय अनुज्ञा-पत्रधारियों को तथा शेष 5 प्रतिशत यातायात के धन्धे में नये आने वाले तथा भूतपूर्व सैनिक तथा बेरोजगार ड्राइवर को स्वीकृत किये जावें। इसी गाइडलाइन में अन्य बातों के अलावा यह भी प्रावधान है कि अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करते समय यह भी ध्यान में रखा जावे कि एक ही व्यक्ति के पास ज्यादा अनुज्ञा-पत्र न हो जावें।

4. तीसरी श्रेणी में नये व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक तथा बेरोजगार ड्राइवर आते हैं। मोटरगाड़ी अधिनियम की धारा 63 (11) के अनुसार नेशनल परमिट उन व्यक्तियों को स्वीकृत किये जा सकते हैं, जो स्वयं वाहन स्वामी हैं, अर्थात् उनके नाम वाहन पंजीकृत हो। इसके अनुसार नये व्यक्ति इस अनुज्ञा-पत्र को प्राप्त करने के पात्र तभी होते हैं, जबकि वाहन उनके नाम पंजीकृत हैं। परिवहन विकास परिषद की सिफारिश के अनुसार मल्टी एक्सल वाहनों को अन्य वाहनों की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि उनके भार ले जाने की क्षमता अधिक है, तथा ईंधन भी कम खर्च होता है. साथ ही ऐसे वाहन हाइवे को कम नुकसान पहुंचाते हैं।

5. राजस्थान मोटरगाड़ी नियम के नियम 82 (सी) तथा मोटरगाड़ी अधिनियम की धारा 63 (1-ए) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लिये खाली स्थाना को क्रमश: 16 व 12 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान है। इस प्रकार बीकानेर रीजन में नेशनल परमिट स्वीकृत किये जाने का श्रेणीवार विभाजन निम्न प्रकार है:—

	नया	पुराना	कुल
अनुसूचित जाति	10	9	19
अनुसूचित जन जाति	8	7	15
सामान्य	30	2	32
			66

अगर उपयुक्त व्यक्ति न होने के कारण अनुज्ञा-पत्र जो, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति को स्वीकृत नहीं किये जा सके तो वे अनुज्ञा-पत्र सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को स्वीकृत किये जा सकते हैं तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को रखा हुआ कोटा एक साल के लिये सुरक्षित रखा जावे।

6. बैठक में उपस्थित आवेदक तथा आवेदकों के अभिभाषकों ने प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार को निवेदन किया कि जैसा कि मोटरगाड़ी अधिनियम की धारा-45 में प्रावधान है कि अनुज्ञा-पत्र संबंधित रीजन के रहने वाले व्यक्तियों को ही स्वीकृत

किये जाने चाहिए उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में ऐसे व्यक्तियों को भी अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये जो इस राज्य के निवासी भी नहीं थे। उन्होंने ये भी शिकायत की एक ही व्यक्ति जब भी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व अन्तर्राज्यीय अनुज्ञा-पत्रों के लिए जगह निकलती है वे विभिन्न रीजन में अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि काफी मात्रा में जाली राशन कार्ड प्रचलित हुये हैं। जहां राशनकार्ड पुराना न हो या उससे कोई राशन लिया नहीं गया हो, उस राशनकार्ड पर भरोसा नहीं किया जावे।

7. आवेदक तथा उनके अभिभाषक इस बात से सन्तुष्ट थे कि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार ने आवेदकों को मतदाता सूची, राशनकार्ड तथा क्षेत्र के रहने या मुख्य व्यापार स्थल का स्थान के संबंध में अन्य कोई सबूत पेश करने के लिये कहा। कई आवेदकों द्वारा इस ओर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार का ध्यान आकर्षित किया कि आवेदक द्वारा बताई गई वाहन बैठक के दिनांक तक उनके नाम नहीं होती है, इसलिये वाहन के स्वामित्व के लिये मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र देखा जावे। बैठक में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार ने यह आश्वासन दिया कि अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करते समय उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखा जावेगा, जिससे क्षेत्र के बाहर के निवासियों के अलावा या बेनामी वाहन स्वामी अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने में सफल न हो सके।

8. उपरोक्त सभी मुद्दों को अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करते समय ध्यान में रखा गया। जब आवेदकों की संख्या रिक्त स्थानों से अधिक हो, तब यह आवश्यक है कि जिन लोगों ने अपने क्लेम के लिये अधिक ठोस सबूत पेश किये हों उन्हें उन व्यक्तियों की अपेक्षा जिन्होंने जानबूझकर या किसी अन्य कारण से कुछ तथ्य छुपाया हो, प्राथमिकता दी जावेगी।

9. निम्न आदेश में जो क्रमांक दिये गए हैं वे आवेदकों की वही क्रमांक है जो आपत्ति मांगने की अधिसूचना जिसका प्रकाशन दिनांक 10–3–83 को राजस्थान राजपत्र में हुआ है :—

10. स्वीकृति :—

(अ) अनुसूचित जाति :—

(1) अनुसूचित जाति के लिये पिछले कोटे में 9 तथा नये कोटे में 10 स्थान सुरक्षित रखे गये। इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति के कुल आवेदक 10 हैं।

(2) क्रम संख्या 5 बैठक के समय उपस्थित नहीं थे। इस प्रकार इस आवेदक ने कोई उचित सबूत पेश नहीं किया। खुली बैठक में उपस्थित आवेदकों की तुलना

में अपनी उपयोगिता अधिक बताने में असमर्थ रहे। इसलिये उनका आवेदन-पत्र खारिज किया जाता है।

(3) आवेदक क्रम संख्या 6, 81, 152, 166, 190, 210, 232 के पास कोई वाहन नहीं है। इसलिये इनके आवेदन-पत्र खारिज किये जाते हैं।

(4) आवेदन क्रमांक 88, 196 के पास तैयार वाहन हैं। वे इस क्षेत्र में निवासी हैं। अनुसूचित जाति के हैं। अतः इनको अनुसूचित जाति के लिये सुरक्षित कोटे में से एक एक अनुज्ञा-पत्र उनके द्वारा प्रस्तुत वाहन पर स्वीकृत किये जाते हैं।

(ब) अनुसूचित जन जाति :—

(1) अनुसूचित जन जाति के कोटे के अन्तर्गत पिछले कोटे से 7 स्थान तथा नये कोटे से 8 स्थान सुरक्षित हैं। अनुसूचित जन जाति का एक आवेदक है।

(2) आवेदक क्रम संख्या-15 के पास कोई वाहन नहीं है। इसलिए इनका आवेदन-पत्र खारिज किया जाता है।

इस प्रकार सामान्य कोटे से 64 अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये जाते हैं।

(स) अन्य :—

(1) आवेदन क्रम संख्या 42, 78, 102, 106, 123, 139, 157, 240, 241, 242, 276 के पास अन्तर्राज्यीय अनुज्ञा-पत्र है। इस प्रकार इनको अन्तर्राज्यीय व्यापार का अनुभव है। ये सभी बीकानेर रीजन के रहने वाले हैं, तथा सभी के पास निर्धारित माडल की वाहन हैं। इसलिये सभी को एक-एक राष्ट्रीय अनुज्ञा-पत्र उपरोक्त वाहनों पर स्वीकृत किया जाता है।

(2) आवेदक क्रमांक 9, 11, 18, 26, 47, 51, 55, 72, 96, 100, 108, 127, 129, 140, 141, 146, 161, 162, 171, 174, 202, 223, 224, 227, 230, 233, 239, 245, 247, 250, 256, 258, 262, 264, 265, 270, 279 के नाम 1983 माडल की वाहन हैं तथा ये सभी इसी रीजन के निवासी हैं। अतः इन सभी को एक-एक नेशनल अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये जाते हैं।

(3) आवेदक क्रमांक: 1, 13, 36, 38, 40, 86, 87, 105, 118, 120, 135, 187, 209, 218, 281, 283 के नाम 1982 माडल वाहन हैं तथा ये सभी इसी रीजन के निवासी हैं। अतः इन सभी को एक-एक नेशनल अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये जाते हैं।

2. अस्वीकृति :—

(1) निम्न क्रमांक के आवेदक बैठक के समय उपस्थित नहीं थे। इस प्रकार इन आवेदकों ने कोई उचित सबूत पेश नहीं किया। खुली बैठक में उपस्थित आवेदकों की तुलना में अपनी उपयोगिता अधिक बताने में असमर्थ रहे। इसलिये इनके आवेदन-पत्र खारिज किये जाते हैं :—

4, 5, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 29, 32, 34, 35, 39, 43, 52, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 74, 75, 83, 85, 89, 90, 91, 92, 104, 114, 116, 121, 122, 124, 126, 131, 132, 133, 144, 149, 151, 153, 155, 165, 167, 168, 178, 179, 180, 184, 185, 194, 195, 199, 217, 221, 226, 234, 236, 237, 238, 251, 252, 260, 261, 267, 268, 273, 282, 285

(2) निम्न आवेदकों के पास कोई तैयार वाहन नहीं है, इसमें वे लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने वाहन का नम्बर तो बताया परन्तु सुनवाई के दिनांक तक वाहन का पंजीयन प्रमाण-पत्र वेरीफिकेशन के लिये प्रस्तुत नहीं किया। अतः इनके आवेदन-पत्र अस्वीकृत किये जाते हैं :—

6, 15, 17, 22, 30, 43, 44, 50, 56, 60, 62, 77, 80, 81, 82, 93, 97, 81, 99, 103, 117, 137, 138, 142, 150, 152, 154, 160, 166, 169, 173, 175, 182, 189, 190, 192, 197, 198, 200, 204, 207, 210, 219, 228, 229, 232, 255.

(3) निम्न आवेदकों ने बीकानेर रीजन में रहने या बीकानेर रीजन के मुख्य व्यापार स्थल होने का कोई मूल सबूत स्पष्टतया पूछने के उपरान्त भी पेश नहीं किया। अतः इनके आवेदन-पत्र खारिज किये जाते हैं :—

2, 25, 67, 69, 203, 215, 216, 235, 244, 280

(4) निम्न आवेदक जो अन्तर्राज्यीय अनुभव रखते हैं, परन्तु निम्न कारणों से उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया गया :—

53 इनके द्वारा प्रस्तुत वाहन उत्तरी क्षेत्र अनुज्ञा-पत्र पर पहले से ही चल रही है।

59 इनके पास पहले से तीन राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा के अनुज्ञा-पत्र हैं, इन्होंने इस तथ्य को छुपाया है एवं इनके पास तीन अन्तर्राज्यीय अनुज्ञा-पत्र पहले से हैं।

186 इनके पास राष्ट्रीय अनुज्ञा-पत्र कोटा रीजन से है।

(5) निम्न आवेदकों के पास 83 मॉडल की वाहनें हैं परन्तु प्रत्येक के आगे अंकित कारणों से इनके आवेदन-पत्र अस्वीकृत किये गये :—

41 इसने इस क्षेत्र के निवासी होने का संतोषप्रद सबूत पेश नहीं किया।

68 इनके द्वारा आवेदन-पत्र के साथ कोई शुल्क जमा नहीं कराया गया है।

79 इनके द्वारा प्रस्तुत राशनकार्ड स्पष्ट नहीं है। अतः इनका इस रीजन में रहना संदेहास्पद है।

95 इनके भाई को क्रम संख्या 224 पर अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत इसी आदेश के अन्तर्गत हुआ।

107 से 122 ये सभी आवेदक एक ही कम्पनी के हैं। इसी आदेश में क्रम संख्या 108 पर इस कम्पनी को एक अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया गया है।

148 आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाहन आवेदक के नाम नहीं है।

170 इसके भाई को क्रम सं. 247 पर इसी आदेश में अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया गया है।

183 इनके द्वारा प्रस्तुत कागजों से इनका इस रीजन में रहना संदेहास्पद है।

208 इनके पास एक उत्तरी क्षेत्र का अनुज्ञा-पत्र था, जिसको वाहन चलाने से असमर्थता बता कर इन्होंने दूसरे को हस्तान्तरित किया है।

212 आवेदक द्वारा प्रस्तुत मतदाता सूची व आवेदन-पत्र में आवेदक का नाम व पिता के नाम में अन्तर है।

222 आवेदक ने जो राशन कार्ड प्रस्तुत किया है वह अभी हाल ही का बना हुआ प्रतीत होता है तथा राशन की दुकान पर इसका पंजीयन भी नहीं हुआ है। अतः इनका इस रीजन का निवासी होना संदेहास्पद है।

231 इसके भाई को क्रम संख्या 257 पर एक अनुज्ञा-पत्र इसी आदेश में स्वीकृत किया गया है।

253 इनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों से इनका इस रीजन में रहना संदेहास्पद है।

(6) निम्न आवेदकों के पास 1982 माडल के वाहन हैं, परन्तु उनके आगे लिखित कारणों से उनके आवेदन-पत्र खारिज किये जाते हैं—

(1) आवेदक के नाम वाहन नहीं है। वाहन दो व्यक्तियों के नाम पंजीकृत है।

37 एवं 49 इनके द्वारा प्रस्तुत कागजों में इनका इस रीजन में रहना संदेहास्पद है।

54 इनके पास आल राजस्थान का अनुज्ञा-पत्र जयपुर से है। इससे इनका इस रीजन का निवासी होना संदेहास्पद है।

70 इनके पास एक राष्ट्रीय अनुज्ञा-पत्र कोटा रीजन से है, तथा एक राजस्थान हरियाणा, दिल्ली, कोटा रीजन से है, इस तथ्य को इन्होंने छुपाया है।

71 आवेदक के पिता का नाम मतदाता सूची में तथा आवेदन-पत्र में अलग-अलग है।

94 आवेदक का नाम उसके द्वारा प्रस्तुत मतदाता सूची में भिन्न है ।

119 इनके द्वारा प्रस्तुत कागजों से इनके इस रीजन का निवासी होना संदेहास्पद है ।

155 इनके पास एक राष्ट्रीय अनुज्ञा-पत्र जयपुर रीजन से है, इस तथ्य को इन्होंने छुपाया ।

159 इनके द्वारा प्रस्तुत कागजों से इनका इस रीजन का निवासी होना संदेहास्पद है ।

(7) निम्न आवेदकों के पास 1982 माडल के वाहन हैं, रिक्त स्थान न होने के कारण इनके आवेदन-पत्र खारिज किये जाते हैं—

8, 14, 101, 128, 158, 130, 163, 191, 213, 225, 246, 349, 252, 263, 274, 275

(8) निम्न आवेदकों के पास 1981 व उसके नीचे माडल की वाहनें हैं, जिसके कारण उपरोक्त अनुच्छेद 10 में जिन व्यक्तियों को अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये गये हैं, उनसे प्राथमिकता देना उपयुक्त नहीं समझा गया है। अत: इनके आवेदन-पत्र खारिज किये जाते हैं—

3, 7, 19, 27, 28, 31, 35, 45, 48, 73, 76, 84, 113, 115, 125, 134, 136, 145, 147, 464, 172, 176, 177, 181, 193, 201, 205, 206, 211, 214, 220, 243, 248, 257, 259, 266, 269, 221, 271, 272, 277, 284.

परिशिष्ट "क" में वर्णित प्रत्येक आवेदक को उनके नाम के आगे वर्णित वाहनों पर एक-एक राष्ट्रीय अनुज्ञा-पत्र 5 वर्ष के लिये स्वीकृत किया जाता है। अपर सचिव जब तक आवेदक से इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्त न कर लें कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाहन किसी अन्य नेशनल, जोनल, अन्तर्राज्यीय अनुज्ञा-पत्र से कवर्ड नहीं है, तथा वर्तमान में उसके पास कितने नेशनल, जोनल, अन्तर्राज्यीय अनुज्ञा-पत्र हैं तब तक अनुज्ञा-पत्र या नया आथोराइजेशन जारी नहीं करेंगे। अपर सचिव इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि आवेदक के पास ऐसे अनुज्ञा-पत्रों की संख्या अगर निर्धारित सीलिंग से अधिक

(374)

हो तो जब तक उस सीमा में आने तक अन्य अनुज्ञा-पत्र सरेण्डर नहीं किया जावे, तब तक अनुज्ञा-पत्र जारी नही करेंगे। अगर ये अनुज्ञा-पत्र आदेश के दिनांक से 60 दिन के अन्दर प्राप्त नहीं किये गये तो यह स्वीकृति स्वत: निरस्त समझी जावेगी।

ह०
सदस्य, प्राधिकार,
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार,
बीकानेर।

परिशिष्ट-द

प्रस्ताव संख्या 1 नेशनल/83
सुनवाई का दिनांक 13-4-83
निर्णय दिनांक 26-4-84

विषय :—कोटा क्षेत्र के राष्ट्रीय अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करने के संबंध में।

1. भारत सरकार के यातायात व नाकायन मंत्रालय ने अधिसूचना प टी डब्ल्यू टी आर 11 (82) दिनांक 25-10-82 द्वारा राजस्थान राज्य के लिये राष्ट्रीय अनुज्ञा-पत्रों का कोटा 800 से बढ़ाकर 1200 कर दिया। जिसके फलस्वरूप सभी रीजन से उनका कोटा तय करके आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये।

2. कोटा रीजन से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार कोटा द्वारा कोटा में दिनांक 3-14-1983 को बैठक में विचार किया गया।

3. (अ) भारत सरकार ने मोटरगाड़ी अधिनियम की धारा 63 (15) के अन्तर्गत राष्ट्रीय अनुज्ञा-पत्र के लिये नियम बनाये। मोटरगाड़ी अधिनियम की धारा 63 (12) ए में यह प्रावधान है कि एक व्यक्ति या कम्पनी को अधिक से अधिक कितने अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये जा सकते हैं। 63 (12) बी में यह भी प्रावधान है कि अगर सभी शर्तें समान हों तो एक भूतपूर्व सैनिक को, जिसके पास भारी वाहन चलाने का लाइसेन्स हो, अन्य आवेदकों से प्राथमिकता दी जावे।

(ब) भारत सरकार द्वारा पूर्व में जारी गाइडलाइन जिसे राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार को अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करते समय ध्यान

में रखनी है। इस गाइड लाइन में यह बताया गया है कि नेशनल परमिट की योजना का मुख्य उद्देश्य यह था कि जनहित में विभिन्न राज्यों व केन्द्र प्रशासित क्षेत्र के बीच माल का आवागमन शीघ्रता से हो सके। जो आवेदक इस उद्देश्य को पूरा करने में अपना योगदान दें उन्हें ये अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये जाने चाहिए। इस गाइडलाइन के अनुसार सामान्यतया कुल रिक्त स्थानों का 50 प्रतिशत अनुज्ञा-पत्र उन व्यक्तियों को स्वीकृत किये जाने चाहिये जिनके पास अन्तर्राज्ययीय अनुज्ञा-पत्र पहले से हों तथा 25 प्रतिशत आल राजस्थान व क्षेत्रीय अनुज्ञा-पत्रों तथा 25 प्रतिशत यातायात के धन्धे में नये आने वाले तथा भूतपूर्व सैनिक तथा बेरोजगार ड्राइवर को स्वीकृत किये जावें। इसी गाइडलाइन में अन्य बातों के अलावा यह भी प्रावधान है कि अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करते समय यह भी ध्यान में रखा जावे कि एक ही व्यक्ति के पास ज्यादा अनुज्ञा-पत्र न हो जावें।

4. तीसरी श्रेणी में नये व्यक्ति, भूतपूर्व सैनिक तथा बेरोजगार ड्राइवर आते हैं। मोटरगाड़ी अधिनियम की धारा 63 (11) के अन्तर्गत नेशनल परमिट उन व्यक्तियों को स्वीकृत किये जा सकते हैं जो स्वयं वाहन स्वामी हैं, अर्थात् उनके नाम वाहन पंजीकृत हो। इसके अनुसार नये व्यक्ति इस अनुज्ञा-पत्र को प्राप्त करने के पात्र तभी होते हैं जबकि वाहन उनके नाम पंजीकृत हैं। परिवहन विकास परिषद् की सिफारिश के अनुसार मल्टी एक्सल वाहनों को अन्य वाहनों की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि उनकी भार ले जाने की क्षमता अधिक है, तथा ईंधन भी कम खर्च होता है, और हाइवे को ऐसे वाहन कम नुकसान पहुंचाते हैं।

5. राजस्थान मोटरगाड़ी नियम के नियम 82 (सी) तथा मोटरगाड़ी अधिनियम की धारा 63 (11-ए) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिये खाली स्थानों के क्रमशः 16 व 12 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखें जावें। इस प्रकार कोटा रीजन मे नेशनल परमिट स्वीकृत किये जाने का श्रेणीवार विभाजन निम्न प्रकार है :—

	पुराना	नया	कुल
अनुसूचित जाति	7	6	13
अनुसूचित जनजाति	6	5	1
सामान्य	4	16	20
	17	27	44

उपयुक्त व्यक्ति न होने के कारण अनुज्ञा-पत्र जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति को स्वीकृत नहीं किये जा सकते हों, तो शेष कोटा सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों

को स्वीकृत किये जा सकते हैं, तथा उनका बचा हुआ कोटा एक साल के लिये सुरक्षित रखा जावे।

6. बैठक में उपस्थित आवेदक तथा आवेदकों के अभिभाषकों से प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार को निवेदन किया कि जैसा कि मोटरगाड़ी अधिनियम की धारा 45 में प्रावधान है कि अनुज्ञा-पत्र संबंधित रीजन के रहने वाले व्यक्तियों को ही स्वीकृत किये जावें, उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में ऐसे व्यक्तियों को भी अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये गये जो इस राज्य के निवासी भी नहीं थे। उन्होंने यह भी शिकायत की कि एक ही व्यक्ति जब भी नेशनल, जोनल व अन्तर्राष्ट्रीय अनुज्ञा-पत्रों के लिये जगह निकलती है विभिन्न रीजन में अनुज्ञा-पत्र करने में सफल हो जाते हैं।

7. आवेदक तथा उनके अभिभाषक इस बात से संतुष्ट हैं कि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार ने आवेदकों को वोटर लिस्ट, राशन कार्ड तथा क्षेत्र के रहने या मुख्य व्यापार स्थल का स्थान के संबंध में अन्य कोई सबूत पेश करने के लिये कहा। कई आवेदकों द्वारा बताई गई वाहन बैठक के दिनांक तक उनके नाम नहीं होती है, इसलिये वाहन के स्वामित्व के लिये मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र देखा जावे। बैठक में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार ने यह आश्वासन दिया कि अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करते समय उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखा जावेगा, जिससे क्षेत्र के निवासियों के अलावा या बेनामी वाहन स्वामी अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने में सफल न हो सकें।

8. उपरोक्त सभी मुद्दों को अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करते समय ध्यान में रखा गया। जब आवेदकों की संख्या रिक्त स्थानों से अधिक हो तब यह आवश्यक है कि जिन लोगों ने अपने क्लेम के लिये अधिक ठोस सबूत पेश किये हों उन्हें उन व्यक्तियों की अपेक्षा जिन्होंने जानबूझ कर या किसी अन्य कारण से कुछ तथ्य छुपाया हो, प्राथमिकता दी जावेगी।

9. निम्न आदेश में जो क्रमांक दिये गये हैं वे आवेदकों के वही क्रमांक हैं जो आपत्ति मांगने की अधिसूचना राजपत्र दिनांक 10-3-83 में आवेदकों के क्रमांक हैं।

10. **स्वीकृति :—**

(अ) अनुसूचित जाति :—

(1) अनुसूचित जाति के लिये पिछले कोटे में 7 तथा नये कोटे में 6 स्थान सुरक्षित रखे गये। इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति के कुल 4 आवेदक हैं।

(2) आवेदक क्रमांक 38 के पास कोई वाहन नहीं है। इसलिये इनका आवेदन-पत्र खारिज किया जाता है। आवेदक क्रमांक 144 द्वारा प्रस्तुत किये गये जाति प्रमाण-पत्र में उसको सीकर का निवासी होना बताया गया है। सीकर नेयर कोटा रीजन में नहीं है। अत: आवेदक का इस कोटा रीजन में निवास करना संदेहास्पद है। अत: इनका आवेदन भी खारिज किया जाता है।

(3) आवेदक क्रमांक 27 व 36 के पास तैयार वाहन हैं। ये दोनों इस क्षेत्र के निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति के हैं। अत: इन दोनों को अनुसूचित जाति के लिये सुरक्षित कोटे में एक-एक अनुज्ञा-पत्र उनके द्वारा प्रस्तुत वाहन पर स्वीकृत किया जाता है।

अनुसूचित जन जाति :

(1) अनुसूचित जन जाति के कोटे के अन्तर्गत पिछले कोटे से 6 स्थान तथा नये कोटे से 5 स्थान सुरक्षित है। परन्तु इस कोटे के अन्तर्गत एक ही आवेदक क्रम संख्या 107 पर था जिसने न तो वाहन अपने नाम होने का सबूत दिया और न ही अनुसूचित जनजाति होने का प्रमाण-प्रस्तुत किया। उक्त आवेदक बैठक के समय भी अन्य तथ्यों के प्रमाण के साथ उपस्थित नहीं था, अत: इसका अनुज्ञा-पत्र के लिये दिया गया आवेदन-पत्र खारिज किया जाता है।

इस प्रकार जनरल कोटे से कुल 42 अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये जाते हैं।

(सी) अन्य

(1) आवेदक क्रम संख्या 15, 28, 33, 64, 146, 154 के पास अन्तर्राज्यीय अनुज्ञा-पत्र हैं। इस प्रकार इनको अन्तर्राज्यीय व्यापार का अनुभव है। ये सभी कोटा रीजन के रहने वाले हैं तथा सभी के पास निर्धारित माडल की वाहन हैं। इसलिए सभी को एक-एक राष्ट्रीय अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किया जाता है।

(2) आवेदक क्रम संख्या 2, 10, 46, 79, 100, 129 के पास 83 माडल की वाहन हैं। क्रम संख्या 22, 26, 31, 37, 58, 77, 80, 81, 89, 92, 97, 99, 105, 120, 140, 148 के नाम 1982 माडल वाहन हैं, तथा 20, 73, 153 के पास 1981 माडल की वाहन है तथा ये सभी इसी रीजन के निवासी हैं। अत: इन सभी को एक-एक नेशनल अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये जाते हैं।

अस्वीकृति :—

निम्न क्रमांक के आवेदक बैठक के समय उपस्थित नहीं थे। इस प्रकार इन

(378)

आवेदकों ने कोई उचित सबूत पेश नहीं किया। खुली बैठक में उपस्थित आवेदकों की तुलना में अपनी उपयोगिता अधिक बताने में असमर्थ रहे। इसलिये इनके आवेदन-पत्र खारिज किये जाते हैं :—

3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 21, 34, 35, 39, 40, 43, 45, 47, 50 57, 62, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 82, 84, 87, 91, 93, 94, 96, 98, 104, 106, 107, 109, 110, 115, 117, 119, 125, 127, 128, 130, 137, 147, 149, 152

2. निम्न आवेदकों के पास कोई तैयार वाहन नहीं हैं। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने वाहन का नम्बर तो बताया परन्तु सुनवाई के दिनांक तक वाहन का पंजीयन प्रमाण-पत्र सत्यापन के लिये प्रस्तुत नहीं किया। अतः इनके आवेदन-पत्र अस्वीकृत किये जाते हैं :—

5, 9, 16, 17, 23, 25, 29, 38, 44, 48, 59, 65, 67, 74, 76, 85, 90, 95, 101, 102, 103, 111, 112, 116, 118, 122, 123, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 143, 145, 155

3. निम्न आवेदकों ने कोटा रीजन में रहने या कोटा रीजन में मुख्य व्यापार स्थल होने का कोई सबूत स्पष्टतया पूछने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किया। अतः इनके आवेदन-पत्र खारिज किये जाते हैं :—

1, 4, 13, 32, 41, 42, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 90, 108, 151

4. निम्न आवेदकों के पास निर्धारित माडल की वाहन थी, परन्तु प्रत्येक के सामने अंकित कारणों से उनके आवेदन-पत्र खारिज किये गये :—

क्र.सं.	कारण
1	2
18	आवेदक द्वारा प्रस्तुत वोटर लिस्ट कहां की है, पता नहीं चलता तथा टेम्प्रेरी परमिशन अजमेर की है।
19	आवेदक द्वारा प्रस्तुत पंजीयन प्रमाण-पत्र में पता जयपुर का है, ड्राइविंग लाइसेन्स उत्तर प्रदेश का है।

1	2
24	आवेदक के पास डब्ल्यूजेड का अनुज्ञा-पत्र था जिसे वाहन स्वामी ने 6-7-82 को ट्रान्सफर किया था।
30	आवेदक के पास एक उत्तरी क्षेत्रीय अनुज्ञा-पत्र कोटा से है, लेकिन आवेदक ने इस तथ्य को छुपाया है।
41	कोटा क्षेत्र में रहने का कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया। आवेदक के पास एक उत्तरी क्षेत्रीय अनुज्ञा-पत्र कोटा से स्थानान्तरित किया तथा एक पश्चिमी क्षेत्रीय अनुज्ञा-पत्र कोटा से था, इस तथ्य को उन्होंने छुपाया।
49	कोटा क्षेत्र में रहने का कोई संतोषप्रद सबूत प्रस्तुत नहीं किया।
60–61	यह लिमिटेड कम्पनी है अपना सामान ले जाती है, दूसरों का सामान किराये-भाड़े पर ले जाने का इनका कार्य नहीं है। यह लोकभार वाहन नहीं है। इन्होंने समस्त राजस्थान का जो अनुज्ञा-पत्र प्रस्तुत किया है, वह प्राइवेट कैरियर का है, जबकि धारा–66 (11) के अनुसार राष्ट्रीय अनुज्ञा-पत्र लोक भार वाहन, जो किराये भाड़े पर चलती है, को स्वीकृत किया जाता है।
75	पंजीयन प्रमाण-पत्र में पता जयपुर का है।
83	इसका ड्राईविंग लाइसेन्स बरेली का है। दिनांक 27-10-83 को बना है। राशन कार्ड भी अभी दिनांक 19-3-83 का बनवाया है। डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया।
86	राशन कार्ड में नाम महेन्द्रपाल सिंह रामनाथ है।
88	इसके पास एक राष्ट्रीय अनुज्ञा-पत्र है। इस तथ्य को आवेदक ने छुपाया है।
113	प्रार्थना-पत्र में जो वाहन दी है, उसका पंजीयन प्रमाण-पत्र नहीं दिया।
114	आवेदक के पास एक पश्चिमी क्षेत्रीय अनुज्ञा-पत्र है। परन्तु आवेदक ने यह तथ्य छुपाया है।
121	पंजीयन प्रमाण-पत्र में दूसरा पृष्ठ नहीं है। ड्राईविंग लाइसेन्स आगरा का है।

1	2
12	आवेदक के पास पश्चिमी क्षेत्र का अनुज्ञा-पत्र था। इस तथ्य को वाहन स्वामी ने छुपाया है।
126	वाहन राज्य के बाहर की पंजीकृत है, तथा उसमें राज्य के पते का परिवर्तन नहीं किया गया है। वाहन स्वामी ने ड्राइविंग लाइसेन्स भी नहीं दिया। इनका इस रीजन का निवासी होना संदेहास्पद है।
131	राशनकार्ड का केवल प्रथम पेज दिया है। कोटा क्षेत्र में होने का प्रमाण नहीं मिलता है।
139	इनके पास एक राष्ट्रीय अनुज्ञा-पत्र, एक पश्चिमी क्षेत्रीय अनुज्ञा-पत्र है। एक पश्चिमी क्षेत्रीय अनुज्ञा-पत्र दिनांक 4-8-1981 को बेच दिया है।
141	वाहन राज्य के बाहर पंजीकृत है। राज्य का पता परिवर्तन नहीं करवाया। ड्राईविंग लाइसेन्स आगरा का है।
142	इनके पास एक उत्तरी क्षेत्रीय अनुज्ञा-पत्र था इस तथ्य को जिन्होंने छुपाया है।
150	वाहन का अस्थाई अनुज्ञा-पत्र बीकानेर से बना है। ड्राइविंग लाइसेन्स फरीदकोट का है, तथा राशनकार्ड दिनांक 11–4–1983 को बनाया है।

परिशिष्ट "क" में वर्णित प्रत्येक आवेदक को उनके नाम के आगे वर्णित वाहनों पर एक-एक राष्ट्रीय अनुज्ञा-पत्र 5 वर्ष के लिये स्वीकृत किया जाता है। अपर सचिव जब तक आवेदक से इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्त न करलें कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाहन किसी अन्य राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व अन्तर्राज्यीय अनुज्ञा-पत्र से कवर्ड नहीं है, तथा वर्तमान में उसके पास कितने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अन्तर्राज्यीय अनुज्ञा-पत्र हैं, तब तक अनुज्ञा-पत्र या नया आथोराइजेशन जारी नहीं करेंगे। अपर सचिव इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि आवेदक के पास ऐसे अनुज्ञा-पत्रों की संख्या और निर्धारित सीमा से अधिक हो तो अन्य अनुज्ञा-पत्र सरेण्डर करवा कर जब तक निर्धारित सीमा में नहीं आ जाते तब तक अनुज्ञा-पत्र जारी नहीं करेंगे। अगर ये अनुज्ञा-पत्र आदेश के दिनांक से 60 दिन की अवधि के अन्दर प्राप्त नहीं किये गये तो यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।

381

(11) रिक्त स्थानों के लिये अपर सचिव शीघ्र पुनः आवेदन-पत्र आमंत्रित करेंगे।

घोषित

ह/–
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार,
कोटा

परिशिष्ट (ग)

(APPENDIX)

Guide lines for the grant of National Permits

1. The Various considerations specified in Section 55 of the Motor Vehicale Act, 1939, as amplified by the Motor Vehicles (Amendment) Ordinance, 1975, will be taken into account in selecting applications for the grant of National Permits.

2. The main purpose underlying the National Permits being the facilitation of movement of goods between the States of the Union in the interests of the public, such applicants as are likely to contribute to this purpose should be selected.

3. Those applicants who have experience in the movement of goods on the basis of Regional, State and Inter-stat permits need be considered for the grant of National Permits within the limits mentioned in the Ordinance. In order to meet the social purpose enshrined in the Ordinance, normally 50% of the National Permits may be granted to those already holding Inter State permits, 25% to those holding state and Regional Permits and the remaining 25% to new enterpreneurs including ex-army personal and unemployed drivars. Such permits will be granted to ex-service men only, if they pass the driving test, specified in the Third schedule to the Motor

382

Vehicles Act and they hold valid driving licences granted by the appropriate licensing authority.

4. There should be no objection to granting National Permits to those holding Inter State permits provided they surrender the required number of the latter permits so as to come initially, or remain latter, within the limits laid down in the Ordinance.

5. It will be noticed that there is no rastriction of numbers of National Permits in respect of those having regional and state permits, however, the general need to avoid undue concentration of opportunities in a few hands may be borne in mind.

6. If an adequate number of new entrepreneurs are not forthcoming for availing National permits set apart for than the Unutilised, number may be distributed among other kinds of applicants.

7. Before granting National Permits to new enterpreneurs such as unemploye ddrivers and x-army personnel, care will be taken to see that the applicants are genuine and not benami. A suitable declaration should be obtained for this purpose from them. It should be made clear that permits granted on the basis of such declaration will not be allowed to be transferred under any circumstances. If no longer required, they can only be surrendered for cancellation.

8. New enterpreneurs may be recommended suitable assistance from the financial institutions in order to enable them to carry on the business of National Permits.

9. X-servicemen who have been released after serving a full term in the Armed Forces should be given preference over those who had left the armed fo rces on compassionate or medical grounds.

10. The x-servicemen should be physically fit, healthy and young. Their age should preferably be below 45 years.

11. If a group of ex-servicemen form a corporate body and all the members of such a body fulfil the minimum conditionse ligbility, such a corporate body should be given preferenced over individuals.

12. War disabled ex-servicemen who are in a position to drive vehicle themselves and are otherwise eligible should be given preference over others.

————